माला, खंड 12, अंक 11

सोमवार, 8 अगस्त, 2005
17 श्रावण, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Building

Acc No. 59
Dated 3/7/06

(खंड 12 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र.ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 12, पांचवां सत्र, 2005/1927 (शक)]

अंक 11, सोमवार, 8 अगस्त, 2005/17 श्रावण, 1927 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 201 से 205 और 208	1-38
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 206, 207 और 209 से 220	38-82
अतारांकित प्रश्न संख्या 2097 से 2326	82-495
सभा पटल पर रखे गए पत्र	495-498
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) खाद्य, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री शरद पवार	498-499
(दो) कृषि, (पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग) संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री शरद पवार	499
(तीन) श्रम संबंधी स्थायी समिति के पहले और तीसरे प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री के. चन्द्रशेखर राव	500-501
(चार) महाराष्ट्र की इंदिरा सागर गोसिखुर्द सिंचाई परियोजना के बारे में दिनांक 9 मई, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6573 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	
श्री जय प्रकाश नारायण यादव	501
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
देश में विशेषत: केरल में बीड़ी कर्मकारों के समक्ष आ रही समस्याओं से उत्पन्न स्थिति	503-515
श्री पी. करुणाकरन	503
श्री के. चन्द्रशेखर राव	503-508, 512-514

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
	डा. सी. कृष्णन	508-509
	श्री वरकला राधाकृष्णन	510
	श्री बसुदेव आचार्य	510-511
	श्री शैलेन्द्र कुमार	511-512
सदस्य द्वारा निवेदन		
मुंबई शेयर बाजार में अत्यधिक अस्थिरता के बारे में		525-531
नियम 377 के अधीन मामले		531-543
(एक)	बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को अतिरिक्त निधियां जारी किये जाने की आवश्यकता	
	डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य	531-532
(दो)	दार्जिलिंग में सिंगालिला राष्ट्रीय उद्यान की देखभाल और अनुरक्षण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री डी. नरबुला	532
(तीन)	हिमाचल प्रदेश और देश के अन्य भागों में फुटकर आउटलेटों के माध्यम से बेचे जाने वाले पेट्रोल तथा डीजल में अपमिश्रण को रोकने के लिए कोई तंत्र बनाए जाने की आवश्यकता	
	प्रो. चन्द्र कुमार	533
(चार)	मथुरा, उत्तर प्रदेश में भारत संचार निगम लिमिटेड के मोबाईल टेलीफोन नेटवर्क को सुचारू बनाए जाने की आवश्यकता	
	कुंवर मानवेन्द्र सिंह	533-534
(पांच)	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों तथा परिलब्धियों के संशोधन के लिए छठा वेतन आयोग गठित किये जाने की आवश्यकता	
	श्री ए. वेंकटेश नायक	534
(छह)	मध्य प्रदेश राज्य में भारी वर्षा से प्रभावित लोगों को राहत मुहैया कराने के लिए मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती नीता पटैरिया	534-535
(सात)	शत-प्रतिशत सब्सिडी देकर कर्नाटक में ड्रिप सिंचाई प्रणाली कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्री एस. मल्लिकार्जुनैया	535
(आठ)	राजस्थान राज्य में पेयजल की समस्या सुलझाने की दृष्टि से राजस्थान सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती सुशीला बंगारू लक्ष्मण	535-536

विषय		कॉलम
(नौ)	बेरोजगार लोगों के हित की सुरक्षा की दृष्टि से, रोजगार के लिए समाचार-पत्रों में आवेदन आमंत्रण वाले जाली विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती करूणा शुक्ला	536
(दस)	गुजरात के पाटन जिले में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता	
	श्री महेश कनोडीया	537
(ग्यारह)	आंध्र प्रदेश में वनों में रहने वाले जनजातीय लोगों के हितों की रक्षा की दृष्टि से अनुसूचित जनजाति परंपरागत विधि अधिकार विधेयक, 2005 को अधिनियमित किए जाने की आवश्यकता	
	डा. बाबू राव मिडियम	637
(बारह)	केरल और देश के अन्य भागों में काजू, कयर, बागान, मत्स्य पालन तथा अन्य असंगठित क्षेत्रों में लगे कामगारों के लिए सामजिक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता	
	श्री पी. राजेन्द्रन	538
(तेरह)	पटना में बाबू राजेन्द्र प्रसाद की "समाधि" की समुचित देखभाल और अनुरक्षण के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्री रामजीलाल सुमन	538-539
(चौदह)	सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा, उत्तर प्रदेश को मिनी-एम्स का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता	
	प्रो. एस.पी. सिंह बघेल	539
(पन्द्रह)	बिहार में गया और पटना के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 को चार लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री राजेश कुमार मांझी	539-540
(सोलह)	कानपुर-लखनऊ और कानपुर-इटावा मार्गों पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 का पुनर्निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री राजाराम पाल	540
(सत्रह)	भारत में कार्य कर रही बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सी. कुप्पुसामी	540-541
(अठारह)	उड़ीसा में खुर्दा-बोलंगीर और गोपालपुर-रायपुर सेक्शनों पर राष्ट्रीय राजमार्गों की समुचित देखभाल और अनुरक्षण के लिए समुचित निधियां आवंटित किये जाने की आवश्यकता	
	श्री सुग्रीव सिंह	541
(उन्नीस)	उत्तर प्रदेश के नगीना, बिजनौर जिले में महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का ठहराव बनाए जाने तथा कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री मुन्शी राम	541-542

विषय		कॉलम
(बीस)	म्यांमार और बंगलादेश के साथ सीमा व्यापार बढ़ाए जाने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता	
	श्री वनलाल जावमा	542-543
(इक्कीस)	देश में फिल्मों की पायरेसी को रोकने के लिए समुचित विधान बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती जयाप्रदा	543
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2005-06 और अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2002-03		543-616, 636-653
	श्री पी. चिदम्बरम	543-544, 642-650
	श्री कैलाश जोशी	547-553
	श्री के.एस. राव	553-559
	श्री अनिल बसु	559-564
	श्री रवि प्रकाश वर्मा	564-567
	श्री राम कृपाल यादव	567-572
	श्री इलियास आजमी	572-577
	श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन	577-582
	श्री तथागत सत्पथी	583-587
	श्री सी.के. चन्द्रप्पन	587-589
	श्री खारवेल स्वाईं	589-597
	श्री बालासाहिब विखे पाटील	597-602
	प्रो. एम. रामदास	602-605
	डा. एम. जगन्नाथ	605-610
	श्री गिरधारी लाल भार्गव	611-613
	श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई	613-616
	श्री लक्ष्मण सेठ	636-638
	श्री रघुनाथ झा	638-642
आधे घंटे की चर्चा		
	वेक्टर जनित रोगों का उन्मूलन	616-635
	डा. चिन्ता मोहन	616-622
	डा. के.एस. मनोज	622
	श्री शैलेन्द्र कुमार	622-623
	डा. एम. जगन्नाथ	624-625
	श्री विक्रम केशरी देव	625-627
	डा. अंबुमणि रामदास	628-635

विषय	कॉलम
कार्यमंत्रणा समिति	
चौदहवां प्रतिवेदन	636
विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2005	654-655
विचार करने के लिए प्रस्ताव	654
श्री पी. चिदम्बरम	654
खण्ड 2 से 3 और 1	655
पारित करने के लिए प्रस्ताव	655
विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2005	655-656
विचार करने के लिए प्रस्ताव	655
श्री पी. चिदम्बरम	655
खण्ड 2 से 3 और 1	656
पारित करने के लिए प्रस्ताव	656
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	663
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	663-670
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	671-672
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	671-672

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

सोमवार, 8 अगस्त, 2005/17 श्रावण, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय: श्री हरिश्चंद्र चव्हाण। प्र. सं. 201

[हिन्दी]

वन्य जीवों की संख्या में कमी

+
***201. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:**
श्री एम. शिवन्ना:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत अनेक वर्षों से देश में वन्य जीवों और पक्षियों की संख्या में लगातार कमी होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आज की तारीख के अनुसार इन वन्य जीवों और पक्षियों में प्रत्येक की राज्यवार, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान/अभ्यारण्य/रिजर्व-वार संख्या कितनी है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उनके रिकार्ड किए गए तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(घ) क्या वन्य जीवों के लापता होने के लिए कभी कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो वन्य जीवों के संरक्षण और उनकी संख्या में आ रही कमी को रोकना सुनिश्चित करने हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) जी, नहीं। विगत कई वर्षों से देश में सभी वन्य जीवों की संख्या में लगातार कमी नहीं आ रही है। वन्य जीवों की संख्या में उतार-चढ़ाव एक प्राकृतिक घटना है। तथापि, भारत सरकार के स्तर पर पक्षियों की गणना की संख्याओं का मिलान नहीं किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संबंधित राज्यों द्वारा की गई गणनाओं के आधार पर भारत की प्रमुख प्रजातियों (फ्लैगशिप स्पीसीज) की अनुमानित संख्या में परिवर्तन, अनुबंध में दिया गया है।

(घ) और (ङ) वन्य पशुओं की संख्या की स्थिति में परिवर्तन विभिन्न घटकों के कारण है। राज्य सरकार द्वारा वन्य पशुओं की संख्या में कमी आने पर जिम्मेदारी निर्धारित करने के किसी मामले की सूचना नहीं दी गई है।

(च) वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

1. वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 और उनके संशोधन भारत में वन्यजीवों और उनके पर्यावासों की सुरक्षा और संरक्षण का प्रावधान रखते हैं।

2. राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-2016) जिसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अंगीकार किया है, में देश में वन्यजीवों के संरक्षण और सुरक्षा की रणनीति को रेखांकित किया गया है।

3. राज्य सरकारों को वन्य जीवों के आश्रय स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत आवश्यक तकनीकी और वित्तीय सहायता दी जाती है।

4. भारत वन्यजीवों और इसके व्युत्पन्नों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विनियमन और संरक्षण के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों में एक हस्ताक्षरकर्ता है।

अनुबंध

महत्वपूर्ण वन्य जीवों की गणना

राज्य-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	टाईगर		लियोपार्ड		एशियाई शेर			हाथी		गैंडा		संगाई		जंगली गधा	
		1997	2001-02	1997	2001-02	1995	2001	2005	1997	2002	1993	1998/99	1996	1997	1999	2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	171	192	138	505	—	—	—	57	74	—	—	—	—	—	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	*	**61	98	एन.आर.	—	—	—	1800	1607	—	—	—	—	—	—
3.	असम	458	354	246	248	—	—	—	5312	5246	1440	1684	—	—	—	—
4.	बिहार/झारखंड	103	110	203	164	—	—	—	618	772	—	—	—	—	—	
5.	गोवा/दमन एवं दीव	6	5	25	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	गुजरात	1	0	832	999	304	327	359±10	—	—	—	—	—	—	2839	3863
7.	हरियाणा	—	—	25	एन.आर.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	821	एन.आर.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	जम्मू-कश्मीर	—	—	एन.आर.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	कर्नाटक	350	401	620	एन.आर.	—	—	—	6088	5838	—	—	—	—	—	—
11.	केरल	73	71	16	एन.आर.	—	—	—	3600	3850	—	—	—	—	—	—
12.	मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	927	937	1851	2206	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	महाराष्ट्र	257	238	431	513	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	मणिपुर	—	—	एन.आर.	एन.आर.	—	—	—	30	12	—	—	143	147	—	—
15.	मेघालय	*	47	एन.आर.	एन.आर.	—	—	—	1840	1868	—	—	—	—	—	—
16.	मिजोरम	12	28	28	एन.आर.	—	—	—	22	33	—	—	—	—	—	—
17.	नागालैंड	*	23^	एन.आर.	42	—	—	—	158	145	—	—	—	—	—	—
18.	उड़ीसा	194	173	422	457	—	—	—	1800	1841	—	—	—	—	—	—
19.	राजस्थान	58	58	474	481	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	सिक्किम	*	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.	तमिलनाडु	62	60	110	41	—	—	—	2971	3052	—	—	—	—	—	—
22.	त्रिपुरा	*	एन.आर.	18	एन.आर.	—	—	—	70	40	—	—	—	—	—	—
23.	उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	475	535	1412	2168	—	—	—	1200	1667	12	13	—	—	—	—
24.	पश्चिम बंगाल	361	349	108	331	—	—	—	276	328	44	120	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25.	दादरा और नगर हवेली	—	—	15	एन.आर.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	अंडमान और निकोबार	—	—	—	एन.आर.	—	—	—	35	40	—	—	—	—	—	—
	कुल	3508	3642	7893	8203	304	327	359±10	25877	26413	1496	1817	143	147	2839	3863

एन.आर. - सूचित नहीं

* - टाईगर गणना नहीं की गई थी।

** - केवल नामदफा टाईगर रिजर्व के लिए

^ - समूचा राज्य कवर नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: अध्यक्ष महोदय, मेरे और आपके बीच में यह पिलर खड़ा है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत आयेगी। लेकिन मेरा डिवीजन नम्बर यहीं पर है।

अध्यक्ष महोदय: आप आगे आ जाइये।

श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: थैंक यू सर।

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): आपका प्रमोशन हो गया है।

श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: मेरा मूल सवाल यह था कि क्या गत अनेक वर्षों से देश में वन्य जीवों और पक्षियों की संख्या में लगातार कमी होती जा रही है—इसका जवाब मंत्री जी ने "नो सर" दिया है। मेरे पास कुछ फिगर्स हैं, जिन्हें मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं—वर्ष 2001 में आंध्र प्रदेश में एक बाघ का शिकार हुआ था, वर्ष 2002 में आंध्र प्रदेश में एक चीते का शिकार हुआ था, वर्ष 2001 में असम में 10 गैंडों का शिकार हुआ था, वर्ष 2002 में पांच गैंडों का शिकार हुआ था और वर्ष 2003 में एक हाथी और छः गैंडों का शिकार हुआ था। वर्ष 2001 में दिल्ली में छः चीतों का शिकार हुआ और महाराष्ट्र में वर्ष 2001 में 17 बाघ, छः चीते और तीन मयूरों का शिकार हुआ था। ऐसी बहुत सी फिगर्स मेरे पास हैं। इसका मतलब है कि मंत्री महोदय ने यह जानकारी सदन से छिपानी चाही है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जो फिगर्स सदन में बताई गईं, जिस हिसाब से शिकार हुआ है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इसके लिए या तो फारेस्ट आफिसर जिम्मेदार हैं या ठेकेदार जिम्मेदार हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन लोगों के खिलाफ सरकार कोई एक्शन लेने वाली है?

श्री नमोनारायण मीना: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मूल सवाल में माननीय सदस्य ने पूछा है-

[अनुवाद]

क्या देश में जंगली जानवरों और पक्षियों की संख्या में पिछले कई वर्षों से लगातार कमी हो रही है।

[हिन्दी]

हमने इसका जवाब "नो सर" में दिया है, यानी इनकी संख्या में कुछ कमी अवश्य हुई है, लेकिन लगातार कमी नहीं होती जा रही है। पोचिंग की फीगर्स हमारे पास हैं। वर्ष 2001-2002 और 2003 में जो पोचिंग और किलिंग हुई हैं, उनकी फिगर्स मेरे पास हैं और सैन्सज ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप जरा मेहरबानी करके उनकी मदद कीजिए। आप लोगों को जवाब नहीं देना है, मंत्री जी ने जवाब देना है।

श्री नमोनारायण मीना: जहां तक एनिमल्स की सैन्सज का सवाल है, यह हर चार साल में एक बार होती है और हमारे पास जो फिगर्स उपलब्ध हैं, वे सारी स्टेट्स से पिछले चार सालों की कलैक्ट की गई हैं। जहां तक माननीय सदस्य ने पोचिंग और किलिंग की जो सूचनाएं दी हैं, उसके आधार पर वर्ष 2001 से 2004 तक की फिगर्स मेरे पास हैं।

53 टाइगर्स की पोचिंग या किलिंग हुई है, तीन चीतों की हुई है, 102 हाथियों की हुई है और राइनोज की हुई है। यह कांस्टैन्टली कम नहीं हुई है। इसके कई कारण हैं।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी बोल रहे हैं कि लगातार कमी नहीं हुई है, लेकिन हुई है।

श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: अध्यक्ष महोदय, यदि वन्य जीवों और पेड़ों में बोलने की क्षमता होती तो आज मनुष्य का सिर शर्म से झुक जाता।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बहुत ठीक कहा है।

[हिन्दी]

श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: इसका कारण यह है कि महाराष्ट्र में, खासकर मेरे जिले नासिक, धुलिया, नंदुरबार, ठाणे, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, गोंदिया तथा प्रदेश के हिली एरियाज में बहुत एनक्रोचमैंट हो रही है। इस कारण वहां के फारेस्ट कवर में कमी हो रही है और वन्य जीव कम हो रहे हैं। इसके लिए या तो फारेस्ट डिपार्टमैंट जिम्मेदार है या वहां के ठेकेदार जिम्मेदार हैं। क्या सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने वाली है?

एक प्रश्न और करना चाहता हूं कि जहां पहले बाघ, चीते और बहुत सारे वन्य जीव हमें देखने को मिलते थे, वहां एनक्रोचमैंट के बाद आज हमको चूहा भी देखने को नहीं मिलता। इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी बताइए, कौन जिम्मेदार है? वहां चूहा भी दिखाई नहीं देता!

श्री नमोनारायन मीना: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि एनक्रोचमैंट की समस्या है, परंतु मैं उनको अवगत करना चाहता हूं कि यह विषय राज्य सरकारों से संबंधित है। हम राज्य सरकारों को समय-समय पर एनक्रोचमैंट हटाने के लिए लिखते रहे हैं। स्टेट गवर्नमैंट्स ने यह मामला उच्चतम न्यायालय तक भी पहुंचाया और वहां से भी निर्देश दिये गये हैं कि जो एनक्रोचमैंट हुई हैं, ऐसे मामलों में सख्ती से निपटा जाए। राज्य सरकारों के ऊपर यह निर्भर करता है, चूंकि यह कनकरैन्ट सब्जैक्ट है तथा नेशनल पार्क्स और सैंक्चुरीज को डैवलप करने और मेनटेन करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है।

[अनुवाद]

***श्री एम. शिवन्ना:** अध्यक्ष महोदय, वन्यजीव (संरक्षण अधिनियम, 1972 का प्रवर्तन गत कई वर्षों से हो रहा है। दुर्भाग्यवश, यह अधिनियम वन्यजीव का संरक्षण करने की स्थिति में नहीं है।

सिरिस्का टाइगर रिजर्व में आज एक भी बाघ नहीं हैं। नागरहोल, कर्नाटक में यदाकदा बाघ मार दिए जाते हैं। गत पंद्रह वर्ष के दौरान मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक सौ से अधिक हाथी मारे गए हैं। संकटापन्न प्रजातियों की संख्या एक सौ से अधिक हो जाएगी यदि अवैध शिकार की वर्तमान दर जारी रहती है।

हाल ही में बीदर जिले में कर्नाटक पुलिस ने अवैध शिकारियों को गिरफ्तार किया है और करोड़ों रुपए मूल्य की बाघ की खालें, हिरण के सींग, तेंदुए की खाल आदि जब्त की हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री एम. शिवन्ना: अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पशुओं की खालों, नाखूनों और सींगों की तस्करी छह बिलियन अमेरिकी डालर के बराबर है जिसका स्थान स्वापक के बाद दूसरा है।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। इससे प्रश्न काल का दुरुपयोग हो रहा है। मुझे दुख है। आप यहां मंत्री को सूचना देने के लिए नहीं हैं। आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री एम. शिवन्ना: जी, हां, भारत में कानून ज्यादा हैं और शासन कम है। राष्ट्रीय वन नीति और वन्यजीव अधिनियम, 1972 अन्य सहायक विनियमों के साथ बहुत अच्छा बनाया गया है किन्तु इनका प्रवर्तन खराब है।

अत: क्या माननीय मंत्री अवैध शिकारियों पर मुकदमा चलाने और अवैध शिकार के मामले शीघ्र निपटाने के लिए शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप अवैध शिकारियों पर शीघ्र मुकदमा चलाएंगे।

[हिन्दी]

श्री नमोनारायन मीना: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने वन्य जीवों की पोचिंग के बारे मे चिंता व्यक्त की है, उससे सारा राष्ट्र और मैं भी सहमत हूं। प्रधानमंत्री जी पिछले दिनों रणथम्भौर के दौरे पर गए थे, उन्होंने भी इस बारे में चिंता व्यक्त की है। मैं यह बात भी मानने के लिए तैयार हूं कि नारकोटिक्स के बाद इंटरनेशनल मार्केट में वन्य जीवों की खालों की ज्यादा तस्करी हो रही है। वन्य जीवों की खालों से डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि इसे रोकने के लिए बहुत सारे कानून हैं, जिनका इंफोर्समेंट राज्य सरकार के पास है। इसके अलावा भारत सरकार ने वन्य जीवों की तस्करी को रोकने के लिए बहुत से इंटरनेशनल कंवेंशंस किए हैं और उनमें हम दूसरे देशों के साथ भागीदार हैं। नेपाल के साथ हमने मेमोरेंडम आफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। चीन के साथ टाइगर्स की खालों की डेरिवेटिव्स हेतु तस्करी हो रही है, उसके बारे में भी हमने हस्ताक्षर किए हैं और इसे रोकने के लिए सरकार ने बहुत से प्रयास किए हैं। अभ्यारण्यों के विकास के लिए हम पैसा दे रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर हम प्रयास कर रहे हैं और अभी जो टास्क फोर्स

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

प्रधानमंत्री जी ने गठित की है, उसकी रिपोर्ट आ गई है। उसके आधार पर हम राज्य सरकारों से मिल कर, उनके सहयोग से, वन्य जीवों की पोचिंग पर रोक लगाने में सक्षम होंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र की यूपीए सरकार अन्य जीवों की पोचिंग को रोकने के लिए बहुत गंभीर है और हम उसे रोकने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जरूरत उपयुक्तता और संक्षिप्तता दोनों की है।

डा. करण सिंह यादव।

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के अलवर जिले से सांसद हूं, जिसे सिंह द्वार कहा जाता है और जहां इस देश की बहुत मशहूर टाइगर्स सेंचुरी है। पिछले दिनों अखबारों में और देश में इस बात की बहुत चर्चा रही कि वहां टाइगर्स की बड़ी मात्रा में पोचिंग हुई और सेंसस में भी पाया गया कि आज की तारीख में सरिस्का में एक भी टाइगर मौजूद नहीं है। यह बहुत खेद का विषय है। अलवर क्षेत्र की इकोनौमी पर्यटन पर निर्भर है। ज्यादातर पर्यटक सरिस्का को इसीलिए देखने आते हैं कि चाहे वहां पर टूरिस्ट्स को टाइगर देखने को मिले या न मिले, लोगों के मन में यह वहम जरूर था कि वहां टाइगर उपलब्ध हैं। लेकिन आज लोगों को पता लग गया है कि वहां टाइगर्स नहीं हैं, इस कारण वहां पर टूरिस्टों का आना कम हो गया है। इस कारण तांगेवाला, घोड़ेवाला, होटल वाला, टूरिस्ट गाइड आदि सबके रोजगार कम हो गए हैं। वहां पर बड़ी मात्रा में पोचिंग हुई है, जिससे आज वहां एक भी टाइगर नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या केंद्र सरकार की टास्क-फोर्स और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गठित की गई टीम की सिफारिशों के आधार पर सरकार के दूसरे अभ्यारण्यों से टाइगर लार सरिस्का में रखेंगे, जिससे लोगों को विश्वास हो कि सरिस्का में पुन: टाइगर्स आ गए हैं?

अध्यक्ष महोदय, मैं एक दूसरा प्रश्न भी पूछना चाहता हूं। वहां पर बहुत से गांव बसे हुए हैं। यह सिफारिश की गई थी कि उन गांवों को वन क्षेत्र से हटा कर बाहर भेज देंगे–

[अनुवाद]

वर्षों से पशु और मनुष्य का अस्तित्व है। लोग जीवित हैं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: पहले वहां पर टाइगर्स को जाने दीजिए, तभी बात बनेगी।

श्री नमोनारायण मीना: माननीय सदस्य की चिंता से मैं सहमत हूं। जैसा मैंने अपने पहले उत्तर में अर्ज किया कि सेंचुरी और पास की जगह की मैनेजमेंट और विकास की व्यवस्था के लिए राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं। सरिस्का के लिए राज्य सरकार ने भी एक टास्क फोर्स गठित की है। उस बारे में हमें सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि उसके क्या परिणाम रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई को इंक्वायरी करने के लिए भेजा था और हमारी मिनिस्ट्री ने भी देहरादून के एक्सपर्ट्स को रिपोर्ट करने के लिए कहा है।

उन्होंने वहां टाइगर के एवीडेंस नहीं पाए। जहां तक सरिस्का टाइगर सेंचुरी को दुबारा आबाद करने की बात है, टास्क फोर्स की रिपोर्ट आ गई है। उसने काफी सुझाव दिए हैं। माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, चूंकि सरिस्का, टाइगर्स का नेचुरल हैबीटेट क्षेत्र है, इसलिए हम इस संबंध में विस्तृत चर्चा करेंगे और यह प्रयास किया जाएगा कि इसे दुबारा किस तरह से आबाद किया जाए। टास्क फोर्स ने जो सुझाव दिए हैं, हम उनका परीक्षण कर रहे हैं। उसके बाद विचार करेंगे कि क्या कार्रवाई की जाए।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरुप: महोदय, समूचे देश को यह सुनकर धक्का लगा कि जब माननीय प्रधानमंत्री स्थिति का जायजा लाने के लिए व्यक्तिगत रूप से सरिस्का गए थे तो वहां सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में कोई भी बाघ नहीं था। उसके बाद रणथम्भौर वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में ऐसी रिपोर्ट आई कि वहां बाघों की संख्या कम हो रही है। इस प्रकार की स्थिति तो अभ्यारण्यों के प्रभारी अधिकारियों के षड्यंत्र से ही हो सकती है। ये अधिकारी अवैध शिकारियों की सहायता कर रहे हैं। अत: इन सभी रिपोर्टों को देखते हुए सरकार हमारे वन्य जीव अभ्यारण्यों में बाघों के संरक्षण और अवैध शिकार रोकने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के दौरे के अतिरिक्त, इन अधिकारियों के विरुद्ध किस कार्रवाई पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

श्री नमोनारायण मीना: अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी सरिस्का नहीं गए थे, बल्कि रणथम्भौर गए थे। यह मैं माननीय सदस्य की नालेज में लाना चाहता हूं। जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि नेशनल पार्क और सेंचुरीज की सारी व्यवस्था, उनका संरक्षण राज्य

सरकारों के ऊपर निर्भर करता है। हम उन्हें टैक्नीकल असिसटेंस देते हैं और फायनेंश्यल असिसटेंस देते हैं। हमें जानकारी मिली है कि राजस्थान सरकार ने भी रणथम्भौर के लिए टास्क फोर्स गठित की हुई है। उसकी अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। मैं माननीय सदस्य की चिन्ता से बिलकुल सहमत हूं। यह वाकई बहुत चिन्ता का विषय है कि सरिस्का में टाइगर एकदम गायब हो गए हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, चिन्ता की बात नहीं है। आप यह बताइए कि पोचिंग रोकने हेतु क्या काम करेंगे, क्या एक्शन लेंगे?

श्री नमोनारायण मीना: इसके लिए हम राजस्थान सरकार से विचार-विमर्श करेंगे और...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप की जाने वाली कार्रवाई की सिफारिश करेंगे।

[हिन्दी]

श्री नमोनारायण मीना: अध्यक्ष जी, जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि अधिकारी स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होते हैं। इसलिए राज्य सरकार ही उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसके बाद श्री दुष्यंत सिंह। वह नए सदस्य हैं और राजस्थान के हैं।

श्री शरद पवार: महोदय, माननीय महिला सदस्यों की अवहेलना की जाती है।

अध्यक्ष महोदय: किसी की अवहेलना नहीं की जाएगी। उन्हें तैंतीस प्रतिशत आरक्षण दीजिए और आप देखेंगे कि उन्हें उनका हिस्सा मिले।

...(व्यवधान)

श्री दुष्यंत सिंह: महोदय, पशुओं का अवैध शिकार आजकल ही नहीं हो रहा है। अपितु यह सतत रूप से चल रहा है। यह कार्य लगभग दस-बारह वर्षों से चल रहा है। मुझे ऐसी सामग्री मिली है जिसमें कहा गया है कि वर्ष 1997 से उत्तर प्रदेश में अवैध शिकार के गम्भीर मामले हुए हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि बाद की सरकारों ने अवैध शिकार को रोकने का प्रयास किया है। केवल किसी एक राज्य में अवैध शिकार नहीं हो रहा है। ऐसे अनेक राज्य हैं। सूची के अनुसार अवैध शिकार कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में बाघों की बनी खालें 1999 में पकड़ी गई हैं। सरकार ने उस बारे में क्या किया है?

राजस्थान सरकार ने एक कृतिक बल का गठन किया है और बाद की सरकारों ने पशुओं का अवैध शिकार रोकने के लिए अपना पूरा प्रयास किया था। हमें ऐसे अनुकूल परिवेश का सृजन करने के लिए समन्वित ढंग से एक साथ कार्य करने की आवश्यकता है जहां पशु और मानव एक साथ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद। यह बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है। प्रश्न में एक ही राज्य की पहचान नहीं की गई है; अन्य सभी राज्यों के नाम भी प्रश्न में हैं।

मंत्री महोदय, आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

श्री ए. राजा: महोदय, मैं सूचना को सभा के साथ बांटना चाहता हूं और सभा के अन्दर और सभा के बाहर इसे स्वीकार करता हूं। नि:संदेह मैंने सरिस्का के बारे में यह स्वीकार किया। सरिस्का में कुछ समस्याएं हैं किन्तु सरिस्का की समस्या की तुलना देश में अन्य टाइगर रिजर्व की समस्याओं के साथ नहीं की जा सकती है। इसकी जांच आई यू सी प्रणाली विज्ञान द्वारा की गई है। कृतिक बल की हाल की रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है कि सरिस्का रिजर्व की तुलना देश में अन्य टाइगर रिजर्व के साथ नहीं जा सकती। मैं राजनीतिक रूप से राज्य सरकार पर दोषारोपण नहीं कर सकता कि सरिस्का में क्या हुआ। किन्तु सरिस्का में जो हो रहा है वह यह है कि वहां अनियंत्रित पर्यटन है। एक हनुमान मंदिर है जिसके लिए अधिक से अधिक यात्रियों को टाइगर रिजर्व में ले जाया जा रहा है। कृतिक बल की हाल की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कुछ व्यापारी लोग जिनके सरिस्का के अन्दर और आस-पास के क्षेत्र में होटल हैं, वे भी अवैध शिकारियों के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं। यही सब रिपोर्ट कृतिक बल से मिली हैं। हमने उन रिपोर्टों को माननीय मुख्यमंत्री के पास भेज दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है *...(व्यवधान)*

श्री दुष्यंत सिंह: कार्बेट पार्क में भी अवैध शिकार हो रहा है। माननीय मंत्री कार्बेट पार्क के बारे में भी उल्लेख क्यों नहीं करते? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य महसूस करते हैं कि केवल राजस्थान के बारे में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप कहते हैं कि अन्य राज्यों में भी समस्याएं हैं। किन्तु सरिस्का की समस्या विशेष है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे उनसे उत्तर मिल गया है।

...(व्यवधान)

श्री ए. राजा: महोदय, जहां तक सरिस्का का संबंध है सभी प्रयास किए जा रहे हैं। अन्य टाइगर रिजर्व के लिए जहां तक वन्य जीव का संबंध है, यह अधिनियम 1972 में बनाया गया था। मैं इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि अवैध शिकार कतई नहीं है। अवैध शिकार हो रहा है। सरकारी प्रतिवेदन में यह सूचना दी गई है। हम राज्य सरकारों के साथ कुछ कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं जिनके अंतर्गत वन क्षेत्रों में लोगों को तैनात किया गया था जो अवैध शिकार को विनियमित करने में समर्थ नहीं रहे। अत: इस संबंध में सभी प्रयास किए जा रहे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: पूर्ण उत्तर के लिए आपको धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री तूफानी सरोज: अध्यक्ष जी, मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से आता हूं। पहले, गांव के लोग जो जानवर मर जाते थे, उन्हें गांव के बाहर फेंक दिया करते थे जिन्हें चील तथा गिद्ध उसे खा जाते थे और इससे पर्यावरण दूषित नहीं होता था, लेकिन इस समय गिद्ध और चील एकदम समाप्त हो गये हैं, एकदम घट गये हैं, हैं ही नहीं, जिससे गांवों का पर्यावरण बहुत प्रदूषित हो रहा है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। यह इस प्रश्न में कवर नहीं होता है।

श्री तूफानी सरोज क्या इस बारे में सरकार बताएगी? मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि गिद्ध और चील भी वन्य जीव हैं। यह बहुत अहम सवाल है। इससे आज गांवों में एकदम प्रदूषण फैल रहा है। गिद्ध और चील एकदम से समाप्त हो गये हैं—इसका क्या कारण है? यदि समाप्त हो गये हैं तो पर्यावरण संतुलन के लिए सरकार क्या कर रही है? लोग इसके कारण बहुत परेशान हैं। वन्य जीवन समाप्ति के क्या कारण हैं और उसके कारण जो पर्यावरण संतुलन खराब हुआ है, उसे कैसे रोकेंगे? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री तूफानी सरोज, आप नए सदस्य नहीं हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री तूफानी सरोज: क्या केवल टाइगर और लायन ही वन्य जीव हैं, जिससे गांव के लोग परेशान हैं, जिस तरह वहां प्रदूषण हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अपना प्रश्न दीजिए। दूसरे प्रश्न के बारे में आप यहां आकर भाषण देंगे तो ठीक नहीं है। प्लीज, मेहरबानी करके आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस प्रश्न का उत्तर नहीं दें।

[हिन्दी]

आप बैठ जाइये, प्लीज।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती मेनका गांधी के अनुपूरक प्रश्न के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती मेनका गांधी, आप कृपया अपना प्रश्न पूछें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उनके साथ जाकर बातचीत कीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती मेनका गांधी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप यह क्यों कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री तूफानी सरोज, यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया बैठ जाएं। आप मेनका गांधी नहीं हैं।

[हिन्दी]

यह क्या बात हुई? प्रश्न के बारे में रूल्स हैं, कानून है।

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय, मैं अपना प्रश्न पूछने से पूर्व उस विशेष हस्तक्षेप का उत्तर देना चाहूंगी कि अब गिद्धों के नहीं रहने के कारण, लाशें ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, आपको उन्हें उत्तर नहीं देना है।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। सारी बातें एक बात से ही जुड़ती हैं। सरिस्का, रणथंभौर अथवा किसी विशिष्ट अभ्यारण्यों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाए प्रश्न अवैध शिकार का है। हम चीन अथवा किसी अन्य देश को दोष नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम स्वयं ही अवैध शिकार करते हैं और इसके पश्चात् अन्य देशों में भेजते हैं। दिल्ली, कोलकाता और मुम्बई अवैध शिकार की सामग्री के निर्यात के तीन मुख्य केंद्र हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र और अमृतसर से तितलियां भेजी जाती हैं। दिल्ली में जामा मस्जिद क्षेत्र में आपको सभी चीज मिल सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह मुख्य प्रश्न से थोड़ा अलग हो रहा है।

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय, दिल्ली में केवल दो वन्यजीव निरीक्षक हैं और गत दस वर्षों के दौरान इनमें से किसी में एक भी छापेमारी नहीं की गई है। क्या हुआ है? क्या सरकार गंभीर है, पटौदी के मामले में क्या हुआ है? लापता हुए सभी लोग ...*

अध्यक्ष महोदय: कृपया किसी का नाम न लें।

श्रीमती मेनका गांधी: आप इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल सकते हैं लेकिन यह सच्चाई है।

अध्यक्ष महोदय: हो सकता है यह सच हो। लेकिन इस संबंध में नियम हैं। मैं आपको इनका अन्यत्र नाम लेने से नहीं रोक रहा हूं, लेकिन सभा में नहीं।

श्रीमती मेनका गांधी: पूर्वोत्तर क्षेत्र में परसों एक व्यक्ति को पुलिस वैन में सीमा पार जाते हुए बाघ की खाल के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिसकर्मी को केवल निलंबित किया गया और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, ये गंभीर आरोप हैं। मंत्री महोदय, आप इस संबंध में क्या करने जा रहे हैं?

श्रीमती मेनका गांधी: क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अवैध शिकार वाली इन सभी सामग्रियों को जब्त करने हेतु एक विशेष पुलिस बल के संबंध में आप क्या करने जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय: मैं इस पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दूंगा। आप सूचना दें।

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय, क्या आप आधे घंटे की चर्चा की अनुमति देंगे?

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी अनुमति दूंगा। आप सूचना दें।

मोहम्मद सलीम: सत्ता से हटने के बाद वे अधिक बुद्धिमान हो गई हैं ...*(व्यवधान)*

श्री ए. राजा: महोदय, यह सच है कि हम कुछ कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। कुछ राज्य सरकारों, सभी राज्य सरकारें नहीं; निचले स्तर पर सक्षम अधिकारियों को तैनात नहीं कर रही है। इसके लिए भारत सरकार वन्यजीव अपराध ब्यूरो गठित करने का निर्णय कर रही है जिसमें केंद्रीय कर्मचारी तंत्र की व्यवस्था है। हम केंद्र और राज्यों के बीच राजनीतिक इच्छा शक्ति बढ़ा सकते हैं। तत्पश्चात् हम वन्य जीव अपराध ब्यूरो के नाम पर केंद्रीय तंत्र शुरू कर सकते हैं। इसके शुरू होने से मैं समझता हूं कि सभी समस्याएं सुलझ जायेंगी ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. धीरेंद्र अग्रवाल: महोदय, मुझे भी नेशनल पार्क पर पूरक प्रश्न पूछने की इजाजत दी जाए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है? आप किस बारे में बोलना चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

डा. धीरेंद्र अग्रवाल: इसी से संबंधित प्रश्न है। नेशनल पार्क ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। मैंने हाफ-एन-आवर की चर्चा एलाव की है। यदि आप भी चर्चा चाहते हैं तो रूल बुक देखिए और नोटिस दीजिए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैंने पांच-छह अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दे दी है। मैं चार से अधिक प्रश्नों की अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इतना ही कह सकता हूं।

...(व्यवधान)

खाद्य उत्पादों में कीटनाशक तत्व

***202. श्री प्रबोध पाण्डा:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न खाद्य उत्पादों यथा चावल, अनाज, तिलहन, सब्जियों और पशुओं के दाने और चारे में उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कीटनाशकों की मात्रा का पता लगाने के लिए इनका कोई वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन क्षेत्रों में ऐसे उत्पादों में कीटनाशकों की मात्रा सर्वाधिक पायी गयी है; और

(ग) सरकार द्वारा कीटनाशकों की मात्रा सुरक्षित स्तर तक सुनिश्चित करने तथा देश में असुरक्षित कृषि परम्पराओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 5 के तहत गठित रजिस्ट्रेशन समिति कीटनाशकों का पंजीकरण उनकी प्रभावोत्पादकता और सुरक्षा के संबंध में संतुष्ट होने के पश्चात ही करती है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत पर्यवेक्षित प्रयोगों के अधीन प्रजनित विषाक्तता और अवशेष आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है और अधिकतम अवशेष सीमा (एमआरएल) निर्धारित की जाती है। भा.कृ.अ.प. (आईसीएआर) की कीटनाशी अवशेषों संबंधी आल इंडिया नेटवर्क प्रोजेक्ट के अधीन मानीटर किए गए विभिन्न कृषि जिन्सों में कीटनाशी अवशेषों की सीमा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न अनुबंध पर है।

(ग) कीटनाशकों की नई जनरेशन जिनमें पर्यावरण में अपेक्षाकृत कम अवशिष्टता (परसिसटेंस) रह जाता है और जिनका कम मात्रा में उपयोग किया जाना अपेक्षित है, की शुरूआत ने खाद्य जिन्सों में कीटनाशी अवशेषों को न्यूनतम करने में मदद की है। कीटनाशकों के पैकेटों में लगे लेबलों और पर्चियों में अनुमोदित उपयोगों, मात्राओं, अनुप्रयोगों का समय, सावधानियों, पूर्व-कटाई अंतराल (प्रतीक्षा अवधि) आदि के संबंध में अनुदेश होते हैं ताकि कीटनाशकों का सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित हो सके। केन्द्रीय/राज्य सरकारें विभिन्न विस्तार कर्मचारियों, डीलरों, किसानों को कीटनाशकों के सुरक्षित और न्यायसंगत उपयोग संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। सरकार समेकित कीट प्रबंध (आईपीएम) की रणनीति को भी बढ़ावा दे रही है जिसमें कीट नियंत्रण की कल्चरल, बायोलाजिकल, मैकेनिकल और अन्य पद्धतियों और कीटनाशकों के केवल आवश्यकता आधारित न्यायसंगत उपयोग की परिकल्पना की गई है। यथापेक्षित उपचारात्मक उपाय शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए फार्मगेट और मंडी यार्डों में कृमिनाशी अवशेषों की अधिकता का पता लगाने के लिए इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर कृमिनाशी अवशेषों की मानिटरिंग हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की एक स्कीम अनुमोदित की गई है।

अनुबंध

वर्ष	विश्लेषित नमूनों की संख्या	एमआरएल से ऊपर वाले नमूने (%)
1	2	3
*सब्जियां**		
1999	277	10(3.6)
2000	712	81(11)
2001	796	93(11.7)
2002	592	54(9)
2003	666	35(5.3)
1999-2003	3043	273(8.97)

*बंदगोभी, फूलगोभी, बैगन, ओक्रा, आलू, सेम, लौकी, टमाटर, मिर्च, पालक, गाजर, खीरा/ककड़ी, लोबिया आदि।

1	2	3
फल*		
1999	122	8(6)
2000	378	8(6)
2001	378	0(0)
2002	359	3(0.8)
2003	317	1(0.3)
कुल (1999-2003)	1554	15(0.97)
दूध		
1999	194	116(60.0)
2000	537	94(17.5)
2001	468	71(15.0)
2002	कोई अध्ययन नहीं किया गया	
2003	कोई अध्ययन नहीं किया गया	
कुल (1999-2003)	1199	281(23.4)

*सेब, केला, आम, अंगूर, संतरा, अनार, अमरूद, चीकू, बेर आदि

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पांडा: महोदय, उत्तर से यह पता चलता है कि केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न विस्तार पदाधिकारियों, डीलरों, किसानों इत्यादि को कीटनाशी के औचित्यपूर्ण उपयोग के संबंध में प्रशिक्षण देती है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अब तक वर्षवार और राज्यवार कितने प्रशिक्षण शिविर लगाए गए हैं और इन प्रशिक्षण शिविरों में कितने प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया है। यह मेरे प्रश्न का भाग 1-क है। मेरे प्रश्न का भाग 1-ख यह है।

अध्यक्ष महोदय: भाग-1ख बाद में पूछा जायेगा। आप दो अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): मैं सूचना एकत्र करके माननीय सदस्य को सूचित कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: अब आप भाग 'ख' पूछें।

श्री प्रबोध पांडा: मेरा 2-क प्रश्न यह है कि

अध्यक्ष महोदय: क्या अध्यक्षपीठ की अवहेलना करने में आनंद आता है?

श्री प्रबोध पांडा: नहीं, महोदय। यह मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न है।

महोदय, माननीय मंत्री महोदय को ज्ञात है और मैं समझता हूं कि उन्हें विशेषरूप से इस तथ्य की जानकारी है कि मंडियों, स्थानीय बाजारों अथवा हाटों से खाद्य सामग्री खरीदने वाले ग्रामीणों और उपभोक्ताओं तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोग तथा उपभोक्ताओं के विभिन्न खाद्य सामग्रियों में कीटनाशकों और (उर्वरकों के अवशेषों के बारे में जानकारी किस प्रकार प्राप्त होगी। क्या इसकी जानकारी प्राप्त करने हेतु कोई तंत्र है। इस संबंध में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इस कार्य को ग्रामीण स्तर के कृषि अधिकारियों को सौंपने वाले हैं ताकि वे स्थानीय लोगों में जागरूकता पैदा करने हेतु प्रशिक्षण अथवा कोई अन्य कार्यक्रम चला सकें।

अध्यक्ष महोदय: अच्छा प्रश्न है।

श्री शरद पवार: महोदय, देश में उत्पादित प्रत्येक कृषि उत्पाद में कीटनाशकों तथा उर्वरकों के स्तर के बारे में जानकारी संग्रहित करना अत्यंत कठिन है। हाल ही में, भारत सरकार ने एक लघु संगठन स्थापित करने का निर्णय लिया है जो इन मुद्दों पर ध्यान देगा। लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन एक अखिल भारतीय परियोजना है जिसके द्वारा देश के विभिन्न भागों से सूचना एकत्र की जाती है और अवशेष स्तर का विश्लेषण किया जाता है कि क्या यह कीटनाशक है अथवा उर्वरक है और सरकार और अन्य समुचित प्राधिकारियों को सूचित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, आज की स्थिति के अनुसार अन्य कोई संगठन नहीं है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि कोई ऐसा संगठन नहीं है जो सारी बातों की जानकारी ले सके। कीटनाशक दवाइयों में वैसे रासायनिक खाद तो नहीं है, लेकिन रासायनिक खाद के कारण बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इस कारण देश में जितनी जनसंख्या बढ़ रही है, उससे ज्यादा मात्रा में लोग बीमार हो रहे हैं और अस्पतालों में मरीज के रूप में पड़े हुए हैं। आपने जो उत्तर दिया है, उसमें लिखा भी है कि 2002-2003 के बाद सब्जी वगैरह का कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया गया है। हम जानना चाहते हैं कि जिस तरह बीमारियां बढ़ रही हैं, क्या आप उस संबंध में अपने विभाग के तकनीकी लोगों या वैज्ञानिकों

और स्वास्थ्य विभाग के वैज्ञानिकों की ज्वाइंट टीम बनाकर कोई सर्वेक्षण करवाएंगे कि रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों से कितने प्रतिशत और कैसी-कैसी बीमारियों हो रही हैं और उनके उपचार के लिए कौन-कौन सी नई दवाइयां निकालनी चाहिए?

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: यह एक अच्छा सुझाव है लेकिन सरकार का समग्र प्रयास समेकित कीट प्रबंधन की रणनीति को प्रोत्साहन देना है जिसमें सांस्कृतिक जैविक, यांत्रिक और अन्य विधियां अभिकल्पित हैं। अत: इस प्रकार की कार्यवाही को प्रोत्साहित करना अच्छा है।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: कासरगौड जिले और पेरिया, चीमनी इत्यादि के आसपास की कई पंचायतों के किसानों ने इंडोसल्फान को कीटनाशक के रूप में उपयोग किया और इसके परिणामस्वरूप कई किसान गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। कई लोग अपंग भी हो गए हैं। हालांकि इंडोसल्फान का छिड़काव रोक दिया गया है लेकिन राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा लोगों की सहायता करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। क्या सरकार कासरगौड़ जिले के उदाहरण का अनुसरण करते हुए पूरे देश में इन्डोसल्फान के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्यवाही करेगी?

श्री शरद पवार: केरल राज्य के कासरगौड़ जिले में इन्डोसल्फान के उपयोग से उत्पन्न समस्या से संबंधित विशेष विषय को न्यायालय में उठाया गया है। सरकार ने केरल में इस विशेष रसायन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय सोच-समझकर लिया है और उस निर्णय की प्रतीक्षा करें। उसके बाद हम लोग अंतिम निर्णय लेंगे।

श्री इन्नाश मोल्लाह: महोदय, पेय और शीतल पेय में कीटनाशकों और विषैले तत्वों के अवशिष्ट पर देश में व्यापक रूप से चर्चा और वाद-विवाद हुए। इस संबंध में एक संयुक्त संसदीय समिति नियुक्त की गई और सौभाग्यवश उस समिति के सभापति हमारे वर्तमान कृषि मंत्री ही थे। उन्होंने उस पर काफी चर्चा की और साक्ष्य भी लिए। समिति ने प्रतिवेदन दिया लेकिन तत्कालीन सरकार ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री शीतल पेय को कीटनाशकों से मुक्त करने के लिए अपने ही प्रतिवेदन पर कार्यवाही करेंगे।

श्री शरद पवार: यह एक अलग प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: इस प्रश्न से इसका कुछ लेना-देना नहीं है।

श्री शरद पवार: लेकिन जेपीसी की सिफारिशों को पूर्ववर्ती सरकार द्वारा भी मान लिया गया था और इस पर तत्कालीन सरकार और मौजूदा सरकार द्वारा कुछ कार्यवाही की गई है।

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर: अध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से सेब, केला और आम, आदि फलों के जो नमूने लिए गए हैं, उनकी परसेंटेज एमआरएल से काफी ज्यादा है। 1999 में यह 60 प्रतिशत थी, उसके बाद थोड़ी कम हुई और अभी भी कुल 23.4 प्रतिशत है। उत्तर में कहा गया है कि 2002-2003 के बाद अध्ययन नहीं किया। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 2002-2003 के बाद अध्ययन नहीं करने के क्या कारण थे? जो परसेंटेज एमआरएल से ऊपर पाई गई है। उसके संबंध में क्या सरकार कोई चिन्ता कर रही है कि जो दवाइयां मनुष्य के लिए घातक हैं, उन्हें ढूंढकर, उन पर सारे देश में प्रतिबंध लगाएंगे?

श्री शरद पवार: पूरे देश में यूनिफौर्मिटी हो, ऐसी परिस्थिति नहीं है। कुछ जगहों में सैम्पल लिये जाते हैं। कई बार कुछ एरियाज में घास पर डीडीटी या किसी और दवाई का स्प्रे किया जाता है और उसी घास को किसी जानवर ने अगर खा लिया, तो जब हम उसके दूध का एनेलेसिस करते हैं, तो शायद उसमें इसका परसेंटेज ज्यादा आता है। पूरे देश के स्तर पर गाय और भैंस के दूध में इस तरह का ज्यादा परसेंटेज नहीं है। अब कुछ सैम्पल इधर-उधर से लेकर जनरलाइज करना ठीक नहीं होगा।

प्रो. महादेवराव शिवनकर: अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। मैंने पूछा था कि वर्ष 2003-04 में अध्ययन नहीं करने का कारण क्या है?

[अनुवाद]

इसे नहीं करने का कारण क्या है?

श्री शरद पवार: महोदय, इसका कोई विशेष कारण नहीं है।

[हिन्दी]

डा. राजेश मिश्रा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न के 'ख' भाग में पूछा गया है कि किस उत्पाद में कीटनाशक दवाई की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस पदार्थ में सबसे ज्यादा कीटनाशक दवाई पाई गई हो, क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करेगी जिससे किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए, पर्टिकुलर उस पोर्शन के लिए, जिसमें सबसे ज्यादा कीटनाशक पाये जाते हों, प्रदेश और जनपद स्तर पर, किसी संगठन की नियुक्ति करेगी जिससे कि

किसान प्रशिक्षित हो सकें? अगर किसानों को शुरू में ही पता लग जाये कि सबसे ज्यादा कीटनाशक किसमें पाये जाते हैं, तो वे उसकी रोकथाम कर सकेंगे।

श्री शरद पवार: कुछ ऐसे केसेज आते हैं, जिनमें लैवल के ऊपर उनकी लिमिट हो जाती है। उस परिस्थिति में कुछ कीटनाशक दवाइयों पर बैन करने का काम होता है। अपने देश में ऐसी कई कीटनाशक दवाओं पर बैन किया गया है।

बोतलबंद पानी की अवैध बिक्री

***203. श्री दरोगा प्रसाद सरोज: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में बोतलबंद पानी के उत्पादन और आपूर्ति का कार्य कर रही कम्पनियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणन के बिना उक्त व्यवसाय में कार्यरत कंपनियों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कतिपय मामलों में पानी की गुणवत्ता घटिया पाई गई है;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज की तारीख तक पता लगाए गए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार द्वारा ऐसी कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) घटिया गुणवत्ता वाले पानी की बिक्री तथा बोतलबंद पानी की अवैध बिक्री को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

[अनुवाद]

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ज) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) भारतीय मानक ब्यूरो ने अब तक भारत में आई एस 14543 : 2004 के अनुसार पैकबंद पेयजल पर मानक चिह्न के प्रयोग के लिए 1150 लाइसेंस और आई एस 13428 : 1998 के अनुसार पैकबंद प्राकृतिक खनिज जल के लिए छः लाइसेंस मंजूर किए हैं। उत्तर प्रदेश में पैकबंद पेयजल के लिए 51 लाइसेंस मंजूर किए गए हैं और पैकबंद प्राकृतिक खनिज जल के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(घ) से (ज) पैकबंद प्राकृतिक खनिज जल और पैकबंद पेयजल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के तहत राजपत्र अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 759(अ) तथा 760(अ) तारीख 29 मार्च, 2001 के द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन के तहत लाया गया था। भारतीय मानक ब्यूरो अपनी परीक्षण और निरीक्षण तथा निगरानी निरीक्षण की स्कीम के जरिए सुनिश्चित करता है कि पैकबंद पेयजल/पैकबंद प्राकृतिक खनिज जल के इसके सभी लाइसेंसधारी संगत भारतीय मानकों में निर्धारित विनिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करें। भारतीय मानक ब्यूरो को जहां-कहीं भी कोई कमी नजर आती है तो लाइसेंसधारी को "स्टाप मार्किंग" के तहत रखा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि पैकबंद पेयजल/पैकबंद प्राकृतिक खनिज जल का तब तक विनिर्माण नहीं किया जाएगा जब तक लाइसेंसधारी द्वारा शोधक उपाय न कर लिए जाए। लाइसेंसधारी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए शोधक उपाय करने में असफल हो जाता है अथवा चिह्नांकन पर रोक की अवधि के दौरान कोई दुरुपयोग पाया जाता है, तो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान लाइसेंसधारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

की गई कार्रवाई	वर्ष		
	2002-03	2003-04	2004-05 (और आज तक)
लिए गए नमूनों की संख्या	1787	2709	2937
असफल नमूनों की संख्या	286	455	389
नमूनों के असफल होने और फैक्ट्री के असंतोषजनक कार्य-निष्पादन के कारण चिह्नांकन पर लगाए गए रोकों की संख्या	200	372	750
रद्द किए गए लाइसेंसों की संख्या	2	18	35

भारतीय मानक ब्यूरो का प्रवर्तन विंग किसी वैध लाइसेंस के बिना आई एस आई चिह्न का दुरुपयोग करने वाली कम्पनियों पर नजर रखता है और छापे मारकर भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के अनुसार कानूनी कार्रवाई करता है। बिना आई एस आई चिह्न वाले बोतलबंद पानी के विनिर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन नामोदिष्ट राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा की जाती है।

[हिन्दी]

श्री दरोगा प्रसाद सरोज: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा कि देश में विशेष रूप से बोतलबंद पानी के उत्पादन और आपूर्ति का कार्य कर रही कम्पनियों की कुल संख्या कितनी है? क्या भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणन के बिना उक्त व्यवसाय में कार्यरत कम्पनियों की संख्या पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है?

श्री शरद पवार: इस साल, यानी वर्ष 2004-05 में कल तक की डेट तक, टोटल सैम्पल 172 लिये गये हैं। इसमें से 34 परसेंट केसेज में उसके लिए जो निर्धारित लैवल था, वह मेनटेन नहीं हुआ पाया गया। इनमें से 52 जगहों पर अनसैटिसफैक्टरी परफोर्फैंस था, इसलिए उनके प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया। चार जगहों पर लाइसेंस कैंसिल किये गये और सात जगहों पर इनफोर्समैंट की रेड डाली गयी। नियमों के तहत वहां कुछ कदम उठाये गये हैं।

श्री दरोगा प्रसाद सरोज: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के लिए 57 कम्पनियों को लाइसेंस दिये गये हैं। आपने अभी बताया कि तमाम ऐसे कम्पनियां हैं जो बोतलबंद पानी में फर्जी तरीके से लाइसेंस लिये हुए हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अब तक ऐसी कितनी कम्पनियों को इन्होंने निरुद्ध करके उनके खिलाफ कार्रवाई की है? मैं उन कम्पनियों के नाम जानना चाहता हूं, क्योंकि उत्तर में के नाम नहीं दिये गये हैं।

श्री शरद पवार: यहां उन कम्पनियों के नाम लेना मुश्किल है। मैंने यह कहा कि

[अनुवाद]

चिह्नांकन रोकने की संख्या का कारण नमूनों की असफलता और फैक्ट्री का असंतोषजनक कार्य निष्पादन है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में ऐसे 52 केसेज हैं।

श्री दरोगा प्रसाद सरोज: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अहम मामला है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय मंत्री के विभाग ने लाइसेंस जारी किए हैं लेकिन इन्हें उनके नाम मालूम नहीं है। यह बहुत अहम मामला है। विशेष तौर पर कई ऐसे व्यक्ति हैं, विशेष वर्ग के व्यक्ति हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपके दोनों प्रश्न हो गये हैं, इसलिए आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा कि बोतलबंद पानी, जो रेल यात्रा के समय मिलता है, वह अलग-अलग तरह का मिलता है जबकि रेल मंत्रालय के निर्देश हैं कि वहां सिर्फ रेल-नीर ही मिलेगा। मेरा कहना है कि रेल नीर के अलावा दूसरे ब्रांड की बेतलें भी क्यों बेची जा रही हैं, जिनका पानी औथेंटिक नहीं है। मैं खास तौर से यह जानना चाहूंगा कि रेल यात्रा के दौरान सिर्फ रेल नीर मिले, इसके लिए सब जगह रेल नीर क्यों न भेज दिया जाए, जिससे किसी तरह का विवाद न रहे।

श्री शरद पवार: आपका सुझाव रेल मंत्री के पास हम भेज देंगे।

मोहम्मद सलीम: अध्यक्ष महोदय, बोतल में भरकर पानी बेचने की जो व्यवस्था है, पिछले कई वर्षों से काफी बढ़ी है। 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था कुछ कंपनियां कर चुकी हैं और हम यहां उसके मानक, स्टैंडर्ड के बारे में समय-समय पर सवाल उठाते आये हैं, जिस पर काफी चर्चा भी हुई है। आपको अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन मूल प्रश्न के 'ख' में मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं कि

[अनुवाद]

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

आप लाइसेंस हजारों की तादाद में दे रहे हैं, पानी भी लाखों बोतलों की तादाद में बिक रहा है तथा करोड़ों रुपए की तादाद में व्यवसाय हो रहा है लेकिन यह व्यवसाय सही मायने में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसे देखने की जिम्मेदारी किसकी है? आप कैसे ठीक तरह इसे लागू करने के बारे में सोच रहे हैं और इसके लिए जरूरत पड़े तो क्या इंटर मिनिस्टीरियल टास्क फोर्स बनाएंगे क्योंकि कई विभाग इसके साथ संबंधित हैं। इसलिए अगर आप अकेले इसे नहीं कर सकते तो क्या इसे आप दूसरे विभागों के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे?

श्री शरद पवार: हर राज्य में हैल्थ मिनिस्ट्री के अधीन फूड एंड एडल्ट्रेशन विभाग है। उनकी जिम्मेदारी इस पर ध्यान देने की होती है और यह काम वे करते हैं। जहां तक संबंध है बीआईएस मानक जिनको दिया जाता है, वहां चैकिंग करने का काम बीआईएस द्वारा किया जाता है और बाकी केसेज में जनरल एक्शन स्टेट की हैल्थ मिनिस्ट्री के माध्यम से लिया जाता है।

[अनुवाद]

श्रीमती के. रानी: महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर पहले ही मिल गया है।

अध्यक्ष महोदय: आपके पास पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं है। आपके सहयोग के लिए आपका धन्यवाद।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव: आजकल पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का व्यापार सबसे ज्यादा ल्यूक्रेटिव हो गया है, सबसे कम लागत में सबसे ज्यादा लाभ कमाने का धंधा हो गया है।

अध्यक्ष महोदय: पीने वाले भी हैं।

प्रो. राम गोपाल यादव: काफी सारी कंपनियों को आपने ब्लैक लिस्ट किया लेकिन जनता को नहीं मालूम है कि कौन सी कंपनी ब्लैक-लिस्टेड हैं और कौन सी सब-स्टैंडर्ड की हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो सब-स्टैंडर्ड की या ब्लैक-लिस्टेड कंपनियां हैं, क्या देश के प्रमुख स्टेशंस और अन्य जगहों में आप उनकी लिस्ट लगाने की कृपा करेंगे ताकि व्यक्ति इसे पीने से और रोगी होने से बचे।

श्री शरद पवार: जिनके खिलाफ एक्शन लिया गया है या जिन्होंने इस तरह से गलत उत्पादन किया है, ऐसे केसेज सामने आए हैं। इनकी लिस्ट मीडिया के थ्रू हम पबलिश करने हेतु कदम उठाएंगे।

[अनुवाद]

डा. सुजान चक्रवर्ती: हम सब जानते हैं कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आजकल मिनरल वाटर पीने की आदत बढ़ रही है। इस मुद्दे पर मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मिनरल वाटर के विनिर्माण, बाटलिंग, लैबलिंग या विक्रय के लिए सरकार द्वारा कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

श्री शरद पवार: मानदंड और दिशानिर्देश बनाए गए हैं। इन दिशानिर्देशों को अपनाने का हमेशा सुझाव दिए जाते हैं, जब तक इन दिशानिर्देशों को स्वीकार नहीं किया जाता है तब तक उन्हें स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है।

अध्यक्ष महोदय: समस्या प्रवर्तन की है।

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, आपको याद होगा कि कुछ वर्ष पहले भारत का प्रत्येक व्यक्ति नलकूप का पानी पीया करता था लेकिन आज रासायनिक एवं अन्य प्रदूषण के कारण हम लोग बोतल बंद पानी, विशेषकर यात्रा के दौरान, पीने के लिए बाध्य हैं। बोतलबंद पानी के मामले में समस्या यह है कि कोई भी यह उल्लेख नहीं करता है कि उसमें कौन-कौन से पूर्णत: घुलनशील पदार्थ (टीडीएस) हैं। चूंकि उस पर उनका उल्लेख नहीं होता है, अत: बोतलबंद पानी जैसा भी हो वह मात्र मन को बहलाने के लिए है कि वह स्वच्छ जल है। इससे हमें यह पता नहीं चल पाता है हम क्या पी रहे हैं।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बोतल पर पूर्णत: घुलशील पदार्थों का उल्लेख करने के लिए विनिर्माताओं को बाध्य करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर भारत सरकार विचार कर रही है ताकि जनता जान सके कि पानी की गुणवत्ता क्या है, किस उत्पादक का नाम काली सूची में है, कौन सा पानी नहीं पीना चाहिए आदि। क्या कोई सख्त कानून है जो लागू होने वाला है? क्या सरकार को उन कंपनियों के बारे में कोई जानकारी है जो ऐसा पानी वितरित कर रहे हैं और जनता को इस धोखे से कैसे बचाया जाए?

श्री शरद पवार: जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि काली सूची में डाले गए सभी कंपनियों के नाम निश्चित रूप से अखबार में प्रकाशित किए जाएंगे।

दिए गये अन्य सुझावों पर हम निश्चित रूप से गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी।

खरीद का विकेंद्रीकरण

***204. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम का विचार निजी भागीदारी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि के माध्यम से भंडारण अवसंरचना और नेटवर्किंग का आधुनिकीकरण करके खरीद का विकेन्द्रीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने इस प्रणाली को पहले ही अपना लिया है और कुछ अन्य राज्यों द्वारा इसे शीघ्र ही अपनाए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्रीकृत प्रणाली से खाद्यान्नों की खरीद में वृद्धि होगी; और

(च) यदि हां, तो खाद्यान्नों की खरीद में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) और (ख) भारत सरकार विकेन्द्रीकृत वसूली योजना अपनाने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करती रही है। लेकिन इस योजना के अधीन निजी क्षेत्र को शामिल करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

तथापि, "खाद्यान्नों की बल्क हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई संबंधी राष्ट्रीय नीति" के अधीन 5.5 लाख टन क्षमता की बल्क अनाज हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई परियोजना निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ कार्यान्वित की जा रही है, जिसके लिए 28 जून, 2005 को भारतीय खाद्य निगम और मै. अदानी एक्सपोर्ट लिमिटेड के बीच एक सेवा करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

इस समय भारतीय खाद्य निगम के कार्यान्वयनाधीन "खाद्यान्न प्रबंध के लिए एकीकृत सूचना प्रणाली" परियोजना के जरिए डिपुओं की नेटवर्किंग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी इस्तेमाल की जा रही है। यह परियोजना अन्य बातों के साथ-साथ किसी भी समय भारतीय खाद्य निगम के सभी डिपुओं में स्टाक स्थिति पर कम्प्यूटरीकृत सूचना मुहैया करेगी।

(ग) और (घ) 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने विकेन्द्रीकृत वसूली योजना अपनाई है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक और केरल ऐसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हैं।

(ङ) और (च) विकेन्द्रीकृत वसूली प्रणाली से छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तमिलनाडु जैसे गैर-परंपरागत राज्यों से खाद्यान्नों की वसूली में वृद्धि हुई हैं। विकेन्द्रीकृत वसूली प्रणाली को अपनाने वाले राज्यों में पिछले वर्ष के दौरान हुई चावल की वसूली की तुलना में खरीफ विपणन मौसम 2004-05 में चावल की 10 लाख टन अधिक वसूली होने का अनुमान है। तथापि, गेहूं के मामले में विकेन्द्रीकृत वसूली वाले राज्यों में रबी विपणन मौसम 2004-05 की तुलना में रबी विपणन मौसम 2005-06 में वसूली में 10.6 लाख टन की गिरावट आई है।

श्री असादुद्दीन ओवेसी: अध्यक्ष महोदय, क्या केन्द्र सरकार विकेन्द्रीकृत खरीद योजना अपनाने के लिए राज्यों को राजी कर लेगी? मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि राज्यों को जो खाद्यान्न दिए जाते हैं वे खाने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे जिस चावल की खरीद कर रहे हैं वह अच्छी गुणवत्ता वाला है, भारतीय खाद्य निगम किस परीक्षण प्रणाली को अपनाता है? मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हम देखते हैं कि वे आवश्यक आवश्यकताओं का अनुसरण नहीं करते हैं।

[हिन्दी]

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: किसानों को रिम्युनरेटिव प्राइसेस दिलाना, उनको डिस्ट्रेस सेल से बचाना तथा उनको एमएसपी दिलाना भारत सरकार का कर्त्तव्य है। हमने अपने कामन मिनिमम प्रोग्राम में भी इस बात का उल्लेख किया है। जब से यूपीए की गठबन्धन सरकार बनी है, टीपीडीएस और दूसरी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो गरीब और अत्यंत गरीब परिवारों के लिए सब्सिडाइज्ड रेट्स पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, फिर फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए बफर स्टाक बनाने के लिए हम लोग एफसीआई द्वारा फूड प्रोक्योर करते हैं। अभी तक ग्यारह राज्यों, 10 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी ने यह डिसेन्ट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट पालिसी अपनायी है। जहां तक माननीय सदस्य की चिन्ता है और उन्होंने जो सवाल उठाया है, डिसेन्ट्रलाइज्ड पालिसी आने के बाद चावल के प्रोक्योरमेंट में तो निश्चित रूप से हम लोगों ने 10 लाख टन ज्यादा प्रोक्योरमेंट किया है लेकिन गेहूं के मामले में, जिन राज्यों ने डिसेन्ट्रलाइज्ड पालिसी अपनायी है, 10 लाख टन कम प्रोक्योरमेंट हुआ है।

[अनुवाद]

श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अमरीकी कंसलटेन्सी ग्रुप मैकेंजी एण्ड कंपनी ने भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न कार्यक्रम जैसे मुख्य कार्य को ओउटसोर्स करने की सलाह दी है? क्या केन्द्र सरकार ने मैकेंजी एण्ड कंपनी के प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया है? यदि हां, तो क्या सरकार उस पर कार्यवाही करेगी और कृषि उत्पाद विपणन

समिति अधिनियम में संशोधन करेगी? क्या यह सच है कि संचालन समिति का भी गठन किया गया है? मैकेंजी एण्ड कंपनी के प्रतिवेदन पर सरकार की क्या राय या रवैया है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के बारे में हम लोगों ने पत्र लिखकर सभी राज्य सरकारों को बताया है कि कृषि उत्पाद विपणन समिति में अधिनियम में संशोधन होना चाहिए तथा ए.पी.एम.सी. का एकाधिकार समाप्त होना चाहिए और दूसरों को भी अनुमति दी जानी चाहिए।

मैकेंजी प्रतिवेदन के बारे में यह कहना है कि इस प्रतिवेदन का पहला भाग सरकार को मिल चुका है और दूसरा भाग अभी तक नहीं मिला है। अंतत: मैकेंजी प्रतिवेदन के प्रति भारत सरकार का समेकित दृष्टिकोण होगा।

श्री रूपचंद पाल: महोदय, हमें मालूम है कि पूरे देश के सभी डिपो का नेटवर्किंग करने की योजना है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि इसमें कितनी लागत आएगी। कौन-कौन सी एजेन्सियां यह कार्य करेंगी। इस कार्य में पहले कितनी प्रगति हुई है और इस कार्य को पूरा करने के लिए कब तक का लक्ष्य रखा गया है?

श्री शरद पवार: चालू वित्तीय वर्ष में इस विशेष परियोजना के लिए 43.2 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है। वर्ष 2004-05 में 39.14 करोड़ रुपए प्रदान किए गये थे। वर्ष 2003-04 में इसके लिए 15.50 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया था। इस कार्य में भारतीय खाद्य निगम एन.आई.सी. और एन.आई.सी.एस.एल. के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। उनसे अपेक्षा है कि वे यह कार्य निष्पादित करेंगे। हमें उम्मीद है कि वे इस वर्ष इस कार्य को पूरा कर लेंगे।

श्री के.एस. राव: महोदय, एक समय था जब देश में खाद्यान्नों की कमी थी और उस समय भारतीय खाद्य निगम का होना आवश्यक था। जबकि आज देश में खाद्यान्न का अधिशेष उत्पादन हो रहा है। अत: मेरी राय यह है कि भारतीय खाद्य निगम अब इस देश में खर्चीला निकाय बन कर रह गया है।

मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि माननीय मंत्री ने अब खाद्यान्न खरीद और वितरण का विकेन्द्रीकरण कर दिया है। यह बहुत अच्छा हुआ। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या इस विचार से अवगत होने पर अधिक उत्पादन वाले राज्यों से खरीद सीमित करेंगे और अधिक उत्पादन वाले राज्यों के लिए अपनाई जाने वाली प्रणाली के बजाय केवल उन्हीं राज्यों में खाद्यान्न भंडारण करेंगे जहां खाद्यान्नों की कमी है।

श्री शरद पवार: सरकार ने बफर मानदंड निर्धारित किए हैं और उन मानदंडों के अनुसार हमें स्टाक रखने हैं। सरकार ने बहुत सारी जिम्मेदारियां उठायी हैं जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, काम के बदले अनाज कार्यक्रम आदि। हमने कई बार देखा है कि राज्य बाढ़ या सूखा जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें मानदंडों के अनुसार पर्याप्त खाद्यान्न भंडारों की आवश्यकता होती है।

डा. के.एस. मनोज: भले ही भारत सरकार प्रापण योजना के विकेंद्रीकरण के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करती रही है किंतु एफ.सी.आई. के कई गोदाम बंद होने के कगार पर हैं। केरल में प्राधिकारी मवेलीकारा व कोइलांडी स्थित एफ.सी.आई. गोदामों को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय उन गोदामों को पुन: खोलेगा और इसके साथ ही क्या विकेन्द्रीकरण की नीति को प्रोत्साहन देने के लिए और अधिक गोदाम खोलने के लिए सहायता देगा।

श्री शरद पवार: निश्चय ही, गोदामों के बारे में समीक्षा की गयी है। ऐसे बहुत सारे गोदाम हैं जिनमें क्षमता उपयोग 30 से 40 प्रतिशत से भी कम है। ऐसी स्थिति में हमारे पास सुधारात्मक निर्णय लेने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। किंतु जिन राज्यों व जिलों में गोदाम नहीं हैं, वहां गोदाम खोलने की मांग की जा रही है। इस तरह के प्रस्तावों को स्वीकार किया जायेगा।

उत्खनन कार्य का पर्यावरण पर प्रभाव

***205. श्री वाडिगा रामकृष्णा:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्खनन कार्य से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे मामलों पर अब तक किए गए अध्ययन का ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) इस कार्यकलापों से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से सरकार द्वारा किस तरीके से निपटा जा रहा है/निपटे जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी हां। ऐसा देखा गया है कि उत्खनन कार्यों से निम्नलिखित पर्यावरणीय प्रभाव पड़ते हैं। (1) भूमि अवक्रमण और भूमि प्रयोग में परिवर्तन, (2) भूमिगत जल स्रोतों का ह्रास (3) भूमिगत जल और सतही जल प्रदूषण (4) वनस्पति जाति और प्राणिजाति को क्षति (5) ध्वनि सहित वायु प्रदूषण (6) स्वास्थ्य सहित सामाजिक-आर्थिक प्रभाव, और (7) निकास प्रणाली आदि परिवर्तन।

(ग) विभिन्न संगठनों द्वारा खनन के अनेक पहलुओं का अध्ययन किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) वर्ष 1995 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित मैसर्स ईकोमैन कन्सलटेंट प्रा.लि. द्वारा झीरी, जिला अलवर, राजस्थान में लघु मार्बल खनन पर अध्ययन किया गया। अध्ययन में झीरी क्षेत्र की पर्यावरण स्थिति का आकलन किया गया और लघु मार्बल खनन कार्यों से क्षेत्र की सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक पर्यावरणीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाया गया।

(2) अरावली पर्वत श्रृंखला की पर्यावरणी समस्याओं का अध्ययन और वर्ष 2003 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुरोध पर केन्द्रीय खनन योजना एवं डिजाईन संस्थान लि. (सी.एम.पी.डी.आई.एल.) द्वारा हरियाणा के गुड़गांव जिले में पर्यावरणीय गुणत्ता के पुनरुद्धार के लिए कार्य योजना तैयार करना। अध्ययन कार्य पूरा हो चुका है और कार्य-योजना तैयार कर ली गई है।

(3) वर्ष 2004 में कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (नीरी) द्वारा कर्नाटक में बलेरी हास्पेट क्षेत्र में खनन कार्यों का क्षेत्रीय पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किया गया। पर्यावरण का उपचार/सुधार करने के लिए अनेक सिफारिशें की गई।

(घ) उन परियोजनाओं के संबंध में, जिनमें 5 है. से अधिक पट्टा क्षेत्र और मुख्य खनिज पदार्थों का खनन कार्य शामिल होता है, पूर्व पर्यावरणीय अनुमति लेना अनिवार्य है। प्रस्तावक के लिए पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के साथ पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अध्ययन कराना और संबंधित जन समस्याओं का हल निकालने के लिए जन सुनवाई आवश्यक है। उक्त आकलनों के निष्कर्षों के आधार पर पर्यावरणीय सुरक्षापायों के साथ पर्यावरणीय अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री जाडिगा रामकृष्णा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पत्थर खनन कार्यों की आधारभूत परिस्थितियों के निर्धारण, इस उद्योग की भावी वृद्धि के मूल्यांकन और इसकी वर्तमान समस्याओं के उचित समाधान हेतु पत्थर खनन के वैज्ञानिक उपायों के प्रचार के लिए सरकार किस प्रकार पत्थर खनन कार्यों के पर्यावरणीय प्रभाव का विश्लेषण करने जा रही है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। एक ही प्रश्न में सब कुछ पूछ लिया है।

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): महोदय, खनन सहित सभी विकास कार्यों के लिए हमारे पास पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन की प्रणाली हैं ताकि विकास कार्यों के आरम्भ से पूर्व संभावित पर्यावरणीय समस्याओं का अनुमान लगाया जा सके और उनका समाधान किया जा सके। इसके लिए हमारे मंत्रालय में अपनी प्रणाली है और इसके पश्चात् ही यह राज्य सरकार के पास भेजा जाता है। आमतौर पर, खनन हेतु पर्यावरणीय अनुमति के लिए सभी दस्तावेजों की छानबीन करने के लिए राज्य सरकारों को कहा जाता है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य वन विभाग समस्याओं की पहचान करते हैं। खनन या अन्य कार्यों की अनुमति देने से पहले हम देखते हैं कि उससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा और परियोजना में क्या उपशमनकारी उपाय किए जायें। पर्यावरणीय प्रभावों और सभी उपशमनकारी उपायों का सत्यापन करने के बाद ही भारत सरकार खनन परियोजनाओं के लिए स्वीकृति देती है।

श्री जाडिगा रामकृष्णा: मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री ने अन्य देशों जहां खनन कार्यों में आधुनिक प्रौद्योगिकी लाने के लिए उन देशों में ऐसे कार्यों का अध्ययन किया है जहां पर पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना खनन कार्य किये जा रहे हैं। यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

श्री ए. राजा: महोदय, पर्यावरण संबंधी अनुमति देने से पहले सरकार बड़ी सावधानी से छानबीन करती है। परियोजनाओं को स्वीकृति देते समय भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा व्यक्त आशंकाओं के आधार पर संबंधित अनुबंध आदेश में ही दिए जाते हैं। परियोजना के प्रवर्तकों द्वारा इन उपशमनकारी उपायों को पूरा करने के पश्चात् ही स्वीकृति दी जाती है।

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा: महोदय. बहुत सारे स्थान और अनुज्ञप्तियां पर्यावरण को प्रभावित करने वाले ठोस तथ्यों को छुपा कर प्राप्त किये जा रहे हैं। अनुज्ञप्ति जारी करने से पहले जन-शिकायतों को ध्यान में रखा जाना जरूरी है। क्या सरकार इस संबंध में कोई प्रयास कर रही है?

श्री ए. राजा: महोदय, आम तौर पर राज्य सरकारों द्वारा जन-सुनवाई की जाती है। यदि परियोजना के प्रवर्तकों की पर्यावरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं तथ्यों को छिपाने की जानकारी मिलती है और यदि ऐसा तथ्य हमारी या राज्य सरकार की जानकारी में लाया जाता है तो निश्चय ही कार्यवाही की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 206—श्री पी.एस. गढ़वी।

उपस्थित नहीं।

प्रश्न सं. 207—श्री श्रीचन्द कृपलानी—उपस्थित नहीं।

प्रश्न सं. 208—श्री गणेश सिंह।

खनन क्षेत्र में कार्यरत बच्चे

*208. **श्री गणेश सिंह:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूरे देश में लाखों बच्चे अभी भी खनन क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और उनमें से काफी बच्चे पांच वर्ष की आयु से ही अत्यधिक खतरनाक स्थिति में कार्य करते हुए भयावह जीवन व्यतीत कर रहे हैं जैसाकि दिनांक 16 मई, 2005 के 'दि हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश की सभी खानों में इसकी जांच करने और बाल श्रम पर व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मांग की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या देश के खनन क्षेत्रों में बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की दर अत्यधिक है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) कामकाजी बच्चों की संख्या दस-वर्षीय जनगणना के माध्यम से जनसंख्या प्राधिकरणों द्वारा संकलित की जाती है। वर्ष 2001 में कराई गई जनगणना के अनुसार पूरे देश में कामकाजी बच्चों की संख्या 1.26 करोड़ है। इन आंकड़ों में खनन क्षेत्र सहित सभी व्यवसायों में कार्यरत बच्चे शामिल हैं। यह सच नहीं है कि कर्नाटक में खनन कार्य में कई लाख बच्चे लगे हैं जैसा कि दिनांक 16 मई, 2005 के 'हिन्दू' में छपा है। खनन कार्य में बाल श्रमिकों का नियोजन बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत प्रतिषिद्ध है। खनन कार्य को जोखिमकारी व्यवसाय के रूप में चिह्नित किया गया है और खानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित करने वाले नियोजक पर दंडात्मक कार्रवाई की जाती जिसमें जेल भेजा जाना भी शामिल है। पूरे देश में खनन कार्य में बच्चों के नियोजन सहित सभी जोखिमकारी व्यवसायों में बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम को कड़ाई से लागू करने के अनुदेश कर्नाटक सरकार सहित सभी राज्य सरकारों को दे दिए गए हैं। सरकार देश में अधिनियम के कारगर प्रवर्तन और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अत्यधिक गंभीर है। देश में खनन कार्य व्यापक रूप में फैला हुआ है और ये संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रों में होता है। इस बात के कोई साक्ष्य नहीं हैं कि खनन कार्य में लगे बच्चों की बीच में ही स्कूल छोड़ देने की दर देश में अन्य क्षेत्रों में बच्चों द्वारा सामान्य रूप में बीच में ही स्कूल छोड़े जाने की दर से अधिक है।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसा उन्होंने खनन क्षेत्र में काम करने वाले अल्प-आयु के बच्चों के संबंध में बताया है, उनकी संख्या 1.26 करोड़ बताई गई है, जो देश के लिए बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है, क्या इन बच्चों को वहां से मुक्त कराने के लिए माननीय मंत्री जी की कोई योजना है?

[अनुवाद]

श्री के. चन्द्रशेखर राव: बाल श्रम उन्मूलन बहुत महत्वपूर्ण विषय है। भारत सरकार इस विषय में बहुत गंभीर है। इस संबंध में हम समय-समय पर माननीय उच्चतम न्यायालय को भी सूचना देते रहते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यालय भी बाल श्रम संबंधी कार्यक्रम पर निरंतर नजर रखता है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि एक ओर देश के 21 राज्यों के 250 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन.सी.एल.पी.) चल रही है, दूसरी ओर हम इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले गैर-सरकारी और स्वैच्छिक संगठनों को भी प्रोत्साहन देते हैं। खानों में काम करने वाले बाल श्रमिकों की संख्या में कमी आ रही है। सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है और हमने इस दिशा में आवश्यक प्रयास किये हैं। यदि सरकार के ध्यान में कोई विशेष मामला लाया जायेगा तो हम तुरंत कार्रवाई करेंगे।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, खनन क्षेत्र के अलावा भी होटलों, रेस्तरां और दूसरी जगहों पर बड़ी संख्या में बाल श्रमिक काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि भारत सरकार ने इसे रोकने के लिए जो कानून बनाए हैं, उनमें और कठोरता लाए जाने की आवश्यकता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी इस क्षेत्र में पुन: सर्वे करवाकर, इस पर रोक लगाने के लिए कोई कार्यवाही करने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न खनन क्षेत्र के बारे में है। इसके महत्व को देखते हुए मैं इसकी अनुमति देता हूं।

श्री के. चन्द्रशेखर राव: आप सुबह ही जब हम विभाग के अधिकारियों के साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे थे तो हमने इस बारे में तथ्यों को जानने के लिए शीघ्र ही एक सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया। उदाहरणार्थ, यह जानने के लिए कि देश में कुल कितने बाल श्रमिक कार्यरत हैं। सरकार पूरे ध्यान से यह सर्वेक्षण कराएगी और सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय: श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव।

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: महोदय, इस समय मुझे कोई प्रश्न नहीं पूछना है।

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, माननीय मंत्री जी खानों में कार्यरत बच्चों के बारे में बता रहे हैं। किन्तु प्रश्न के उत्तर में उन्होंने अन्य स्थानों पर कार्यरत बच्चों के बारे में भी बात कही है। उनके उत्तर को देखते हुए मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हाल ही में मीडिया में काफी प्रमुखता से यह समाचार आया कि दिल्ली और मुंबई में पुलिस ने सैंकड़ों बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है। उससे यह पता चलता है कि राजधानी में भी ऐसे स्थान हैं जहां बच्चों से काम लिया जाता है।

माननीय मंत्री जी का कहना है कि यदि मंत्रालय को शिकायत की जाये तो वे कार्यवाही करेंगे। मेरा प्रश्न यह है कि क्या श्रम मंत्री को पता है कि महानगरों में भी विधि का उल्लंघन बाल श्रमिकों से दासों की तरह कार्य करवाया जाता है। इस तथ्य को देखते हुए क्या वे यह पता लगाने के लिए कठोर कार्यवाही करेंगे कि वे कहां कार्य कर रहे हैं और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे?

श्री के. चंद्रशेखर राव: जब भी ऐसा कोई मामला सरकार के समक्ष आता है हम तत्काल कार्यवाही करते हैं। उन बच्चों को मुक्त कराने के बाद उन्हें उनके लिए बनाये गये विशेष स्कूलों में डाल दिया जाता है। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि यह एक सामाजिक बुराई है। मैं यह कहते हुए अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता कि हमारे देश में बाल श्रम है ही नहीं। दुर्भाग्यवश यह एक सामाजिक बुराई है जिसे समाप्त करना आवश्यक है। मैं माननीय सदस्य के साथ पूर्णतया सहमत हूं कि हम देश से बाल श्रम के उन्मूलन के लिए आवश्यक प्रयास कर रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

डेयरी परियोजनाओं का कार्य-निष्पादन

***206. श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत देश में, विशेषकर गुजरात में, शुरू की गई डेयरी परियोजनाओं के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यवार कितनी परियोजाएं लाभ तथा घाटे में चल रही हैं;

(ग) सरकार द्वारा घाटे में चल रही परियोजनाओं के पुनरुद्धार के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन परियोजनाओं के लिए आबंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) जी, हां। यह मंत्रालय डेयरी विकास के उद्देश्य से पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों के लिए "सघन डेयरी विकास कार्यक्रम" और "गुणवत्ता एवं स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण" नामक दो केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रहा है। इन योजनाओं के तहत विभिन्न राज्य सरकारों को उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है।

गुजरात राज्य सरकार से सघन डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत पिछले दो वर्षों के दौरान कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था। गुजरात राज्य सरकार से दिसम्बर, 2004 में "गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण" नामक

योजना के तहत एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव की जांच की गई थी और इसे योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं पाया गया था। राज्य सरकार को जनवरी, 2005 में प्रस्ताव को संशोधित करने के लिए कहा गया था।

इन योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की योजना आयोग, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रतिनिधियों सहित राज्य सरकारों के संबंधित सचिव की अध्यक्षता में तकनीकी प्रबंधन समिति द्वारा नियमित आधार पर निगरानी की जाती है। परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए समय-समय पर फील्ड दौरे भी किए जाते हैं।

''सघन डेयरी विकास कार्यक्रम'' केवल पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों तक सीमित होने के कारण अनिवार्य रूप से विकासीय स्वरूप का है। अब तक ''सघन डेयरी विकास कार्यक्रम'' के तहत 62 परियोजनाओं को सहायता दी गई है। इस योजना ने प्रतिदिन 7.00 लाख लीटर से अधिक दूध की खरीद करके 25 राज्यों और 1 संघ शासित प्रदेश में लगभग 11,766 ग्राम स्तरीय डेयरी सहकारिता समितियों में गठित लगभग 7.56 लाख किसान परिवार को लाभ पहुंचाया है।

''गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण'' नामक योजना को अक्तूबर, 2003 में स्वीकृत किया गया था और केवल 2004-05 के दौरान इस योजना के तहत 56 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है।

(घ) ''सघन डेयरी विकास कार्यक्रम'' और ''गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण'' नामक योजनाओं के तहत पिछले दो वर्षों के दौरान जारी धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्रमशः विवरण-I और II में दिया गया है।

विवरण I

सघन डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत पिछले दो वर्षों (2003-04 और 2004-05) के दौरान जारी धनराशि

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2003-04 के दौरान जारी धनराशि	2004-05 के दौरान जारी धनराशि
1	2	3	4
1.	अंडमान एवं निकोबार	8.19	—
2.	आंध्र प्रदेश	150.00	—
3.	अरुणाचल प्रदेश	14.20	—
4.	असम	—	296.04
5.	बिहार	100.00	—
6.	झारखंड	99.91	—
7.	हिमाचल प्रदेश	50.75	160.17
8.	जम्मू-कश्मीर	—	180.79
9.	केरल	—	57.63
10.	मेघालय	50.00	150.00
11.	मिजोरम	—	128.82
12.	नागालैंड	—	72.59
13.	उड़ीसा	—	295.01
14.	राजस्थान	—	118.10
15.	सिक्किम	324.80	51.73
16.	तमिलनाडु	—	55.45
17.	उत्तर प्रदेश	325.09	364.82
18.	उत्तरांचल	483.00	586.02
19.	पश्चिम बंगाल	—	42.01

विवरण II

''गुणवत्ता एवं स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण'' नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत पिछले दो वर्षों के दौरान जारी धनराशि

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2004-05 के दौरान जारी धनराशि
1	2	3
1.	असम	8.02
2.	आंध्र प्रदेश	104.87
3.	बिहार	100.53
4.	हरियाणा	162.89

1	2	3
5.	हिमाचल प्रदेश	38.42
6.	कर्नाटक	697.47
7.	केरल	20.00
8.	मध्य प्रदेश	61.67
9.	महाराष्ट्र	409.94
10.	मिजोरम	10.90
11.	नागालैंड	34.24
12.	उड़ीसा	179.45
13.	पंजाब	178.30
14.	राजस्थान	179.86
15.	उत्तर प्रदेश	96.64
16.	तमिलनाडु	227.47

इस योजना के तहत 2003-04 के दौरान कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।

[हिन्दी]

मोटे अनाज की खरीद

*207. **श्री श्रीचन्द कृपलानी:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम किसानों से सीधे मोटा अनाज (बाजरा) नहीं खरीदता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम मोटे अनाज की खरीद हेतु राज्य स्तरीय अभिकरणों पर निर्भर है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप भुगतान मंजूर होने/करने में काफी समय लगता है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारतीय खाद्य निगम को सीधे किसानों से मोटा अनाज खरीदने हेतु निदेश देने का है ताकि भुगतान में विलम्ब न हो;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) मूल्य समर्थन प्रचालनों के अधीन किसानों से बाजरे सहित मोटे अनाजों की वसूली इस समय पूर्णतया राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों द्वारा इसलिए की जा रही है क्योंकि खाद्यान्नों की वसूली से जुड़े कार्यों में राज्य सरकारों/एजेंसियों की व्यापक पकड़ है और भारतीय खाद्य निगम गेहूं और धान/चावल की वसूली में संलग्न है।

(घ) भारतीय खाद्य निगम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण के लिए अपेक्षित मोटे अनाजों की वसूल की गई मात्रा ले लेता है और वसूली अवधि की समाप्ति के तुरन्त बाद निविदा के जरिए मोटे अनाजों की शेष मात्रा का निपटान करने का प्रबंध करता है। राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि वसूली एजेंसियों द्वारा किसानों को तत्परता से भुगतान किया जा रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) भारत सरकार, राज्य सरकारों को बैंकों से समय पर और पर्याप्त ऋण दिलाने में सहायता करती है ताकि वसूली एजेंसियां समय पर किसानों को भुगतान कर सके। मोटे अनाजों की वसूली करने के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को जहां कहीं आवश्यक हो अग्रिम धनराशि भी रिलीज कर रही है। भारत सरकार मोटे अनाजों की वसूली करने में राज्य सरकारों द्वारा वहन किए गए सभी खर्चों की प्रतिपूर्ति करती है।

[अनुवाद]

कपास का उत्पादन

*209. **श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे कुछ कपास उत्पादक राज्यों में अत्यधिक कपास उत्पादन के कारण कपास उत्पादकों की स्थिति दयनीय हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या घरेलू और विदेशी बाजारों में कपास की मांग में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कपास उत्पादकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) देश में कपास उत्पादन में वर्ष 2004-05 में महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई दी, जो सरकार द्वारा मुख्य कपास उत्पादक राज्यों में कपास प्रौद्योगिकी मिशन के कार्यान्वयन, बी.टी. कपास सहित गुणवत्ताप्रद बीजों की आपूर्ति, उत्पादन और पादप संरक्षण पर विशेष ध्यान देने के साथ फ्रंटलाईन प्रदर्शन के माध्यम से किसानों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, आदि जैसे किए गए उपायों के प्रभाव को प्रतिबिंबित करता है। कपास सलाहकार बोर्ड (सी.ए.बी.) के आंकड़ों के अनुसार देश में वर्ष 2004-05 के दौरान कपास उत्पादन 23.20 मिलियन गांठों के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया। जैसा कि कपास उत्पादन के राज्य-वार आंकड़ों (विवरण) से देखा जा सकता है, आंध्र प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्यों में कपास उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि रही है, जो कि देश में कुल कपास उत्पादन का लगभग दो-तिहाई है। भारत और विदेश दोनों में खपत/मांग की तुलना में अधिक उत्पादन/आपूर्ति के दृष्टिगत वर्ष 2004-05 में कपास के मूल्य अधोगामी दबाव (डाउनवर्ड प्रैशर) के अंतर्गत आ गए। आपूर्ति-मांग असंतुलनों से उत्पन्न हो रही किसानों द्वारा मजबूरी में बिक्री से बचने के लिए, भारतीय कपास निगम (सी.सी.आई.) ने मुख्य कपास उत्पादक राज्यों में कपास की भारी खरीद की है। सी.सी.आई. ने 2 अगस्त, 2005 तक कपास (बीज कपास) की 140.24 लाख क्विंटल की मात्रा की खरीद की जो 27.55 लाख लिंट गाठों के बराबर है। इसमें आंध्र प्रदेश में 64.24 लाख क्विंटल कपास की खरीद शामिल थी। कपास खरीद के लिए अवसंरचना को मजबूत बनाने को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने कपास खरीद के लिए सी.सी.आई. के अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) को वर्ष 2005 में एक अतिरिक्त एजेंसी के रूप में घोषित किया। नैफेड द्वारा वर्ष 2004-05 में 1.84 लाख क्विंटल कपास की खरीद की गई जो कि 0.39 लाख लिंट गांठों के बराबर है। महाराष्ट्र के मामले में कपास की खरीद अधिकांशत: एकाधिकार खरीद स्कीम के तहत महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उत्पादन विपणन संघ द्वारा की गई।

(ग) और (घ) 1 जनवरी, 2005 के मल्टीफाईबर एग्रीमेंट के समाप्त हो जाने से उत्पन्न हो रहे कपड़ा उद्योग हेतु बढ़ रहे अवसरों के दृष्टिगत कपास की मांग बढ़ जाने की आशा है। इस तथ्य के कारण कि घरेलू कपास क्षेत्र कपड़ा उद्योग के अग्र और पश्च सम्पर्कों के जरिए विश्व अर्थव्यवस्था के साथ काफी जुड़ा हुआ है, भारतीय कपास मूल्य अंतर्राष्ट्रीय कपास मूल्यों में प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। देश और विदेश दोनों में कपास की बढ़ती मांग के लिए अवसरों का लाभ उठाने के लिए गुणवत्ताप्रद कपास के उत्पादन को सुधारना जरूरी है। कपास प्रौद्योगिकी मिशन के जरिए किए जा रहे प्रयासों के परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं, जैसाकि वर्ष 2003-04 में 324 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर की उपज की तुलना में वर्ष 2004-05 में 440 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर होने से प्रत्यक्ष दिखाई देता है।

(ङ) जहां तक किसानों को लाभप्रद मूल्यों का संबंध है, कृषि उत्पाद हेतु मूल्य नीति का प्रमुख उद्देश्य उत्पादकों को कपास सहित अपने उत्पादों के लिए लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करना है, जो बदले में कृषि में अधिक निवेश और उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। इस उद्देश्य के दृष्टिगत सरकार प्रमुख कृषि जिन्सों के लिए प्रत्येक मौसम के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। चूंकि पूरे देश के लिए एकल फसलों/किस्मों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य समरूप हैं, अत: अपेक्षाकृत उच्च लागत वाले राज्यों/क्षेत्रों में यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य कम से कम ए2 + एफ.एल. लागत (पट्टे पर ली गई भूमि हेतु किराया तथा पारिवारिक श्रम की आकलित मजदूरी सहित नकद और वस्तु के रूप में वास्तविक व्यय) कवर करते हैं जबकि अपेक्षाकृत कम लागत वाले राज्यों/क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य सी2 लागत (नकद और वस्तु के रूप में किया गया वास्तविक खर्च जिसमें पट्टे पर ली गई भूमि हेतु किराया तथा पारिवारिक श्रम की मजदूरी के आकलित मूल्य, स्वामित्व वाली भूमि पर किराया तथा निर्धारित पूंजी पर ब्याज) कवर करते हैं। किसानों को खेती के लिए फसलों पर निर्णय लेने के लिए समर्थ बनाने के उद्देश्य से बुआई मौसम से बहुत पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अत: सरकार द्वारा कपास सहित वर्ष 2005-06 की खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अप्रैल, 2005 में घोषित किए गए थे।

विवरण

राज्य-वार कपास उत्पादन

(मात्रा प्रत्येक 170 कि.ग्रा. की लाख गांठों में)

राज्य का नाम	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05*
1	2	3
आंध्र प्रदेश	26.00	32.50
गुजरात	50.00	62.00
हरियाणा	11.50	15.00
कर्नाटक	4.00	9.00
महाराष्ट्र	31.00	52.00

1	2	3
मध्य प्रदेश	19.50	16.00
पंजाब	11.00	16.50
राजस्थान	8.50	10.50
तमिलनाडु	3.50	5.50
उप-योग	165.00	219.00
अन्य राज्य	1.00	1.00
लूज लिंट	11.00	12.00
कुल योग	177.00	232.00

स्रोत: कपास परामर्शी बोर्ड (सी.ए.सी.बी.)

[हिन्दी]

ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाएं

*210. **प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
मोहम्मद शाहिद:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अंतर्गत वर्ष 1996-97 में कुल कितनी बड़ी और मझोली सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई थीं और उनमें से अब तक कितनी पूरी हुई हैं;

(ख) निर्धारित समय के भीतर इन परियोजनाओं के पूरा न होने के कारण इन पर अनुमानत: कितनी अतिरिक्त राशि व्यय होने की संभावना है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां निर्धारित समय के भीतर ऐसी सिंचाई परियोजनाएं पूरी नहीं हुई हैं और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राज्यों द्वारा अपने हिस्से का भुगतान न किए जाने के कारण ऐसी परियोजनाओं का निर्माण कार्य बाधित हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा ऐसी परियोजनाओं के समय पर पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) केन्द्र सरकार ने 18 राज्यों की 51 अनुमोदित निर्माणाधीन वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को केन्द्रीय ऋण सहायता (सीएलए) प्रदान करने के लिए वर्ष 1996-97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) प्रारंभ किया और इनमें से 16 परियोजनाएं पूरी कर ली गई थीं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 24 राज्यों में फैली अब तक 184 वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं/परियोजना घटकों को सीएलए/अनुदान प्राप्त हुआ है और 2004-05 तक ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत 40 परियोजनाओं के पूर्ण होने की सूचना मिली है। शेष 144 परियोजनाएं ए.आई.बी.पी. का लाभ प्राप्त कर रही हैं।

(ख) और (ग) राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार केन्द्रीय जल आयोग ने इन 144 परियोजनाओं/परियोजना घटकों की शेष लागत 14,105 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया है। ए.आई.बी.पी. के दिशानिर्देशों में यह व्यवस्था है कि राज्य सरकारों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक परियोजना के लिए शेष लागत, शेष क्षमता और वर्षवार व्यय एवं शेष क्षमता दर्शाते हुए एक समझौता ज्ञापन करना अपेक्षित है। उन राज्यों के नाम और अब तक पूरी न की गई सी.एल.ए. प्राप्त कर रही परियोजनाओं की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में हुए विलंब के मुख्य कारण, वन भूमि सहित भूमि अधिग्रहण, परियोजना प्रभावित लोगों की पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास, संविदात्मक समस्याएं, विधिक मामले, जनता द्वारा विरोध, राज्य सरकारों द्वारा प्रदान न किए जा रहे राज्यों के हिस्से सहित अपर्याप्त बजट, प्रयोक्ता विभागों/परियोजना प्राधिकारियों को राज्य के वित्त विभागों द्वारा ए.आई.बी.पी. निधि के हस्तांतरण में विलंब, परियोजना के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन आदि हैं।

(घ) से (च) गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान राज्यों में 43 परियोजनाओं के संबंध में सी.एल.ए. और राज्य का बराबर-बराबर हिस्सा जारी करने में विलंब हुआ। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में 62 परियोजनाओं के लिए कम मात्रा में केन्द्रीय ऋण सहायता जारी की गई जिसके परिणामस्वरूप ए.आई.बी.पी. परियोजनाओं में निर्माण कार्य की प्रगति बाधित हुई। ए.आई.बी.पी. के दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सहायता 50 प्रतिशत की दो बराबर-बराबर किस्तों में जारी की जाती है। विगत में प्रदान की गई किस्त के संबंध में राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने जाने के उपरांत ही केन्द्रीय सहायता की दूसरी किस्त जारी की जाती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य को प्रदान की गई ऋण सहायता की ब्याज सहित वसूली भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के मानकों में की गई व्यवस्था के अनुसार किस्तों में की जाती है। दिशानिर्देश में यह भी उल्लेख है कि राज्य सरकारों द्वारा परियोजना प्राधिकारियों को केन्द्रीय सहायता केन्द्र द्वारा इसके जारी होने के 15 दिनों के भीतर अवश्य जारी कर दी जानी चाहिए।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/परियोजना का नाम
1	2
आंध्र प्रदेश	
1.	श्रीराम सागर (चरण-1)
2.	जुराला
3.	सोमसिल्ला
4.	नागार्जुनसागर
5.	मड्डुवलासा
6.	गुंडलवागु
7.	मड्डीगेड्डा
8.	कानुपुर नहर
9.	येर्राकलवा
10.	वम्सधारा फेज-1
असम	
11.	पाहुमारा
12.	हवाईपुर एल.आई.एस.
13.	धनसिरी
14.	चम्पामती
15.	बोरोलिया
16.	कोलोंगा
17.	बूढ़ी दिहंग एल.आई.एस.
18.	जमुना सिंचाई परियोजना का आधुनिकीकरण
19.	कोलोंग बेसिन में एकीकृत सिंचाई स्कीम
बिहार	
20.	पश्चिमी कोसी नहर
21.	अपर कियुल
22.	दुर्गावती
23.	बाणसागर
24.	ओरनी जलाशय
25.	सोन नहर आधुनिकीकरण
26.	बताने
छत्तीसगढ़	
27.	हसदेव बांगो
28.	जोंक डायवर्जन
29.	कोसरटेडा
30.	बरनाई
गोआ	
31.	सलौली फेज-1
32.	तिल्लारी
	गुजरात
33.	सरदार सरोवर
34.	मुक्तेश्वर
35.	अजी-4
36.	ओजट-2
37.	ब्राह्मणी-2
38.	भादर-2
हरियाणा	
39.	डब्ल्यू.आर.सी.पी.
40.	जे.एल.एन. लिफ्ट सिंचाई
हिमाचल प्रदेश	
41.	शाहनगर सिंचाई परियोजना
42.	सिधाता
43.	चेंजर लिफ्ट
जम्मू-कश्मीर	
44.	मरवाल लिफ्ट
45.	लेथपोरा लिफ्ट
46.	कोइल लिफ्ट
47.	रनबीर नहर का आधुनिकीकरण
48.	प्रताप नहर का आधुनिकीकरण

1	2
49.	कथुआ नहर का आधुनिकीकरण
50.	राजपोरा लिफ्ट
51.	ट्राल लिफ्ट
52.	इगोफे
53.	रफियाबाद लिफ्ट सिंचाई
54.	जैंगीर नहर
झारखण्ड	
55.	गुमानी
56.	तोरायी
57.	कंसजोर
58.	सोनुआ
59.	सुरंगी
60.	अपर संख
61.	पंचखेरो
कर्नाटक	
62.	यूकेपी चरण-1
63.	मलप्रभा
64.	हीरेहल्ला
65.	घटप्रभा
66.	करंजा
67.	यूकेपी चरण-2
68.	गंडोरीनाला
केरल	
69.	कल्लडा परियोजना
70.	मुवत्तुपुझा
मध्य प्रदेश	
71.	इंदिरा सागर
	बाणसागर (यूनिट-1)
	बाणसागर (यूनिट-2)
72.	राजघाट बांध

1	2
73.	सिंध फेज-2
74.	माही
75.	बरियारपुर
76.	बावनथाडी
77.	महान
78.	ओमकारेश्वर
79.	बारगी बांध आर.बी.सी. 16 कि.मी.-63 कि.मी.
	बारगी डायवर्जन प्रो. कैनाल 63 कि.मी. से 100 कि.मी.
महाराष्ट्र	
80.	गोसीखुर्द
81.	सूर्या
82.	वागुर
83.	भीम
84.	अपर-वर्धा
85.	वान
86.	विष्णुपुरी
87.	बहुला
88.	कृष्णा
89.	कुकाडी
90.	अपर मनार
91.	हेतवाने
92.	चसकमन
93.	अपर पेन गंगा
	बावनथाडी
94.	कुम्भी
95.	पतगोन
मणिपुर	
96.	खुगा
97.	थोबल

1	2
98.	दोलाईथाबी बराज परियोजना
मेघालय	
99.	रोंगई घाटी
उड़ीसा	
100.	अपर इन्द्रावती (आर.बी.सी.)
101.	सुबर्णरेखा बहुउद्देश्यीय
102.	रेंगाली
103.	आनन्दपुर बैराज
104.	अपर कोलाब
105.	तितलागढ़
106.	लोअर इन्दिरा
107.	लोअर सुक्तेल
108.	पोट्टेरू
109.	नराज बैराज
110.	तेलेनगिरी सिंचाई परियोजना (के.बी.के.)
111.	रेत सिंचाई परियोजना (के.बी.के.)
112.	कानुपुर
113.	छेलीगदा बांध
114.	ससन नहर का सुधार
115.	सालंदी बाईं मुख्य नहर
116.	सालकी सिंचाई परियोजना का सुधार
पंजाब	
117.	यू.बी.डी.सी. की रिमॉडलिंग
118.	तलवारा से नीचे एच.पी. की सिंचाई
119.	शाहपुर कण्डी
120.	कण्डी नगर विस्तार चरण-2
राजस्थान	
121.	आई.जी.एन.पी. चरण-2
122.	बीसलपुर
123.	नर्मदा नहर
124.	चौली
125.	माही बजाज सागर
126.	गंग नहर का आधुनिकीकरण
त्रिपुरा	
127.	गुमती
128.	मानु
129.	खोवाई
तमिलनाडु	
130.	डब्ल्यू.आर.सी.पी.
उत्तर प्रदेश	
131.	सरजू नहर
132.	एच.के. दोआब में खरीफ चैनल बाणसागर
133.	लखवर व्यासी
134.	टेहरी
135.	पूर्वी गंगा नहर
136.	राजघाट नहर
137.	आगरा नहर का आधुनिकीकरण
138.	जरौली पम्प नहर
पश्चिम बंगाल	
139.	तीस्ता बराज
140.	बराज का आधुनिकीकरण एवं डी.बी.सी. की सिंचाई प्रणाली
141.	तटको
142.	पतलोई
143.	हनुमता
144.	सुबर्णरेखा बराज

किसानों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य

*211. श्री रामदास आठवले:
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष विनाशकारी बाढ़ और गंभीर सूखे के बावजूद किसानों ने रिकार्ड उत्पादन किया है;

(ख) क्या देश के कई भागों में निर्धारित मूल्यों पर किसानों की उपज की खरीद न किए जाने के कारण उन्हें भारी घाटा हुआ है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि किसान भुखमरी के कगार पर हैं और उनमें से कुछ ने तो आत्महत्या तक कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार, पिछले वर्ष अर्थात् 2004-05 (जुलाई-जून) में खाद्यान्न का उत्पादन 204.61 मिलियन टन हुआ था जबकि 2003-04 में 213.46 मिलियन टन का रेकार्ड उत्पादन हुआ था। 2004-05 में उत्पादन कम होने का मुख्य कारण यह है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून-सितंबर) और उत्तर-पूर्व मानसून (अक्तूबर-दिसंबर) दोनों ही मौसमों में वर्षा कम हुई थी। हालांकि, वर्ष 2004-05 में तिलहनों का 26.10 मिलियन टन का रेकार्ड उत्पादन हुआ जिसमें मुख्यत: 2004-05 में तोरिया/सरसों का 8.36 मिलियन टन का रेकार्ड उत्पादन हुआ है। जहां तक अन्य वाणिज्यिक फसलों का संबंध है, कपास सलाहकार बोर्ड (सी.ए.बी.) द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2004-05 में कपास का 23.20 मिलियन गांठों, प्रत्येक गांठ 170 किग्रा. की, का रेकार्ड उत्पादन हुआ है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, कृषि में सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.), जिसमें फारेस्ट्री एंड लागिंग, और मात्स्यिकी सहित कृषि के सहायक क्षेत्र भी आते हैं, (1993-94) के स्थिरांक (कांसटेंट) मूल्य पर 3,14,180 करोड़ रु. था जबकि 2003-04 में यही 3,10,611 करोड़ रु. था।

(ख) जहां तक अधिप्राप्ति का संबंध है, विपणन वर्ष 2004-05 (अक्तूबर-सितम्बर) में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा जैसे कई अनेक राज्यों में पर्याप्त मात्रा में चावल की खरीद की गई। वास्तव में वर्ष 2004-05 में देश में 1.8.1005 तक 23.78 मिलियन टन की रेकार्ड अधिप्राप्ति हुई है। जहां तक गेहूं का मामला है, विपणन वर्ष 2005-06 (अप्रैल-मार्च) में 14.79 मिलियन टन की खरीद की गयी थी जोकि मुख्यतया गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्यों यथा हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब से की गई है जिनका वर्ष 2004-05 (जुलाई-जून) में देश के कुल गेहूं उत्पादन में 80% का हिस्सा था। धान/चावल और गेहूं के अलावा, कपास और सरसों की भी पर्याप्त मात्रा में खरीद की गयी है जिससे कि इस बात को ध्यान में रखा जा सके कि किसानों को घाटे से बचाया जा सके और वे मजबूरी में बिक्री न करें।

(ग) और (घ) किसी भी राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र से भुखमरी से होने वाली मौत की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जहां तक किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं का संबंध है, फसल की खराबी और उनकी ऋणग्रस्तता के अलावा इसके कई अन्य कारण हैं जैसे कि पारिवारिक समस्याएं, लाईलाज बीमारियां, शराब की आदत, भूमि का टुकड़े-टुकड़े में बटवारा आदि। किसान अपनी बढ़ती हुई ऋण की जरूरतों को पूरा कर सकें इसके लिए वर्ष 2004-05 में 1,15,242 करोड़ रु. का वितरण किया गया है। वर्ष 2005-06 में ऋण को बढ़ाकर 30% तक करने का प्रस्ताव है। किसानों की आत्महत्याओं की राज्यवार संख्या को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। जहां तक किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किए जाने का प्रश्न है, इसके लिए मुख्य नीतिगत उपाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा है। वास्तव में कृषि उत्पाद संबंधी मूल्य नीति का मुख्य उद्देश्य उत्पादकों के लिए उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है जिसके परिणामस्वरूप कृषि में और अधिक निवेश करने और उसके उत्पाद को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार हर मौसम में प्रमुख कृषि जिंसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। चूंकि किसी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य देश भर में एक समान रहता है अत: यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा उच्च लागत वाले राज्यों/क्षेत्रों में ए2 + एफ एल लागत (नकद तथा वस्तु के रूप में किया गया वास्तविक खर्च जिसमें पट्टे की जमीन का किराया, परिवार के लोगों की मानक मजदूरी शामिल है) को कवर किया जाए और तुलनात्मक रूप से कम लागत वाले राज्यों/क्षेत्रों में सी2 लागत (नकद तथा वस्तु के रूप में किया गया वास्तविक खर्च, जिसमें पट्टे की भूमि का किराया परिवार के लोगों की मानक मजदूरी, अपनी जमीन का किराया और फिक्स पूंजी पर ब्याज भी शामिल है) को कवर किया जाए। किसान खेती के लिए अपनी फसलों का स्वयं चयन कर सकें, इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बुआई मौसम के काफी

पहले घोषित किए जाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। अत: सरकार द्वारा खरीफ 2005-06 मौसम की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा अप्रैल 2005 में कर दी गई है।

विवरण

राज्यों में किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	अवधि	सं. (राज्य सरकार द्वारा दिए गए आंकड़े के आधार पर)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2001-02	233
		2002-03	280
		2003-04	258
		2004-05 (31.12.04 तक)	758
2.	कर्नाटक*	2000-01	2630
		2001-02	2505
		2002-03	2340
		2003-04	708
		2004-05 (28.2.05 तक)	216
3.	महाराष्ट्र	2001	64
		2002	131
		2003	180
		2004	524
4.	पंजाब	2001	1
		2002	—
		2003	2
		2004	—
5.	केरल	2002	44
		2003	40
		2004	96
6.	तमिलनाडु	2004-05 (30.9.04 तक)	31

*कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2000-01 से 2002-03 के आंकड़े स्टेट क्राइम रेकार्ड ब्यूरो पर आधारित हैं और वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 (28 फरवरी 2005 तक) के आंकड़े राज्य के कृषि विभाग द्वारा व्यवस्थित दस्तावेज पर आधारित हैं।

नदियों से गाद निकालना

***212. श्री पंकज चौधरी:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषत: उत्तर प्रदेश में, नदियों में भारी मात्रा में गाद जमा हो जाने से उनकी जल वहन क्षमता कम हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने नदियों से गाद निकालने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गयी है/करने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (घ) बाढ़ प्रबंधन राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आने के कारण, इससे संबंधित स्कीमों की आयोजना, वित्तपोषण और निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा दी गई सहायता तकनीकी, उत्प्रेरक एवं प्रोत्साहनात्मक स्वरूप की होती है।

नदियों में गाद जमा होने की समस्या का अध्ययन करने के लिए भारत सरकार ने डा. बी.के. मित्तल, पूर्व अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग की देखरेख में अक्तूबर, 2001 में एक बहुविषयक समिति का गठन किया। इस समिति ने इस पहलू की जांच की और उन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रों का अध्ययन किया जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा आदि पर कुछ स्थलों के संबंध में विगत 5 से 10 वर्षों के लिए उपलब्ध थे तथा यह निष्कर्ष निकाला कि नदियों में गाद जमा होने की स्थिति प्रत्यक्ष रूप में चिन्ताजनक नहीं है। उपरोक्त समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई बिन्दुओं के बाद में अनुवर्ती कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों आदि को संप्रेषित कर दिए गए हैं।

[अनुवाद]

सरसों की खरीद

*213. **श्रीमती मेनका गांधी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरसों का खरीद मूल्य 2,300 रुपये प्रति क्विंटल से घटकर लगभग 1,600 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आस्ट्रेलियाई "पाम-आयल" पर प्रशुल्क में कटौती के कारण सरसों के खरीद मूल्य में गिरावट आई है; और

(घ) यदि हां, तो देश के सरसों उत्पादकों के हितों की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी नहीं, महोदया। सरसों जो कि रबी मौसम की फसल है, की खरीद सरकार द्वारा प्रति वर्ष निर्धारित समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) पर की जाती है। वर्ष 2005-06 में विपणित सरसों के लिए निर्धारित एम एस पी 1700 रुपए प्रति क्विंटल है जबकि 2004-05 में विपणित सरसों के लिए एम एस पी 1600 रुपए प्रति क्विंटल था। इस प्रकार 2005-06 में खरीदी गई सरसों के मूल्य में कोई गिरावट नहीं हुई।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पनधाराओं का निर्माण

*214. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी:**
श्री सुनिल कुमार महतो:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में पनधाराओं (वाटरशैड) के निर्माण के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत अब तक महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों में कितनी-कितनी पनधाराओं को स्वीकृति दी गई है/ का निर्माण किया गया है;

(घ) योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(ङ) इस योजना के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता के रूप में कुल कितनी धनराशि वितरित की गई है;

(च) उपर्युक्त अवधि के दौरान इसके अंतर्गत निर्धारित और प्राप्त लक्ष्यों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या लघु कृषि पनधाराओं का उचित उपयोग नहीं हो रहा है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(झ) सरकार द्वारा लघु पनधाराओं का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) भारत सरकार ने देश में पनधारा के विकास के लिए व्यापक स्कीमें/कार्यक्रम तैयार किए हैं। कार्यान्वित किए जा रहे पनधारा विकास कार्यक्रम हैं: (1) वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.), (2) नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदियों (आर.वी.पी. और एफ.पी.आर.) के स्रवण (कैचमैन्ट) क्षेत्रों में अवक्रमित भूमियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण, (3) झूम खेती क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना (डब्ल्यू.डी.पी.एस.सी.ए.), (4) क्षारीय मृदाओं का सुधार (आर.ए.एस.), (5) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), (6) मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.), और (7) समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.)। पनधारा का आकार 500 हैक्टेयर से 2000 हैक्टेयर के बीच होता है और ऐसी पनधाराओं को उपयुक्त मृदा और जल संरक्षण उपायों के साथ एक एकीकृत तरीके से उपचारित किया जा रहा है ताकि प्राकृतिक संसाधनों का विकास और प्रबन्धन किया जा सके। उपरोक्त कार्यक्रमों के अलावा, पनधारा विकास के लिए कुल 200.00 करोड़ रुपए की संग्रह निधि से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में एक पनधारा विकास निधि (डब्ल्यू.डी.एफ.) का सृजन किया गया है। वर्तमान में 11 राज्य यथा आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल इस सहायता का उपयोग कर रहे हैं।

(ग) से (च) महाराष्ट्र राज्य में इन कार्यक्रमों में से चार कार्यक्रम अर्थात् वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.), नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदियों (आर.वी.पी. तथा एफ.पी.आर.) के स्रवण क्षेत्रों में अवक्रमित भूमियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) और समेकित बंजरभूमि

विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) कार्यान्वित किए जा रहे हैं। चल रही पनधारा परियोजनाओं का स्कीमवार ब्यौरा, प्रत्येक कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र सहित कवर किए गए राज्यों के तीन वर्षों (2002-05) की वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण I से VII में दिया गया है। पनधारा विकास निधि (डब्ल्यू.डी.एफ.) के अन्तर्गत 66.31 करोड़ रुपए की 365 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिसमें से अब तक वास्तव में 20.56 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है।

(छ) से (झ) इन पनधारा विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत छोटी पनधाराएं भी शामिल की गई हैं। सृजित की गई परिसम्पत्तियों के नियोजन, कार्यान्वयन और रखरखाव में लाभानुभोगियों/किसानों की सहभागिता पर जोर दिया गया है। इस प्रयोजन के लिए, पनधारा समितियों/संघों का गठन किया गया है ताकि प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। लाभानुभोगियों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण तथा किसानों के लिए प्रदर्शन, एक्सपोजर दौरों आदि का आयोजन किया जाता है ताकि छोटी पनधाराओं के संसाधनों का सतत तरीके से उपयोग किया जा सके।

विवरण I

दसवीं योजना के गत तीन वर्षों में वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना की राज्य-वार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

भौतिक : लाख है. क्षेत्र में और वित्तीय : लाख रु. में

क्र.सं.	राज्य का नाम	पनधाराओं की संख्या	2002-03		2003-04		2004-05		कुल	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	143	0.02	88.68	0.09	402.72	0.16	718.37	0.27	1209.77
2.	अरुणाचल प्रदेश	45	0.00	0.00	0.02	134.80	0.03	184.93	0.05	319.73
3.	असम	75	0.04	188.00	0.02	100.00	0.01	45.00	0.07	333.00
4.	बिहार	74	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	64.67	0.00	66.95
5.	छत्तीसगढ़	185	0.10	455.10	0.16	705.67	0.19	914.44	0.45	2075.21
6.	गुजरात	450	0.00	41.81	0.25	1255.61	0.35	1536.15	0.60	2833.57
7.	हरियाणा	36	0.01	57.63	0.01	88.72	0.02	117.63	0.04	263.98
8.	हिमाचल प्रदेश	10	0.00	45.13	0.02	137.62	0.03	277.40	0.05	460.15
9.	झारखण्ड	200	0.04	586.26	0.10	975.91	0.13	1244.31	0.27	2806.48
10.	जम्मू-कश्मीर	172	0.00	2.52	0.00	3.60	0.23	39.82	0.23	45.94
11.	कर्नाटक	568	0.04	776.54	0.15	1743.82	0.33	1723.71	0.52	4244.07
12.	केरल	148	0.00	6.61	0.00	139.00	0.13	800.81	0.13	946.42
13.	मध्य प्रदेश	594	0.33	1097.98	0.23	721.28	0.45	1195.99	1.01	3015.25
14.	महाराष्ट्र	433	0.08	686.00	0.16	850.00	0.31	1606.00	0.55	3142.00
15.	मणिपुर	79	0.00	47.50	0.03	190.00	0.07	374.17	0.10	611.67
16.	मेघालय	78	0.07	415.00	0.06	361.55	0.06	369.95	0.19	1146.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	मिजोरम	105	0.03	360.00	0.07	410.00	0.12	860.40	0.22	1630.40
18.	नागालैण्ड	100	0.01	250.00	0.08	480.00	0.08	631.00	0.17	1361.00
19.	उड़ीसा	212	0.10	373.04	0.14	617.80	0.09	425.26	0.33	1416.10
20.	पंजाब	49	0.00	0.00	0.01	68.38	0.00	0.00	0.01	68.38
21.	राजस्थान	1138	0.39	2555.20	0.84	3869.46	0.82	3382.29	2.05	9806.95
22.	सिक्किम	66	0.01	90.00	0.03	191.12	0.04	265.46	0.08	546.58
23.	तमिलनाडु	763	0.31	1408.33	0.34	1525.00	0.19	2089.06	0.84	5022.39
24.	त्रिपुरा	62	0.03	177.00	0.04	307.51	0.06	336.45	0.13	820.96
25.	उत्तर प्रदेश	400	0.09	1121.80	0.24	948.72	0.34	1950.96	0.67	4021.48
26.	उत्तरांचल	158	0.07	446.00	0.13	975.44	0.26	1787.49	0.46	3208.93
27.	पश्चिम बंगाल	136	0.01	42.92	0.00	0.00	0.00	130.00	0.01	172.92
28.	गोवा	27	0.00	14.34	0.01	74.32	0.02	175.73	0.03	264.39
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	8	0.00	24.11	0.01	45.51	0.01	51.00	0.02	120.62
30.	दादर एवं नगर हवेली	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दमन एवं दीव	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	6514	1.78	11359.78	3.24	17323.56	4.53	23298.45	9.55	51981.79

विवरण II

दसवीं योजना के गत तीन वर्षों में नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ प्रवण नदी (आर.वी.पी. एवं एफ.पी.आर.) का राज्यवार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

भौतिक : लाख है. क्षेत्र में और वित्तीय : लाख रु. में

क्र.सं.	राज्य का नाम	पनधाराओं की संख्या	2002-03		2003-04		2004-05		कुल	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश (क) फारेस्ट	15	0.060	533.80	0.062	628.00	0.027	339.54	0.15	1501.34
	(ख) कृषि	6	0.028	199.45	0.039	230.19	0.040	203.27	0.11	632.91
	उपयोग	21	0.088	733.25	0.101	858.19	0.067	542.81	0.26	2134.25
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	0.000	0.00	0.000	0.00	0.002	5.67	0.00	5.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	असम	3	0.004	76.03	0.015	72.24	0.000	0.00	0.02	148.27
4.	बिहार	1	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	9	0.039	158.41	0.040	122.65	0.022	119.68	0.10	400.74
6.	गुजरात (क) फारेस्ट	8	0.012	123.00	0.020	215.33	0.015	116.45	0.05	454.78
	(ख) कृषि	9	0.026	283.03	0.061	458.73	0.118	986.16	0.21	1727.92
	उपयोग	17	0.038	406.03	0.081	674.06	0.133	1102.61	0.25	2182.70
7.	हरियाणा	6	0.050	168.02	0.051	149.96	0.042	178.20	0.14	496.18
8.	हिमाचल प्रदेश	42	0.034	519.76	0.042	673.21	0.038	647.35	0.11	1840.32
9.	झारखण्ड	0	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00
10.	जम्मू-कश्मीर	13	0.028	270.23	0.018	193.00	0.024	449.57	0.07	912.80
11.	कर्नाटक	90	0.592	1564.24	0.228	952.66	0.217	816.68	1.04	3333.58
12.	केरल	8	0.005	215.87	0.033	187.87	0.026	231.11	0.06	634.85
13.	मध्य प्रदेश (क) कृषि	22	0.186	716.88	0.165	686.96	0.106	501.35	0.46	1905.19
	(ख) एन.वी.सी.सी.	19	0.098	343.15	0.064	302.50	0.056	307.19	0.22	952.84
	उपयोग	41	0.284	1060.03	0.229	989.46	0.162	808.54	0.68	2858.03
14.	महाराष्ट्र	127	0.167	1606.07	0.176	947.65	0.167	879.92	0.51	3433.64
15.	मणिपुर	0	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00
16.	मेघालय	0	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	6.00	0.00	6.00
17.	मिजोरम	4	0.010	90.00	0.006	110.00	0.008	99.85	0.02	299.85
18.	नागालैंड	1	0.000	0.00	0.000	0.00	0.026	174.00	0.03	174.00
19.	उड़ीसा	7	0.030	115.80	0.010	42.48	0.015	81.46	0.06	239.74
20.	पंजाब	5	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00
21.	राजस्थान	44	0.218	1430.19	0.227	1730.23	0.236	1837.91	0.68	4998.33
22.	सिक्किम	1	0.000	0.00	0.002	20.00	0.004	58.20	0.01	78.20
23.	तमिलनाडु	19	0.039	525.74	0.038	557.29	0.060	627.52	0.14	1710.55
24.	त्रिपुरा	6	0.005	44.80	0.003	50.00	0.004	27.48	0.01	122.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	उत्तर प्रदेश	145	0.237	1633.50	0.379	1551.95	0.423	2165.65	1.04	5351.10
26.	उत्तरांचल	39	0.039	227.39	0.018	227.00	0.041	285.35	0.10	739.74
27.	पश्चिम बंगाल	7	0.008	55.23	0.004	230.32	0.080	198.26	0.09	483.81
28.	चण्डीगढ़	—	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00
29.	दिल्ली	—	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00
30.	डी.वी.सी.	45	0.124	1054.78	0.083	1176.12	0.097	1256.90	0.30	3487.80
31.	मुख्यालय	—	0.000	40.00	0.000	39.00	0.000	40.00	0.00	119.00
	कुल	704	2.039	11995.37	1.784	11555.34	1.894	12640.72	5.72	36191.43
	जम्मू-कश्मीर हेतु पी.एम. पैकेज	89	0.00	0.00	0.052	546.05	0.157	1063.41	0.21	1609.46
	सकल योग	793	2.039	11995.37	1.836	12101.39	2.051	13704.13	5.926	37800.89

विवरण III

दसवीं योजना के गत तीन वर्षों में झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजनाओं (डब्ल्यू.डी.पी.एस.सी.ए.) का राज्य-वार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

भौतिक : लाख है. क्षेत्र में और वित्तीय : लाख रु. में

क्र.सं.	राज्य का नाम	पनधाराओं की संख्या	2002-03		2003-04		2004-05		कुल	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1.	अरुणाचल प्रदेश	13	0.002	17.85	0.016	160.53	0.010	100.51	0.03	278.89
2.	असम	15	0.053	360.00	0.040	395.00	0.024	250.00	0.12	1005.00
3.	मणिपुर	30	0.027	141.00	0.018	200.00	0.026	250.00	0.07	591.00
4.	मेघालय	38	0.014	250.00	0.026	300.00	0.048	300.00	0.09	850.00
5.	मिजोरम	42	0.040	480.00	0.046	490.00	0.036	350.00	0.12	1320.00
6.	नागालैण्ड	26	0.031	450.00	0.026	300.00	0.043	450.00	0.10	1200.00
7.	त्रिपुरा	39	0.027	268.40	0.028	275.86	0.023	226.74	0.08	771.00
	कुल	202	0.194	1967.25	0.200	2121.39	0.210	1927.25	0.604	6015.89

विवरण IV

दसवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान, नौवीं योजना की शुरूआत से क्षारीय मृदा के सुधार (आर.ए.एस.) का राज्य-वार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

भौतिक : लाख है. क्षेत्र में और वित्तीय : लाख रु. में

क्र.सं.	राज्य का नाम	2002-03		2003-04		2004-05		कुल	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00
2.	बिहार	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00
3.	गुजरात	0.031	135.83	0.048	240.37	0.172	253.35	0.25	629.55
4.	हरियाणा	0.097	400.00	0.119	218.00	0.104	200.00	0.32	818.00
5.	कर्नाटक	0.008	142.94	0.009	111.71	0.006	71.00	0.02	325.65
6.	मध्य प्रदेश	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00
7.	महाराष्ट्र	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00
8.	पंजाब	0.008	13.38	0.005	6.43	0.000	0.00	0.01	19.81
9.	राजस्थान	0.070	112.00	0.013	8.54	0.051	50.97	0.13	171.51
10.	तमिलनाडु	0.000	0.00	0.009	19.28	0.012	31.13	0.02	50.41
11.	उत्तर प्रदेश	0.010	1.10	0.005	8.82	0.000	0.00	0.02	9.92
	कुल	0.224	805.25	0.208	613.15	0.345	606.45	0.78	2024.85

विवरण V

2002-03 से 2004-05 तक ग्रामीण विकास मंत्रालय के मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं और निर्मुक्त कोषों को दर्शाने वाला विवरण

भौतिक : परियोजनाओं की संख्या और वित्तीय : करोड़ रु. में

क्र.सं.	राज्य का नाम	2002-03		2003-04		2004-05		2004-05 तक कुल योग	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	110	12.12	110	5.67	110	17.74	330	35.53
2.	गुजरात	277	34.18	298	56.12	298	46.81	873	137.11
3.	हरियाणा	121	18.10	118	19.20	118	15.45	357	52.75
4.	हिमाचल प्रदेश	73	8.51	49	7.87	38	2.45	160	18.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	जम्मू-कश्मीर	77	9.02	41	11.27	40	2.19	158	22.48
6.	कर्नाटक	165	14.12	166	23.20	166	23.10	497	60.42
7.	राजस्थान	779	88.94	780	91.47	830	107.26	2389	287.66
	अन्य	—	—	—	—	—	0.20	0	0.20
	कुल	1602	184.99	1562	214.80	1600	215.19	4764	614.98

टिप्पणी: डी.डी.पी. के अंतर्गत एक परियोजना सामान्यतया 500 हैक्टेयर का क्षेत्र कवर करती है।

विवरण VI

2002-03 से 2004-05 तक ग्रामीण विकास मंत्रालय के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं और निर्मुक्त कोषों को दर्शाने वाला विवरण

भौतिक : परियोजनाओं की संख्या और वित्तीय : करोड़ रु. में

क्र.सं.	राज्य का नाम	2002-03		2003-04		2004-05		2004-05 तक कुल योग	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	291	48.55	287	49.37	287	40.08	865	138.00
2.	बिहार	60	2.50	60	3.23	68	3.11	188	8.84
3.	छत्तीसगढ़	116	16.00	116	13.29	116	17.94	348	47.23
4.	गुजरात	241	32.73	250	33.63	250	25.37	741	91.73
5.	हिमाचल प्रदेश	50	3.71	40	5.30	40	4.25	130	13.26
6.	झारखण्ड	164	2.23	66	4.22	66	2.23	296	8.68
7.	जम्मू-कश्मीर	66	5.54	200	12.12	200	10.65	466	28.31
8.	कर्नाटक	221	22.65	227	32.16	227	25.03	675	79.84
9.	मध्य प्रदेश	265	47.21	269	50.22	269	52.88	803	150.31
10.	महाराष्ट्र	300	12.95	296	14.84	303	34.86	899	62.65
11.	उड़ीसा	160	9.01	146	10.46	146	11.42	452	30.89
12.	राजस्थान	113	14.31	96	19.79	96	15.74	305	49.84
13.	तमिलनाडु	144	10.60	160	24.02	160	28.17	464	62.79
14.	उत्तर प्रदेश	158	17.18	160	14.98	160	14.57	478	46.73
15.	उत्तरांचल	97	3.76	90	4.73	90	12.26	277	19.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	पश्चिम बंगाल	32	1.08	72	2.43	72	2.43	176	5.94
	अन्य	—	0.01	—	0.20	—	0.20	0	0.41
	कुल	2478	250.02	2535	294.99	2550	300.19	7563	845.20

टिप्पणी: डी.पी.ए.पी. के अंतर्गत एक परियोजना सामान्यतया 500 हैक्टेयर का क्षेत्र कवर करती है।

विवरण VII

2002-03 से 2004-05 तक ग्रामीण विकास मंत्रालय के समेकित पनधारा विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत क्षेत्रफल और निर्मुक्त कोषों को दर्शाने वाला विवरण

भौतिक : परियोजनाओं की संख्या और वित्तीय : करोड़ रु. में

क्र.सं.	राज्य का नाम	2002-03		2003-04		2004-05		2004-05 तक कुल योग	
		क्षेत्र	वित्तीय	क्षेत्र	वित्तीय	क्षेत्र	वित्तीय	क्षेत्र	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.120	13.95	0.600	34.36	0.600	29.58	1.320	77.89
2.	बिहार	0.000	0.66	0.450	3.71	0.450	4.35	0.900	8.72
3.	छत्तीसगढ़	0.000	5.50	0.400	11.97	0.436	17.24	0.836	34.71
4.	गुजरात	0.000	14.94	0.575	17.34	0.450	10.72	1.025	43.00
5.	हरियाणा	0.000	2.06	0.200	3.89	0.150	6.12	0.350	12.07
6.	हिमाचल प्रदेश	0.000	15.01	0.430	13.50	0.150	13.45	0.580	41.96
7.	झारखण्ड	0.000	0.41	0.330	2.72	0.190	2.06	0.520	5.19
8.	जम्मू-कश्मीर	0.000	2.21	0.050	2.42	0.500	4.23	0.550	8.86
9.	कर्नाटक	0.065	13.94	0.450	23.20	0.200	24.67	0.715	61.81
10.	केरल	0.000	0.96	0.150	3.14	0.000	1.60	0.150	5.70
11.	मध्य प्रदेश	0.000	29.92	0.870	28.38	0.600	29.08	1.470	87.38
12.	महाराष्ट्र	0.079	7.05	0.450	9.49	0.500	16.00	1.029	32.54
13.	उड़ीसा	0.000	8.85	0.380	19.40	0.450	14.57	0.830	42.82
14.	पंजाब	0.000	0.00	0.000	0.51	0.154	1.94	0.154	2.45
15.	राजस्थान	0.000	7.72	0.450	20.97	0.450	21.21	0.900	49.90
16.	तमिलनाडु	0.000	8.38	0.550	19.94	0.510	24.71	1.060	53.03
17.	उत्तर प्रदेश	0.221	16.57	0.650	19.74	0.650	18.02	1.521	54.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	उत्तरांचल	0.000	3.36	0.160	3.64	0.344	12.28	0.504	19.28
19.	पश्चिम बंगाल	0.000	0.00	0.100	0.83	0.138	1.56	0.238	2.39
20.	गोवा	—	—	0.100	0.83	—	—	0.100	0.83
	अन्य	—	—	—	10.00	—	—	0.000	10.00
	कुल	0.485	151.49	7.345	249.98	6.922	253.39	14.752	654.86
उत्तर-पूर्वी राज्य:									
1.	अरुणाचल प्रदेश	0.542	4.59	0.320	3.52	0.725	8.04	1.587	16.15
2.	असम	0.904	14.40	0.840	17.30	1.750	32.03	3.494	63.73
3.	मणिपुर	0.445	6.42	0.300	3.13	0.400	5.46	1.145	15.01
4.	मेघालय	0.000	0.24	0.280	4.44	0.140	1.94	0.420	6.62
5.	मिजोरम	0.407	11.55	0.400	6.12	0.400	9.74	1.207	27.41
6.	नागालैंड	0.573	17.41	0.400	18.68	0.400	17.11	1.373	53.20
7.	सिक्किम	0.000	1.84	0.180	2.69	0.164	3.24	0.344	7.77
8.	त्रिपुरा	0.000	—	—	0.32	0.275	3.87	0.275	4.19
	कुल उत्तर-पूर्व	2.871	56.45	2.720	56.20	4.254	81.43	9.845	194.080
	कुल योग	3.356	207.94	10.065	306.18	11.176	334.82	24.597	848.935

उर्वरक उद्योग की समस्याएं

*215. **श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नई मूल्य निर्धारण प्रणाली तथा प्राकृतिक गैस (एन.जी.)/तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) की नीति अपनाने के कारण उर्वरक उद्योग के समक्ष आ रही समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उर्वरक उद्योग के पुनरुद्धार के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में उर्वरक उद्योग से कोई सुझाव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (घ) उर्वरक उद्योग ने दिनांक 1.4.2003 से कार्यान्वित की जा रही नई मूल्य निर्धारण योजना के मुख्य रूप से निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में अपने मत/सुझाव दिए हैं:

(1) विंटेज और फीडस्टाक पर आधारित यूरिया इकाइयों के समूह बनाने के प्रावधान पर अनेक यूरिया कंपनियों ने संयंत्रों के स्थान, कोयला जैसे ईंधन के प्रयोग की मात्रा, संयंत्र आदि के आकार आदि के आधार पर समूह बनाने की प्रक्रिया में परिवर्तन करने का सुझाव दिया है।

(2) यूरिया की नियंत्रणमुक्त मात्रा पर प्राथमिक भाड़े में 100 रुपए प्रति टन की कमी नहीं की जाए।

(3) प्राथमिक भाड़े के सड़क परिवहन घटक में वृद्धि की प्रतिपूर्ति।

(4) गौण भाड़े में वृद्धि की प्रतिपूर्ति।

(5) वर्ष 1999-2000 के बाद परिवर्तन लागत और अतिरिक्त खर्च में वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति।

(6) आदान मूल्यों में तेजी से हुई वृद्धि के कारण कार्यशील पूंजी भत्ते की प्रतिपूर्ति।

(7) बोरों की लागत में हुई वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति।

(8) अन्य परिवर्तनीय लागतों में हुई वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति।

(9) क्रय कर, प्रवेश कर, विद्युत कर, बिक्री कर, वैट आदि जैसे सभी राज्य वसूलियों में हुए परिवर्तन के लिए क्षतिपूर्ति।

उपर्युक्त मुद्दे, नई मूल्य निर्धारण नीति के चरण-1 और 2 की प्रभावकारिता की समीक्षा करने तथा दिनांक 1.4.2006 से प्रारंभ होने वाले यूरिया इकाइयों के चरण-3 के संबंध में नीति तैयार करने के लिए डा. वाई.के. अलघ की अध्यक्षता में गठित कार्यदल के विचाराधीन है।

एचबीजे पाइपलाइन के आसपास स्थित नेफ्था आधारित यूरिया इकाइयों ने पहले ही प्राकृतिक गैस/एल.एन.जी. में परिवर्तन के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इफको ने फूलपुर स्थित अपनी दोनों इकाइयों की अपेक्षित फीडस्टाक/ईंधन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एल.एन.जी. की आपूर्ति हेतु नियत अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। परिवर्तन करने और पाइपलाइन बिछाने का कार्य चल रहा है और वर्ष 2006 के प्रारंभ में इसके पूरा हो जाने की आशा है। चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स की नेफ्था आधारित एक यूरिया इकाई गडेपन-2 ने भी एल.एन.जी. के इस्तेमाल के लिए प्रबंध किया है और विद्यमान पाइपलाइन अवस्थापना से जितनी एल.एन.जी. उपलब्ध हो रही है, उसका प्रयोग कर रहा है। कोटा स्थित श्रीराम फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड की नेफ्था आधारित यूरिया इकाई ने एक योजना तैयार की है परंतु पाइपलाइन और गैस अभी उपलब्ध नहीं है।

शेष गैर-गैस आधारित यूरिया इकाइयों को प्राकृतिक गैस/एल.एन.जी. आधारित यूरिया इकाइयों में परिवर्तित करना काफी हद तक प्राकृतिक गैस/एल.एन.जी. की उपलब्धता और मूल्य निर्धारण तथा स्पर लाइनों के निर्माण पर निर्भर करता है।

वर्षा जल का संचयन

***216. श्री एस.के. खारवेनन:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वर्षा जल के संचयन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वर्षा जल संचयन का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर रही राज्य सरकारों को कोई विशेष पैकेज/सहायता दी है;

'(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (ङ) 'जल' राज्य का विषय होने के कारण वर्षा जल संचयन के संवर्धन के लिए योजनाएं बनाना मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों का दायित्व है।

जल संसाधन मंत्रालय ने आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में भूजल के पुनर्भरण के अध्ययन के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम को कार्यान्वित किया है।

जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने "भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर योजना" नामक एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें 39.25 लाख कृत्रिम पुनर्भरण और छत के वर्षा जल संचयन संबंधी संरचनाओं के निर्माण के माध्यम से 36453 मिलियन घनमीटर अधिशेष मानसून अपवाह के पुनर्भरण की योजना है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूसंसाधन विकास) एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) और मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) नामक तीन क्षेत्र विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है।

इन कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों को विभिन्न क्रियाकलापों के लिए निधि का आबंटन किया जाता है, जिसमें मृदा एवं जल संरक्षण कार्य शामिल है। तथापि, गिरते हुए भूजल स्तर को रोकने के लिए विशेष रूप से निधि का आबंटन नहीं किया जाता है जो कि वाटरशेड क्षेत्रों के विकास के लिए प्रारंभ किए गए नमी संरक्षण कार्यों की एक परिणामी गतिविधि है। इसी प्रकार, कृषि मंत्रालय झूम खेती क्षेत्रों में वाटरशेड विकास (डब्ल्यू.डी.एस.सी.ए.) का कार्यान्वयन कर रहा है।

उपरोक्त के अतिरिक्त इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(1) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मैन्युअल/दिशा निर्देशों का परिचालन करना ताकि

वे भूजल स्तरों में गिरावट के रुख को रोकने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमें तैयार कर सकें।

(2) केन्द्रीय मंत्रालयों/रेल, रक्षा, डाक, दूरसंचार, विभागों केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से यह अनुरोध किया गया है कि वे अपने नियंत्रणाधीन भवनों में छत के वर्षा जल संचयन संबंधी संरचनाएं उपलब्ध कराएं।

(3) आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल राज्यों के ग्रामीण सरकारी स्कूलों में समुदाय आधारित संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों/ स्वैच्छिक अभिकरणों के माध्यम से छत के वर्षा जल संचयन की प्रदर्शनात्मक परियोजनाओं का कार्यान्वयन भी किया गया।

(4) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले भवनों में जल संचयन संरचनाएं उपलब्ध कराएं।

(5) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में आने वाले स्थानीय निकायों को यह सलाह दें कि जो व्यक्ति अपने अहाते/परिसर में छत के वर्षा जल संचयन को अपना रहे हैं उन्हें संपत्ति कर में छूट दी जाए।

(6) सी.जी.डब्ल्यू.बी. ने राज्य सरकार के अभिकरणों, शैक्षणिक संस्थानों, निजी उद्यमियों और व्यक्तियों सहित लगभग 2000 अभिकरणों को वर्षा जल संचयन के संबंध में तकनीकी दिशानिर्देश मुहैया कराये हैं।

(7) वर्षा जल संचयन की विभिन्न तकनीकों और भविष्य में उपयोग के लिए इसके भंडारण के संबंध में जनता को जागरूक और शिक्षित करने के लिए छत के वर्षा जल संचयन पर एक वेबसाइट (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.सीजी डब्ल्यूबी.नेट) की शुरूआत करना।

(8) वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी जन-जागरूकता कार्यक्रमों और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन।

(9) युवा और बच्चों, महिलाओं, किसानों तथा ग्रामवासियों, नीति और विचारकर्ताओं जैसे विभिन्न लक्षित समूहों को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण अभियान चलाया गया है। इस प्रयोजन के लिए प्रिंट मीडिया द्वारा प्रचार, दूरदर्शन पर स्पाट का प्रसारण, रेडियों पर संदेशों का प्रचार-प्रसार, सेमिनारों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों आदि का आयोजन किया गया है।

'वर्क परमिट' पर विदेश जाने वाले भारतीय

***217. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्षों में 'वर्क परमिट' पर विदेश जाने वाले भारतीयों का प्रतिशत कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार बेरोजगार युवाओं को विदेशों में रोजगार प्राप्त करने में सहायक पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण संबंधी जानकारी प्रदान करती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय रोजगार हेतु विदेश जाने वाले भारतीय कामगारों के उत्प्रवासन को विनियमित करने वाले उत्प्रवासन अधिनियम, 1983 के प्रचालन हेतु उत्तरदायी है। अधिनियम के प्रावधान के तहत जिन व्यक्तियों के पासपोर्ट पर ई.सी.आर. वाले देशों में से किसी एक में जाने के लिए उत्प्रवासन स्वीकृति प्राप्त करनी अनिवार्य है। उपलब्ध सूचनानुसार जिन कामगारों को विदेश में अनुबंध पर रोजगार हेतु उत्प्रवासन स्वीकृति प्रदान की गई उनकी संख्या में पिछले पांच वर्षों के दौरान उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय बेरोजगार युवाओं को विदेशों में रोजगार प्राप्त करने में सहायक पाठ्यक्रम/ प्रशिक्षण संबंधी जानकारी प्रदान नहीं करता है।

खाद्य उत्पादों संबंधी मानदंडों का उल्लंघन

***218. डा. एम. जगन्नाथ:** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि विशेषकर लघु उद्योगों द्वारा विभिन्न कृत्रिम रंगों और फ्लेवरिंग तत्वों का उपयोग आजकल न केवल शीतल पेयों में बल्कि कनफैक्शनरी वस्तुओं में भी धड़ल्ले से किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या मौजूदा खाद्य कानून, उल्लंघनकर्ताओं से इन प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराने में पर्याप्त रूप से सक्षम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे सिंथेटिक फ्लेवरों और रंगने वाले तत्वों के उपयोग को हतोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (घ) खाद्य उत्पादों में विभिन्न कृत्रिम रंगों और फ्लेवरिंग तत्वों के प्रयोग और सीमा पर नियंत्रण खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किया जाता है।

कुछ खाद्य वस्तुओं में गैर-अनुमत रंगों और फ्लेवरिंग तत्वों के प्रयोग अथवा रंगों और फ्लेवरिंग तत्वों की अनुमत सीमा से अधिक के प्रयोग की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। राज्य/संघ शासित प्रदेश जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम/नियमों को लागू करने वाली कार्यान्वयन एजेंसियां हैं, से इस पर कड़ी नजर रखने के लिए समय-समय पर अनुरोध किया जाता है। इनका उल्लंघन करने पर खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है।

[हिन्दी]

गोदामों का निरीक्षण

***219. श्री गिरिधारी यादव:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के कुछ गोदामों का हाल ही में निरीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त निरीक्षण के दौरान मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त खाद्यान्नों और चीनी के कुछ पुराने भंडार पाए गए थे;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी, हां। भारतीय खाद्य निगम के सभी गोदामों का सभी स्तरों पर आवधिक और नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है। सहायक प्रबंधन (गुण नियंत्रण) महीने में एक बार अनिवार्य रूप से गोदामों का निरीक्षण करता है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री ने 21 जुलाई, 2005 को फुलवारीशरीफ, बिहार में स्थित भारतीय खाद्य निगम के खाद्य भण्डारण डिपु का भी औचक निरीक्षण किया था।

(ख) पहली जुलाई, 2005 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में मानव उपभोग के अनुपयुक्त पाये गए खाद्यान्नों और चीनी की मात्रा तथा क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों के रूप में वर्गीकृत किया गया स्टाक निम्नानुसार है:

क्षतिग्रस्त खाद्यान्न	12,070 टन
चीनी	581 टन

उपर्युक्त स्टाक में बिहार के फुलवारीशरीफ इलाके में स्थित भारतीय खाद्य निगम के डिपो में पाया गया 314.5 टन की मात्रा का वह स्टाक भी शामिल है जो फुलवारीशरीफ स्थित डिपो का मुआयना करते समय मंत्री जी के ध्यान में आया था।

(ग) से (च) फुलवारीशरीफ डिपो में स्टाक का विस्तृत सत्यापन भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालय के स्टाफ द्वारा 21 जुलाई, 2005 को ही किया गया था। भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि क्षतिग्रस्त स्टाक के लिए टेंडर दिया गया है और सफल विनिदादाताओं द्वारा वित्तीय प्रबंध किए गए हैं। स्टाक को उठाने के लिए 'रिलीज आर्डर' जारी कर दिया गया है और निविदादाताओं द्वारा स्टाक को शीघ्र उठाए जाने की संभावना है।

डिपो अधिकारी और सहायक प्रबंधक (गुण नियंत्रण) को निलम्बित कर दिया गया है और चूककर्ता अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है। इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम को निदेश दिए गए हैं कि वे बिहार में स्थित भारतीय खाद्य निगम के सभी डिपुओं का विस्तृत निरीक्षण करें।

[अनुवाद]

फास्फेट का उत्पादन

*220. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अप्रैल-नवम्बर, 2004-05 के दौरान 2.132 मिलियन टन फास्फेट के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अवधि के दौरान उत्पादन लक्ष्य से कम रहा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

(घ) क्या फास्फेट एक ऐसी कच्ची सामग्री है जिसका उपयोग फास्फेटिक उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो क्या भारत फास्फेटिक और पोटासिक उर्वरक के लिए कच्ची और मध्यवर्ती सामग्री के आयात पर अत्यधिक निर्भर है;

(च) यदि हां, तो रबी फसल के लिए उक्त उर्वरक की कुल कितनी आवश्यकता है; और

(छ) सरकार द्वारा देश की आवश्यकता पूरी करने और इसके उत्पादन में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) अप्रैल-नवंबर, 2004 के लिए डीएपी से फास्फेट के उत्पादन का लक्ष्य 2.132 मिलियन टन निर्धारित किया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) लक्ष्य से कम उत्पादन होने का मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुख्य कच्ची सामग्री फास्फोरिक एसिड का सीमित मात्रा में उपलब्ध होना है।

(घ) राक फास्फेट एक ऐसी कच्ची सामग्री है जिसका उपयोग फास्फेटयुक्त उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है।

(ङ) जी हां।

(च) रबी फसल के लिए पिछले पांच वर्षों की डीएपी की आवश्यकता/खपत/बिक्री निम्नवत है:

वर्ष	खपत/बिक्री (लाख मी. टन में)
2000-2001	31.41
2001-2002	33.06
2002-2003	31.43
2003-2004	33.13*
2004-2005	37.12*

*बिक्री

(छ) डीएपी एक नियंत्रणमुक्त उर्वरक है और इसका आयात स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय कंपनियां, कच्ची सामग्री के विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित कर रही हैं ताकि देश में आसानी से कच्ची सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त, विभाग आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्यों में विभिन्न स्थानों पर डीएपी और एमओपी का बफर स्टाक रख रहा है।

कच्चे माल की खरीद का भुगतान

2097. **श्री अधीर चौधरी:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उन विभिन्न कच्चे मालों का चिकित्सा-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें दवाओं में बदला गया है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उपलब्धता के दृष्टिकोण से मूल्य निर्धारण के लिए इनकी नियमित रूप से मानीटरिंग की गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान देश में नान शैड्यूल्ड दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य की तुलना में सैन्य बलों, रेलवे तथा ईएसआई द्वारा विभिन्न चिकित्सा दवाओं की खरीद हेतु भुगतान की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन आपूर्तिकर्ताओं में बड़ी इकाइयों की तुलना में लघु भेषज इकाइयों की प्रतिशतता कितनी है; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा देश में नान शैड्यूल्ड औषधियों की बिक्री के लिए अवांछित लाभ को नियमित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (ग) यह अनुमान है कि सूत्रयोगों (दवाइयों) के विनिर्माण के लिए देश में लगभग 500-600 प्रपुंज औषधों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से अनेक और उनके मिश्रणों का प्रयोग एक से अधिक नैदानिक उपयोग के लिए किया जाता है। विद्यमान में औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 95) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट 74 प्रपुंज औषध और उन पर आधारित फार्मूलेशन, मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं तथा उनके मूल्य राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा डीपीसीओ, 95 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित/संशोधित किए जाते हैं।

(घ) से (च) औषध विनिर्माताओं द्वारा विभिन्न संगठनों को दी गई प्रपुंज सप्लाई अधिकांशत: संगठनात्मक/सरकारी मानदंडों के अनुसार टेन्डर या कन्टैक्ट पर आधारित होती है। अत: ऐसे सूत्रयोगों के विनिर्माताओं द्वारा बतायी गई कीमतें आमतौर पर प्रत्यक्ष रूप से बाजार की खुदरा कीमत से जुड़ी नहीं होती हैं। देश में विभिन्न खुराकों और पैक आकारों में विनिर्मित सूत्रयोग हजारों में हैं। गैर-अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मूल्य का निर्धारण, विनिर्माताओं द्वारा स्वयं उत्पादन लागत, विपणन/बिक्री व्यय, अनुसंधान एवं विकास व्यय, व्यापारिक कमीशन, बाजार प्रतिस्पर्धा, उत्पाद सुधार, उत्पाद गुणवत्ता आदि जैसे विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

उचित मूल्य पर जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मूल्य नियंत्रण की सीमा (ट्रेड मार्जिन सहित) की जांच हेतु संयुक्त सचिव (भेषज उद्योग) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। अपनी अंतरिम रिपोर्ट में समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ चयनित बास्केट (आवश्यक दवाओं की सूची, 2003) में से उन सभी दवाओं के मूल्यों की गहन मानीटरिंग करने, दवाओं के व्यापार लाभ पर अधिकतम सीमा, नई पेटेंटशुदा दवाओं के लिए मूल्य वार्ता की प्रणाली, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए विशेष योजना, विनिर्माताओं से दवाओं की बल्क खरीद के लिए राजस्थान माडल के लाइफ लाइन फ्लूड स्टोर्स (मेडिकेयर सोसायटी द्वारा संचालित अस्पताल फार्मेसी स्टोर) की शुरूआत और उन्हें कम दामों पर बेचना, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों के लिए मुकदमा चलाना, कर्नाटक माडल पर सभी राज्यों में डीपीसीओ सेल की स्थापना, जन जागरूकता बढ़ाने के उपाय, सरकार और एनपीपीए आदि की नीतियों और निर्णयों का व्यापक प्रचार करने की सिफारिश की है। समिति द्वारा अंतरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

जीवन रक्षक दवाओं को उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मूल्य नियंत्रण के इतर विभिन्न विकल्पों का पता लगाने के लिए प्रधान सलाहकार, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक स्टाक फोर्स का भी गठन किया है। यह टास्क फोर्स इस दिशा में विभिन्न विकल्पों की जांच कर रहा है तथा सरकार को समुचित सिफारिशें करेगा।

पेरिटोनियल डायलिसिस का सस्ता होना

2098. श्री निखिल कुमार: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए देश में उपलब्ध डायलिसिस सोल्यूशन और साइक्लिंग मशीन के प्रकारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोई मूल्य नियंत्रण नहीं है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा रोगियों का शोषण किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो पेरेटोनियल डायलिसिस को सस्ता करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

रोजगार कार्यालय

2099. श्री एम. अंजनकुमार यादव:
श्री वी.के. दुग्मर:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री एन.एन. कृष्णदास:
श्री सुनिल कुमार महतो:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:
श्री बीर सिंह महतो:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान तिथि के अनुसार देश में चालू रोजगार कार्यालयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक रोजगार कार्यालयों में कुल कितने रोजगार पाने वाले लोगों के नाम दर्ज हैं और किस व्यवसाय के लिए उनके नाम दर्ज हैं;

(ग) उनमें से रोजगार कार्यालय-वार कितने लोग विकलांग/अजा/अजजा/अपिव के हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन कार्यालयों के माध्यम से रोजगार कार्यालय-वार और राज्य-वार कितने लोगों को श्रेणी-वार रोजगार प्रदान किया गया?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ग) 31.12.2004 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों की संख्या तथा 31.12.2003 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत विकलांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों के रोजगार चाहने वालों, जिनमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा विभिन्न वर्गों से संबंधित रोजगार कार्यालय-वार आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ख) 31.12.2001 (नवीनतम) की स्थिति के अनुसार रोजगार चाहने वालों का व्यवसाय-वार विस्तृत वितरण ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) वर्ष 2001, 2002 तथा 2003 के दौरान रोजगार कार्यालयों द्वारा किया गया राज्य-वार व श्रेणी-वार नियोजन संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	31.12.2004 को रोजगार कार्यालय (वास्तविक संख्या में)	31.12.2003 को रोजगार चाहने वालों की संख्या (हजार में)			
			विकलांग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	31	88.9	600.2	151.8	934.2
2.	अरुणाचल प्रदेश	10	@	0.3	11.9	0.2
3.	असम	52	5.0	102.0	177.1	210.8
4.	बिहार	37	15.1	238.0	21.0	548.9
5.	छत्तीसगढ़	18	9.6	98.2	166.4	125.0
6.	दिल्ली	14	7.6	169.7	25.7	29.7
7.	गोवा	1	0.8	2.4	0.3	7.8
8.	गुजरात	42	21.1	184.4	124.0	11.5
9.	हरियाणा	61	12.8	153.6	@	20.0
10.	हिमाचल प्रदेश	15	10.4	179.8	26.3	42.2
11.	जम्मू-कश्मीर	14	0.9	5.1	2.1	1.2
12.	झारखंड	33	7.7	173.9	273.3	279.1
13.	कर्नाटक	40	31.1	293.7	68.8	44.0
14.	केरल	86	43.4	506.9	29.2	1640.3
15.	मध्य प्रदेश	58	23.2	305.5	393.4	240.8
16.	महाराष्ट्र	46	46.7	680.3	168.2	804.6
17.	मणिपुर	11	1.7	6.4	130.7	0.3
18.	मेघालय	11	0.1	0.1	27.6	0.1

1	2	3	4	5	6	7
19.	मिजोरम	3	0.3	@	36.3	—
20.	नागालैंड	7	1.4	0.2	41.9	@
21.	उड़ीसा	40	10.6	126.6	90.1	56.7
22.	पंजाब	46	10.7	148.3	—	8.4
23.	राजस्थान	42	26.4	147.2	90.1	128.0
24.	सिक्किम*					
25.	तमिलनाडु	34	70.9	1148.4	13.8	2534.7
26.	त्रिपुरा	5	2.0	62.5	62.4	10.5
27.	उत्तरांचल	23	3.7	47.9	10.2	19.6
28.	उत्तर प्रदेश	84	26.8	431.9	5.5	345.3
29.	पश्चिम बंगाल	75	69.2	779.7	154.2	158.2
30.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	0.6	—	—	—
31.	चंडीगढ़	2	1.1	16.3	0.1	1.2
32.	दादर व नगर हवेली	1	@	0.2	0.9	—
33.	दमन व दीव	2	0.1	0.2	@	—
34.	लक्षद्वीप	1	0.1	—	6.4	—
35.	पांडिचेरी	1	1.7	18.0	0.1	28.8
	कुल	947	551.8	6627.9	2309.9	8231.9

टिप्पणी: *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।
हो सकता है पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।
-शून्य,
@आंकड़े पचास से कम।

विवरण II

31 दिसम्बर 2001 (नवीनतम) को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर व्यापक व्यावसायिक समूह द्वारा वर्गीकृत रोजगार चाहने वालों की राज्य-वार संख्या

(हजार में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	व्यावसायिक तकनीकी एवं संबद्ध कामगार	प्रशासनिक कार्यपालक तथा प्रबंधकीय कामगार	लिपिकीय एवं संबद्ध कामगार	बिक्री कामगार	सेवा कामगार	किसान, मछुआरे, शिकारी, लकड़हारे तथा संबद्ध कामगार	उत्पादन एवं संबद्ध कामगार परिवहन उपकरण श्रमिक	किसी व्यवसाय द्वारा वर्गीकृत न किए गए कामगार	कुल चालू रजिस्टर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(क)	राज्य									
1.	आन्ध्र प्रदेश	313.6	0.4	343.1	0.3	7.4	4.5	341.7	2147.2	3158.2
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.5	—	0.8	—	0.1	@	0.6	19.1	22.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	असम	14.2	@	6.7	0.5	4.9	0.1	26.1	1434.0	1485.5
4.	बिहार	57.9	0.2	59.2	100.2	11.6	1.7	53.5	1497.6	1781.9
5.	छत्तीसगढ़	36.4	0.5	20.0	@	1.3	0.2	52.5	683.4	794.3
6.	दिल्ली	240.7	@	49.2	0.2	1.4	6.4	124.9	583.5	1006.3
7.	गोवा	7.3	0.1	16.3	0.1	2.5	0.1	13.1	63.8	103.3
8.	गुजरात	120.9	0.7	62.3	@	12.4	2.3	187.8	708.5	1094.9
9.	हरियाणा	70.4	0.2	53.6	0.2	27.8	2.9	51.8	462.6	669.5
10.	हिमाचल प्रदेश	106.2	1.0	47.7	0.1	11.5	3.8	71.6	654.2	896.1
11.	जम्मू-कश्मीर	8.7	0.2	3.2	—	5.6	0.2	48.3	97.5	163.7
12.	झारखंड	78.9	0.8	73.6	0.3	46.7	6.0	132.5	1144.1	1482.9
13.	कर्नाटक	241.8	0.5	197.8	0.1	5.2	9.5	163.3	1421.7	2039.9
14.	केरल	286.6	16.4	742.3	1.9	40.3	27.9	230.1	3061.6	4407.2
15.	मध्य प्रदेश	58.1	0.3	33.6	@	11.7	0.5	624.8	1085.5	1814.5
16.	महाराष्ट्र	203.9	1.7	254.3	0.9	39.4	16.3	215.7	3691.0	4423.2
17.	मणिपुर	3.7	0.1	0.4	@	@	0.1	1.3	399.9	405.5
18.	मेघालय	4.4	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	6.6	16.5	38.5
19.	मिजोरम	0.3	@	0.1	0	@	0	34.7	49.5	84.6
20.	नागालैंड	0.6	@	0.3	@	@	@	0.5	36.2	37.6
21.	उड़ीसा	122.9	0.4	22.8	@	5.0	0.7	44.8	711.8	908.5
22.	पंजाब	183.0	0.1	18.2	@	23.4	1.7	49.7	260.5	536.7
23.	राजस्थान	52.0	0.2	67.4	@	4.9	0.3	334.4	299.3	758.5
24.	सिक्किम*									
25.	तमिलनाडु	1030.0	4.2	387.1	1.6	70.3	13.4	459.1	2959.6	4925.5
26.	त्रिपुरा	4.1	0.8	0.4	@	1.3	0.1	3.9	316.2	326.8
27.	उत्तरांचल	11.2	0.1	3.5	0.2	1.8	0.2	5.6	304.7	327.2
28.	उत्तर प्रदेश	154.9	3.2	39.2	0.2	41.4	0.8	128.8	1480.7	1849.1
29.	पश्चिम बंगाल	210.6	0.4	197.7	0.7	187.8	3.9	430.2	5131.2	6162.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(ख) संघ शासित प्रदेश										
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—	—	—	—	34.5	34.5
31.	चंडीगढ़	13.1	0.2	4.1	@	5.1	0.2	6.7	59.7	89.1
32.	दादर व नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.4
33.	दमन व दीव	1.4	@	1.0	0	@	@	0.9	4.5	7.7
34.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	11.2	11.2
35.	पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—	—	142.2	142.2
	कुल	3639.3	34.9	2708.1	109.7	573.0	106.0	3845.5	30978.9	41996.0

टिप्पणी: 1. *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।
2. हो सकता है पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।
3. -शून्य
4. **आंकड़े पचास से कम।

विवरण III

वर्ष 2001-2003 हेतु रोजगार कार्यालयों द्वारा शारीरिक रूप से विकलांगों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में किया गया नियोजन

(वास्तविक संख्या)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	शारीरिक रूप से विकलांग			अनुसूचित जाति		
		2001	2002	2003	2001	2002	2003
1	2	3	4	5	6	7	8
(क) राज्य							
1.	आन्ध्र प्रदेश	25	224	351	628	879	885
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	5	3	—
3.	असम	18	—	1	74	24	32
4.	बिहार	7	9	8	69	62	83
5.	छत्तीसगढ़	—	—	10	30	126	108
6.	दिल्ली	5	11	9	8	6	38
7.	गोवा	3	—	1	19	4	10
8.	गुजरात	473	447	408	6564	5513	5026
9.	हरियाणा	11	7	1	170	136	115

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	हिमाचल प्रदेश	52	17	24	365	391	213
11.	जम्मू-कश्मीर	—	—	—	—	3	—
12.	झारखंड	1	—	—	12	80	81
13.	कर्नाटक	89	140	56	614	599	528
14.	केरल	1223	1049	1194	1623	1461	1230
15.	मध्य प्रदेश	7	12	25	354	284	525
16.	महाराष्ट्र	158	153	167	2329	1467	2827
17.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—
18.	मेघालय	1	5	—	2	—	2
19.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—
20.	नागालैंड	—	—	—	—	—	1
21.	उड़ीसा	25	27	14	442	305	206
22.	पंजाब	41	17	11	277	221	374
23.	राजस्थान	149	91	107	235	190	351
24.	सिक्किम*	—	—	—	—	—	—
25.	तमिलनाडु	1057	970	1284	3084	2274	3744
26.	त्रिपुरा	7	—	4	114	98	98
27.	उत्तरांचल	1	7	5	178	756	361
28.	उत्तर प्रदेश	15	22	21	729	572	570
29.	पश्चिम बंगाल	110	131	137	1809	1495	1514
(ख)	संघ शासित प्रदेश						
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	—	1	1	—	—	—
31.	चंडीगढ़	13	20	21	140	23	191
32.	दादर व नगर हवेली	—	6	—	—	—	—
33.	दमन व दीव	—	—	—	2	2	—
34.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—
35.	पांडिचेरी	—	1	—	44	148	50
	कुल	3491	3367	3860	19920	17122	19163

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	अनुसूचित जनजाति			अन्य पिछड़ा वर्ग		
		2001	2002	2003	2001	2002	2003
1	2	3	4	5	6	7	8
(क)	राज्य						
1.	आन्ध्र प्रदेश	351	841	240	587	565	642
2.	अरुणाचल प्रदेश	10	121	—	4	—	—
3.	असम	90	19	35	210	37	103
4.	बिहार	4	3	11	42	104	159
5.	छत्तीसगढ़	173	218	356	82	259	97
6.	दिल्ली	2	4	9	5	41	78
7.	गोवा	—	_	1	86	72	14
8.	गुजरात	5372	4043	3924	110	276	236
9.	हरियाणा	—	—	_	12	10	15
10.	हिमाचल प्रदेश	95	114	79	151	202	97
11.	जम्मू-कश्मीर	—	1	—	—	—	—
12.	झारखंड	5	305	50	257	510	19
13.	कर्नाटक	207	196	159	203	176	153
14.	केरल	189	170	121	4787	3869	3879
15.	मध्य प्रदेश	761	253	423	325	425	318
16.	महाराष्ट्र	856	477	1019	2211	1561	3155
17.	मणिपुर	—	3	—	—	—	—
18.	मेघालय	39	151	30	4	2	—
19.	मिजोरम	21	7	16	—	—	—
20.	नागालैंड	3	56	53	—	—	—
21.	उड़ीसा	135	240	247	206	114	149
22.	पंजाब	—	—	—	55	29	44
23.	राजस्थान	56	112	178	181	131	362
24.	सिक्किम*	—	81	—	—	—	—
25.	तमिलनाडु	47	—	412	6587	3053	6104
26.	त्रिपुरा	16	95	250	11	19	51

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	उत्तरांचल	3	31	31	100	328	287
28.	उत्तर प्रदेश	3	15	30	843	409	257
29.	पश्चिम बंगाल	223	408	238	518	536	681
(ख) संघ शासित प्रदेश							
30.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—
31.	चंडीगढ़	—	1	1	62	62	73
32.	दादर व नगर हवेली	—	—	—	—	—	—
33.	दमन व दीव	—	—	—	—	—	—
34.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—
35.	पांडिचेरी	—	1	—	83	533	104
	कुल	4255	7966	8013	17722	13323	17077

टिप्पणी: 1. *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।
2. हो सकता है पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।
3. -शून्य
4. **आंकड़े पचास से कम।

जनजातियों के लिए पुनर्वास पैकेज

2100. **श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां सरकार द्वारा वन क्षेत्रों की जनजातियों को पुनर्वास पैकेज दिये जाने का प्रस्ताव किया गया है;

(ख) योजना के अंतर्गत कितने राज्यों में वन क्षेत्र की जनजातियों को लाभ मिला है; और

(ग) सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत राज्य-वार कुल कितनी राशि आवंटित की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा): (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जनजातियों के लिए किसी पुनर्वास पैकेज का कार्यान्वयन नहीं कर रहा है। तथापि "बाघ परियोजना स्कीम" के अंतर्गत जनजाति गांवों सहित गांवों को सुरक्षित क्षेत्रों/बाघ परियोजना रिजर्वों से अन्यत्र बसाने के लिए निधियां उपलब्ध करायी जाती है। ये निधियां राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत स्थल विशिष्ट प्रस्तावों के लिए दी जाती हैं।

(ख) छह राज्यों नामत: मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश को स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गत वित्त वर्ष के अन्त तक इन राज्यों को 1768.83 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की गई है।

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक कोई भी धनराशि गांवों के पुनर्वास के लिए आवंटित नहीं की गई है।

सहकारी क्षेत्र की कृषि प्रसंस्करण परियोजनाओं के लिए ऋण

2101. **श्री सीता राम सिंह:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004-05 के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहकारी क्षेत्र की कई कृषि-प्रसंस्करण परियोजनाओं और योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए स्वीकृत और जारी किए गए ऋण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान बिहार में वित्त पोषित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र से संबंधित स्वीकृत राशि और स्वीकृति के लिए लंबित प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) वर्ष 2004-05 के दौरान कृषि प्रसंस्करण परियोजनाओं के लिए स्वीकृत और निर्मुक्त निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) बिहार राज्य में शीतागारों, समेकित सहकारी विकास परियोजना और पूंजी निवेश राजसहायता शीतागार (एन.एच.बी.) हेतु वर्ष 2003-04 के दौरान कुल स्वीकृत धनराशि 27.12 लाख रुपये थी और 863.12 लाख रुपये निर्मुक्त किए गए (छिटपुट परियोजनाओं हेतु निर्मुक्ति सहित) और वर्ष 2004-05 में कुल स्वीकृत धनराशि 121.49 लाख रुपये थी और निर्मुक्ति 1487.78 लाख रुपये थी (छिटपुट परियोजनाओं हेतु निर्मुक्ति सहित)।

(ग) स्वीकृत धनराशि तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के पास लंबित प्रस्ताव का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

वर्ष 2004-05 में कृषि-प्रसंस्करण परियोजना हेतु स्वीकृत और निर्मुक्त निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	क्रियाकलाप	स्वीकृत धनराशि	निर्मुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	चीनी मिलें	9600.00	9600.00
		खाद्यान्न	112.04	
2.	गुजरात	चीनी मिलें	13400.00	1512.65
3.	कर्नाटक	चीनी मिलें	3200.00	2827.29
4.	केरल	कताई मिलें जिसमें पावरलूम	2616.30	2083.00
		बागानी फसलें शामिल हैं	50.3433	
5.	मध्य प्रदेश	कताई मिलें जिसमें पावरलूम शामिल हैं	1500.00	1100.00
6.	महाराष्ट्र	चीनी मिलें	1466.90	1459.93
		कार्यशील पूंजी वित्त		1500.00
			660.4	
		खाद्यान्न	222.65	
		फल एवं सब्जियां	328.50	
		कताई मिलें		5245.29
		बुनकर सहकारी मिलें		1125.00
		अन्य प्रसंस्करण यूनिटें		2185.09
		पावरलूम यूनिटें		2440.75
7.	मेघालय	बागानी फसलें	13.30	6.65
8.	उड़ीसा	कताई मिलें	—	9.50
9.	राजस्थान	पावरलूम सहित कताई मिलें	4046.54	1465.37

1	2	3	4	5
10.	तमिलनाडु	चीनी मिलें	8620.00	8620.00
11.	उत्तर प्रदेश	चीनी मिलें	6000.00	400.00
12.	पश्चिम बंगाल	कताई मिलें	—	15.30
13.	छत्तीसगढ़	चीनी मिलें	3047.00	—

विवरण II

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	स्कीम	क्रियाकलाप	स्वीकृत धनराशि		एनसीडीसी के साथ लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा
				2003-04	2004-05	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम	चावल मिल	–	112.04	
			आईसीडीपी	2.75	–	
			पशुधन			प्रक्रियाधीन प्रस्ताव
2.	गुजरात	ग्रामीण भण्डारण	गोदाम	105.70	143.81	
		योजना	भण्डारण			प्रक्रियाधीन प्रस्ताव
3.	कर्नाटक	उत्पादक और बुनकर सहकारी कताई मिलों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम	प्रसंस्करण (कताई-पुनर्स्थापन)	855.00	–	
		ग्रामीण भण्डारण योजना	गोदाम	3.15	49.71	
4.	केरल	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम	आईसीडीपी	109.00	–	
		ऋण से जुड़ी हुई पूंजी निवेश राजसहायता	गोदाम (जनजातीय)	–	2.225	
		ग्रामीण भण्डारण योजना	गोदाम	20.79	18.88	

1	2	3	4	5	6	7
5.	मध्य प्रदेश	ग्रामीण भण्डारण योजना	गोदाम	143.98	10.50	
6.	महाराष्ट्र	ग्रामीण भण्डारण योजना	गोदाम भण्डारण	2087.20	–	प्रक्रियाधीन प्रस्ताव
7.	मेघालय	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम	मसालों का प्रसंस्करण	–	13.30	
			डेयरी	–	25.70	
		ग्रामीण भण्डारण योजना	गोदाम	–	13.50	
8.	उड़ीसा	उत्पादक और बुनकर सहकारी कताई मिलों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम	प्रसंस्करण (जी एंड पी यूनिटों के लिए कार्यशील पूंजी) फल एवं सब्जियां	200.00	–	प्रक्रियाधीन प्रस्ताव
9.	राजस्थान	उत्पादक और बुनकर सहकारी कताई मिलों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम	प्रसंस्करण (2 यूनिटों के लिए कताई पुनर्स्थापना)	–	4046.54	
			गोदाम	11.75	4.13	
		ग्रामीण भण्डारण योजना	डेयरी	–	76.46	
		केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम				
10.	तमिलनाडु	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम	आईसीडीपी	2.50	–	
		ग्रामीण भण्डारण योजना	गोदाम भण्डारण	–	53.97	प्रक्रियाधीन प्रस्ताव
11.	उत्तर प्रदेश	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम	आईसीडीपी	–	8.50	
		ग्रामीण भण्डारण योजना	गोदाम भण्डारण	1918.49	–	प्रक्रियाधीन प्रस्ताव

1	2	3	4	5	6	7
12.	प. बंगाल	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम	मात्स्यिकी कुक्कुटपालन आईसीडीपी	788.97 61.00 0.90	829.77 –	प्रक्रियाधीन प्रस्ताव
13.	छत्तीसगढ़	ग्रामीण भण्डारण योजना	गोदाम	174.15	–	
14.	जम्मू-कश्मीर	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम ग्रामीण भण्डारण योजना	कुक्कुटपालन आईसीडीपी गोदाम	– 206.00 28.80	391.50 – –	
15.	मणिपुर	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम	कुक्कुटपालन डेयरी पशुधन	–	69.60	प्रक्रियाधीन प्रस्ताव
16.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम	जनजातीय विकास	–	27.522	
17.	उत्तरांचल	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम	आईसीडीपी	6.45	–	
		ग्रामीण भण्डारण योजना	गोदाम	36.00	13.50	
18.	असम	ग्रामीण भण्डारण योजना	गोदाम	–	8.00	
19.	हिमाचल प्रदेश	ग्रामीण भण्डारण योजना	गोदाम	–	24.00	
20.	दिल्ली	ग्रामीण भण्डारण योजना	गोदाम	15.00	–	
21.	पंजाब	ग्रामीण भण्डारण योजना	गोदाम	–	274.74	
22.	हरियाणा	ग्रामीण भण्डारण	गोदाम	–	76.22	

बाल श्रमिकों का पुनर्वास

2102. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:**
श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री सुनिल कुमार महतो:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में, विशेषकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और झारखंड में खतरनाक उद्योगों में लगे बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए शुरू किये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजन हेतु कोई राशि स्वीकृत की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा बाल श्रमिकों के हित में कार्यान्वित किये जा रहे कल्याणकारी उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ये उपाय कितने सफल हुए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं से हटाए गए बच्चों का पुनर्वास करने की दृष्टि से, सरकार देश के 21 राज्यों के 250 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम लागू कर रही है जिसमें महाराष्ट्र के 13, उत्तर प्रदेश के 41 और झारखण्ड के 9 जिले शामिल हैं। स्कीम के अंतर्गत, बाल श्रमिकों को नियमित स्कूल शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में लाने से पहले उन्हें ब्रिजिंग शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष स्कूल स्थापित किए गए हैं।

(ख) जी हां।

(ग) विवरण संलग्न है।

(घ) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु प्रमुख स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए विशेष स्कूल/पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जो रोजगार से हटाए गए बच्चों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करते हैं:

* औपचारिक/अनौपारिक शिक्षा,
* व्यावसायिक प्रशिक्षण,
* 5 रुपये प्रति बालक की दर से अनुपूरक पोषणाहार,
* रोजगार से हटाए गए बच्चों को 100 रुपये प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति,
* स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाएं।

(ङ) इन विशेष स्कूलों की कार्यप्रगति को नियमित निरीक्षणों और विवरणियों के माध्यम से मानीटर किया जाता है तथा इन प्रयासों के काफी सफल परिणाम निकले हैं।

विवरण

वर्ष 2005-06 के दौरान राज्य-वार जारी की गयी निधियां (30.7.2005 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	2005-06 के दौरान जारी की गयी निधियां
1.	आन्ध्र प्रदेश	123076664
2.	असम	12468000
3.	बिहार	17152500
4.	छत्तीसगढ़	29668000
5.	गुजरात	859000
6.	हरियाणा	1718000
7.	झारखंड	17551000
8.	कर्नाटक	20090400
9.	मध्य प्रदेश	27688200
10.	महाराष्ट्र	8612600
11.	उड़ीसा	81371400
12.	पंजाब	9158400
13.	राजस्थान	49238700
14.	तमिलनाडु	58699800
15.	उत्तर प्रदेश	16401000
16.	उत्तरांचल	592000
17.	पश्चिम बंगाल	56266500
	कुल	530612164

[अनुवाद]

अधिक उपज देने वाली संकर किस्मों का प्रयोग

2103. श्री महबूब जाहेदी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) ने सिफारिश की है कि किसान अधिक उपज देने वाली संकर किस्मों का प्रयोग करें;

(ख) यदि हां, तो विस्तार सेवाओं के त्रुटिपूर्ण होने के साथ-साथ किसानों तक प्रभावी ढंग से आई.सी.ए.आर. और अन्य सरकारी क्षेत्रों के संगठनों की असमर्थता के कारण सरकार को निजी क्षेत्र पर निर्भर होने पर बाध्य होना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो क्या संकरण जैसी प्रक्रियाएं ऐसा प्रौद्योगिकीय साधन है जो बीज को स्वयं उगने से रोकता है;

(घ) क्या संकर किस्में हू-ब-हू बीज का उत्पादन नहीं करती है और किसान प्रत्येक वर्ष नए बीज भंडार के लिए बीज प्रजनक के पास जाते हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.) की प्राथमिक भूमिका प्रजनक बीज का उत्पादन करता है। मूल और प्रामाणिक बीज का उत्पादन राज्य की एजेन्सियों के माध्यम से किया जाता है। इस संबंध में सरकार की मांग के अनुसार और प्राय: प्रस्तुत की गई मांग से ज्यादा प्रजनक बीज का उत्पादन करने में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद समर्थ रही है। सार्वजनिक प्रणाली में सरकार नियमित रूप से बीज उत्पादन को प्रायोजित कर रही है।

(ग) संकर किस्म वाली फसल की कटाई पृथक्करण के कारण अगली पीढ़ी में समान प्रकार के 'वास्तविक स्वरूप के बीज' पैदा नहीं कर पाती। भारत सरकार ने किसी प्रकार की टर्मिनेटर प्रौद्योगिकी की अनुमति नहीं दी है जो बीज को स्वयं पुनरुत्पादित करने में बाधा उत्पन्न करती हो।

(घ) और (ङ) यह जाना जाता है कि संकर किस्में अपनी प्रथम पीढ़ी में बेहतर परिणाम देती हैं और बाद में पृथक हो जाती हैं। अगली पीढ़ी में समान पैदावार नहीं होती इसलिए किसानों को प्रत्येक वर्ष संकर किस्मों के बीज खरीदने पड़ते हैं।

दिल्ली में जल स्तर

2104. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली के जल स्तर के नीचे चले जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या गैर-नियोजित ढंग से कुआं आदि खुदवाने और समर्सिबल पंप लगाने के कारण जल स्तर काफी नीचे चला गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार दिल्ली को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने हेतु अन्य विकसित देशों की तरह वैज्ञानिक जल प्रबंधन प्रणाली अपनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विभिन्न उपयोगों के लिए जल मांग को पूरा करने के लिए भूजल की अत्यधिक निकासी, शहरीकरण इत्यादि के कारण खुले स्थान की अनुपलब्धता के कारण घटे हुए प्राकृतिक पुनर्भरण समेत विभिन्न कारणों से दिल्ली के विभिन्न स्थानों में भू-जल स्तर कम हो गया है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा एकत्र किए गए जल स्तर आंकड़ों के अनुसार 1995-2004 के पिछले दशक के दौरान दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम और नई दिल्ली जिलों के जल स्तरों में महत्वपूर्ण गिरावट (20 सेमी. प्रति वर्ष से अधिक) आई है।

(घ) और (ङ) दिल्ली जल बोर्ड ने सूचित किया है कि दिल्ली में जल के वितरण को नियंत्रित करने के लिए बल्क/उपभोक्ता मीटरिंग, प्रसारण/वितरण तंत्र के मानचित्रों का अंकीकरण, प्रसारण और वितरण तंत्र का पुनर्स्थापन और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) का उपयोग, आधुनिक रिसाव संसूचन उपकरणों का उपयोग और जल लेखा परीक्षा आदि उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमता को एक चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा रहा है। घटते हुए भू-जल स्तरों की स्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय भूमि जल बोर्डों ने भू-जल विकास और प्रबंधन के

नियमितीकरण के लिए दिल्ली के दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम जिलों को अधिसूचित किया है। इसके साथ ही, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सी.जी.डब्ल्यू.बी.), वर्षा जल संचयन और भू-जल के कृत्रिम पुनर्भरण को अपनाने हेतु प्रसार कर रहा है। इस संबंध में सी.जी.डब्ल्यू.बी. द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और वर्षा जल संचयन ढांचों के डिजाइन के विषय में तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

फाइव स्टार होटलों का परिचालन

2105. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली/नई दिल्ली में फाइव स्टार होटलों का परिचालन औद्योगिक गतिविधि के अंतर्गत आता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली के पांच किलोमीटर की परिधि में स्थित होटलों का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) देश में पांच सितारा सहित सभी होटलों को, संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों और केन्द्र सरकार के नियमों, विनियमों और कानूनों द्वारा विनियमित किया जाता है।

(ग) इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, नई दिल्ली के पांच किलोमीटर की परिधि में निम्नलिखित होटल स्थित हैं:

1. रेडीसन होटल दिल्ली	–	5 सितारा डीलक्स
2. उप्पल आर्चिड	–	5 सितारा
3. सेन्ट्रर होटल	–	5 सितारा

[हिन्दी]

जल की कमी

2106. श्री सुनिल कुमार महतो:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में, विशेषकर झारखंड और महाराष्ट्र के जिलों में गिरते जल स्तर के कारणों का पता लगाने हेतु कोई गहन सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिले-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सिंचाई के लिए जल स्रोतों की कमी की समस्या से निपटने हेतु कोई कार्य योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय के तहत केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सी.जी.डब्ल्यू.बी.) द्वारा वर्ष 1995-2004 के दौरान किए गए भूजल स्तरों के दीर्घकालीन विश्लेषण से देश के झारखंड और महाराष्ट्र राज्यों सहित विभिन्न राज्यों के जिलों के कुछ हिस्सों में भूजल स्तरों में गिरावट का पता चलता है। ऐसे राज्यों/जिलों के नाम जिनमें पिछले 10 वर्षों (1995-2004) में जल स्तर में गिरावट वाले स्थान हैं, संलग्न विवरण में दिए गए हैं। भूजल स्तर में गिरावट के मुख्य कारण शहरीकरण की तेज गति, कृषि, औद्योगिक, घरेलू प्रयोजनों के लिए बढ़ती हुई मांग, फसल प्रणाली में परिवर्तन, भूजल की अत्यधिक निकासी, कम वर्षा इत्यादि हैं।

(ग) और (घ) जल राज्य का विषय होने के कारण जल संसाधनों के संवर्धन के लिए योजनाओं का प्रतिपादन करना मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों का दायित्व है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने "भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर योजना" नामक एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें 39.25 लाख कृत्रिम पुनर्भरण और छत के वर्षा जल संचयन संबंधी संरचनाओं के निर्माण के माध्यम से 36453 मिलियन घनमीटर अधिशेष मानसून अपवाह के पुनर्भरण की योजना है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने आठवीं योजना और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में भूजल के पुनर्भरण के अध्ययन के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम को कार्यान्वित किया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के शेष अवधि के दौरान भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन के लिए 175 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने एक स्कीम का भी प्रस्ताव किया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित उपाय भी किए गए हैं:

(1) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 1970 में एक माडल बिल का परिचालन किया गया जिसे 1992 और 1996 में पुन: परिचालित किया गया ताकि वे भूजल विकास के विनियमन और नियन्त्रण के लिए उपयुक्त कानून बना सकें। भूजल के विकास और प्रबंधन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए एक संशोधित माडल बिल, 2005 सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पुन: परिचालित किया गया है।

(2) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मैन्युअल/दिशा निर्देशों का परिचालन करना ताकि वे भूजल स्तरों में गिरावट के रुख को रोकने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमें तैयार कर सकें।

(3) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत गठित केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सी.जी.डब्ल्यू.ए.) ने भूजल संसाधनों के अतिदोहन को ध्यान में रखते हुए 11 नाजुक क्षेत्रों और भूजल संरचनाओं के पंजीकरण के लिए 32 अतिदोहित क्षेत्रों को अधिसूचित किया है।

(4) युवा और बच्चों, महिलाओं, किसानों तथा ग्रामवासियों, नीति और विचारकर्त्ताओं जैसे विभिन्न लक्षित समूहों को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण अभियान चलाया गया है। इस प्रयोजन के लिए प्रिंट मीडिया द्वारा प्रचार, दूरदर्शन पर स्पाट का प्रसारण, रेडियो पर संदेशों का प्रचार-प्रसार, सेमिनारों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों आदि का आयोजन किया गया है।

विवरण

मानसून पूर्व अवधि के दौरान विगत 10 वर्षों (1995-2004) में जल स्तर (भागों में) की गिरावट दर्शाने वाले जिलों के नाम

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गिरावट का रुख दर्शाने वाले जिले (20 सेमी. प्रति वर्ष से अधिक)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	आदिलाबाद, अनंतपुर, चित्तूर, कुडप्पा, पूर्वी गोदावरी, गुन्टूर, हैदराबाद, करीमनगर, खम्माम, कृष्णा, कुरनूल, महबूबनगर, मेडक, नलगोंडा, नेल्लोर, निजामाबाद, प्रकाशम, रंगारेड्डी, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, विजियानगरम, वारंगल, पश्चिम गोदावरी
2.	असम	जोरहाट, नगांव, सोनितपुर
3.	बिहार	भागलपुर, पूर्वी चंपारन, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, सहरसा, सारन
4.	छत्तीसगढ़	बस्तर, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, जंजगीर-चंपा, कांकेर, कावर्धा, कोड़िया, महासमन्द, रायगढ़, रायपुर, राजनंदगांव, सरगुजा
5.	दिल्ली	नई दिल्ली, उत्तर पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम
6.	गुजरात	अहमदाबाद, अमरेली, बनासकांठा, भरूच, भावनगर, डांग्स, गांधीनगर, जामनगर, जूनागढ़, खेड़ा, कच्छ, मेहसाना, पंचमहल, राजकोट, साबरकांठा, सूरत, सुरेन्द्रनगर, वड़ोदरा, वलसाड
7.	हरियाणा	अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुड़गांव, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, पानीपत
8.	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सिरमुर, सोलन, ऊना
9.	झारखंड	धनबाद, दुमका, हजारीबाग, लोहरदगा, पश्चिम सिंहभूम, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, रांची
10.	जम्मू-कश्मीर	जम्मू, कथुआ, राजौरी, ऊधमपुर
11.	कर्नाटक	बगलकोट, बंगलोर, बेलगाम, बेल्लारी, बीदर, बीजापुर, चामराजनगर, चिकमगलूर, चित्रदुर्ग, कूर्ग, दक्षिण कन्नड़, धारवाड़, गदग, गुलबर्गा, हासन, हवेली, कोलार, कोप्पल, मंड्या, मैसूर, रायचूर, शिमोगा, तमकुर, उडुपी, उत्तर कन्नड़
12.	केरल	इडुकी, कनूर, कसरगोड, कोल्लम, कोट्टायाम, मल्लापुरम, पलाक्काड, तिरूवनंतपुरम, थ्रीसूर, वायनाड

1	2	3
13.	मध्य प्रदेश	बरवानी, बालाघाट, बेतुल, भिंड, भोपाल, छत्तरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, धार, दिनधोरी, गुना, ग्वालियर, हरदा, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खंडवा, मंदसौर, मुरैना, मंडला, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, सीवनी, शहडोल, शाजापुर, शिवपुर, शिवपुरी, सिंधी, टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया, विदिशा, नीमार पश्चिम
14.	महाराष्ट्र	अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, भंडारा, बुलढाना, चंद्रपुर, धुले, गडचिरौली, गोंडिया, हिंगोली, जलगांव, जालना, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई, नागपुर, नांदेड, नंदुरबार, नासिक, उस्मानाबाद, परभनी, पुणे, रायगड, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, ठाणे, वर्धा, वासिम, यवतमल
15.	उड़ीसा	अंगुल, बालेश्वर, बारगढ़, कटक, धेनकनाल, गंजम, जाजपुर, झारसुगुडा, कालाहांडी, कोरापुट, केंदुझार, मयूरभंज, नवापाड़ा, फुलबनी, पुरी, रायगदा, संबलपुर, सुंदरगढ़
16.	पंजाब	अमृतसर, भटिंडा, फरीदकोट, फतेहगढ़, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, मनसा, मोगा, नवाशहर, पटियाला, रोपड़, संगरूर
17.	राजस्थान	अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बरन, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चुरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झालवाड़, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर
18.	तमिलनाडु	चेन्नई, कोयंबटूर, कुड्डालोर, धरमपुरी, डिंडीगुल, इरोड, कांचीपुरम, कन्याकुमारी, कराईकल, करूर, मदुरई, नमक्कल, नीलगिरि, पेरम्बलुर, रामनाथपुरम, सलेम, शिवगंगा, तंजावूर, थेनी, तिरूचिरापल्ली, तिरूनेलवेली, तिरूवल्लूर, तिरूवन्नामलाई, तूतीकोरिन, वेल्लोर, विल्लुपुरम, विरुधनगर
19.	उत्तर प्रदेश	आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, औरैया, आजमगढ़, बदायूँ, बागपत, बलिया, बिजनौर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, फतेहपुर, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, गोंडा, हमीरपुर, हाथरस, जालौन, झांसी, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सहारनपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव
20.	उत्तरांचल	देहरादून, हरिद्वार
21.	पश्चिम बंगाल	बांकुड़ा, बर्द्धमान, बीरभूम, हावड़ा, हुगली, पूर्वी मेदिनीपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, पुरूलिया दक्षिण-24 परगना, पश्चिमी मेदिनीपुर
22.	दादरा एवं नगर हवेली	दादरा एवं नगर हवेली
23.	पांडिचेरी	पांडिचेरी

प्रोजेक्ट टाइगर

2107. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रोजेक्ट टाइगर किस तिथि को शुरू किया गया था;

(ख) इस परियोजना को शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या प्रोजेक्ट टाइगर अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) बाघ परियोजना 2 अप्रैल 1973 को शुरू की गई थी।

(ख) परियोजना का उद्देश्य वैज्ञानिक, आर्थिक, सौन्दर्यपरक, सांस्कृतिक एवं पारिस्थितिकीय महत्व के लिए भारत में बाघों की व्यवहार्य संख्या को बनाए रखना और लोगों के लाभ, शिक्षण और मनोरंजन के लिए जैवीय महत्व के क्षेत्रों के हमेशा के लिए राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित करना है।

(ग) जी नहीं। बाघ परियोजना ने निश्चय ही खतरे में पड़े बाघों को अभिनिर्धारित रिजर्वों के भीतर इनकी संख्या बढ़ाने का कार्य किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारत सरकार ने बाघ संरक्षण के अनेक उपाय किए हैं जो संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1. चालू वित्त पोषण स्कीमें

बाघ सहित वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा प्रदान कराने के उद्देश्य से राज्यों की क्षमता एवं अवसंरचना को बढ़ाने के लिए "बाघ परियोजना", "राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों को सहायता" और "हाथी परियोजना" जैसी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

2. किए गए कानूनी उपाय:

(1) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत वन्यजीवों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है अधिनियम में संशोधन किया गया है और इसे अधिक कड़ा बनाया गया है।

(2) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा दायर करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

3. प्रशासनिक एवं अन्य उपाय

(1) प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भारतीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा जनवरी 2002 में एक राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2002-16 अपनाई गई है। योजना में देश में वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए कार्यनीति तैयार की गई है।

(2) भारत सरकार ने वन्यजीवों और उनके उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए देश के मुख्य निर्यात और व्यापार केन्द्रों में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए क्षेत्रीय एवं उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं।

4. अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन

भारत ने जैव विविधता संरक्षण और वन्य वनस्पति जाति और प्राणी जाति के अवैध व्यापार पर नियंत्रण संबंधी अनेक अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

5. द्विपक्षीय समझौते:

भारत के वन्यजीवों के सीमापार व्यापार पर नियंत्रण के लिए नेपाल और चीन के साथ द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

6. विश्व बाघ फोरम:

बाघ संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मामलों से निपटाने के लिए बाघ वाले देशों का एक विश्व बाघ फोरम तैयार किया गया है।

7. जन समर्थन प्राप्त करने के लिए किए गए उपाय:

* पारि विकास के लिए पूरक निवेश और पूर्व की पृथक स्वैच्छिक ग्राम पुनर्वास परियोजनाओं को "अम्ब्रेला स्कीम" के रूप में बाघ परियोजना में मिला दिया गया है।

* बाह्य सहायता प्राप्त "भारत पारि-विकास परियोजना" के अंतर्गत सात सुरक्षित क्षेत्रों में (जिसमें छह बाघ रिजर्व शामिल हैं) 572 पारि विकास समितियां गठित की गई हैं जिसमें पारस्परिक वचनबद्धताओं के साथ सुरक्षित क्षेत्र संसाधनों पर स्थानीय जनता की निर्भरता को कम करने के लिए 75,600 परिवार शामिल हैं। इस परियोजना के 2004 में पूरा होने तक 6 बाघ रिजर्वों के लिए राज्यों को 15,692.30 लाख रुपए की राशि दी गई है।

8. टास्क फोर्स का गठन

बाघ रिजर्वों के प्रबंधन की पुनरीक्षा और सुधार के लिए विभिन्न उपाय करने के लिए पांच सदस्यों वाले एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

9. शुरू किए गए अन्य उपाय:

* बाघ परियोजना में शामिल करने के लिए आठ और संभावित स्थलों का अभिनिर्धारण किया गया है।

* स्कीम के अंतर्गत बाघ रिजर्वों में कार्यरत फील्ड कर्मचारियों को "परियोजना भत्ता" दिया जाता है।

* मंत्रालय के नियामक मानकों के अनुसार एक विशेषज्ञ दल द्वारा बाघ रिजर्व की क्षेत्रीय मानीटरिंग की गई है।

* अनुसंधान, पशुपालन, मानीटरिंग और आंकलन, कर्तव्य निर्वहन करते समय मारे गए स्टाफ व्यक्तियों के कानूनन हकदारों को क्षति पूर्ति और बाघ संख्या की निगरानी से संबंधित व्यय के अलावा बाघ रिजर्वों में शिकार रोधी स्ट्राइक दल तैनात करने के लिए 100% केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

* वैब से सूचना एकत्र करके एक प्रबंधन सहायता और अपराध का पता लगाने की प्रणाली तैयार करने एवं क्षेत्रीय प्रोटोकाल के साथ "राष्ट्रीय बाघ मानीटरिंग एंड वासस्थल मूल्यांकन प्रणाली" तैयार करने के लिए जी.आई.एस. क्षेत्र में महत्वपूर्ण बाघ रिजर्वों को आपस में जोड़ने के उद्देश्य से सूचना एवं संचार तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है।

* बाघ परियोजना के आवंटन का नौवीं योजना में 7500 लाख रुपए से बढ़ाकर दसवीं योजना में 15,000 लाख रुपए कर दिया गया है।

* सूचनाओं को पुन: एकत्रित करने को सुविधाजनक बनाने के लिए वासस्थल विखण्डन का राष्ट्रीय स्तर पर आकलन किया गया है।

[अनुवाद]

प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयां

2108. **श्री दलपत सिंह परस्ते:**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री एम. अंजनकुमार यादव:
श्री अनंत नायक:
श्री परसुराम माझी:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री वी.के. दुग्गर:
श्री के. सुब्बारायण:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जल और वायु प्रदूषण फैलाने वाली कितनी औद्योगिक इकाइयां हैं;

(ख) क्या सरकार ने उन औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध संबद्ध अधिनियमों के अंतर्गत कोई मामला दर्ज किया है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी इकाइयों के बंद/स्थानान्तरण होने के परिणामस्वरूप प्रभावित कर्मचारियों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

घाना राष्ट्रीय अभ्यारण्य को कायम रखने का प्रस्ताव

2109. **श्री हरिभाऊ राठौड़:**
श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भरतपुर स्थित घाना राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य को कायम रखने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस प्रस्ताव की स्वीकृति में विलंब के कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) जी, हां।

(ख) प्रति वर्ष राजस्थान राज्य सरकार "राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों का विकास" केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के विकास के लिए वित्तीय सहायता हेतु वार्षिक प्रचालन योजना भेजती है। पिछले तीन वर्षों में जारी की गई निधियां निम्न प्रकार हैं:

वर्ष	लाख रुपयों में
2002-2003	27.50
2003-2004	17.31
2004-2005	52.92

इसके अलावा, मंत्रालय में प्राप्त केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जल आपूर्ति हेतु डेडिकेटिड पाईपलाईन के लिए परियोजना प्रस्ताव योजना आयोग को भेजे गए हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बाढ़ प्रबंध के संबंध में गठित कृतिक बल

2110. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाढ़ प्रबंध के संबंध में गठित कृतिक बल ने असम तथा पूर्वोत्तर राज्यों के अन्य भागों में सदा आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए असम तथा ब्रह्मपुत्र नदी के जल भराव वाले क्षेत्रों में बांधों का निर्माण किये जाने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कुल कितनी लागत लगेगी?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) कार्यबल ने यह सिफारिश की है कि वार्षिक रूप से आने वाली बाढ़ से असम, उत्तर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बाढ़ की समस्याओं का दीर्घकालिक समाधान ब्रह्मपुत्र, इसकी वितरिकाओं, बराक तथा गंगा की वितरिकाओं पर अपेक्षित आवंटित बाढ़ कुशन सहित पर्याप्त क्षमता वाले भण्डारण जलाशयों, चाहे भारत में अथवा नेपाल में, के सृजन पर निर्भर करता है। आवाह क्षेत्र के संबंध में कार्यबल ने सिफारिश की है कि विभिन्न विकास प्राधिकरणों और राज्यों द्वारा प्रारम्भ की गई/प्रारंभ किये जाने के लिए प्रस्तावित आवाह प्रबन्धन/उपचार योजनाओं को वाटरशेड प्रबंधन योजनाओं में समेकित एवं शामिल किया जाना चाहिये।

(ख) ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी वितरिकाओं पर दीर्घकालिक उपायों के रूप में अभिज्ञात स्कीमों/परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। उपरोक्त सुझाव दिए गए उपायों में शामिल लागत का इस कार्यबल द्वारा आकलन नहीं किया गया है।

विवरण

ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी वितरिकाओं पर दीर्घकालिक उपायों के रूप में अभिज्ञात स्कीमों/परियोजनाओं का ब्यौरा

ब्रह्मपुत्र की मुख्य वितरिकायें जो इसके प्रवाह में पर्याप्त ढंग से योगदान करती हैं, वे सियांग (37.45 प्रतिशत), सुवनसिरी 10.66 प्रतिशत, लोहित (9.50 प्रतिशत), दिवांग (7.65 प्रतिशत) और कामेंग (5.84 प्रतिशत) हैं। ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा तैयार की गई मास्टर योजना के अनुसार ब्रह्मपुत्र में हर वर्ष आने वाली बाढ़ से असम की निरंतर समस्याओं का स्थाई समाधान ब्रह्मपुत्र की वितरिकाओं पर अपेक्षित आवंटित बाढ़ भण्डारण क्षमता सहित पर्याप्त क्षमता वाले भण्डारण जलाशयों के सृजन पर निर्भर करता है। ब्रह्मपुत्र की मुख्य वितरिकाओं और उन पर भण्डारण स्कीमों को निम्नानुसार अभिज्ञात किया गया है:

1.	सियांग नदी	20,000 मिलियन घन मी. सकल क्षमता (लगभग) के प्रस्तावित जलाशयों सहित अरूणाचल प्रदेश में सियांग बेसिन परियोजनायें। इसमें तीन परियोजनायें अर्थात् ऊपरी सियांग, मध्य सियांग और निचली सियांग शामिल हैं जोकि एकल बांध परियोजना के विकल्प के रूप में सामने आई।
2.	सुबनसिरी नदी	4800 मिलियन घन मी. सकल क्षमता (लगभग) के प्रस्तावित जलाशयों सहित अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी बेसन परियोजनायें। इसमें तीन परियोजनायें अर्थात ऊपरी सुबनसिरी, मध्य सुबनसिरी और निचली सुबनसिरी शामिल हैं जोकि एकल बांध परियोजना के विकल्प के रूप में सामने आई।
3.	दिबांग नदी	3600 मिलियन घन मी. सकल क्षमता (लगभग) के प्रस्तावित जलाशय सहित अरुणाचल प्रदेश में दिबांग बांध परियोजना।
4.	लोहित नदी	5100 मिलियन घन मी. सकल क्षमता (लगभग) के प्रस्तावित जलाशय सहित अरुणाचल प्रदेश में लोहित बांध परियोजना।

इसके अतिरिक्त ब्रह्मपुत्र की अन्य वितरिकाओं पर कई अन्य स्कीमें हैं जिनका ब्यौरा नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

वितरिका	मुख्य नदी	सकल भण्डारण (एमसीएम)
1	2	3
नोआ-देहिंग	ब्रह्मपुत्र	57
जियाढ़ाल	ब्रह्मपुत्र	1344

1	2	3
डिकरोंग	ब्रह्मपुत्र	-
कामेंग	जियाभराली	6500*
धनसिरी (एस)	ब्रह्मपुत्र	1500*
पगलादिया	ब्रह्मपुत्र	313
मानस	ब्रह्मपुत्र	920*
अई	ब्रह्मपुत्र	-
किलिंग	ब्रह्मपुत्र	56
कुलसी	ब्रह्मपुत्र	795
दिखु	ब्रह्मपुत्र	1000*
धनसिरी (एन)	ब्रह्मपुत्र	-
जांजी	ब्रह्मपुत्र	300*
कोपिली-कोलोंग	ब्रह्मपुत्र	1620*

*मास्टर योजना में दर्शाये गए अनुसार भण्डारण क्षमता।

विदेशों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं

2111. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेषकर कर्नाटक में विदेशों द्वारा वित्तपोषित की जा रही/वित्तपोषण के लिए प्रस्तावित कृषि परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) चल रही ऐसी प्रत्येक कृषि परियोजनाओं की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या किन्हीं राज्य सरकारों, विशेषकर कर्नाटक सरकार से विदेशी सहायता प्राप्त करने के संबंध में कोई नये प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

साहसिक पर्यटन

2112. **श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज):** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में, विशेषकर उत्तरांचल में साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु कोई कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान इसके लिए राज्य सरकारों को कितनी राशि आवंटित/जारी की गई?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय, देश में निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत, एक विशेष वित्तीय वर्ष में पारस्परिक प्राथमिकता, गुण-दोष और निधियों की उपलब्धता के आधार पर, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के अवसंरचनात्मक परियोजना प्रस्तावों की, उनके परामर्श से, केन्द्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता करता है:

1. पर्यटक परिपथों का एकीकृत विकास
2. उत्पाद/अवसंरचना और गंतव्य विकास
3. भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं के लिए सहायता।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तरांचल के दयारा-बुग्याल परिपथ में शीत पर्यटन के विकास के लिए शीत क्रीड़ा उपकरणों की खरीद हेतु एक परियोजना के लिए, 107.52 लाख रुपए की प्रथम किश्त जारी करने के साथ 134.41 लाख रुपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है।

सिंचित भूमि

2113. **श्री हरिकेवल प्रसाद:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक उत्तर प्रदेश में कुल कितना क्षेत्र असिंचित है; और

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक राज्य में कितनी अतिरिक्त भूमि के सिंचित हो जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) कृषि मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के

अनुसार नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में उत्तर प्रदेश में निवल बुआई क्षेत्र 16.81 मिलियन हेक्टेयर आंका गया था जिनमें से अभिंचित क्षेत्र 4.42 मिलियन हेक्टेयर था।

(ख) राज्य सरकार ने वृहद एवं मध्यम के अंतर्गत 1.00 मिलियन हेक्टेयर तथा लघु सिंचाई के अंतर्गत 3.62 मिलियन हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता के सृजन का लक्ष्य प्राप्त करने की सूचना दी है।

[अनुवाद]

बाल श्रम परियोजना की समीक्षा

2114. श्री जुएल ओराम: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार अब तक कितनी राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं स्थापित की गई हैं;

(ख) क्या उड़ीसा सहित राज्यों की इन बाल श्रम-परियोजनाओं की गतिविधियों की समीक्षा हेतु कोई कदम उठाया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना योजना का विस्तार कर इसके दायरे में 250 जिलों को लाया गया है। इन परियोजनाओं की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में है।

(ख) और (ग) सरकार निरीक्षणों, आवधिक विवरणियों तथा समीक्षा बैठकों के जरिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करती है। 2005 के दौरान, इन परियोजनाओं की क्षेत्रीय स्तर पर समीक्षा की गई ताकि इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गति बढ़ाई जा सके।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिले का नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	अनन्तपुर, चित्तूर, कोडप्पा, पूर्वी गोदावरी, गुन्टूर, हैदराबाद, करीमनगर, कुरनूल, मेडक, नलगोन्डा, खम्माम, नेल्लूर, निजामाबाद, प्रकासम, रंगारेड्डी, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, वारंगल, पश्चिमी गोदावरी, महबूब नगर, आदिलाबाद तथा कृष्णा (23 जिले)
2.	बिहार	नालंदा, सहरसा, जमुई, कटिहार, अररिया, गया, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, मधेपुरा, पटना, सुपौल, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, नवादा, खगड़िया, सीतामढ़ी, किशनगंज, बेगूसराय, बांका, सारण, पूर्णिया तथा भागलपुर (24 जिले)
3.	झारखंड	गढ़वा, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, पश्चिम सिंहभूमि (चाईबासा), गुमला, पलामू, रांची तथा हजारीबाग (9 जिले)
4.	कर्नाटक	बीजापुर, रायचूर, धारवाड़, बंगलौर, ग्रामीण, बंगलौर शहरी, बेलगाम, कोप्पल, टुमकूर, देवनगिरी, हवेरी, मैसूर, बगलकोट, चित्रदुर्गा, गुलबर्ग, बेल्लारी, कोलर तथा मांड्या (17 जिले)
5.	मध्य प्रदेश	मंदसौर, ग्वालियर, उज्जैन, बरवनी, रीवा, धार, पूर्वी निमार, राजगढ़, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, सिद्धि, गुना, बैतूल, शाजापुर, रतलाम, पश्चिमी निमार तथा झबुआ (17 जिले)
6.	छत्तीसगढ़	दुर्ग, बिलासपुर, राजनंदगांव, सरगुजा, रायगढ़, दांतेवाड़, रायपुर तथा कोरबा (8 जिले)
7.	महाराष्ट्र	शोलापुर, थाणे, पुणे, अहमदनगर, सांगली, कोल्हापुर, जलगांव, नांदुरवार, नांदेड़, नासिक, यवतमाल, धुले तथा बीड (13 जिले)
8.	उड़ीसा	अंगुल, बरगढ़, बोलनगिर, देवगढ़ राजपति (उदयगिरि), गंजम, झारसुगुडा, कालाहांडी, कोरापुट,

1	2	3
		मलकानगिरी, मयूरभंज, नवरंगपुर, नुआपाडा, रायागडा, सम्बलपुर, सोनपुर, कटक तथा बालासोर (18 जिले)
9.	राजस्थान	जयपुर, उदयपुर, टोंक, जोधपुर, अजमेर, अलवर, जालौर, चुरू, नागौर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, धौलपुर, सीकर, डुंगरपुर, भरतपुर, बीकानेर, झुंझनू, बूंदी, झालावाड़, पाली, भीलवाड़ा, गंगानगर तथा बाड़मेर (23 जिले)
10.	तमिलनाडु	चिदम्बरनार (तूतीकोरीन), कोयंबटूर, धरमापुरी, वेल्लूर, पुडोकोट्टाई, सलेम, तिरुचिरापल्ली, त्रिनूरवेल्ली, कृष्णागिरी, चेन्नै, इरोड, दिंदिगुल तथा तेनी (13 जिले)
11.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही, बुलंदशहर, सहारनपुर, आजमगढ़, मुजफ्फरनगर, गोंडा, खेरी, बहराईच, बलरामपुर, हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर, फैजाबाद, बदायूं, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, रायबरेली, उन्नाव, सुल्तानपुर, फतेहपुर, श्रावस्ती, प्रतापगढ़, बस्ती, सोनभद्र, मऊ, देवरिया, बांदा, गाजियाबाद, जौनपुर, रामपुर, बरेली, लखनऊ, मेरठ, इटावा, आगरा, गाजीपुर तथा मथुरा (41 जिले)
12.	पश्चिम बंगाल	बर्दवान, उत्तरी दीनाजपुर, दक्षिण दीनाजपुर, उत्तरी 24 परगना, दक्षिणी 24 परगना, मिदनापुर, मुर्शिदाबाद, कोलकाता, मालदा, बांकुरा, पुरुलिया, वीरभूम, नाडिया, हुगली, हावड़ा, जलपाईगुडी, कूचबिहार तथा पूर्वी मिदनापुर (18 जिले)
13.	पंजाब	जालंधर, लुधियाना तथा अमृतसर (3 जिले)
14.	जम्मू-कश्मीर	जम्मू, श्रीनगर तथा ऊधमपुर (3 जिले)
15.	अरुणाचल प्रदेश	लोअर सुबनसिरी (1 जिला)
16.	असम	नयागांव, कोकराझार तथा लखीमपुर (3 जिले)
17.	गोवा	गोवा (1 जिला)
18.	उत्तरांचल	देहरादून (1 जिला)
19.	गुजरात	सूरत, पंचमहल, भुज, बनसकांठा, दाहोड़, बड़ोदरा, भावनगर, अहमदाबाद तथा राजकोट (9 जिले)
20.	हरियाणा	गुड़गांव, फरीदाबाद तथा पानीपत (3 जिले)
21.	मिजोरम	आईजोल (1 जिला)

पर्यावरणीय शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम

2115. श्री सुरेश वाघमारे:
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से पर्यावरणीय शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम (ई.ई.ए.पी.) गति नहीं पकड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस परियोजना के अंतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है/उपयोग में लायी गयी है;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त कार्यक्रम के संबंध में वर्ष 2005-06 के लिए कुछ परियोजनाएं शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) मंत्रालय द्वारा पर्यावरण शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम नामक किसी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा रहा है। यद्यपि, मंत्रालय द्वारा पर्यावरण जागरूकता सृजन के उद्देश्य से प्रतिवर्ष गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में प्रतिवर्ष तेजी आ रही है जैसा कि इसकी संख्या में हो रही वृद्धि जो कि वर्ष 1986 में 115 भागीदार संगठनों से बढ़कर 2004 में 7588 हो गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान के अंतर्गत वर्ष 2004-05 के दौरान उपलब्ध करवाई गई सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान वर्ष 2005-06 के दौरान जारी रहेगा।

(ङ) इस कार्यक्रम के लिए राज्य विशिष्ट कोई आवंटन नहीं किया जाता है। आवंटन प्राप्त प्रस्तावों की संख्या और क्वालिटी पर निर्भर करता है।

विवरण

राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान के अंतर्गत 2004-05 में उपलब्ध करवाई गई सहायता का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	उपलब्ध करवाई गई सहायता (रु.)
1	2	3
1.	दिल्ली	4,61,000
2.	उत्तर प्रदेश	42,91,000
3.	उत्तरांचल	3,49,000
4.	जम्मू	7,69,000
5.	हिमाचल प्रदेश	6,77,000
6.	हरियाणा	10,86,000
7.	मध्य प्रदेश	39,03,000
8.	पंजाब	6,02,000
9.	बिहार	24,26,000
10.	झारखंड	10,41,000
11.	पश्चिम बंगाल	12,80,000
12.	आन्ध्र प्रदेश	35,58,500
13.	उड़ीसा	30,21,400
14.	असम	20,22,000
15.	त्रिपुरा	9,49,000
16.	मणिपुर	28,40,000
17.	कर्नाटक	20,01,000
18.	तमिलनाडु	32,49,000
19.	पांडिचेरी	1,50,000
20.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	38,000
21.	केरल	6,14,000
22.	महाराष्ट्र	35,04,000
23.	गोवा	16,500
24.	दादर व नगर हवेली	13,000
25.	गुजरात	12,76,000
26.	दमन व दीव	17,000
27.	राजस्थान	13,21,500
28.	छत्तीसगढ़	6,49,000

[हिन्दी]

मोरों को मारा जाना

2116. श्री महेश कनोडीया:
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कई भागों में मोरों को मारा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार मोरों को बचाने हेतु कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा): (क) सरकार के ध्यान में मोरों को मारे जाने की छिटपुट घटनाएं लाई गई हैं।

(ख) और (ग) मोरों को बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:

(1) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में मोर को शामिल करके उच्चतम सुरक्षा प्रदान की गई है। अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत मोर का शिकार प्रतिबंधित हैं।

(2) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में, सुरक्षित क्षेत्रों के बाहर प्राकृतिक वासस्थलों में रह रहे मोर सहित, पक्षियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के बाहर समुदाय और संरक्षण रिजर्वों को स्थापित करने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं।

(3) मोर का अवैध शिकार और इसके अंगों और उत्पादों के अवैध व्यापार के लिए दंड, कम से कम एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्षों तक और अधिकतम छह वर्षों से सात वर्षों तक बढ़ाया गया है। आदतन अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान बनाया गया है।

(4) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत वन्यजीव अपराधियों को गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सशक्त बनाया गया है।

(5) मोरों और अन्य चारा खाने वाले पक्षियों को असावधानी पूर्ण होने वाले नुकसान से बचाने के लिए रासायनिक कीटनाशकों के अव्यवस्थित और अविवेकपूर्ण प्रयोग को कम करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने एकीकृत कीट प्रबंधन का दृष्टिकोण अपनाया है।

(6) कीटों के हमले और बीमारियों से फसलों को बचाने के लिए कार्बनिक खेती के तरीके और जैव-रासायनिकों को अपनाने के लिए किसानों के बीच जागरूकता उत्पन्न की जा रही हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नारियल उद्योग हेतु प्रौद्योगिकी मिशन

2117. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नारियल उद्योग हेतु प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके अंतर्गत ली गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) नारियल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस मिशन के अंतर्गत क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) सरकार द्वारा नारियल के तेल की खपत को बढ़ाने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार पाउच पैकिंग में कच्चे नारियल के पानी की बिक्री को बढ़ावा दे रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने वर्ष 2001-02 के दौरान कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया है। मिशन कार्यक्रम इस मंत्रालय के अधीन नारियल विकास बोर्ड के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे हैं। मिशन के मुख्य उद्देश्य हैं: निम्नलिखित मिशन घटकों अर्थात् (1) कीट कृमियों तथा रोगों से प्रभावित नारियल बागानों के प्रबंधन हेतु प्रौद्योगिकियां विकसित करना और उन्हें अपनाना, (2) नारियल में प्रसंस्करण एवं उत्पाद विविधीकरण हेतु प्रौद्योगिकियों का विकास, अधिग्रहण, प्रशिक्षण एवं उन्हें अपनाना, और (3) नारियल उत्पादों का मण्डी अनुसंधान तथा संवर्धन, कीटों, कृमियों और रोगों के प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास व अपनाने में महत्वपूर्ण अंतर समस्या का समाधान करना, उत्पाद विविधीकरण एवं उपोत्पाद उपयोग तथा मण्डी संवर्धन।

इन कार्यक्रमों के तहत 104 परियोजनाएं चलाने के लिए अब तक 20.955 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई।

(घ) नारियल विकास बोर्ड ने प्रतिष्ठित डाक्टरों की भागीदारी से बड़ी संख्या में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सेमिनार आयोजित करने सहित नारियल तेल के पोषकीय एवं स्वास्थ्य संबंधी लाभों के संबंध में सूचना के प्रसार के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चलाए हैं। इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा प्रायोजित दो अनुसंधान परियोजनाओं, नामत: (1) "नारियल गिरी और आयल आन लिपिड़ सेरम प्रोफाईल एंड थ्रोम्बोसिस की खपत प्रभाव का अध्ययन" और (2) "केरल में नारियल तेल एवं कारोनैरी अटैरी रोग" से यह सामने नहीं आया है कि नारियल तेल अधिक कोलेस्ट्रोल वाला है। यह भी पाया गया कि नारियल का तेल ट्राइग्लीसराईड्स और एचडीएल मेटा बोलिज्म को सामान्य बनाने के लिए लाभकारी हो सकता है।

(ङ) और (च) जी, हां। नारियल विकास बोर्ड ने पाउचों और एल्यूमिनियम डब्बों में टेंडर नारियल जल के परिरक्षण एवं पैकिंग हेतु रक्षा खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर के माध्यम से एक प्रौद्योगिकी विकसित की है। बोर्ड ने प्रौद्योगिकी को 8 उद्यमियों को अंतरित कर दिया है ताकि इकाईयों की स्थापना की जा सके। अब तक केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात राज्यों में नारियल प्रौद्योगिकी मिशन के तहत वित्तीय सहायता से प्रतिवर्ष 10 मिलियन गिरियों के प्रसंस्करण की क्षमता वाली 4 टेण्डर नारियल परिरक्षण एवं पैकिंग इकाईयां स्थापित की जा चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में भी एक और इकाई की स्थापना की जा रही है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन केन्द्र, हिसार के कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा का लाभ देना

2118. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन केन्द्र, हिसार के कुछ कर्मचारियों को नियमित रूप से वार्षिक अंशदान करने के बावजूद कर्मचारी राज्य बीमा के लाभों से वंचित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं कि दूरदर्शन केन्द्र, हिसार के सभी कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा का लाभ मिले?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) से (ग) दूरदर्शन केन्द्र, हिसार के कर्मचारी केन्द्र सरकार के नियमों द्वारा शासित होते हैं, इस प्रकार, वे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं।

[अनुवाद]

बागवानी को बढ़ावा देने हेतु धनराशि का उपयोग

2119. श्री रमेश चन्नि: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बागवानी को बढ़ावा देने हेतु राज्यों को दी गई धनराशि का उपयोग करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में धनराशि का कम उपयोग हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) बृहत् कृषि प्रबंधन पर केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम-राज्य के प्रयासों का कार्य योजनाओं के जरिए सम्पूरण/अनुपूरण, जिसके अंतर्गत बागवानी एक घटक है, के तहत राज्य सरकारों को निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। बैठकों के दौरान राज्य सरकारों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की जाती है तथा प्रगति रिपोर्टों और उपयोग प्रमाण-पत्रों की प्राप्ति पर आगे और निर्मुक्तियां की जाती हैं। राज्य सरकारों को निधियां निर्गत करते समय उन्हें भारत सरकार की सामान्य वित्तीय नियमावली का अनुसरण करने का निदेश दिया जाता है।

(ख) और (ग) वर्ष 2002-03 से 2004-05 के दौरान इस स्कीम के अधीन निर्गत निधियों, किए गए खर्च और अव्ययित शेष का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

बृहत् प्रबंधन स्कीम के अधीन वर्ष 2002-03 से 2004-05 के दौरान आवंटन, निर्मुक्तियां और व्यय

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	दिनांक 1.4.2002 की स्थिति के अनुसार अव्ययित शेष	2002-03		2003-04		2004-05		दिनांक 1.4.2005 की स्थिति के अनुसार अव्ययित शेष
			निर्मुक्तियां	व्यय	निर्मुक्तियां	व्यय	निर्मुक्तियां	व्यय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	814.53	1900.00	2648.15	3800.00	3279.20	4702.31	3712.18	1577.31
2.	अरुणाचल प्रदेश	17.57	463.20	298.05	317.28	466.12	1214.15	716.00	532.03
3.	असम	558.13	350.00	512.97	350.00	490.00	1661.93	695.00	1222.09
4.	बिहार	1620.50	1250.00	1879.16	900.00	1573.84	1786.51	1295.80	808.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	झारखण्ड	786.00	600.00	1146.00	1200.00	561.28	2458.75	1116.19	1342.56
6.	गोवा	84.75	162.20	137.99	131.04	231.44	280.53	258.16	37.37
7.	गुजरात	2284.70	1600.00	926.61	1150.00	2864.77	5305.61	4254.13	2294.80
8.	हरियाणा	146.83	1600.00	1742.47	1662.00	1608.67	1813.68	1703.69	167.68
9.	हिमाचल प्रदेश	208.32	1600.00	1473.47	1585.15	1894.10	1600.00	1466.46	159.44
10.	जम्मू-कश्मीर	267.69	1932.00	1674.64	1680.00	1442.36	2285.38	2215.93	832.14
11.	कर्नाटक	1118.52	5338.00	6336.40	5580.00	5681.23	11872.44	6471.47	5519.86
12.	केरल	शून्य	2762.00	2231.15	2348.00	2018.02	4583.19	3506.98	1531.84
13.	मध्य प्रदेश	1336.09	4350.00	5686.09	4400.00	4054.78	7224.76	4077.49	3492.49
14.	छत्तीसगढ़	546.77	1138.23	1483.90	1600.00	1579.00	5359.23	2521.04	3060.29
15.	महाराष्ट्र	2108.98	7612.00	9720.98	8400.00	8384.85	17225.59	16148.75	1091.99
16.	मणिपुर	407.10*	300.00	290.00	300.00	515.92	1146.16	995.70	171.16
17.	मेघालय	3.12	810.00	784.62	820.00	828.50	1821.64	1563.00	278.64
18.	मिजोरम	120.59	700.66	648.50	427.25	584.05	1223.18	575.95	663.18
19.	नागालैंड	शून्य	660.00	500.00	880.00	1040.00	1768.00	1412.50	355.50
20.	उड़ीसा	1702.80	1250.00	2160.11	1967.31	2152.00	4036.54	4466.72	177.82
21.	पंजाब	2063.34	850.00	392.36	—	114.05	996.54	25.20	3378.27
22.	राजस्थान	640.98	6700.00	5397.17	6571.19	7025.5	11995.00	9251.40	3889.04
23.	सिक्किम	13.01	330.00	343.01	500.00	499.47	861.80	833.28	29.05
24.	तमिलनाडु	611.75	3360.00	3971.75	4275.00	4077.19	5137.01	4291.63	1043.20
25.	त्रिपुरा	8.97	900.00	644.31	715.34	784.66	1699.91	793.91	1101.34
26.	उत्तर प्रदेश	1229.35	6885.00	7663.52	7375.00	6717.24	8888.67	8212.66	1784.60
27.	उत्तरांचल	61.42	1290.00	1305.30	1600.00	1420.53	2361.06	2416.02	170.63
28.	पश्चिम बंगाल	645.66	1427.47	1733.06	1920.00	2041.95	3152.65	2575.89	794.88
29.	दिल्ली	60.08	80.00	71.77	50.00	6.97	0.00	15.82	95.52
30.	पांडिचेरी	106.98	100.00	138.98	शून्य	65.80	80.00	82.05	0.16
31.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	—	100.00	79.10	100.00	65.58	—	—	—
32.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—
33.	दादर व नगर हवेली	—	100.00	4.87	10.00	9.11	—	—	—
34.	दमन व दीव	—	—	—	—	—	—	—	—
35.	लक्षद्वीप	—	100.00	16.24	50.00	47.70	—	—	—
	कुल	19230.94	58600.76	63942.70	62664.56	64125.88	114542.22	87671.00	37603.09

*अनंतिम

ठेका श्रम प्रणाली

2120. श्री प्रशान्त प्रधान: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान कर्मचारी रजिस्टर का रख-रखाव करने संबंधी अनिवार्य व्यवस्था से बचने हेतु देश में ठेका श्रम प्रणाली के प्रसार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या श्रम कानूनों का पालन करने के संबंध में अधिकांश राज्यों में निरीक्षण तंत्र को समाप्त करने तथा नियोक्ताओं द्वारा स्वयं प्रमाणन पर निर्भर रहने से मजदूरों के अधिकारों का हनन हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कुछ अंशधारकों (स्टेक होल्डर्स) से परामर्श किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) सरकार को देश में ठेका श्रम प्रणाली के प्रचलन की जानकारी है परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि रोजगार-रजिस्टर के रख-रखाव से बचा जा सके। ठेका श्रम (विनियमन तथा उत्सादन) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अंतर्गत भी ठेकेदार को आधारभूत कल्याण सुख साधन और समय पर मजदूरी का भुगतान करने के साथ-साथ उसके द्वारा रखे गये ठेका श्रमिकों के संबंध में एक रजिस्टर रखना आवश्यक होता है।

(ख) से (घ) गुजरात जैसे कतिपय राज्यों में श्रम कानूनों का अनुपालन करने के संबंध में नियोजकों द्वारा स्वत: प्रमाणीकरण प्रस्तुत करने से निरीक्षण तंत्र समाप्त नहीं किया जायेगा। समुचित सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि जहां कहीं आवश्यक होगा, समय-समय पर पणधारियों के साथ परामर्श किया जायेगा।

[हिन्दी]

बहुउद्देशीय परियोजनाएं

2121. श्री मनोज कुमार: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार और झारखंड सहित राज्यों में चलाई जा रही बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) झारखंड में औरंगा जलाशय योजना, कन्हार जलाशय योजना, कांधवान जलाशय योजना, कुटकु उत्तरी कोइल जलाशय योजना के निर्माण से कितने हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होने की संभावना है और कितने क्षेत्र के डूबने की संभावना है; और

(ग) परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है और कितनी संशोधित लागत खर्च होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) 1.4.2004 तक सिंचाई घटक वाली चल रही बहुउद्देशीय परियोजनाओं की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) परियोजना का विवरण निम्न प्रकार से है:

राज्य का नाम	परियोजना का नाम	चरम सिंचाई क्षमता (हजार हेक्टेयर)	वास्तविक लागत (करोड़ रुपए)	नवीनतम अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	जलमग्नता की संभावना वाला क्षेत्र (हजार हेक्टेयर)
झारखंड	1. औरंगा	55.42	125.40	914.24	4.536
	2. कन्हार	57.67	(अनुमोदित नहीं)	1350.00	6.416
	3. कधवान	664.00	(अनुमोदित नहीं)	1111.14	24.33
	4. कुटकु उत्तरी कोइल	105.90	(अनुमोदित नहीं)	836.11	7.12

विवरण

(करोड़ रुपए/हजार हेक्टे.)

क्र.सं.	राज्य/परियोजना का नाम	नवीनतम अनुमानित लागत	मार्च 2004 तक संभावित व्यय	चरम क्षमता	मार्च, 2004 तक संभावित सृजित क्षमता
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश					
1.	नागार्जुनसागर	1184.00	1130.86	895.00	809.44
2.	सिन्गुर	180.00	167.63	16.19	0.00
3.	श्री सेलम एलबीसी	1260.00	622.10	109.25	0.00
बिहार					
4.	उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना	1118.00	585.41	105.9	52.00
5.	गंडक चरण-2	578.27	116.05	236.00	0.00
झारखंड					
6.	सुवर्णरेखा	2869.76	985.67	236.85	0.61
गुजरात					
7.	सरदार सरोवर (आईएस)	30823.00	16659.28	1792.00	251.11
कर्नाटक					
8.	तुंगभद्रा एचएलसी (आईएस)	111.80	76.26	74.47	72.44
9.	वराही	275.00	32.80	15.70	0.00
केरल					
10.	कलाड़ा	760.80	668.81	92.10	53.61
11.	इडामालायर	412.00	145.78	29.04	0.00
मध्य प्रदेश					
12.	बाणसागर बांध (मध्य प्रदेश का हिस्सा)	880.72	815.86	—	0.00
13.	इन्दिरा सागर (एनवीडीए)	5150.00	1802.93	169.00	0.00
14.	बारगी डाइवर्जन (एनवीडीए)	2604.50	177.23	245.00	0.00
15.	पेंच डाइवर्जन	549.65	10.97	78.50	0.00
छत्तीसगढ़					
16.	हसदेव बांगो चरण-3	1043.88	972.45	392.00	320.67

1	2	3	4	5	6
महाराष्ट्र					
17.	वरना	1150.98	365.17	148.96	2.05
18.	दूधगंगा (आईएस)	1173.26	343.72	74.17	71.50
19.	सूर्या	276.15	249.83	27.19	22.55
20.	तिलारी (आईएस)	293.80	542.15	23.65	1.20
21.	कोयना कृष्णा एलआईएस	1892.29	887.78	208.27	152.35
उड़ीसा					
22.	पोटेरू	198.07	201.72	109.88	64.59
23.	ऊपरी कोलाब	337.96	374.27	88.70	53.69
24.	ऊपरी इन्द्रावती	480.96	674.24	102.52	96.76
25.	रेंगाली सिंचाई	2621.16	1050.83	214.30	10.56
पंजाब					
26.	शाहपुर कांडी परियोजना	1324.18	128.09	—	0.00
राजस्थान					
27.	माही बजाज सागर (आईएस)	834.88	744.89	71.20	66.65
28.	बिसलपुर सिंचाई सह डब्ल्यूएस परियोजना	657.91	542.56	49.90	41.50
उत्तर प्रदेश					
29.	राजघाट बांध	150.00	133.08	0.00	0.00
30.	बाणसागर नहर (यूपी)	761.85	339.08	150.13	0.00
उत्तरांचल					
31.	टिहरी बांध (सिंचाई का हिस्सा)	1114.74	1014.93	270.00	0.00
32.	लखवर व्यासी	1446.00	219.11	40.00	—
33.	किशाऊ बांध	3455.11	8.10	211.00	—
पश्चिम बंगाल					
34.	तीस्ता बैराज एसटी/पीएच	2068.00	958.21	533.52	130.96

देश में कृषि वानिकी परियोजनाएं

2122. श्री बापू हरी चौरे: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों से देश में किन-किन स्थानों पर कृषि वानिकी परियोजनाओं पर काम चल रहा है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान इन परियोजनाओं हेतु राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ग) इससे क्या लाभ होने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा देश में कोई कृषि वानिकी परियोजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है। तथापि, कृषि वानिकी, कृषि मंत्रालय की नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ संभावित नदियों के कैचमैन्ट्स में अवक्रमित भूमियों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु मृदा संरक्षण (आर.वी.पी. एंड एफ.पी.आर.) और जल सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल विभाजक विकास परियोजना के कार्यक्रमों में एक अनुमत घटक है। इसी प्रकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा देश के विभिन्न भागों में इसके 34 कृषि-वानिकी केन्द्रों के माध्यम से अनुसंधान किया जाता है।

(ख) आर.वी.पी. एंड एफ.पी.आर. कार्यक्रम की राज्यवार वित्तीय प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) कृषि वानिकी, अतिरिक्त आय उत्पन्न करने और किसानों की आजीविका में सुधार लाने का एक स्रोत है और अवक्रमित भूमियों की बहाली में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है।

विवरण

वर्ष 2002-03 से 2004-05 की अवधि के लिए नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ संभावित नदियों (आरवीपी एंड एफपीआर) के अंतर्गत राज्यवार निधियां

राज्य का नाम	जारी की गई धनराशि (लाख रुपये)
1	2
आंध्र प्रदेश	2134.25
अरुणाचल प्रदेश	5.67
असम	148.27
बिहार	0
छत्तीसगढ़	400.74
गुजरात	2182.7
हरियाणा	496.18
हिमाचल प्रदेश	1840.32
झारखंड	0
जम्मू-कश्मीर*	2522.26
कर्नाटक	333.58
केरल	634.85
मध्य प्रदेश	2858.03
महाराष्ट्र	3433.64
मणिपुर	0
मेघालय	6
मिजोरम	299.85
नागालैंड	174
उड़ीसा	239.74
पंजाब	0
राजस्थान	4998.33
सिक्किम	78.2
तमिलनाडु	1710.55
त्रिपुरा	122.28
उत्तर प्रदेश	5351.1
उत्तरांचल	739.74
पश्चिम बंगाल	483.81
चंडीगढ़	0
दिल्ली	0
कुल	34194.09

* पीएम पैकेज शामिल है।

[अनुवाद]

पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी नीति

2123. श्री ए.के. मूर्ति: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी नीति बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय द्वारा पहले ही राष्ट्रीय पारिस्थितिकी पर्यटन नीति एवं दिशा-निर्देश प्रस्तुत किये जा चुके हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं सामुदायिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव के साथ इनका उद्देश्य प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण करना, उन्हें समृद्ध करना और पारिस्थितिकी पर्यटन की नियमित वृद्धि को सुनिश्चित करना है। प्रचालित दिशा-निर्देशों को सरकार, डेवलपर्स, प्रचालकों एवं पारिस्थितिकी पर्यटन प्रदाताओं, अतिथियों, मेजबान जनता, गैर-सरकारी संगठन आदि के लिए रखा गया है।

भू-जल के स्तर को ऊपर उठाने की परम्परागत पद्धति

2124. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने टैंक, तालाब, झील, कुओं और बावलियों का सृजन और उनकी मरम्मत करने की परम्परागत पद्धतियों और वर्षा जल संचयन के माध्यम से भू-जलस्तर को ऊपर उठाने का एक देशव्यापी अभियान शुरू करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ कोई व्यापक योजना तैयार की गई है या तैयार की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2004-05 के दौरान और चालू वर्ष में जल निकायों में वृद्धि करने हेतु राज्यों द्वारा कितनी केन्द्रीय सहायता की मांग की गई और कितनी सहायता दी गई?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (घ) 'जल' राज्य का विषय होने के कारण, भूजल स्तरों में सुधार करने की स्कीमें कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों का होता है। तथापि, इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:

(1) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मैन्युअल/दिशा निर्देशों का परिचालन करना ताकि वे भूजल स्तरों में गिरावट के रुख को रोकने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमें तैयार कर सकें।

(2) केन्द्रीय मंत्रालयों/रेल, रक्षा, डाक, दूरसंचार, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विभागों से यह अनुरोध किया गया है कि वे अपने नियंत्रणाधीन भवनों में छत के वर्षा जल संचयन संबंधी संरचनाएं उपलब्ध कराएं।

(3) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले भवनों पर जल संचयन संरचनाएं उपलब्ध कराएं।

(4) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में आने वाले स्थानीय निकायों को यह सलाह दें कि जो व्यक्ति अपने अहाते/परिसर में छत के वर्षा जल संचयन को अपना रहे हैं उन्हें संपत्ति कर में छूट दी जाए।

(5) सीजीडब्ल्यूबी ने राज्य सरकार अभिकरणों, शैक्षणिक संस्थानों, निजी उद्यमों और व्यक्तियों सहित लगभग 2000 अभिकरणों को वर्षा जल संचयन के संबंध में तकनीकी दिशानिर्देश मुहैया कराये हैं।

(6) वर्षा जल संचयन की विभिन्न तकनीकों और भविष्य में उपयोग के लिए इसके भंडारण के संबंध में जनता को जागरूक और शिक्षित करने के लिए छत के वर्षा जल संचयन पर एक वेबसाइट (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.सीजीडब्ल्यूबी.नेट) की शुरुआत करना।

(7) वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी जन-जागरूकता कार्यक्रमों और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन।

(8) युवा और बच्चों, महिलाओं, किसानों तथा ग्रामवासियों, नीति और विचारकर्त्ताओं जैसे विभिन्न लक्षित समूहों को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण अभियान चलाया गया है। इस प्रयोजन के लिए प्रिंट मीडिया द्वारा प्रचार, दूरदर्शन पर स्पाट का प्रसारण, रेडियो पर संदेशों का प्रचार-प्रसार, सेमिनारों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों आदि का आयोजन किया गया है।

(9) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकर ने सरकारी भवनों में वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करने संबंधी अनुदेश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय ने भवन उपनियम, 1983 में संशोधन कर दिल्ली में 100 वर्गमीटर और इससे अधिक के प्लाटों में सभी नए भवनों में वर्षा जल सहित अपवाह जल संचयन के माध्यम से जल संचयन का प्रावधान रखा है।

(10) दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जनवरी, 2005 में 300 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से "कृषि से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार की राष्ट्रीय परियोजना" नामक एक प्रायोजित स्कीम का अनुमोदन

किया गया है। इस परियोजना का लक्ष्य और उद्देश्य जल निकायों की भंडारण क्षमता को बहाल करना और संवर्धन करना तथा खोई हुई सिंचाई क्षमता को पुन: प्राप्त करना और उसका विस्तार करना है। इन जल निकायों के नवीकरण कार्य से समीपवर्ती क्षेत्रों में भूजल के पुनर्भरण में भी मदद मिलेगी। वित्तपोषण पद्धति 75 : 25 (केन्द्र : राज्य) के अनुपात में होती है। जल संसाधन मंत्रालय ने 2004-05 में 168.298 करोड़ रुपये की लागत से 9 राज्यों की 16 जिला परियोजनाओं का अनुमोदन किया है। 2004-05 और अब तक 2005-06 में विभिन्न राज्यों को जारी की गई केन्द्रीय हिस्से के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

"कृषि से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार की राष्ट्रीय योजना" नामक प्रायोगिक स्कीम के अंतर्गत 2004-05 और 2005-06 में विभिन्न राज्यों को जारी किये गये केन्द्रीय हिस्से के ब्यौरे

कुल परिव्यय—दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए 300 करोड़ रुपये।

केन्द्रीय हिस्सा—225 करोड़ रुपए

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिले का नाम	अनुमानित लागत	केन्द्र का हिस्सा	2004-05 में जारी किया गया केन्द्र का हिस्सा	2005-06 में जारी किया गया केन्द्र का हिस्सा
1.	आंध्र प्रदेश	महबूब नगर	32.840	24.63	2.44	
		अनन्तपुर	13.770	10.33	0.00	
2.	कर्नाटक	गुलबर्गा	31.640	23.73	4.42	
		बंगलौर ग्रामीण	11.010	8.25	1.00	
3.	झारखण्ड	सरायकेला	2.8540	2.14	0.33	
		पलामू	10.060	7.55	1.17	
4.	छत्तीसगढ़	कबीर धाम	2.240	1.68	0.00	0.75
5.	उड़ीसा	गंजम	12.820	9.62	1.14	
		गजपती	6.010	4.51	0.55	
6.	राजस्थान	अजमेर	4.4890	3.37	0.00	
		पाली	2.450	1.84	0.00	
7.	पश्चिम बंगाल	उत्तर दिनाजपुर	4.934	3.70	0.74	
		दक्षिण-24 परगना	18.664	14.00	0.21	
8.	तमिलनाडु	सिवगंगाई	1.222	0.92	0.00	
		विल्लुपुरम	9.372	7.03	0.00	
9.	मध्य प्रदेश	टीकमगढ़	3.923	2.94	0.00	
कुल	9	16	168.298	126.24	12.00	0.75

वृन्दावन का पर्यावरण

2125. **श्री रघुनाथ झा:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री दिनांक 18.4.2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3551 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वृंदावन के पर्यावरण में कोई सुधार नहीं हुआ है और प्रश्न के उत्तर देने की तारीख के बाद लगभग चार महीने बीत जाने के बाद भी तीर्थयात्रियों को गंदगी, सड़कों की खराब हालत, भीड़भाड़ और खराब तथा खुले में पार्किंग सुविधा की समस्या का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) वृंदावन को साफ-सुथरा बनाने हेतु की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और वृंदावन के पारिस्थितिकीय वातावरण को सुधारने हेतु उपायों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) वृन्दावन के लिए पर्यावरण विकास कार्यक्रम की तैयार के सुधार के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की गई है:

* कालियादाह घाट से केशी घाट तक परिक्रमा पथ
* बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र
* नगर पालिका कार्यालय और रंगनाथ जी मंदिर, के बीच की सड़कें/क्षेत्र और
* गांधी पार्क और ज्ञान गुदड़ी पार्क।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने वृन्दावन में वृन्दावन नगर पालिका के साथ लागत हिस्सेदारी आधार पर ईको-सिटी कार्यक्रम के निष्पादन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 43.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। हाल ही में क्षेत्र में एक जन जागरूकता कार्यक्रम और एक स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया था।

भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपो

2126. **श्री चंद्रकांत खैरे:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्य वितरण हेतु भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के कितने बेस डिपो हैं और उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त डिपो राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र की जरूरतों को पूरा करने हेतु पर्याप्त हैं;

(ग) यदि हां, तो देश के किन-किन जिलों में बेस डिपो नहीं हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन जिलों में बेस डिपो खोलने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपुओं की राज्यवार संख्या के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) देश में बिना बेस डिपुओं वाले जिलों के नाम संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) देश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध बेस डिपुओं की संख्या पर्याप्त हैं।

विवरण I

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों के वितरण हेतु भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपुओं की राज्यवार संख्या विवरण निम्नानुसार है

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बेस डिपुओं सहित, राजस्व जिलों की संख्या
1	2
दिल्ली	8
हरियाणा*	18
हिमाचल प्रदेश#	11
जम्मू-कश्मीर	10
पंजाब और चंडीगढ़	18
राजस्थान	30
उत्तर प्रदेश@#	53
उत्तरांचल@#	8
आंध्र प्रदेश	23
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह#	1

1	2
कर्नाटक	23
केरल	13
तमिलनाडु	17
पांडिचेरी	2
बिहार	28
झारखण्ड	12
उड़ीसा	27
पश्चिम बंगाल@	17
सिक्किम#	2
असम#	22
अरुणाचल प्रदेश#	4
मणिपुर	2
नागालैंड	4
मेघालय#	5
मिजोरम#	2
त्रिपुरा#	2
गोवा	1
महाराष्ट्र	25
गुजरात	11
मध्य प्रदेश@	36
छत्तीसगढ़@%	16
कुल जोड़	235

टिप्पणी:

*लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता को पूरा करने हेतु, जिसके लिए पहाड़ी ढुलाई राजसहायता/सड़क परिवहन प्रभारों की प्रतिपूर्ति की जाती है, सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बेस डिपुओं के अतिरिक्त मुख्य वितरण केन्द्रों की घोषणा की है।

@विकेन्द्रीकृत वसूली योजना के अधीन राज्य सरकार अपने स्वयं के गोदामों का वितरण कर रही है।

#-भारतीय खाद्य निगम के सभी अपने/किराए के गोदामों से स्टॉक जारी किये जा रहे हैं।

$-पंजाब सरकार द्वारा राज्य एजेंसी (पुंसुप) अपने गोदामों से स्टॉक जारी कर रही है।

%-छत्तीसगढ़ ने भी गरीबी रेखा से नीचे के लिए निर्गम हेतु 6 केन्द्रों को दर्शाया है।

विवरण II

देश में भारतीय खाद्य निगम के बिना बेस डिपुओं वाले जिलों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं

क्षेत्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बिना बेस डिपुओं वाले राजस्व जिलों की संख्या
1	2
दिल्ली	(1) पूर्वी दिल्ली
हरियाणा	(1) पंचकूला
हिमाचल प्रदेश	(1) लाहोल स्पिती (लाहोल स्पिती में केलांग में 2500 टन क्षमता के गोदाम के निर्माण का अनुमोदन)
जम्मू-कश्मीर	(4) उधमपुर, कुपवाड़ा, बड़गांव और फुलवामा
पंजाब और चंडीगढ़	शून्य
राजस्थान	(2) राजसमंद, करौली
उत्तर प्रदेश	(17) गौतमबुद्ध नगर, अम्बेडकर नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, भदोही, सोनभद्र, कन्नौज, औरया, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, कौसाम्बी, जे.पी. नगर और बिजनौर
उत्तरांचल	(5) अलमोड़ा, बागेश्वर, टिहरी (गढ़वाल), उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग
आंध्र प्रदेश	शून्य
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य
कर्नाटक	(4) चिकमंगलूर, कोपल, बगालकोट, चामराजनगर
केरल	(1) पठानमथिट्टा
लक्षद्वीप	लक्षदीप प्रशासन को चीनी के स्टाक कोचीन से दिये जा रहे हैं और गेहूं और चावल का स्टाक एक्स-मंगलौर से दिया जा रहा है।

1	2
तमिलनाडु	(13) तिरूवल्लूर, नागापट्टीनम, तिरूवरूर, करूर, पेरमबल्लूर, नामक्कल, शिवगंगई, तेनी, इरोड, टीवीमल्लाई, नीलगीरीज, किशनगीरी और कुड्डूकोट्टई
पांडिचेरी	शून्य
बिहार	(10) जहानाबाद, औरंगाबाद, भाभुआ (कैमूर), अरवल, बग्गा, सेखपूरा, खगरिया, शिवहर, सीवान, गोपालगंज
झारखंड	(10) पश्चिम सिंहभूम, सराईकेला, सिमडेगा, लाटेहर, छत्र, बोकारो, दुमका, जमात्रा, गोड्डा, पाकुर
उड़ीसा	(3) केन्द्रपाड़ा, बौद्ध और देवगढ़
पश्चिम बंगाल	(2) पूर्व मिदनापुर और दार्जिलिंग
सिक्किम	(2) पश्चिम सिक्किम और उत्तर सिक्किम
असम	(1) मारीगांव
अरुणाचल प्रदेश	(12) पश्चिम केमांग, तवांग, लोअर सुभांषरी, अपर सुभांषरी, पश्चिम सियांग, अपर सियांग, दीवांग वैल्ली, तिरापलोहित, लोअर दीवांग वैल्ली, कुरूंग, कुमे और अंजा
मणिपुर	(7) किशनपुर, चंडेल, सेनापाति, इम्फालपुर, थावाल, चुरचामदपुर और तामेंगलोंग
नागालैंड	(4) कोहिमा, फेक, वोखा और जनेहाबटा
मेघालय	(2) पश्चिम खासी हिल्स और दक्षिण गारोहिल्स
मिजोरम	(6) चिमतूप्पुई, लुंगथलई, चम्फाई, सेरचिप, मामिह और लुंगलेई
त्रिपुरा	(2) दक्षिण त्रिपुरा और धलाई जिला
गोवा	(1) उत्तर गोवा
महाराष्ट्र	(7) लातूर, हिंगोली, सिन्धुदुर्ग, वासिम, गढ़चिरोली, भांद्रा और यवतमाल
गुजरात	(14) अमरेली, साबरकंठा, पाटन, दाहोद, नर्मदा, नवसारी, डांग, पोरबंदर, खेडा, आनंद, भरूच, सूरत, जुनागढ़ और गांधीनगर
दादर व नगर हवेली	गुजरात क्षेत्र में स्टाक निकटतम भारतीय खाद्य निगम डिपो (अपने/किराये के) से जारी किये जा रहे हैं
मध्य प्रदेश	(12) भिंड, बरवानी, बुरहानपुर, नीमच, मंदसौर, सिहोर, राजगढ़, हर्दा, रायसेन, पन्ना, उमरिया और अनूपपुर
छत्तीसगढ़	शून्य

[हिन्दी]

विश्व विरासत सूची में उत्तरांचल की फूलों की घाटी को शामिल किया जाना

2127. **श्री जयप्रकाश (मोहनलाल गंज):**
श्री रघुवीर सिंह कौशल:
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली से प्रकाशित होने वाले एक दैनिक में 12 जुलाई को "विश्व विरासत सूची के लिए भारत के दो दावे" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने दक्षिण भारत में ऊटी जाने वाली "नीलगिरि माऊंटेन रेलवे' और उत्तरांचल में विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी को विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए दावा किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार विश्व विरासत सूची में इन दो स्थानों के अलावा किसी अन्य स्थान को शामिल करने के लिए प्रयासरत है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 10-17 जुलाई के बीच डर्बन, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित, विश्व विरासत समिति के 29वें सत्र के दौरान, नीलगिरि माऊंटेन रेलवे को, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के विस्तार

के रूप में तथा उत्तरांचल में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के विस्तार के रूप में, विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है।

(घ) और (ङ) सरकार ने 2006 के दौरान, सांस्कृतिक श्रेणी के अंतर्गत माजूली द्वीप, असम को विश्व विरासत सूची में शामिल किए जाने का प्रस्ताव रखा है। लाल किला, दिल्ली के नामांकन की फाईल, पूर्व में विश्व विरासत केन्द्र को प्रस्तुत की गई थी; इसे नए फार्मेट में पुन: प्रस्तुत करना होगा।

राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत लाभान्वित किसान

2128. **श्री रघुवीर सिंह कौशल:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.) के अंतर्गत आने वाले किसानों, फसलों और कृषि भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) योजना के अंतर्गत फसलवार प्रीमियम की दर निर्धारित करने हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य में उक्त योजना हेतु किसानों से प्रीमियम की कुल कितनी राशि एकत्र की गई है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान तथा उसके बाद बीमा दावों के प्रति कितना भुगतान किया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) राजस्थान खरीफ 2003 मौसम से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) क्रियान्वित कर रहा है। राज्य में कवर की गई मुख्य फसलें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, उड़द, ग्वार, अरहर, लोभिया, तिल, सोयाबीन (पीला), एरण्ड, गेहूं, चना, सरसों, मूंगफली आदि हैं। खरीफ 2003 से खरीफ 2004 मौसम तक 40.68 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में 1559038 किसानों को कवर किया गया है।

(ख) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अधीन प्रभारीय प्रीमियम दरों की दो श्रेणियां हैं। खाद्य एवं तिलहन फसलों का बीमा करने के लिए प्रीमियम की एक समान दरें प्रभारित की जाती हैं। इन दरों को शामिल जोखिम तथा किसानों की भुगतान करने की क्षमता को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है। दूसरी श्रेणी प्रीमियम की बीमांकिक दरें हैं जिन्हें वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों का बीमा करने के लिए प्रभारित किया जाता है। ये दरें उपज में परिवर्तनीयता के आधार पर परिकलित की जाती हैं।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान वसूल की गई प्रीमियम की कुल रकम और संदत्त/संदेय कुल दावे नीचे दिए गए हैं:

(लाख रुपये में)

वर्ष	वसूल किया गया प्रीमियम	कुल दावे
2003-04	121.02	14.19
2004-05	5520.64	11107.23*
2005-06	खरीफ 2005 मौसम चल रहा है	

*केवल खरीफ 2004 मौसम हेतु दावे। खरीफ 2004 के कुल दावों में से 1544 लाख रुपये के दावे लंबित हैं।

उत्तर प्रदेश में चारा बैंक की स्थापना

2129. **श्री संतोष गंगवार:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को चारा बैंक की स्थापना के लिए धनराशि उपलब्ध कराने हेतु ऐसा कोई अनुरोध भेजा है जिसमें 75 प्रतिशत वित्त पोषण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो राज्य को धनराशि कब तक उपलब्ध कराई जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) जी, हां। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसमें चारा बैंक की स्थापना के लिए 2005-06 के दौरान 41.25 लाख रुपये की केन्द्रीय अनुदान की मांग की गई थी। यह आहार एवं चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता" नामक पुरानी केन्द्रीय प्रायोजित योजना का एक घटक था। पुरानी योजना को मार्च, 2005 तक जारी रखा गया था। नई केन्द्रीय प्रायोजित चारा विकास योजना, जिसे अप्रैल, 2005 से क्रियान्वित किया गया है, में चारा बैंक की स्थापना संबंधी घटक शामिल नहीं है। अत: यह संभव नहीं है कि मौजूदा स्कीम के तहत चारा बैंक की स्थापना के लिए निधियां प्रदान की जाएं जैसाकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

यमुना नदी पर घाट

2130. **कुंवर मानवेन्द्र सिंह:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में यमुना नदी पर घाट बनाने हेतु कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार लोगों की चिरलंबित मांग को पूरा करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा): (क) से (ङ) मथुरा में यमुना नदी पर घाटों के निर्माण के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, मथुरा और वृंदावन में यमुना नदी की सफाई और नदी के साथ-साथ घाटों के निर्माण के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध करवाने के संबंध में मामला 16.3.2005 को लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाया था जिसका उत्तर पहले ही भेजा जा चुका है। इस संबंध में यह भी उल्लेख किया जाता है कि यमुना कार्य योजना चरण-I के अंतर्गत मथुरा में नदी मुहाना विकास की एक स्कीम 16.32 लाख रुपए की लागत से क्रियान्वित की जा चुकी है। इस स्कीम के अंतर्गत मथुरा में चार स्नान घाटों नामत: बंगाली घाट, साथ हाथ भाई की बैठक घाटक, बल्लभ घाट और वासुदेव घाट के मरम्मत और पुनरुद्धार का कार्य किया गया है। चालू यमुना कार्य योजना चरण-2 के अंतर्गत भी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के विभिन्न शहरों में स्नान घाट विकास कार्यों जहां कहीं इसकी आवश्यकता हो, सहित नदी प्रदूषण निवारण के शेष कार्यों के लिए निश्चित प्रस्ताव/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना परिकल्पित किया गया है।

कर्नाटक में चमत्कार कपास

2131. **श्री मंजुनाथ कुन्नुर:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक राज्य के किसानों ने हवेरी जिले के रानेबेन्नूर स्थिति माह्याको सीड्स कंपनी द्वारा आपूर्ति किए गए बीजों का प्रयोग करके 30,000 एकड़ भूमि में चमत्कार कपास उगाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या घटिया गुणवत्ता के बीज दिए जाने के कारण फसल बर्बाद हो गई है;

(ग) क्या हवेरी के उपायुक्त ने सरकार से किसानों को 2500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से क्षतिपूर्ति का भुगतान करने की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो किसानों को कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(ङ) इस संबंध में और क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) कर्नाटक सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार चमत्कार कपास रोनेबेन्नूर तालुक के 12500 एकड़ क्षेत्र में उगाई गई। वर्ष 2004-05 के दौरान हवेरी जिले में लगभग 20698 एकड़ में चमत्कार कपास उगाई गई तथापि, अनुमान है कि राज्य में चमत्कार कपास के अधीन कवर किया गया कुल क्षेत्र लगभग 30000 एकड़ था।

(ख) विशेषज्ञ समितियों के निष्कर्षों के अनुसार चमत्कार कपास मई, जून महीने में बुआई के लिए उपयुक्त हो सकती है। परन्तु मेहको कम्पनी ने किसानों को यह सलाह देकर गुमराह किया कि बीज तीन मौसमों में से किसी में भी बोए जा सकते हैं तथा इसके परिणामस्वरूप फसल खराब हुई। फसल खराब होने की जांच तदोपरान्त हवेरी जिले के उप-आयुक्त की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा की गई है जिसमें कम्पनी का प्रतिनिधि भी एक सदस्य था तथा जांच प्रभावित जिलों में कृषि आयुक्त, कृषि निदेशक तथा फिर एक बार संयुक्त निदेशकों द्वारा की गई है।

समिति के निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

(1) यह किस्म आधिकारिक रूप से अधिसूचित नहीं की गई है तथा यह एक आरबोरियम किस्म है जिसकी उस क्षेत्र के लिए अधिकारिक तौर पर सिफारिश नहीं की गई है जिसमें उसको बेचा गया था।

(2) मेहको कम्पनी द्वारा विभिन्न जलवायुवीय और मौसमी परिस्थितियों के लिए इसकी उपयुक्तता सत्यापित करने के लिए पर्याप्त क्षेत्रीय परीक्षण आयोजित नहीं किये गये थे।

(3) मेहको कम्पनी ने विभिन्न मौसमों में और वर्षा तथा सिंचित परिस्थितियों के अंतर्गत उपज का ब्यौरा अपने संबंधित साहित्य में नहीं दर्शाया है।

(4) कम्पनी ने बुआई के लिए उचित समय और मौसम को उद्घाटित न करके किसानों को गुमराह किया है।

(ग) उप-आयुक्त, कृषि मंत्री और कृषि आयुक्त के स्तर पर कम्पनी के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें की गई हैं। कम्पनी ने चर्चा के दौरान क्षतिपूर्ति करने पर सहमत होकर अपनी असफलता को स्वीकार किया है। उप-आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति ने आकलित उपज तथा वास्तविक उपज के बीच में अंतर जो केवल 50 कि.ग्रा. से 200 कि.ग्रा. प्रति एकड़ की रेंज में है, के आधार पर कम से कम 4500 रुपये प्रति एकड़ की क्षतिपूर्ति के भुगतान की सिफारिश की है। माननीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान कम्पनी को उन किसानों के लिए 2500 रुपये की क्षतिपूर्ति देने की सलाह दी गई है जिनको उपज की पूर्ण हानि का सामना करना पड़ा। अन्य किसानों, जिन्होंने कुछ उपज प्राप्त की है, को क्षतिपूर्ति की मात्रा यथानुपात आधार पर निर्णित की जा सकती है। इसके अतिरिक्त कम्पनी को क्षतिपूर्ति की मात्रा निर्धारित करने के लिए किसानों द्वारा प्राप्त की गई उपज का ब्यौरा प्रदान करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है।

तथापि, कम्पनी के प्रतिनिधि विभिन्न किसानों द्वारा प्राप्त की गई उपज का ब्यौरा प्रदान करने में असफल रहे हैं। कम्पनी द्वारा ब्यौरा प्रस्तुत न करने की स्थिति में, जैसाकि पहले सहमति हुई थी, अब समिति के सदस्य तथा किसानों के प्रतिनिधि किसानों द्वारा प्राप्त की गई उपज की मात्रा का लिहाज किये बिना उन सभी किसानों को 2500 रुपये प्रति एकड़ की क्षतिपूर्ति करने की मांग कर रहे हैं जिनकी अपनी फसल नष्ट हो गई थी। परन्तु कम्पनी 2500 रुपये/एकड़ की क्षतिपूर्ति देने से इंकार कर रही है। इसकी बजाय वह हवेरी जिले के सभी किसानों को 1200 रुपये/एकड़ की क्षतिपूर्ति देने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही है। तथापि, समिति के सदस्यतथा किसानों के प्रतिनिधि कम्पनी द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव पर असहमत हो गए हैं।

(घ) आज तक की स्थिति के अनुसार किसानों को कोई क्षतिपूर्ति नहीं की गई है। तथापि, मेहको द्वारा उप-आयुक्त, हवेरी के पास 2 (दो) करोड़ रुपये की धनराशि जमा की गई है।

(ङ) यह कम्पनी विभाग में राजसहायता कार्यक्रम के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखी गई है। साथ ही कम्पनी द्वारा किसानों को क्षतिपूर्ति देने के लिए लगातार बातचीत चल रही है। यह भी कहा जाता है कि किसानों को क्षतिपूर्ति देने के लिए राज्य हेतु बीज अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, राज्य सरकार उपभोक्ता अधिकार अधिनियम के संरक्षण के अंतर्गत दिए गए अवसर का अनुशीलन करते हुए कम्पनी से हुई हानियों की भरपाई करने के लिए हर संभव तरीके से सहायता करना चाहती है।

यदि कम्पनी किसानों को उपयुक्त क्षतिपूर्ति देने में असफल रहती है, तो राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई प्रस्तावित है:

(1) सभी संबद्ध जिलों में उक्त कम्पनी के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरू करना।

(2) किसानों की उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में शिकायत फार्मों को भरने में सहायता करना।

(3) कम्पनी को काली सूची में डालना।

(4) कर्नाटक राज्य में कम्पनी को कपास के बीजों को बेचने से रोकने के लिए संगत अधिनियमों और नियमों के अधीन उपयुक्त कार्रवाई करना।

ट्रैक्टरों का मूल्य

2132. **श्री किन्जरपु येरनायडु:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव उत्पाद शुल्क हटाकर ट्रैक्टरों के मूल्य को कम करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) सभी ट्रैक्टर (1800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता के सेमी-ट्रेलरों के लिए रोड ट्रैक्टरों और रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्म पर प्रयुक्त प्रकार के ट्रैक्टरों, जिन पर 16% की दर से उत्पाद कर लगाया जाता है, को छोड़कर) पहले से ही उत्पाद कर से मुक्त हैं।

उड़ीसा में प्रवासी पक्षियों की घटती संख्या

2133. **श्री परशुराम माझी:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में चिल्का झील में प्रवासी पक्षियों के आगमन में कमी आने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) झील में उनके आगमन में कमी आने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में तथा चिल्का झील में प्रवासी पक्षियों के अवैध शिकार को रोकने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा): (क) उड़ीसा सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार चिल्का झील में आने वाली प्रवासी पक्षियों की संख्या में किसी कमी के कोई प्रमाण नहीं हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) चिल्का झील में प्रवासी पक्षियों के अवैध शिकार को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं:

1. पक्षियों के अवैध शिकार, उनको जहर देना और पकड़ने की रोकथाम करने के लिए स्थानीय मछुआर कॉ-ऑपरेटिवों की सहायता ली जा रही है।
2. झील के आस-पास के गांवों में 22 पक्षी सुरक्षा समितियां गठित की गई हैं।
3. 33 नाजुक बिन्दुओं को पहचाना गया है जहां पर पहले पक्षियों के अवैध शिकार/पकड़ने की सूचना मिली थी और एक नियंत्रक कक्ष स्थापित किया गया है।
4. वन पदधारियों द्वारा नियमित गश्त लगाई जा रही है और पक्षियों के एकत्र होने के मौसम में इसे और प्रबलित कर दिया जाता है।

वानस्पतिक तथा जैव-उर्वरक इकाइयों का विकास

2134. श्री सनत कुमार मंडल: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में वानस्पतिक तथा जैव-उर्वरक इकाइयों का विकास करने हेतु क्या कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान उनकी क्षमता कितनी रही;

(ग) क्या देश में किसानों द्वारा ऐसे वानस्पतिक तथा जैव-उर्वरकों का प्रयोग रासायनिक उर्वरकों के बराबर कियाजा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा किसानों को कृषि कार्यों में वानस्पतिक तथा जैव-उर्वरकों का प्रयोग करने हेतु जागरूक बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र योजना "जैव उर्वरक विकास व उपयोग राष्ट्रीय परियोजना" के अंतर्गत जैव उर्वरक उत्पादन इकाइयों की स्थापना हेतु 20.00 लाख रुपये प्रति इकाई के हिसाब से वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी थी। इस योजना को अक्टूबर, 2004 से एक नयी केन्द्रीय क्षेत्र योजना "राष्ट्रीय कार्बनिक कृषि परियोजना" के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इस नयी योजना के अंतर्गत, नाबार्ड के माध्यम से ऋण सम्बद्ध वापसी आर्थिक सहायता के रूप में परियोजना लागत की 25% की दर से जैव-उर्वरक उत्पादन इकाइयों की स्थापना हेतु अधिकतम 20.00 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। भारत सरकार और अन्य द्वारा तैयार राज्यवार जैव-उर्वरक उत्पादन सुविधाओं का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

जैव-उर्वरकों का प्रति इकाई क्षेत्र में कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। जैव-उर्वरकों का उत्पादन मांग आधारित है और वर्ष 2001-02, 2002-03 व 2003-04 के दौरान जैव-उर्वरकों का उत्पादन/उपयोग क्रमश: 9.01, 10.37, 11.65 हजार टन था। किसानों में जागरूकता पैदा करने के लिए "राष्ट्रीय कार्बनिक कृषि परियोजना" के अंतर्गत जैव उर्वरकों सहित कार्बनिक आदानों के क्षेत्र प्रदर्शनों और प्रशिक्षणों का आयोजन किया जा रहा है।

विवरण

भारत सरकार व अन्य द्वारा तैयार राज्यवार जैव उर्वरक उत्पादन सुविधाओं का विवरण

राज्य	भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित इकाइयां		अन्य इकाइयां	
	इकाइयों की संख्या	क्षमता (टन)	इकाइयों की संख्या	क्षमता (टन)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	3	225	6	660
अरुणाचल प्रदेश	1	75	—	—

1	2	3	4	5
असम	3	450	2	290
बिहार	3	300	—	—
दिल्ली	—	—	2	80
गुजरात	3	600	1	150
हरियाणा	1	75	1	130
हिमाचल प्रदेश	1	75	—	—
कर्नाटक	9	1050	8	1160
केरल	3	300	3	275
मध्य प्रदेश	4	600	8	1200
महाराष्ट्र	17	2250	12	1740
मेघालय	1	75	—	—
मिजोरम	1	75	—	—
नागालैंड	1	150	—	—
उड़ीसा	3	375	7	840
राजस्थान	2	225	5	750
पांडिचेरी	1	75	2	145
पंजाब	—	—	1	40
उत्तर प्रदेश	4	225	4	540
तमिलनाडु	7	600	10	1320
पश्चिम बंगाल	3	225	8	855
कुल	71	8025	80	10175

भारत सरकार व अन्य इकाइयों की कुल जैव उर्वरक उत्पादन क्षमता - 8025+10175=18200 टन

भारत सरकार व अन्य इकाइयों का कुल अनुमानित जैव उर्वरक उत्पादन - 10000 टन

माइक्रो इरिगेशन

2135. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह:**
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री अभिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'माइक्रो इरिगेशन' हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच इस प्रयोजनार्थ व्यय का हिस्सा कितना है; और

(घ) अभी तक कितने हैक्टेयर भूमि को शामिल कर लिया गया है और राज्यवार किन-किन क्षेत्रों को 'माइक्रो इरिगेशन' के अंतर्गत शामिल किया जाना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी नहीं। तथापि, कृषि मंत्रालय ने 10वीं योजना के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली लघु सिंचाई पर एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम तैयार की है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

मद्रास उर्वरक लिमिटेड (एमएफएल) के लिए मूल्य निर्धारण नीति

2136. प्रो. एम. रामदास: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में उर्वरकों के मूल्य निर्धारण हेतु कौन-कौन से मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या औद्योगिक पुनर्गठन ब्यूरो (ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रीयल रीस्ट्रक्चरिंग) ने मद्रास उर्वरक लिमिटेड (एम एफ एल) के लिए मूल्य निर्धारण नीति की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पर अपनी मंजूरी दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसे कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) स्वदेशी यूरिया उत्पादन इकाइयों को राजसहायता का वितरण दिनांक 1.4.2003 से प्रारम्भ की गई यूरिया की नई मूल्य निर्धारण योजना के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है जो सभी क्षेत्रों अर्थात सार्वजनिक, निजी और सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली यूरिया इकाइयों पर लागू है।

नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पी एण्ड के) उर्वरकों पर रियायत की गणना टैरिफ आयोग द्वारा अनुशंसित पद्धति से की जाती है। मिश्रित उर्वरकों के मामले में, उत्पादकों को दो समूहों में बांटा गया है जो उनके द्वारा "नाइट्रोजन" तत्व प्राप्त करने के लिए अमोनिया के प्रयोग पर आधारित है। मैसर्स फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (फैक्ट), मद्रास फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (एम एफ एल) और गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (जी एन वी एफ सी) को समूह-2 में रखा गया है जबकि अन्य उत्पादकों को समूह-1 में रखा गया है। रियायत दर का निर्धारण तीन महीने में उनके मानकीय आकलित मूल्य का समायोजन करके किया जाता है। यह निर्धारण समूह-1 के लिए आयातित अमोनिया, फॉस्फोरिक एसिड, यूरिया और म्यूरिएट ऑफ पोटाश (एम ओ पी) के मूल्यों पर और समूह-2 के लिए आयातित अमोनिया, नेफ्था, फॉस्फोरिक एसिड और एमओपी पर आधारित होता है।

(ख) से (घ) सरकार ने एम एफ एल की वित्तीय पुनर्संरचना के संबंध में सार्वजनिक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड की सिफारिशों पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

ऋण सहकारी समितियों की लेखापरीक्षा

2137. श्री सुरेश कुरूप: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऋण सहकारी समितियों के लिए स्वायत्त प्रबंधन और स्वतंत्र व्यावसायिक लेखापरीक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उचित विनियामक ढांचे के संबंध में कोई सुझाव दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। सहकारी समितियों, जिनमें सहकारी ऋण समितियां शामिल हैं, का लोकतांत्रिक, स्वायत्त कार्यकरण तथा व्यावसायिक लेखा परीक्षण सुनिश्चित करने तथा इन संस्थानों के विकास हेतु अनुकूल वातावरण सृजित करने के लिए एक उपयुक्त नीति तथा विनियामक ढांचा विकसित करने के लिए सुझाव दिये जाते रहे हैं।

[हिन्दी]

सड़क का निर्माण

2138. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्राचीन विक्रम शिला विश्वविद्यालय के उत्खनन स्थल से विष्णुपुर चौक तक सड़क के निर्माण के लिए एक करोड़ सैंतीस लाख रुपये की राशि प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सड़क का निर्माण बेहद घटिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उक्त सड़क के उचित निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम को देय बकाया राशि

2139. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों हेतु खाद्यान्न उठाने के कारण मंत्रालय पर भारतीय खाद्य निगम की 18,000 करोड़ रुपये की राशि देय है;

(ख) यदि हां, तो क्या खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति ने बढ़ती बकाया राशि पर अपनी चिंता व्यक्त की थी और इस बकाया राशि के निपटान हेतु एक निश्चित समय-सीमा की मांग की थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस बकाया राशि को वसूलने के लिए क्या कार्यवाही की है और इसका क्या परिणाम निकला?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारतीय खाद्य निगम को तिमाही आधार पर अनुमेय अग्रिम राजसहायता रिलीज करता है। तथापि, ग्रामीण विकास मंत्रालय की संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मध्याह्न भोजन योजना के अधीन भारतीय खाद्य निगम द्वारा वितरित किये गये खाद्यान्नों के कारण इन मंत्रालयों के प्रति 30 जून, 2005 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम की लगभग 20,600 करोड़ रुपये की राशि बकाया है।

(ख) से (घ) खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति ने इन मंत्रालयों के प्रति भारतीय खाद्य निगम की भारी बकाया राशि के लिए चिंता व्यक्त की है और सिफारिश की है कि यह मामला संबंधित मंत्रालयों के साथ उच्चतम स्तर पर उठाया जाए।

भारतीय खाद्य निगम की बकाया राशि का शीघ्र भुगतान करने के लिए यह मामला उच्चतम स्तर पर उठाया गया है।

शिल्पकारों को तकनीकी प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता

2140. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसुल:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास उत्कृष्टता के अन्तरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने हेतु समाज के कमजोर वर्गों के शिल्पकारों की कार्यकुशलता को बढ़ाने हेतु उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता देने की कोई प्रणाली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में समाज के कमजोर वर्गों के शिल्पकारों के हितों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत देश भर में फैले 5114 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों (आईटीआई/आईटीसी) के माध्यम से 98 व्यवसायों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। ये संस्थान संबंधित राज्य सरकारों के प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण में हैं। इन संस्थानों में चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों द्वारा समाज के कमजोर वर्गों सहित स्कूली शिक्षा पूरी कर लेने वालों को रोजगारपरक बनाने हेतु आवश्यक कौशल प्रदान किए जाते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संबंधित राज्य सरकारों की रोजगार आरक्षण नीति के अनुसार सीटें आरक्षित हैं। इन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिला अभ्यर्थियों के लिए भी 25% सीटें आरक्षित हैं। सरकार द्वारा चलाये जा रहे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रति प्रशिक्षणार्थी 100 रुपये प्रतिमाह की दर से वृत्तिका के भुगतान का प्रावधान है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गंतव्य विकास योजना

2141. श्री के. विरूपाक्षप्पा: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक सहित राज्य सरकारों के कितने प्रस्ताव गंतव्य विकास योजना (डेस्टीनेशन डेवलपमेंट स्कीम) के अंतर्गत लंबित हैं; और

(ख) इन प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करने में विलंब के क्या कारण हैं और इन्हें कब तक मंजूरी प्रदान किये जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) पर्यटन मंत्रालय, सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति एवं पारस्परिक प्राथमिकता तथा उपलब्ध धनराशि के आधार पर, "गंतव्यों एवं परिपथों का उत्पाद/अवसंरचना विकास" की अपनी योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इन परियोजनाओं को राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने के बाद अंतिम रूप दिया जाता है। वर्ष 2005-06 में कर्नाटक राज्य हेतु जिन गंतव्यों को प्राथमिकता दी गई है, वे निम्नानुसार हैं:

1. जोग प्रपात का गंतव्य विकास

2. मौसूर का गंतव्य विकास

(ख) परियोजना प्रस्तावों को प्रति वर्ष, विचार-विमर्श/परामर्शों के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है एवं उसके बाद राज्य सरकारों से सम्पूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति तथा उपलब्ध धनराशि की शर्त के आधार पर स्वीकृति दी जाती है।

[हिन्दी]

जबलपुर में सोयाबीन उत्पादन संबंधी अध्ययन

2142. श्री राकेश सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि मौसम विज्ञान संबंधी विशेषज्ञ समिति ने जबलपुर में सोयाबीन फसल की वृद्धि, विकास और उत्पादन संबंधी कोई अध्ययन कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं। तथापि, जबलपुर क्षेत्र में सोयाबीन किसानों के लिए मौसम आधारित कृषि संबंधी सलाह देने के लिए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा एक कृषि सलाहकार समिति गठित की गई थी।

(ख) सोयाबीन फसल की वृद्धि, विकास तथा उत्पादकता के विभिन्न पहलुओं पर अखिल भारतीय कृषि मौसम विज्ञान अनुसंधान परियोजना, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा कृषि सलाहकार समिति के तहत आयोजित किये गये अध्ययनों का ब्यौरा निम्नवत है:

* सोयाबीन अजैव दबावों के प्रति बहुत संवेदनशील है और इसकी वृद्धि, विकास तथा उत्पादन असामान्य मौसम स्थितियों और उप इस्टतम नमी (अर्थात अधिक और कम नमी) एवं फोटोथरमल स्थितियों से प्रभावित होते हैं।

* आयोजित फील्ड प्रयोगों के विश्लेषणों से यह प्रदर्शित हुआ कि विलम्ब से किये गये पौध रोपण, (विशेषकर 15 जुलाई के पश्चात) की वजह से वृद्धि में कमी मुख्य रूप से पुष्पण जल्दी शुरू होने तथा अन्य घटक चरणों की गहनता के कारण हुई। पूर्व और उपरान्त पुष्पण अवधि में कमी फोटोथरमल स्थितियों के सोयाबीन जेनोटाईप्स के प्रति अधिक संवेधनशीलता के कारण है। देरी से किये गये पौध रोपण की स्थितियों के अधीन, विभिन्न वृद्धि चरण उत्तरोत्तर अपेक्षाकृत कम फोटो अवधियां एक साथ होती हैं, जो विकास की दर में वृद्धि करती हैं और इस तरह से घटक चरणों की अवधि को कम करती हैं। जुलाई में देरी से पौध रोपण के कारण वृद्धि और उपज में लगभग 30% की कमी हुई।

* जब बुआई विलम्ब से होती है तो पुनउर्त्पादक चरण भी बढ़ता है। यदि दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य समय, जो कि जबलपुर में 20 सितम्बर है, पर वापस लौटता है तो नमी दबाव के कारण 50% तक अथवा इससे भी अधिक उपज कमी होती है।

* जबलपुर उच्च वर्षा वाले क्षेत्र के अधीन है और सोयाबीन वर्टीसोल (मृदा) में उगाया जाता है, जिन्हें कम निकास के लिए जाना जाता है। इस तरह से, उन मृदाओं से जुड़ी अन्तर्निष्ट समस्याओं और जबलपुर में दक्षिण-पश्चिम मानसून मौसम के दौरान अधिक वर्षा के कारण सोयाबीन को अधिक नमी का सामना करना पड़ता है। जबलपुर में दक्षिण-पश्चिम मानसून के प्रारम्भ के समय लगातार और भरी वर्षा, जो कि सोयाबीन फसल मौसम की शुरुआत का संकेत भी होता है, प्राय: विलम्ब से पौध रोपण और उप इष्टतम पौध संख्या का कारण बनता है। जबलपुर में कम उपज के चिरस्थायी कारणों में से यह एक कारण है।

[अनुवाद]

कपास के मूल्य

2143. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.टी. कॉटन की बम्पर पैदावार ने कपास के मूल्यों को न्यूनतम स्तर तक ला दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्थानीय कपास मूल्यों में आई गिरावट और गिरे हुए अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से इस वर्ष देश के वस्त्र क्षेत्र में इन रेशों के हिस्से में, जो लगभग 60% हैं, वृद्धि होना निश्चित है; और

(ग) यदि हां, तो देश में बी.टी. कॉटन उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) जी, नहीं। केवल बैसिलस थुरिंगिएन्सिस की भरपूर फसल के कारण ही कपास का मूल्य न्यूनतम स्तर पर नहीं आया है। चालू कपास मौसम 2004-05 के दौरान कपास के प्रचलित मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में कम रहे हैं। कम मूल्यों के कारण हैं-(1) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कपास के अधीन क्षेत्र में वृद्धि, (2) सूत और उससे तैयार माल की कम मांग, तथा (3) घरेलू कपास मूल्यों पर अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों का बढ़ता प्रभाव, जो घरेलू कपास अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ बढ़ता समेकन दर्शाता है।

मिलों को कृत्रिम रेशों की तुलना में कपास के कच्चे माल की कम लागत के परिणामस्वरूप होने वाले लाभ से खपत में से अधिक कपास की खपत होने की संभावना है, जिसका कारण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कपास के कम मूल्य हैं। हालांकि, चालू वर्ष के लिए कुल रेशे की खपत में कपास के शेयर का परिशुद्ध ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है, फिर भी वर्ष 2004-05 के दौरान देश में कपास की कुल खपत 14% बढ़ने का अनुमान है तथा कपास परामर्शी बोर्ड ने वर्ष 2003-04 में 173.96 लाख गांठों के मुकाबले इसे प्रत्येक 170 कि.ग्रा. गांठ की 198 लाख गांठों का अनुमान लगाया है। कपास का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए देश में कपास उत्पादकों को बी.टी. कपास सहित गुणवत्ताप्रद बीजों की आपूर्ति पर जोर दिया जा रहा है।

कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता

2144. श्री दुष्यंत सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो दसवीं योजना के दौरान इन उद्देश्यों के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) इन पर वस्तुत: अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(घ) क्या दसवीं योजना में कपास उत्पादकों को कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई सहायता दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां। कपास का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने तथा गुणवत्ता में सुधार करने के लिए वर्ष 2000-01 से 13 राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कपास प्रौद्योगिकी मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। कपास प्रौद्योगिकी मिशन में चार मिनी मिशन हैं। मिनी मिशन-1 अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों के विकास से संबंधित हैं तथा इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। मिनी मिशन-2 कपास का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए विकास कार्यों से संबंधित है। इसे कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। मिनी मिशन-3 मंडी यार्डों के विकास तथा मिनी मिशन-4 जीनिंग और प्रेसिंस कारखानों के उन्नयन और आधुनिकीकरण से संबंधित है तथा इन्हें कपड़ा मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ख) और (ग) दसवीं योजना के दौरान केन्द्रीय अंश के रूप में कपास प्रौद्योगिकी मिशन हेतु निर्धारित निधियां 475.70 करोड़ रु. हैं, जबकि दसवीं योजना के दौरान खर्च की गई धनराशि 178.13 करोड़ रु. है।

(घ) और (ङ) कपास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन-2 के अंतर्गत किसानों के खेतों पर प्रदर्शन के जरिए उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियों, किसानों और विस्तार कर्मियों के प्रशिक्षण तथा साथ ही किस्मों/संकरों, जो 15 वर्ष से अधिक पुराने न हों, के प्रमाणित बीजों जैसे आदानों की आपूर्ति, स्प्रेयरों, फेरोमोन ट्रैपों, बायो-एजेंटों और स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई प्रणालियों के लिए कपास उत्पादकों को सहायता दी जाती है।

दसवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान कपास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन-2 के अधीन किया गया वर्ष-वार और राज्य-वार आवंटन संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

दसवीं योजना के दौरान कपास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन-2 के अधीन वर्ष-वार और राज्य-वार आवंटन

(लाख रु. में) केन्द्रीय अंश

राज्य	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
आंध्र प्रदेश	174.00	385.00	623.62	440.00
गुजरात	244.00	425.00	750.00	750.00
हरियाणा	117.00	225.00	225.00	280.00
कर्नाटक	166.00	385.00	486.03	500.00
मध्य प्रदेश	170.00	325.00	607.59	400.00
महाराष्ट्र	410.00	645.00	784.79	786.00
उड़ीसा	64.00	145.00	80.00	78.00
पंजाब	10.00	5.00	1.00	1.00
राजस्थान	163.00	275.00	719.21	500.00
तमिलनाडु	138.00	225.00	339.41	350.00
त्रिपुरा	13.00	15.00	25.00	50.00
उत्तर प्रदेश	16.00	130.00	80.00	65.00
पश्चिम बंगाल	15.00	45.00	50.00	75.00

जल संरक्षण

2145. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री सुशिल कुमार महतो:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गांवों में पानी के संरक्षण हेतु योजना तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयप्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) राज्य सरकारों द्वारा जल का संरक्षण करने के लिए वृहद, मध्यम और लघु स्कीमों सहित जल संसाधन के विकास के लिए कई उपाय प्रारम्भ किये गये हैं। वर्षा जल का संचयन करने के लिए राज्य सरकारें विभिन्न स्कीमों का भी निष्पादन कर रही हैं। भारत सरकार दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान 300 करोड़ रुपये के परिव्यय से "कृषि से सीधे तौर पर जुड़े जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार" नामक एक प्रायोगिक स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है।

आलू के लिए निर्यात राजसहायता

2146. श्री लक्ष्मण सेठ:
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा आलू के निर्यात पर दी जा रही राजसहायता विदेशी द्वारा आलू निर्यात पर दी जा रही राजसहायता की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास इस संबंध में अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) सरकार आलू पर कोई निर्यात राजसहायता नहीं देती है।

(ख) और (ग) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण निम्नलिखित स्कीमों के अधीन आलू सहित कई कृषि उत्पादों के निर्यात पर वित्तीय सहायता देता है:

* अवसंरचना विकास स्कीम
* मण्डी विकास स्कीम
* गुणवत्ता विकास स्कीम
* अनुसंधान और विकास स्कीम
* परिवहन सहायता स्कीम।

[हिन्दी]

ताजा पानी जलचर पालन के विकास के लिए धनराशि

2147. **श्रीमती सुमित्रा महाजन:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मत्स्य किसान विकास एजेंसियों के माध्यम से केन्द्र सरकार से ताजा पानी जलचर पालन विकास नामक केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत 224.24 लाख रुपये की राशि की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये राज्य कौन-कौन से हैं; और

(ग) प्रस्तावित धनराशि को कब तक मंजूर और जारी किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) अंतर्देशीय मात्स्यिकी तथा जलकृषि के विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मत्स्य कृषक विकास एजेंसियों (एफएफडीए) के जरिए ताजा जल जलकृषि के विकास के लिए 224.24 लाख रुपये की मांग की है। जून, 2005 के दौरान राज्य सरकार को पहली किश्त के रूप में कुल 100 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है। जारी की गई धनराशि की उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ-साथ राज्य से प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर मध्य प्रदेश राज्य सरकार को शेष धनराशि जारी करने पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

अभ्यारण्यों की आसपास की सड़कों/राजमार्गों की मरम्मत

2148. **श्री एम. अप्पादुरई:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय ने वन्य जीव अभ्यारण्यों/उद्यानों के निकटवर्ती सड़कों और राजमार्गों की मरम्मत करने के आदेश को ग्राम पंचायतों से वापस ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी सड़कों/राजमार्गों की मरम्मत करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सड़कों/राजमार्गों की मरम्मत की गतिविधियां वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत केवल तभी आती है जब ऐसी सड़कें/राजमार्ग राष्ट्रीय उद्यानों/वन्यजीव अभ्यारण्यों अथवा किसी अन्य अधिसूचित वन भूमि से गुजरते हों।

उर्वरक और रसायन त्रावणकोर लिमिटेड (एफ ए सी टी) कोचीन का अधिग्रहण

2149. **श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:**
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बोर्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइजिज (बीआरपीएसई) ने उर्वरक और रसायन त्रावणकोर (एफएसीटी) लिमिटेड, कोचीन को नयी पुनरुद्धार योजना के भाग के रूप में राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड (आरसीएफ) अधिगृहीत किये जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) सार्वजनिक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) ने दिनांक 17.3.2005 को हुई अपनी बैठक में फैक्ट की प्रबंधन व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के साथ प्रबंधन करार करने की संभावना का पता लगाने का सुझाव दिया है।

(ग) संशोधित प्रस्ताव सार्वजनिक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत किये गये हैं।

पर्यटन क्षेत्र में आवंटन

2150. श्री सर्वानन्द सोनोवाल: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यटन मंत्रालय ने सम्मेलन केन्द्रों, होटलों जैसी परियोजनाओं और पर्यटन संबंधी अन्य गतिविधियों के लिए अधिक बजटीय आवंटन की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटक अवसंरचना के उन्नयन, सम्मेलन केन्द्रों जैसी भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं के निधिकरण, होटल आवास के सृजन हेतु सहायता और प्रचार, विदेशी मार्केटिंग, मानव संसाधन विकास आदि से संबंधित अन्य गतिविधियों के लिए अधिक बजटीय आवंटन की मांग की थी।

(ख) केन्द्र सरकार ने वर्ष 2005-06 के लिए पर्यटन मंत्रालय के योजना शीर्ष के अंतर्गत अधिक आवंटन किया है। आवंटित बजट, वर्ष 2004-05 के दौरान 500 करोड़ रुपयों की तुलना में 786 करोड़ रुपये है।

महाराष्ट्र में कृषि योग्य भूमि

2151. श्री निवेदिता माने:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार विशेषकर महाराष्ट्र में कितने हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि है और इनमें से राज्यवार कितनी भूमि पर वस्तुत: कृषि की जाती है;

(ख) राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में इस राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है;

(ग) देश में राज्यवार कितने व्यक्ति इस समय कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं; और

(घ) सरकार ने देश में विशेषकर महाराष्ट्र में कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) कृषि मंत्रालय द्वारा संकलित भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में कृषि भूमि का क्षेत्र 21.20 मिलियन हैक्टेयर है, जिसमें से खेती के अधीन क्षेत्र 18.83 मिलियन हैक्टेयर है। राज्यवार कृषि भूमि और खेती के अधीन क्षेत्र का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है।

(ख) वर्ष 2003-04 में कुल सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में भारत की कृषि के हिस्से की तुलना में महाराष्ट्र के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) में कृषि क्षेत्र का योगदान निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष 2003-04 हेतु जी.डी.पी. में कृषि का अंश

(करोड़ रु. में)

राज्य/राष्ट्रीय	वर्तमान मूल्यों पर जी.डी.पी.			स्थिर (1993-94) मूल्यों पर जी.डी.पी.		
	कृषि	कुल	कुल जी.डी.पी. में कृषि का अंश	कृषि	कुल	कुल जी.डी.पी. में कृषि का अंश
महाराष्ट्र	34874	333145	10.5%	21667	190151	11.4%
अखिल भारत	521538	2519785	20.7%	283323	1430548	19.8%

(ग) जनसंख्या जनगणना 2001 के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में कृषि क्षेत्र में नियोजित व्यक्तियों (किसान और कृषि श्रमिक दोनों) की संख्या 22.63 मिलियन थी, जबकि पूरे देश में यह 234.1 मिलियन थी। वर्ष 2001 की जनसंख्या जनगणना पर आधारित कृषि में लगे व्यक्तियों की संख्या के राज्य-वार आंकड़े संलग्न विवरण-II में दर्शाए गए हैं।

(घ) अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को देखते हुए, केन्द्रीय बजट 2005-06 में वर्ष 2004-05 की तुलना में वर्ष 2005-06 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए बजटीय परिव्यय में पर्याप्त वृद्धि का प्रावधान किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के लिए बजट में वर्ष 2004-05 के 2800 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2005-06 के लिए 4800 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। भारतीय कृषि में जल उपयोगकुशलता में सुधार लाने के लिए, बजट में सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2005-06 में 400 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। चूंकि, कृषि में निवेश की गति को तीव्र करने में ऋण प्रवाह महत्वपूर्ण है इसलिए कृषि ऋण को वर्ष 2004-05 में 1,15,243 करोड़ रु. के संवितरण की तुलना में वर्ष 2005-06 में 30% तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। ये कार्यक्रम/स्कीमें महाराष्ट्र राज्य को भी कवर करेंगी। इसके अलावा, महाराष्ट्र राज्य में तिलहन विकास कार्यक्रम, त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम, दलहन विकास कार्यक्रम और गहन कपास विकास कार्यक्रम (कपास प्रौद्योगिकी मिशन का मिनी मिशन-2) कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

विवरण I

राज्य-वार कृषि भूमि एवं कृष्ट क्षेत्र

(हजार हैक्टेयर में)

राज्य	कृषि भूमि	कृष्ट क्षेत्र
1	2	3
आंध्र प्रदेश	15778	13121
अरुणाचल प्रदेश	314	195
असम	3225	2873
छत्तीसगढ़	5600	5027
गोवा	197	141
गुजरात	12357	10354
हरियाणा	3735	3691
हिमाचल प्रदेश	801	606
जम्मू-कश्मीर	1050	824
झारखण्ड	4184	3013
कर्नाटक	12908	11669
केरल	2381	2259
मध्य प्रदेश	17373	15514
महाराष्ट्र	21196	18834
मणिपुर	164	140
मेघालय	1053	295
मिजोरम	426	195
नागालैण्ड	669	411
उड़ीसा	7473	6165
पंजाब	4312	4290
राजस्थान	25633	17495
सिक्किम	114	99
तमिलनाडु	8251	6093
त्रिपुरा	310	281
उत्तरांचल	1416	861
उत्तर प्रदेश	19315	17844
पश्चिम बंगाल	5854	5735
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	70	39
चंडीगढ़	2	2
दादर व नगर हवेली	24	24
दमन व दीव	7	4
दिल्ली	58	40
लक्षद्वीप	3	3
पांडिचेरी	32	25
अखिल भारत	182927	154388

विवरण II

कृषि में नियोजित व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या

(मिलियन में)

राज्य/के.शा. प्रदेश	कृषि में नियोजित व्यक्ति
1	2
आंध्र प्रदेश	21.7
अरुणाचल प्रदेश	0.3
असम	5.0
बिहार	21.6
गोवा	0.1
गुजरात	11.0
हरियाणा	4.3
हिमाचल प्रदेश	2.0
जम्मू-कश्मीर	1.8
कर्नाटक	13.1
केरल	2.3
मध्य प्रदेश	18.4
महाराष्ट्र	22.6
मणिपुर	0.5
मेघालय	0.6
मिजोरम	0.3
नागालैंड	0.6
उड़ीसा	9.2
पंजाब	3.6
राजस्थान	15.7
सिक्किम	0.1
तमिलनाडु	13.8
त्रिपुरा	0.6
उत्तर प्रदेश	35.6
पश्चिम बंगाल	13.0
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.0
चंडीगढ़	0.0
दादर व नगर हवेली	0.1
दमन व दीव	0.0
दिल्ली	0.1
लक्षद्वीप	0.0
पांडिचेरी	0.1
उत्तरांचल	1.8
छत्तीसगढ़	7.4
झारखण्ड	6.7
अखिल भारत	234.1

स्रोत: जनसंख्या जनगणना, 2001

[हिन्दी]

संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण हेतु योजना

2152. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री राजनरायन बुधौलिया:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में पशुओं की संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए योजना तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान पशुओं की संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए तैयार की गयी योजनाओं पर राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गयी; और

(घ) सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान मौजूदा और तैयार की गयी योजनाओं के अंतर्गत पशुओं की संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए राज्यवार कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) मंत्रालय के पास संकटापन्न प्रजातियों की सुरक्षा

और संरक्षण के लिए पहले से ही केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं। पशुओं की संकटापन्न प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए किसी नई समर्पित योजना पर विचार नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत स्वीकृत निधियों का ब्यौरा और उपयोग की गई धनराशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I से III पर है।

विवरण I

केन्द्रीय प्रायोजित योजना "राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों का विकास" के अंतर्गत जारी और उपयोग की गई निधियों का विस्तृत विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	जारी की गई राशि 2001-02	उपयोग की गई राशि	जारी की गई राशि 2002-03	उपयोग की गई राशि	जारी की गई राशि 2003-04	उपयोग की गई राशि	जारी की गई राशि 2004-05	उपयोग की गई राशि (5.8.2005 तक प्राप्त)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	25.59	18.442	20.75	—	—	—	69.40	शून्य
2.	आंध्र प्रदेश	88.595	77.56	82.725	83.2404	88.30856	70.535	71.70	73.321
3.	अरुणाचल प्रदेश	160.465	108.801	105.035	61.009	151.046	107.611	111.086	104.006
4.	असम	70.55	168.91	162.135	48.25	93.68	227.89	213.45	—
5.	बिहार	4.52	—	00	—	24.65	—	—	—
6.	चंडीगढ़	18.40	18.20	14.00	14.00	—	—	—	शून्य
7.	छत्तीसगढ़	36.94	28.70	92.025	91.16877	295.93469	255.984	227.29	268.10
8.	दादर एवं नगर हवेली	6.01	1.59	15.25	8.69	—	—	20.00	शून्य
9.	गोवा	89.98	—	शून्य	—	36.45607	9.681	37.50	35.89
10.	गुजरात	127.20	18.95	90.365	29.04	52.14	222.81	223.93	211.29
11.	हरियाणा	15.64	31.71	18.75	29.14	24.84	38.49	45.10	—
12.	हिमाचल प्रदेश	111.235	95.423	93.853	74.6715	168.9605	182.885	343.52	349.085
13.	जम्मू-कश्मीर	26.00	29.91	99.90	62.09651	138.82492	76.914	63.20	—
14.	झारखंड	शून्य	—	29.89	29.89	54.6228	21.50	77.59	110.71
15.	कर्नाटक	388.26	119.204	599.017	225.7889	693.9609	719.64	546.24	—
16.	केरल	81.50	71.444	198.978	240.595	188.371	220.655	238.78879	233.353
17.	मध्य प्रदेश	99.38	74.843	196.332	195.719	344.35594	273.579	268.4755	—
18.	महाराष्ट्र	153.368	129.936	168.20	169.51457	165.24596	129.79134	108.05	221.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	मणिपुर	26.81	58.594	64.50	64.5	57.80	49.50	110.588	118.888
20.	मेघालय	27.95	26.08	40.25	57.64	93.07	96.25	84.82	—
21.	मिजोरम	128.55	105.67	235.60	201.42	231.836	214.891	315.0412	275.3662
22.	नागालैंड	43.13	48.13	107.84	76.00	42.70	39.63	32.32	—
23.	उड़ीसा	70.265	128.37	82.57	92.255	187.25	115.91	370.27	367.93
24.	पंजाब	29.60	—	—	—	—	—	—	—
25.	राजस्थान	73.00	87.759	366.273	208.761	214.819	328.4587	246.62	240.445
26.	सिक्किम	30.45	61.10	132.76	119.16	108.92	102.30	74.40	86.80
27.	तमिलनाडु	75.23	49.54	136.11	118.41	139.76	143.925	158.75	—
28.	त्रिपुरा	46.41	45.387	101.88	71.275	245.26484	54.085	49.125	—
29.	उत्तर प्रदेश	79.815	74.345	137.36	118.28	164.37	177.12	287.53	292.51
30.	उत्तरांचल	38.13	36.23	77.985	61.21	96.39	63.34	68.20	56.20
31.	पश्चिम बंगाल	180.945	103.889	223.67	235.287	214.165	231.824	317.24	298.10186
	कुल	2353.918	1818.717	3694.00	2787.012	4318.74218	4175.199904	4780.22449	3343.856

विवरण II

केन्द्रीय प्रायोजित योजना "हाथी परियोजना" के अंतर्गत जारी और उपयोग की गई निधियों का विस्तृत विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005	
		जारी की गई राशि	उपयोग की गई राशि*	जारी की गई राशि	उपयोग की गई राशि*	जारी की गई राशि	उपयोग की गई राशि*	जारी की गई राशि	उपयोग की गई राशि*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	31	31	50.00	45.00	55.00	47.271	48.00	46.694
2.	अरुणाचल प्रदेश	56	14.288	52.00	60.722	61.00	61.497	59.00	74.588
3.	असम	94.5	65	116.00	69.10	134.100	130.35	130.00	110.5
4.	झारखंड	22.688	22.688	45.00	43.62	93.00	92.38	105.96	132.532
5.	कर्नाटक	81	47.75	93.00	117.34	149.660	157.5	186.22	179.19
6.	केरल	82	58.61	111.88	118.394	188.280	167.105	167.40	156.403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	मेघालय	30	26	41.00	45.00	64.00	59.64	70.00	0
8.	नागालैंड	72.13	72.13	49.00	35.00	42.00	56.00	29.00	29.00
9.	उड़ीसा	102.03	97.442	108.39	114.048	116.100	76.17	137.96	150.46
10.	तमिलनाडु	40	31.54	71.26	57.62	117.00	107.30	84.00	104.36
11.	उत्तरांचल	125.14	119.855	107.00	101.55	129.00	109.74	138.90	17.00
12.	पश्चिम बंगाल	95	66.545	86.47	103.975	119.950	107.43	148.54	142.02
13.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—	0.00	0
14.	त्रिपुरा	1.00	1.00	3.00	3.00	16.00	0	17.00	0
15.	मिजोरम	—	—	5.00	0.00	—	0	0.00	0
16.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	—	—	12.00	11.5
	कुल	832.49	653.848	939.00	914.369	1285.09	1172.38	1333.98	1154.25

*गत वर्ष की खर्च न की गई राशि सहित।

विवरण III

केन्द्रीय प्रायोजित योजना "बाघ परियोजना" के अंतर्गत जारी और उपयोग की गई राशियों का विस्तृत विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	जारी की गई राशि 2002-03	उपयोग की गई गई राशि	जारी की गई राशि 2003-04	उपयोग की गई गई राशि	जारी की गई राशि 2004-05	उपयोग की गई गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	21.10	9.993	22.89	22.85	15.00	37.864
2.	अरुणाचल प्रदेश	35.875	28.773	68.75	66.29	35.00	55.801
3.	असम	65.70	29.70	79.95	—	—	107.85
4.	बिहार	25.00	24.98	50.00	66.40	85.00	42.7079
5.	छत्तीसगढ़	32.48	40.91	80.25	91.524	27.75	8.42611
6.	कर्नाटक	289.56	184.89	269.32	192.235	486.292	435.521
7.	केरल	63.75	59.25	120.68	80.18	105.75	97.01
8.	झारखंड	18.00	77.0015	35.9915	33.8435	72.5005	70.809
9.	मध्य प्रदेश	786.44	658.67	1103.414	579.114	609.93	674.399
10.	महाराष्ट्र	621.79	221.213	228.45	187.39	255.953	89.405

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	मिजोरम	98.32	105.435	67.56	70.94	94.34	110.86
12.	उड़ीसा	32.88	99.41	151.91	65.50	116.4395	149.949
13.	राजस्थान	294.92	179.605	158.330	236.472	79.00	163.799
14.	तमिलनाडु	125.00	102.530	35.00	63.40	80.00	96.81
15.	उत्तरांचल	168.00	157.52	200.91	188.29	200.12	214.99
16.	उत्तर प्रदेश	32.75	30.00	173.585	162.735	175.215	NR
17.	पश्चिम बंगाल	168.33	180.12	225.17	217.50	325.49	47.736
	कुल	2879.895	2190.0005	3067.2105	2404.6135	2763.78	2403.937

बाल श्रम

2153. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री एस.के. खारवेलथन:
श्री संतोष गंगवार:
डा. एम. जगन्नाथ:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बाल श्रमिकों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो देश में वर्ष 1991 और 2001 में बाल श्रमिकों की संख्या क्रमश: कितनी थी;

(ग) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान बाल श्रमिकों के कल्याण और पुनर्वास योजना के लिए आवंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य उक्त निधियों का पूरा-पूरा सदुपयोग कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने बाल श्रमिकों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(च) सरकार विभिन्न कारखानों से छुड़ाये गये बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए कौन-कौन से कार्यक्रम चला रही है और उक्त कार्यक्रमों को किस सीमा तक सफलता प्राप्त हो रही है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, देश में कामकाजी बच्चों की संख्या में 1991 की तुलना में समग्र रूप से मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। तथापि, बच्चों की जनसंख्या की तुलना में कामकाजी बच्चों की प्रतिशतता में कमी आयी है। पिछली दो जनगणना के अनुसार देश में कामकाजी बच्चों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	1991	2001
कामकाजी बच्चों की जनसंख्या (करोड़ रु. में)	1.12	1.26

(ग) विवरण संलग्न है।

(घ) राज्य सरकारों के लिए निधियां जारी नहीं की जाती हैं, अपितु राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत विभिन्न जिलों को सीधे ही आवंटित की जाती हैं और वे उनका उपयोग करते हैं।

(ङ) देश में बाल श्रमिकों की संख्या में आगे वृद्धि को रोकने के लिए, सरकार ने इस देश से बाल श्रम के उन्मूलन हेतु बहुआयामी प्रयास करने के उद्देश्य से सरकार के भिन्न-भिन्न विभागों की विभिन्न कल्याण योजनाओं को आमेलित (कनवर्ज) करने पर ध्यान केन्द्रित किया है।

(च) जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में लगे बाल श्रमिकों को पुनर्वासित करने के उद्देश्य से सरकार देश के 21 राज्यों के 250 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम

कार्यान्वित कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत, बाल कामगारों को नियमित स्कूल शिक्षा व्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल करने के पूर्व उन्हें ब्रिजिंग एजुकेशन उपलब्ध करवाने के लिए विशेष स्कूलों का संचालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, देश के 21 जिलों को कामकाजी बच्चों के पुनर्वास के लिए हाल ही में चलायी गयी इसी प्रकार की इंडो-यू.एस. (इंडस) योजना के अंतर्गत भी कवर किया जाता है। इन कार्यक्रमों को सरकार के सर्व शिक्षा अभियान के साथ मिलाकर कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कामकाजी बच्चों को स्कूल में दाखिला करवाकर उनका पुनर्वास करना है। इन विशेष स्कूलों की प्रगति की नियमित निरीक्षणों तथा विवरणियों के द्वारा मॉनीटरिंग की जाती है तथा इन प्रयासों के काफी सफल परिणाम निकले हैं।

विवरण

क्रमांक	राज्य का नाम	जारी की गयी निधियां 2002-03	जारी की निधियां 2003-04	जारी की गयी निधियां 2004-05
1.	आंध्र प्रदेश	173,099,447	169,316,387	232,220,831
2.	असम	—	—	686,500
3.	बिहार	15,038,454	20,535,724	28,205,834
4.	छत्तीसगढ़	18,705,009	16,847,344	23,080,814
5.	गुजरात	—	—	2,153,500
6.	गोवा	—	—	592,000
7.	झारखंड	16,478,418	18,286,506	19,285,773
8.	कर्नाटक	29,634,864	32,056,910	33,101,388
9.	मध्य प्रदेश	15,040,004	13,498,563	44,521,226
10.	महाराष्ट्र	13,426,232	10,223,618	16,848,418
11.	उड़ीसा	92,931,983	113,266,981	131,264,355
12.	राजस्थान	33,710,290	35,207,381	44,303,713
13.	तमिलनाडु	74,914,668	74,657,543	72,462,692
14.	उत्तर प्रदेश	84,173,823	75,912,162	75,414,744
15.	पश्चिम बंगाल	50,076,934	45,620,576	74,236,099
16.	पंजाब	18,754,380	23,937,440	18,404,902
17.	हरियाणा	—	—	458,500
18.	जम्मू-कश्मीर	—	—	458,500
	कुल	635,984,506	649,367,135	817,699,789

[अनुवाद]

भू-जल स्तर में गिरावट

2154. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अयुक्तिपूर्व उपयोग के कारण भू-जल स्तर चिंताजनक रूप से गिर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान दर्ज की गई गिरावट का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त गिरावट की रोकथाम करते हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या व्यष्टि-सिंचाई को राजसहायता देने की नीति को भू-जल स्तर स्थिति से जोड़ने की सरकार की कोई योजना है जहां भू-जल स्तर में गिरावट अत्यधिक गंभीर है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) जल संसाधन के अधीन केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) देश भर में फैले प्रेक्षण कुओं के माध्यम से भूजल स्तर की मानीटरिंग करता है। इन प्रेक्षण कुओं के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों के एक विश्लेषण से यह पता चलता है कि 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल, दादरा और नगर हवेली तथा पांडिचेरी के 362 जिलों में पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में मानसून अवधि के दौरान भूजल स्तर में उल्लेखनीय कमी (20 सेंटीमीटर/वर्ष से अधिक) देखी गई है। भूजल स्तर में गिरावट के मुख्य कारण शहरीकरण की तेज गति, कृषि, औद्योगिक, घरेलू प्रयोजनों के लिए बढ़ती हुई मांग, फसल प्रणाली में परिवर्तन, भूजल की अत्यधिक निकासी, कम वर्षा इत्यादि हैं।

(ग) जल राज्य का विषय होने के कारण जल संसाधनों के संवर्धन के लिए योजनाओं का प्रतिपादन करना मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों का दायित्व है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने "भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर योजना" नामक एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें 39.25 लाख कृत्रिम पुनर्भरण और छत के वर्षा जल संचयन संबंधी संरचनाओं के निर्माण के माध्यम से 36453 मिलियन घनमीटर अधिशेष मानसून अपवाह के पुनर्भरण की योजना है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने आठवीं योजना और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में भूजल के पुनर्भरण के अध्ययन के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम को कार्यान्वित किया है। भूजल की कमी से निपटने के लिए उपरोक्त के अतिरिक्त केन्द्र सरकार, द्वारा निम्नलिखित उपाय भी किए गए हैं:

(1) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 1970 में एक माडल बिल का परिचालन किया गया जिसे 1992 और 1996 में पुन: परिचालित किया गया ताकि वे भूजल विकास के विनियमन और नियंत्रण के लिए उपयुक्त कानून बना सकें। भूजल के विकास और प्रबंधन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए एक संशोधित माडल बिल, 2005 सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पुन: परिचालित किया गया है।

(2) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मैन्युअल/दिशा-निर्देशों का परिचालन करना ताकि वे भूजल स्तरों में गिरावट के रुख को रोकने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमें तैयार कर सकें।

(3) केन्द्रीय मंत्रालयों/रेल, रक्षा, डाक, दूरसंचार, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विभागों से यह अनुरोध किया गया है कि वे अपने नियंत्रणाधीन भवनों में छत के वर्षा जल संचयन संबंधी संरचनाएं उपलब्ध कराएं।

(4) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले भवनों पर जल संचयन संरचनाएं उपलब्ध कराएं।

(5) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में आने वाले स्थानीय निकायों को यह सलाह दें कि जो व्यक्ति अपने अहाते/परिसर में छत के वर्षा जल संचयन को अपना रहे हैं उन्हें संपत्ति कर में छूट दी जाए।

(6) सीजीडब्ल्यूबी ने राज्य सरकार अभिकरणों, शैक्षणिक संस्थानों, निजी उद्यमों और व्यक्तियों सहित लगभग 2000 अभिकरणों को वर्षा जल संचयन के संबंध में तकनीकी दिशानिर्देश मुहैया कराये हैं।

(7) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत गठित केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) के भूजल संसाधनों के अति दोहन को ध्यान में रखते हुए 11 नाजुक क्षेत्रों और भूजल संरचनाओं के पंजीकरण के लिए 32 अतिदोहित क्षेत्रों को अधिसूचित किया है।

(8) वर्षा जल संचयन की विभिन्न तकनीकों और भविष्य में उपयोग के लिए इसके भंडारण के संबंध में जनता को जागरूक और शिक्षित करने के लिए छत के वर्षा जल संचयन पर एक वेबसाइट (डब्ल्यू.डब्ल्यू. सीजीडब्ल्यूबी.नेट) की शुरूआत करना।

(9) वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी जन-जागरूकता कार्यक्रमों और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन।

(10) युवा और बच्चों, महिलाओं, किसानों तथा ग्रामवासियों, नीति और विचारकर्ताओं जैसे विभिन्न लक्षित समूहों को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण अभियान चलाया गया है। इस प्रयोजन के लिए प्रिंट मीडिया द्वारा प्रचार, दूरदर्शन पर स्पाट का प्रसारण, रेडियो पर संदेशों का प्रचार-प्रसार, सेमिनारों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों आदि का आयोजन किया गया है।

(11) शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार ने भवन उप-नियम, 1983 में संशोधन कर दिल्ली में 100 वर्ग मीटर और इससे अधिक के प्लाटों पर नए भवनों में जल अपवाह सहित वर्षा जल के भंडारण के माध्यम से जल संचयन के प्रावधान को अनिवार्य कर लिया है। इसी प्रकार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और केरल राज्य सरकारों ने विशिष्ट मामलों में छत के वर्षा जल संचयन को अनिवार्य कर दिया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र में निवेश

2155. **श्री वी.के. थुम्मर:**
श्री निखिल कुमार:
श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री अधीर चौधरी:
श्री एन.एन. कृष्णदास:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र में कितना निवेश किया गया है;

(ख) क्या कृषि क्षेत्र में किए जाने वाले निवेश में लगातार कमी आ रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने कृषि में निवेश में वृद्धि करने की कोई योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो कृषि क्षेत्र में निवेश में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष 1993-94 के मूल्यों पर सकल पूंजी निर्माण (जी.सी.एफ.) के आंकड़ों के रूप में आंका गया वानिकी, लट्ठाबंदी (लागिंग) तथा मात्स्यिकी सहित कृषि में निवेश नीचे दर्शाया गया है)

(करोड़ रु. में)

वर्ष	सार्वजनिक	निजी	कुल
2001-02	5488	14872	20360
2002-03	4760	16740	21500
2003-04	5699	18487	24186

(ख) और (ग) वानिकी, लट्ठाबंदी और मात्स्यिकी के संवर्गी क्षेत्रों सहित कृषि में वास्तविक सार्वजनिक निवेश में क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान सतत कमी देखी गई है। कृषि में सार्वजनिक निवेश की प्रवृत्तियों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि इसमें वास्तव में (1993-94 मूल्यों पर) छठी योजना (1980-85) के दौरान 35640 करोड़ रु. से घटकर सातवीं योजना (1985-90) में 28793 करोड़ रु. और नौवीं योजना (1997-2002) के दौरान 25298 करोड़ रु. रह गया। उपर्युक्त संदर्भित सकल पूंजी निर्माण में गिरावट करीब-करीब समग्र रूप से कृषि में सार्वजनिक निवेश के कारण है, जो अनिवार्य रूप से सिंचाई में निवेश है।

(घ) और (ङ) कृषि क्षेत्र में निवेश का स्तर बढ़ाने के लिए कृषि मंत्रालय (फसल और पशुपालन एवं डेयरी) का कुल योजना परिव्यय वर्ष 2004-05 (बजट अनुमान) में 4150 करोड़ रु. से 44% बढ़ाकर वर्ष 2005-06 (बजट अनुमान) में 5998 करोड़ रु. कर दिया गया है। वर्षा जल संचयन तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों में फसल रक्षक सिंचाई के रूप में जल के कुशल उपयोग पर ध्यान देकर शुष्क भूमि कृषि, स्वर्ण क्रांति और निर्यात संवर्धन की सततता बनाए रखकर बागवानी फसल को दोगुना करने और किसानों की

आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लक्ष्य से राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जैसी नई स्कीमों सहित बड़ी संख्या में स्कीमों में निवेश में महत्वपूर्ण वृद्धि के माध्यम से कृषि में उत्पादक क्षमता में सुधार, चाहा गया है, जो कि रोजगार और आय बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्रों को बड़े स्तर पर लाभ पहुंचाती हैं। वर्ष 2005-06 के बजट में वर्ष 2004-05 में 2800 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2005-06 के लिए त्वरित सिंचाई लाभ के लिए 4800 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। भारतीय कृषि में जल उपयोग कुशलता में सुधार की दृष्टि से, बजट में सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2005-06 में 400 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। चूंकि कृषि में निवेश की गति को तेज करने में ऋण का प्रवाह महत्वपूर्ण हैं इसलिए कृषि ऋण के संवितरण में वर्ष 2004-05 में 1,15,243 करोड़ रु. के ऋण संवितरण की तुलना में वर्ष 2005-06 में 30% तक की वृद्धि का प्रस्ताव है।

विस्तार सहित अनुसंधान और शिक्षा हेतु योजना परिव्यय को वर्ष 2004-05 में 1000 करोड़ रु. से 15% बढ़ाकर वर्ष 2005-06 में 1150 करोड़ रु. कर दिया गया है। समग्र रूप में प्रगामी आधार पर किए गए उपायों से आशा की जाती है कि कृषि विकास वृद्धि की ओर उन्मुख होगा। साथ ही चूंकि कृषि राज्य का विषय है अत: राज्यों को कृषि पर अपने बजटीय परिव्यय को बढ़ाना होगा।

[अनुवाद]

असम की पर्यटन योजनाएं

2156. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि असम में रेवेन्यू जेनरेटिंग प्रोजेक्ट्स, इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट आफ टूरिस्ट सर्किट्स एंड डेस्टीनेशन डेवलपमेंट स्कीमों के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है और प्रत्येक योजना के संबंध में कुल परिव्यय, निर्धारित लक्ष्य, वार्षिक आबंटन, उपयोगिता क्या है और कितनी प्रगति की गई है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): पर्यटन के विकास की जिम्मेवारी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार इस उद्देश्य हेतु तैयार की गई योजनाओं के अंतर्गत पर्यटन परिपथों के एकीकृत विकास एवं गंतव्य विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। असम राज्य की ओर से राजस्व सृजक परियोजनाओं की योजना के अंतर्गत कोई परियोजना प्राप्त नहीं हुई है।

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के कुल बजट परिव्यय का 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्धारित है और इसका कोई राज्यवार कोई लक्ष्य नहीं है। पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए निधियों का आबंटन भी राज्यवार आधार पर नहीं किया जाता है, बल्कि राज्य सरकारों के परामर्श से अभिनिर्धारित पर्यटन-संबंधी परियोजनाओं प्रस्तावों, जो कि सभी प्रकार से पूर्ण हों, की प्राप्ति पर निधि मंजूर की जाती है।

मंत्रालय ने पिछले 3 वर्षों के दौरान असम राज्य के लिए पर्यटन परिपथों और पर्यटक गंतव्यों के विकास के लिए वित्तीय सहायता मंजूर की है, जो निम्नानुसार है:

वर्ष	स्वीकृत राशि
2002-03	721.30 लाख रुपए
2003-04	313.46 लाख रुपए
2004-05	821.75 लाख रुपए

राज्य सरकार के स्तर पर निगरानी की जाने वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अलग समय अनुसूची नहीं हैं। धनराशि प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय वित्तीय सहायता के उपयोग के आधार पर और समापन प्रमाण-पत्र एवं प्रसेट अंडरटेकिंग के प्रबंधन संबंधी आवश्यक कागजातों की प्राप्ति पर किस्तों में जारी की जाती है।

[हिन्दी]

बाघ अभ्यारण्यों संबंधी कृतिक बल

2157. श्रीमती मेनका गांधी:
श्री सुरेश चन्देल:
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:
डा. एम. जगन्नाथ:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री चंद्रकांत खैरे:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री जुएल ओराम:
श्री अनन्त नायक:
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बाघों की घटती संख्या की समीक्षा हेतु गठित कृतिक बल ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो कृतिक बल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस प्रतिवेदन को कब तक प्रस्तुत करने की संभावना है;

(ङ) क्या विशेषज्ञों ने सरकार द्वारा अवैध शिकार की रोकथाम करने हेतु राष्ट्रीय वन्य जीव ब्यूरो गठित करने के सरकार के प्रस्ताव के प्रति अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (घ) टास्क फोर्स की रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया गया है और शीघ्र ही प्रधानमंत्री को प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(ङ) और (च) इस संबंध में प्राप्त मामलों/परामर्शों पर विधिवत रूप से विचार किया गया है।

वर्षा जल संचयन

2158. श्री महावीर भगोरा: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दक्षिण राजस्थान के कोटदा, झाडौल, गोगुडा, खेखाडर, सलुम्बर, सरारा, आसपुर के जनजातीय क्षेत्रों में कृषि प्रयोजन हेतु वर्षा जल का मात्र 5 से 10 प्रतिशत उपयोग किया जा रहा है और 90 से 95 प्रतिशत समुद्र में बेकार जाता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार शेष 90 से 95 प्रतिशत वर्षा जल को किसानों को उपलब्ध कराने हेतु इसका वर्षा संचयन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, नहीं। राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि यह सच नहीं है कि दक्षिण राजस्थान का 90 से 95 प्रतिशत जल बर्बाद होकर समुद्र में जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नई सिंचाई योजनाएं

2159. श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री शिवराज सिंह चौहान:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार छोटे और सीमांत किसानों के लाभ के लिए नई सिंचाई योजनाओं को क्रियान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार द्वारा राज्यवार कुल कितनी धनराशि आबंटित/जारी की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, तैयारी और निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों एवं प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है। केन्द्र सरकार ने छोटे और सीमान्त किसानों के लाभ के लिए नई सिंचाई स्कीमों का प्रस्ताव नहीं किया है। तथापि, केन्द्र सरकार ने जनवरी, 2005 में दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेषावधि के लिए 300 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय सहित एक प्रायोगिक स्कीम "कृषि से सीधे रूप से जुड़े जल निकायों की मरम्मत, पुनरुद्धार एवं पुनर्स्थापन के लिए राष्ट्रीय परियोजना" का अनुमोदन किया है। इस परियोजना के उद्देश्य जल निकायों की भण्डारण क्षमता की पुनर्स्थापना एवं संवर्धन करना तथा इनकी खोई हुई सिंचाई क्षमता को पुन: प्राप्त करना और इसे बढ़ाना है। इस स्कीम में राज्यों द्वारा एक या दो जिलों में प्रायोगिक परियोजनाओं को आरंभ करने पर विचार किया गया है। जल संसाधन मंत्रालय ने 9 राज्यों के 16 जिला परियोजनाओं को अनुमोदित किया है। वर्ष 2004-05 और 2005-06 में इस स्कीम के तहत विभिन्न राज्यों को जारी किए गए केन्द्र के हिस्से का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। क्योंकि देश में कई वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं विभिन्न कारणों से बन्द पड़ी हैं, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारण राज्य सरकारों की वित्तीय बाधाएं हैं, ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से जो राज्यों की संसाधन क्षमता से बाहर है या पूरा होने की अंतिम अवस्था में हैं, केन्द्र सरकार ने वर्ष 1996-97 के दौरान अनुमोदित निर्माणाधीन वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को केन्द्रीय ऋण सहायता (सीएलए) मुहैया कराने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) का आरंभ किया। दलितों एवं आदिवासियों को लाभ देने वाले जनजातीय क्षेत्र और सूखा प्रवण क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए गैर-विशेष श्रेणी राज्यों के 100 हेक्टेयर या इससे अधिक क्षमता वाली लघु सिंचाई स्कीमों को शामिल करने

के लिए एआईबीपी के तहत परियोजनाओं को सम्मिलित किए जाने संबंधी मानदण्ड में छूट दी गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान एआईबीपी के अन्तर्गत जारी की गई सीएलए/अनुदान का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। वर्ष 2005-06 के दौरान एआईबीपी के तहत राज्यों को कोई सीएलए/अनुदान जारी नहीं किया गया।

विवरण I

वर्ष 2004-05 के दौरान चरण-I में अनुमोदित जिला परियोजनाओं का विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिले का नाम	अनुमानित लागत	केन्द्र का हिस्सा	2004-05 में जारी केन्द्र का हिस्सा	2005-06 में जारी केन्द्र का हिस्सा
1.	आन्ध्र प्रदेश	महबूब नगर	32.840	24.63	2.44	
		अनन्तपुर	13.770	10.33	0.00	
2.	कर्नाटक	गुलबर्गा	31.640	23.73	4.42	
		बंगलौर देहात	11.010	8.25	1.00	
3.	झारखण्ड	सराईकेला	2.854	2.14	0.33	
		पलामू	10.060	7.55	1.17	
4.	छत्तीसगढ़	कबीरधाम	2.240	1.68	0.00	0.75
5.	उड़ीसा	गंजम	12.820	9.62	1.14	
		गजपति	6.010	4.51	0.55	
6.	राजस्थान	अजमेर	4.489	3.37	0.00	
		पाली	2.450	1.84	0.00	
7.	पश्चिम बंगाल	उत्तर दिनाजपुर	4.934	3.70	0.74	
		दक्षिण-24 परगना	18.664	14.00	0.21	
8.	तमिलनाडु	शिवागंगे	1.222	0.92	0.00	
		विल्लुपुरम	9.372	7.03	0.00	
9.	मध्य प्रदेश	टीकमगढ़	3.923	2.94	0.00	
	कुल		168.298	126.24	12.00	0.75

विवरण II

वर्ष 2002-03 से 2004-05 के लिए एआईबीपी के अधीन जारी सीएलए/अनुदान की स्थिति

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	2002-03 जारी की गई राशि	2003-04 जारी की गई राशि	2004-05 जारी की गई राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	33.186	205.530	87.547
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.500	20.00	10.000
3.	असम	16.274	19.202	16.930
4.	बिहार	14.481	74.644	37.215
5.	छत्तीसगढ़	104.000	74.630	2.925
6.	गोवा	0.000	2.000	0.650
7.	गुजरात	1000.330	650.359	530.500
8.	हरियाणा	18.000	7.735	11.135
9.	हिमाचल प्रदेश	8.150	14.692	3.690
10.	जम्मू-कश्मीर	34.999	21.545	12.745
11.	झारखंड	9.670	1.833	21.285
12.	कर्नाटक	620.850	266.478	396.295
13.	केरल	5.665	31.000	49.440
14.	मध्य प्रदेश	220.000	568.440	516.701
15.	महाराष्ट्र	133.134	164.395	529.286
16.	मणिपुर	19.500	15.500	13.000
17.	मेघालय	1.500	1.088	1.744
18.	मिजोरम	0.750	9.300	5.000
19.	नागालैंड	2.659	8.000	4.000
20.	उड़ीसा	179.570	154.685	24.223
21.	पंजाब	36.660	0.000	0.000
22.	राजस्थान	174.385	499.837	352.904
23.	सिक्किम	0.750	0.750	0.750

1	2	3	4	5
24.	तमिलनाडु	0.000	0.000	0.000
25.	त्रिपुरा	13.395	13.377	11.000
26.	उत्तर प्रदेश	359.000	274.785	175.920
27.	उत्तरांचल	25.163	25.553	38.992
28.	पश्चिम बंगाल	28.133	3.1444	13.461
	कुल	3061.703	3128.501	2867.338

जड़ी-बूटी एवं औषधीय पौधों हेतु सहायता

2160. मो. मकीम:
श्री गणेश सिंह:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में औषधीय पौधों एवं जड़ी-बूटियों का राज्यवार कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और इसके पश्चात औषधीय पौधों और जड़ी-बूटियों की खेती को प्रोत्साहन देने हेतु क्या सहायता उपलब्ध कराई गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों में औषधीय और जड़ी-बूटी वाले पौधों का अनुमानित उत्पादन क्रमश: 850 टन और 669 टन है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में औषधीय तथा जड़ी-बूटी वाले पौधों को उगाने के लिए किसानों को मुहैया कराई गई सहायता इस प्रकार है:

(लाख रुपये में)

वर्ष	उत्तर प्रदेश	उत्तरांचल
2002-03	3.94	3.00
2003-04	2.25	33.49
2004-05	21.98	61.88

[अनुवाद]

सिलाई कामगारों का कल्याण

2161. श्री पी. करुणाकरन: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सिंचाई कामगारों से उनकी विभिन्न मांगों के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कल्याण कोष और सिंचाई कामगारों को अन्य सुविधाओं के संबंध में विधान लाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसी राज्य सरकार ने सिलाई कामगारों हेतु कल्याण कोष अधिनियम बनाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) केरल और तमिलनाडु जैसी कुछ राज्य सरकारों ने सिलाई कामगारों के लिए कल्याण निधियां/स्कीमें स्थापित की हैं। केरल ने केरल सिलाई कामगार कल्याण निधि बोर्ड की स्थापना की है जिसके अंतर्गत विकलांगता पेंशन, सेवानिवृत्ति पेंशन, विवाह राहत, प्रसूति लाभ, छात्रवृत्ति, नकद पुरस्कार आदि प्रदान किए जाते हैं। तमिलनाडु सिलाई कामगार सामाजिक सुरक्षा और

कल्याण स्कीम-2001 में दुर्घटना और स्वाभाविक मृत्यु, विवाह, शिक्षा और अंत्येष्टि क्रिया के लिए सहायता दिए जाने का प्रावधान है।

उचित दर दुकानों की स्थिति

2162. डा. के. धनराजू: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में उचित दर दुकानों (एफपीएस) को या तो घरों में या जीर्ण-शीर्ण अवस्था वाले किराये के भवनों में स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त दुकानों में खाद्यान्नों, चीनी इत्यादि को अस्वस्थकर ढंग से रखा जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उचित दर दुकानों के माध्यम से वितरित की जाने वाली वस्तुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु उचित मूल्य की दुकानों के लिए पक्के भवन के निर्माण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा-निर्देश जारी करने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त प्रयोजन हेतु राज्यों को विशेष निधि प्रदान करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (च) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है, जिसमें केन्द्र सरकार खाद्यान्नों की वसूली, भण्डारण और भारतीय खाद्य निगम के प्रमुख वितरण केन्द्रों तक उनकी ढुलाई के लिए जिम्मेदार है। उचित दर दुकान खोलने और उनके प्रशासन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। तथापि, जीर्ण-शीर्ण भवनों में उचित दर दुकानों को चलाने और अस्वास्थ्यकर स्थितियों में खाद्यान्नों को रखने जैसी कोई घटनाएं हाल ही में सरकार के ध्यान में नहीं आई हैं।

[हिन्दी]

वन भूमि का अतिक्रमण

2163. श्री हंसराज जी. अहीर:
श्री रघुनाथ झा:
श्री एस.के. खारवेलथन:
श्रीमती गीता पटैरिया:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वन भूमि के अतिक्रमण के मामलों में चिंताजनक रूप से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो अतिक्रमित वन-भूमि के क्षेत्रफल/प्रतिशतता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या कतिपय कानून वन भूमि का अन्य प्रयोजनों से भी उपयोग करने की अनुमति देते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अतिक्रण की रोकथाम करने हेतु विद्यमान कानूनों का संशोधन करने की आवश्यकता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार 31.3.2004 के अनुसार देश में 13.43 लाख हैक्टेयर वन भूमि अवैध कब्जों में है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वनभूमि पर अवैध कब्जा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 26 के अंतर्गत एक अपराध है और इसलिए उसकी बेदखली अपेक्षित है। यद्यपि, केन्द्रीय सरकार ने सितम्बर, 1990 में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत मार्गनिर्देश जारी किए हैं जो केन्द्रीय सरकार और राज्य/संघ शासित सरकारों को 1980 के बाद के सभी अवैध कब्जाधारियों को निष्कासित करने की शर्त के साथ एक बार में 1980 से पूर्व के पात्र कब्जों को नियमित करने में समर्थ बनता है। वर्ष 1980 से पूर्व के पात्र कब्जों को नियमित करने की व्यवस्था के साथ केन्द्रीय सरकार ने यह पाया कि वनभूमि पर अवैध कब्जे बढ़ रहे थे। इसलिए उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने 3 मई, 2002 को सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वन भूमि से अपात्र अवैध कब्जों को समयबद्ध रूप से निष्कासित करने के निर्देश दिए हैं। विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार वन भूमि के लगभग 1.52 लाख हैक्टेयर से अवैध कब्जों को हटा दिया गया है।

(ग) और (घ) पावर उत्पादन (पन-विद्युत, थर्मल, गैस और पवन) सिंचाई, सड़कों के निर्माण रेलवे लाइनों, ट्रांसमिशन लाइनें, पेयजल आपूर्ति परियोजनाएं, गांव में बिजली, स्कूल अस्पताल आदि जैसी विकासात्मक परियोजनाओं के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अंतर्गत गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वनभूमि के विनियमित उपयोग की अनुमति है। ऐसे वनेतर

प्रयोग के कारण होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने के लिए प्रतिपूरक वनीकरण और अन्य आवश्यक उपाय परियोजना लागत पर किए जाते हैं।

(ङ) और (च) जी नहीं। भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत उपबंधों और इस समय लागू राज्य वन अधिनियम वनभूमि पर अवैध कब्जों की समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त है।

विवरण

मई, 2002 से वन भूमि पर राज्यवार अवैध कब्जे और उनकी बेदखली (31.3.2004 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य का नाम	मई 2002 तक वन भूमि पर अवैध कब्जे (हैक्टेयर)	मई 2002 को वन भूमि पर अवैध कब्जों की बेदखली (हैक्टेयर)	31.3.2004 को वनभूमि पर वर्तमान अवैध कब्जे (हैक्टेयर)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	295383.000	0.000	295383.000
2.	असम	371450.000	71740.000	299710.000
3.	अरुणाचल प्रदेश	4038.000	150.190	3887.710
4.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	4637.890	2580.400	2057.490
5.	बिहार	854.181	602.313	251.869
6.	चण्डीगढ़	0.000	0.000	0.000
7.	छत्तीसगढ़	150495.000	0.000	150495.000
8.	दिल्ली	0.000	0.000	0.000
9.	दमन और दीव	87.960	0.000	87.960
10.	दादर व नगर हवेली	614.350	0.000	614.350
11.	गुजरात	36556.400	14416.860	22139.540
12.	गोवा	1012.000	0.000	1012.000
13.	हरियाणा	2147.900	873.840	1274.060
14.	हिमाचल प्रदेश	2925.999	84.124	2841.875
15.	जम्मू-कश्मीर	11090.000	1806.000	9284.000
16.	झारखंड	50177.800	1739.390	48438.410
17.	कर्नाटक	87658.000	19948.000	67710.000
18.	केरल	9473.000	2183.000	7290.000
19.	लक्षद्वीप	0.000	0.000	0.000
20.	महाराष्ट्र	93199.390	13557.660	79461.730

1	2	3	4	5
21.	मणिपुर	535.990	2.750	533.240
22.	मेघालय	6584.490	0.000	6584.490
23.	मध्य प्रदेश	146182.225	8071.640	138110.585
24.	मिजोरम	18759.616	0.000	18759.616
25.	नागालैंड	0.000	0.000	0.000
26.	उड़ीसा	45068.964	2463.434	42605.530
27.	पंजाब	7233.573	420.767	6812.806
28.	पांडिचेरी	0.000	0.000	0.000
29.	राजस्थान	15073.154	8360.412	6712.742
30.	सिक्किम	3550.090	50.450	3499.640
31.	तमिलनाडु	19253.848	1698.284	17555.564
32.	त्रिपुरा	59336.150	0.000	59336.150
33.	उत्तरांचल	9948.800	280.800	9668.000
34.	उत्तर प्रदेश	27576.530	361.900	27214.630
35.	पश्चिम बंगाल	14842.432	1007.896	13834.536
	कुल	1495746.732	152400.110	1343346.622

[अनुवाद]

पर्यावरणीय विकास हेतु सीआईडीए से सहायता

2164. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पर्यावरण अनुकूल विकास को बढ़ावा देने हेतु कनाडियन इन्टरनेशनल डेवलपमैंट एजेंसी ने अनुदान दिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सीआईडीए द्वारा सहायता प्राप्त पर्यावरण परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजनाओं हेतु सरकार द्वारा प्राप्त सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त सहायता की निबंधन एवं शर्तें क्या हैं; और

(ङ) आज की तिथि के अनुसार बकाया ऋण की धनराशि का ब्यौरा क्या है और उक्त सहायता का पुनर्भुगतान कब किया जाएगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (ग) जी, हां। कनाडा अन्तर-राष्ट्रीय विकास अभिकरण (सीडा) ने देश में पर्यावरण अनुकूल विकास को बढ़ावा देने के लिए इन्डिया-कनाडा पर्यावरण सुविधा (आई सी ई एफ) को 1994-98 की अवधि के दौरान 135.12 करोड़ रुपयों का पण्य अनुदान दिया है। उसके बाद, पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार को कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) भारत सरकार और कनाडा के बीच हुए समझौता ज्ञापन का मूल रूप जिसमें भारत कनाडा पर्यावरण सुविधा परियोजना की प्रमुख निबंधन और शर्तें दी गई हैं, ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारत सरकार और कनाडा सरकार

के बीच

समझौता ज्ञापन

भारत सरकार (जिसे अब से "भारत" कहा जाएगा) और कनाडा सरकार (जिसे अब से "कनाडा" कहा जाएगा) जो कनाडा विकास सहायता परियोजना के संबंध में समझौता करना चाहते हैं जिसके अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित भारत और कनाडा की प्राथमिकताओं के प्रति प्रतिक्रिया दिखाने वाली विकास परियोजनाओं के प्रबंधन और कार्यान्वयन हेतु बढ़ती हुई जिम्मेदारी को ग्रहण करने के लिए चुनिन्दा भारतीय संगठनों को समर्थन प्रदान करने हेतु मेकेनिज्म की स्थापना हो सकेगी, इसे भारत/कनाडा पर्यावरण सुविधा परियोजना (जिसे अब से "परियोजना" कहा जाएगा) के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाएगा है, निम्नलिखित समझौता किया है:

अनुच्छेद I

समझौता ज्ञापन का स्वरूप

खण्ड 1.01

इस समझौता ज्ञापन में कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि शामिल नहीं है। यह भारत और कनाडा के बीच विकास सहयोग के संबंध में सामान्य समझौता के अनुसरण में 13 फरवरी, 1989 को कई गई एक सहायक व्यवस्था है और इस परियोजना के संबंध में दोनों सरकारों के दायित्व निर्धारित करने के इरादे से यह व्यवस्था की गई है।

खण्ड 1.02

इस परियोजना के प्रयोजनार्थ, विकास सहयोग से संबंधित सामान्य समझौते के सभी प्रावधान इस पर लागू होंगे जब तक कि इस समझौता ज्ञापन की शर्तों के तहत (किसी प्रावधान को) विशेष रूप से निकाल न दिया गया हो।

अनुच्छेद II

उत्तरदायी प्राधिकरण

खण्ड 2.01

कनाडा ने, इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दायित्वों के कार्यान्वयन के लिए कनाडा अन्तरराष्ट्रीय विकास अभिकरण को (जिसे अब से "सीडा" कहा जाएगा) उत्तरदायी अभिकरण के रूप में नामोद्दिष्ट किया है।

खण्ड 2.02

भारत ने, इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दायित्वों का कार्यान्वयन करने के लिए भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग को (अब से "डी.ई.ए." कहा जाएगा) उत्तरदायी अभिकरण के रूप में नामोद्दिष्ट किया है।

अनुच्छेद III

परियोजना

खंड 3.01

भारत और कनाडा के पात्र भारतीय संगठनों द्वारा, इसके तहत कनाडा पण्य के मुद्रीकरण के माध्यम से प्राप्त की गई समकक्ष निधियों के उपाय से और तदनुसार सरकार से सरकार का समझौता द्वारा विकास उप परियोजनाओं के क्रियान्वयन को समर्थन करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए परियोजना में भाग लेंगे। पण्य के मुद्रीकरण से प्राप्तियां भारत और कनाडा के पर्यावरणीय प्राथमिकताओं से संगत विकासात्मक उप-परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराए जायेंगे।

खंड 3.02

भारतीय संगठन परियोजना विकास और क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे।

खंड 3.03

परियोजना के लिए पण्यों का प्रापण, भारत और कनाडा द्वारा संयुक्त रूप से सहमत हुए मानदंडों के अनुसार और परियोजना प्रबंधन योजना में निर्धारित किए गए कार्याविधि के अनुसार कनाडा द्वारा किया जायेगा।

खंड 3.04

पण्य का चयन, क्रय और परिमाण और पण्य शिपमेंट का समय-निर्धारण, भारत और कनाडा के बीच समान्य वाणिज्यिक व्यापार को ना विछिन्न, विस्थापित अथवा कम करेगा।

अनुच्छेद IV

परियोजना प्रबंधन योजना

खंड 4.01

परियोजना के क्रियान्वयन के लिए भारत और कनाडा एक परियोजना प्रबंधन योजना विकसित करेंगे जिसमें संक्रियात्मक दस्तावेज

संघटक होंगे। अन्य बातों के साथ-साथ इसमें निम्नलिखित भी शामिल होंगे:

(क) परियोजना का विस्तृत वर्णन;

(ख) परियोजना गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए एक अनुसूची;

(ग) परियोजना के लिए रिर्पोटिंग अपेक्षाएं;

(घ) परियोजना मूल्यांकन के लिए स्वरूप, समय निर्धारण और उत्तरदायित्व और वे उपाय जिनके द्वारा ये पूरे किये जायेंगे;

(ङ) परियोजना के लिए अपेक्षित संसाधन; और

(ङ) परियोजना प्रतिभागियों की बाध्यता, कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों का विवरण।

प्रबंधन योजना समय-समय पर संयुक्त परियोजना विषय निर्वाचन समिति द्वारा संशोधित की जायेगी।

अनुच्छेद V

कनाडा का योगदान

खंड 5.01

कनाडा के योगदान में पण्यों का प्रावधान, संयुक्त परियोजना विषय निर्वाचन समिति में सहभागिता, परियोजना निदेशक के रूप में कनाडा के सहभागियों का चयन, तकनीकी सहायता और मूल्यांकन शामिल होगा। कनाडा के योगदान की कुल कीमत बहत्तर मिलियन कनाडा डालर (C$ 72000,000)।

कनाडा का वार्षिक योगदान, कनाडा की संसद द्वारा आवश्यक विकास सहायता निधियों के आबंटन की शर्त पर होगा।

खंड 5.2

योगदान से वसूल की गई प्राप्तियों को भारत किसी कर, शुल्क, कस्टम ड्यूटी अथवा भारत द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी माल, सामग्री, उपस्कर, वाहनों अथवा क्रय अथवा प्राप्त की गई सेवाओं के लिए अथवा परियोजना को पूरा करने के संबंध में उपयोग में नहीं लायेगा।

अनुच्छेद VI

भारत का योगदान

खंड 6.01

भारत के योगदान में क्रय की जाने वाली पण्यों को अभिज्ञात करना और विनिर्देशन, संयुक्त परियोजना विषय निर्वाचन समिति में भाग लेना, परियोजना सह-निदेशक का चयन और पण्य हथालन और मुद्रीकरण के लिए भारतीय अभिकरणों की सेवाएं और उप-परियोजनाओं का विकास, योजना और क्रियान्वयन सभी को परियोजना प्रबंधन योजना में विशिष्ट रूप से निर्धारित किया जायेगा।

खंड 6.02

भारत आयातकर्ता संगठनों की ओर से इस समझौते के तहत उनकी बाध्यताओं की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करता है। विशेष रूप में, लेकिन बिना सीमा के, भारत वस्तुओं के मोनेटाइजेशन के प्रोसीड्स संबंधी आयात करने वाले संगठनों द्वारा स्वस्थ भुगतानों को पूर्ण रूप में देने और उन्हें समय से जमा करने के लिए तथा परियोजना लेखे का शुल्क के लिए गारंटीदाता के रूप में कार्य करेगा।

खंड 6.03

भारत यह सुनिश्चित करेगा कि माल सामग्री को सुरक्षित रूप से हैंडल किया जाए और उनका उपयोग किसी ऐसे ढंग से न किया जाए जो पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक हो।

अनुच्छेद VII

सूचना

खंड 7.01

भारत और कनाडा यह सुनिश्चित करेंगे कि यह समझौता ज्ञापन विधिवत कर्त्तव्यपरायण रूप से और सक्षम रूप से किया गया है और ये परस्पर परियोजना संबंधित ऐसी समस्त जानकारियां प्रस्तुत करेंगी जैसी कि उचित रूप से अनुरोध की गई हों।

अनुच्छेद VIII

संचार

खंड 8.01

भारत और कनाडा द्वारा दोनों में से किसी ने यदि कोई पत्र अथवा दस्तावेज इस समझौता ज्ञापन के अनुसरण में दिया जाए तो वह लिखित रूप में होगा और यह समझा जाएगा कि जिस पार्टी को दस्ती, मेल, टेलीग्राम, केबल, टेलैक्स अथवा फेसीमाइल द्वारा

इनके संबंधित पते पर वितरण करते समय विधिवत रूप से भेजा जाए, नामश:

भारत के लिए:
डाक पता: भारत सरकार,
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक मामले विभाग,
नई दिल्ली-110001, भारत
केबल पता: ईकोफेयर्स (ECOFAIRS), नई दिल्ली
टेलेक्स: 3166185 एफ आई एन
फेसीमाइल: (011) 3014420

कनाडा के लिए:
डाक पता: अध्यक्ष
कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी
200, प्रोमेनाडे डू पोर्टगेज
हुल, क्यूबेक के। ए 0 ओ जी 4
केबल पता: सी आई डी ए/एच यू एल एल
टेलेक्स: 053-4140
फैसीमाइल: (819) 997-4759

खंड 8.02

इन पक्षकारों में से कोई भी, एतद्द्वारा, लिखित नोटिस के माध्यम से अन्य पक्षकार को किसी नोटिस अथवा अनुरोध से पता बदलने के लिए लिखेगा।

खंड 8.03

कनाडा को भेजे गए समस्त पत्राचार और दस्तावेज या तो अंग्रेजी अथवा फ्रेंच भाषा में होंगे और जो भारत को भेजे जायेंगे वे अंग्रेजी में होंगे।

अनुच्छेद IX

व्याख्या

खंड 9.01

इस समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुप्रयोग में यदि कोई विचार भिन्नता आए तो भारत और कनाडा के बीच समझौतों के माध्यम से अथवा किसी अन्य माध्यम से हल किया जाए जैसा कि उनकी संबंधित सरकार द्वारा आपस में सहमति हो।

अनुच्छेद X

समस्त व्याख्या

खंड 10.01

यह समझौता ज्ञापन इसके अनुलग्नक 'क' 'ख' के साथ जो कि इसका अंतरंग भाग है, से समस्त से परियोजना के संबंध में पक्षकारों के बीच समूचा समझौता, एतद्द्वारा गठित होता है।

अनुच्छेद XI

परामर्श

खंड 11.01

भारत और कनाडा इस समझौता ज्ञापन के संबंध में समय-समय पर उत्पन्न किसी मामले के संबंध में परामर्श करेंगे।

अनुच्छेद XII

संशोधन

खंड 12.01

इस समझौता ज्ञापन के उपबंधों को समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है जैसे कि दोनों पक्षकार सहमत हों। ऐसा संशोधन भारत और कनाडा के उत्तरदायी प्राधिकारियों के बीच पत्रों के आदान-प्रदान के माध्यम से किया जाएगा।

अनुच्छेद XIII

वैधता की अवधि

खंड 13.01

यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर होने की तारीख से प्रभावी होगा और 31 दिसम्बर, 2001 को समाप्त हो जाएगा।

अधोहस्ताक्षरी, के साक्ष्य में..... ने इस समझौता ज्ञापन को दो प्रतियों में....., 1992, को हस्ताक्षरित किया है।

भारत सरकार की ओर से	कनाडा सरकार की ओर से
ह./-	ह./-
(नाम) बी.पी. वर्मा	(नाम) जान एल पेन्टर
(पद) अपर सचिव	(पद) उच्चायुक्त,
वित्त मंत्रालय,	कनाडा
भारत सरकार	

[हिन्दी]

लौह अयस्क का उत्पादन

2165. श्री अजीत जोगी: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लौह अयस्क के वर्तमान उत्पादन का निर्धारण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कुल उत्पादन के कितने प्रतिशत का निर्यात किया गया है;

(घ) घरेलू बाजार पर इस निर्यात का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) इस से संबंधित नीति का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) उदारीकृत और नियंत्रणमुक्त माहौल में लौह अयस्क के उत्पादन की आयोजना बाजार मांग और अन्य संबद्ध घटकों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग खनन कंपनियों/ निजी खानों का प्रचालन कर रहे इस्पात संयंत्रों द्वारा तय की जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए लौह अयस्क के उत्पादन का आकलन इंडियन ब्यूरो आफ माइंस (आईबीएम), फैडरेशन आफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज (एफआईएमआई) आदि जैसी एजेंसियों की मदद से किया जाता है। वर्ष 2004-05 का लौह अयस्क का अनुमानित उत्पादन 145 मिलियन टन है।

(ग) कुल उत्पादन में से निर्यात किए गए उत्पादन का प्रतिशत निम्नानुसार है:

(मात्रा: लाख टन)

वर्ष	उत्पादन	निर्यात	कुल उत्पादन में से निर्यात किए गए उत्पादन का प्रतिशत
2002-03	990.7	480.2	48.47
2003-04	1206.0	626.5	51.94
2004-05 (अनुमानित)	1450	781.5	53.89

(स्रोत: एफआईएमआई)

(घ) भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाले लौह अयस्क का लगभग 90 प्रतिशत निर्यात चूरे और सांद्रण के रूप में होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में 65 प्रतिशत उत्पादन चूरे और सांद्रण का होता है और इस्पात संयंत्रों में सिंटरेंग और पैलेटाइजेशन की अपर्याप्त क्षमता के चलते चूरे की घरेलू मांग कम है। इससे चूरे की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है और इसका निर्यात अपरिहार्य हो जाता है। चूंकि उत्पादित अयस्क के बड़े हिस्से का निर्यात चूरे के रूप में किया जाता है और चूरे का भारत में घरेलू बाजार नहीं है। अत: निर्यात का लोहे और इस्पात के घरेलू उत्पादकों के लिए लौह अयस्क की उपलब्धता पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। इसके अलावा, लगभग सभी एकीकृत/बड़े इस्पात संयंत्रों के पास या तो अपनी निजी लौह अयस्क खानें हैं या फिर उन्होंने लौह अयस्क की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक करार किए हुए हैं और इस प्रकार उन पर लौह अयस्क के निर्यात का असर नहीं पड़ा है।

(ङ) लौह अयस्क के लिए निर्यात नीति, विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों से शासित होती है और विदेश व्यापार नीति महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा तैयार की जाती है और अधिसूचित की जाती है। मौजूदा नीति 1.4.2004 से 31.3.2009 तक वैध है। मोटे तौर पर इस नीति की खास बातें निम्नानुसार हैं:

1. 64 प्रतिशत से अधिक लोहांश वाले लौह अयस्क का निर्यात एमएमटीसी के माध्यम से किया जाता है। तथापि, लाइसेंस के तहत अलग-अलग मामलों के आधार पर इस ग्रेड के लौह अयस्क का निर्यात करने की अनुमति है।
2. गोवा मूल के लौह अयस्क का निर्यात कतिपय विशिष्ट देशों, लोहांश का ध्यान रखे बगैर, स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इसी तरह रेडी मूल के लौह अयस्क का निर्यात सभी गंतव्य देशों को लोहांश का ध्यान रखे बगैर किया जा सकता है।
3. 64 प्रतिशत तक लोहांश वाले लौह अयस्क का निर्यात स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है।
4. बैलाडिला के उच्च ग्रेड के अयस्क के निर्यात के लिए मात्रात्मक अधिकतम सीमा विनिर्दिष्ट की गई है।

इस्पात नीति में परिवर्तन का प्रभाव

2166. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष इस्पात नीति में किए गए परिवर्तन के कारण बाजार पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या इस्पात नीति में कोई परिवर्तन करने पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाने की सरकार की नीति के अनुरूप पिछले केन्द्रीय बजट में इस्पात तथा इस्पात बनाने के लिये अपेक्षित आदानों पर सीमा शुल्क में शैने-शैने कमी की गई है। शुल्क में कमी करने से घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा में बढ़ोत्तरी होने से तथा अधिक आपूर्ति होने के कारण इस्पात के मूल्य में कमी का रुख है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मैंग्रोव वन क्षेत्रों के समीप व्यावसायिक क्रियाकलापों पर प्रतिबंध

2167. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:
श्री लक्ष्मण सिंह:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैंग्रोव वन, तटीय क्षेत्रों और नदी क्षेत्रों का अपरदन से बचाव करते हैं और वनस्पति एवं जीव-जंतुओं की भी रक्षा करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल में मैंग्रोव वन का ह्रास हुआ है और इसमें कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो मैंग्रोव वन का कुल क्षेत्रफल कितना है और इसमें कितने प्रतिशत की कमी आई है; और

(घ) मैंग्रोव वन क्षेत्रों का संरक्षण करने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) कच्छ वनस्पति तटीय क्षेत्रों और उनकी वनस्पति और प्राणिजात की भूमिक्षरण, समुद्री तूफान और समुद्री लहरों से बचाव करती है परन्तु बचाव की सीमा अलग-अलग होती है और यह विभिन्न तत्वों का कार्य है। कच्छ वनस्पति, स्वच्छ जल नदियों के किनारे नहीं पाए जाते हैं क्योंकि कच्छ वनस्पति के लिए लवणीय और स्वच्छ जल का उपयुक्त मिश्रण और उगने और स्थायी होने में समर्थ बनने के लिए मडफ्लैट जैसे साफ्ट सबस्ट्रेट की आवश्यकता होती है।

(ख) यह सही है कि कच्छ वनस्पति पिछले कुछ समय से बढ़े हुए जैव और जीवेतर दबाव में है।

(ग) भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित वन स्थिति रिपोर्ट 2003 के अनुसार देश में कुल कच्छ वनस्पति क्षेत्र 4,461 वर्ग किलोमीटर है। कच्छ वनस्पति आच्छादन में नाममात्र 21 वर्ग किलोमीटर की निवल कमी हुई है। यह कमी काल्पनिक है और उपग्रह चित्र का रिसोल्यूशन स्पष्ट होने और परिणामस्वरूप आंकड़े और सही प्राप्त होने से यह केवल एक शुद्धि है।

(घ) इस समय कच्छ वनस्पतियों का विभिन्न विनियामक उपायों अर्थात तटीय विनियम क्षेत्र अधिसूचना, 1991; विशेष उद्योगों के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 1994 के अन्तर्गत पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन; क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करते समय लगाई गई शर्तों के अनुपालन की निगरानी; उद्योगों एवं अन्य निकायों द्वारा उत्सर्जन एवं बहिस्राव मानकों का प्रवर्तन और दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने के माध्यम से कच्छ वनस्पतियों की सुरक्षा की जाती है। अधिसूचित वन क्षेत्रों में स्थित कच्छ वनस्पतियों को भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत भी शामिल किया गया है।

कृषि योग्य निवल क्षेत्र

2168. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के निवल कृषि योग्य क्षेत्र में इस तथ्य के बावजूद वृद्धि नहीं हुई है कि लवण प्रभावित मृदा, तंग घाटियों और जलाप्लावित मृदा को पुन: कृषि योग्य बनाने की तकनीक अपनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में राज्य सरकारों को क्या प्रोत्साहन/अनुदान उपलब्ध कराया गया है और इसके क्या परिणाम निकले?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामलें, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) भूमि प्रयोग वर्गीकरण के आंकड़े दर्शाते हैं कि निवल बुवाई क्षेत्र 1970-71 के 140.27 मिलियन हैक्टेयर से बढ़कर 2001-02 में 141.15 मिलियन हैक्टेयर हो गया है। उसी अवधि के दौरान गैर-कृषि उपयोग के अंतर्गत क्षेत्र 16.48 मिलियन हैक्टेयर से बढ़कर 23.97 मिलियन हैक्टेयर हो गया है। यह दर्शाता है कि निवल बुवाई क्षेत्र में 0.88 मिलियन हैक्टेयर तक बढ़ोत्तरी हुई है जबकि गैर-कृष्य प्रयोगों के अंतर्गत क्षेत्र में 7.49

मिलियन हैक्टेयर तक बढ़ोत्तरी हुई है। इसलिए यह विवक्षित है कि भले ही कुछ कृष्य भूमि को गैर-कृष्य उपयोग में रूपान्तरित कर दिया गया है लेकिन बंजर भूमियों और अन्य अवनत भूमियों के उपचार के द्वारा एक बहुत बड़ा क्षेत्र कृषि के अंतर्गत आ गया है जिससे निवल बुवाई क्षेत्रों में बढ़ोत्तरी हुई है।

(ग) भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों यथा- (1) वर्षासिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एन डब्ल्यू डी पी आर ए) (2) नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ संभावित नदियों (आर वी पी और एफ पी आर) के ग्रवण क्षेत्रों में अवनत भूमियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण (3) झूम खेती क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना (डब्ल्यू डी पी एस सी ए (4) क्षारीय मृदा सुधार (आर ए एस), (5) रेगिस्तान विकास कार्यक्रम (डी डी पी) (6) सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (डी पी ए पी) और (7) समेकित पनधारा विकास परियोजना (आई डब्ल्यू डी पी) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों (2002-05) में 3287.35 करोड़ रु. व्यय किए जा चुके हैं और 62.126 लाख हैक्टेयर क्षेत्र का सुधार किया जा चुका है।

[हिन्दी]

देश में इस्पात संयंत्र

2169. श्री ब्रजेश पाठक: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में स्थापित किए गए छोटे; मध्यम एवं बड़े इस्पात संयंत्रों की संख्या कितनी है और ये कहां स्थित हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस्पात संयंत्रों को स्थापित करने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और इस हेतु कितनी अनुज्ञप्तियां जारी की गई हैं;

(ग) अनुमोदन प्राप्त करने हेतु लंबित पड़े आवेदनों की संख्या कितनी है; और

(घ) इस पर कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

जैविक उद्यानों के सहायतार्थ विशेषज्ञ दलों का गठन

2170., श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रत्येक राज्य में जैविक उद्यानों के सहायतार्थ विशेषज्ञों का एक केन्द्रीय दल गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्येक राज्य ने स्थानीय क्षेत्रों में उपलब्ध पादपों और उनकी दुर्लभ किस्मों की पहचान की है और उक्त प्रस्तावों को इंडियन बोटानिकल गार्डन के पास विचारार्थ भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा जैविक उद्यानों को बढ़ावा देने और पादपों को दुर्लभ किस्मों का संरक्षण करने हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) मंत्रालय ने दुर्लभ और स्थानिक पौधों के बाह्य स्थाने संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वनस्पति उद्यानों को सहायता देने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया है।

(ख) और (ग) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण एक निर्धारित पादप भौगोलिक क्षेत्र में पौधों की दुर्लभ और स्थानीय प्रजातियों की एक सूची बनाए रखता है। आवेदकों से ऐसी प्रजातियों की वनस्पति उद्यानों में बाह्य स्थाने संरक्षण करने की अपेक्षा की जाती है।

(घ) "वनस्पति उद्यानों को सहायता और बाह्य स्थाने संरक्षण केन्द्र" नामक स्कीम के अंतर्गत अब तक लगभग 200 वनस्पति उद्यानों को सहायता दी जा चुकी है। इस स्कीम के लिए चालू योजना अवधि के दौरान 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चालू वर्ष के लिए दो करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

[अनुवाद]

वन आयोग

2171. श्री गणेश प्रसाद सिंह:
श्री रविन्दर कुमार राणा:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा वन आयोग का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयोग ने अब तक कोई सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वर्तमान वन परिदृश्य के मद्देनजर भारतीय वन सेवा को चुस्त-दुरुस्त करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी, हां। वन और वन्यजीव क्षेत्र की कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए सरकार ने 7.02.2003 को राष्ट्रीय वन आयोग का गठन किया है।

(ख) राष्ट्रीय वन आयोग के निम्नलिखित कार्य होंगे:

(1) वर्तमान नीति और कानूनी फ्रेमवर्क और इनके प्रभाव का पारिस्थितिकीय, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृति दृष्टिकोण से समग्र रूप से समीक्षा और आकलन करना।

(2) सिविल समाज की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वन प्रशासन और वानिकी संस्थानों की अखिल भारतीय और राज्य स्तर पर वर्तमान स्थिति का परीक्षण करना।

(3) सतत वन और वन्यजीव प्रबंधन और पारिस्थितिकीय सुरक्षा प्राप्त करने के लिए विशिष्ट नीति विकल्पों को दर्शाते हुए सिफारिशें करना।

(4) उपर्युक्त नीति विकल्पों को प्राप्त करने में सहायता करने के उद्देश्य से वन प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु उपायों के बारे में सुझाव देना।

(5) वानिकी प्रबंधन और आदिवासियों सहित स्थानीय समुदायों के बीच अर्थपूर्ण भागीदारी और अन्तरा पृष्ठ स्थापित करना।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

मैसूर में चामुंडी पहाड़ियों का विकास

2172. **श्री सी.एच. विजयशंकर:** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसूर में चामुंडी पहाड़ियों में रेवेन्यू जेनेरेटिंग स्कीम के अंतर्गत सूचना केन्द्र, आवास, रेस्तरां, ट्रेकिंग और अन्य अवसंरचना जैसी सुविधाओं का निर्माण करने हेतु कर्नाटक सरकार का कोई प्रस्ताव मंजूरी के लिए केन्द्र सरकार के पास लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी देने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) कर्नाटक सरकार ने, लार्ज रेवेन्यू जेनेरेटिंग स्कीम के अंतर्गत 1012.50 लाख रुपयों की कुल लागत पर, कर्नाटक के चामुंडी पहाड़ियों में पैसेंजर रोपवे की स्थापना हेतु परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। परियोजना प्रस्ताव दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्ण नहीं था। इसलिए वर्ष 2004-05 के दौरान इस पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु विचार नहीं किया गया।

(ख) वर्ष 2005-06 के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

वन सेवा में महिलाओं का अनुपात

2173. **श्री लोनाप्पन नम्बाडन:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय और राज्य स्तरीय वन सेवाओं में अधिकारी और रेंजर दोनों स्तरों पर महिलाओं की संख्या और अनुपात कितना है;

(ख) क्या जेंडर एण्ड फारेस्टरी कृतिक बल की स्थापना का कोई विचार है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और ऐसे निकाय के गठन के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) भारतीय वन सेवा में 2763 की कुल संख्या की तुलना में महिलाओं की संख्या 114 है इस प्रकार इनका 1:23 का अनुपात है। रेंजर स्तर पर राज्य वन सेवा में महिलाओं की संख्या और उनके अनुपात के संबंध में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

धान की खरीद

2174. **श्री एन.एन. कृष्णदास:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) को कतिपय राज्य सरकारों से धान की खरीद के लिए निदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) धान की खरीद के लिए एफसीआई और इन राज्यों के नागरिक आपूर्ति निगमों ने मिलकर क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों के भाग के रूप में धान की वसूली अधिकांशत: राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों द्वारा की जाती है जिन्होंने खरीफ विपणन मौसम 2004-05 के दौरान (2.8.2005 तक) 160 लाख टन धान की वसूली की है। इसके अलावा, कुछ राज्यों में इसी अवधि में भारतीय खाद्य निगम ने भी 14.4 लाख टन धान की वसूली की है।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

2175. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री वाडिगा रामकृष्णा:
श्री एम. शिवन्ना:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) ने पारम्परिक बागवानी फार्मों को वाणिज्यिक बनाने के लिए वाणिज्यिक बागवानी विकास योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के क्या उद्देश्य हैं;

(ग) इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी राजसहायता प्रदान की गई है;

(घ) क्या एनएचबी कृषकों को विपणन से पहले प्रसंस्करण पूर्व स्तर पर सहायता करेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड मई, 2000 से "उत्पादन और कटाई पश्चात प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास" नामक स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत बैक एंडिड पूंजी निवेश सब्सिडी जिसकी दर कुल परियोजना लागत से 20% से अधिक न हो सामान्य क्षेत्रों के लिए प्रति परियोजना के लिए अधिकतम सीमा 25.00 लाख रु. तक और पूर्वोत्तर/जनजातीय/पहाड़ी क्षेत्रों में नवीनतम प्रौद्योगिकियों को अपनाते हुए नई उच्च तकनीकी बागवानी फार्मों का विकास करने के लिए, कटाई पश्चात अवसंरचना सुविधाओं का सृजन करने के लिए, बागवानी उत्पाद के प्राथमिक प्रसंस्करण और इसके विपणन के लिए प्रति परियोजना 30.00 लाख रु. उपलब्ध कराए जाते हैं। इस स्कीम के उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं:

* अभिज्ञात क्षेत्रों में अधिक गुणवत्ता वाले बागवानी क्षेत्रों का विकास करने के लिए और ऐसे क्षेत्रों को बागवानी क्रियाकलाप के साथ जोड़ना, जोकि बाद में उच्च तकनीक वाली बागवानी तकनीकों को अपनाते हुए वाणिज्यिक बागवानी का विकास करने के लिए केन्द्र के रूप में कार्य करेंगे।

* कटाई पश्चात प्रबंधन अवसंरचना का विकास करना।

* बागवानी उत्पादकों और विपणनकर्त्ताओं के बीच संपर्कों को सुधारना।

* बागवानी उत्पादों के विपणन के लिए समेकित नेटवर्क का सृजन करना।

* उपभोक्ता मूल्य में उत्पादक को अंशपूंजी बढ़ाना।

(ग) सब्सिडी के साथ स्वीकृत परियोजना के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) बोर्ड उपर्युक्त स्कीम के अंतर्गत किसानों को सब्सिडी उपलब्ध कराते हुए पूर्व प्रसंस्करण स्तर पर ही विपणन करने में सहायता कर रहा है।

विवरण

2000-01 से 2005-06 अवधि के दौरान "उत्पादन और कटाई पश्चात प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास" स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरा (30.6.2005 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ शा. क्षेत्र का नाम	2000 से 2005 तक स्वीकृत कुल परियोजनाएं (30.6.2005 तक)	
		परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत सब्सिडी (रु. करोड़ में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	402	11.58
2.	असम	21	0.47
3.	बिहार	10	0.29
4.	छत्तीसगढ़	76	1.95
5.	दिल्ली	5	0.39
6.	गुजरात	307	13.63
7.	हरियाणा	43	1.86
8.	हिमाचल प्रदेश	39	2.02
9.	जम्मू-कश्मीर	7	0.50
10.	झारखंड	4	0.03
11.	केरल	55	1.22
12.	कर्नाटक	447	15.34
13.	सिक्किम	8	0.15
14.	मध्य प्रदेश	241	2.41
15.	महाराष्ट्र	1074	31.02
16.	नागालैण्ड	59	1.58
17.	उड़ीसा	29	1.42
18.	पंजाब	23	2.45
19.	राजस्थान	53	1.31
20.	तमिलनाडु	175	8.92
21.	उत्तरांचल	59	0.79
22.	उत्तर प्रदेश	27	1.21
23.	पश्चिम बंगाल	24	0.55
24.	अरुणाचल प्रदेश	2	0.30
25.	मिजोरम	3	0.25
26.	मणिपुर	12	0.63
	योग	3205	102.28

[हिन्दी]

कृषकों को ऋण हेतु विशेष निधि

2176. श्री पारसनाथ यादव: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार छोटे और सीमान्त कृषकों को ऋण प्रदान करने के लिए विशेष निधि की स्थापना करने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस ऋण का एक हिस्सा ऋण उपलब्ध करवाने के बहाने दलालों द्वारा हड़प लिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा कृषकों को ऋण की पूरी राशि उपलब्ध करवाने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कृषि श्रमिकों हेतु कल्याणकारी योजना

2177. श्री हितेन बर्मन:
श्री रघुनाथ झा:
श्री सुव्रत बोस:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में कृषि श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई और क्रियान्वित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) कृषि श्रमिकों को इन योजनाओं से कितना लाभ हुआ है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य हेतु निर्धारित राशि का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) से (ग) श्रम और रोजगार मंत्रालय ने देश में कृषि कामगारों के कल्याण के लिए कोई विशिष्ट योजना तैयार नहीं की है। तथापि, सरकार ने कृषि श्रमिकों सहित गरीब कामगारों के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि जैसी अनेक गरीबी उनम्मूलन/रोजगार सृजन योजनाएं आरम्भ की हैं। इसके अलावा, गरीबी रेखा से नीचे अथवा कुछ ही ऊपर के लेगों को बीमा कवर प्रदान करने के लिए कृषि कामगारों सहित असंगठित क्षेत्र में कामगारों के लिए जनश्री बीमा योजना भी उपलब्ध है।

गेहूं और धान हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करना

2178. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1995-96 से 2003-04 के दौरान चावल और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य सी.ए.सी.पी. द्वारा सिफारिश किए गए मूल्यों से अधिक रहा है और खरीद की तुलना में उठान कम रहा है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप बने स्टाकों से खाद्य राजसहायता के बिल बहुत हद तक रुक जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) 1995-96 से गेहूं और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) में लगातार बढ़ोत्तरी हुई है।

(ख) से (घ) यद्यपि, 1995-96 और 2001-02 के बीच, सरकार गेहूं और धान दोनों के मामले में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) द्वारा अनुशंसित न्यूनतम समर्थन मूल्यों में सुधार किया था, केन्द्र परवर्ती वर्षों में 2004-05 तक सरकार ने गेहूं और धान को न्यूनतम समर्थन मूल्यों के संबंध में सीएसीपी की सिफारिशों को मान लिया था। गेहूं और चावल की खरीद में बढ़ती प्रवृत्ति के फलस्वरूप बढ़ता हुआ स्टाक विपणन योग्य अतिशेष की उपलब्धता के साथ-साथ उत्पादन बढ़ाने का सूचक है। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्यों का उद्देश्य उत्पादकों को इस विश्वास के साथ अपने प्रयासों का अवलोकन करने में समर्थ बनाना है कि उनके उत्पाद के मूल्य को सरकार द्वारा निर्धारित स्तर से नीचे गिरने नहीं दिया जाएगा और मूल्य यदि सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी स्तर से कम हो जाते हैं तो नामोद्दिष्ट केन्द्रीय नोडल अभिकरणों से अपेक्षा की जाती है कि अधिप्रापण करते हुए मूल्य समर्थन प्रचालनों के लिए हस्तक्षेप करें। 1999-2000 तक पीडीएस के अंतर्गत माल उठान में गिरती हुई प्रवृत्ति लक्षित हुई लेकिन इसके पश्चात यह धीरे-धीरे बढ़ती गई और 2003-04 में खाद्यान्नों का उठान 241.93 लाख मी. टन था। देश में खाद्य सुरक्षा पद्धति में गरीबों को न्यूनतम पोषकीय सहायता उपलब्ध कराने और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के दोहरे उद्देश्य में सब्सिडी शामिल है। खाद्य सब्सिडी 1995-96 के 5377 करोड़ रु. से बढ़कर 2003-04 में 25800 करोड़ रु. हो गई है।

उड़ीसा में उर्वरकों की खपत

2179. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में नाइट्रोजन, पोटाश और फोस्फेट की प्रति हेक्टेयर खपत कितनी है; और

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक राज्य को यूरिया और अन्य उर्वरकों की कितनी मात्रा की आपूर्ति की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) उड़ीसा में वर्ष 2004-05 के दौरान नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फेट की प्रति हैक्टेयर अनुमानित खपत क्रमश: 29.57 किग्रा. 7.09 किग्रा. और 10.64 किग्रा. है।

(ख) उड़ीसा राज्य को पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक में और आज तक आपूर्ति की गयी यूरिया और डीएपी व एमओपी जैसे अन्य प्रमुख उर्वरकों की प्रमात्रा का विवरण संलग्न है।

विवरण

उड़ीसा को पिछले तीन वर्षों और आज तक के दौरान यूरिया, डीएपी और एमओपी की उपलब्धता/आपूर्ति

(हजार मी. टन में)

उर्वरक का नाम	उपलब्ध/आपूर्ति की गई मात्रा			
	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 (अनुमानित) 1.4.2005 से 31.7.2005
यूरिया	388.54	418.76	392.01	109.52
डीएपी	85.59	74.71	83.06	36.95
एमओपी	59.71	66.68	93.43	45.48

कृषि में समविष्ट प्रबंधन योजना

2180. डा. के.एस. मनोज: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौन-कौन से राज्यों में राज्य-वार समष्टि प्रबंधन कार्य योजना क्रियान्वित की गई है;

(ख) कृषि में समष्टि प्रबंधन के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारों विशेषकर केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को केन्द्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में कौन-कौन सी बाधाओं को दूर किया जाना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) कृषि में वृहद प्रबंधन-केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम को सभी राज्यों में चलाया जा रहा है।

(ख) यह स्कीम वर्ष 2000-01 से शुरू की गयी है जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

(1) कृषि के विकास के लिए नियोजन में स्थानीय आवश्यकताओं/प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालना।

(2) अल्प वित्तीय संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना।

(3) अधिकाधिक परिणाम प्राप्त करना।

(4) क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना।

(ग) से (ङ) कृषि संबंधी वृहद प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2005-06 के लिए सभी राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन राज्यों में केरल भी शामिल है। सरकार इन प्रस्तावों पर विचार कर रही है। इसी बीच इस स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता की पहली किश्त केरल समेत 19 राज्यों को जारी कर दी गई है।

औषध निर्माण उद्योग

2181. श्री जी.वी. हर्षकुमार: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने औषध निर्माण संघों से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में औषध निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) विभिन्न विभागों/मंत्रालयों जैसे स्वास्थ्य विभाग, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, वित्त मंत्रालय आदि को समय-समय पर फर्मा संघों से अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं जिनकी जांच की जाती है और उन पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

(ग) उक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(घ) फरवरी, 2002 में सरकार ने "औषध नीति-2002" घोषित की। इस नीति के मुख्य उद्देश्य हैं:

(1) आम उपयोग की अच्छी गुणवत्ता वाली आवश्यक औषधों की देश के अंदर वहनीय मूल्य पर पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(2) भेषज सेक्टर में व्यापार की बाधाओं को कम करके भेषजों के निर्यात और लागत प्रभावी गुणवत्ता उत्पादन हेतु स्वदेशी सक्षमता को सुदृढ़ करना।

(3) गुणवत्ता को भारतीय भेषज उद्योग का आवश्यक गुण बनाने के लिए औषधों एवं भेषजों के उत्पादन और संवितरण पर गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को मजबूत करना तथा भेषजों के उचित प्रयोग को बढ़ावा देना।

(4) भारत में भेषजों में आर एंड डी में निवेश के उच्चतर स्तर की चैनेलाइजिंग के अनुकूल परिवेश के सृजन द्वारा भारत में होने वाली तथा स्थानीय बीमारियों पर विशेष ध्यान के साथ देश की जरूरतों के अनुरूप भेषज सेक्टर में आर एंड डी को प्रोत्साहित करना।

(5) भेषज उद्योग के लिए एक प्रोत्साहक ढांचा तैयार करना जो भेषज उद्योग में नए निवेश को बढ़ावा दे तथा नई प्रौद्योगिकियों के प्रवर्तन को प्रोत्साहित करे।

देश में फार्मा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों/मंत्रालयों ने अनेक कदम उठाए हैं।

मोटे अनाज की बुआई

2182. श्री चन्द्रभूण सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मोटे अनाजों की बुआई गत वर्ष की संगत अवधि के दौरान 12.54 लाख हेक्टेयर की तुलना में अभी तक 5.7 लाख हेक्टेयर है;

(ख) यदि हां, तो क्या तिलहनों के अंतर्गत क्षेत्र गत वर्ष की इसी अवधि के 4.12 लाख हेक्टेयर की तुलना में अब तक 1.99 लाख हेक्टेयर है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने बुआई के लिए कोई वैकल्पिक रणनीति सुझाई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) कृषि मंत्रालय के अंतर्गत फसल मौसम निगरानी समूह की दिनांक 1.8.2005 को हुई बैठक में चर्चा की गई रिपोर्टों के अनुसार, खरीफ 2005 के मौसम में 1.8.05 तक मोटे अनाजों के तहत कुल क्षेत्र कवरेज 174.51 लाख हैक्टे. है जबकि विगत वर्ष की संगत अवधि के दौरान यह क्षेत्र 155.63 लाख हैक्टे. था।

(ख) विभिन्न तिलहनी फसलों के तहत 29 जुलाई 2005 की स्थिति के अनुसार सकल बुवाई क्षेत्र 137.56 लाख हैक्टे. है जबकि विगत वर्ष की संगत अवधि के दौरान यह क्षेत्र 141.02 लाख हैक्टे. था।

(ग) और (घ) जून 2005 माह में मानसून का व्यवहार अनियमित रहा तथा अखिल भारतीय स्तर पर 1 जून से 29 जून तक संचयी वर्षा सामान्य की तुलना में 20% कम रही। तथापि, तत्पश्चात मानसून की सक्रियता बढ़ी तथा अखिल भारतीय स्तर पर 1 जून से 31 जुलाई 2005 तक संचयी वर्षा सामान्य की तुलना में 2% अधिक हुई। वर्षा की दशाओं में सुधार आने से बुवाई कार्यों में तेजी आई है तथा आशा है कि आगामी सप्ताहों में फसलों के तहत क्षेत्र में और सुधार आएगा। मोटे अनाजों और तिलहनों की बुवाई की संतोषजनक स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसी वैकल्पिक बुवाई कार्यनीति के निरूपण की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

बीड़ी कामगारों हेतु आवास योजना

2183. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के दमोह जिले के हाता में बीड़ी कामगारों के लिए समेकित आवास योजना के अन्तर्गत 100 आवासों के निर्माण हेतु लगभग 67.50 लाख रुपये की धनराशि लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो यह निर्माण योजना कब तक मंजूर किये जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) एकीकृत आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के हाता, दमोह जिले के बीड़ी श्रमिकों के लिए 100 आवासों के निर्माण हेतु 15 मार्च, 2005 को प्रशासनिक मंजूरी दी गई थी जिसमें राज्य सरकार को केन्द्र सरकार

की 33.60 लाख रुपये की रियायत (सब्सिडी) शामिल है। योजना के प्रावधान के अनुसार, राज्य सरकार को यह राशि आवासों का निर्माण छत स्तर तक पहुंच जाने के बाद जारी की जाएगी। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इन आवासों के निर्माण की प्रगति की रिपोर्ट अभी तक नहीं भेजी है। योजना में यह प्रावधान है कि प्रशासनिक मंजूरी की तिथि से 18 माह की अवधि के भीतर आवास निर्माण कार्य सामान्यत: पूरा कर लिया जाएगा।

[अनुवाद]

बी.टी. काटन का निष्पादन

2184. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सिविल सोसायटी आर्गनाइजेशनों के अलावा वर्ष 2004 के दौरान बी.टी. काटन के निष्पादन की कुछ वैज्ञानिकों ने कड़ी आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो क्या दक्षिण भारत के कृषकों को बी.टी. काटन की खेती की वजह से भारी घाटा उठाना पड़ा;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही;

(घ) क्या कपास की अनुमोदित किस्मों के अलावा जैनेटिक रूप से परिष्कृत कपास की गैर-अनुमोदित किस्मों को कृषकों को बेचा जा रहा है;

(ङ) क्या कृषकों को टर्मिनेटर बीजों की बिक्री की रिपोर्टें भी प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बीज परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना और बीज अधिनियम में संशोधन करने का है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस आशय की बहुत अधिक शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि मैसर्ज मेहाइको मोनसेन्टो का बी.टी. कपास संकर-मेक-12 बी.टी., का निष्पादन खरीफ, 2004 मौसम में वारंगल जिले तथा अन्य जिलों के कुछ भागों में ठीक नहीं रहा जिससे बी.टी. कपास की खेती करने वाले किसानों को हानि हुई। इसके फलस्वरूप, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन जेनेटिक अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति (जी ई ए सी) ने खरीफ 2005 के दौरान मसर्ज मेहइको को आंध्र प्रदेश में उनके तीन बी.टी. कपास संकरों की वाणिज्यिक खेती के लिये अनुमति का नवीनीकरण नहीं किया।

(घ) आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में नकली बी.टी. कपास के बीजों के उत्पादन और आपूर्ति की कुछ रिपोर्टें मिली हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) नकली बी.टी. कपास के बीजों की निर्मुक्ति पर नियंत्रण करने में राज्य सरकारों की मदद करने के लिये केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (सी आई सी आर), नागपुर को बी.टी. जीनों की उपस्थिति/अनुपस्थिति का पता लगाने के लिये परामर्शी प्रयोगशाला के रूप में पहचान की गई है। संशोधित बीज विधेयक, 2004 जिसे दिसम्बर, 2004 में राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया है, परा-आनुवंशिकीय फसलों को भी कवर करता है। इस विधेयक को अब कृषि विषयक संसदीय स्थायी समिति को जांच हेतु भेजा गया है।

कृषि क्षेत्र में वृद्धि

2185. श्री उदय सिंह:
श्री अधीर चौधरी:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से कृषि क्षेत्र में वृद्धि करने हेतु सहायता करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय को पर्याप्त बजटीय सहायता नहीं मिल रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में कृषि वृद्धि का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी हां। केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी संबंधित योजनाओं में और अधिक आवंटन करें जिससे कि कृषि में और अधिक वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। राज्यों से यह भी कहा गया

है कि वे विशेष कार्य योजनाएं तैयार करें तथा उनके लिए पर्याप्त योजना आवंटन करें जिससे कि चालू सिंचाई परियोजनाओं को समयपूर्वक पूरा किया जा सके और उनसे यह भी कहा गया है कि वे नई परियोजनायें शुरू करें जिससे कि मानसून पर निर्भरता को कम किया जा सके। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा गया है कि वे इस मामले की स्वयं समीक्षा करें और इसके लिए पर्याप्त आवंटन सुनिश्चित करें जिससे कि कृषि में 4% की वार्षिक वृद्धि दर, जैसा कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में परिकल्पना की गयी है, हासिल की जा सके।

(ग) और (घ) कृषि क्षेत्र (फसल और पशुपालन एवं डेरी) के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना में किये गये 14876 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय को बढ़ाकर 10वीं पंचवर्षीय योजना में 21068 करोड़ रुपये कर दिया गया है। कृषि मंत्रालय के प्लान परिव्यय को वर्ष 2002-03 के 3242 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2004-05 में 4150 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वर्ष 2005-06 में इसे और भी बढ़ाकर 5998 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

(ङ) आठवीं, नौवीं और दसवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों (2002-05) के दौरान कृषि में वृद्धि दर, जिसमें वन, लागिंग एण्ड फिशिंग जैसे सहायक क्षेत्र भी शामिल हैं, को नीचे दर्शाया गया है:

योजना अवधि	कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में औसत वार्षिक वृद्धि %
आठवीं योजना (1992-97)	4.7
नौवीं योजना (1997-2002)	2.1
दसवीं योजना (प्रथम तीन वर्ष) (2002-05)	1.2

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का दायरा

2186. श्री सी.एस. सुजाता: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गरीबी रेखा से ऊपर (ए.पी.एल.) और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) वर्गों से पृथक-पृथक राज्य-वार कार्डधारकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत ए.पी.एल. कार्डधारकों का एक बड़ा वर्ग इस वर्ग हेतु खाद्यान्नों के उच्च मूल्य की वजह से पी.डी.एस. का लाभ नहीं उठा पाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के स्थापन पर सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आरम्भ करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे के राशन कार्डधारियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) समाज के पिछड़े वर्गों को लक्षित करने की दृष्टि से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून, 1997 में शुरू की गई थी क्योंकि पूर्व की सर्वसुलभ सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भुखमरी पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था और इसका शहरों की ओर झुकाव था। सर्वसुलभ सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू करने से यह आशंका है कि इस प्रणाली के अंतर्गत गरीब वर्ग की आवश्यकताओं की अनदेखी हो सकती है।

विवरण

(1.8.2005 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी किए गए राशनकार्डों की संख्या (लाख में)	
		गरीबी रेखा से ऊपर	गरीबी रेखा से नीचे (अंत्योदय अन्न योजना सहित)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	58.72	138.47
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.68	0.99
3.	असम	34.63	18.91
4.	बिहार	52.20	71.64
5.	छत्तीसगढ़	25.94	19.17

1	2	3	4
6.	दिल्ली	36.01	4.47
7.	गोवा	3.10	0.28
8.	गुजरात	78.68	36.41
9.	हरियाणा	36.88	8.12
10.	हिमाचल प्रदेश	10.61	2.91
11.	जम्मू-कश्मीर	10.94	7.36
12.	झारखंड	5.15	23.95
13.	कर्नाटक	42.66	70.04
14.	केरल	45.69	20.43
15.	मध्य प्रदेश	82.27	52.05
16.	महाराष्ट्र	148.34	72.99
17.	मणिपुर	2.41	1.66
18.	मेघालय	2.66	1.83
19.	मिजोरम	1.66	0.69
20.	नागालैंड	1.83	1.24
21.	उड़ीसा	30.61	48.95
22.	पंजाब	48.01	7.14
23.	राजस्थान	105.23	23.14
24.	सिक्किम	0.89	0.43
25.	तमिलनाडु	—	168.30*
26.	त्रिपुरा	4.30	2.95
27.	उत्तरांचल	16.99	4.98
28.	उत्तर प्रदेश	274.00	106.79
29.	पश्चिम बंगाल	113.58	47.29
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.74	0.16
31.	चंडीगढ़	2.19	0.08
32.	दादर व नगर हवेली	0.29	0.16
33.	दमन व दीव	0.25	0.05
34.	लक्षद्वीप	0.13	0.01
35.	पांडिचेरी	1.83	0.98
	जोड़	1435.63	811.49

*तमिलनाडु में गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे का श्रेणीकरण नहीं है। 168.30 राशनकार्डों में 14.77 लाख अंत्योदय अन्न योजना राशनकार्ड शामिल हैं।

काली मिर्च का उत्पादन और खपत

2187. **श्री ई. पोन्नुस्वामी:**
श्री के. फ्रांसिस जार्ज:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि काली मिर्च के श्रीलंका और अन्य देशों से आयात से घरेलू बाजार में अत्यधिक मात्रा में काली मिर्च के आने के कारण काली मिर्च के मूल्यों में लगातार कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कुल आयात का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान काली मिर्च का कुल घरेलू उत्पादन और खपत कितनी रही है;

(घ) मूल्यों में होने वाली कमी पर रोक लगाने के लिए सरकार की क्या योजना है और काली मिर्च के अधिशेष स्टाक को किस प्रकार खपाने की योजना है;

(ङ) क्या केरल सरकार ने कोई प्रस्ताव/परियोजना प्रस्तुत की है और काली मिर्च की खेती को पुनः लाभप्रद बनाने तथा कृषकों को लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिए काली मिर्च की खरीद के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(छ) क्या केन्द्र सरकार का विचार वाणिज्य मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से मौजूदा संकट की स्थिति में काली मिर्च की खेती, इसके विपणन और निर्यात, खरीद और मूल्य संवर्धन में विकास और सततता के लिए विशेष परियोजना तैयार करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी हां।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान काली मिर्च के कुल आयात का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान काली मिर्च के कुल स्वदेशी उत्पादन और खपत को नीचे दर्शाया गया है:

(टन में)

वर्ष	उत्पादन	खपत
2002-03	71,568	52,000
2003-04	73,315	58,000
2004-05	72,662	59,000

(घ) सरकार काली मिर्च के ड्यूटी मुक्त आयात के लिए, जिससे कि उनका पुन: निर्यात किया जा सके, अग्रिम लाइसेन्स देना बंद कर दिया है। केरल सरकार ने जनवरी से अप्रैल 2005 के दौरान केरल राज्य सहकारी विपणन संघ के माध्यम से किसानों से काली मिर्च की खरीद की है।

(ङ) और (च) केरल सरकार ने "कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों के सम्पूरण/अनुपूरण-कृषि में वृहद् प्रबंधन नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना" के अंतर्गत वर्ष 2004-05 के दौरान काजू और काली मिर्च के बागानों के रोपण के लिये सहायता की मांग की है। उपर्युक्त योजना के अंतर्गत सरकार ने 10.00 करोड़ रुपये की सहायता दी है। इसके अलावा इसी योजना के अंतर्गत पुराने तथा रोगग्रस्त काली मिर्च के बागानों के जीर्णोद्धार के लिए 1.45 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की है।

(छ) और (ज) केन्द्र सरकार काली मिर्च समेत बागवानी के सकल विकास के लिए "राष्ट्रीय बागवानी मिशन" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम चला रही है। इस स्कीम के अंतर्गत "एण्ड टू एण्ड" एप्रोच को अपनाये जाने का विचार है जिसके अंतर्गत उत्पादन, फसलोपरांत प्रबंधन और विपणन को कवर किया जायेगा। हालांकि काली मिर्च के विकास के लिए वाणिज्य मंत्रालय के साथ किसी संयुक्त परियोजना तैयार करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

भारत में काली मिर्च के आयात का देश-वार ब्यौरा

देश	वर्ष					
	2002-03		2003-04		2004-05	
	मात्रा (मी.टन)	मूल्य (लाख रु. में)	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (लाख रु. में)	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7
वियतनाम	7013.9	4889.4	5535.0	3641.1	10101.9	5807.8
श्रीलंका	6099.0	5705.4	4915.8	3525.7	4865.1	4045.6
इंडोनेशिया	1529.7	1218.9	3384.3	2407.1	2123.4	1356.8
इक्वेडोर	—	—	56.0	37.1	280.0	183.0
सिंगापुर	45.0	44.0	90.3	87.3	83.0	65.5
थाइलैंड	124.6	59.0	99.1	50.1	130.6	56.4
ब्राजील	—	—	75.0	52.6	50.0	33.3
नीदरलैंड	0.1	0.1	0.2	0.2	40.1	28.5

1	2	3	4	5	6	7
मलेशिया	55.6	35.8	123.2	68.6	35.0	15.3
मेडागास्कर	—	—	—	—	16.4	11.7
अन्य	524.0	385.0	55.4	53.3	नगण्य	नगण्य
कुल मद	15391.8	12337.5	14334.1	9923.3	17725.3	11603.9

(ई) अनुमानित
स्रोत - मसाला बोर्ड

सोयाबीन की उपज

2188. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में सोयाबीन की उपज विश्व में सबसे कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां सोयाबीन की फसल होती है; और

(घ) भारत को समृद्ध बनाने के लिए सोयाबीन के उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जैसा कि एफ ए ओ उत्पादन वर्ष पुस्तक 2003 में सूचित किया गया है कि वर्ष 2003 में भारत में सोयाबीन का उत्पादन प्रति हैक्टेयर 1054 किग्रा. था जो कि विश्व के औसतन प्रति हैक्टेयर 2261 कि.ग्रा. से काफी कम है। तथापि विश्व में यह सबसे न्यूनतम नहीं है।

(ख) भारत में सोयाबीन के फसल की औसतन परिपक्वता अवधि 96 दिन है। जबकि अन्य सोयाबीन उत्पादक देशों में यह काफी दीर्घ अवधि अर्थात 120-160 दिन है। इस प्रकार भारत के साथ-साथ अन्य देशों में सोयाबीन फसल के उत्पादन में लगा प्रति इकाई समय की उत्पादकता पर विचार करते हुए भारत में प्राप्त उत्पाद स्तर अति न्यून नहीं है। भारत में सोयाबीन किस्मों के उत्पाद की प्रति हैक्टेयर 2000 कि.ग्रा. के स्तर तक बढ़ने की संभावना है और इस उत्पाद स्तर को आगे बढ़ाने के लिए उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी के साथ उन्नत किस्मों के प्रयोग को अग्रणी प्रदर्शनों के अंतर्गत किसानों को प्रदर्शित किया गया है।

(ग) मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है इसके बाद महाराष्ट्र और राजस्थान आते हैं। देश में 95% से अधिक सोयाबीन का उत्पादन इन तीनों राज्यों में किया जाता है।

(घ) चतुर्थ अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2004-05 में सोयाबीन तिलहनों का उत्पादन 75.10 लाख मी.टन था जबकि लक्ष्य 77.03 लाख मी. टन था। लक्ष्य और उपलब्धि के बीच अन्तराल को पाटने के लिए उत्पाद स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से प्रयासों पर बल दिया गया है। अत्यधिक उत्पादकता और उन्नत गुणवत्ता के लिए सोयाबीन अनुसंधान में प्राथमिकता वाले क्षेत्र इस प्रकार हैं:

* विभिन्न जैव दबावों, जैसे रस्ट एंड रिजोकरोनिया राट, अजैव दबावों और खाद्य कीट प्रकार (फूड ग्रेड कैरेक्टरस) के प्रतिकूल प्रतिरोधक शक्ति के लिए जैनेटिक वृद्धि।
* जनसंख्या मानचित्रण का विकास करना, जैनेटिक/ मोलेक्यूलर नक्शे पर उपयोगी जीन्स का स्थान निर्धारित करना, किस्मों के प्रजनन और चयन में मार्कर से सहायता प्राप्त जैसे कार्यकलापों के साथ फसल सुधार के जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग।
* अल्पावधि में किस्मों का विकास करना, अत्यधिक तेल परिमाण, बीज दीर्घकालिकता और यांत्रिक क्षति का प्रतिरोध।
* कृमियों-कीटों, रोगों और खरपतवारों जैसे जैविक दबावों का समेकित प्रबंधन। इसमें प्रमुख रोगों और कृमियों के लिए प्रभावी जैव-नियंत्रण अभिकरणों की पहचान, बहुगुणीकरण, परीक्षण और प्रयोग शामिल है।
* समेकित पोषण प्रबंधन और प्रभावशाली उपकरणों का विकास, परीक्षण और प्रयोग, सोयाबीन कृषि के लिए प्रयुक्त उपकरण और उपस्कर तथा कटाई पश्चात प्रौद्योगिकी।

आईआईएससीओ का नवीनीकरण

2189. श्री विकास चौधरी: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सेल के साथ आईआईएससीओ के विलय के एकदम बाद बर्नपुर स्थित इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी के नवीकरण के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(ग) इससे कौन से उद्देश्यों की पूर्ति होगी?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) इस्को का आधुनिकीकरण निगमित योजना 2011-2012 का अंग है, जिसके अंतर्गत 8000 करोड़ रुपए के निवेश से अपरिष्कृत इस्पात उत्पादन क्षमता को वर्ष 2004-05 में 0.35 मिलियन टन (एमटी) से बढ़कर 2011-2012 में 2.0 एमटी किया जाएगा। इसमें इस्को की खानों का विकास भी शामिल है।

(ग) उत्पादन में वृद्धि करने का उद्देश्य इस्को की लाभप्रदता में वृद्धि करना है।

खाद्य तेलों का आयात

2190. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाम आयल और सोयाबीन के तेल जैसे खाद्य तेलों के आयात ने नारियल तेल और देश में उत्पादित अन्य वनस्पति तेलों को बहुत क्षति पहुंचाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को केरल सरकार से खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में वृद्धि संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) घरेलू उद्योग के संरक्षण के लिए खाद्य तेलों के आयात पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा उठाए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) खाद्य तेलों पर आयात शुल्क बढ़ाने के लिए केरल सरकार से हाल ही में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) इस संबंध में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है:

(1) खाद्य तेलों के आयात शुल्क ढांचे की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(2) 15.2.2005 से कच्चे पाम तेल/कच्चे पामोलिन पर आयात शुल्क 65% से बढ़ाकर 80% कर दिया गया है और परिष्कृत पाम तेल/आर.बी.डी. पामोलिन पर आयात शुल्क 75% से बढ़ाकर 90% कर दिया गया है।

(3) पामतेल और इसके उत्पादों और सोयाबीन तेल के लिए प्रशुल्क मूल्य समय-समय पर निर्धारित किया जाता है।

(4) वनस्पति के विनिर्माण में स्वदेशी तेल का इस्तेमाल उत्पादन का कम से कम 12% करना अनिवार्य कर दिया गया है।

भूजल संसाधनों संबंधी अध्ययन

2191. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार सहित राज्य सरकारों ने जल संचयन परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी हां।

(ख) इस समय जल संसाधन मंत्रालय में ऐसी कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है जिसके तहत जल संचयन परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता स्वीकृत की जा सकती हो।

नदियों के जल की बर्बादी

2192. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नदियों में बहने वाला 70 प्रतिशत से अधिक जल समुद्र में बहकर बर्बाद हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या तो इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या निष्कर्ष निकले?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) देश में औसत वार्षिक जल उपलब्धता 1869 बिलियन घनमीटर (बीसीएम) आंकी गई है। विविध प्रयोजन के लिए जल का उपयोग वृहद, मध्यम एवं लघु परियोजनाओं, सतही एवं भूजल दोनों, सहित विभिन्न स्कीमों के माध्यम से किया जाता है। यह आकलन किया गया है कि स्थलाकृतिक, जलवैज्ञानिक और अन्य बाधाओं के कारण, उपयोग योग्य जल 1122 बीसीएम आंका गया है। शेष जल को समुद्र में बह जाना माना जा सकता है जिसका हिस्सा पारिस्थतिकी और दूसरी दृष्टियों से आवश्यक है।

[हिन्दी]

वर्षा

2193. **श्री रामजी लाल सुमन:**
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान औसत वार्षिक वर्षा, 1,170 मि.मि. रही है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या वर्षा का 90 प्रतिशत पानी बह जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो वर्तमान में कितनी मात्रा में वर्षा-जल का संसाधन किया जाता है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) भारत के मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान औसत वार्षिक वर्षा, 1,117 मिलीमीटर (एमएम) है। तथापि, दीर्घावधिक वार्षिक औसत वर्षा 1,170 एमएम है।

(ग) और (घ) देश में औसत वार्षिक जल उपलब्धता का आकलन 1869 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) के रूप में किया गया है। स्थलाकृतिक, जलवैज्ञानिक एवं अन्य बाधाओं के कारण उपयोज्य जल का आकलन 1122 बीसीएम के रूप में किया गया है। शेष जल को समुद्र में बह जाना माना जा सकता है। वर्षा जल संचयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई स्कीमों के माध्यम से भण्डारण के सृजन का कार्य आरंभ किया गया है। इसके परिणामस्वरूप अब तक 213 बीसीएम भण्डारण क्षमता का सृजन किया गया है। राज्य सरकारों द्वारा वर्षा जल संचयन स्कीमें भी आरंभ की गई हैं। भारत सरकार ने भी जल निकायों के पुनरुद्धार, वर्षा जल संचयन एवं भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीमें आरंभ की हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा उन्नत बीजों के लिए परियोजना

2194. **डा. चिन्ता मोहन:**
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश में किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराने के लिए एक परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना की रूपरेखा क्या है तथा उक्त परियोजना के प्रथम चरण के निर्माण पर कुल कितनी धनराशि खर्च किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत औसतन कुल कितने-बीज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है; और

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत बीजों का उत्पादन कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर) ने देश में मत्स्य जीरा और रोपण सामग्री सहित गुणवत्ता बीज की उपलब्धता की पूर्ति के लिए एक परियोजना तैयार की है।

(ख) यह परियोजना प्रजनक बीज, फाउंडेशन बीज और सही मायने में विभिन्न कृषि फसलों का स्तरीय बीज और मात्स्यिकी बीज के साथ बागवानी फसलों की रोपण सामग्री के उत्पादन की आपूर्ति करेगी। परियोजनाधीन प्रस्तावित समग्र निधि दसवीं योजना अवधि (2005-06 से 2006-07) के शेष दो वर्षों के लिए 199.899 करोड़ रुपये है। निधि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

संस्थानों के विभिन्न केन्द्रों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य को प्रदान की जाएगी।

(ग) गुणवत्ता बीज लगभग 7.66 लाख क्विंटल, रोपण सामग्री 795 लाख और मात्स्यिकी जीरा 472 मिलियन प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

(घ) परियोजना, बशर्ते की अंतिम अनुमोदन प्राप्त हो, वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ हो जाएगी।

भेड़ाघाट तथा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र में शामिल करना

2195. श्रीमती गीता पटैरिया: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भेड़ाघाट तथा कान्हा राष्ट्रीय उद्यानों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र में शामिल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह कार्य कब तक कर दिये जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) मध्य प्रदेश में अन्य पर्यटक केन्द्रों के अतिरिक्त, भेड़ाघाट तथा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पर पर्यटक सूचना, विश्व भर में प्रचार हेतु पर्यटन मंत्रालय और मध्य प्रदेश पर्यटन के वेबसाइट में है।

गैर-सरकारी संगठनों को सहायता

2196. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में वनीकरण योजना के अंतर्गत जिले-वार कितने गैर-सरकारी संगठन (एन जी ओ) को वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) क्या प्रधान मुख्य वन संरक्षक की इन गैर-सरकारी संगठनों/निधि आदि के पर्यवेक्षक में कोई भूमिका है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सहायता अनुदान स्कीम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश के तीन जिलों के नौ गैर-सरकारी संगठनों को प्लान्टेशन के लिए 28.06 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय के राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थतिकीय विकास बोर्ड (एन ए ई बी) की ग्रीनिंग इंडिया स्कीम के लिए सहायता अनुदान हेतु लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक को इस योजना के कार्यान्वयन का नोडल काम सौंपा गया है। राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से विधिवत संवीक्षित और प्राथमिकता निर्धारित गैर सरकारी संगठनों सहित स्वैच्छिक अभिकरणों के प्रस्ताव वित्तीय सहायता के लिए एन ए ई बी द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। राज्य वन विभाग के प्राधिकारियों द्वारा किए गए क्षेत्रीय मूल्यांकन के आधार पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक की सिफारिश पर इस योजना के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं के संबंध में बाद की किस्तें जारी की जाती हैं।

विवरण

जिला	सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों की संख्या	जारी की गई राशि (लाख रुपये)
	2002-03	
शून्य	शून्य	शून्य
	2003-04	
शिमला	2	7.97
सोलन	1	3.99
सिरमौर	3	10.86
	2004-05	
शिमला	2	2.10
सिरमौर	1	3.14
कुल	9	28.06

[अनुवाद]

रसायन उद्योग

2197. श्री प्रदीप गांधी: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उद्योगों द्वारा रसायनों के उत्पादन, भण्डारण तथा खतरनाक रसायनों के प्रयोग के बारे में पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित पर्याप्त सुरक्षोपायों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उदारीकरण तथा रसायन उद्योगों के लाइसेंस प्रणाली समाप्त करने के बाद खतरनाक रसायनों के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कुल कितने निरीक्षण किए गए;

(ङ) क्या ऐसे उद्योगों पर ध्यान रखने के लिए कोई प्रणाली है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) पर्यावरणीय सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों/उत्पादों तथा इकाइयों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (छ) कुछ खतरनाक रसायनों को छोड़कर रसायन उद्योग को लाइसेंस-मुक्त कर दिया गया है। सरकार, सुरक्षा, पर्यावरण आदि जैसे विभिन्न पहलुओं के बारे में संतुष्ट होने के बाद खतरनाक रसायनों के विनिर्माण की अनुमति देती है। इसके अलावा, सभी रसायन एककों द्वारा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 के तहत निर्धारित पर्यावरणीय मानकों का सख्ती से पालन किया जाना अनिवार्य है। इसे राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

1994 तथा 2000 में संशोधित खतरनाक रसायनों का विनिर्माण, भंडारण एवं आयात (एम.एस.आई.एच.सी.) नियमावली, 1989 की अनुसूची-5 में एम एस आई एच सी नियमावली को लागू करने हेतु उत्तरदायी संबंधित प्राधिकारियों का निर्धारण किया गया है। फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के अंतर्गत सम्मिलित औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा विलगित भंडारों के संबंध में एम.एस.आई.एच.सी. नियमावली लागू करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी, फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के तहत राज्यों में नियुक्त औद्योगिक सुरक्षा महानिदेशालय/मुख्य फैक्ट्री निरीक्षालय हैं।

इसके अतिरिक्त, पर्याप्त सुरक्षोपायों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्यों से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित पूरक कार्यकलाप शुरू किए गए हैं:

- अधिकतम दुर्घटना प्रवण (एम.ए.एच.) एककों की सुरक्षा लेखा-परीक्षा सहित चयनित औद्योगिक जिलों/पाकेटों का दुर्घटना संबंधी विश्लेषण।
- चयनित जिलों के संबंध में कार्यस्थल-इतर आपातकालीन योजना तैयार करना।
- आपातकालीन अनुक्रिया केन्द्रों तथा विष संबंधी सूचना केन्द्रों की स्थापना।
- प्रशिक्षण तथा जागरूकता।
- क्षमता सृजन।
- अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं।

संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इन नियमों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। सरकार द्वारा खतरनाक रसायनों का विनिर्माण, भंडारण तथा आयात (एम.एस.आई.एच.सी.) नियमावली, 1989 के अनुपालन संबंधी स्थिति की समीक्षा की जाती है।

बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम को समाप्त करना

2198. प्रो. महादेवराव शिवणकर:
श्री मुन्शी राम:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राज्यों के लिए बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रमों को समाप्त करने हेतु कोई योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ राज्यों द्वारा आरंभ किए गए बाढ़ राहत कार्यक्रमों में अनियमितताएं पाई गई हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसकी जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो वे राज्य कौन-कौन से हैं, जिन्होंने 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आवंटित धनराशि को लक्षित परियोजनाओं पर व्यय नहीं किया है;

(च) क्या गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग से मंजूरी प्राप्त परियोजनाओं को पूरा किया गया है; और

(छ) यदि नहीं, तो इन परियोजनाओं को कब तक पूरा करने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय द्वारा विभिन्न बाढ़ नियंत्रण स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इन स्कीमों के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने के लिए राज्य सरकार को सहायता दी जा रही है। आवश्यकतानुसार विशिष्ट स्कीमों को रोक देना और नई स्कीमों को शुरू करना एक निरन्तर प्रक्रिया है।

(ग) से (ङ) वर्ष 2004 में बिहार में बाढ़ राहत कार्य में अनियमितता की एक घटना प्रकाश में आई है। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार इस मामले में सतर्कता जांच के आदेश दे दिए गए है और सतर्कता जांच ब्यूरो ने जांच कर एक मामला दायर कर लिया है।

(च) और (छ) बाढ़ नियंत्रण राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आने के कारण, इससे संबंधित स्कीमों की आयोजना, वित्तपोषण और निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा दी गई सहायता, तकनीकी उत्प्रेरक एवं प्रोत्साहनात्मक स्वरूप की होती है। "गंगा बेसिन राज्यों में गंभीर कटावरोधी कार्य" नामक केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत आने वाली स्कीमों का राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्य	स्कीमों की संख्या	पूरी की गई स्कीमों की संख्या	निर्माणाधीन स्कीमों की संख्या	प्रारंभ की जाने वाली स्कीमों की संख्या
बिहार	27	9	10	8
उत्तर प्रदेश	15	8	4	3
पश्चिम बंगाल	38	3	6	29
हिमाचल प्रदेश	1	–	–	1
उत्तरांचल	2	1	1	–
झारखंड	1	–	–	1

"कोसी और गंडक परियोजना के बाढ़ सुरक्षा कार्यों का रख-रखाव" नामक स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है। "लालबकिया, बागमती, कमला और खांडों नदियों पर तटबंधों का विस्तार" नामक स्कीम के अंतर्गत लालबकिया तटबंध पर चल रहे कार्य पूरा होने के अंतिम चरण में हैं और बागमती के गंभीर खंडों पर कार्य (अनुमानित लागत 4.53 करोड़ रुपये) तथा कमला के गंभीर खंडों पर कार्य (अनुमानित लागत 7.00 करोड़ रुपये) बिहार सरकार द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है।

खाद्य पार्कों का अनुवीक्षण

2199. **श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:**
श्री मो. ताहिर:
श्री मुन्नी राम:
मोहम्मद शाहिद:

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा स्थापित किए गए सभी खाद्य पार्क सही प्रकार से कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि नहीं तो इन खाद्य पार्कों को स्थापित करने में अब तक निवेश की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन खाद्य पार्कों का अनुवीक्षण किया है/अनुवीक्षण किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अब तक कितने खाद्य पार्कों को बंद किया जा चुका है तथा इससे लगभग कितना नुकसान हुआ है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, अपनी योजना स्कीमों के अंतर्गत, खाद्य पार्कों में सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था के लिए सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। यह मंत्रालय स्वयं खाद्य पार्कों की स्थापना नहीं करता है।

मंत्रालय ने अब तक 50 खाद्य पार्क अनुमोदित किए हैं और खाद्य पार्कों के कार्यान्वयन के लिए 105.22 करोड़ रुपये की कुल सहायता जारी की है। मंत्रालय सहायता के लिए अनुमोदित खाद्य पार्कों की प्रगति की निगरानी कर रहा है। खाद्य पार्क बुनियादी विकास परियोजनाएं हैं जिनकी निर्माण अवधि काफी लम्बी होती है और इन्होंने प्रगति के विभिन्न चरण प्राप्त किए हैं। तथापि, 808 से अधिक यूनिटों को प्लाट आबंटित किए गए हैं अथवा वे सामान्य बुनियादी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।

[अनुवाद]

उद्यान घोषित करना

2200. श्री डी. नरबुला: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में दार्जिलिंग में सिपलीला रेंज और कलियपोंग के निओरा वनों को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के बाद भी इन दो-राष्ट्रीय उद्यानों की स्थिति सुधारने के लिए कार्रवाई अभी भी की जानी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी, हां। राज्य सरकार से मिली रिपोर्टों के अनुसार सिंहलीला राष्ट्रीय उद्यान और नियोरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1992 में अधिसूचित किया गया है।

(ख) जी, हां। केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत विकासात्मक और संरक्षण कार्य किए जाते हैं और प्रबंधन योजनाओं के अनुसार राज्य का योजना और योजनाभिन्न बजट बनाया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सिंहलीला राष्ट्रीय उद्यान और नियोरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान के विकास कार्यों में वन्यजीव संरक्षण हेतु पर्यावास सुधार, केप्टिव ब्रैड रैड पांडा की रिहाई, अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना, संघटन कार्य आदि शामिल हैं। संरक्षण कार्यों में स्थानीय समुदाओं को शामिल करने हेतु पारि-विकास कार्य कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

तेल की पैकेजिंग

2201. डा. वल्लभभाई कथीरिया: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्य तेल पैकेजिंग (विनियम) आदेश, 1998 का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या हाल ही में मिलावटी तेल के वितरण के बहुत से मामले सामने आए हैं; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार तथा वर्षवार कितने मामले सामने आए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) कुछ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, जिन्होंने खाद्य तेल पैकेजिंग (विनियमन) आदेश, 1998 कार्यान्वित नहीं किया है अथवा जिन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को आदेश के कार्यान्वयन को आस्थगित करने के लिए भिन्न-भिन्न अवधि के लिए छूट/समय अवधि बढ़ाने की मंजूरी दी गई है, को फिर से इस आदेश को अक्षरश: कार्यान्वित करने की आवश्यकता का स्मरण कराया गया है।

(ख) और (ग) मिलावटी तेल के वितरण से संबंधित कोई विशिष्ट शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

[हिन्दी]

गेहूं/चावल का निर्यात

2202. श्री कमला प्रसाद रावत:
श्री हितेन बर्मन:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश से वर्ष-वार कुल कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के गेहूं तथा चावल का निर्यात किया गया;

(ख) क्या उक्त खाद्यान्नों के निर्यात के लिए इस अवधि हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त निर्यातों से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश से निर्यात किए गए चावल और गेहूं की मात्रा निम्नानुसार है:

(मात्रा: टन में; मूल्य: लाख रुपए में)

	2002-03		2003-04		2004-05*	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
बासमती चावल	710292	206259	770764	199092	1126125	274194
गैर-बासमती चावल	4076347	363408	2601471	214216	3645873	389973
गेहूं	3570890	170018	4093081	239115	1995997	144803

*अनंतिम

ख) निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान चावल और गेहूं के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

अमरीकी डालर (मिलियन)

	2002-03	2003-04	2004-05
बासमती चावल	426	442	612
गैर-बासमती चावल	751	476	870
गेहूं	351	522	323

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर सुनामी का प्रभाव

2203. **श्री मनोरंजन भक्त:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विनाशकारी सुनामी के बाद समुद्री उत्पादों से संबंधित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की दयनीय अवस्था की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग) दिनांक 26.12.2004 को आए सुनामी के कारण समुद्री खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के उपकरण और मशीनरी को हुई हानि के बारे में प्रसंस्करण संयंत्र मालिकों से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। परन्तु, शिपिंग क्राफ्ट और गियर को हुई हानि/नुकसान की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। मछुआरा समुदाय समेत सुनामी से प्रभावित लोगों की समस्याएं कम करने के लिए, सरकार ने राजीव गांधी पुनर्वास पैकेज की घोषणा की है।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के पेंशन मामले

2204 **श्री निहाल चन्द:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना अपनाने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों/अधिकारियों के पेंशन संबंधी मामले अभी भी लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कर्मचारियों/अधिकारियों को यथाशीघ्र पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) जैसा कि संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम के संबंधित जिला प्रबंधकों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे पेंशन संबंधी सभी मामलों का निपटान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से इस मामले की जांच करें और सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों से अपने अपेक्षित पेंशन संबंधी कागजात शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए संपर्क करें।

विवरण I

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों/अधिकारियों, जिन्होंने वर्ष 2004 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना अपनाई थी, के लंबित पेंशन मामलों के ब्यौरे

(1)	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अधीन सेवानिवृत्त स्टाफ की कुल संख्या	305
(2)	पेंशन लाभ के अधीन न आने वाले कर्मचारियों की संख्या	18
(3)	भारतीय खाद्य निगम आंचलिक कार्यालय (उत्तरी), नोएडा को भेजे गए मामलों की संख्या	36
(4)	पेंशन फार्म प्रस्तुत न करने वाले कर्मचारियों की संख्या, चूंकि पेंशन लाभ के भुगतान के लिए पूर्व-आवश्यकता है	235
(5)	आंचलिक कार्यालय (उत्तरी), नोएडा द्वारा संबंधित जिला कार्यालयों को लौटाए गए मामलों की संख्या	16

विवरण II

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों/अधिकारियों, जिन्होंने वर्ष 2004 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अपनाई थी, के लंबित पेंशन मामलों के राज्य-वार ब्यौरे

क्र.सं.	भारतीय खाद्य निगम जिला	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अधीन सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या	पेंशन योजना के अधीन न आने वाले अधिकारियों की संख्या	आंचलिक कार्यालय को भेजे गए मामलों संख्या	पेंशन कागजात न देने वाले कर्मचारियों की संख्या	आंचलिक कार्यालय द्वारा जिला कार्यालय को लौटाए गए मामलों की संख्या
1.	आगरा	74	—	16	58	—
2.	बरेली	24	—	01	23	—
3.	मुरादाबाद	33	—	—	33	—
4.	अलीगढ़	30	01	—	29	—
5.	सहारनपुर	24	04	—	04	16
6.	शाहजहांपुर	08	02	01	05	—
7.	बुलंदशहर	42	04	14	24	—
8.	हापुड़	70	07	04	59	—
	जोड़	305	18	36	235	16

[अनुवाद]

कर्मचारी भविष्य निधि की जमा न की गई तथा दावा न की गई धनराशि

2205. श्री के. सुब्बारायण:
श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज तक कर्मचारी-भविष्य निधि में कुल कितनी धनराशि जमा है;

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि में श्रमिकों के अंशदान से कितनी धनराशि संग्रहित की गई है जिसे सरकारी खाते में जमा नहीं किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस जमा न की गई धनराशि को वसूलने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के पास दावा न की गई कर्मचारी भविष्य निधि धनराशि का देश में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रयोग में लाने हेतु कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि की कुल निधि 79,764.48 करोड़ रुपये थी।

(ख) नियोजक द्वारा कर्मचारियों के अंशदान के बारे में की जाने वाली चूक के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा कोई अलग रिकार्ड नहीं रखा जाता है। तथापि, 31.03.2005 की स्थिति के अनुसार, चूककर्ता प्रतिष्ठानों से 2115.27 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी, जिसमें नियोजकों और कर्मचारियों का अंशदान भी शामिल है।

(ग) और (घ) बकाया देयों की वसूली को कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अनुसार प्रभावी किया जा रहा है। इसमें संपत्तियों की कुर्की और बिक्री, चूककर्ताओं की गिरफ्तारी और नजरबंदी, चूककर्ता संपत्तियों का प्रबंध करने के लिए रिसीवर की नियुक्ति शामिल है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में अदावा जमा खाते में पड़ी हुई राशि का उपयोग करने का कोई प्रावधान नहीं है।

वन क्षेत्रफल के अनुमान के लिए पद्धतियां

2206. श्री के.सी. सिंह "बाबा": क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में संरक्षित तथा खुले वनों की राज्य-वार तथा कुल प्रतिशतता कितनी है तथा वन क्षेत्रफल के अनुमान की पद्धति की विश्वसनीयता कितनी है;

(ख) विद्यमान पद्धति के अंतर्गत किन-किन वनों को शामिल किया गया है;

(ग) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान चिकित्सा उपयोगिता के पेड़ों वाले घनों वनों तथा अत्यधिक जैव विविधता वाले वनों के क्षेत्रफल में अत्यधिक कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) देश में घने वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) देश में सघन तथा खुले वनों की राज्य-वार और कुल प्रतिशतता संलग्न विवरण में दी गई है। वन आवरण के अनुमान की पद्धति की विश्वसनीयता का आकलन 2001 के आकलन के दौरान किया गया था और 95.9% पाया गया था।

(ख) वनावरण के अनुमान की पद्धति उपग्रह डाटा की अंकीय व्याख्या पर आधारित है। विद्यमान पद्धति के अंतर्गत, जिन घटकों को ध्यान में रखा गया है, वे हैं (1) डाटा की अवधि (2) क्लाउड कवरेज, और (3) डाटा की विशेषता।

(ग) और (घ) जी, नहीं। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित एक द्विवार्षिक रिपोर्ट, वन स्थिति रिपोर्ट, 2003 (एस एफ आर, 2003) के अनुसार, घने वन आवरण में वास्तविक कमी 4,605 वर्ग कि.मी. तक अनुमानित की गई है, जबकि 21,640 वर्ग कि.मी. की सीमा तक कमी, वन आवरण के अनुरूप आभास देने वाले कपास, गन्नों इत्यादि की फसलों के रिकार्डेड वनों के बाहर, अधिकतर 1 से 25 हेक्टेयर क्षेत्र में व्याख्यात्मक संशोधनों (इंटरप्रिटेशलन करेक्शन्स) के कारण है। इसी के साथ, खुला वन आवरण, एस एफ आर, 2001 के पिछले आकलन की तुलना में 29,040 वर्ग कि.मी. तक बढ़ गया है। तथापि इस संदर्भ में वृक्षों के चिकित्सा मूल्य और जैव विविधता पर कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ङ) देश में घने वनों के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए किये गए उपाय हैं:

(1) भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम, 1986 और इनके अंतर्गत नियमावली, दिशानिर्देश।

(2) अनुमोदित कार्य योजनाओं के अनुसार वनों पर कार्य करने जैसे प्रबंधन उपाय, वन विकास अभिकरण और संयुक्त वन प्रबंधन।

(3) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों और बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सहायता मुहैय्या कराने जैसे वित्तीय उपाय।

(4) राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा उनके अपने संसाधनों के साथ-साथ भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता से प्रारंभ किए गए वनीकरण कार्यक्रम।

(5) सुरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

विवरण

राज्य/संघ शासित प्रदेश	सघन वन क्षेत्र (भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत)	खुला वन क्षेत्र (भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत
1	2	3
आंध्र प्रदेश	8.9	7.3
अरुणाचल प्रदेश	63.9	17.3
असम	16.6	18.9
बिहार	3.2	2.7
छत्तीसगढ़	28.8	12.6
दिल्ली	3.5	8.0
गोवा	33.9	24.3
गुजरात	3.3	4.4
हरियाणा	1.2	2.2
हिमाचल प्रदेश	16.1	9.7
जम्मू-कश्मीर	4.7	4.9
झारखंड	14.7	13.8
कर्नाटक	11.7	7.3
केरल	24.8	15.3
मध्य प्रदेश	13.6	11.2
महाराष्ट्र	9.2	6.0
मणिपुर	29.3	47.8
मेघालय	29.0	46.1
मिजोरम	35.5	51.9
नागालैंड	34.4	47.7
उड़ीसा	18.1	13.0
पंजाब	1.5	1.7
राजस्थान	1.3	3.3
सिक्किम	33.3	12.7
तमिलनाडु	9.2	8.2
त्रिपुरा	48.2	29.0
उत्तर प्रदेश	2.5	3.4
उत्तरांचल	34.5	11.3
पश्चिम बंगाल	6.8	7.1
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	76.2	8.2
चंडीगढ़	7.9	5.3
दादर व नगर हवेली	29.5	16.3
दमन एवं द्वीव	1.9	5.5
लक्षद्वीव	37.5	34.4
पांडिचेरी	3.5	4.8
योग	11.88	8.76

[हिन्दी]

भूमि को पट्टे पर दिया जाना

2207. श्री कैलाश बैठा: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के पश्चिम चम्पारण जिले में मानगुराहा वनों के अंतर्गत अभयारण्य क्षेत्र के बाहरी इलाके में खुदाई के लिए भूमि को पट्टे पर देने का है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि धोरी की पाण्डाई नदी में इतने पत्थर जमा हो गए हैं जिनसे भारी खतरा उत्पन्न हो सकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस मुद्दे पर कार्रवाई करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 836 में दिनांक 28.10.2003 के अपने आदेश के तहत् वाल्मिकी वन्यजीव अभयारण्य के भीतर तथा अभयारण्य के किनारे प्रस्तावित सुरक्षा क्षेत्र में सभी खनन कार्यों पर रोक लगा दी है। अभयारण्य के भीतर अथवा किनारे

किसी भी भूमि को किसी तरह के खनन के लिए पट्टे पर देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार खनन को रोकने के परिणामस्वरूप पन्डाई नदी में पत्थर इकट्ठे हो गए। इससे क्षेत्र की जैविक विविधता बेहतर हो गई है और इससे वन्यप्राणियों के आवागमन के लिए कोरीडोर पुनर्स्थापित हो गया है। इसलिए पर्यावास को कोई खतरा नहीं है। इसे देखते हुए कोई भी कार्रवाई को करने की आवश्यकता नहीं है।

गैस पीड़ितों के पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए निधि

2208. **श्री कृष्णा मुरारी मोघे:**
डा. राम लखन सिंह:
श्री विजय कुमार खंडेलवाल:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम कार्य योजना के अंतर्गत विभिन्न पुनर्वास कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए लगभग 4.00 करोड़ रु. की एक निधि बनाने के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने भोपाल गैस पीड़ितों के चिकित्सकीय, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पुनर्वास के लिए 163.10 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय सहित एक पंचवर्षीय कार्य योजना स्वीकृत थी। इस परिव्यय को बाद में चरणबद्ध रूप से बढ़ाकर 258 करोड़ रु. कर दिया गया। उक्त परिव्यय में भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी का अनुपात 75: 25 था। केन्द्र सरकार द्वारा अपना समस्त हिस्सा 193.50 करोड़ रु. पहले ही जारी कर दिया गया है और कार्य योजना वर्ष 1999-2000 में पूरी हो गई है। राज्य सरकार से उनके द्वारा प्रारंभ किए गए विभिन्न पुनर्वास कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए धन उपलब्ध कराने हेतु योजना आयोग से संपर्क करने के लिए कहा गया था।

[अनुवाद]

सुन्दरवन का विकास

2209. **श्री अजय चक्रवर्ती:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा चालू वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ राज्य सरकार को कितनी सहायता प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

डिब्बाबंद खाद्य वस्तुएं

2210. **श्री मो. ताहिर:**
मोहम्मद शाहिद:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री मुन्शी राम:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बाजार में डिब्बाबंद खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराने की योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने तथा खाद्य नीति को कानूनी स्वीकृति देने के लिए कार्रवाई की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त बाजार में कुल कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) इस पर कुल कितनी राशि व्यय किए जाने का प्रस्ताव है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (च) सरकार प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं के उत्पादन अथवा बिक्री के लिए स्वयं खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना नहीं करती है। किंतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास

को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य प्रोत्साहनात्मक उपायों के अलावा, खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना और आधुनिकीकरण, बुनियादी सुविधाओं के सृजन, अनुसंधान एवं विकास हेतु समर्थन, मानव संसाधन विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के वास्ते देश में योजना स्कीमें पहले ही तैयार की जा चुकी हैं। सामान्यत: प्रसंस्कृत खाद्यों की पैकों में खुदरा बिक्री की जाती है जिसमें डिब्बे में पैक प्रसंस्कृत खाद्य शामिल है। खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/आधुनिकीकरण के लिए सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है और दुर्गम क्षेत्रों में परियोजना लागत के 33.33% जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपये है, की दर से सहायता दी जाती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के तकनीकी उन्नयन/स्थापना/विस्तार संबंधी स्कीम समेत विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत व्यय हेतु बजट अनुमान 2005-06 में 180 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र जिसमें खाद्य खुदरा बिक्री, बागान और अल्कोहलयुक्त पेय शामिल नहीं हैं, में शतप्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।

[अनुवाद]

भोपाल गैस त्रासदी

2211. श्री वसुदेव आचार्य: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भोपाल गैस त्रासदी के उत्तरजीवियों ने भोपाल मेमोरियल ट्रस्ट में कथित गंभीर अनियमितताओं तथा ट्रस्ट को चलाने में मंत्रालय की भूमिका की जांच करने की मांग की है और प्रदर्शन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने सरकार का ध्यान भूमि जल संदूषण से प्रभावित समुदायों को स्वच्छ जल की आपूर्ति के संबंध में मई, 2004 के उच्चतम न्यायालय के आदेश को कार्यान्वित न करने की ओर आकर्षित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (घ) भोपाल गैस पीड़ितों के एक समूह ने नई दिल्ली में 8 जुलाई, 2005 को प्रदर्शन किया था तथा भोपाल मेमोरियल हास्पिटल ट्रस्ट की कार्यशैली में कतिपय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए रसायन और पेट्रोरसायन विभाग को एक अभ्यावेदन सौंपा था तथा दूषित भूजल से प्रभावित समुदायों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छ पेयजल की अपर्याप्त आपूर्ति की ओर ध्यान आकर्षित किया था। रसायन और उर्वरक मंत्रालय भोपाल मेमोरियल हास्पिटल ट्रस्ट के ट्रस्टियों में नहीं है। तथापि, मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार से इन मामलों की जांच करने तथा समुचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

फारवर्ड मार्केट कमीशन को स्वायत्ता

2212. श्री सीताराम यादव:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार फारवर्ड मार्केट कमीशन के सुदृढ़ करने तथा स्वायत्ता देने के लिए फारवर्ड कांट्रेक्ट रेगुलेशन एक्ट, 1952 का संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं तथा उद्देश्य क्या हैं;

(ग) खाद्य क्षेत्र के संबंध में देश में इन संशोधनों से मानकीकरण किए जाने, ग्रेडिंग किए जाने तथा भण्डारण किए जाने में कितनी मदद मिलने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में संशोधन संबंधी विधेयक के कब तक लाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं: (1) मौजूदा परिभाषाओं को अद्यतन बनाना और कुछ नई परिभाषाओं को अंत:स्थापित करना; (2) वायदा बाजार आयोग के संघटन और कार्यकरण से संबंधित उपबंधों में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के आधार पर परिवर्तन करना; (3) वायदा बाजार आयोग की शक्तियों में वृद्धि करना; (4) मौजूदा एक्सचेंजों का निगमितीकरण और डिम्ब्युलाइजेशन तथा एक पृथक निकासी निगम की स्थापना करना; (5) मध्यस्थों का पंजीकरण; (6) अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम 1952 में दाण्डिक उपबंधों में वृद्धि करना; (7) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के आधार पर वायदा बाजार अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना करना; और (8) वस्तु विकल्पों में व्यापार की अनुमति देना। इन संशोधनों का उद्देश्य वायदा बाजार आयोग को मजबूत बनाना और उसको स्वायत्तता प्रदान करना है।

(ग) प्रस्तावित संशोधनों में मानकीकरण, ग्रेडेशन और भण्डारण से संबंधित उपबंध नहीं है क्योंकि ये अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं।

(घ) प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के तत्काल बाद संसद में विधेयक पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव है।

झीलों और तालाबों का संरक्षण

2213. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें विश्व बैंक की निधियों की सहायता से देश की प्राचीन झीलों तथा तालाबों के संरक्षण तथा अनुरक्षण का उपबंध किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को प्रदान की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा राज्यों को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) मंत्रालय देश में प्रदूषित नदियों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना की स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना जून, 2001 में शुरू की गई थी। अब तक लगभग 164 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 35 झीलों के संरक्षण की परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। इन परियोजनाओं के लिए मार्च, 2005 तक लगभग 67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। 8 झीलों के संबंध में कार्य पूरा हो चुका है जिसके परिणामस्वरूप जल गुणता में सुधार हुआ है। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के लिए विश्व बैंक से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को उपलब्ध करवाई गई निधि का विवरण नीचे दिए अनुसार है:

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.80
2.	महाराष्ट्र	1.00	0.70	0.50
3.	तमिलनाडु	0.00	0.50	0.21
4.	कर्नाटक	1.79	5.08	7.41
5.	उत्तरांचल	0.40	7.71	13.00
6.	राजस्थान	6.00	6.00	0.00
7.	पश्चिम बंगाल	3.00	0.00	1.00
8.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.50
	कुल	12.19	20.00	23.42

(ग) और (घ) मंत्रालय में राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अन्तर्गत संरक्षण के लिए झीलों को अभिनिर्धारित करने के लिए अध्ययन किया गया है। मार्गनिर्देशों के साथ इस अध्ययन के माध्यम से तैयार की गई सूची सभी राज्यों को उनके राज्यों में झीलों को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए भेजी गयी है। वर्तमान कार्यक्रम के लिए तैयार की गई कार्य योजना में झीलों की चल रही निगरानी और कार्यान्वयन के अलावा योजना के अन्तर्गत झीलों के प्राथमिकीकरण और संसाधनों की उपलब्धता के अधार पर नए प्रस्तावों पर विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने हेतु सहायता

2214. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने हेतु निधियां प्रदान करने के लिए निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ख) विशिष्ट रूप से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु उक्त निधियों में ऋण तथा अनुदान अथवा अन्य वित्तीय सहायता की प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु राजस्थान सहित राज्यों को कितनी धनराशि दी गई है तथा उक्त धनराशि में अलग-अलग रूप से ऋण तथा अनुदान की राज्य-वार प्रतिशतता कितनी है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/विस्तार संबंधी स्कीम के अंतर्गत सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है और

दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपये है, की दर से सहायता अनुदान के रूप में सहायता दी जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत व्यय हेतु बजट अनुमान 2005-06 में 49 करोड़ रु. की धनराशि आबंटित की गई है। मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कोई ऋण नहीं दिया गया है।

(ग) यह स्कीम परियोजना विशिष्ट है न कि राज्य/क्षेत्र विशिष्ट। तदनुसार, परियोजनाओं को कार्यान्वित करने वाली एजेंसियों को सहायता दी जाती है। विभिन्न राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संबंधी परियोजनाओं को जारी की गई वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(लाख रु. में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	2002-03	2003-04	2004-05
आंध्र प्रदेश	124.74	465.57	797.67
बिहार	—	—	25.32
छत्तीसगढ़	—	—	32.61
दिल्ली	—	—	2.50
गोवा	—	17.00	25.00
गुजरात	27.41	165.85	262.15
हरियाणा	75.00	185.94	183.34
हिमाचल प्रदेश	111.36	99.18	75.51
जम्मू-कश्मीर	111.22	108.78	74.78
कर्नाटक	41.85	151.49	425.32
केरल	104.90	192.53	152.86
मध्य प्रदेश	8.20	88.93	45.62
महाराष्ट्र	239.95	529.03	778.67
उड़ीसा	15.58	—	63.31
पांडिचेरी	—	—	24.54
पंजाब	176.98	163.00	538.23
राजस्थान	—	86.00	35.83
तमिलनाडु	236.54	274.03	310.60
उत्तर प्रदेश	119.14	263.19	591.76
उत्तरांचल	—	5.37	87.88
पश्चिम बंगाल	163.54	132.96	325.74
पूर्वोत्तर राज्य*	774.20	644.86	494.18

*सभी प्रमुख स्कीमें शामिल हैं।

[अनुवाद]

इस्पात उद्योग को बढ़ावा

2215. **श्री सुशील खां:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विश्व औसत की तुलना में देश में इस्पात के प्रति व्यक्ति उपभोग को बढ़ाने के संबंध में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप किन कार्यनीतियों को अपनाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) एलोय स्टील प्लांट, दुर्गापुर के आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) उदारीकृत एवं नियंत्रणमुक्त माहौल में सरकार सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाती है और इस्पात उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिये नीतिगत पहलों के जरिए एवं अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराती है। इसके अलावा, इस्पात की घरेलू मांग को प्रोत्साहित करने के लिये उपाय करना प्रारूप राष्ट्रीय इस्पात नीति की एक अनिवार्य विशेषता है।

(ग) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने मिश्र इस्पात संयंत्र (ए एस पी) सहित विशेष इस्पात संयंत्रों के लिये एक निगमित योजना तैयार की है। मिश्र इस्पात संयंत्र के लिये योजना में पुनरुद्धार एवं कठिनाई निवारण के द्वारा अधिकतम संभव सीमा तक मौजूदा परिसम्पत्तियों के उपयोग की करिकल्पना की गई है। जोड़ी जाने वाली नई सुविधाएं-आर्गन आक्सीजन डीकारबुराइजिंग, ब्लूम-कम-राउंड कास्टर तथा नई फर्नेस शैल के साथ अल्ट्रा हाई पावर ट्रांसफार्मर हैं। इसके अलावा, अधिकांश सुविधाओं जैसे कि विद्युत चाप भट्टियों, ब्लूमिंग कम बिलेट मिल, फोर्ज शाप, हीट ट्रीटमेंट और फिनिशिंग व कंडीशनिंग शाप का आधुनिकीकरण किया जाएगा।

नारियल तेल का आयात

2216. **श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान नारियल तेल के आयात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नारियल तेल के आयात के कारण घरेलू तेल उद्योग प्रभावित हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो देश में नारियल उत्पादकों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में नारियल तेल का आयात निम्न प्रकार से है:

प्रमात्रा मी. टन में

2002-03	2003-04	2004-05 (अप्रैल-फरवरी)
30415.93	13755.96	12490.49

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

(ग) जैसा कि उपर्युक्त उपलब्ध कराए गए आयात के आंकड़ों से देखा जा सकता है कि पिछले दो वर्षों के दौरान नारियल तेल के आयात में कमी हुई है।

(घ) नारियल विकास बोर्ड समेकित नारियल उद्योग विकास और नारियल प्रौद्योगिकी मिशन के लिए कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है। प्रमुख बल देने वाले क्षेत्रों में गुणवत्ता वाली पौध सामग्री का उत्पादन और वितरण, विशेषतौर पर संभाव्य और गैर-संभाव्य क्षेत्रों में नारियल के अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार, प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों में नारियल की उत्पादकता में सुधार करना, कटाई पश्चात प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का विकास करना, विपणन कार्यकलाप और समेकित कीट एवं रोग नियंत्रण शामिल हैं।

ई.एस.आई.सी. पहचान पत्र

2217. **श्री नवजोत सिंह सिद्धू:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को औद्योगिक/वस्त्र कामगारों को उनके नियोक्ताओं द्वारा ई.एस.आई.सी. पहचान पत्र जारी न किये जाने के संबंध में उनकी शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) नियोजकों द्वारा अपने कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम

परिचय पत्र जारी न किए जाने के बारे में कोई विशिष्ट शिकायतें नहीं प्राप्त हुई थीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली दुग्ध योजना

2218. **श्री भाल चन्द्र यादव:**
डा. के. धनराजू:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली दुग्ध योजना (डी एम एस) को वर्ष 2004-05 के दौरान स्टाक प्राप्तियों तथा उधार सहित 20 करोड़ रुपये से अधिक घाटा है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन से घटक जिम्मेदार हैं तथा स्टाक मूल्य उगाही से प्राप्तियों तथा उधार का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उर्वरक क्षेत्र में संयुक्त उद्यम परियोजनाएं

2219. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार उर्वरक क्षेत्र में नई संयुक्त उद्यम परियोजना स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) जी नहीं, सरकार द्वारा अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र में ई.पी.एफ. तथा ई.एस.आई. की बकाया राशि

2220. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूरे देश में संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों के दिहाड़ी मजदूरों तथा अन्य कर्मचारियों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मजदूरों के वेतनमानों में काफी विसंगति है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त कर्मचारियों के वेतनमानों में विसंगति को दूर करने के लिए कोई नीति बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) 31 मार्च, 2005 तक निजी कंपनियों पर कर्मचारी भविष्य निधि तथा ई.एस.आई. की कितनी धनराशि बकाया है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान बकाया ई.पी.एफ. तथा ई.एस.आई. की राशि वसूलने के लिए राज्य-वार कितनी निजी कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है; और

(च) इस संबंध में अनियमितता करने के लिए कितनी कंपनियों को दोषी पाया गया है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) से (ग) संगठित अथवा असंगठित क्षेत्र के ठेका श्रमिकों के लिए ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) केन्द्रीय नियमावली, 1971 के अंतर्गत यथानिर्धारित देय न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, जहां लागू हो, के अंतर्गत ऐसे नियोजन के लिए निर्धारित दरों से कम नहीं होगी तथा जहां करार, समझौते अथवा पंचाट द्वारा निर्धारित की गयी हों वहां वे इस प्रकार निर्धारित दरों से कम नहीं होगी। तथापि, उन मामलों में जहां ठेका श्रमिकों द्वारा किए जाने वाले कार्य प्रतिष्ठान के नियमित कर्मकारों द्वारा किए जाने वाले कार्य के समान या समरूप हैं तो यह प्रतिष्ठान के नियमित कर्मकारों पर लागू दरों के अनुसार होने चाहिए।

(घ) से (च) 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार चूककर्ता प्रतिष्ठानों (निजी तथा सार्वजनिक उपक्रम कम्पनियों सहित) की संख्या 96,978 थी जिसमें भविष्य निधि के प्रति चूक के रूप में 2115.27 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।

31.3.2005 की स्थिति के अनुसार निजी कम्पनियों की तरफ कर्मचारी राज्य बीमा के 805.56 करोड़ रुपये बकाया थे।

पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा के बकाया की वसूली करने के लिए जिन निजी कम्पनियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है उनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

2002-03	93.067
2003-04	1,02,22
2004-05	1,16,367

उपर्युक्त के संबंध में राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है:

2002-03	1,43,248
2003-04	1,47,352
2004-05	1,49,613

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा की बकाया राशि की वसूली करने के लिए जिन निजी कम्पनियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है उनकी संख्या

क्र.सं.	क्षेत्र	2002-2003	2003-2004	2004-2005
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	7417	5217	5810
2.	असम	925	921	878
3.	बिहार	515	521	543
4.	झारखंड	597	639	748
5.	मुंबई	4123	5173	6626
6.	मरोल	2196	3308	4483
7.	थाणे	2761	2786	3611
8.	पुणे	6084	6624	7411
9.	नागपुर	651	758	1040
10.	दिल्ली	5602	3073	3989
11.	गुजरात	2804	2883	2685
12.	हरियाणा	3406	4183	5098
13.	केरल	4128	4481	4913
14.	कर्नाटक	5585	6924	6131
15.	हुबली	932	928	1045
16.	मध्य प्रदेश	2539	4430	4782
17.	चेन्नै	10096	10535	16322
18.	पांडिचेरी	404	383	333
19.	उडीसा	1425	1564	1678
20.	मदुरै	2827	2792	3142
21.	कोयम्बटूर	3354	3317	3165
22.	पंजाब	5895	7114	7785
23.	जम्मू-कश्मीर	1288	1288	1233
24.	हिमाचल प्रदेश	514	522	478
25.	राजस्थान	3329	3571	3879
26.	उत्तर प्रदेश	5603	6225	6579
27.	सूरत	241	290	303
28.	उत्तरांचल	0	361	307
29.	पश्चिम बंगाल	6298	7592	7725
30.	गोवा	915	797	878
31.	विजयवाड़ा	0	2266	2125
32.	बड़ौदा	613	649	613
33.	छत्तीसगढ़	—	28	29
	कुल	93067	102227	116367

पर्यटन केन्द्र के रूप में घोषणा के लिए मानदण्ड

2221. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसी स्थान को पर्यटन केन्द्र के रूप में घोषित करने के लिए क्या मानदण्ड हैं;

(ख) क्या सरकार की देश के कुछ स्थानों को पर्यटक केन्द्र के रूप में घोषणा करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) से (ग) पर्यटक स्थलों/केन्द्रों का अभिनिर्धारण करने की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकारों की है। पर्यटन मंत्रालय, देश में ऐसे पर्यटक केन्द्रों का अभिनिर्धारण, विकास और संवर्धन करने में, राज्य सरकारों की सहायता करता रहा है। यह एक सतत एवं आगे चलने वाली प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा हेतु आधारभूत अवसंरचना

2222. **श्री जी.एम. सिद्धीश्वर:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा हेतु कर्नाटक को प्रदान की गई आधारभूत अवसंरचना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य को प्रदान की गई आधारभूत अवसंरचना पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इन्हें बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) ब्यौरा संलग्न में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

कर्नाटक में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की परियोजनाओं को प्रदान किए गए मूल बुनियादी ढांचे के विवरण के साथ इनका बजट आवंटन

(रु. लाख में)

	संशोधित आंकलन 2004-05	बजट आंकलन 2005-06
अखिल भारतीय गौण अनाज समन्वित अनुसंधान परियोजना, बंगलौर	243.00	193.75
जैविकीय नियंत्रण परियोजना निदेशालय, बंगलौर	190.00	161.00
अखिल भारतीय जैविकीय नियंत्रण समन्वित अनुसंधान परियोजना, बंगलौर	144.00	156.63
कृषि ऐक्रोलौजी पर नैटवर्क, बगंलौर	150.00	76.83
भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर	450.00	500.00
अखिल भारतीय उपोष्ण फल समन्वित अनुसंधान परियोजना, बंगलौर	260.00	250.00
राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केन्द्र, पुत्तुर	100.00	140.00
अखिल भारतीय काजू समन्वित अनुसंधान परियोजना, पुत्तुर	90.00	90.00
राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर विज्ञान संस्थान, बंगलौर	300.00	500.00
अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-आहार स्रोतों एवं पोषण उपयोग का सुधार	255.00	335.00
पशु रोग निगरानी और सर्विलेंस परियोजना निदेशालय, बंगलौर	390.00	390.00
कुल	2572.00	2793.21

सरकारी क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों को लाभ/घाटा

2223. श्री एस.के. खारवेनथन:
श्री वाई.जी. महाजन:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में देश की सरकारी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों को कितना लाभ/घाटा हुआ;

(ख) क्या विजाग इस्पात संयंत्र का 'सेल' के साथ विलय का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश की इस्पात कंपनियों को लाभकारी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में देश में सरकारी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों के लाभ/हानि की स्थिति इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

संयंत्र	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 (प्रथम तिमाही)
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल)	(-) 304	2512	6817	1124
इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लि. (इस्को)	(-)182	27.09	46.59	2.64
विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र (वीएसपी)	521	1547	2006	321 (अनंतिम)

(ख) वर्तमान में विजाग इस्पात संयंत्र (वीएसपी) का सेल में विलय करने का कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) नियंत्रणमुक्त एवं उदारीकृत माहौल में सरकार मुख्यत: सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाती है और इस्पात उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत पहलों के जरिए एक अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराती है। इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार ने सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण एवं विस्तार करने तथा निजी क्षेत्र में अतिरिक्त इस्पात उत्पादन क्षमता के सृजन को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न नीतिगत उपायों के अंगीकरण जैसे कई कदम उठाये हैं।

मानसून ट्रॉलिंग पर प्रतिबंध

2224. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मानसून ट्रॉलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाली राज्य सरकारों के नाम क्या हैं;

(ख) उद्योग पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ग) क्या प्रतिबंध लगाने वाले राज्यों में मैरीन लैण्डिंग में काफी सुधार हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बीड़ी कामगारों के आश्रितों को बड़ी चिकित्सा हेतु वित्तीय सहायता

2225. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा बीड़ी कामगारों पर आश्रितों को किडनी ट्रांसप्लांटेशन, हृदय शल्य चिकित्सा, कैंसर तथा तपेदिक जैसी बड़ी शल्य चिकित्साओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा महिला बीड़ी कामगारों को प्रसूति संबंधी लाभ को बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) जी, हां। बीड़ी कामगारों के आश्रितों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है:

(1) गुर्दा प्रत्यारोपण, 2,00,000 रु. तक;

(2) हृदय रोग, 1,30,000 रु. तक;

(3) कैंसर, उपचार का पूरा व्यय बिना किसी अधिकतम सीमा के; और

(4) टी.बी. से पीड़ित बीड़ी कामगारों और उनके आश्रितों के लिए अस्पतालों में बिस्तर आरक्षित हैं और प्रति बिस्तर प्रति वर्ष 20,000/- रु. का भुगतान किया जाता है।

(ग) और (घ) महिला बीड़ी कामगारों को प्रसूति लाभ पहले ही दिसम्बर, 2003 में 500 रु. से बढ़ाकर 1,000 रु. किया जा चुका है। यह लाभ प्रथम दो प्रसवों के लिए उपलब्ध है।

ईस्टर्न एक्सप्रेस राजमार्ग पर पेड़ों का विनाश

2226. श्री सुरेश वाघमारे: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** 23 अगस्त 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3644 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या ठेकेदार द्वारा जुलाई, 2005 के प्रथम सप्ताह में 49 पेड़ काटने के बाद नष्ट कर दिए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में संसद सदस्यों से क्या शिकायतें/अभ्यावेदन मिले हैं; और

(च) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा): (क) से (ग) लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3644 के संबंध में 23.8.2004 को दिए गए संसद के आश्वासन की पूर्ति, मंत्रालय के का.ज्ञा. सं. 6-7/2004-एफपीडी दिनांक 15.10.2004 द्वारा कर ली गई है। आश्वासन की पूर्ति के संबंध में लोक सभा सचिवालय के साथ-साथ संसदीय कार्य मंत्रालय को भेजी गई कार्यान्वयन रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न विवरण पर है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) और (च) ईस्टर्न एक्सप्रेस राजमार्ग के समीप जुलाई, 2005 के पहले सप्ताह में ठेकेदार द्वारा हटाये गए 49 पेड़ों के संबंध में इस मंत्रालय में अभी तक कोई शिकायत अथवा संसद सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

क्रियान्वयन रिपोर्ट

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3644 के भाग (क) और (ख) का उत्तर 23.8.2004 को दिया गया था।

मुलुंड और सायन के बीच राजमार्ग का स्ट्रैच ईस्टर्न एक्सप्रेस राजमार्ग के रूप में लोकप्रिय है। इस राजमार्ग की चौड़ाई बढ़ाकर इसे 14 लेन का राजमार्ग बनाने का कार्य प्रगति पर है। मुंबई महानगरीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) इस कार्य के लिए समन्वयक अभिकरण है। चौड़ाई बढ़ाने का कार्य केवल मुलुंड-घाटकोपर स्ट्रैच पर शुरू हुआ है। चौड़ाई बढ़ाने के इस कार्य के दौरान, कुछ पेड़ कटे व नष्ट हुए प्रतीत होते हैं। महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वन सुरक्षा व परिरक्षण अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार पेड़ों को काटने के लिए सक्षम प्राधिकरण की अनुमति अपेक्षित है। मार्ग में आ रहे पेड़ों को काटने/हटाने के लिए ठेकेदार/एम एम आर डी ए ने सक्षम प्राधिकरण की अनुमति नहीं मांगी थी। कोई भी अभिकरण ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह राजमार्ग पर काटे गये/नष्ट हो गये पेड़ों की वास्तविक संख्या उपलब्ध कराएं। तथापि, मीडिया रिपोर्ट और श्री कीर्ति सौमैया, भूतपूर्व संसद सदस्य द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के आधार पर ग्रेटर मुंबई नगरपालिका ने निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार संबंधित पुलिस स्टेशनों पर शिकायत दर्ज कराई है:

पुलिस स्टेशन पर दर्ज की गई शिकायतों का ब्यौरा

क्र.सं.	स्थान	संख्या के तहत दर्ज की गई शिकायत
1.	वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, विखरोली पुलिस स्टेशन, करुणमवर नगर, विखरोली (पूर्वी), मुंबई-400083	सी ए एन/486/जन/एम एन, दिनांक 7.8.2004
2.	वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, विखरोली पुलिस स्टेशन, करुणमवर नगर, विखरोली (पूर्वी), मुंबई-400083	एसीएस/ओडी/1311/एईएमएस, दिनांक 25.7.2004
3.	वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, नवघर पुलिस स्टेशन, मुलुंड (पूर्वी), मुंबई	ए ई एम टी/399/जन, दिनांक 27.7.2004

एम एम आर डी ए के ठेकेदारों ने सक्षम प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना पेड़ों को काटकर काम शुरू करने की अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की है। ठेकेदारों ने अनजाने में उनके द्वारा काटे गये पेड़ों के स्थान पर नए वृक्षों के रोपण के लिए अपनी सहमति दी है।

[हिन्दी]

लू के कारण पक्षियों की मौत

2227. **श्री महेश कनोडीया:**
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लूओं के कारण आंध्र प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में बहुत पक्षी मारे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भविष्य में इन पक्षियों को बचाने के लिए कोई कदम उठाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा): (क) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मुर्गीपालन विकास कार्यक्रम

2228. **श्री कुलदीप बिश्नोई:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश का मुर्गीपालन विकास कार्यक्रम अब तक एक प्रजाति अर्थात कुक्कुटों पर ही केन्द्रित रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा मुर्गीपालन विकास कार्यक्रम को सही ढंग से संवर्धित करने हेतु इस कार्यक्रम में बत्तख, टर्की, जापानी बटेर, गिनिया फाऊल आदि शामिल करके इसका विविधीकरण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, सरकार ने भारत सरकार के अंतर्गत चार केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठनों में निम्नलिखित क्रियाकलाप शुरू करके 1998 से कुक्कुट पालन की विविधता देने के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं:

(1) केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन (दक्षिणी क्षेत्र), हैस्सरघट्टा, बंगलौर में बत्तख तथा टर्की पालन।

(2) केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन (पश्चिमी क्षेत्र-मुंबई तथा उत्तरी क्षेत्र-चंडीगढ़) में जापानी बटेर पालन।

(3) केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन (पूर्वी क्षेत्र, भुवनेश्वर) में गीनिया फाउल पालन।

इसके अलावा, "राज्य कुक्कुट फार्मों को सहायता" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत बत्तख, जापानी बटेर, टर्की तथा गीनिया फाउल आदि जैसी अन्य प्रजातियों सहित कुक्कुट के संबंध में राज्य सरकारों के फार्मों को सुदृढ़ करने संबंधी प्रावधान किया गया है।

कॉमर्शियल प्लांट टिश्यू कल्चर लेबोरेट्रीज ट्रेनिंग फेसिलिटी

2229. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में कार्य कर रही कॉमर्शियल प्लांट टिश्यू कल्चर लेबोरेट्रीज का राज्यवार ब्यौरा क्या है और ये किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) क्या प्रयोगशालाओं के लिए निरंतर आधार पर योग्य उम्मीदवार मिलने में मुश्किलें आ रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में रोजगार के भावी इच्छुकों को आधारभूत दक्षता प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार जो नोडल सरकारी विभाग है, ने सूचित किया है कि जैव-प्रौद्योगिकी कन्सोर्टियम इंडिया लिमिटेड द्वारा

हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 120 पादप ऊतक संवर्धन कंपनियां हैं। 120 प्रयोगशालाओं में से 57 चल रही हैं। पादप ऊतक संवर्धन कम्पनियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) जी, नहीं। तथापि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनेक संस्थान, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय बीज निगम और पादप ऊतक संवर्धन प्रयोगशालाएं ऊतक संवर्धन तकनीकों पर प्रशिक्षण दे रही हैं।

विवरण

प्रायोगिक ऊतक संवर्धन प्रयोगशालाओं की सूची

क्र.सं.	क्षेत्र	कम्पनी का नाम	स्थान	राज्य
1	2	3	4	5
1.	ई	श्री श्रीमल प्लांटेशन लि.	रायपुर	छत्तीसगढ़
2.	ई	कलिंग प्लांट रिसोर्स सैंटर प्रा.लि.	भुवनेश्वर	उड़ीसा
3.	ई	बी.के. बॉयोटेक	हुगली	पश्चिम बंगाल
4.	एन	फुलवारी बॉयोटेक लि.	चण्डीगढ़	चण्डीगढ़
5.	एन	शील बॉयोटेक लि.	हरियाणा	हरियाणा
6.	एन	केसर एंटरप्राइज लि.	बरेली	उत्तर प्रदेश
7.	एन	प्लांटिस एग्रोटेक प्रा.लि.	नैनीताल	उत्तरांचल
8.	एन	चम्बल एग्रीटेक	सोलन	हिमाचल प्रदेश
9.	एस	एस एंड एस एग्रो बॉयोटेक प्रा.लि.	सिकंदराबाद	आंध्र प्रदेश
10.	एस	एजी बॉयोटेक लैबोरेटरीज (आई) लि.	कुतुबिलियापुर	आंध्र प्रदेश
11.	एस	तुर्लापटी एग्रोटेक लि.	सिकंदराबाद	आंध्र प्रदेश
12.	एस	गोदरेज प्लांट बॉयोटेक लि.	मेडचेल	आंध्र प्रदेश
13.	एस	लैबलैंड बॉयोटेक प्रा.लि.	मैसूर	कर्नाटक
14.	एस	ग्रीनार्थ बॉयोटेकनॉलाजिस लि.	बंगलौर	कर्नाटक
15.	एस	व्हाईटफील्ड एग्रोटेक प्रा.लि.	बंगलौर	कर्नाटक
16.	एस	ई आई डी पैरी (आई) लि.	बंगलौर	कर्नाटक
17.	एस	श्री रामको बॉयोटेक	बंगलौर	कर्नाटक
18.	एस	इंडो-अमेरिकन हाइब्रिड सीड (आई) प्रा.लि.	बंगलौर	कर्नाटक
19.	एस	इनविट्रो इंटरनेशनल	बंगलौर	कर्नाटक
20.	एस	एम एस आर बॉयोटेक प्रा.लि.	बंगलौर	कर्नाटक
21.	एस	सुवर्णामुखी बॉयोटेक	बंगलौर	कर्नाटक

1	2	3	4	5
22.	एस	राजश्री बॉयोटेक	बंगलौर	कर्नाटक
23.	एस	एच यू गूगल बॉयोटेक (प्रा.लि.)	बंगलौर	कर्नाटक
24.	एस	ग्लोबल ग्रीन्स	बंगलौर	कर्नाटक
25.	एस	अंकुर बॉयोटेक	बंगलौर	कर्नाटक
26.	एस	रिधी बॉयोटेक प्रा.लि.	धारवाड़	कर्नाटक
27.	एस	पाम ग्रोव नर्सरीस (खोडे बॉयोटेक)	बंगलौर	कर्नाटक
28.	एस	द शेवरॉय इस्टेट लि. (एवी थॉमस ग्रुप)	एरणाकुलम	केरल
29.	एस	फाइटोक्लोन लैबोरेटरीज	कुट्टायम	केरल
30.	एस	मित्रनिकेतन कृषि विज्ञान केन्द्र	त्रिवेन्द्रम	केरल
31.	एस	हफी आर्चर्ड	कोच्चि	केरल
32.	एस	हाई-ब्रिड बॉयोटेक	त्रिवेन्द्रम	केरल
33.	एस	बॉयोप्लांट	पालघाट	केरल
34.	एस	हैरीसंस मलयालम लि.	होसूर	तमिलनाडु
35.	एस	साउदर्न पैट्रोकैमिकल इंडि. का. लि.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु
36.	एस	ग्रोमोर बॉयोटेक प्रा.लि.	होसूर	तमिलनाडु
37.	एस	ब्लोसम टिस्सू कल्चर नर्सरीस	होसूर	तमिलनाडु
38.	डब्ल्यू	श्री खेदुत सहकारी खण्ड उद्योग मंडली लि.	बारडोली	गुजरात
39.	डब्ल्यू	सन एग्रीजैनेटिक्स प्रा.लि.	वडौदरा	गुजरात
40.	डब्ल्यू	कैडीला फार्मास्यूटिकल्स	अहमदाबाद	गुजरात
41.	डब्ल्यू	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल लि.	अहमदाबाद	गुजरात
42.	डब्ल्यू	शैली पोलीमर्स	अहमदाबाद	गुजरात
43.	डब्ल्यू	गुजरात एग्री प्रोसैसिंग लि.	दाकोर	गुजरात
44.	डब्ल्यू	हाईब्रीटेक प्रा.लि.	गनदेवी	गुजरात
45.	डब्ल्यू	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स क.लि.	भड़ौंच	गुजरात
46.	डब्ल्यू	रिलायंस लाइफ साइंस	जामनगर	गुजरात
47.	डब्ल्यू	जैन इरीगेशन लि.	जलगांव	गुजरात
48.	डब्ल्यू	वसंत दादा सुगरकेन इंस्टीट्यूट	मंजारी	महाराष्ट्र
49.	डब्ल्यू	नाथ बॉयोटेक्नॉलाजीस लि.	औरंगाबाद	महाराष्ट्र

1	2	3	4	5
50.	डब्ल्यू	गार्गी बॉयोटेक प्रा.लि.	मंगलवार पीठ, पुणे	महाराष्ट्र
51.	डब्ल्यू	ईपीसी इरीगेशन लि.	नासिक	महाराष्ट्र
52.	डब्ल्यू	निमरीती बॉयोटेक	पुणे	महाराष्ट्र
53.	डब्ल्यू	इंद्राणी बॉयोटेक	पुणे	महाराष्ट्र
54.	डब्ल्यू	पुदुमजी प्लांट लैबोरेटरीज	पुणे	महाराष्ट्र
55.	डब्ल्यू	कुमार फ्लोरिस्ट गरबेरास प्रा.लि.	पुणे	महाराष्ट्र
56.	डब्ल्यू	सौभाग्य कलपतरू प्रा.लि.	हिंगनघाट	महाराष्ट्र
57.	डब्ल्यू	गुफिक बॉयोसाइंस लि.	अंधेरी, मुंबई	महाराष्ट्र

अधूरी सिंचाई परियोजनाएं

2230. श्री रमेश चन्दप्पा जिगजिनगी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं के क्या नाम हैं और उनको राज्य-वार/परियोजना-वार अनुमानित लागत कितनी है; और

(ख) इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) दिनांक 1.4.2004 तक 169 वृहद और 219 मध्यम चालू सिंचाई परियोजनाएं हैं जो नौवीं पंचवर्षीय योजना से लाई गई हैं। राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय जल आयोग को उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर पूर्ण होने के निर्धारित वर्ष समेत इन परियोजनाओं का राज्य-वार/परियोजना-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/परियोजना का नाम	अद्यतन अनुमानित लागत	पूरा होने का प्रत्याशित वर्ष
1	2	3	4
	1. आंध्र प्रदेश		
	वृहद परियोजनाएं		
1.	नागार्जुनसागर	1184.00	दसवीं योजना
2.	श्री राम सागर	2663.39	दसवीं योजना
3.	पीयुवनडुला ब्रांच नहर	93.87	दसवीं योजना
4.	वम्सधारा चरण-I	109.00	दसवीं योजना
5.	सिंगूर	180.00	दसवीं योजना

1	2	3	4
6.	सोमशिला	500.00	दसवीं योजना
7.	वम्सधारा चरण-II फेज-I	123.94	दसवीं योजना से आगे
8.	जुराला	545.82	दसवीं योजना
9.	श्रीसेलम एलबीसी	1260.00	दसवीं योजना
10.	श्रीसेलम आरबीसी	1979.00	दसवीं योजना से आगे
11.	तेलगु गंगा	3100.00	दसवीं योजना
12.	येलेरु जलआपूर्ति स्कीम	484.54	दसवीं योजना
13.	वम्सधारा चरण-II फेज-II	739.49	दसवीं योजना
14.	चगलानाडू एलआईएस	70.70	दसवीं योजना
15.	गलेरू नगरी फेज-I	4560.00	दसवीं योजना
	मध्यम परियोजनाएं		
1.	कानपुर	32.50	दसवीं योजना से आगे
2.	गुंडालवागु	15.85	दसवीं योजना
3.	झंझावटी	103.62	दसवीं योजना
4.	मडीगेडा	10.90	दसवीं योजना
5.	मडूवालसा	115.23	दसवीं योजना
6.	येराकल्वा	81.20	दसवीं योजना
7.	माडीलेरू	50.28	दसवीं योजना
8.	पालेमवागु	33.29	दसवीं योजना
9.	पडेरू	38.41	दसवीं योजना
	2. असम		
	वृहद परियोजनाएं		
1.	धनसिरी	355.00	दसवीं योना
2.	बोरडीकरारी	49.94	दसवीं योजना से आगे
3.	ऐकीकृत केलोंग	113.93	दसवीं योजना से आगे
4.	चम्पामती	128.67	दसवीं योजना
5.	पगलादिया	1030.00	दसवीं योजना से आगे
	मध्यम परियोजनाएं		
1.	कालोंगा	5.54	दसवीं योजना

1	2	3	4
2.	बूढ़ीदेयांग	27.39	दसवीं योजना से आगे
3.	पहूमारा	46.16	दसवीं योजना
4.	बोरोलिया	69.32	दसवीं योजना
5.	हवाईपुर लिफ्ट	14.93	दसवीं योजना से आगे
	3. बिहार		
	वृहद परियोजनाएं		
1.	पश्चिमी कोसी नहर	904.01	दसवीं योजना
2.	बटेश्वरस्थान पंप नहर फेज-I	180.00	दसवीं योजना
3.	दुर्गावती जलाशय स्कीम	379.04	दसवीं योजना
4.	उत्तर कोयल जलाशय परियोजना	1118.00	दसवीं योजना
5.	तिलैया धन्धर डाइवर्जन	398.81	दसवीं योजना
6.	ऊपरी कियूल जलाशय परियोजना	159.16	दसवीं योजना
7.	बरनार	308.00	दसवीं योजना से आगे
8.	पूर्वी कोसी नहर फेज-II	156.32	दसवीं योजना
9.	गंडक फेज-II	578.27	दसवीं योजना से आगे
10.	बांणसागर बांध	263.00	दसवीं योजना
	मध्यम परियोजनाएं		
1.	बताने	57.00	दसवीं योजना
2.	ओरनी जलाशय परियोजना	74.79	दसवीं योजना से आगे
3.	सिंधवर्नी	48.32	दसवीं योजना से आगे
	4. झारखंड		
	वृहद परियोजना		
1.	अजॉय बैराज	351.84	दसवीं योजना से आगे
2.	औरंगा	914.24	दसवीं योजना से आगे
3.	कोनार	348.38	दसवीं योजना से आगे
4.	सुवर्णरेखा	2869.76	दसवीं योजना से आगे
5.	पुनासी	185.82	दसवीं योजना से आगे
	मध्यम परियोजनाएं		
1.	गुमानी	125.00	दसवीं योजना

1	2	3	4
2.	झरझरा	49.87	दसवीं योजना
3.	कंसजोर	52.67	दसवीं योजना
4.	तोराई (आस्थगित)	62.57	दसवीं योजना
5.	कंस (आस्थगित)	44.18	दसवीं योजना से आगे
6.	सोनुवा	79.24	दसवीं योजना
7.	शुरू	36.00	दसवीं योजना
8.	ऊपरी शंख	105.44	दसवीं योजना
9.	कटरी	51.08	दसवीं योजना
10.	केसो (संशोधित चरण)	48.61	दसवीं योजना से आगे
11.	नटकी	35.16	दसवीं योजना से आगे
12.	पंच खेरो	54.73	दसवीं योजना
13.	राम रेखा	53.87	दसवीं योजना से आगे
14.	सुरंगी	57.42	दसवीं योजना
15.	धनसिंहतोली	29.52	दसवीं योजना
16.	भैरवा जलाशय	67.27	दसवीं योजना से आगे
17.	सलैया (संशोधित चरण)	36.56	दसवीं योजना से आगे
18.	बासुकी (पुनर्विचारित)	55.00	दसवीं योजना
19.	सतपोटका	33.45	दसवीं योजना
	5. गोवा		
	वृहद परियोजनाएं		
1.	सलोली सिंचाई परियोजना	160.00	दसवीं योजना
	-तिलारी (आईएस)(गोवा का हिस्सा)	806.56	दसवीं योजना
	6. गुजरात		
	वृहद परियोजना		
1.	सरदार सरोवर परियोजना (आईएस)	30823.00	दसवीं योजना से आगे
2.	जनखारी	90.00	दसवीं योजना से आगे
3.	सिंडुम्बर	205.35	दसवीं योजना से आगे
	मध्यम परियोजनाएं		
1.	मुक्तेश्वर	46.00	दसवीं योजना

1	2	3	4
2.	उंड-II	64.00	दसवीं योजना
3.	गोमा	47.59	दसवीं योजना से आगे
4.	कोल्लयारी	26.00	दसवीं योजना से आगे
5.	औजत-II	86.20	दसवीं योजना
6.	वरतू-II	57.15	दसवीं योजना
7.	लिमडी बोगाओ-II	41.41	दसवीं योजना से आगे
8.	अजी-IV	111.77	दसवीं योजना
9.	बकरोल	23.86	दसवीं योजना से आगे
10.	भदर-II	119.30	दसवीं योजना से आगे
11.	देमी-III	36.00	दसवीं योजना से आगे
12.	गुंडा (उटावली)	37.00	दसवीं योजना से आगे
13.	मेन	8.72	दसवीं योजना से आगे
14.	सिंगर	20.00	दसवीं योजना से आगे
15.	वारांशी	19.60	दसवीं योजना
16.	कुंटली	43.99	दसवीं योजना से आगे
17.	ग्रामणी-II	41.50	दसवीं योजना
18.	चिनचाई (एलआईएस)	13.35	दसवीं योजना से आगे
	7. हरियाणा		
	वृहद परियोजना		
1.	रिवाड़ी लिफ्ट चरण-II	39.60	दसवीं योजना
2.	लौहारू लिफ्ट	75.53	दसवीं योजना
3.	जे एल एन लिफ्ट सिंचाई	245.75	दसवीं योजना
4.	एसवाईएल परियोजना (पंजाब का भाग)	601.25	दसवीं योजना से आगे
	8. हिमाचल प्रदेश		
	वृहद परियोजनाएं		
1.	शाहनगर सिंचाई परियोजना	203.84	दसवीं योजना
	मध्यम परियोजनाएं		
1.	सिधाता परियोजना	42.49	दसवीं योजना
2.	चांगेर लिफ्ट सिंचाई परियोजना	42.24	दसवीं योजना

1	2	3	4
	9. जम्मू एवं कश्मीर		
	मध्यम परियोजना		
1.	लेथपोरा लिफ्ट	10.04	दसवीं योजना
2.	मार्वल लिफ्ट	25.16	दसवीं योजना
3.	नीव-करेवा	4.50	परियोजना आस्थगित
4.	राजपूरा-लिफ्ट	31.64	दसवीं योजना
5.	तराई लिफ्ट	70.33	दसवीं योजना
6.	राफियाबाद उच्च लिफ्ट	35.60	दसवीं योजना
7.	आईगो-फे-सिंचाई परियोजना	49.03	दसवीं योजना
	10. कर्नाटक		
	वृहद परियोजनाएं		
1.	कबीनी	1233.00	दसवीं योजना
2.	तुंगबत्रा एचएलसी (आईएस)	111.80	दसवीं योजना
3.	मलप्रभा	816.00	दसवीं योजना
4.	हरांगी	400.00	दसवीं योजना
5.	हेमावती	3710.00	दसवीं योजना
6.	करंजा	415.00	दसवीं योजना
7.	यूकेपी चरण-I	5613.83	दसवीं योजना
8.	यूकेपी चरण-II	2954.58	दसवीं योजना से आगे
9.	हिपारावी	901.00	दसवीं योजना
10.	बेनितहोरा	267.24	दसवीं योजना
11.	वरही	275.00	दसवीं योजना
12.	यागाची	302.50	दसवीं योजना
13.	ऊपरी तुंगा	1052.33	दसवीं योजना
	- दूधगंगा (आइएस)	124.00	दसवीं योजना
14.	सिंगातालुर	595.00	दसवीं योजना
15.	भीमा लिफ्ट	194.47	दसवीं योजना
16.	मारकंडया	209.85	दसवीं योजना

1	2	3	4
	मध्यम परियोजना		
1.	मंचनबेले	74.65	दसवीं योजना
2.	अमरजा	109.43	दसवीं योजना
3.	अरकावती	110.00	दसवीं योजना
4.	नीचली मूलामारी	134.06	दसवीं योजना
5.	चुलकीनाला	70.00	दसवीं योजना
6.	वोटेहोल	52.50	दसवीं योजना
7.	हिरेहल्ला	175.00	दसवीं योजना
8.	उडुथोरेहल्ला	156.10	दसवीं योजना
9.	इगालुर	69.65	दसवीं योजना
10.	कामसमुद्रा	28.75	दसवीं योजना
11.	होदीरयानाहल्ला	9.20	दसवीं योजना
12.	हचनकोपलू	27.50	दसवीं योजना
13.	गनडोरीनाला	132.95	दसवीं योजना
14.	बसापुर लिफ्ट	19.50	दसवीं योजना
15.	ईटागी-ससालवाड़	18.50	दसवीं योजना
16.	कंचनाहल्ली	88.30	दसवीं योजना
17.	हरीनाला	55.56	दसवीं योजना
18.	नंजापुरा	31.60	दसवीं योजना
	11. केरल		
	वृहद परियोजना		
1.	कल्लाड	760.80	दसवीं योजना
2.	मुवात्तुपुझा	515.00	दसवीं योजना
3.	इडामलायार	412.00	दसवीं योजना
4.	करियारकुट्टी	197.00	दसवीं योजना
	मध्यम परियोजनाएं		
1.	अट्टापेडी	161.00	दसवीं योजना
2.	कारापुझा	253.00	दसवीं योजना

1	2	3	4
3.	बाणसुरसागर	50.00	दसवीं योजना
4.	वामनापुरम	260.00	दसवीं योजना
	12. मध्य प्रदेश		
	वृहद परियोजनाएं		
1.	कोलार	195.60	दसवीं योजना
2.	सिंध फेज-I	74.00	दसवीं योजना से आगे
3.	बाण सागर बांध (मध्य प्रदेश का हिस्सा)	880.72	दसवीं योजना
4.	बाणसागर नहर	742.50	दसवीं योजना से आगे
5.	बरियारपुर एलबीपी	191.34	दसवीं योजना से आगे
	राजघाट बांध	150.00	दसवीं योजना
6.	राजघाट नहर	645.66	दसवीं योजना से आगे
7.	रानी अवन्ती बाई सागर (एनबीडीए)	1478.64	दसवीं योजना से आगे
	-बावनपंडी (आईएस)	194.99	दसवीं योजना
8.	महान	155.10	दसवीं योजन से आगे
9.	इंदिरा सागर (एनबीडीए)	5150.00	दसवीं योजना से आगे
10.	जोबट (एनबीडीए)	117.45	दसवीं योजना
11.	माही	266.00	दसवीं योजना से आगे
12.	मान (एनबीडीए)	167.41	दसवीं योजना से आगे
13.	सिंध फेज-II	1079.90	दसवीं योजना से आगे
14.	बारगी डाइवर्जन (एनबीडीए)	2604.50	दसवीं योजना से आगे
15.	ओंकारेश्वर (एनबीडीए)	3134.37	दसवीं योजना से आगे
16.	पेंच डाइवर्जन	549.65	दसवीं योजना से आगे
	मध्यम परियोजनाएं		
1.	कालियासोट	69.52	दसवीं योजना से आगे
2.	कंआरी लिफ्ट	5.31	दसवीं योजना से आगे
3.	महुआर	57.68	दसवीं योजना से आगे
4.	सागर	31.99	दसवीं योजना से आगे
5.	बाह	54.30	दसवीं योजना से आगे

1	2	3	4
	13. छत्तीसगढ़		
	वृहद परियोजनाएं		
1.	महानदी जलाशय परियोजना	644.77	दसवीं योजना
2.	जोंक डाइवर्जन	53.51	दसवीं योजना
3.	हसदेव बांगों फेज-III	1043.88	दसवीं योजना से आगे
	मध्यम परियोजनाएं		
1.	बरनई	29.46	दसवीं योजना
2.	कोसेरटेडा	60.84	दसवीं योजना
3.	सुतियापाट	46.95	दसवीं योजना से आगे
4.	ऊपरी जोंक	9.10	दसवीं योजना
5.	खरखरा मोधिपाट नहर	43.82	दसवीं योजना से आगे
	14. महाराष्ट्र		
	वृहद परियोजनाएं		
1.	भीमा	1405.67	दसवीं योजना
2.	कृष्णा	559.01	दसवीं योजना
3.	कुकाडी	1430.78	दसवीं योजना
4.	खड़कवासला	343.87	दसवीं योजना
5.	ऊपरी तापी	230.76	दसवीं योजना
6.	वरना	1150.98	दसवीं योजना से आगे
7.	ऊपरी गोदावरी	189.99	दसवीं योजना
8.	दूधगंगा (आईएस)	1173.26	दसवीं योजना
9.	चस्कामान	388.13	दसवीं योजना
10.	भत्सा	358.25	दसवीं योजना
11.	जायकवाड़ी चरण-II	792.20	दसवीं योजना
12.	नांदुर मधमेश्वर	606.00	दसवीं योजना से आगे
13.	ऊपरी पेनगंगा	867.46	दसवीं योजना
14.	ऊपरी परवारा	721.39	दसवीं योजना
15.	ऊपरी वर्धा	754.26	दसवीं योजना

1	2	3	4
16.	वाधुर	189.32	दसवीं योजना
17.	बावनथंडी (आईएस)	188.70	दसवीं योजना से आगे
18.	सूर्या	276.15	दसवीं योजना
19.	तिल्लारी (आईएस)	293.80	दसवीं योजना
20.	विष्णुपुरी (निचली गोदावरी)	252.77	दसवीं योजना
21.	अरुणावती	224.16	दसवीं योजना
22.	गोसीखुर्द	3544.53	दसवीं योजना से आगे
23.	हुमान	523.48	दसवीं योजना से आगे
24.	कडवा	76.07	दसवीं योजना
25.	कोयना कृष्णा (एलआईएस)	1892.29	दसवीं योजना से आगे
26.	लेंडी (आईएस)	225.99	दसवीं योजना से आगे
27.	निचली तिरना (प्रवाह एवं लिफ्ट)	327.29	दसवीं योजना
28.	निजली वर्धा	540.14	दसवीं योजना से आगे
29.	निजली पुन्ना	287.46	दसवीं योजना
30.	पुनाद	115.81	दसवीं योजना
31.	तालांबा	388.19	दसवीं योजना से आगे
32.	तुलतुली	169.40	दसवीं योजना से आगे
33.	वान	228.40	दसवीं योजना
34.	उरमोदी	867.78	दसवीं योजना से आगे
35.	निजली दूधना	474.06	दसवीं योजना से आगे
36.	निजली पैनगंगा	1696.94	दसवीं योजना से आगे
37.	नीरा देवघर	910.91	दसवीं योजना से आगे
38.	घेम्बला	622.48	दसवीं योजना से आगे
39.	भामा आखेड	458.20	दसवीं योजना से आगे
40.	जनाई शिरसाल	144.24	दसवीं योजना से आगे
41.	गंजावाणी	316.60	दसवीं योजना से आगे
42.	खडकपूर्णा	368.88	दसवीं योजना से आगे
43.	सिना कोलेगांव	317.77	दसवीं योजना से आगे

1	2	3	4
44.	सिना माधा एलआईएस	197.70	दसवीं योजना से आगे
45.	टेमगढ़	323.53	दसवीं योजना
	अतिरिक्त परियोजनाएं		
46.	धोम बलकावाड़ी	475.29	दसवीं योजना से आगे
47.	तरली	685.93	दसवीं योजना से आगे
48.	अस्ती एलआईएस	67.87	दसवीं योजना से आगे
49.	बरशी एलआईएस	230.40	दसवीं योजना से आगे
50.	भीभा सिना संयुक्त नहर	315.78	दसवीं योजना से आगे
51.	धई गांव एलआईएस	130.32	दसवीं योजना से आगे
52.	पुरन्दर एलआईएस	386.70	दसवीं योजना से आगे
53.	शिरापुर एलआईएस	153.69	दसवीं योजना से आगे
54.	टेम्भू	2107.28	दसवीं योजना से आगे
55.	निचली तापी	273.08	दसवीं योजना से आगे
56.	वरनगांव तालवेल एलआईएस	302.26	दसवीं योजना से आगे
	मध्यम परियोजनाएं		
1.	अंजनापलसी (पलसी)	50.81	दसवीं योजना
2.	अरन (पिंपरी)	71.28	दसवीं योजना
3.	बहुला	44.04	दसवीं योजना
4.	चेन्ना नदी	17.40	दसवीं योजना
5.	चिकोत्रा	137.94	दसवीं योजना
6.	एरधा	31.90	दसवीं योजना
7.	हिवड़ा	16.29	दसवीं योजना
8.	जंगामहट्टी	32.00	दसवीं योजना
9.	ज्वालगांव	26.75	दसवीं योजना
10.	कडवी	69.74	दसवीं योजना
11.	कसारी	28.95	दसवीं योजना
12.	कुंभी	48.63	दसवीं योजना
13.	मंगरूल	24.20	दसवीं योजना

1	2	3	4
14.	मोर	40.15	दसवीं योजना
15.	पंढरी नाला	11.70	दसवीं योजना
16.	पूर्णा नेयोपुर	16.61	दसवीं योजना
17.	वाडीवाले	31.03	दसवीं योजना
18.	अमरावती	48.34	दसवीं योजना
19.	बोरडाहेगांव	28.70	दसवीं योजना
20.	बोरी (एस)	72.83	दसवीं योजना से आगे
21.	ढापेवाड़ा चरण-I	78.05	दसवीं योजना
22.	देहली	39.66	दसवीं योजना
23.	देवगढ़	174.98	दसवीं योजना से आगे
24.	डोंगएगांव	41.16	दसवीं योजना
25.	हेतवाने	208.54	दसवीं योजना
26.	जाम	66.70	दसवीं योजना
27.	करवप्पा नल्ला	26.54	दसवीं योजना
28.	केसासाई	33.15	दसवीं योजना
29.	मून	60.85	दसवीं योजना
30.	पतगांव	82.20	दसवीं योजना
31.	शिवना तात्कली	123.12	दसवीं योजना
32.	सोनवाड़	31.37	दसवीं योजना
33.	तजनापुर लिफ्ट सिंचाई	25.86	दसवीं योजना
34.	ऊपरी मन्नार	145.28	दसवीं योजना
35.	अंधाली	19.29	दसवीं योजना
36.	मदन टैंक	50.56	दसवीं योजना से आगे
37.	नवरगांव	46.48	दसवीं योजना
38.	गौतम गोदावरी (गोदावरी नदी)	64.90	दसवीं योजना
39.	अक्काल पाड़ा	131.40	दसवीं योजना
40.	दारा	37.38	दसवीं योजना
41.	गढ़नदी	112.80	दसवीं योजना से आगे

1	2	3	4
42.	कजाला (वाधोली)	17.68	दसवीं योजना
43.	कार	126.40	दसवीं योजना
44.	कश्यपी	49.33	दसवीं योजना
45.	कोरादीननाल्ला	21.25	दसवीं योजना
46.	मोरना गुरेधर	117.38	दसवीं योजना
47.	नागन	59.94	दसवीं योजना
48.	नारंगी सारंगी	23.00	दसवीं योजना
49.	पेन तकली	173.55	दसवीं योजना
50.	सयाकी	22.20	दसवीं योजना
51.	तोरना	14.94	दसवीं योजना
52.	ऊपरी मंजरा (डोकेवाड़ी)	61.40	दसवीं योजना
53.	अंजानी	79.97	दसवीं योजना
54.	जाम्ब्रे	66.03	दसवीं योजना
55.	कटांगी	31.00	दसवीं योजना
56.	निचला चूलबंद	60.82	दसवीं योजना से आगे
57.	मोहम्मद वाड़ी (नरदावे)	189.90	दसवीं योजना से आगे
58.	सोंडियाटोला एलआईएस	60.33	दसवीं योजना
59.	ठटावाली	55.23	दसवीं योजना
60.	चन्द्रभागा	177.64	दसवीं योजना
61.	चिन्नी	79.94	दसवीं योजना
62.	गुल	55.94	दसवीं योजना
63.	जामखेड़ी	26.94	दसवीं योजना
64.	कल्पाथारी	27.44	दसवीं योजना
65.	कराजखेड़ एलआईएस	39.46	दसवीं योजना
66.	लाल नल्ला	59.17	दसवीं योजना
67.	नागेवाड़ी	51.47	दसवीं योजना
68.	प्रकाश बंधारा	155.58	दसवीं योजना
69.	पूर्णा	143.46	दसवीं योजना

1	2	3	4
70.	रैनापुर	68.00	दसवीं योजना से आगे
71.	सोनापुर टोमटा	32.18	दसवीं योजना
72.	सुल्वाड़े बंधारा	149.15	दसवीं योजना
73.	वीरचेक (शिवन)	28.89	दसवीं योजना
74.	वाड़ी शेवाड़ी	98.44	दसवीं योजना
75.	वाधोला चुटी	42.33	दसवीं योजना
76.	वाकोड़	30.94	दसवीं योजना
77.	आंध्राखोरे	96.00	दसवीं योजना
78.	घाटप्रभा (फाटकवाड़ी)	84.26	दसवीं योजना
79.	हारनघाट (एलआईएस)	49.21	दसवीं योजना
80.	किरमिरी दुरूम	27.89	दसवीं योजना
81.	पिंपलगांव (डाले)	62.69	दसवीं योजना
82.	उत्तरमांड	102.38	दसवीं योजना
83.	वांग	209.11	दसवीं योजना
84.	जशीनगर	43.14	दसवीं योजना
	अतिरिक्त परियोजनाएं		
85.	चिल्हेवाड़ी	145.84	दसवीं योजना से आगे
86.	धमनी	226.11	दसवीं योजना से आगे
87.	कृष्णा चरण-II (कुन्डली)	397.96	दसवीं योजना से आगे
88.	सिंना (भोसे खिंड)	118.94	दसवीं योजना से आगे
89.	कमानी टंडा	42.22	दसवीं योजना से आगे
90.	मणिकपुंज	28.77	दसवीं योजना से आगे
91.	मोरना (शिराला)	22.80	दसवीं योजना से आगे
92.	मुक्ताई नगर एलआईएस	34.45	दसवीं योजना से आगे
93.	सारंगखेड़ा बैराज	175.93	दसवीं योजना से आगे
94.	शेलगांव बैराज	198.06	दसवीं योजना से आगे
95.	सपन	139.27	दसवीं योजना से आगे
	15. मणिपुर		
	वृहद परियोजनाएं		
1.	थौबल	390.00	दसवीं योजना
2.	खुगा बहुउद्देशीय परियोजना	249.22	दसवीं योजना

1	2	3	4
	मध्यम परियोजनाएं		
1.	दोलाई थाबी बैराज	63.10	दसवीं योजना
	16. मेघालय		
	मध्यम परियोजनाएं		
1.	रोंगाली घाटी परियोजना	57.07	दसवीं योजना से आगे
	17. उड़ीसा		
	वृहद परियोजनाएं		
1.	पोट्टेरू	198.07	दसवीं योजना
2.	ऊपरी कोलाब	337.96	दसवीं योजना से आगे
3.	ऊपरी इन्द्रावती	480.96	दसवीं योजना से आगे
4.	सुबर्णरेखा	1755.39	दसवीं योजना से आगे
5.	कानपुर	428.32	दसवीं योजना से आगे
6.	निचली इंद्रा	211.70	दसवीं योजना से आगे
7.	निचला सुकटेल	217.13	दसवीं योजना से आगे
8.	बाघ बैराज	74.60	दसवीं योजना
9.	रेगाली सिंचाई	2621.16	दसवीं योजना से आगे
10.	महानदी चित्रात्पला	178.83	दसवीं योजना
	मध्यम परियोजनाएं		
1.	तितलागढ़ चरण-II	33.68	दसवीं योजना
2.	रूकारा	52.92	दसवीं योजना
3.	रजुवा	14.85	दसवीं योजना
4.	देव	59.00	दसवीं योजना
5.	हरिहरजोर	83.22	दसवीं योजना
6.	मनजोर	89.78	दसवीं योजना
7.	ऊपरी जेंक	91.45	दसवीं योजना
8.	बाघालाटी	84.62	दसवीं योजना
9.	बदनल्ला	105.88	दसवीं योजना
10.	सपुआ बदजोर	59.00	दसवीं योजना

1	2	3	4
	18. पंजाब		
	वृहद परियोजनाएं		
1.*	शाहपुर कंडी परियोजना	1324.18	दसवीं योजना से आगे
	एसवाईएल नहर परियोजनाएं		दसवीं योजना से आगे
	19. राजस्थान		
	वृहद परियोजनाएं		
	-गुड़गांव नहर	35.40	दसवीं योजना से आगे
1.	माही बराज सागर (आईएस)	834.88	दसवीं योजना
2.	आईजीएनपी-II	3522.00	दसवीं योजना से आगे
3.	नर्मदा नहर	1447.00	दसवीं योजना से आगे
4.	विलासपुर सिंचाई सह डब्ल्यूएस परियोजना	657.91	दसवीं योजना
	मध्यम परियोजनाएं		
1.	पंचाना	125.00	दसवीं योजना
2.	छापी	100.00	दसवीं योजना
3.	बेथली	46.21	दसवीं योजना
4.	चौली	95.55	दसवीं योजना से आगे
	20. तमिलनाडु		
	मध्यम परियोजनाएं		
1.	इरूकनकुडी परियोजना	68.00	दसवीं योजना
2.	नांगजियार	37.36	दसवीं योजना
	21. त्रिपुरा		
	मध्यम परियोजनाएं		
1.	गुमती	47.00	दसवीं योजना
2.	खोवाई	72.00	दसवीं योजना
3.	मानू	59.00	दसवीं योजना
	22. उत्तर प्रदेश		
	वृहद परियोजनाएं		
1.	पूर्वी गंगा	579.00	दसवीं योजना से आगे

1	2	3	4
2.	कन्हर सिंचाई	475.19	दसवीं योजना
3.	राजघाट बांध	150.00	दसवीं योजना
4.	राजघाट नहर (यूपी)	457.13	दसवीं योजना
5.	सरयू नहर	3453.00	दसवीं योजना से आगे
6.	हिन्डन कृष्णी दोआब में खरीफ चैनल उपलब्ध कराते हुए	136.99	दसवीं योजना
7.	टिहरी बांध (सिंचाई का हिस्सा)	1180.96	दसवीं योजना से आगे
8.	जरौली पम्प नहर	52.35	दसवीं योजना
9.	बाणसागर नहर (यूपी)	761.85	दसवीं योजना से आगे
	–बाणसागर बांध (उत्तर प्रदेश का हिस्सा)	287.85	दसवीं योजना
	23. उत्तरांचल		
	वृहद परियोजनाएं		
1.	जामरानी बांध	433.00	दसवीं योजना से आगे
2.	लखवार व्यासी	1446.00	दसवीं योजना से आगे
3.	किशउ बांध	3455.11	दसवीं योजना से आगे
	24. पश्चिम बंगाल		
	वृहद परियोजनाएं		
1.	तीस्ता बैराज चरण–I फेज–I	2068.00	दसवीं योजना से आगे
2.	सुबर्णरेखा बैराज (आईएस)	595.34	दसवीं योजना से आगे
	मध्यम परियोजनाएं		
1.	गोलामरजोर	3.92	दसवीं योजना
2.	मौतेरजोर	1.90	दसवीं योजना
3.	बेको	5.90	दसवीं योजना
4.	पटलोई	10.80	दसवीं योजना
5.	टाटको	12.57	दसवीं योजना
6.	फुटियारी	17.04	दसवीं योजना
7.	हनुमाता	8.80	दसवीं योजना
8.	खैराभेरा	4.15	दसवीं योजना

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में रसायन अनुसंधान संस्थान की स्थापना

2231. श्री बापू हरी चौरे: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार महाराष्ट्र में रसायन अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) भारत में कहीं भी रसायनों के लिए नया अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय के पास नहीं है।

जल संसाधनों में वृद्धि करने हेतु केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

2232. श्री सीताराम सिंह: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग के आदेश से पूर्वी राज्यों में जल संसाधनों की खोज और विकास हेतु तैयार की गई केन्द्र प्रायोजित योजना मंजूरी हेतु योजना आयोग के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस योजना का अनुमोदन कब तक किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) पूर्वी राज्यों में जल संसाधनों के अन्वेषण और विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित कोई स्कीम मंजूरी के लिए योजना आयोग में लंबित नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कृषि विश्वविद्यालय हेतु अनुदान

2233. श्री जसुभाई दानाभाई धारड़: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को अनुदान देने हेतु क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) आज की तारीख तक देश में कार्य करने वाले ऐसे विश्वविद्यालयों के क्या नाम हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को राज्यवार कितनी धनराशि की स्वीकृति दी गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) राज्य कृषि विश्वविद्यालय संबद्ध राज्य सरकारों के वित्तीय तथा प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सीधे कार्य कर रहे हैं। तथापि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग द्वारा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि शिक्षा के सुदृढ़ीकरण तथा विकास के लिए सीमित वित्तीय सहायता दी जाती है। वित्तीय सहायता की सीमा की कसौटी, दाखिला प्राप्त छात्रों की संख्या, पाठ्यक्रम की संख्या तथा उनका प्रकार, एक राज्य में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या, इसके महाविद्यालयों की संख्या, शिक्षकों की संख्या, राज्य की प्रतिबद्धता तथा वास्तविक आवश्यकता है। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली अनुसंधान तथा विस्तार सहायता अनुसंधान परियोजना पर आधारित होती है तथा क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं पर दी जाती है।

(ख) और (ग) सूचना संलग्न विवरण-I और II में दी गयी है।

विवरण I

राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की अद्यतन सूची

असम

1. असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट-785013

आंध्र प्रदेश

2. आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद-500030

बिहार

3. राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, बिहार-848125

छत्तीसगढ़

4. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर-492012

गुजरात

5. आनन्द कृषि विश्वविद्यालय, आनन्द-388110
6. जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़
7. नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी-396450

8. सरदार कृषिनगर दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, दांतीवाड़ा-385506

हरियाणा

9. चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार-125004

हिमाचल प्रदेश

10. चौ. श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर-176062

11. डा. यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन-173230

जम्मू एवं कश्मीर

12. शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू-180004

13. शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर-191121

झारखण्ड

14. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची-834006

कर्नाटक

15. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलोर-560065

16. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़-580005

17. कर्नाटक पशु चिकित्सा, पशु एवं मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, बीदर-585401

केरल

18. केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिशूर-680656

मध्य प्रदेश

19. जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर-482004

महाराष्ट्र

20. डा. बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, डपोली-415712

21. महाराष्ट्र पशु एवं मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, नागपुर-440006

22. महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय, परभणी-431402

23. महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी-413722

24. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला-444104

उड़ीसा

25. उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर-751003

पंजाब

26. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना-141004

राजस्थान

27. महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर-313001

28. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर-334002

तमिलनाडु

29. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटुर-641003

30. तमिलनाडु पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान विश्वविद्यालय, चेन्नई-600051

उत्तर प्रदेश

31. चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-208002

32. दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, मथुरा-281001

33. नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद-224229

34. सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

उत्तरांचल

35. गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर-263145

पश्चिम बंगाल

36. विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर (पश्चिम बंगाल)-741252

37. उत्तर बंग कृषि विश्वविद्यालय, कूचबिहार-736165

38. पश्चिम बंगाल पशु एवं मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता-700037

विवरण II

पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को स्वीकृति/प्रदत्त निधियां

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05
1.	असम	1200.47	1278.34	1419.00
2.	आंध्र प्रदेश	2045.78	2207.11	2097.66
3.	बिहार	1128.19	1069.84	1393.21
4.	छत्तीसगढ़	892.29	827.38	907.10
5.	गुजरात	1590.73	1598.81	2460.25
6.	हरियाणा	1653.27	1664.88	2867.71
7.	हिमाचल प्रदेश	1762.02	1833.47	1859.47
8.	जम्मू-कश्मीर	861.50	969.45	2424.88
9.	झारखण्ड	458.91	597.42	802.66
10.	कर्नाटक	2578.84	2698.48	3084.53
11.	केरल	934.55	997.34	2543.32
12.	मध्य प्रदेश	1894.56	1802.12	2339.55
13.	महाराष्ट्र	3335.72	3459.84	3241.94
14.	उड़ीसा	1342.77	1405.27	1655.73
15.	पंजाब	2358.84	2024.36	3517.73
16.	राजस्थान	2685.33	2635.16	2955.05
17.	तमिलनाडु	1934.26	2242.11	2407.84
18.	उत्तर प्रदेश	2520.15	2688.94	2836.43
19.	उत्तरांचल	1206.63	1262.75	1451.55
20.	पश्चिम बंगाल	1066.59	1273.60	1235.15
	कुल	33451.4	34536.67	43500.76

तिलहन और दलहन की खेती

2234. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में हाल ही में आई बाढ़ से तिलहन और दलहन की बुआई प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 27.44 लाख हेक्टेयर भूमि की तुलना में 19.94 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि की गई और 74.85 हेक्टेयर भूमि की तुलना में 43.26 हेक्टेयर भूमि पर तिलहन की खेती की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा दलहन और तिलहन की खेती में होने वाली गिरावट को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) खरीफ 2005 के मौसम में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। तथापि, जैसा कि संलग्न विवरण में दर्शाया गया है, अखिल भारतीय स्तर पर तथा इसके साथ ही, इन दोनों राज्यों में तिलहनों और दलहनों के तहत बुवाई क्षेत्र जुलाई की शुरुआत में कम था। मानसून के आने के पश्चात तिलहनों और दलहनों के तहत क्षेत्र इन दोनों राज्यों में तथा अखिल भारतीय स्तर पर तेजी से पिछले वर्ष के स्तर के करीब होता जा रहा है। चूंकि बुवाई संबंधी क्रियाकलापों में तेजी लाई गई है, आशा है आगामी सप्ताहों में फसलों के तहत क्षेत्र में और अधिक सुधार होगा।

(ग) कृषि मंत्रालय में फसल मौसम निगरानी समूह की 1.8.2005 को हुई बैठक में चर्चा की गई रिपोर्टों के अनुसार खरीफ 2005 के मौसम में 29.7.2005 तक दलहनों के तहत कुल क्षेत्र कवरेज 72.18 लाख हैक्टेयर है जबकि गत वर्ष की समान अवधि के दौरान यह क्षेत्र 80.94 लाख हैक्टेयर था। तिलहनों के मामले में 29 जुलाई, 2005 तक विभिन्न तिलहनी फसलों के तहत बुवाई क्षेत्र 137.56 लाख हैक्टेयर है, जबकि गत वर्ष की समान अवधि के दौरान यह क्षेत्र 141.02 लाख हैक्टेयर है।

(घ) तिलहनों और दलहनों में कमी को पूरा करने के लिये सरकार देश में 14 प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल) में तिलहनों और दलहनों के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा तिलहनों और दलहनों के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिये 1 अप्रैल, 2004 से तिलहन, दलहन, आयल पाम और मक्का संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित समेकित स्कीमें (आइसोपाम) क्रियान्वित कर रही है। इस स्कीम के तहत किसानों को बड़े पैमाने पर तिलहनों और दलहनों की खेती के लिये प्रोत्साहित करने हेतु प्रजनक बीजों की खरीद आधारी बीजों के उत्पादन प्रमाणित बीजों के उत्पादन व वितरण, मिनीकिटों के वितरण, अवसंरचना विकास, उन्नत प्रौद्योगिकी विषयक प्रखण्ड प्रदर्शन, पोलिथीन मल्च प्रोद्योगिकी तथा समेकित कीट प्रबंध प्रौद्योगिकी, पौध रक्षण रसायनों के वितरण, पौध संरक्षण उपकरणों, खरपतवार नाशी दवाओं, राइजोबियम, कल्चर/फास्फेट सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया की आपूर्ति, जिप्सम/पाइराइट/लाइमिंग/डोलोमाइट के वितरण, छिड़काव सेटों के वितरण, कृषक प्रशिक्षण, स्टाफ तथा आकस्मिकताओं, जल के स्रोत से खेत तक पानी ले जाने वाली पाइपों, अधिकारी प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार आदि के लिये सहायता दी जाती है। इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किसानों के बीच प्रौद्योगिकी अन्तरण के प्रयास के रूप में तिलहनों और दलहनों में उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकियों पर अग्रणी प्रदर्शन आयोजित किये जो रहे हैं।

उपर्युक्त के अलावा तिलहनों और दलहनों की घरेलू मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को पूरा करने के लिये सरकार जब कभी आवश्यक होता है, दलहनों और तिलहनों का आयात करती है।

विवरण

(लाख हैक्टेयर में)

राज्य	दलहन				तिलहन			
	08.07	15.07	22.07	29.07	08.07	15.07	22.07	29.07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
महाराष्ट्र								
2005	1.79	5.70	10.74	15.84	4.25	16.43	22.82	26.10
2004	10.87	17.85	17.83	20.04	14.91	19.56	23.10	24.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
गुजरात								
2005	0.40	1.68	3.51	4.22	9.83	17.48	21.01	22.15
2004	0.03	4.96	4.96	5.45	21.00	22.41	22.87	22.98
अखिल भारत								
2005	11.95	32.59	57.15	72.18	43.26	84.30	119.54	137.56
2004	27.45	50.79	68.09	80.94	74.85	100.73	123.98	141.02

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाओं के लिए राज्यों को सहायता

2235. श्री श्रीचन्द कृपलानी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में केन्द्र सरकार द्वारा सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि मंजूर/जारी की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, तैयारी, कार्यान्वयन और वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों एवं प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है। केन्द्रीय सहायता ब्लॉक ऋण और अनुदानों के रूप में जारी की जाती है, यह किसी अन्य विकास के क्षेत्र या परियोजना से नहीं जुड़ी होती है। देश में कई वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं विभिन्न कारणों से मन्द पड़ी हैं, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारण राज्य सरकारों की वित्तीय बाधाएं हैं, ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से जो राज्यों की संसाधन क्षमता से बाहर हैं या पूरे होने की अंतिम अवस्था में हैं, केन्द्र सरकार ने वर्ष 1996-97 के दौरान अनुमोदित निर्माणाधीन वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को केन्द्रीय ऋण सहायता (सीएलए) मुहैया कराने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) का आरंभ किया। पिछले तीन वर्षों के दौरान एआईबीपी के तहत जारी की गई सीएलए/अनुदान का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्ष 2005-06 के दौरान एआईबीपी के तहत राज्यों को कोई सीएलए/अनुदान जारी नहीं किया गया है।

विवरण

वर्ष 2002-03 से 2004-05 के लिए एआईबीपी के अंतर्गत जारी सीएलए/अनुदान की स्थिति

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2002-03 जारी की गई राशि	2003-04 जारी की गई राशि	2004-05 जारी की गई राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	33.186	205.530	87.547
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.500	20.000	10.000
3.	असम	16.274	19.202	16.930
4.	बिहार	14.481	74.644	37.215

1	2	3	4	5
5.	छत्तीसगढ़	104.000	74.630	2.925
6.	गोवा	0.000	2.000	0.650
7.	गुजरात	1000.330	650.359	530.500
8.	हरियाणा	18.000	7.735	11.135
9.	हिमाचल प्रदेश	8.150	14.692	3.690
10.	जम्मू-कश्मीर	34.999	21.545	12.745
11.	झारखंड	9.670	1.833	21.285
12.	कर्नाटक	620.850	266.478	396.295
13.	केरल	5.665	31.000	49.440
14.	मध्य प्रदेश	220.000	568.440	516.701
15.	महाराष्ट्र	133.134	164.395	529.286
16.	मणिपुर	19.500	15.500	13.000
17.	मेघालय	1.500	1.088	1.744
18.	मिजोरम	0.750	9.300	5.000
19.	नागालैण्ड	2.659	8.000	4.000
20.	उड़ीसा	179.570	154.685	24.223
21.	पंजाब	36.660	0.000	0.000
22.	राजस्थान	174.385	499.837	352.904
23.	सिक्किम	0.750	0.750	0.750
24.	तमिलनाडु	0.000	0.000	0.000
25.	त्रिपुरा	13.395	13.377	11.000
26.	उत्तर प्रदेश	359.000	274.785	175.920
27.	उत्तरांचल	25.163	25.553	38.992
28.	पश्चिम बंगाल	28.133	3.144	13.461
	कुल	3061.703	3128.501	2867.338

[अनुवाद]

एन.सी.डी.सी. द्वारा नई परियोजना

2236. श्री जुएल ओराम: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का विचार कुछ नई परियोजनाओं पर 280 करोड़ रुपये खर्च करने का है;

(ख) यदि हां, तो नई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन राज्यों में इन परियोजनाओं को शुरू करने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) वर्ष 2005-06 के दौरान एन.सी.डी.सी. द्वारा देश में विभिन्न सहकारी समितियों के विकास के लिये 850 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है जिससे कि पिछले कार्यों को पूरा किया जा सके और नई परियोजनायें शुरू की जा सके। एन.सी.डी.सी. ने इस परिव्यय को विपणन एवं आदान, प्रसंस्करण, चीनी परियोजनाओं, स्पिनिंग मिल्स जिसमें पावरलूम भी हैं, तिलहन परियोजनायें भण्डारण और उपभोक्ता सहकारी समितियों से संबंधित परियोजनाओं के लिए निर्धारित कर रखा है।

(ग) इन परियोजनाओं को निम्नलिखित राज्यों में क्रियान्वित किये जाने का प्रस्ताव है यथा-आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, झारखण्ड कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल तथा संघ शासित क्षेत्र पाण्डिचेरी तथा अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह।

एफ.सी.आई. में सुधार

2237. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र में भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण में सुधार संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार को एफ.सी.आई. द्वारा खाद्यान्नों की खरीद के संबंध में में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने ढुलाई लागत को न्यूनतम करने के लिए डोंडाइचा, धुला, जलगांव, जालना, परभनी, लातूर, खामगांव, परेल और नानदेड जिलों में भारतीय खाद्य निगम की भंडारण क्षमता बढ़ाने और प्रत्येक जिले में अतिरिक्त डिपु/भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपो खोलने का अनुरोध किया है।

(ग) से (ङ) महाराष्ट्र सरकार ने खरीफ और रबी दोनों मौसमों के लिए क्रमश: पहली सितम्बर और पहली मार्च से अग्रिम में वसूली शुरू करने का प्रस्ताव भेजा है। इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है।

बोगस कैरिज बिलिंग

2238. श्री तापिर गाव: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान अरुणाचल प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बोगस कैरिज बिलिंग/सेटलमेंट में भी घपलेबाजी का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा उसके बाद आज तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने पूरे मामले की सी.बी.आई. जांच की पुरजोर मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) पहाड़ी परिवहन राजसहायता योजना के अधीन अरुणाचल प्रदेश सरकार को की गई प्रतिपूर्ति के संबंध में भारतीय खाद्य निगम के एक दल द्वारा विशेष लेखा परीक्षा करने पर सूचित किया गया है कि वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य सरकार को इस योजना के अधीन अनुमेय भुगतान से 193.52 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि अदा की गई थी।

(ग) इस विभाग से संबद्ध संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की थी कि इस मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा किसी अन्य उच्चतर जांच एजेंसी द्वारा जांच की जाए।

(घ) इस विभाग ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग से इस मामले की जांच करवाने का अनरोध किया है।

सिंथेटिक दूध

2239. कुंवर मानवेन्द्र सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में यूरिया और अन्य कास्टिक पदार्थों का उपयोग करके बड़े पैमाने पर सिंथेटिक दूध बनाया जा रहा है जो कि मानव शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को सिंथेटिक दूध के उत्पादन को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं या निर्देश देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र ने पशुधन विकास निगम की स्थापना हेतु सहायता

2240. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को राज्य में पशुधन विकास निगम की स्थापना हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ओर यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य में पशुधन अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इस प्रस्ताव की वर्तमान में क्या स्थिति है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, राज्य ने राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना के क्रियान्वयन के लिए महाराष्ट्र पशुधन विकास बोर्ड गठित किया है और महाराष्ट्र पशुधन विकास बोर्ड को 8.60 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बाढ़ के कारण बांधों और सिंचाई परियोजनाओं पर प्रभाव

2241. श्री गणेश सिंह: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश और गुजरात सहित विभिन्न राज्यों में हाल ही में आई बाढ़ से कितने बांध और सिंचाई परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं; और

(ख) सरकार द्वारा स्थिति से निपटने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि हाल की बाढ़ से 9 बृहद बांध, 95 मध्यम बांध, 237 लघु सिंचाई स्कीमें और 1672 चेक बांध प्रभावित हुए हैं। जहां तक मध्य प्रदेश का प्रश्न है राज्य सरकार ने सूचित किया है कि हाल की बाढ़ से 432 बांध (विभिन्न श्रेणियां); 15 लिफ्ट सिंचाई स्कीमें और 37 एनीकट तथा बैराज प्रभावित हुए हैं।

(ख) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने और अधिक नुकसान होने से रोकने के लिए, घरेलू और सिंचाई कार्यों के लिए जलापूर्ति बनाए रखने तथा बांध कार्यों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से तत्काल पुनर्बहाली के लिए अपेक्षित कार्य शुरू कर दिए हैं।

मध्य प्रदेश सरकार ने निधि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए पुनर्बहाली और मरम्मत कार्यों के प्रारंभ होने की भी सूचना दी है।

एफसीआई की रुग्ण इकाइयों का पुनरुद्धार

2242. श्री अनन्त नायक: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्यरत उर्वरक इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक उर्वरक इकाई का कार्य-निष्पादन कैसा रहा;

(ग) क्या एफसीआई के अंतर्गत आने वाली कुछ इकाइयां रुग्ण हो गई हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त इकाइयां कब से रुग्ण हुई हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए क्या प्रयास किये गये हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफ सी आई) की गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), रामागुण्डम (आंध्र प्रदेश), तलचर (उड़ीसा), सिंदरी (झारखण्ड) और कोरबा (छत्तीसगढ़) इकाइयां हैं। तथापि, ये सभी इकाइयां बन्द पड़ी हैं।

(ख) गत तीन वर्षों से उपर्युक्त किसी भी इकाई में कार्य नहीं हो रहा है।

(ग) और (घ) एफसीआई को रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत नवम्बर, 1992 में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड द्वारा रुग्ण घोषित किया गया था क्योंकि कम्पनी प्रौद्योगिकी, डिजाइन और उपकरण की खामियों, उपकरणों के बार-बार खराब होने, द्रवित पैट्रोलियम उत्पादों की लागत में वृद्धि, बिजली की कमी, औद्योगिक संबंधों की समस्याओं और अतिरिक्त जनशक्ति तथा संसाधन बाधाओं के कारण लगातार घाटे में चल रही थी।

(ङ) संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम को देखते हुए प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड को एफसीआई की बन्द इकाइयों के लिए पुनरुद्धार रिपोर्ट तैयार करने के लिए अधिकृत किया गया था। एफसीआई की इकाइयों का पुनरुद्धार रिपोर्ट की जांच के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा।

असम में भू-क्षरण

2243. श्री मणी कुमार सुब्बा:
प्रो. एम. रामदास:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार कितनी भूमि का मृदा क्षरण और अवक्रमण हो रहा है;

(ख) घटते हुए भू-क्षरण अवक्रम के क्या कारण हैं;

(ग) राज्य सरकारों ने भू-क्षरण को रोकने तथा हुए नुकसान की भरपाई के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी थी और उन्हें कितनी सहायता दी गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस खतरे को दूर करने के लिए कानून बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) विभिन्न प्रकार की अपरदित भूमि के क्षेत्र विस्तार को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) भू क्षरण और अपरदन के निम्नलिखित कारण हैं: (1) जल तथा वायु, (2) त्रुटिपूर्ण कृषि पद्धति, (3) वनों की कटाई, (4) झूम खेती, (5) बार-बार बाढ़ का आना, (6) अनियंत्रित चराई, और (7) खनन कार्य आदि।

(ग) भारत सरकार विभिन्न कार्यक्रम चला रही है यथा- (1) राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्रीय पनधारा विकास परियोजना (एनडब्ल्यूडीपीआरए), (2) नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ प्रवण नदियों के श्रवण क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना, (3) झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना (डब्ल्यूडीपीएससीए), (4) क्षारीय भूमि का सुधार (आरएएस), (5) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), (6) मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी) और (7) समेकित परती भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी)। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य भूक्षरण का नियंत्रण और अपरदित भूमि का विकास करना है। उपर्युक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों (2002-05) के दौरान 62.126 लाख हैक्टेयर क्षेत्र का विकास किया गया है जिन पर 3287.35 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। इसी अवधि के दौरान असम राज्य में इन्हीं कार्यक्रमों के अंतर्गत 78.59 करोड़ रुपये के खर्च से 3.70 लाख हैक्टेयर क्षेत्र का विकास किया गया है।

(घ) और (ङ) भूमि राज्य का विषय है अत: इस समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रयास किये जाने चाहिए।

विवरण

देश में विभिन्न प्रकार की अपरदित भूमि का क्षेत्रफल

(क्षेत्र लाख हे. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	भू-क्षरण	वायु क्षरण	खाड़ी	लवण प्रभावित	जल भराव	झूम खेती	अपरक्षित वन	विशेष समस्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	103.54	—	—	2.40	3.39	1.50	11.48	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.58	—	—	—	—	2.10	22.86	—
3.	असम	13.34	—	1.93	—	4.50	1.39	8.83	—
4.	बिहार	32.39	—	6.00	0.04	7.07	0.85	10.21	9.00
5.	गोवा	1.35	—	—	—	—	—	0.65	—
6.	गुजरात	94.62	7.04	4.00	10.42	4.84	—	4.84	0.10
7.	हरियाणा	15.35	14.00	—	5.26	6.20	—	0.56	0.25
8.	हिमाचल प्रदेश	10.75	—	—	—	—	—	8.39	—
9.	जम्मू-कश्मीर	6.73	—	—	—	0.10	—	2.10	—
10.	कर्नाटक	102.25	—	—	4.04	0.10	—	7.64	—
11.	केरल	15.77	—	—	1.17	0.61	—	1.80	—
12.	मध्य प्रदेश	155.10	—	6.83	2.42	0.57	1.25	41.00	—
13.	महाराष्ट्र	175.89	—	0.20	5.34	1.11	—	15.92	—
14.	मणिपुर	2.94	—	—	—	—	3.60	0.80	—
15.	मेघालय	5.48	—	—	—	—	2.65	2.89	—
16.	मिजोरम	2.87	—	—	—	—	1.89	1.34	—
17.	नागालैण्ड	2.77	—	—	—	—	6.33	1.28	—
18.	उड़ीसा	27.71	—	1.13	4.04	0.60	26.48	18.07	2.95
19.	पंजाब	9.14	—	1.20	7.18	10.90	—	0.93	—
20.	राजस्थान	188.41	156.92	4.52	10.00	3.48	—	10.61	—
21.	सिक्किम	2.58	—	—	—	—	—	0.45	—
22.	तमिलनाडु	32.42	—	0.60	1.04	0.18	—	3.98	—
23.	त्रिपुरा	0.45	—	—	—	—	1.12	1.22	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	उत्तर प्रदेश	58.98	—	12.30	12.95	19.80	—	12.12	15.00
25.	पश्चिम बंगाल	7.64	—	1.04	9.86	21.80	—	2.69	—
26.	संघ शासित क्षेत्र	1.21	—	—	—	0.01	—	2.28	—
	(क) योग लाख हे.	1071.26	177.96	39.75	76.16	85.26	49.16	194.94	27.30
	(ख) मि.हे.	107.2	17.8	3.97	7.6	8.5	4.92	19.5	2.73

कर लगाना

2244. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशों से आयातित और भारत में विनिर्मित मिल्क पाउडर के उप-उत्पादों पर कर लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और डेयरी उद्योग के विकास तथा दुग्ध उत्पादकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) संविधान के अंतर्गत बिक्री कर/वैट राज्य का विषय होने के नाते, किसी वस्तु पर टैक्स लगाने तथा वह दर जिस पर टैक्स लगाया जाना है, उस पर निर्णय करने की शक्ति केवल राज्य के पास है। तथापि, राज्य वित्त मंत्रियों (ईसी) की शक्ति प्राप्त समिति ने "मिल्क फूड तथा मिल्क प्रोडक्ट" को 8% की समान बिक्री दर की श्रेणी में रखा है। वैट प्रणाली के तहत, ईसी ने "स्किम्ड दुग्ध पाउडर, अल्ट्रा हाई टेम्प्रेचर (यूएचटी) दूध तथा खोया" जैसी वस्तुओं को 4% वैट दर के तहत रखा है तथा अन्य दुग्ध उत्पादों को 12.5% वैट दर के तहत रखा है।

दुग्ध पाउडर के निर्माण में, क्रीम/बटर/घी/बटर आयल उतोत्पाद हो सकते हैं। तथापि, वैट को अपनाने वाले राज्यों में दुग्ध पाउडर के उतोत्पादों पर 12.5% की दर से वैट लगाने से वहां कुल मिलाकर डेयरी उद्योग तथा दुग्ध उत्पादकों पर प्रभाव पड़ सकता है।

कृषि अनुसंधान और विकास संबंधी परियोजनाएं

2245. श्री मदन लाल शर्मा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्रक्रियात्मक और प्रशासनिक औपचारिकताओं तथा परियोजनाओं को समय पर मंजूर और अनुमोदित न किये जाने के कारण अनुसंधान और विकास प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कितनी परियोजनाएं मंजूरी हेतु लम्बित हैं और यह परियोजनाएं कितने समय से लम्बित हैं;

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी के लिए क्या उपाय किये गये हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं में कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है और ये परियोजनाएं किन राज्यों में स्थित हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) कोई भी परियोजना मंजूरी हेतु लम्बित नहीं है, क्योंकि समस्त परियोजनाओं को सक्षम प्राधिकारियों की मंजूरी मिली हुई है।

(ग) योजना संबंधी परियोजनाओं की शीघ्र मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

मूल्यांकन और सिफारिश करने वाले प्राधिकरण

* विभाग स्तर पर 5.00 करोड़ रु. तक की राशि वाली स्कीमें।
* स्थायी वित्त समितियों के दायरे में 5 करोड़ रु. से अधिक और 25 करोड़ रु. से कम राशि वाली स्कीमें आती हैं।
* व्यय वित्त समिति के दायरे में वैज्ञानिक विभाग के लिए 25 करोड़ रु. और इससे ज्यादा राशि वाली स्कीमें आती हैं।

स्वीकृत करने वाले प्राधिकरण

* 50 करोड़ रु. से कम-कृषि मंत्री

* 50 करोड़ रु. और इससे ज्यादा किन्तु 100 करोड़ रु. से कम-कृषि मंत्री और वित्त मंत्री

* 100 करोड़ रु. और अधिक-कैबिनेट/सीसीईए

(घ) योजना आयोग ने विभाग की समस्त योजना संबंधी स्कीमों के लिए 5368 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की है और ये देश के विभिन्न राज्यों में कार्य कर रही हैं।

विदेशी उद्योगपतियों द्वारा एफपीई की स्थापना हेतु प्रस्ताव

2246. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ विदेशी उद्योगपतियों ने देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों के अंतर्गत कितनी इकाइयों की स्थापना का प्रस्ताव है; और

(ग) इन इकाइयों में कितनी विदेशी और घरेलू पूंजी के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में है। असंगठित क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की संख्या बहुत अधिक है इसलिए उनके ब्यौरे केन्द्रीय रूप में नहीं रखे जाते। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र जिसमें खाद्य खुदरा बिक्री, बागान और अल्कोहलयुक्त पेय शामिल नहीं हैं, में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। जनवरी, 2002 से मई, 2005 के दौरान, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सरकार द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु 105 वित्तीय अनुमोदन दिए गए हैं। इनमें अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की धनराशि 643.47 करोड़ रु. है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में घरेलू निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने अनेक योजना स्कीमें तैयार और कार्यान्वित की हैं। इन स्कीमों के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास को बढ़ावा देने संबंधी अन्य संवर्धनात्मक उपायों के अलावा खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना और आधुनिकीकरण, बुनियादी सुविधाओं के सृजन अनुसंधान और विकास, मानव संसाधन विकास के समर्थन हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है।

[हिन्दी]

जटरोपा का उत्पादन/खरीद

2247. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा जटरोपा के उत्पादन और खरीद हेतु क्या व्यवस्था की गई है;

(ख) इसकी खरीद हेतु क्या दर नियत की गई है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान और तत्पश्चात् जटरोपा का कितना उत्पादन और इसकी कितनी खरीद की गई है तथा उन एजेंसियों के राज्य-वार क्या नाम है जिन्होंने इसे खरीदा है;

(घ) क्या सरकार जटरोपा की खरीद नहीं कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ङ) केन्द्र सरकार द्वारा जटरोपा के उत्पादन तथा खरीद के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। इसकी खरीद के लिए कोई दर निर्धारित नहीं की गई है। विगत तीन वर्षों के दौरान जटरोपा के उत्पादन व खरीद का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। जटरोपा की खरीद के लिए किसी एजेंसी को अभिज्ञात नहीं किया गया है। भारत सरकार ने किसी भी जटरोपा की खरीद नहीं की है।

तथापि, कृषि मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास (नोवोड) बोर्ड वृक्ष मूल के तिलहनों के समेकित विकास संबंधी स्कीम के तहत जटरोपा सहित वृक्ष मूल के तिलहनों को बढ़ावा दे रहा है। बोर्ड ने देश के विभिन्न सस्य-जलवायवीय अंचलों के लिए सस्य-प्रणालियों का मानकीकरण करने और जटरोपा की गुणवत्ताप्रद रोपण सामग्री का विकास करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की संस्थाओं, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ऊर्जा, संसाधन संस्थान तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को शामिल करते हुए 'राष्ट्रीय जटरोपा नेटवर्क' का गठन किया है। बीज/तेल की उपज में भिन्नता का अध्ययन करने के लिए लवणीय/क्षारीय मृदाओं सहित विभिन्न सस्य-जलवायवीय दशाओं में सिंचित तथा वर्षा-सिंचित स्थितियों में बोर्ड द्वारा रोपण तैयार कराये जा रहे हैं। चूंकि जटरोपा का रोपण बिखरे हुए तथा

झाड़ी के पौधों के रूप में उपलब्ध है, अत: जटरोपा बीज के उत्पादन से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

नेशनल स्टील कॉरगोरेशन का घाटा

2248. श्री रामदास आठवले: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल स्टील कॉरपोरेशन लगातार घाटे में चल रहा है;

(ख) इसके घाटे के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इसके घाटे को बट्टे-खाते में डालने की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो अभी तक निर्णय न लिये जाने के क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार नेशनल स्टील कारपोरेशन नाम की कोई इकाई नहीं है।

(ख) से (ङ) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भू-जल स्तर में गिरावट

2249. श्री प्रशान्त प्रधान:
डा. रामचन्द्र डोम:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि परियोजना हेतु भू-जल निकालने के कारण भू-जल स्तर में राज्यवार गिरावट का स्तर क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): भूजल में गिरावट की दर कई पैरामीटरों जैसे फसल पद्धति, वर्षा की तीव्रता, अन्य उपयोगों आदि के आधार पर स्थान दर स्थान अलग होती है और इसलिए किसी एक पैरामीटर जैसे कृषि के लिए उपयोग को इसके लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता।

जल संसाधन मंत्रालय के तहत केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा जल स्तरों के दीर्घावधि विश्लेषण से देश में 23 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के 362 जिलों के कुछ भागों में भू-जल में गिरावट का पता चला है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

मानसून पूर्व अवधि के दौरान विगत 10 वर्षों (1995-2004) में जल स्तर (भागों में) की गिरावट दर्शाने वाले जिलों के नाम

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गिरावट का रुख दर्शाने वाले जिले (20 सेमी. प्रति वर्ष से अधिक)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	आदिलाबाद, अनंतपुर, चित्तूर, कुडप्पा, पूर्वी गोदावरी, गुन्टूर, हैदराबाद, करीमनगर, खम्माम, कृष्णा, कुरनूल, महबूबनगर, मेडक, नलगोंडा, नेल्लोर, निजामाबाद, प्रकाशम, रंगा रेड्डी, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, विजियानगरम, वारंगल, पश्चिम गोदावरी
2.	असम	जोरहाट, नगांव, सोनितपुर
3.	बिहार	भागलपुर, पूर्वी चंपारन, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, सहरसा, सारन
4.	छत्तीसगढ़	बस्तर, बिलासपुर, धतरी, दुर्ग, जंजगीर-चंपा, कांकरे, कावर्धा, कोंडिया, महासमन्द, रायगढ़, रायपुर, राजनंदगांव, सरगुजा
5.	दिल्ली	नई दिल्ली, उत्तर पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम
6.	गुजरात	अहमदाबाद, अमरेली, बनासकांठा, भरूच, भावनगर, डांग्स, गांधीनगर, जामनगर, जूनागढ़, खेड़ा, कच्छ, मेहसाना, पंचमहल, राजकोट, साबरकांठा, सूरत, सुरेन्द्रनगर, बड़ोदरा, वलसाड

1	2	3
7.	हरियाणा	अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुड़गांव, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत
8.	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सिरमुर, सोलन, ऊना
9.	झारखंड	धनबाद, दुमका, हजारीबाग, लोहरदंगा, पश्चिम सिंहभूम, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, रांची
10.	जम्मू-कश्मीर	जम्मू,कथुआ, राजौरी, ऊधमपुर
11.	कर्नाटक	बगलकोट, बंगलोर, बेलगम, बेल्लारी, बीदर, बीजापुर, चामराजनगर, चिकमगलूर, चित्रदुर्ग, दक्षिण कन्नड़, धारवाड़, गदग, गुलबर्गा, हासन, हवेरी, कोलार, कोप्पल, मंडया, मैसूर, रायचूर, शिमोगा, तमकुर, उडुप्पी, उत्तर कन्नड
12.	केरल	इदुक्की, कन्नूर, कसरगोड, कोल्लम, कोट्टायम, मल्लापुरम, पलाक्काड, तिरूवनंतपुरम, थ्रीसूर, वायनाड
13.	मध्य प्रदेश	बरवानी, बालाघाट, बेतुल, भिंड, भोपाल, छत्तरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, धार, दिनधोरी, गुना, ग्वालियर, हरदा, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खंडवा, मंदसौर, मुरैना, मंडला, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, सीवनी, शहडोल, शाजापुर, शिवपुर, शिवपुरी, सिधी, टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया, विदिशा, नीमार पश्चिम
14.	महाराष्ट्र	अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, भंडारा, बुलढाना, चंद्रपुर, धुले, गडचिरौली, गोंडिया, हिंगोली, जलगांव, जालना, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नंदुरबर, नासिक, उस्मानाबाद, परभनी, पुणे, रायगड, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, ठाणे, वर्धा, वासिम, यवतमल
15.	उड़ीसा	अंगुल, बालेश्वर, बारगढ़, कटक, धेनकेनाल, गंजम, जाजपुर, झारसुगडा, कालाहांडी, कोरापुट, केंदुझार, मयूरभंज, नवापाड़ा, फुलबनी, पुरी, रायगदा, संबलपुर, सुंदरगढ़
16.	पंजाब	अमृतसर, भटिंडा, फरीदकोट, फतेहगढ़, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, मनसा, मोगा, नवाशहर, पटियाला, रोपड़, संगरूर
17.	राजस्थान	अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बरन, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चुरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झालवाड़, झुंझनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर
18.	तमिलनाडु	चेन्नई, कोयंबटूर, कुड्डालोर, धरमपुरी, डिंडीगुल, इरोड, कांचीपुरम, कन्याकुमारी, कराईकल, करूर, मदुरई, नमक्कल, नीलगिरि, पेरम्बलुर, रामनाथपुरम, सलेम, शिवगंगा, तंजावूर, थेनी, तिरूचिरापल्ली, तिरूनेलवेली, तिरूवल्लूर, थिरूवन्नामलाई, तूतीकोरिन, वेल्लोर, विल्लुपुरम, विरुधनगर
19.	उत्तर प्रदेश	आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, औरैया, आजमगढ़, बदायूं, बागपत, बलिया, बिजनौर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, फतेहपुर, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, गोंडा, हमीरपुर, हाथरस, जालौन, झांसी, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सराहनपुर, सीतापुर सुल्तानपुर, उन्नाव
20.	उत्तरांचल	देहरादून, हरिद्वार
21.	पश्चिम बंगाल	बांकुड़ा, बर्द्धमान, बीरभूम, हावड़ा, हुगली, पूर्वी मेदिनीपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, पुरुलिया, दक्षिण-24 परगना, पश्चिमी मेदिनीपुर
22.	दादरा एवं नगर हवेली	दादरा एवं नगर हवेली
23.	पांडिचेरी	पांडिचेरी

पर्यावरण की सुरक्षा

2250. श्री एम. शिवन्ना: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारे वन्य जीवों के अंधाधुंध विनाश को पूरी तरह रोककर पर्यावरण की सुरक्षा को और बढ़ावा देने के लिए 5 जून, 2005 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सरकार द्वारा कोई विशेष कदम उठाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) विश्व पर्यावरण दिवस 2005 का विषय "हरित शहर: पृथ्वी की योजना" था जो शहरी पर्यावरण के आयोजन और प्रबंधन के लिए स्वीकृत और क्रास सैक्टोरल पहुंच को बढ़ावा देता है। सरकार द्वारा 5 जून, 2005 को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अनेक कार्यकलापों का आयोजन किया गया था जिसमें हरित शहरों पर सम्मेलन, इलैक्ट्रानिक अपशिष्ट प्रबंधन पर कार्यशाला, पर्यावरण पर छात्र सम्मेलन और पर्यावरण के संरक्षण और इसे बढ़ावा देने के बारे में जनजागरूकता के लिए हरित दौड़ और देशज प्राणिजात और वनस्पति को नष्ट होने से बचाने जैसे कार्य शामिल थे।

किसान फ्रॉल सेन्टर

2251. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि से संबंधित जानकारी प्रदान करने वाले किसान कॉल सेंटरों में अकुशल लोगों की नियुक्ति की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने कृषि से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी नहीं। किसान कॉल केन्द्र एजेंट स्तर-1, कृषि स्नातक हैं और जब कॉलों को स्तर-1 से स्तर-2 तक बढ़ाया जाता है, तो इन पर कृषि राज्य विश्वविद्यालयों/भा.कृ.अ.प. संस्थान/कृषि के राज्य विभाग के विशेषज्ञों द्वारा ध्यान दिया जाता है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) किसान कॉल केन्द्रों के अलावा, कृषि मंत्रालय दूरदर्शन, आकाशवाणी, प्रिंट मीडिया, प्रदर्शनियों और वेबसाइटों जैसे विभिन्न माध्यमों से किसानों को कृषि से संबंधित सूचनाएं प्रदान कर रहा है।

ऑर्गेनिक कपास

2252. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऑर्गेनिक कपास उगाने के लिए एक डच कंपनी आंध्र प्रदेश के जनजातीय किसानों के साथ कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार कुल कितने क्षेत्र पर इसकी खेती हो रही है तथा इससे जनजातीय किसानों को क्या-क्या लाभ प्राप्त हुए हैं; और

(घ) देश के अन्य भागों में इस प्रकार के सहयोग का विस्तार करने हेतु कौन-कौन सी योजनाएं तैयार की जा रही हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी हां।

(ख) और (ग) सोलिडरीदाद-ई.टी.सी. सलाहकार (कन्सलटेन्टस) भारत प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के अदिलाबाद जिले में आसिफाबाद मंडल के 8 गांवों में लगभग 250 हैक्टेयर के क्षेत्र को कवर करते हुए आर्गेनिक कपास के उत्पादन पर कार्य कर रही है।

जनजातीय किसान उत्पादन लागत में कमी और बेहतर कीमतों के कारण अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

(घ) यह कंपनी उड़ीसा के जनजातीय शासित कालाहांडी जिले और छत्तीसगढ़ राज्य के जनजातीय जिलों में अपने कार्यक्रम का विस्तार करने की योजना बना रही है।

बागवानी तथा कृषि परियोजनाओं का विकास

2253. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर गुजरात में पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा तत्पश्चात आज तक बागवानी तथा कृषि परियोजनाओं के विकास के लिए आवंटित, जारी तथा उपयोग की गई केन्द्रीय निधियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस प्रयोजन हेतु निधियां बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) देश में बागवानी और कृषि के विकास के लिए (1) कृषि का बृहत प्रबंधन (एम.एम.ए.) स्कीम; (2) कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन; (3) सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल सहित पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी के एकीकृत विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन; (4) तिलहन, दलहन, आयलपाम और मक्का की एकीकृत स्कीम (आइसोपाम); और (5) विस्तार सुधारों हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत संदर्भाधीन अवधि के दौरान राज्यवार आवंटित, निर्मुक्त और उपयोगिता निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

तिलहन, दलहन, आयलपाम और मक्का की एकीकृत स्कीम (आइसोपाम) चार भूतपूर्व केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों यथा तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओपीपी), राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (एन.पी.डी.पी.), आयलपाम विकास कार्यक्रम (ओ.पी.डी.पी.) और त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम (ए.एम.डी.पी.) का विलयन करने के बाद 1 अप्रैल, 2004 से प्रचालनात्मक हुई, जिसका वर्ष 2003-04 के लिए ब्यौरा भी संलग्न विवरण में दिया गया है।

विस्तार सुधारों हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रमों के समर्थन की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम वर्तमान वर्ष में प्रचालनात्मक हुई है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए 2300.00 करोड़ रुपये के परिव्यय से "राष्ट्रीय बागवानी मिशन" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम हाल ही में स्वीकृत की है जिसका उद्देश्य 2011-12 तक देश में बागवानी उत्पादन को दोगुना करना है।

(ख) कृषि और सहकारिता विभाग के लिए योजना परिव्यय वर्ष 2003-04 में 2167.00 करोड़ रुपये (बजट अनुमान) से बढ़ाकर वर्ष 2004-05 में 2650.00 करोड़ रुपए (ब.अ.) और वर्ष 2005-06 में 4179.32 करोड़ रुपए (ब.अ.) कर दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्यवार आवंटन, निर्मुक्ति और निधियों की उपयोगिता

कृषि स्कीम का बृहत प्रबंधन

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य	आबंटन 2003-04	निर्मुक्ति 2003-04	आबंटन 2003-04	निर्मुक्ति 2004-05	आबंटन 2004-05	निर्मुक्ति 2004-05	आबंटन 2005-06	निर्मुक्ति 2005-06 (30.6.2005)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	3400.00	3800.00	3279.20	3600.00	4363.00	3712.18	3300.00	1200.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	400.00	317.28	466.12	500.00	703.00	716.33	1420.00	500.00
3.	असम	700.00	350.00	490.00	800.00	695.00	695.00	1720.00	660.00
4.	बिहार	1800.00	900.00	1573.84	1800.00	1660.00	1295.80	1700.00	0.00
5.	झारखण्ड	1200.00	1200.00	561.28	1400.00	1820.00	1116.19	1300.00	0.00
6.	गोवा	200.00	131.04	231.44	200.00	279.00	258.16	200.00	75.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	गुजरात	2300.00	1150.00	2864.77	2300.00	4508.00	4254.13	2200.00	900.00
8.	हरियाणा	1600.00	1662.00	1608.67	1600.00	1390.00	1703.69	1600.00	600.00
9.	हिमाचल प्रदेश	1600.00	1585.15	1894.10	1600.00	1280.00	1466.46	1600.00	600.00
10.	जम्मू-कश्मीर	1600.00	1680.00	1442.36	1600.00	1600.00	2215.93	3000.00	0.00
11.	कर्नाटक	5500.00	5580.00	5681.23	5700.00	10350.00	6471.47	4700.00	1900.00
12.	केरल	2900.00	2348.00	2018.02	2900.00	4056.00	3536.98	2400.00	1000.00
13.	मध्य प्रदेश	4400.00	4400.00	4054.78	4500.00	5776.00	4077.49	3900.00	1750.00
14.	छत्तीसगढ़	1400.00	1600.00	1579.00	1800.00	4442.00	2521.04	1800.00	700.00
15.	महाराष्ट्र	8000.00	8400.00	8384.85	8200.00	14769.00	16563.74	6850.00	0.00
16.	मणिपुर	600.00	300.00	696.40	700.00	785.00	995.70	1600.00	600.00
17.	मिजोरम	800.00	820.00	828.50	700.00	566.00	1563.00	1800.00	0.00
18.	मेघालय	600.00	427.25	584.05	900.00	958.00	575.95	1600.00	600.00
19.	नागालैण्ड	800.00	880.00	1040.00	900.00	884.00	1412.50	1800.00	700.00
20.	उड़ीसा	2300.00	1967.31	2152.00	2300.00	3792.00	4466.72	2000.00	750.00
21.	पंजाब	1500.00	0.00	114.05	1500.00	0.00	25.20	1100.00	0.00
22.	राजस्थान	6700.00	6571.19	7025.50	6800.00	8321.00	9251.40	5800.00	2250.00
23.	सिक्किम	500.00	500.00	499.47	600.00	604.00	833.28	1422.00	511.00
24.	तमिलनाडु	4200.00	4275.00	4077.19	4300.00	4239.00	4291.63	3600.00	1400.00
25.	त्रिपुरा	800.00	715.34	784.66	800.00	640.00	793.91	1700.00	650.00
26.	उत्तर प्रदेश	6800.00	7375.00	6717.24	7000.00	6680.00	8212.66	5800.00	2700.00
27.	उत्तरांचल	1400.00	1600.00	1420.53	1600.00	1650.00	2416.02	1700.00	700.00
28.	पश्चिम बंगाल	2400.00	1920.00	2041.95	2400.00	2050.00	2575.89	2500.00	0.00
	कुल	66400.00	62454.56	64111.20	69000.00	88860.00	88018.45	70112.00	20746.00
	कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन (टी.एम.सी.-एम.एम.-II)								
1.	आंध्र प्रदेश	385.00	238.33	255.54	440.00	571.16	554.14	440.00	220.00
2.	गुजरात	425.00	419.28	448.03	750.00	773.04	800.18	750.00	375.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	हरियाणा	225.00	159.61	95.97	280.00	112.50	186.96	280.00	140.00
4.	कर्नाटक	385.00	386.44	377.55	500.00	478.58	420.79	500.00	250.00
5.	मध्य प्रदेश	325.00	213.67	138.64	400.00	483.28	406.42	400.00	200.00
6.	महाराष्ट्र	645.00	779.03	641.38	786.00	771.44	775.81	786.00	390.00
7.	उड़ीसा	145.00	93.80	54.17	78.00	40.00	100.94	78.00	40.00
8.	पंजाब	5.00	0.00	19.45	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
9.	राजस्थान	275.00	265.61	208.02	500.00	231.25	189.55	500.00	250.00
10.	तमिलनाडु	225.00	288.98	222.31	350.00	342.94	234.08	350.00	175.00
11.	त्रिपुरा	15.00	12.88	12.00	50.00	22.00	15.07	50.00	15.00
12.	उत्तर प्रदेश	130.00	92.92	57.26	65.00	40.00	58.15	65.00	35.00
13.	पश्चिम बंगाल	45.00	25.58	37.02	75.00	38.59	49.60	75.00	35.00
	कुल	3230.00	2976.13	2567.35	4275.00	3904.78	3791.69	4275.00	2125.00

सिक्किम, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर सहित पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी के समेकित विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन (एम.एम.-II)

1.	अरुणाचल प्रदेश	1220.00	1220.00	1220.00	1500.00	871.00	0.00	1300.00	250.00
2.	असम	1400.00	1400.00	1400.00	1425.00	1645.55	1207.25	1300.00	0.00
3.	मणिपुर	638.00	638.00	638.00	1100.00	1286.25	1001.74	1500.00	500.00
4.	मिजोरम	1089.00	1089.00	1089.00	1632.20	1801.10	1227.10	1500.00	500.00
5.	मेघालय	937.00	937.00	937.00	1211.00	1395.99	955.00	1500.00	500.00
6.	नागालैण्ड	1256.00	1256.00	1256.00	1875.00	1467.30	373.75	1700.00	357.00
7.	सिक्किम	1000.00	1000.00	1000.00	1150.00	1150.00	890.72	1500.00	500.00
8.	त्रिपुरा	900.00	900.00	900.00	1012.80	1111.30	1102.19	1500.00	0.00
9.	उत्तरांचल	564.72	564.72	564.72	1300.00	975.00	974.05	1100.00	315.00
10.	हिमाचल प्रदेश	650.00	650.00	650.00	1300.00	1300.00	1300.00	1100.00	550.00
11.	जम्मू-कश्मीर	650.00	650.00	—	1450.00	1233.00	296.00	1250.00	312.00
	कुल	10304.72	10304.72	9654.72	14956.00	14236.49	9327.80	15250.00	3784.00

तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओ.पी.पी.)

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य	आवंटन 2003-04	निर्मुक्ति 2003-04	व्यय 2003-04
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1218.00	1218.00	2228.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	21.00	21.00	11.25
3.	असम	104.00	104.00	0.00
4.	बिहार	27.00	28.00	0.00
5.	झारखण्ड	9.00	9.00	0.00
6.	गोवा	3.00	3.00	0.92
7.	गुजरात	732.00	732.00	348.74
8.	हरियाणा	178.00	178.00	147.64
9.	हिमाचल प्रदेश	10.00	10.00	9.69
10.	जम्मू-कश्मीर	12.00	12.00	0.00
11.	कर्नाटक	522.00	522.00	238.42
12.	केरल	9.00	9.00	0.00
13.	मध्य प्रदेश	1060.00	1060.00	989.66
14.	छत्तीसगढ़	46.00	46.00	13.39
15.	महाराष्ट्र	642.00	642.00	9.77
16.	मणिपुर	72.00	72.00	31.50
17.	मिजोरम	79.00	79.00	49.49
18.	मेघालय	24.00	24.00	0.00
19.	नागालैण्ड	90.00	90.00	45.00
20.	उड़ीसा	205.00	205.00	6.89
21.	पंजाब	30.00	30.00	0.00
22.	राजस्थान	869.00	869.00	698.31
23.	सिक्किम	50.00	50.00	50.00
24.	तमिलनाडु	347.00	347.00	218.38
25.	त्रिपुरा	60.00	60.00	23.20

1	2	3	4	5
26.	उत्तर प्रदेश	298.00	297.50	76.89
27.	उत्तरांचल	18.00	18.00	31.31
28.	पश्चिम बंगाल	131.00	131.50	3.65
	कुल	6866.00	6866.00	5232.10

आयल पाम विकास कार्यक्रम (ओ.पी.डी.पी.)

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य	आवंटन 2003-04	निर्मुक्ति 2003-04	व्यय 2003-04
1.	आंध्र प्रदेश	350.00	72.00	426.86
2.	असम	2.00	2.00	0.00
3.	गोवा	10.00	8.00	0.25
4.	गुजरात	50.00	50.00	19.20
5.	कर्नाटक	80.00	120.00	129.21
6.	केरल	6.00	5.00	41.12
7.	उड़ीसा	6.00	5.00	0.00
8.	तमिलनाडु	90.00	120.00	93.31
9.	त्रिपुरा	8.00	8.00	0.00
	कुल	602.00	390.00	709.95

राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (एन.पी.डी.पी.)

क्र.सं.	राज्य	आवंटन 2003-04	निर्मुक्ति 2003-04	व्यय 2003-04
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	69.00	69.00	100.38
2.	अरुणाचल प्रदेश	15.00	15.00	29.93
3.	असम	50.00	50.00	0.00
4.	बिहार	9.00	9.00	0.00
5.	झारखण्ड	9.00	9.00	0.00

1	2	3	4	5
6.	गोवा	1.00	1.00	0.31
7.	गुजरात	42.00	42.00	33.64
8.	हरियाणा	61.00	61.00	38.56
9.	हिमाचल प्रदेश	4.00	4.00	27.16
10.	जम्मू-कश्मीर	4.00	4.00	0.00
11.	कर्नाटक	117.00	117.00	124.26
12.	केरल	3.00	3.00	1.75
13.	मध्य प्रदेश	336.00	336.00	281.61
14.	छत्तीसगढ़	42.00	42.00	41.32
15.	महाराष्ट्र	212.00	212.00	170.87
16.	मणिपुर	20.00	20.00	49.99
17.	मिजोरम	25.00	25.00	0.00
18.	मेघालय	15.00	15.00	19.00
19.	नागालैण्ड	35.00	35.00	17.50
20.	उड़ीसा	33.00	33.00	52.11
21.	पंजाब	9.00	9.00	2.60
22.	राजस्थान	269.00	269.00	238.44
23.	सिक्किम	10.00	10.00	12.69
24.	तमिलनाडु	69.00	69.00	68.13
25.	त्रिपुरा	30.00	30.00	47.00
26.	उत्तर प्रदेश	172.00	172.00	280.04
27.	उत्तरांचल	13.00	13.00	12.20
28.	पश्चिम बंगाल	21.00	21.00	21.56
	कुल	1695.00	1695.00	1671.05

त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम (एम.एम.डी.पी.)

क्र.सं.	राज्य	आवंटन 2003-04	निर्मुक्ति 2003-04	व्यय 2003-04
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	5.00	5.00	13.23
2.	अरुणाचल प्रदेश	15.95	15.95	10.18

1	2	3	4	5
3.	असम	4.44	4.44	16.88
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00
5.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.47
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	2.00	2.00	3.76
8.	हरियाणा	0.00	0.00	2.28
9.	हिमाचल प्रदेश	47.27	47.27	31.49
10.	जम्मू-कश्मीर	5.00	5.00	0.00
11.	कर्नाटक	4.00	4.00	16.24
12.	केरल	0.00	0.00	0.00
13.	मध्य प्रदेश	20.62	20.62	3.79
14.	छत्तीसगढ़	10.07	10.07	0.00
15.	महाराष्ट्र	15.13	15.13	37.58
16.	मणिपुर	22.30	22.30	19.44
17.	मिजोरम	29.89	29.89	50.28
18.	मेघालय	4.30	4.30	0.00
19.	नागालैण्ड	4.30	4.30	4.30
20.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	50.31	50.31	47.83
23.	सिक्किम	3.00	3.00	23.45
24.	तमिलनाडु	15.75	15.75	15.75
25.	त्रिपुरा	15.82	15.82	7.45
26.	उत्तर प्रदेश	51.20	51.20	21.69
27.	उत्तरांचल	10.65	10.65	6.88
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00
	कुल	337.00	337.00	332.97

तिलहन, दलहन, आयलपाम और मक्का की समेकित स्कीम (आइसोपाम)

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य	निर्मुक्ति 2004-05	आवंटन 2004-05	निर्मुक्ति 2004-05	आवंटन 2005-06	निर्मुक्ति 2005-06 (30.6.2005)
1.	आंध्र प्रदेश	1643.00	3559.97	3864.95	2650.00	1325.00
2.	असम	8.00	4.00	0.00	15.00	3.00
3.	बिहार	290.00	145.00	421.65	490.00	245.00
4.	गोवा	20.00	10.00	7.75	33.00	16.50
5.	गुजरात	1083.00	1883.00	1337.20	1850.00	925.00
6.	हरियाणा	184.00	497.00	113.49	350.00	175.00
7.	हिमाचल प्रदेश	40.00	40.00	55.08	67.00	33.50
8.	जम्मू-कश्मीर	170.00	85.00	29.30	285.00	142.50
9.	कर्नाटक	1080.00	2155.00	1560.97	1800.00	900.00
10.	केरल	10.00	5.00	34.83	15.00	7.50
11.	मध्य प्रदेश	1425.00	2925.00	2627.40	2400.00	1200.00
12.	छत्तीसगढ़	225.00	625.00	523.56	400.00	200.00
13.	महाराष्ट्र	1040.00	1040.00	993.83	1750.00	875.00
14.	मिजोरम	7.00	107.00	100.00	90.00	10.00
15.	उड़ीसा	305.00	455.00	569.86	500.00	250.00
16.	पंजाब	105.00	52.50	1.76	175.00	87.50
17.	राजस्थान	1400.00	2000.00	1613.21	2350.00	1175.00
18.	तमिलनाडु	740.00	990.00	742.00	1245.00	622.50
19.	त्रिपुरा	10.00	5.00	0.81	20.00	7.00
20.	उत्तर प्रदेश	635.00	785.00	761.43	1065.00	532.50
21.	पश्चिम बंगाल	260.00	260.00	228.97	450.00	225.00
	कुल	10680.00	17628.47	15588.05	18000.00	8957.50

विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य	आवंटन 2005-06	निर्मुक्ति 2005-06 (30.6.2005)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश		58.00
2.	अरुणाचल प्रदेश		25.00
3.	असम		41.00
4.	बिहार		88.00
5.	झारखण्ड		46.00
6.	गोवा		16.00
7.	गुजरात		58.00
8.	हरियाणा		46.00
9.	हिमाचल प्रदेश		40.00
10.	जम्मू-कश्मीर		52.00
11.	कर्नाटक		64.00
12.	केरल		40.00
13.	मध्य प्रदेश		100.00
14.	छत्तीसगढ़		40.00
15.	महाराष्ट्र		82.00
16.	मणिपुर		17.00
17.	मिजोरम		17.00
18.	मेघालय		14.00
19.	नागालैण्ड		14.00
20.	उड़ीसा		76.00
21.	पंजाब		46.00
22.	राजस्थान		76.00
23.	सिक्किम		11.00
24.	तमिलनाडु		64.00
25.	त्रिपुरा		11.00
26.	उत्तर प्रदेश		82.00
27.	उत्तरांचल		28.00
28.	पश्चिम बंगाल		46.00
	कुल		1298.00

*इस स्कीम में राज्यवार आवंटन नहीं किया गया है। निधियों की निर्मुक्ति राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई राज्य विस्तार कार्य योजना (एस.ई.डब्ल्यू.पी.) के आधार पर की जाएगी। तथापि, एस.ई.डब्ल्यू.पी. के लिए तैयारी संबंधी कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य को पहली तिमाही की निर्मुक्ति कर दी गई है।

किसानों द्वारा बी.टी. कॉटन बीजों की खरीद

2254. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कपास उगाने वाले किसानों को 450 ग्राम बी.टी. कॉटन बीजों की खरीद के लिए 1700 रुपए अदा करने पड़ते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मोनसेंटों सीड कंपनी ने महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित की है;

(घ) यदि हां, तो क्या मोनसेंटों सीड के पास इस जीन का पेटेंट अधिकार है;

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त कंपनी को उस कॉटन सीड्स जीन के लिए विशेष मूल्य वसूलने की अनुमति देने के क्या कारण हैं जोकि न तो भारत के लिए विशेष रूप से विकसित है और न ही भारतीय कानून के अंतर्गत पेटेंट योग्य है; और

(च) किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। निजी बीज कंपनियों, जिन्होंने बी.टी. कपास बीजों को विकसित किया है और जो बी.टी. कपास हाइब्रिड बीजों का विपणन करती हैं, द्वारा 450 ग्राम बी.टी. कपास

बीजों का औसत मूल्य 1700 रुपये बताया गया है। बीजों के मूल्य क्षेत्र पर कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है और बीजों की लागत बाजार द्वारा ही निर्धारित होती है। कम्पनियों द्वारा बीजों के मूल्य सामान्यत: अनुसंधान एवं विकास में उनके द्वारा किये गये निवेश, बीजों की उत्पादन लागत, लाभ की गुंजाइश, विपणन व्यय आदि के आधार पर निश्चित किये जाते हैं।

(ग) जी, हां। मैसर्स मोन्सैन्टो, यू.एस.ए. द्वारा मैसर्स महिको-मोन्सैन्टो बायो टेक्नॉलाजी इंडिया लि. मुम्बई नामक एक संयुक्त उद्यम कम्पनी की स्थापना की गई है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। भारत सरकार द्वारा क्राई-1 एसी. जीन के संबंध में मैसर्स मोन्सैन्टो, यू.एस.ए. को कोई पेटेंट अधिकार प्रदान नहीं किये गये हैं। मैसर्स महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कम्पनी लि. (महिको), मुम्बई ने प्रौद्योगिकी मैसर्स मोन्सैन्टो यू.एस.ए. से हासिल की है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत आनुवंशिक इंजीनियरी अनुमोदन समिति (जी.ई.ए.सी.) द्वारा महिको को भारत में बी.टी. कपास हाइब्रिड की वाणिज्यिक निर्मुक्ति की अनुमति प्रदान की गई है। विभिन्न कम्पनियों द्वारा बी.टी. कपास बीज के प्रत्येक पैकेट का मूल्य किसानों को कीटनाशियों के उपयोग में हुई कमी और बॉलवर्म द्वारा होने वाले नुकसान की रोकथाम के परिणामस्वरूप उपज में हुई वृद्धि के रूप में हुए फायदे के आधार पर निर्धारित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा किसानों को कपास की खेती के लिए केवल बी.टी. कपास बीजों की खरीद के संबंध में कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। किसान कपास की खेती के लिए किसी भी कपास बीज का चयन कर सकते हैं।

(च) भारत सरकार द्वारा बी.टी. कपास की खेती वाले राज्यों को गैर कानूनी बी.टी. कपास बीजों के उत्पादकों तथा इसे बेचने वालों के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के प्रावधानों के तहत आवश्यक दण्डात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर परामर्श दिया जाता है। मिलावटी बीजों की निर्मुक्ति पर नियंत्रण हेतु राज्य सरकारों को मदद करने के लिए बी.टी. कपास जीन्स की उपस्थिति/अनुपस्थिति का पता लगाने हेतु केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (सी.आई.सी.आर.), नागपुर को सन्दर्भीय प्रयोगशाला के रूप में अधिसूचित किया गया है। कपास में बी.टी. जीन के शीघ्र सत्यापन के लिए उक्त संस्थान द्वारा एक आसान और सस्ती परीक्षण किट विकसित की गयी है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत आनुवांशिक इंजीनियरी अनुमोदन समिति (जी.ई.ए.सी.) द्वारा अब तक चार बीज कम्पनियों के 22 बी.टी. कपास हाइब्रिड्स वाणिज्यिक रूप से निर्मुक्त किये गये हैं, जो देश के किसानों के लिए उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

कृषि मंडियों के स्थान पर खरीद केन्द्र

2255. प्रो. महादेवराव शिवणकर:
श्री हेमलाल मुर्मू:
मोहम्मद शाहिद:
श्री मो. ताहिर:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री मुन्शी राम:
श्री शिवराज सिंह चौहान:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि मंडियों को बंद कर खरीद केन्द्र स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सभी राज्यों ने उक्त योजना के बारे में अपनी सहमति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में उनके द्वारा क्या कारण बताए गए;

(च) क्या निजी तथा सरकारी क्षेत्र की कृषि मंडियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण मूल्य वृद्धि होने की संभावना है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) इस मंत्रालय ने कृषि विपणन के क्षेत्र में सुधार के उपाय के रूप में राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे निजी और सहकारी क्षेत्रों में प्रतियोगी मंडियों के विकास का संवर्धन करें और कृषि मंडियों से संबद्ध अधिनियम (ए.पी.एम.सी. अधिनियम) को उपयुक्त रूप से संशोधित करके सीधे विपणन और अनुबंधित खेती कार्यक्रमों की अनुमति दें। इसका उद्देश्य एक विनियमित विपणन व्यवस्था को प्रोत्साहित करना है जहां एक उचित प्रतिस्पर्धा हो ताकि किसान उपलब्ध विकल्पों से लाभ उठा सकें और अपने उत्पाद उन केन्द्रों तक ले जा सकें जो सबसे बेहतर मूल्य और सेवाएं देते हैं।

(ग) से (ङ) कृषि मंत्रालय ने सुझावों के कार्यान्वयन के लिए कृषि विपणन संबंधी एक माडल कानून भी तैयार किया है और राज्यों में अपनाने के लिए इसे परिचालित किया है। माडल कानून पर राज्य सरकारों के साथ राज्य कृषि मंत्रालयों के राष्ट्रीय सम्मेलन में दिनांक 7 जनवरी, 2004 और पुनः 19 नवम्बर, 2004 को विचार-विमर्श किया गया। राज्य आमतौर पर ए.पी.एम.सी. अधिनियम में सुझाए गए परिवर्तन लाने के लिए सहमत थे। कई राज्यों ने अपने ए.पी.एम.सी. अधिनियम में संशोधन कर लिया है और निजी क्षेत्र को कृषक के खेत के समीप खरीद केन्द्र प्रचालित करने की अनुमति दे दी है। ये खरीद केन्द्र राज्य द्वारा स्थापित विनियमित मंडियों के अतिरिक्त कार्यरत होंगे।

(च) और (छ) कृषि जिन्सों की प्रतियोगी खरीद से किसान बिचौलियों से बच सकेंगे और अपने उत्पाद के अंतिम मूल्य का उन्हें अधिक हिस्सा प्राप्त होगा तथा इससे उपभोक्ता को भी कम मूल्य देना पड़ेगा। उचित प्रतिस्पर्धा से किसी भी तरह मूल्य वृद्धि नहीं होगी।

उत्तर प्रदेश में धान की खरीद

2256. श्री पंकज चौधरी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों से धान खरीदने में विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप किसानों को अपनी धान कम मूल्यों पर बेचने के लिए मजबूर किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो किसानों को धान की फसल का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं। खरीफ विपणन मौसम 2004-05 (1.8.2005 तक) के दौरान उत्तर प्रदेश की राज्य एजेंसियों ने 7,75,830 टन धान की वसूली की है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि विकास दर का ब्यौरा

2257. श्री वी.के. दुग्गर: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कृषि विकास दर का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस वर्ष कितनी कृषि विकास दर हासिल किए जाने का अनुमान है;

(ग) कृषि विकास दर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितनी सफलता हासिल हुई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सी.एस.ओ.) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में वास्तविक मदों में (1993-94 मूल्य पर) परिगणित किये गये वानकी तथा लॉगिंग और मात्स्यिकी के संबद्ध क्षेत्रों सहित कृषि में वृद्धि दर नीचे दी गई है:

वर्ष	वानिकी व लॉगिंग और मात्स्यिकी के संबद्ध क्षेत्रों सहित कृषि की वृद्धि दर
2002-03	-7%
2003-04	9.6%
2004-05	1.1%

(ख) दसवीं योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन ने संबद्ध क्षेत्रों सहित कृषि में 4.0% वृद्धि दर दर्शाई है।

(ग) और (घ) बागवानी फसलों सहित कृषि फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों में सिंचाई में निवेश, शुष्कभूमि कृषि पर विशेष ध्यान तथा तिलहन, दलहन, ऑयलपाम और मक्का की समेकित स्कीम (आइसोपाम) आदि शामिल हैं। अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय बजट 2005-06 में लघु सिंचाई सहित बागवानी और सिंचाई जैसे क्षेत्रों में निरंतर परिव्यय प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए 2005-06 में 630 करोड़ रु. का बजट प्रदान किया गया है जो एक एकीकृत तरीके से, एक छत्रक अनुसंधान, उत्पादन, फसलोपरांत प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन कवर करते हुए बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेजों के साथ सर्वांगीण दृष्टिकोण सुनिश्चित करेगा। बजट में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के लिए वर्ष 2004-05 के 2800 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2005-06 के लिए 4800 करोड़ रु. प्रदान किये

गये। भारतीय कृषि में जल उपयोग क्षमता में वृद्धि करने के विचार से बजट में 2005-06 में लघु सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रु. प्रदान किये गये। चूंकि कृषि में निवेश की गति बढ़ाने की दृष्टि से ऋण की उपलब्धता महत्वपूर्ण होती है, अत: कृषि ऋण का संवितरण वर्ष 2004-05 में संवितरित 1,15,243 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2005-06 में 30% अधिक रखने का प्रस्ताव है, जो वर्ष 2003-04 में संवितरित 86.981 करोड़ रुपये से 32% अधिक है। इन उपायों के कार्यान्वयन से कृषि वृद्धि में गिरावट का रुख पलट जाने की सम्भावना है।

[अनुवाद]

असम गैस क्रैकर परियोजना

2258. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम गैस क्रैकर परियोजना को आरंभ किये जाने को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अभी तक न सुलझे मुद्दों का ब्यौरा क्या है तथा असम गैस क्रैकर परियोजना के क्रियान्वयन की दिशा में सभी स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा आज तक इसमें क्या प्रगति हुई है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (ग) भारतीय गैस प्राधिकरण लि. (गेल) द्वारा तैयार व्यवहार्यता रिपोर्ट के आधार पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) नोट तैयार किया जिस पर पीआईबी बैठक में विचार किया गया था। फीडस्टाक कीमतें और शामिल राजसहायता, आईआरआर आदि की स्पष्टता के बारे में स्पष्टीकरण मांगे गए थे।

[हिन्दी]

भारत में प्रदूषण का तुलनात्मक स्तर

2259. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रदूषण के संबंध में विश्व में भारत की स्थिति क्या है;

(ख) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस समस्या को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस प्रकार के कदम उठाकर सरकार को कितनी सफलता प्राप्त हुई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) 2005 एनवारनमेण्टल सस्टेनबिलिटी इण्डेक्स (ईएसआई) पर येल और कोलम्बिया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा किये गये एक अध्ययन, जिसमें पूर्व और वर्तमान प्रदूषण स्तरों, पर्यावरण प्रबंधन प्रयासों इत्यादि सहित विभिन्न डाटा सेट जोड़े गए हैं, ने 146 देशों में से भारत को 101 पोजीशन की रेटिंग दी है।

(ख) और (ग) प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए उठाये गये कदमों में शामिल हैं:

* सामान्य और स्रोत विशिष्ट पर्यावरणीय मानकों की अधिसूचना।
* स्वच्छतर ईंधनों और संशोधित वाहन प्रौद्योगिकियों की पुन:स्थापना।
* सत्रह श्रेणियों के प्रदूषक उद्योगों के लिए पर्यावरण सुरक्षा के लिए चार्टर आन कारपोरेट रिस्पांसिबिलिटी का कार्यान्वयन और
* पर्यावरणीय अनुपालना की नियमित मानिटरिंग

(घ) विभिन्न उपशमन उपाय अपनाने के कारण, सक्षम वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा निर्धारित किये गये पर्यावरणीय गुणवत्ता में श्रेणीबद्ध सुधारों से प्रदूषण के बढ़ते हुए रुझान को नियंत्रित किया गया है।

स्वच्छता संबंधी सर्वेक्षण

2260. मो. मुकीम:
श्रीमती प्रतिभा सिंह:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) व्यास, सतलुज तथा यमुना और मंडी जिले की रिवालसर झील के पुनरुद्धार के संबंध में अब तक विभिन्न संस्थानों द्वारा कितने अध्ययन/सर्वेक्षण कराए गए तथा केन्द्र सरकार के पास कुल कितने प्रस्ताव लंबित हैं;

(ख) इस प्रकार के अध्ययनों/सर्वेक्षणों के परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) संबंधित संस्थानों को अब तक धनराशि आवंटित न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) उन्हें धनराशि कब तक आवंटित कर दी जाएगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (घ) मंत्रालय के राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम में अभिनिर्धारित 68 नमभूमियों में से हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की रिवालसर झील भी एक है। राज्य सरकार ने एक वर्ष की अवधि के लिए 9.20 लाख रु. की लागत पर प्रबंध कार्य योजना प्रस्तुत की थी। प्रस्ताव को उपयुक्त नहीं पाया गया था और हिमाचल प्रदेश सरकार को झील के लिए एक वृहत प्रबन्ध कार्य योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

व्यास, सतलुज और यमुना नदी पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इन नदियों की जल गुणता मानीटरिंग के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के माध्यम से नियमित रूप से अध्ययन किया जा रहा है। इस मंत्रालय के अंतर्गत चल रही राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में सतलुज और यमुना नदियों की जल गुणता की मानीटरिंग, थापर इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलोजी और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की जा रही है। इन सर्वेक्षणों के आधार पर राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत सतलुज और यमुना नदियों के प्रदूषित भागों के किनारे प्रदूषण उपशमन कार्य पंजाब के 6 शहरों में सतलुज नदी के किनारे, साथ-ही-साथ यमुना नदी के किनारे हरियाणा के 8 शहरों, उत्तर प्रदेश के 8 शहरों और दिल्ली में प्रदूषण उपशमन कार्य किया जा रहा है।

वर्ष 2000 में हिमाचल प्रदेश सरकार से राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत व्यास नदी के किनारे 11 शहरों में प्रदूषण उपशमन कार्यों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। हिमाचल प्रदेश सरकार से निश्चित लागतों के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने और साथ ही केन्द्र और राज्य सरकार के बीच 70 : 30 लागत भागीदारी के साथ एकीकृत दृष्टिकोण का अनुपालन करने को कहा गया। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत पहले से अनुमोदित स्कीमों के अतिरिक्त महत्वपूर्ण जल निकायों को शामिल करने के आई आई टी रूड़की द्वारा तैयार योजना के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश सरकार से यमुना नदी के किनारे पोंटा साहिब को भी शामिल करने का प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ था। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत दसवीं योजना में निधि की भारी कमी के कारण, इनको कार्यान्वयन के लिए शामिल करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो/अदालतों की स्थापना

2261. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री संतोष गंगवार:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो/विशेष अदालतें स्थापित करने का निर्णय लिया है/विचार है;

(ख) यदि हां, तो ये कब से कार्य करना आरंभ कर देंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) जी, हां। सरकार ने वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन का निर्णय लिया है।

(ख) कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं रखी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत फसलों का विस्तार

2262. डा. के. धनराजू:
श्री पी.सी. थामस:
डा. के.एस. मनोज:
श्री दुष्यंत सिंह:
श्री ई. पोन्नुस्वामी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.) में और फसलों को शामिल करने का केरल सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नारियल, रबड़, काली मिर्च, काजू, अखरोट, चाय, कॉफी, वनिला आदि फसलों को एन.ए.आई.एस. के दायरे में लाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां। केरल राज्य सरकार ने नारियल, रबड़, सुपारी, चाय आदि जैसी बारहमासी/बागवानी फसलों को राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एन.ए.आई.एस.) के अंतर्गत कवर करने के लिए समय-समय पर अनुरोध किया है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम में वर्तमान में खाद्य फसलें (अनाज, कदन्न और दलहन), तिलहन और वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों को कवर किया जा रहा है बशर्ते उनके विगत उपज संबंधी आंकड़े उपलब्ध हों। बारहमासी बागवानी फसलों को अभी राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एन.ए.आई.एस.) में कवर नहीं किया जाता।

तथापि, विद्यमान फसल बीमा स्कीमों में अपेक्षित सुधारों का अध्ययन करने के लिए गठित संयुक्त दल ने बारहमासी बागवानी फसलों की कवरेज सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार किया है। दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सरकार अभी इस दल की सिफारिशों पर विभिन्न पणधारियों से परामर्श कर रही है।

पशु आनुवांशिकी तथा प्रजनन क्षेत्र का पुनर्गठन

2263. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पशु आनुवंशिकी तथा प्रजनन क्षेत्र के पुनर्गठन हेतु धनराशि आवंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने योजना के दौरान ऐसे क्षेत्रों में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां। भारत सरकार ने अक्तूबर, 2000 से राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना नामक एक प्रमुख कार्यक्रम की शुरुआत की है जो पांच-पांच वर्षों के दो चरणों में दस वर्षों के लिए है। इस कार्यक्रम में प्राथमिकता के आधार पर स्वदेशी प्रजातियों के अनुवांशिकी उन्नयन तथा विकास की व्यवस्था है।

(ख) इस परियोजना के अंतर्गत 26 राज्य और दो संघ शासित प्रदेश भाग ले रहे हैं। दसवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत जारी की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) दसवीं योजना के पहले तीन वर्षों में योजना के तहत हासिल की गई प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

गोपशु और भैंस प्रजनन के लिए राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत जारी की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	के दौरान जारी धनराशि		
		2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	934.57	718.18	858.36
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	151.30
3.	असम	0.00	0.00	129.50
4.	छत्तीसगढ़	0.00	98.00	100.00

1	2	3	4	5
5.	गोवा	0.00	58.71	97.29
6.	गुजरात	0.00	40.00	279.70
7.	हरियाणा	0.00	0.00	454.00
8.	हिमाचल प्रदेश	220.00	100.00	270.20
9.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	135.91
10.	कर्नाटक	0.00	465.00	394.29
11.	केरल	230.00	220.00	801.95
12.	मध्य प्रदेश	300.00	360.00	661.54
13.	महाराष्ट्र	0.00	860.00	0.00
14.	मणिपुर	0.00	17.36	0.00
15.	मेघालय	0.00	65.64	0.00
16.	मिजोरम	17.97	40.00	71.00
17.	नागालैण्ड	96.00	182.00	159.67
18.	उड़ीसा	551.60	0.00	485.00
19.	पंजाब	120.83	0.00	111.27
20.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	570.00	0.00	204.82
23.	त्रिपुरा	0.00	95.00	96.67
24.	उत्तर प्रदेश	1063.00	0.00	841.15
25.	उत्तरांचल	0.00	275.00	84.80
26.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	353.10
27.	दादर एवं नागर हवेली	0.00	0.00	27.76
28.	पाण्डिचेरी	0.00	0.00	18.15
	कुल	4103.97	3594.89	6787.43

विवरण II

क्र.सं.	क्रियाकलाप घटक	एकक	उपलब्धि		
			2002-03	2003-04	2004-05
1.	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को बदलना/ताकि मोबाइल प्रणाली शुरू की जा सके	संख्या	6913	5457	6751
2.	वीर्य केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण/कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांडों की खरीद	संख्या	10	5	15
3.	वीर्य बैंकों का सुदृढ़ीकरण/स्थापना	संख्या	28	31	47
4.	प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण	संख्या	15	17	23

कृषि शिक्षा

2264. श्री निखिल कुमार:
श्री एस.के. खारवेनथन:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि शिक्षा को वैश्वीकरण के संदर्भ में नई चुनौतियों का सामना करने हेतु प्रासंगिक बनाने के लिए उसका पुन: अभिमुखीकरण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या कृषि शिक्षा की अपर्याप्त जानकारी कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों के लिए गंभीर चिंता का विषय है;

(घ) यदि हां, तो कृषि शिक्षा में चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) सरकार द्वारा देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि शिक्षा पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(च) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कृषि संबंधी शिक्षा के लिए आवंटन बढ़ाने का प्रस्ताव किया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार को कृषि शिक्षा की सम्पूर्ण जानकारी है तथा अनुसंधान और शिक्षा के उभरते क्षेत्रों के लिए शिक्षा के अग्रवर्ती विस्तार के मुद्दों को उजागर कर रही है जिसमें कोर और अग्रवर्ती क्षेत्रों में पाठ्यक्रम, पेड़ोगी, बुनियादी ढांचा, मानव संसाधन विकास, अतिरिक्त मुराल शिक्षा के मुद्दे शामिल है।

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कृषि शिक्षा पर खर्च की गई धनराशि का विवरण निम्न प्रकार से है:

(रु. लाख में)

2002-03	2003-04	2004-05	योग
5340.50	7038.54	9884.59	22263.63

(च) से (ज) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 178.42 करोड़ रु. के आवंटन की तुलना में दसवीं योजना के दौरान 700.12 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है।

[अनुवाद]

विरासत होटलों का विकास

2265. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राजस्थान में विरासत होटलों के विकास की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) देश में विरासत होटलों सहित, होटलों के निर्माण का कार्य निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय की पहले ही, राजस्थान सहित देश में, हैरिटेज बेसिक, हैरिटेज क्लासिक, हैरिटेज ग्रांड और हैरिटेड रेनायसांस श्रेणियों में, विरासत होटलों को अनुमोदित करने और वर्गीकृत करने की एक योजना है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रिज क्षेत्रों से अतिक्रमणों का हटाया जाना

2266. **श्री रघुनाथ झा:**
कुंवर मानवेन्द्र सिंह:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली रिज क्षेत्र तेजी से सिकुड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) दिल्ली के रिज क्षेत्र के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) दिल्ली में गत दो वर्षों के दौरान कितने पौधे लगाए गए तथा उनमें से कितने पौधे बचे तथा उनके संरक्षण पर कितना धन खर्च किया जा चुका है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

बांधों का निर्माण

2267. **श्री ब्रजेश पाठक:**
श्री जी. करुणाकर रेड्डी:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौन-कौन से बांध निर्माणाधीन हैं और ये कहां-कहां स्थित हैं तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तारीख तक केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा इन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) प्रत्येक बांध के संबंध में कितने प्रतिशत कार्य को पूरा कर लिया गया है; और

(ग) इन बांधों का निर्माण कार्य कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, तैयारी, निष्पादन और वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों और प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है। केन्द्रीय सहायता ब्लॉक ऋणों और अनुदानों के रूप में जारी की जाती है, यह किसी अन्य विकास के क्षेत्र या परियोजना से जुड़ी नहीं होती है। दिनांक 1.4.2004 तक 169 वृहद और 219 मध्यम निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाएं हैं। राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक इन परियोजनाओं पर किया गया व्यय, वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान किया गया व्यय और इनके पूरे होने का निर्धारित वर्ष विवरण-I में दिया गया है। वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की राज्य-वार प्रगति की प्रतिशतता का सारांश संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

दिनांक 1.4.2004 को निर्माणाधीन वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/परियोजना का नाम	नवीं योजना तक संचयी व्यय	वर्ष 2002-03 के दौरान व्यय	वर्ष 2003-04 के दौरान अपेक्षित व्यय	पूरा होने का प्रत्याशित वर्ष
1	2	3	4	5	6
	1. आंध्र प्रदेश				
	वृहद परियोजनाएं				
1.	नागार्जुन सागर	1060.25	35.49	35.12	दसवीं योजना
2.	श्रीराम सागर	1971.98	259.83	265.94	दसवीं योजना

1	2	3	4	5	6
3.	पीयुवनडुला ब्रांच नहर	47.78	17.11	10.10	दसवीं योजना
4.	वम्सधारा चरण-I	99.26	9.15	—	दसवीं योजना
5.	सिंगूर	165.55	2.02	0.06	दसवीं योजना
6.	सोमशिला	378.80	24.23	85.35	दसवीं योजना
7.	वम्सधारा चरण-II फेज-I	27.00	10.13	10.84	दसवीं योजना से आगे
8.	जुराला	453.85	54.26	86.15	दसवीं योजना
9.	श्रीसेलम एलबीसी	359.67	67.73	194.70	दसवीं योजना
10.	श्रीसेलम आरबीसी	1003.33	94.99	109.52	दसवीं योजना से आगे
11.	तेलगु गंगा	1467.56	84.00	206.80	दसवीं योजना
12	येलेरू जलआपूर्ति स्कीम	343.57	0.05	—	दसवीं योजना
13.	वम्सधार चरण-II फेज-II	23.45	0.00	—	दसवीं योजना
14.	चगलानाडू एलआईएस	44.22	9.75	5.90	दसवीं योजना
15.	गलेरू नगरी फेज-I	18.81	2.46	2.50	दसवीं योजना
	मध्यम परियोजनाएं				
1.	कानपुर	19.54	0.44	0.09	दसवीं योजना से आगे
2.	गुंडालबागु	0.42	9.00	1.46	दसवीं योजना
3.	झंझावटी	24.66	1.05	5.00	दसवीं योजना
4.	मडीगेडा	3.75	0.97	2.87	दसवीं योजना
5.	मडूवालसा	88.49	9.67	24.18	दसवीं योजना
6.	येराकल्वा	41.71	10.08	16.87	दसवीं योजना
7.	माडीलेरू	46.70	1.10	1.50	दसवीं योजना
8.	पालेमबागु	0.00	0.00	0.00	दसवीं योजना
9.	पडेरू	18.31	9.08	9.83	दसवीं योजना
	2. असम				
	वृहद परियोजनाएं				
1.	धनसिरी	167.37	7.96	4.09	दसवीं योजना
2.	बोरडीकरारी	39.50	2.25	1.42	दसवीं योजना से आगे
3.	ऐकीकृत केलोंग	52.23	3.56	2.11	दसवीं योजना से आगे

1	2	3	4	5	6
4.	चम्पामती	54.28	2.74	4.28	दसवीं योजना
5.	पागलादिया	42.00	3.76	5.87	दसवीं योजना से आगे
	मध्यम परियोजनाएं				
1.	कालोंगा	3.71	0.00	0.00	दसवीं योजना
2.	बूढ़ीदेहिंग	10.07	0.21	0.53	दसवीं योजना से आगे
3.	पहुमारा	33.55	0.98	0.10	दसवीं योजना
4.	बोरोलिया	40.46	2.48	1.41	दसवीं योजना
5.	हवाईपुर लिफ्ट	6.95	1.26	1.00	दसवीं योजना से आगे
	3. बिहार				
	वृहद परियोजनाएं				
1.	पश्चिमी कोसी नहर	487.86	42.18	62.56	दसवीं योजना
2.	बटेश्वरस्थान पंप नहर फेज-I	41.51	5.03	6.09	दसवीं योजना
3.	दुर्गावती जलाशय स्कीम	184.01	37.61	24.94	दसवीं योजना
4.	उत्तर कोयल जलाशय परियोजना	549.15	19.16	17.10	दसवीं योजना
5.	तिलैया धान्धर डाइवर्जन	59.25	5.12	14.00	दसवीं योजना
6.	ऊपरी कियूल जलाशय परियोजना	126.22	4.67	12.56	दसवीं योजना
7.	बरनार	121.00	0.22	13.25	दसवीं योजना से आगे
8.	पूर्वी कोसी नहर फेज-II	114.78	0.00	0.00	दसवीं योजना
9.	गंडक फेज-II	116.05	0.00	0.00	दसवीं योजना से आगे
	बाणसागर बांध	117.45	0.00	25.00	दसवीं योजना
	मध्यम परियोजनाएं				
1.	बताने	40.46	0.73	2.53	दसवीं योजना
2.	ओरनी जलाशय परियोजना	58.20	0.83	0.42	दसवीं योजना से आगे
3.	सिंधवर्नी	10.72	0.00	0.00	दसवीं योजना से आगे
	4. झारखंड				
	वृहद परियोजना				
1.	अजॉय बैराज	173.52	15.80	14.12	दसवीं योजना से आगे
2.	औरंगा	24.97	6.32	5.97	दसवीं योजना से आगे

1	2	3	4	5	6
3.	कोनार	94.53	10.13	11.15	दसवीं योजना से आगे
4.	सुवर्णरेखा	855.59	42.30	87.78	दसवीं योजना से आगे
5.	पुनासी	69.25	7.09	4.91	दसवीं योजना से आगे
	मध्यम परियोजनाएं				
1.	गुमानी	63.26	3.10	3.86	दसवीं योजना
2.	झरझरा	1.96	0.00	0.01	दसवीं योजना
3.	कंसजोर	35.87	1.24	1.00	दसवीं योजना
4.	तोराई (आस्थगित)	24.60	0.00	0.00	दसवीं योजना
5.	कंस (आस्थगित)	18.79	0.00	0.00	दसवीं योजना से आगे
6.	सोनुवा	38.60	3.83	3.70	दसवीं योजना
7.	शुरू	6.77	0.00	1.00	दसवीं योजना
8.	ऊपरी शंख	28.62	7.57	11.85	दसवीं योजना
9.	कटरी	40.74	2.26	2.33	दसवीं योजना
10.	केसो (संशोधित चरण)	8.54	0.00	0.00	दसवीं योजना से आगे
11.	नटकी	13.92	0.00	0.01	दसवीं योजना से आगे
12.	पंच खेरो	9.37	4.01	2.81	दसवीं योजना
13.	राम रेखा	5.24	0.00	0.01	दसवीं योजना से आगे
14.	सुरंगी	25.81	2.25	1.54	दसवीं योजना
15.	धनसिंहतोली	22.84	1.02	0.50	दसवीं योजना
16.	भैरवा जलाशय	16.51	0.00	5.03	दसवीं योजना से आगे
17.	सलैया (संशोधित चरण)	0.11	0.00	0.00	दसवीं योजना से आगे
18.	बासुकी (पुनर्विचारित)	0.61	0.00	0.00	दसवीं योजना
19.	सतपोटका	0.15	0.00	0.60	दसवीं योजना
	5. गोवा				
	वृहद परियोजनाएं				
1.	सलोली सिंचाई परियोजना	146.56	5.40	5.22	दसवीं योजना
	-तिलारी (आइएस)(गोवा का हिस्सा	323.80	14.46	6.17	दसवीं योजना

1	2	3	4	5	6
	6. गुजरात				
	वृहद परियोजना				
1.	सरदार सरोवर परियोजना (आईएस)	12663.76	1696.95	2298.57	दसवीं योजना से आगे
2.	जनखारी	5.07	0.00	0.00	दसवीं योजना से आगे
3.	सिंदुम्बर	0.26	0.05	0.05	दसवीं योजना से आगे
	मध्यम परियोजनाएं				
1.	मुकतेश्वर	40.97	1.27	1.86	दसवीं योजना
2.	उंड-II	59.07	1.52	1.73	दसवीं योजना
3.	गोमा	12.66	0.05	0.16	दसवीं योजना से आगे
4.	कोल्लयारी	15.60	1.65	2.13	दसवीं योजना से आगे
5.	औजत-II	68.73	3.03	2.43	दसवीं योजना
6.	वरतू-II	52.45	1.88	1.73	दसवीं योजना
7.	लिमडी बोगाओ-II	34.58	1.16	1.07	दसवीं योजना से आगे
8.	अजी-IV	81.34	5.77	4.14	दसवीं योजना
9.	बकरोल	4.97	0.00	0.00	दसवीं योजना से आगे
10.	भदर-II	67.62	5.13	5.94	दसवीं योजना से आगे
11.	देमी-III	31.13	4.00	3.24	दसवीं योजना से आगे
12.	गुंडा (उटावली)	29.03	1.72	0.38	दसवीं योजना से आगे
13.	मेन	0.59	0.00	0.00	दसवीं योजना से आगे
14.	सिंगर	3.17	1.62	0.76	दसवीं योजना से आगे
15.	वरंशी	9.60	1.85	1.30	दसवीं योजना
16.	कुंटली	5.09	0.03	0.06	दसवीं योजना से आगे
17.	ब्रामणी-II	4.53	0.77	0.44	दसवीं योजना
18.	चिनचाई (एलआईएस)	7.65	1.45	1.90	दसवीं योजना से आगे
	7. हरियाणा				
	वृहद परियोजना				
1.	रिवाड़ी लिफ्ट चरण-II	33.53	7.22	2.50	दसवीं योजना
2.	लोहारू लिफ्ट	43.77	1.08	0.73	दसवीं योजना

1	2	3	4	5	6
3.	जे.एल.एन. लिफ्ट सिंचाई	182.17	4.28	3.82	दसवीं योजना
4.	एसवाईएल परियोजना (पंजाब का भाग)	487.93	3.66	0.13	दसवीं योजना से आगे
	8. हिमाचल प्रदेश				
	वृहद परियोजनाएं				
1.	शाहनहर सिंचाई परियोजना	59.26	9.50	13.53	दसवीं योजना
	मध्यम परियोजनाएं				
1.	सिदाता परियोजना	3.77	1.00	2.71	दसवीं योजना
2.	चांगेर लिफ्ट सिंचाई परियोजना	1.50	0.75	1.00	दसवीं योजना
	9. जम्मू एवं कश्मीर				
	मध्यम परियोजना				
1.	लेथपोरा लिफ्ट	7.52	0.46	0.87	दसवीं योजना
2.	मार्वल लिफ्ट	16.28	2.01	3.53	दसवीं योजना
3.	नीव-करेवा	3.12	0.00	0.00	परियोजना आस्थगित
4.	राजपूरा-लिफ्ट	6.17	1.30	5.63	दसवीं योजना
5.	तराल लिफ्ट	10.44	1.75	11.29	दसवीं योजना
6.	राफियाबाद उच्च लिफ्ट	20.45	1.82	5.10	दसवीं योजना
7.	आईगो-फे-सिंचाई परियोजना	37.52	3.66	4.15	दसवीं योजना
	10. कर्नाटक				
	वृहद परियोजनाएं				
1.	कबीनी	375.53	13.46	—	दसवीं योजना
2.	तुंगभद्रा एचएलसी (आईएस)	75.36	0.90	—	दसवीं योजना
3.	मलप्रभा	632.53	48.36	46.99	दसवीं योजना
4.	हरांगी	315.85	16.35	—	दसवीं योजना
5.	हेमावती	1435.47	88.33	—	दसवीं योजना
6.	करंजा	284.77	57.51	24.62	दसवीं योजना
7.	यूकेपी चरण-I	4693.65	336.65	161.76	दसवीं योजना
8.	यूकेपी चरण-II	1645.00	405.59	331.86	दसवीं योजना से आगे
9.	हिपारावी	53.88	3.27	—	दसवीं योजना

1	2	3	4	5	6
10.	बेनितहोरा	209.92	12.20		दसवीं योजना
11.	वरही	30.78	2.02		दसवीं योजना
12.	यागाची	141.54	8.29		दसवीं योजना
13.	ऊपरी तुंगा	233.87	0.00		दसवीं योजना
	-दूधगंगा (आइएस)	56.34	0.07		दसवीं योजना
14.	सिंगातालुर	24.78	1.14		दसवीं योजना
15.	भीमा लिफ्ट	9.99	1.12		दसवीं योजना
16.	मारकंडेय	124.52	39.07		दसवीं योजना
	मध्यम परियोजना				
1.	मंचनबेले	69.13	2.48	उपलब्ध नहीं	दसवीं योजना
2.	अमरजा	98.73	1.38	उपलब्ध नहीं	दसवीं योजना
3.	अरकावती	75.03	5.52	उपलब्ध नहीं	दसवीं योजना
4.	नीचली मूलामारी	121.42	2.37	उपलब्ध नहीं	दसवीं योजना
5.	चुलकीनाला	63.11	1.35	उपलब्ध नहीं	दसवीं योजना
6.	वोटेहोल	44.76	2.93	उपलब्ध नहीं	दसवीं योजना
7.	हिरेहल्ला	147.40	11.97	10.22	दसवीं योजना
8.	उडुतोरेहल्ला	128.51	8.25	उपलब्ध नहीं	दसवीं योजना
9.	इगालूर	49.01	2.31	उपलब्ध नहीं	दसवीं योजना
10.	कामसमुद्रा	20.24	1.26	उपलब्ध नहीं	दसवीं योजना
11.	होदीरयानाहल्ला	0.49	0.00	उपलब्ध नहीं	दसवीं योजना
12.	हचनकोपलू	12.97	1.85	उपलब्ध नहीं	दसवीं योजना
13.	गनडोरीनाला	56.25	34.58	10.91	दसवीं योजना
14.	बसापुर लिफ्ट	1.39	0.16	उपलब्ध नहीं	दसवीं योजना
15.	ईटागी-सलवाड़	0.58	0.04	उपलब्ध नहीं	दसवीं योजना
16.	कंचनाहल्ली	2.74	0.26	उपलब्ध नहीं	दसवीं योजना
17.	हरीनाला	34.85	2.35	उपलब्ध नहीं	दसवीं योजना
18.	नंजापुरा	4.54	1.99	उपलब्ध नहीं	दसवीं योजना

1	2	3	4	5	6
	11. केरल				
	वृहद परियोजना				
1.	कल्लाडा	644.07	15.93	8.81	दसवीं योजना
2.	मुवात्तुपुझा	375.13	24.13	51.81	दसवीं योजना
3.	इडामलायार	119.11	13.46	13.21	दसवीं योजना
4.	करियारकुट्टी	12.36	1.00	5.00	दसवीं योजना
	मध्यम परियोजनाएं				
1.	अट्टापेडी	9.81	0.70	0.45	दसवीं योजना
2.	कारापुझा	180.37	10.78	11.09	दसवीं योजना
3.	बाणसुरसागर	6.72	3.10	3.06	दसवीं योजना
4.	वामनापुरम	10.13	0.00	0.03	दसवीं योजना
	12. मध्य प्रदेश				
	वृहद परियोजनाएं				
1.	कोलार	178.99	3.44	2.77	दसवीं योजना
2.	सिंध फेज-I	58.86	6.81	7.30	दसवीं योजना से आगे
3.	बाण सागर बांध (मध्य प्रदेश का हिस्सा)	721.61	26.61	67.64	दसवीं योजना
4.	बाणसागर नहर	180.83	31.99	56.30	दसवीं योजना से आगे
5.	बरियारपुर एलबीपी	71.63	20.74	46.49	दसवीं योजना से आगे
	राजघाट बांध	133.08	1.00	1.80	दसवीं योजना
6.	राजघाट नहर	445.66	71.64	50.74	दसवीं योजना से आगे
7.	रानी अवन्ती बाई सागर (एनवीडीए)	694.61	74.38	121.07	दसवीं योजना से आगे
	-बावनथंडी (आईएस)	125.65	22.75	20.66	दसवीं योजना
8.	महान	35.52	3.50	5.68	दसवीं योजना से आगे
9.	इंदिरा सागर (एनवीडीए)	1492.80	158.91	151.22	दसवीं योजना से आगे
10.	जोबट (एनवीडीए)	42.42	28.46	36.69	दसवीं योजना
11.	माही	65.77	35.56	34.93	दसवीं योजना से आगे
12.	मान (एनवीडीए)	121.41	18.19	12.75	दसवीं योजना से आगे
13.	सिंध फेज-I	134.00	111.34	107.41	दसवीं योजना से आगे

1	2	3	4	5	6
14.	बारगी डाइवर्जन (एनवीडीए)	29.26	77.31	70.66	दसवीं योजना से आगे
15.	ओंकारेश्वर (एनवीडीए)	49.93	17.04	18.57	दसवीं योजना से आगे
16.	पेंच डाइवर्जन	9.15	0.82	1.00	दसवीं योजना से आगे
	मध्यम परियोजनाएं				
1.	कालिवासोटे	42.47	1.50	0.13	दसवीं योजना से आगे
2.	कुंवारी लिफ्ट	0.28	0.09	0.03	दसवीं योजना से आगे
3.	महुआर	4.39	0.05	0.05	दसवीं योजना से आगे
4.	सागर	1.29	0.04	0.05	दसवीं योजना से आगे
5.	बाह	3.70	0.13	0.05	दसवीं योजना से आगे
	13. छत्तीसगढ़				
	वृहद परियोजनाएं				
1.	महानदी जलाशय परियोजना	450.65	16.45	20.00	दसवीं योजना
2.	जोंक डाइवर्जन	35.29	5.50	5.25	दसवीं योजना
3.	हसदेव बांगों फेज-III	715.76	149.45	107.24	दसवीं योजना से आगे
	मध्यम परियोजनाएं				
1.	बरनई	16.08	3.38	0.61	दसवीं योजना
2.	कोसेरटेडा	17.54	9.02	3.42	दसवीं योजना
3.	सुतियापाट	2.21	2.52	3.50	दसवीं योजना से आगे
4.	ऊपरी जोंक	0.00	0.77	0.50	दसवीं योजना
5.	खरखरा मोधिपाट नहर	6.98	6.18	4.00	दसवीं योजना से आगे
	14. महाराष्ट्र				
	वृहद परियोजनाएं				
1.	भीमा	1091.34	17.48	6.57	दसवीं योजना
2.	कृष्णा	365.36	17.60	14.46	दसवीं योजना
3.	कुकडी	1003.57	25.73	68.45	दसवीं योजना
4.	खड़कवासला	224.12	4.85	54.63	दसवीं योजना
5.	ऊपरी तापी	131.08	8.71	0.69	दसवीं योजना
6.	वरना	324.20	32.25	8.72	दसवीं योजना से आगे

1	2	3	4	5	6
7.	ऊपरी गोदावरी	155.72	2.74	1.53	दसवीं योजना
8.	दूधगंगा (आईएस)	265.03	42.13	36.56	दसवीं योजना
9.	धरकामान	214.21	2.84	7.37	दसवीं योजना
10.	भातसा	232.82	24.11	23.04	दसवीं योजना
11.	जायकवाड़ी चरण-II	568.39	35.79	22.68	दसवीं योजना
12.	नांदुर मधमेश्वर	311.11	35.85	7.48	दसवीं योजना से आगे
13.	ऊपरी पेनगंगा	585.84	13.77	33.58	दसवीं योजना
14.	ऊपरी परवारा	91.97	24.52	18.79	दसवीं योजना
15.	ऊपरी वर्धा	546.21	79.75	43.14	दसवीं योजना
16.	वाधुर	101.28	16.33	24.97	दसवीं योजना
17.	बावनथंडी (आईएस)	92.26	6.31	2.96	दसवीं योजना से आगे
18.	सूर्या	203.40	21.68	24.75	दसवीं योजना
19.	तिल्लारी (आईएस)	430.01	68.94	43.20	दसवीं योजना
20.	विष्णुपुरी (निचली गोदावरी)	153.80	2.19	5.01	दसवीं योजना
21.	अरुणावती	175.58	7.39	6.01	दसवीं योजना
22.	गोसीखुर्द	755.57	47.61	84.42	दसवीं योजना से आगे
23.	हुमान	10.98	0.06	0.67	दसवीं योजना से आगे
24.	कडवा	63.55	0.08	0.00	दसवीं योजना
25.	कोयना कृष्णा (एलआईएस)	817.46	38.71	31.61	दसवीं योजना से आगे
26.	लेंडी (आईएस)	26.45	0.99	16.27	दसवीं योजना से आगे
27.	निचली तिरना (प्रवाह एवं लिफ्ट)	223.93	18.28	0.84	दसवीं योजना
28.	निचली वर्धा	154.94	28.67	12.44	दसवीं योजना से आगे
29.	निचली वुन्ना	221.32	0.21	13.34	दसवीं योजना
30.	पुनाद	41.11	5.87	4.59	दसवीं योजना
31.	तालांबा	15.64	15.39	2.09	दसवीं योजना से आगे
32.	तुलतुली	6.60	0.00	0.00	दसवीं योजना से आगे
33.	वान	191.27	6.26	11.02	दसवीं योजना
34.	उरमोदी	290.50	7.11	21.48	दसवीं योजना से आगे

1	2	3	4	5	6
35.	निचली दूधना	140.97	6.45	23.58	दसवीं योजना से आगे
36.	निचली पेनगंगा	1.90	2.04	2.24	दसवीं योजना से आगे
37.	नीरा देवधर	259.00	10.07	19.66	दसवीं योजना से आगे
38.	बेम्बला	146.02	35.06	13.06	दसवीं योजना से आगे
39.	भामा असखेदा	125.86	2.50	4.04	दसवीं योजना से आगे
40.	जनाई सिरसाल	120.06	0.09	8.83	दसवीं योजना से आगे
41.	गंजावाणी	104.97	12.23	22.91	दसवीं योजना से आगे
42.	खड़कपूर्णा	62.06	6.74	8.12	दसवीं योजना से आगे
43.	सिना कोलेगांव	101.02	11.72	19.26	दसवीं योजना से आगे
44.	सिना माढा एलआईएस	88.76	3.39	6.40	दसवीं योजना से आगे
45.	टेमगढ़	247.18	9.93	15.30	दसवीं योजना
	अतिरिक्त परियोजनाएं				
46.	धोम बलकावाड़ी	195.21	30.03	9.05	दसवीं योजना से आगे
47.	तरली	282.84	7.66	56.35	दसवीं योजना से आगे
48.	अस्ती एलआईएस	14.18	10.25	4.37	दसवीं योजना से आगे
49.	बरशी एलआईएस	34.31	25.26	6.73	दसवीं योजना से आगे
50.	भीमा सिना संयुक्त नहर	196.34	4.60	10.96	दसवीं योजना से आगे
51.	धई गांव एलआईएस	32.72	1.41	1.70	दसवीं योजना से आगे
52.	पुरन्दर एलआईएस	65.07	11.07	19.95	दसवीं योजना से आगे
53.	शिरापुर एलआईएस	26.42	13.02	5.36	दसवीं योजना से आगे
54.	तेम्भू एलआईएस	545.61	42.54	59.89	दसवीं योजना से आगे
55.	निचली तापी	46.16	22.61	6.27	दसवीं योजना से आगे
56.	वरनगांव तालवेल एलआईएस	21.20	5.15	4.15	दसवीं योजना से आगे
	मध्यम परियोजनाएं				
1.	अंजनापलसी (पलसी)	42.50	1.34	0.11	दसवीं योजना
2.	अरन (पिंपरी)	57.71	2.60	1.22	दसवीं योजना
3.	बहुला	25.34	2.09	2.12	दसवीं योजना
4.	चेन्ना नदी	1.43	0.00	1.57	दसवीं योजना

1	2	3	4	5	6
5.	चिकोत्रा	91.68	6.04	13.45	दसवीं योजना
6.	एरधा	0.97	0.00	0.00	दसवीं योजना
7.	हिवड़ा	10.29	0.68	0.03	दसवीं योजना
8.	जंगामहट्टी	17.65	0.44	0.18	दसवीं योजना
9.	ज्वालगांव	17.07	0.50	8.08	दसवीं योजना
10.	कडवी	51.23	0.50	7.40	दसवीं योजना
11.	कसारी	23.37	0.65	1.36	दसवीं योजना
12.	कुंभी	43.16	2.47	4.51	दसवीं योजना
13.	मंगरूल	9.59	0.52	0.39	दसवीं योजना
14.	मोर	26.34	3.65	0.91	दसवीं योजना
15.	पेंढारी नाला	0.20	0.00	0.00	दसवीं योजना
16.	पूर्णा नेयोपुर	13.81	0.69	0.21	दसवीं योजना
17.	वाडीवाले	24.00	0.67	0.08	दसवीं योजना
18.	अमरावती	27.85	1.56	1.87	दसवीं योजना
19.	बोरडाहेगांव	24.68	0.20	0.08	दसवीं योजना
20.	बोरी (एस)	18.34	21.59	0.03	दसवीं योजना से आगे
21.	ढापेवाड़ा चरण-I	38.82	2.54	7.76	दसवीं योजना
22.	देहली	11.65	0.05	0.23	दसवीं योजना
23.	देवगढ़	90.29	9.44	11.77	दसवीं योजना से आगे
24.	डोंगेरगांव	23.22	2.24	2.37	दसवीं योजना
25.	हेतवाने	162.89	13.91	20.79	दसवीं योजना
26.	जाम	53.79	3.18	5.43	दसवीं योजना
27.	करवप्पा नल्ला	3.00	0.00	0.00	दसवीं योजना
28.	कसारसाई	26.93	1.00	1.81	दसवीं योजना
29.	मून	49.69	0.35	0.69	दसवीं योजना
30.	पतगांव	59.24	0.20	0.32	दसवीं योजना
31.	शिवना तात्कली	61.91	6.02	5.14	दसवीं योजना
32.	सोनवाड़	18.94	0.37	0.59	दसवीं योजना

1	2	3	4	5	6
33.	तजनापुर लिफ्ट सिंचाई	11.18	7.34	0.15	दसवीं योजना
34.	ऊपरी मनार	44.14	0.30	12.00	दसवीं योजना
35.	अंधाली	11.50	0.67	2.61	दसवीं योजना
36.	मदन टैंक	29.98	8.43	8.91	दसवीं योजना से आगे
37.	नवरगांव	36.07	0.53	1.11	दसवीं योजना
38.	गौतमी गोदावरी (गोदावरी नदी)	18.75	2.28	4.36	दसवीं योजना
39.	अक्काल पाड़ा	21.45	7.30	11.53	दसवीं योजना
40.	दारा	2.85	2.74	0.23	दसवीं योजना
41.	गढ़नदी	51.01	23.04	0.87	दसवीं योजना से आगे
42.	कजाला (चाधोली)	9.50	0.27	0.12	दसवीं योजना
43.	कार	45.46	3.36	4.98	दसवीं योजना
44.	कश्यपी	37.32	0.38	4.48	दसवीं योजना
45.	कोरादीनल्ली	0.00	0.00	0.00	दसवीं योजना
46.	मोरना गुरेश्वर	25.09	10.98	8.43	दसवीं योजना
47.	नागन	18.21	2.05	0.94	दसवीं योजना
48.	नारंगी सारंगी	18.77	0.57	0.56	दसवीं योजना
49.	पेन तकली	106.40	4.74	10.16	दसवीं योजना
50.	सयाकी	19.76	0.25	1.28	दसवीं योजना
51.	तोरना	14.21	0.78	0.33	दसवीं योजना
52.	ऊपरी मंजरा (डोकेवाड़ी)	42.23	3.92	0.34	दसवीं योजना
53.	अंजनी	38.22	8.28	0.69	दसवीं योजना
54.	जाम्बे	4.99	0.81	13.08	दसवीं योजना
55.	कटांगी	18.27	1.21	1.70	दसवीं योजना
56.	निचला चूलबंद	1.46	0.35	0.07	दसवीं योजना से आगे
57.	मोहम्मद वाड़ी (नरदावे)	46.92	12.83	21.05	दसवीं योजना से आगे
58.	सौंडियाटोला एलआईएस	21.03	0.98	1.01	दसवीं योजना
59.	तटावाली	16.47	2.85	5.58	दसवीं योजना
60.	चन्द्रभागा	89.29	12.41	14.41	दसवीं योजना

1	2	3	4	5	6
61.	चित्री	49.15	9.13	25.38	दसवीं योजना
62.	गुल	22.52	3.10	1.92	दसवीं योजना
63.	जामखेड़ी	12.70	1.09	0.47	दसवीं योजना
64.	कल्पाथारी	17.98	0.19	0.28	दसवीं योजना
65.	कराजखेड़ एलआईएस	18.38	0.74	1.24	दसवीं योजना
66.	लाल नल्ला	39.60	6.73	7.09	दसवीं योजना
67.	नागेवाड़ी	31.14	0.10	7.54	दसवीं योजना
68.	प्रकाश बंधारा	79.82	6.18	2.11	दसवीं योजना
69.	पूर्णा	52.12	22.97	16.57	दसवीं योजना
70.	रैनापुर	52.14	0.32	1.56	दसवीं योजना से आगे
71.	सोनापुर टोमटा	19.03	1.35	0.97	दसवीं योजना
72.	सुल्वाड़े बंधारा	74.07	15.36	1.04	दसवीं योजना
73.	वीरचेक (शिवन)	8.08	7.65	3.22	दसवीं योजना
74.	वाड़ी शेवाड़ी	18.25	4.23	0.42	दसवीं योजना
75.	वाधोला बुटी	26.43	1.80	1.69	दसवीं योजना
76.	वाकोड़	19.18	0.47	0.15	दसवीं योजना
77.	आंध्राखोरे	40.53	21.91	1.08	दसवीं योजना
78.	घाटप्रभा (फाटकवाड़ी)	21.41	3.51	4.50	दसवीं योजना
79.	हारनघाट (एलआईएस)	18.55	1.00	9.75	दसवीं योजना
80.	किरमिरी दारूर	16.39	0.50	3.50	दसवीं योजना
81.	पिंपलगांव (ढाले)	18.50	16.00	0.04	दसवीं योजना
82.	उत्तरमांड	52.60	4.17	7.07	दसवीं योजना
83.	वांग	74.12	7.31	2.65	दसवीं योजना
84.	अशीनगर	0.56	0.03	0.31	दसवीं योजना
	अतिरिक्त परियोजनाएं				
85.	चिल्हेवाड़ी	92.24	8.27	6.30	दसवीं योजना से आगे
86.	धमनी	19.62	10.60	23.67	दसवीं योजना से आगे
87.	कृष्णा चरण-II (कुन्डली)	116.65	28.50	12.42	दसवीं योजना से आगे

1	2	3	4	5	6
88.	सिंना (भोसे खिंड)	7.00	12.40	5.33	दसवीं योजना से आगे
89.	कमानी टंडा	18.70	4.79	3.23	दसवीं योजना से आगे
90.	मणिकपुंज	5.56	2.35	0.42	दसवीं योजना से आगे
91.	मोरना (शिराला)	12.29	0.01	0.00	दसवीं योजना से आगे
92.	मुक्ताई नगर एलआईएस	25.04	0.23	0.00	दसवीं योजना से आगे
93.	सारंगखेड़ा बैराज	71.26	11.78	1.03	दसवीं योजना से आगे
94.	शेलगांव बैराज	12.45	0.00	0.00	दसवीं योजना से आगे
95.	सपन	16.39	12.38	22.41	दसवीं योजना से आगे
	15. मणिपुर				
	वृहद परियोजनाएं				
1.	थौबल	119.82	15.55	22.00	दसवीं योजना
2.	खुगा बहुउद्देशीय परियोजना	141.02	8.97	21.30	दसवीं योजना
	मध्यम परियोजनाएं				
1.	दोलाई थाबी बैराज	19.35	2.23	4.50	दसवीं योजना
	16. मेघालय				
	मध्यम परियोजनाएं				
1.	रेंगाली घाटी परियोजना	20.24	1.05	1.30	दसवीं योजना से आगे
	17. उड़ीसा				
	वृहद परियोजनाएं				
1.	पोट्टेरू	170.46	20.24	11.02	दसवीं योजना
2.	ऊपरी कोलाब	303.74	64.16	6.37	दसवीं योजना से आगे
3.	ऊपरी इन्द्रावती	414.06	145.84	114.34	दसवीं योजना से आगे
4.	सुवर्णरेखा	308.06	29.90	189.75	दसवीं योजना से आगे
5.	कानपुर	23.92	0.81	1.44	दसवीं योजना से आगे
6.	निचली इंद्रा	44.28	55.92	34.51	दसवीं योजना से आगे
7.	निचला सुकटेल	17.17	4.54	7.26	दसवीं योजना से आगे
8.	बाघ बैराज	34.56	3.58	1.70	दसवीं योजना
9.	रेगाली सिंचाई	834.07	168.33	48.43	दसवीं योजना से आगे

1	2	3	4	5	6
10.	महानदी चित्रोत्पला	31.71			दसवीं योजना
	मध्यम परियोजनाएं				
1.	तितलागढ़ चरण-II	15.10	12.58	5.21	दसवीं योजना
2.	रूकारा	2.68	1.42	2.56	दसवीं योजना
3.	रजुवा	0.06	0.94	0.96	दसवीं योजना
4.	देव	30.10	4.17		दसवीं योजना
5.	हरिहरजोर	79.23	1.99	2.00	दसवीं योजना
6.	मनजोर	56.39	11.77	0.27	दसवीं योजना
7.	ऊपरी जोंक	88.45	2.00	1.50	दसवीं योजना
8.	बाघालाटी	48.00	0.00	0.00	दसवीं योजना
9.	बदनल्ला	54.00	2.00	2.00	दसवीं योजना
10.	सपुआ बदजोर	38.35			दसवीं योजना
	18. पंजाब				
	वृहद परियोजनाएं				
1.*	शाहपुर कंडी परियोजना	94.67	22.07	11.35	दसवीं योजना से आगे
	एसवाईएल नहर परियोजनाएं				दसवीं योजना से आगे
	19. राजस्थान				
	वृहद परियोजनाएं				
	-गुडगांव नहर	27.10	0.00	0.00	दसवीं योजना से आगे
1.	माही बराज सागर (आईएस)	695.04	21.60	28.25	दसवीं योजना
2.	आईजीएनपी-II	1933.48	123.31	174.81	दसवीं योजना से आगे
3.	नर्मदा नहर	214.02	20.47	370.10	दसवीं योजना से आगे
4.	विलासपुर सिंचाई सह डब्ल्यूएस परियोजना	454.81	40.73	47.02	दसवीं योजना
	मध्यम परियोजनाएं				
1.	पंचाना	96.51	12.00	11.28	दसवीं योजना
2.	छापी	76.41	9.99	10.00	दसवीं योजना
3.	बेथली	44.64	1.66	2.99	दसवीं योजना
4.	चौली	53.42	13.89	13.70	दसवीं योजना से आगे

1	2	3	4	5	6
	20. तमिलनाडु				
	मध्यम परियोजनाएं				
1.	इरूकनकुडी परियोजना	19.76	9.08	20.00	दसवीं योजना
2.	नांगनजियार	31.80	2.00	3.48	दसवीं योजना
	21. त्रिपुरा				
	मध्यम परियोजनाएं				
1.	गुमती	40.74	0.78	1.87	दसवीं योजना
2.	खोवाई	50.61	1.15	1.77	दसवीं योजना
3.	मानू	38.14	0.76	1.79	दसवीं योजना
	22. उत्तर प्रदेश				
	वृहद परियोजनाएं				
1.	पूर्वी गंगा	336.59	27.48	51.54	दसवीं योजना से आगे
2.	कन्हर सिंचाई	57.57	5.71	1.25	दसवीं योजना
3.	राजघाट बांध	133.08	0.00	0.00	दसवीं योजना
4.	राजघाट नहर (यूपी)	269.64	53.72	33.64	दसवीं योजना
5.	सरयू नहर	1151.09	194.75	183.32	दसवीं योजना से आगे
6.	हिन्डन कृष्णी दोआब में खरीफचैनल उपलब्ध कराते हुए	96.32	17.76	14.74	दसवीं योजना
7.	टिहरी बांध (सिंचाई का हिस्सा)	748.29	135.00	131.64	दसवीं योजना से आगे
8.	जरौली पम्प नहर	31.49	5.64	4.72	दसवीं योजना
9.	बाणसागर नहर (यूपी)	203.90	63.83	71.35	दसवीं योजना से आगे
	-बाणसागर बांध (उत्तर प्रदेश का हिस्सा)	223.33	0.00	0.00	दसवीं योजना
	23. उत्तरांचल				
	वृहद परियोजनाएं				
1.	जामरानी बांध	25.87			दसवीं योजना से आगे
2.	लखवार व्यासी	219.11			दसवीं योजना से आगे
3.	किशउ बांध	8.10			दसवीं योजना से आगे

1	2	3	4	5	6
	24. पश्चिम बंगाल				
	वृहद परियोजनाएं				
1.	तीस्ता बैराज चरण-I फेज-I	903.33	26.92	27.96	दसवीं योजना से आगे
2.	सुवर्णरेखा बैराज (आइएस)	33.79	2.42	2.00	दसवीं योजना से आगे
	मध्यम परियोजनाएं				
1.	गोलामरजोर	3.06	0.08	0.10	दसवीं योजना
2.	मोतेरजोर	0.64	0.02	0.03	दसवीं योजना
3.	बेको	4.19	0.14	0.06	दसवीं योजना
4.	पटलोई	5.52	0.12	0.08	दसवीं योजना
5.	टाटको	7.78	0.15	0.13	दसवीं योजना
6.	फुटियारी	11.26	0.16	0.01	दसवीं योजना
7.	हनुमाता	5.58	0.06	0.02	दसवीं योजना
8.	खैराभेरा	3.19	0.12	0.03	दसवीं योजना

विवरण II

निर्माणाधीन वृहद और मध्यम परियोजनाओं के संबंध में की गई प्रगति

(परियोजनाओं की संख्या)

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना प्रस्ताव में निर्धारित किए गए लक्ष्य के प्रतिशत के अनुसार सिंचाई क्षमता के सृजन के संबंध में प्रगति					
		90% से अधिक		50% से 90% के बीच		50% से कम	
		वृहद	मध्यम	वृहद	मध्यम	वृहद	मध्यम
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	5	1	2	2	8	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
3.	असम	1	1	1	1	3	3
4.	बिहार	—	1	1	1	8	1
5.	छत्तीसगढ़	—	—	3	1	—	4
6.	गोवा	—	—	1	—	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	गुजरात	—	1	—	1	3	16
8.	हरियाणा	—	—	2	—	1	—
9.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	1	2
10.	जम्मू-कश्मीर	—	1	—	1	—	5
11.	झारखंड	—	1	—	2	5	16
12.	कर्नाटक	2	2	5	4	9	12
13.	केरल	—	—	2	—	2	4
14.	मध्य प्रदेश	—	—	2	—	14	5
15.	महाराष्ट्र	6	14	13	13	37	68
16.	मणिपुर	—	—	—	—	2	1
17.	मेघालय	—	—	—	—	—	1
18.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—
19.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—
20.	उड़ीसा	1	—	4	5	5	5
21.	पंजाब	1	—	—	—	1	—
22.	राजस्थान	1	2	2	—	1	2
23.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—
24.	तमिलनाडु	—	—	—	—	—	2
25.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	3
26.	उत्तरांचल	—	—	—	—	3	—
27.	उत्तर प्रदेश	—	—	3	—	6	—
28.	पश्चिम बंगाल	—	2	—	3	2	3
	कुल	16	26	41	34	112	159

मांस का उत्पादन

2268. मोहम्मद शाहिद: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मांस उत्पादकों को कोई पैकेज देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) मीट उत्पादन बढ़ाने के लिए मीट उत्पादकों को कोई पैकेज देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कपास उगाने वाले किसान

2269. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु के दक्षिण जिले में कपास उगाने वाले किसान ग्रीष्म कपास के मूल्यों में गिरावट को लेकर आन्दोलित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या व्यापारियों द्वारा चलाए जाने वाले स्थानीय बाजार में प्रस्तावित मूल्यों में तेज गिरावट पर कपास के किसानों की अत्यधिक शिकायतों से यह अटकलें भी लगनी शुरू हो गई हैं कि भारतीय कपास निगम कम से कम दो या तीन स्थानों पर कपास व्यापार स्थानों पर अपने क्रय केन्द्र खोल कर बाजार में हस्तक्षेप कर सकता है;

(ग) क्या यह स्थिति अन्य राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में भी उत्पन्न हुई है;

(घ) यदि हां, तो क्या कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में कपास के मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिर गए हैं; और

(ङ) इस संबंध में इन राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सेल द्वारा संयंत्रों की स्थापना

2270. श्री संतोष गंगवार:
श्री रत्नेन बर्मन:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में नए इस्पात संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए और अधिक संयंत्र स्थापित करने पर भी विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए प्रस्तावित स्थानों का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कस्तूरी मृग का शिकार

2271. डा. एम. जगन्नाथ: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कस्तूरी मृग की दुर्लभ प्रजाति के सामने बड़े पैमाने पर शिकार के कारण लुप्त होने की स्थिति आ रही है;

(ख) यदि हां, तो पहले की तीन गणनाओं से संबंधित तुलनात्मक आंकड़ों को दर्शाते हुए उनकी नवीनतम संख्या कितनी है; और

(ग) कस्तूरी मृग की नस्ल की सुरक्षा करने और उसे बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) कस्तूरी मृगों की बड़ी संख्या में अवैध शिकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रजाति के लुप्त होने की भी कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ख) कस्तूरी मृगों की गणना संघ सरकार के स्तर पर संकलित और मिलान नहीं की जाती है।

(ग) कस्तूरी मृग को बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:

1. कस्तूरी मृगों को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में शामिल किया गया है और इसके फलस्वरूप इसे उच्चतम सुरक्षा प्रदान की गई है। कस्तूरी मृग का शिकार इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिबंधित है।

2. वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के तहत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और मुकदमा चलाने की शक्ति प्रदान की गई है।

3. राज्य सरकारों को वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के तहत यह शक्ति प्रदान की गई है कि वे ऐसे किसी भी व्यक्ति को पुरस्कृत कर सकती हैं जो वन्य जीव अपराध और संदिग्ध अपराधियों का पता लगाने में सहायता करें।

4. कस्तूरी मृगों के संरक्षण और पर्यावासों के विकास के लिए "राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत आवश्यक तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन

2272. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:
श्री श्रीचन्द कृपलानी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय बागवानी मिशन एन.एच.एम. के अंतर्गत राज्यों को धनराशि प्रदान करने के लिए निर्धारित मानदंड क्या हैं; और

(ख) राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि प्रदान की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) "राष्ट्रीय बागवानी मिशन" (एन.एच.एम.) पर केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राज्यों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना (ए.ए.पी.) के आधार पर, एन.एच.एम. की कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदन के बाद राज्यों को कोष प्रदान किये जाते हैं।

(ख) कार्यकारी समिति ने अबतक 2005-06 के लिए चार राज्यों की वार्षिक कार्य योजनाओं को सिद्धान्त रूप में मंजूरी दी है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	राज्य	राशि (करोड़ रुपये में)
1.	छत्तीसगढ़	50.29
2.	महाराष्ट्र	161.28
3.	उड़ीसा	74.99
4.	उत्तर प्रदेश	111.12

[हिन्दी]

बैटरी से चलने वाली कारों को बढ़ावा देना

2273. **श्री कैलाश मेघवाल:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैटरी से चलने वाली कार के संबंध में कोई टेस्ट ड्राइव किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय का विचार पर्यावरण पर पेट्रोल और डीजल जैसी चीजों से पड़ने वाले दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर इस वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित कार्य को शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा): (क) और (ख) केन्द्रीय मोटर वाहन नियावली के अंतर्गत निर्धारित कार्य प्रणाली के अनुसार सभी वाहनों की जांच की जाती है। विद्युत वाहनों के लिए भी केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के अंतर्गत मानक बनाए गए हैं और कार्य प्रणाली निर्धारित की गई है। आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे ने कुछ विद्युत वाहनों के लिए प्रारूप अनुमोदन प्रदान किया है।

(ग) से (ङ) भारत सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों के लिए सब्सिडी देने हेतु एक योजना विकसित की है और हाइब्रिड वाहनों तथा बैटरी से चलने वाले वाहनों के कल-पुर्जों के विकास के लिए हाई-पॉवर बैटरियों के निर्माण के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

[अनुवाद]

तोल एवं माप के मानकों की खरीद

2274. **श्रीमती मनोरमा माधवराज:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों के लिए तोल एवं माप के मानकों को केवल मुंबई स्थित भारतीय टकसाल से खरीदना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो क्या उच्च टकसाल से आपूर्ति काफी विलंब से होती है जिसके कारण विधिक माप विज्ञान के निरीक्षकों के अनेक कार्यालयों को उचित मानकों के बिना प्रचालन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो क्या वेट एवं मेजर्स (एनफोर्समेंट) एक्ट, 1985 में निजी विनिर्माताओं के लिए विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार तोल और माप के मानक बनाने का उपबंध है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निजी विनिर्माताओं को उक्त मानकों का निर्माण करने की अनुमति देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त मानकों का निर्माण करने के लिए उन्हें कब तक अनुमति दिये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, हां।

(ख) मुंबई टकसाल द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मानकों की आपूर्ति में विलंब की कोई सूचना नहीं है।

(ग) से (ङ) उक्त अधिनियम की धारा 13 के परन्तुक में यह व्यवस्था है कि यदि टकसाल लिखित रूप में राज्य सरकार को यह सूचित करता है कि वह कोई सेकेण्डरी मानक अथवा वर्किंग मानक तैयार करने में असमर्थ है तो सरकार ऐसे सेकेण्डरी मानक अथवा वर्किंग मानक को ऐसे संगठन द्वारा तैयार करवाएगी जिसको केन्द्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा इसको संदर्भित किये जाने पर अधिसूचना के द्वारा, उसकी ओर से विनिर्दिष्ट करेगी। तथापि, मुम्बई टकसाल के पास निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्ता वाले बाट तथा माप मानक विनिर्मित करने की पर्याप्त क्षमता है। इसके अलावा यह विधिक माप विज्ञान से संबंधित सांविधिक कार्य है जो उपभोक्ता के कल्याण और हितों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। इसलिए निजी पार्टियों से मानक तैयार करवाने का कोई औचित्य और लाभ नहीं है।

भारतीय भेषज क्षेत्र की ओर से आईईएम

2275. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वर्ष 2004-05 के दौरान भारतीय भेषज क्षेत्र की ओर से औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन (आईईएम) प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन आईईएम में दर्शाए गए अनुमानित निवेश और रोजगार का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इनके कब तक पूरा होने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (घ) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (औद्योगिक सहायता सचिवालय) से प्राप्त सूचना के अनुसार, 2004-05 की अवधि के दौरान, सरकार को औषध एवं भेषज सेक्टर से 185 औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन (आईईएम) प्राप्त हुए हैं। इन आईईएम के अनुसार प्रस्तावित निवेश 2020 करोड़ रु. तथा प्रस्तावित रोजगार 19142 है।

राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना

2276. डा. के.एस. मनोज: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक राज्य सरकारों को कई मछुआरा कल्याण योजनाओं का केन्द्रीय सरकार का हिस्सा मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उसके बाद मछुआरा आवास योजना के लिए जारी की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केरल सरकार को इस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार का हिस्सा नहीं दिया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(च) मछुआरों के लिए बचत एवं राहत योजना के उद्देश्य क्या हैं;

(छ) इस योजना के अंतर्गत राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए निर्धारित मानदंड क्या है; और

(ज) इस योजना के अंतर्गत उक्त अवधि के दौरान राज्यों को राज्यवार कितनी सहायता प्रदान की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) प्रस्ताव प्राप्त होने पर राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के तहत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

(ग) कल्याण योजना के तहत मछुआरों के लाभ के लिए घरों के निर्माण के संबंध में विगत तीन वर्षों (2002-05) तथा 2005-06 में 5.8.2005 तक के दौरान स्वीकृत राज्य-वार केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(घ) और (ङ) प्रस्ताव/प्रगति रिपोर्ट के प्राप्त होने पर, केरल सरकार को चालू वित्तीय वर्ष में 5.8.2005 तक के दौरान कल्याण योजना के विभिन्न घटकों के तहत 365.86 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता की मंजूरी प्रदान की है।

(च) कल्याण योजना का बचत-सह-राहत घटक का उद्देश्य मछली की कमी वाले महीनों के दौरान मछुआरों को कुछ हद तक न्यूनतम जीवन-यापन भत्ता प्रदान करने तथा उनमें मत्स्यन के मौसम के दौरान बचत करने की आदत डालना है।

(छ) और (ज) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को प्रस्तावों के प्राप्त होने पर केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। अंतर्देशीय राज्य, जो मानसून अवधि के दौरान मत्स्यन पर प्रतिबंध लगाते हैं, केवल वही बचत-सह-राहत घटक का लाभ लेने के पात्र हैं। वर्ष 2002-05 तथा चालू वित्त वर्ष में 5.8.2005 तक के दौरान राज्यवार स्वीकृत बचत-सह-राहत के तहत केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के घर निर्माण के लिए आदर्श मछुआरा गांव का विकास तथा बचत-सह-राहत घटक के तहत विगत तीन वर्षों (2002-05) तथा चालू वित्तीय वर्ष में 5.8.2005 तक के दौरान राज्य-वार स्वीकृत केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	आदर्श मछुआरा गांव का विकास		बचत-सह-राहत	
		2002-2005	2005-2006	2002-2005	2005-2006
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	355.50	43.75	7.50	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	32.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	4.60	0.00	3.80	0.00
4.	बिहार	98.79	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	49.80	0.00	0.90
6.	दमन एवं दीव	0.00	15.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	63.00	0.00	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	11.83	4.42
9.	जम्मू-कश्मीर	115.05	0.00	0.00	0.00
10.	झारखण्ड	182.00	0.00	0.00	0.00
11.	कर्नाटक	486.52	200.00	136.01	40.00
12.	केरल	250.00	200.00	150.00	150.00
13.	महाराष्ट्र	32.54	0.00	0.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	44.75	0.00	11.25	0.00

1	2	3	4	5	6
15.	मणिपुर	12.52	0.00	0.00	0.00
16.	नागालैण्ड	151.55	0.00	0.00	0.00
17.	उड़ीसा	94.00	184.08	17.72	0.00
18.	पाण्डिचेरी	70.00	0.00	428.34	0.00
19.	राजस्थान	12.25	25.00	0.00	0.00
20.	तमिलनाडु	532.38	0.00	1622.35	84.04
21.	त्रिपुरा	56.72	6.00	0.00	0.00
22.	उत्तर प्रदेश	437.40	100.00	0.00	0.00
23.	उत्तरांचल	6.45	0.00	0.00	0.00
24.	पश्चिम बंगाल	200.00	150.00	120.00	30.00
25.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	4.26	2.94
	कुल	3238.01	973.63	2513.05	312.30

कर्मचारी पेंशन निधि का वार्षिक मूल्यांकन

2277. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने अप्रैल 2000 से मार्च 2003 तक कर्मचारी पेंशन निधि के पांचवें, छठे और सातवें वार्षिक मूल्यांकन पर विचार किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) पांचवीं, छठी और सातवीं वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि की बैठकों में रखी गयी थी। मामले को विचारार्थ नहीं लिया गया और अस्थगित रखा गया है।

(ख) उपर्युक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार को पर्यटन परियोजनाएं

2278. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बिहार सरकार को पर्यटन परियोजनाओं के लिए कोई सहायता राशि जारी की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ग) उक्त परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(घ) इन परियोजनाओं पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है और राज्य सरकार को शेष राशि कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) दसवीं योजना के पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार सरकार को पर्यटन संबंधी परियोजनाओं के लिए स्वीकृत/जारी की गई वित्तीय सहायता का संलग्न विवरण के अनुसार है।

(ग) और (घ) परियोजनाओं की कार्य समाप्ति के लिए निष्पादन एजेंसियों/राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श से परियोजनाओं के आकार के आधार पर एक समय सीमा निर्धारित की जाती है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार समय-समय पर परियोजनाओं के प्रगति की मॉनिटरिंग करता है। परियोजना के लिए शेष निधि उसके लिए पूर्व में जारी की गई किश्त के संबंध में समापन/उपयोगिता प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर ही जारी की जाती है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य को स्वीकृत परियोजनाएं/योजनाएं

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	परियोजना/योजना का नाम	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
	2002-03		
1.	वैशाली-नालंदा-राजगीर-बोधगया-वाराणसी परिपथ का एकीकृत विकास	505.00	505.00
2.	महाबोधि मंदिर, बोधगया में हार्क प्रणाली की स्थापना	12.00	12.00
	2003-2004		
1.	बोधगया में मठों का जोड़ने वाली सड़कों का उन्नयन एवं फुटपाथों/संकेतकों का निर्माण	5.89	5.89
2.	ग्रामीण पर्यटन के अंतर्गत नेपूरा गांव (जिला नालंदा) का विकास	50.00	40.00
3.	गंतव्य विकास योजना के अधीन बिहार में बोधगया (चरण-II) के लिए विकास यौजनाएं	462.00	370.00
4.	बिहार-नालंदा पर्यटक परिपथ के एक भाग के रूप में नव नालंदा महाविहार तीर्थ गंतव्य का विकास	352.00	352.00
5.	बिहारशरीफ, नालंदा में मलिक इब्राहीम ब्यायू गुम्बज के चारों ओर और मंदिर के चारों ओर भूदृश्यांकन विकास के लिए विकास योजना	134.00	134.00
	2004-2005		
1.	बोधगया में न्यू हाई स्कूल भवन का निर्माण और मायासरोवर झील के सामने से विद्यमान हाई स्कूल को हटाना	33.11	33.11
2.	भीमबांध (मुंगेर) में इको पर्यटन विकास	370.00	296.00
3.	मनेर में पर्यटक रिजार्ट का विकास	407.20	325.76
4.	वाल्मिकी नगर (पश्चिम चंपारन) का इको पर्यटन विकास	300.06	240.00
5.	गया में विष्णु विहार का विकास	271.06	216.84
6.	गंतव्य विकास के अंतर्गत मनेर शरीफ, पटना में पर्यटक परिसर का निर्माण	500.00	400.00
7.	नालंदा जिले में नेपुरा-जीओआई-यूएनडीपी अंतर्जात पर्यटन परियोजना	19.80	15.84

[अनुवाद]

पैलेस ऑन व्हील्स

2279. श्री दुष्यंत सिंह: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "पैलेस ऑन व्हील्स" रेलगाड़ी बड़ी संख्या में पर्यटकों विशेषकर विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्यों में ऐसी रेलगाड़ियां चलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या पर्यटन मंत्रालय ने इस मामले में रेलवे से विचार-विमर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी हां।

(ख) रेल मंत्रालय ने महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम (एमटीडीसी) के साथ मिलकर जनवरी, 2004 में 'द डेक्कन ओडिसी' चलाई है। यह महाराष्ट्र तथा गोवा के राज्यों को कवर करती है। उन्होंने एक लक्जरी पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने के लिए, जो कि कर्नाटक तथा गोवा के राज्यों को कवर करेगी, कर्नाटक पर्यटन विकास निगम (केएसटीडीसी) के साथ दिसंबर, 2002 में एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक के किसानों के बीमा दावों का भुगतान

2280. श्री मंजुनाथ कुन्नुर: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 2002-03 के दौरान मालाप्रभा ग्रामीण बैंक तथा सिंडिकेट बैंक द्वारा गलती से 'होबली' लिखे जाने के कारण कर्नाटक में हावेरी जिले के राणेबेन्नुर तालुका के सुनाकल बिदरी तथा व्याडगी तालुका के शिदेनुर में कृषि बीमा कंपनी (ए.आई.सी.) ने किसानों को फसल बीमा के मुआवजे का भुगतान करने से मना कर दिया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) स्कीम में किये गये प्रावधान के अनुसार किसानों के बीमा प्रस्ताव बैंकों द्वारा एकत्र किए जाते हैं और उसके बाद निर्धारित अवधि में बीमा कम्पनी को हस्तांतरित कर दिये जाते हैं। बीमा कम्पनी बीमा प्रस्तावों को स्वीकार करती है बशर्ते वे सभी पहलुओं से पूर्ण हो। हावेरी जिले के राणेबेन्नुर तालुका के सुनाकल बिदरी और व्याडगी तालुका के शिदेनुर में बैंकों ने प्रथम अपूर्ण प्रस्तावों को प्रस्तुत किया जिसे बीमा कम्पनी ने वापस भेज दिया। बैंकों ने सही किए गए प्रस्तावों को बहुत विलम्ब से अर्थात फसल मौसम के दावों के निपटान के बाद पुन: प्रस्तुत किया। भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लिमिटेड ने बीमा प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे कालातीत हो गये थे। तथापि, किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बैंकों से कहा गया है कि वे किसानों के समक्ष फसल हानि से होने वाली स्थिति में वित्तीय जिम्मेदारी को निभायें।

बीज उत्पादन हेतु वित्त प्रदान किये जाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ समझौता

2281. श्री उदय सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड ने बीज उत्पादन हेतु किसानों के वित्त पोषण के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज नहीं मिल रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र में धीमा विकास हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय स्टेट बैंक के नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड के साथ समझौते से किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने में कितनी सहायता मिलेगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी हां, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (एन.एस.सी.) ने बीज उत्पादन हेतु एन.एस.सी. उत्पादकों को वित्त पोषित करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ समझौता किया है।

(ख) दिनांक 13 जुलाई, 2005 से लागू समझौता ज्ञापन का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) जी नहीं, खरीफ, 2005 के दौरान देश में किसानों को उपलब्ध कराये गये प्रमाणित/गुणवत्ता बीज की मात्रा 741950 क्विंटल है जबकि राज्यों द्वारा मूल्यांकित और रिपोर्ट किए गये के अनुसार मांग 5129090 थी।

(घ) समझौता किए जाने के परिणामस्वरूप अपेक्षा की जाती है कि किसानों/उत्पादकों की वित्तीय आवश्यकताओं को उचित रूप से पूरा किया जा सकेगा और वे एन.एस.सी. के उत्पादक कार्यक्रम के तहत बीज उत्पादन के उत्पादन कार्यक्रम को अपनाने के लिए आगे आयेंगे जिससे गुणवत्ता बीजों की उपलब्धता बढ़ेगी।

विवरण

समझौता ज्ञापन

एक भाग के रूप में भारतीय स्टेट बैंक, जो भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के तहत निगमित है और जिसका निगमित कार्यालय मदाम कामा रोड, मुम्बई स्थित है (इसके बाद इसे "बैंक" कहा जाएगा और इस अभिव्यक्ति में जब तक सन्दर्भ अथवा आशय से अन्यथा विरुद्ध न हो इसके उत्तरजीवियों तथा समानुदेशिती को भी शामिल किया जाएगा),

और

दूसरे भाग के रूप में राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, जो कम्पनी अधिनियम के तहत निगमित है (भारत सरकार के स्वामित्व में सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम), जिसका निगमित/रजिस्ट्रीकृत कार्यालय बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-110012 में स्थित है (इसके बाद इसे "राष्ट्रीय बीज निगम" कहा जाएगा, और इस अभिव्यक्ति से जब तक सन्दर्भ अथवा आशय से अन्यथा विरुद्ध न हो, इसके उत्तरजीवियों तथा समानुदेशिती को भी शामिल किया जाएगा)

के बीच

यह समझौता ज्ञापन दिनांक 13 जुलाई, 2005 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित किया गया।

जबकि

एन.एस.सी. की स्थापना भारत में एक अच्छे बीज उद्योग के विकास के लिए की गई है। अन्य बातों के साथ-साथ इसके मुख्य उद्देश्य हैं:

(1) भारत में कृषि जन्य बीजों का उत्पादन, प्रसंस्करण, ड्राइंग, भण्डारण, वितरण और परिवहन की व्यवस्था करना।

(2) कृषि जन्य बीजों का उत्पादन, प्रसंस्करण, भण्डारण, वितरण, परिवहन और बिक्री में व्यक्तियों, सहकारी सोसाइटियों, निगमों और सरकारी एजेन्सियों के साथ समझौता करना।

(3) निगम की ओर से अथवा सहयोग से चलाए जा रहे बीज उद्योग के सभी पक्षों पर निरीक्षण और अन्य साधनों से बीच गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को करना।

(4) भारत में कृषि विकास के लिए आवश्यक किसी भी बीज की सुरक्षित आपूर्ति हेतु इसका भण्डारण और संचय करना।

2. बैंक बीज उत्पादन/प्रसंस्करण/वितरण/बिक्री में लगे किसान, प्रसंस्करणकर्त्ता और वितरक/डीलर को वित्त पोषित करने के इच्छुक हैं।

3. एन.एस.सी. का पूरे भारत में किसानों और वितरकों/डीलरों के व्यापक नेटवर्क तक आसान पहुंच है और इसलिए बैंक से अभ्यावेदन किया है कि वे किसानों, प्रसंस्करणकर्त्ताओं/डीलरों की पहचान करेंगे और ऋण देने की प्रक्रिया में बैंकों का सहयोग करेंगे।

अब यह विलेख निम्नानुसार होगा:

1. एन.एस.सी., एन.एस.सी. द्वारा बीज उत्पादन के लिए किसानों की पहचान हेतु बैंकों की सहायता करेगा।

2. यह कि बैंक अपने विवेक पर आधारी बीज सामग्री की खरीद के उद्देश्य हेतु किसानों के उचित मांगों का वित्त पोषण करेगा और एन.एस.सी. और बैंक के बीच हुए पारस्परिक परामर्श से उत्पादन खर्च कम करेगा, उसके पश्चात् इसे वित्त के मापदण्ड के रूप में समझा जायेगा।

3. एन.एस.सी. किसानों की पहचान करेगा, किसानों को उनके प्रत्यक्ष पत्र और एन.एस.सी. के साथ उनके गत समझौतों के आधार पर चयन करेगा, प्रत्येक किसानों के उत्पादन क्रेडिट आवश्यकताओं की पहचान करने में मदद करेगा, बैंक से ऋण लेने के लिए किसी किसान के लिए आधारभूत पात्रता संबंधी मापदण्ड बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए मापदण्डों के अनुसार होंगे।

4. बैंक एन.एस.सी. को एन.एस.सी. द्वारा चिन्हित कृषकों में से उनके बारे में सूचित करेगा जिन्होंने बैंक की विभिन्न शाखाओं द्वारा वित्तपोषित किया गया है ताकि बैंक में कृषकों द्वारा रखे जा रहे खातों के माध्यम से ही कृषकों को समूची निवल अदायगी की जा सके।

5. बैंक और एन.एस.सी. उत्पादकों के साथ एक लिखित समझौता करेंगे जिसका प्रयोजन बिक्री से होने वाली निवल आय को एन.एस.सी. द्वारा अपनी देय राशि की वसूली के बाद बैंक खाते के माध्यम से दी जाए। उत्पादक एन.एस.सी. के पक्ष में एक प्राधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे कि बिक्री से होने वाली आय बैंक खाते के माध्यम से दी जाए।

6. लिखित समझौते के आधार पर एन.एस.सी. यह दायित्व लेती है कि बैंकों द्वारा वित्त पोषित किए गए और जिनके बारे में एन.एस.सी. को सूचित कर दिया गया है ऐसे कृषकों को किए जाने वाले सभी भुगतान बैंकों की नामित शाखाओं के माध्यम से किए जाएंगे। शाखा और कृषकों की अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए कथित प्रयोजन के लिए बैंक द्वारा नामित शाखाएं चिन्हित की जाएंगी।

7. बैंक एन.एस.सी. द्वारा चिन्हित प्रत्येक उत्पादक के साथ एक अलग करार करेगा और नीतियों को ध्यान में रखते हुए तथा ऋणों की वसूली संबंधी व्यवहार्यता को देखते हुए बैंक की इच्छा पर उन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी।

8. एन.एस.सी. यह दायित्व लेती है कि वह बैंक को ऐसी कोई भी सूचना देगी जिसका ऋणों की वसूली पर सीधा प्रभाव हो सकता है अर्थात् फसलों का नष्ट होना, एन.एस.सी. द्वारा बीजों का अस्वीकार कर दिया जाना अथवा किसानों द्वारा एन.एस.सी. को उत्पाद की आपूर्ति न किया जाना।

9. एन.एस.सी. का दायित्व कृषकों के चिन्हीकरण, उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने तक सीमित है जैसा कि एन.एस.सी. द्वारा बीज की खेती के लिए और बैंक (नामित शाखाओं) द्वारा वित्त पोषित कृषकों को सभी भुगतान बैंकों के माध्यम से करने के लिए किया जा रहा है जो उपरोक्त पैरा 5 और 6 में उल्लिखित है। ऋण संबंधी अच्छी योग्यता रखने वाले किसानों को इस स्कीम में कवर किया जाएगा।

10. एन.एस.सी. के प्रसंस्कों, वितरकों/डीलरों के माध्यम से बीजों के वितरण और बिक्री की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए बैंक उन्हें विद्यमान स्कीम/स्कीमों के अन्तर्गत वित्त पोषित करेगा और यदि अपेक्षित हो, प्रसंस्कों, वितरकों/डीलरों को वित्तपोषित करने के लिए उपयुक्त स्कीम/स्कीमें तैयार करेगा। एन.एस.सी. अपने वितरकों/डीलरों की सूची बैंक को प्रदान करेगा।

11. अनुबंधित खेती व्यवस्था के अन्तर्गत बीज उत्पादन के लिए किसानों को वित्तपोषित करने के लिए प्रचालनात्मक विधियों का ब्यौरा अनुबंध "क" में दिया गया है।

12. एन.एस.सी. तथा बैंक दोनों इस बात पर सहमत है कि वे किसी विज्ञापन अथवा प्रचार सामग्री अथवा किसी अन्य पक्ष से किसी अन्य लिखित पत्र-व्यवहार में ऐसे विरोधी पक्ष की पूर्व लिखित सहमति के बिना दूसरे पक्ष के लोगों, ट्रेड मार्क, कापीराइट अथवा अन्य स्वामित्व संबंधी अधिकारों का उपयोग नहीं करेंगे। समझौता ज्ञापन की समीक्षा इस तारीख से एक वर्ष के बाद की जाएगी और पक्षों की आपसी सहमति से इसे समय-समय पर नवीकृत किया जाएगा। सामान्य स्थिति में, यह समझौता ज्ञापन किसी भी पक्ष द्वारा समाप्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी कारणवश कोई पक्ष इस समझौता ज्ञापन को समाप्त करने का निर्णय लेता है, तो यह दूसरे पक्ष को तीन महीने का नोटिस देगा और इस अवधि के भीतर दोनों पक्ष अपने दायित्व निभाना जारी रखेंगे। इस समझौता ज्ञापन की समाप्ति किसी भी स्थिति में पक्षों को पहले वितरित किए गए ऋणों से उत्पन्न दायित्वों से मुक्त नहीं करेंगे और एन.एस.सी. द्वारा किसानों को देय निवल राशि की मात्रा तक बैंक द्वारा कृषकों को वितरित सभी ऋणों की सन्तोषजनक समाप्ति पर ही यह बन्द माना जाएगा।

इसमें निर्धारित तारीख को इस समझौता ज्ञापन पर दो प्रतियों में इसमें उल्लिखित पक्षों ने साक्षी के रूप में इस पर हस्ताक्षर किए।

राष्ट्रीय बीज निगम लि. की ओर से	भारतीय स्टेट बैंक की ओर से
ह०/-	ह०/-
(बी.बी. पटनायक)	(अनूप बैनर्जी)
प्रबंध निदेशक	मुख्य महा प्रबन्धक
(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता)	(प्राधिकृत अधिकारी)

अनुबंध "क"

समझौता ज्ञापन

भारतीय स्टेट बैंक एवं राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की प्रचालनात्मक व्यवस्था

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (एन.एस.सी.) की भूमिका

अनुबंधित खेती के अन्तर्गत किसानों को वित्त पोषण संबंधी स्कीम का कार्यान्वयन राष्ट्रीय बीज निगम (एन.एस.सी.) के देश

में विभिन्न स्थानों पर स्थित 11 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं 81 प्रक्षेत्र कार्यालयों के माध्यम से किया जाएगा। राष्ट्रीय बीज निगम इस बैंक को अधिमान्य बैंक का दर्जा देगा।

(क) फसलों का चयन : बीज उत्पादन हेतु अनुबंधित खेती के अन्तर्गत उगाई जाने वाली फसलों/बीजों की किस्मों को राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा अभिज्ञात किया जाएगा।

(ख) किसानों का चयन : राष्ट्रीय बीज निगम उत्पादकों का चयन करेगा और बीज उत्पादन के प्रयोजनार्थ उन्हें सदस्यों के रूप में सूचीबद्ध करके, चयनित किसानों की सूची बैंक को उपलब्ध कराएगा।

(ग) उत्पादकों का चयन हो जाने पर राष्ट्रीय बीज निगम के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा बैंक की वित्त पोषण शाखाओं एवं उत्पादकों की संयुक्त बैठक के आयोजन में सहायता की जाएगी।

(घ) विस्तार सेवाओं जैसे गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री की आपूर्ति एवं अच्छी गुणवत्ता के बीजों के उत्पादन के लिए किसानों को समुचित प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

(ङ) राष्ट्रीय बीज निगम के पास विस्तार कर्मचारियों का एक दल होगा, जो अच्छी गुणवत्ता के बीजों का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए फसल के विभिन्न चरणों के दौरान किसानों के सतत सम्पर्क में रहेगा।

(च) उत्पादकों द्वारा उत्पादित बीजों के गुणवत्ता परीक्षण सहित फसल कटाई पूर्व तथा फसलोपरान्त प्रौद्योगिकी की व्यवस्था राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा की जाएगी।

(छ) राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने वाले बीजों की खरीद की व्यवस्था राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा ही सुनिश्चित की जाएगी। उत्पादित बीजों के मूल्य का निर्णय भी राष्ट्रीय बीज निगम करेगा।

(ज) राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा अपनी बकाया राशि की वसूली के बाद बिक्री से प्राप्त राशि, बैंक की संबंधित शाखाओं को संबंधित उत्पादकों के खाते में जमा करने के लिए उन्हें सौंप दी जाएगी।

(झ) अनुबंधित खेती व्यवस्था के अन्तर्गत वित्त पोषित उत्पादकों के मामले में इस समझौता ज्ञापन की समाप्ति से राष्ट्रीय बीज निगम की वचनबद्धता उन्हें संवितरित ऋण के मामले में समाप्त नहीं होगी और यह तभी समाप्त होगी जब बैंक द्वारा संवितरित सभी ऋणों का सन्तोषजनक रूप से परिसमापन हो जाए और उत्पादक अपना समस्त उत्पाद राष्ट्रीय बीज निगम को दे दें और राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा अपनी बकाया राशि की वसूली कर ली जाए।

बैंक की भूमिका

बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिए उत्पादकों हेतु वित्त पोषण स्कीम का कार्यान्वयन देश में विभिन्न स्थानों पर स्थित बैंक के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालयों/स्थानीय प्रमुख कार्यालयों के माध्यम से किया जाएगा।

फसलों/क्षेत्रों/किसानों के अंतिम चयन के बाद बैंक निम्नलिखित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा:

(क) वित्त पोषण का पैमाना

अनुबंधित खेती के तहत आने वाले किसान चयनित फसलों/किस्मों के उत्पादन के लिए राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा निर्धारित उन्नत पैकेज एवं उत्पादन प्रौद्योगिकी अपनाएंगे। आदान लागत सामान्य फसल उत्पादन की लागत से अधिक होने की आशा है। उचित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुबंधित खेती के अन्तर्गत कवर किए गए किसानों हेतु बैंक द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा निर्धारित करते समय अपनाने के लिए विशेष वित्तीय पैमाना तैयार किया जाएगा।

(ख) सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसानों के वित्तपोषण के लिए सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण में शिथिलता प्रदान की गई है। चूंकि राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा इसका प्रचालन एक व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में किया जाएगा, अत: अनुबंधित खेती में कवर किए जाने वाले गांवों के समूह/किसानों का चयन बैंक द्वारा राष्ट्रीय बीज निगम के परामर्श से किया जाएगा।

(ग) अन्य बैंकों से बेबाकी प्रमाण पत्र (नो ड्यूज)

एकाधिकार वित्त पोषण से बचने के लिए बैंक की विभिन्न शाखाओं द्वारा बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

(घ) सुरक्षा मापदंड

चूंकि, उत्पादकों को फसल ऋण, एन.एस.सी. के साथ अनुबंधित कृषि व्यवस्थाओं के अंतर्गत कवर किए जाएंगे, समपार्श्विक प्रतिभूति 1.00 लाख रु. की सीमा तक दी जाएगी।

(ङ) अन्य एजेंसियों से उधार लेना

अनुबंधित कृषि व्यवस्थाओं के अन्तर्गत फसल ऋण उत्पादकों को दिया जाएगा, यदि वे किसी सहकारी समिति/सहकारी भूमि/बंधक बैंकों से कृषि आवधिक ऋण ले चुके हैं, बशर्ते वे उन एजेंसियों के चूककर्ता नहीं हैं।

(च) अन्य बैंकों से किसानों द्वारा ऋण लिया जाना

अनुबंधित कृषि के लिए चुने गए उत्पादकों में से कुछ उत्पादक फसल उत्पादन के लिए अन्य बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अन्य बैंकों से ऐसे प्राप्त किए गए फसल ऋणों को बैंक के निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार अपने बैंक में लिया जा सकता है।

(छ) प्राप्तियों के लिए वित्त पोषण

बैंक उत्पादकों को उनके द्वारा एन.एस.सी. से ली गई अल्पावधि प्राप्तियों के वित्त-पोषण पर भी विचार कर सकता है। यदि अपेक्षित हो, तो उसके लिए बैंकों की शाखाओं के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त स्कीम तैयार की जाएगी।

फसल विविधीकरण परियोजना

2282. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
श्री सुरेश कलमाडी:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने फसल विविधीकरण परियोजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) महाराष्ट्र राज्य के लिए फसल विविधीकरण परियोजना के लिए अतिरिक्त कार्य योजना प्रस्ताव, वृहद प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत प्राप्त हुआ था। चूंकि यह स्कीम का अनुमोदित घटक नहीं था, अत: वर्ष 2004-05 के लिए कुल कार्य योजना आकार के 10% तक ही नए कार्यक्रमों के लिए कोष प्रदान किये जा सकते थे। चूंकि, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 के लिए अपनी कुल कार्य योजना आकार के 10% तक नए कार्यक्रमों के लिए पहले ही कोष प्रदान कर दिए गए हैं, अत: इस परियोजना पर विचार नहीं किया जा सकता।

कर्नाटक हेतु कृषि निर्यात क्षेत्र की स्थापना

2283. **श्री के. विरूपाक्षप्पा:** क्या **कृषि मंत्री** 2 मई, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5595 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक सरकार द्वारा सुगंधित औषधीय पादपों, डाय प्लांट्स, अंगूर, आम, नींबू, अनार और आलू के लिए कृषि निर्यात क्षेत्र की स्थापना हेतु भेजे गए प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विषय निर्वाचन समितियों ने इस प्रयोजनार्थ धनराशि की स्वीकृति हेतु अनुमोदन कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विद्यमान कृषि निर्यात जोनों का मूल्यांकन सरकार द्वारा किया जा रहा है। प्रस्ताव पर संचालन समिति तब तक विचार नहीं करेगी, जब तक मूल्यांकन पूर्ण नहीं हो जाता।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन

2284. **श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:**
श्री श्रीचन्द कृपलानी:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मिशन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तिलहन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान और महाराष्ट्र सहित देश में विभिन्न राज्यों में कितनी मात्रा में तिलहन का उत्पादन किया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) तिलहनों के उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि करने और खाद्य तेलों के आयात में कमी लाने के उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित किया था। देश में तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए इस प्रौद्योगिकी मिशन के अन्तर्गत 28 राज्यों में केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओ.पी.पी.) का कार्यान्वयन मार्च, 2004 तक किया गया। तिलहन, दलहन, मक्का प्रौद्योगिकी तकनीकी मिशन को 1 अप्रैल, 2004 से बंद कर दिया गया।

क्षेत्रीय रूप से भिन्न दृष्टिकोण के आधार पर राज्यों को कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करने, फसल विविधिकरण को प्रोत्साहन देने और कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए तिलहन एवं दलहन प्रौद्योगिकी मिशन (टी.एम.ओ.पी.) के अंतर्गत चार स्कीमों यथा तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओ.पी.पी.), राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (एन.पी.डी.पी.), त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम (ए.एम.डी.पी.) और आयल पाम विकास कार्यक्रम (ओ.पी.डी.पी.) में संशोधन करने इनका विलय तिलहन, दलहन, मक्का तथा आयल पाम से संबंधित समेकित स्कीम (आईसोपाम) नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में कर दिया गया है, जिसका कार्यान्वयन देश में तिलहन की खेती वाले 14 प्रमुख राज्यों में 1 अप्रैल, 2004 से किया जा रहा है।

(ग) किसानों को तिलहन की खेती बड़े पैमाने पर करने को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम, जिसका कार्यान्वयन 2003-04 तक किया गया, के अंतर्गत विभिन्न आदानों जैसे प्रजनक बीजों की खरीद, आधारी बीजों के उत्पादन, प्रमाणित बीजों के उत्पादन एवं वितरण, बीज मिनिकिटों, पौध संरक्षण उपकरणों आदि के लिए सहायता दी गई। आइसोपाम, जिसका कार्यान्वयन 2004-05 से देश में तिलहन की खेती वाले 14 प्रमुख राज्यों में किया जा रहा है, के तहत, प्रजनक बीजों की खरीद आधारी बीजों के उत्पादन, प्रमाणित बीजों के उत्पादन एवं वितरण, बीज मिनिकिटों के वितरण, पौध संरक्षण रसायनों के वितरण, पौध संरक्षण उपकरणों, खर-पतवारनाशियों, राइजोबियम कल्चर/फास्फेट घुलनशील बैक्टिरिया की आपूर्ति, जिप्सम/पाइराइट/लाइमिंग/डोलोमाइट के वितरण, छिड़काव यंत्रों एवं जल वाहक पाइपों के वितरण, प्रचार आदि के लिए सहायता दी जाती है, ताकि किसानों को तिलहन की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

किसानों में उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी से संबंधित जानकारी के प्रचार-प्रसार के लिए राज्य के कृषि विभाग द्वारा ब्लाक प्रदर्शनों एवं समेकित कीट प्रबंध (आई.पी.एम.) प्रदर्शनों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) द्वारा फ्रंट लाइन प्रदर्शनों का आयोजन किया जाता है।

(घ) वर्ष 2001-02 से 2003-04 तक राजस्थान व महाराष्ट्र सहित देश में तिलहन के उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

वर्ष 2001-02 से 2003-04 तक तिलहन फसलों का राज्य-वार उत्पादन

उत्पादन (लाख मीटर टन)

राज्य	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	16.14	12.56	16.15
अरुणाचल प्रदेश	0.28	0.28	0.27
असम	1.56	1.49	1.58
बिहार	1.20	1.04	1.25

1	2	3	4
छत्तीसगढ़	1.12	1.01	1.19
गोवा	0.02	0.04	0.06
गुजरात	36.35	16.83	56.65
हरियाणा	8.07	7.12	9.90
हिमाचल प्रदेश	0.10	0.08	0.09
जम्मू-कश्मीर	0.42	0.27	0.41
झारखण्ड	0.28	0.08	0.08
कर्नाटक	10.20	10.74	10.39
केरल	0.02	0.01	0.03
मध्य प्रदेश	45.68	31.44	55.86
महाराष्ट्र	22.26	23.56	29.53
मणिपुर	—	0.01	0.01
मेघालय	0.06	0.06	0.06
मिजोरम	0.05	0.05	0.05
नागालैण्ड	0.53	0.74	0.50
उड़ीसा	1.37	0.94	1.57
पंजाब	0.83	0.91	1.02
राजस्थान	31.29	17.55	39.95
सिक्किम	0.07	0.07	0.07
तमिलनाडु	13.13	7.60	10.00
त्रिपुरा	0.04	0.04	0.04
उत्तर प्रदेश	10.34	8.81	9.28
उत्तरांचल	0.18	0.23	0.34
पश्चिम बंगाल	4.95	4.76	6.51
दादरा और नगर हवेली	0.03	0.01	—
दिल्ली	0.03	0.02	0.02
पांडिचेरी	0.02	0.03	0.04
अखिल भारत	206.62	148.38	252.90

[अनुवाद]

कोयला खानों द्वारा वन भूमि का उपयोग

2285. श्री विकास चौधरी:
श्री जसुभाई दाभाभाई बारड़:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लौह अयस्क खनन के संबंध में नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कोयला खानों/अन्य उपक्रमों को वन भूमि का कितना क्षेत्र दिया गया;

(घ) क्या सरकार ने कभी इन कार्यकलापों के कारण होने वाले पर्यावरणीय प्रभावों की समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो पर्यावरणीय क्षति का ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) जहां तक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का संबंध है मंत्रालय में लौह अयस्क खनन पर नीति बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) 1980 से अब तक विभिन्न राज्यों में विविध खनन परियोजनाओं के लिए 93,845.25 हैक्टेयर वन भूमि का वनेतर उपयोग किया गया है। इसमें से 36,674.91 हैक्टेयर वनभूमि का वनेतर उपयोग कोयला खानों के लिए किया गया है।

(घ) और (ङ) खनन कार्यों से ऊपरी मिट्टी की क्षति, मिट्टी कटाव, वनस्पतिजात पर बुरा प्रभाव एवं सूक्ष्म पर्यावास, वायु प्रदूषण और कभी-कभी भूमिगत जल तालिका पर प्रभाव पड़ता है। खनन के प्रतिकूल प्रभावों को कम से कम करने के प्रयोजन से खनन परियोजनाओं के लिए वानिकी मंजूरी प्रदान करते समय प्रयोक्ता एजेंसी को खनन क्षेत्र के आस-पास प्रतिपूरक वनीकरण करने और सुरक्षित क्षेत्र वृक्षारोपण का सृजन करने का निर्देश दिया जाता है। इसके अलावा प्रयोक्ता एजेंसी के लिए वनीकरण के माध्यम से कूड़ा करकट के ढेरों को एक जगह स्थिर करना जिसमें खनिज क्षेत्र को पुन: भरकर पुनरूद्धार करना और उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाना अपेक्षित है। प्रयोक्ता एजेंसी के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन का निष्पादन करना और पर्यावरण प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन करना भी अपेक्षित है।

[हिन्दी]

प्रदूषण के कारण मृत्यु

2286. श्री एम. अंजनकुमार यादव: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र ने अपने हाल ही के अध्ययन में देश के प्रमुख शहरों में पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण बड़ी संख्या में होने वाली मृत्यु का रहस्योद्घाटन किया है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान मृत्यु की संख्या में वृद्धि की तुलना में पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित प्रतिशत में कुल वार्षिक वृद्धि दर्शाते हुए तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उस पर्यावरणीय प्रदूषण को बढ़ने से रोकने के लिए क्या रणनीति बनाई जा रही है जिसके कारण प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु होती हैं; और

(घ) इस कार्य में कितनी धनराशि लगी हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र, एक गैर-सरकारी संगठन ने हाल ही में ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है जिसमें देश के प्रमुख शहरों में पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण बड़ी संख्या में हुई मृत्यु का रहस्योद्घाटन किया गया हो। तथापि, विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र द्वारा स्वास्थ्य पर वायु-प्रदूषण के कुप्रभावों के बारे में वर्ष 1997 में एक अध्ययन किया और भारत के कुछ नगरों में रुग्णता और मर्त्यता के बढ़े हुए प्रभाव का पता लगाया। विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र ने वर्ष 2004 में पंजाब के कुछ गांवों में कीटनाशी प्रभावन के संबंध में एक अध्ययन किया और रक्त के नमूनों में कीटनाशी अवशेषों का पता लगाया। तथापि, पर्यावरण प्रदूषण और रुग्णता एवं मर्त्यता प्रभावों के बीच कारण-प्रभाव स्थापित करने हेतु कोई निर्णायक वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार पिछले दो वर्षों के दौरान कुछ महानगरों में नाइट्रोजन आक्साइड और अन्त: श्वसनीय

निलम्बित विविक्त पदार्थों को छोड़कर प्रमुख नगरों के रिहायशी इलाकों में वायु प्रदूषण वृद्धि की कोई निश्चित प्रवृत्ति नहीं देखी गई।

(ग) और (घ) पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण हेतु अंगीकृत रणनीतियों में शामिल हैं: प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यापक नीति, सी.एन.जी. सहित उन्न आटो-ईंधन की आपूर्ति, वाहन और औद्योगिक उत्सर्जन मानकों को कड़ा बनाना, विनिर्दिष्ट उद्योगों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति को अनिवार्य बनाना, नागर और जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करना, वायु और जल गुणता मानीटरी केन्द्रों का नेटवर्क स्थापित करना, नदी और झील संरक्षण कार्यक्रम, प्रदूषण भार मूल्यांकन और स्रोत संविभाजन अध्ययन, प्रमुख नगरों और अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाएं तैयार करना और उनका कार्यान्वयन। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस मंत्रालय को दिए गए लगभग 487 करोड़ रुपये के बजटीय आबंटन में प्रदूषण मानीटरी एवं नियंत्रण खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन, साझा बहि:स्राव शोधन संयंत्र, नदी और झील संरक्षण कार्यक्रम, विकासात्मक परियोजनाओं का पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों आदि से विभिन्न प्लान स्कीमों को चलाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय और राज्य स्तरों पर अन्य संबंधित मंत्रालयों और विभागों के बजटीय आबंटनों में भी पर्यावरण संरक्षण और सुधार हेतु योजनाएं शामिल हैं।

[अनुवाद]

पर्यावरण अनुकूल कायर-रैटिंग हेतु परियोजना प्रस्ताव

2287. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय के पास पर्यावरण अनुकूल कायर-रैटिंग संबंधी केरल सरकार से प्राप्त कोई परियोजना प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लम्बित है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) जी, हां। क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (आर.आर.एल.), तिरुवनन्तपुरम ने केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से "प्रदूषण मुक्त प्रचालन और कम हुए व्यवहारिक स्वास्थ्य जोखिमों हेतु पर्यावरण अनुकूल क्लोज्ड कायर-रैटिंग" नामक एक प्रदर्शन परियोजना स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव इस मंत्रालय में परीक्षाधीन है।

केन्द्रीय राज्य कृषि फार्म

2288. श्री प्रदीप गांधी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में केन्द्रीय राज्य कृषि फार्मों (सी.एस.ए.एफ.) की कुल संख्या स्थानवार कितनी है;

(ख) देश में विशेषत: मध्य प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय राज्य कृषि फार्मों (सी.एस.ए.एफ.) की कुल आय कितनी है;

(ग) इन 'सी.एस.ए.एफ.' के घाटे में चलने के क्या कारण हैं; और

(घ) आय में वृद्धि हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) भारतीय राज्य फार्म निगम सूरतगढ़, सरदारगढ़ और जेतसर (राजस्थान) हिसार (हरियाणा), बहराईच (उत्तर प्रदेश), रायचूर (कर्नाटक), चेंगम (तमिलनाडु), रायबरेली (उत्तर प्रदेश) स्थित 8 केन्द्रीय राज्य कृषि फार्मों का प्रबन्धन करता है।

(ख) फार्म वार आय/व्यय/लाभ तथा हानि विवरण में संलग्न है। तथापि, निगम का मध्य प्रदेश में कोई फार्म नहीं है।

(ग) हानियों के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ सूखे, बाढ़ (मानसून की अनियमितताएं) जैसे जोखिम, अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, स्टाफ के खर्चों में वृद्धि, कार्यकारी पूंजी की कमी; ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज के बोझ में वृद्धि आदि शामिल हैं।

(घ) भारतीय राज्य फार्म निगम के माध्यम से सरकार द्वारा किए गए उपाय है: (1) अतिरिक्त जन-शक्ति में कटौती के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम (वी.आर.एस.)/स्वैच्छिक वियुक्ति स्कीम (वी.एस.एस.) का कार्यान्वयन; (2) व्यय में अत्यधिक अति संयमी उपाय; (3) उच्च मूल्य वाली फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि, उन्नत वैज्ञानिक कृषि पद्धतियां अपनाना; (4) जैव-ईंधन पौध रोपण और सामाजिक वानिकी स्थापित करने के लिए बंजर भूमि विकास के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाना; (5) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की पुन:संरचना के लिए बोर्ड को प्रस्तुत प्रस्तावों को पुन: सक्रिय करना/पुन: संरचित करना।

विवरण

भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड

गत तीन वर्षों में फार्म-वार लाभ तथा हानि

(लाख रुपये)

क्र.सं.	फार्म का नाम	आय			व्यय			लाभ/हानि (+)/(-)		
		2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05
1.	सूरतगढ़	1542.32	1559.38	1136.09	1295.47	1473.77	1502.48	246.85	85.61	-366.39
2.	सरदारगढ़	1169.98	1142.94	921.30	956.64	1041.74	1020.00	213.34	101.20	-98.70
3.	जैतसर	642.31	940.28	873.64	801.96	784.28	889.06	-159.65	156.00	-15.42
4.	हिसार	1031.75	953.26	727.72	894.64	932.36	798.53	137.11	20.90	-70.81
5.	बहराईच	630.48	754.48	740.00	788.42	841.93	932.90	-157.94	-87.45	-192.90
6.	रायचूर	170.98	121.88	195.73	286.51	311.68	380.51	-115.53	-189.80	-184.78
7.	चेंगम	14.38	2.38	-5.39	143.19	111.38	27.71	-128.81	-109.00	-33.10
8.	रायबरेली	-0.47	0.85	1.20	23.10	19.30	11.38	-23.57	-18.45	-10.18

वर्षा जल संचयन हेतु अनुदान

2289. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही वर्षा जल संचयन योजनाओं हेतु अनुदान सहायता देने के लिए केन्द्र सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत आज तक प्रत्येक राज्य को दी गयी अनुदान सहायता का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

थोक दवा विनिर्माण इकाइयां

2290. श्री वल्लभभाई कथीरिया: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में कार्यरत प्रमुख थोक दवा विनिर्माण इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) चयनित क्षेत्रों/इलाकों में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए केन्द्र और राज्यों द्वारा क्या-क्या वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा रहा है अथवा हतोत्साहित किया जा रहा है; और

(ग) इसका उत्पादन, गुणवत्ता और लागत प्रतिस्पर्धा पर क्या दीर्घकालीन प्रभाव पड़ेगा?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) देश में संगठित क्षेत्र तथा लघु उद्योग क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में काफी अधिक संख्या में एकक औषधों एवं संबद्ध मदों के विनिर्माण में लगे हैं। औषध एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 के प्रावधानों और उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, औषधों का विनिर्माण तथा उनकी बिक्री को विनियमित किए जाने की जिम्मेवारी मुख्यत: राज्य सरकारों की हैं।

(ख) विशिष्ट इलाकों/क्षेत्रों में विनिर्माण एककों की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न वित्तीय एवं गैर-वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल में नए एककों पर लागू उत्पाद शुल्क की दर, दिनांक 9.7.04 की अधिसूचना संख्या 27/2004-सीई के माध्यम से संशोधित दिनांक 10.6.2003 की अधिसूचना सं. 49/2003-सीई के अनुसार

'शून्य' है। इसी प्रकार, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर तथा कच्छ (गुजरात) के विशिष्ट क्षेत्रों में स्थित एककों द्वारा विनिर्मित विशिष्ट वस्तुओं के मामले में भी उत्पादन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।

(ग) सरकार द्वारा समय-समय पर अपनाए गए विभिन्न वित्तीय गैर-वित्तीय उपायों/प्रोत्साहनों के फलस्वरूप मार्मा क्षेत्र पर उत्पादन, गुणवत्ता एवं लागत संबंधी प्रतिस्पर्धा के परिप्रेक्ष्य में पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। इसके परिणामस्वरूप, प्रपुंज औषधों एवं सूत्रयोगों के विनिर्माण के लिए नए निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, अनुसंधान एवं विकास कार्य हेतु सुविधाएं स्थापित हुई हैं, विश्वस्तरीय विनियमों के अनुसार गुणवत्ता में वृद्धि हुई है और सबसे महत्वपूर्ण घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुई है तथा लागत प्रतिस्पर्धी तरीके से पूरे विश्व में और अधिक स्थानों पर निर्यात में बढ़ोतरी हुई है।

अंडमान और निकोबार में पर्यटन स्थलों का विकास

2291. श्री मनोरंजन भक्त: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा स्थलों की पहचान करने और उन्हें पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कोई नियम बनाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सी.एन.जी. का पर्यावरण पर प्रभाव

2292. श्री सी.एच. विजयशंकर:
डा. के. धनराजू:
श्री रघुराज सिंह शाक्य:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वाहनों में "सी.एन.जी." के इस्तेमाल से दिल्ली के पर्यावरण में हुए सुधार का आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की अन्य बड़े शहरों में भी डीजल के स्थान पर सी.एन.जी. के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) सी.एन.जी. के आने के वर्षों के बाद वर्ष 2003 और 2004 के लिए परिवेशी वायु गुणवता के अनुसार दिल्ली के व्यस्ततम ट्रैफिक बिन्दु आई.टी.ओ. पर विविक्त कण पदार्थ (एस.पी.एम.), श्वसनीय विविक्त कण पदार्थ (आर.एस.पी.एम.) मोनोआक्साइड (सी.ओ.) जैसे प्रदूषकों के स्तर में कमी का संकेत मिलता है। तथापि, परिवेशी वायु गुणता मानकों में हाइड्रोजन के आक्साइडों (NOx) और कण पदार्थ का स्तर अभी भी बढ़ा हुआ है। यह वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण हो सकता है।

(ग) और (घ) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, देश के 16 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों ने परिवेशी वायु गुणता में सुधार के लिए कार्य योजनाएं तैयार की हैं। कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (सी.एन.जी./लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) इत्यादि जैसे स्वच्छतर ईंधनों का उपयोग करना कार्य योजनाओं के अपेक्षित कदमों में से एक हैं।

कावेरी में पानी नहीं छोड़े जाने का प्रभाव

2293. श्री के. सुब्बारायण: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि गत चार वर्षों से कावेरी से पानी नहीं छोड़े जाने के कारण तमिलनाडु में कावेरी नदी बेल्ट में बड़ी संख्या में कृषि मजदूर और कृषक अपनी आजीविका गवां बैठे है;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार प्रभावित कृषि मजदूरों और कृषकों को क्षतिपूर्ति देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र में दोगुना उत्पादन हेतु योजना

2294. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि क्षेत्र में वर्तमान चुनौतियों को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन को दोगुना करने संबंधी कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान कृषि का अनुमानित उत्पादन कितना है;

(ग) क्या सरकार उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों की सहायता करने हेतु कृषि क्षेत्र को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने पर विचार कर रही है;

(घ) क्या ऐसे राज्यों की पहचान की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) कृषि के महत्व को ध्यान में रखते हुए दसवीं पंचवर्षीय योजना में भूमि एवं जल संसाधनों की उत्पादकता को सतत आधार पर बढ़ाने पर बल दिया गया है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कृषि में फसल गहनता (क्रापिंग इन्टेंसिटी) बढ़ाने पर जोर दिया गया है। चूंकि कृषि में रोजगार व आय बढ़ाने में बागवानी की भूमिका उल्लेखनीय है, अत: वर्ष 2011-12 तक बागवानी उत्पादन को दोगुना करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में भी इस तथ्य पर बल दिया गया है कि कृषि वृद्धि में तेजी लाने की कार्यनीति में कृषि विविधिकरण को एक प्रमुख तत्व के रूप में शामिल किया जाए, जिसके लिए अनेक क्षेत्रों में कार्रवाई जरूरी है:

* विविधिकरण अंचल/क्षेत्र उन्मुखी हो, अर्थात कृषि जलवायु क्षेत्र पर ध्यान दिया जाए।

* कृषि भूमि पर अनाज के स्थान पर गैर-अनाज (नान सिरियल) फसलों की खेती (कृषि आय तथा रोजगार, दोनों में वृद्धि के लिए) तथा अनाज की प्रति व्यक्ति पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अनाज की उत्पादकता में वृद्धि।

* बागवानी फसलों की खेती के साथ-साथ विपणन व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित करना, जिसमें विपणन में निजी क्षेत्र की सहभागिता, डाऊन स्ट्रीम फूड प्रोसेसिंग का प्रोत्साहन देना तथा अनुसंधान को मंडी संबंधी आवश्यकताओं से सम्बद्ध करना शामिल है।

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में वर्ष 2005-06 के दौरान वानिकी, लागिंग तथा मात्स्यिकी के सम्बद्ध क्षेत्रों सहित कृषि में 4% की वृद्धि दर प्रक्षेपित की गयी है।

(ग) से (ङ) चूंकि देश के निवल बुआई क्षेत्र में विस्तार की गुंजाइश बहुत सीमित है, अत: अन्तर फसल (इन्टर क्रापिंग) व बहु फसलन (मल्टिपल क्रापिंग) के माध्यम से फसलों के कवरेज को बढ़ाने के साथ-साथ नवीनतम उपलब्ध प्रौद्योगिकी के अन्तरण द्वारा फसल उत्पादकता में वृद्धि करने पर बल दिया गया है। निम्नलिखित स्कीमों, जिनमें कृषि क्षेत्र/किसानों को सहायता प्रदान की जाती है, का कार्यान्वयन कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता है:

1. गहन कपास विकास कार्यक्रम (कपास प्रौद्योगिकी मिशन के तहत मिनी मिशन-II)-इसका कार्यान्वयन आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, प. बंगाल एवं त्रिपुरा में किया जा रहा है।

2. पूर्वी भारत में फसल उत्पादन में वृद्धि हेतु खेतों पर जल प्रबंध—इस स्कीम का कार्यान्वयन असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, प. बंगाल तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है।

3. कृषि का वृहद प्रबंध-इसमें अनाज, गन्ना तथा पटसन आदि से संबंधित समेकित विकास कार्यक्रम शामिल हैं। वृहद प्रबंध के अंतर्गत सहायता पैटर्न केन्द्र व राज्य के बीच 90:10 है, सिवाय पूर्वोत्तर राज्यों के, जिन्हें 100% केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त कार्यक्रमों/स्कीमों का उद्देश्य राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार कृषि क्षेत्र के उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि करना है।

गैस पीड़ितों हेतु योजनाओं के लिए केन्द्र के हिस्से को जारी करना

2295. श्री कृष्णा मुरारी मोघे:
डा. रामलखन सिंह:
श्री विजय कुमार खण्डेलवाल:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों हेतु शुरू की जा रही योजनाओं का व्यय केन्द्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्रमश: 75 और 25 प्रतिशत के अनुपात में उठाया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा कुल व्यय के 75 प्रतिशत का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने भोपाल गैस पीड़ितों के चिकित्सकीय, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पुनर्वास के लिए 163.10 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय सहित एक पंचवर्षीय कार्य योजना स्वीकृत थी। इस परिव्यय को बाद में चरणबद्ध रूप से बढ़ाकर 258 करोड़ रु. कर दिया गया। उक्त परिव्यय में भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी का अनुपात 75: 25 था। केन्द्र सरकार द्वारा अपना समस्त हिस्सा 193.50 करोड़ रु. पहले ही जारी कर दिया गया है और कार्य योजना वर्ष 1999-2000 में पूरी हो गई है।

जल स्तर में गिरावट

2296. श्री मो. ताहिर:
श्री मुन्नी राम:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र और 'वर्ल्डवाच इस्टीच्यूट' ने भारत में जल स्तर में गिरावट के कारण पेयजल की कमी के बारे में अपनी रिपोर्ट में देश में गंभीर जल संकट उत्पन्न होने की आशंका जाहिर की है जैसा कि 15 जून, 2005 के 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जल संकट झेल रहे ऐसे राज्यों के जिलों में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(घ) यदि हां, तो कितने राज्यों की पहचान की गयी है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (घ) जी, हां। जल संसाधन मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा वर्ष 1995-2004 के दौरान किए गए भूजल स्तर के एक दीर्घावधि विश्लेषण से 23 राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों के 362 जिलों में भूमि जल स्तर में उल्लेखनीय कमी (20 सेंटीमीटर/वर्ष से अधिक) का पता चलता है। भूजल स्तर में गिरावट पेयजल में कमी का एक कारण है।

'जल' राज्य का विषय होने के कारण जल संसाधनों के संवर्धन के लिए योजनाओं का प्रतिपादन करना मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों का दायित्व है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने "भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर योजना" नामक एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें 39.25 लाख कृत्रिम पुनर्भरण और छत के वर्षा जल संचयन संबंधी संरचनाओं के निर्माण के माध्यम से 36453 मिलियन घनमीटर अधिशेष मानसून अपवाह के पुनर्भरण की योजना है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने आठवीं योजना और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में भूजल के पुनर्भरण के अध्ययन के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम को कार्यान्वित किया है। इस संबंध में केन्द्र सरकार, द्वारा निम्नलिखित उपाय भी किए गए हैं:

(1) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 1970 में एक माडल बिल का परिचालन किया गया जिसे 1992 और 1996 में पुन: परिचालित किया गया ताकि वे भूजल विकास के विनियमन और नियंत्रण के लिए उपयुक्त कानून बना सके। भूजल के विकास और प्रबंधन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए एक संशोधित माडल बिल, 2005 सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पुन: परिचालित किया गया है।

(2) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मैन्युअल/दिशा निर्देशों का परिचालन करना ताकि वे भूजल स्तरों में गिरावट के रूख को रोकने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमें तैयार कर सकें।

(3) केन्द्रीय मंत्रालयों/रेल, रक्षा, डाक, दूरसंचार, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विभागों से यह अनुरोध किया गया है कि वे अपने

नियंत्रणाधीन भवनों में छत के वर्षा जल संचयन संबंधी संरचनाएं उपलब्ध कराएं।

(4) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले भवनों पर जल संचयन संरचनाएं उपलब्ध कराएं।

(5) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में आने वाले स्थानीय निकायों को यह सलाह दें कि जो व्यक्ति अपने अहाते/परिसर में छत के वर्षा जल संचयन को अपना रहे हैं उन्हें संपत्ति कर में छूट दी जाए।

(6) सीजीडब्ल्यूबी ने राज्य सरकार अभिकरणों, शैक्षणिक संस्थानों, निजी उद्यमों और व्यक्तियों सहित लगभग 2000 अभिकरणों को वर्षा जल संचयन के संबंध में तकनीकी दिशानिर्देश मुहैया कराये हैं।

(7) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत गठित केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) ने भूजल संसाधनों के अति दोहन को ध्यान में रखते हुए 11 नाजुक क्षेत्रों और भूजल संरचनाओं के पंजीकरण के लिए 32 अतिदोहित क्षेत्रों को अधिसूचित किया है।

(8) वर्षा जल संचयन की विभिन्न तकनीकों और भविष्य में उपयोग के लिए इसके भंडारण के संबंध में जनता को जागरूक और शिक्षित करने के लिए छत के वर्षा जल संचयन पर एक वेबसाइट (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. सीजीडब्ल्यूबी.नेट) की शुरूआत करना।

(9) वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी जन-जागरूकता कार्यक्रमों और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन।

(10) युवा और बच्चों, महिलाओं, किसानों तथा ग्रामवासियों, नीति और विचारकर्ताओं जैसे विभिन्न लक्षित समूहों को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण अभियान चलाया गया है। इस प्रयोजन के लिए प्रिंट मीडिया द्वारा प्रचार, दूरदर्शन पर स्पाट का प्रसारण, रेडियो पर संदेशों का प्रचार-प्रसार, सेमिनारों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों आदि का आयोजन किया गया है।

(11) शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार ने भवन-उप-नियम, 1983 में संशोधन कर दिल्ली में 100 वर्ग मीटर और इससे अधिक के प्लाटों पर नए भवनों में जल अपवाह सहित वर्षा जल के भंडारण के माध्यम से जल संचयन के प्रावधान को अनिवार्य कर लिया है। इसी प्रकार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और केरल राज्य सरकारों ने विशिष्ट मामलों में छत के वर्षा जल संचयन को अनिवार्य कर दिया है।

(12) पेयजल स्रोत पर आधारित भूजल के संरक्षण के लिए, केन्द्र प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) के तहत राज्यों को जारी की जा रही कुल निधि का 5% स्रोत के स्थायित्व के लिए राज्यों के लिए निर्धारित किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण शामिल हैं।

[अनुवाद]

भू-जल प्रदूषण संबंधी सम्मेलन

2297. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री उदय सिंह:
श्री अधीर चौधरी:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में भू-जल प्रदूषण संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भू-जल प्रदूषण का मुकाबला करने हेतु उक्त सम्मेलन में क्या सिफारिशें की गयी हैं;

(ग) क्या 'स्कूल आफ इन्वायरमेन्ट स्टडिज' द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार पानी के नमूनों में कई प्रकार की धातु और भारी धातु पाई गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस दिशा में कोई कदम उठाये हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इन सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) "भू-जल प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु उभरती हुई प्रौद्योगिकियां: पेय जल परिप्रेक्ष्य" पर एक दो दिवसीय कार्यशाला-व-सम्मेलन का आयोजन 19-20 मई, 2005

को सिविल इंजीनियरी विभाग, आई.आई.टी. दिल्ली द्वारा किया गया। कार्यशाला में की गई सिफारिशों ने वैज्ञानिक तरीकों के प्रयोग पर प्रकाश डाला है जिनमें माडलिंग तकनीक, संदूषित मृदा/ जलभृत्त मीडिया और जल-भूवैज्ञानिक पर्यावरण के बीच संबंध की बेहतर समझ और कम लागत वाली उभरती हुई जल सुधार तकनीकों का व्यवहार्यता मूल्यांकन करना शामिल है।

(ग) स्कूल आफ इन्वायरमेन्टल साईंसेज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ने दिल्ली में भलस्वा लैंडफिल साइट के आसपास भूजल गुणवत्ता पर एक अध्ययन किया है। अध्ययन के अनुसार भू-जल के नमूनों में आयरन, मैंगनीज, कापर, लैड, निकिल और जिंक पाए गए हैं। अध्ययन से यह भी पता चलता है कि लैंडफिल की ओर बढ़ने पर धातुओं की सांद्रता बढ़ रही है।

(घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी भलस्वा लैंडफिल साइट के चारों ओर के भूजल नमूनों में भारी धातुओं के स्तर का अध्ययन किया है। अध्ययन से आयरन और जिंक की उपस्थिति का पता चलता है। तथापि, एकत्र किए गए नमूनों में लैड, क्रोमियम और कैडमियम की मात्रा का पता नहीं चलता है।

(ङ) म्यूनिसिपल सालिड वेस्ट (प्रबंधन और संचालन) नियम, 2000 के अनुसार दिल्ली नगर निगम को लैंडफिल साइट का प्रचालन करना है। वर्तमान लैंडफिल साइट को बंद करना होगा तथा आगे के प्रचालन के लिए नई साइटों की पहचान करनी होगी।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

2298. **श्री बसुदेव आचार्य:**
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:
श्री विकास चौधरी:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'सेल' ने अपनी निगम योजना 2011-12 में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गयी/की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है;

(ग) क्या सरकार ने सेलम इस्पात संयंत्र हेतु 600 करोड़ रु. निवेश करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस राशि का जिन क्षेत्रों में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है उनका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गयी है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) निगमित योजना 2011-2012 के अंतर्गत दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिए कुल 2840 करोड़ रुपए के निवेश की योजना तैयार की गई है। लैडल फर्नेस और ब्लूम कास्टर, दो मीडियम स्ट्रक्चरल मिल, नई बार और राड मिल, नए बिलैट कास्टर की स्थापना, धमन भट्टी संख्या-1 का उन्नयन, कोक ओवन बैटरी संख्या-4 की बड़े पैमाने पर मरम्मत और कच्चे माल की हैंडलिंग में बढ़ोतरी करना आदि इस योजना के तहत अभिज्ञात की गई कुछ परियोजनाएं हैं।

(ग) और (घ) निगमित योजना 2011-2012 के अंतर्गत सेलम इस्पात संयंत्र के लिए 1266 करोड़ रुपए के निवेश की योजना तैयार की गई है। प्रौद्योगिकी-आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए वे प्रमुख क्षेत्र, जिनमें निवेश किया जाना है, उनमें इस्पात निर्माण सुविधाएं और नया कोल्ड रोलिंग मिल (सी.आर.एम.) कांप्लैक्स आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

आर्द्र भूमि के संबंध में प्रगति

2299. **श्री हरिभाऊ राठौड़:**
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि को संरक्षित भूमि/क्षेत्र के रूप में घोषित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (ग) मंत्रालय के पास राष्ट्रीय आर्द्र भूमि की न तो कोई स्कीम है और न ही किसी प्रकार की अवधारणा। तथापि मंत्रालय के पास "आर्द्रभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन" की एक स्कीम है। आर्द्रभूमियों को संरक्षित भूमि/क्षेत्र के रूप में घोषित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

डेयरी उद्योग

2300. **श्री अनंत गुढ़े:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डेयरी उद्योग गुणवत्ता में कमी, खराब डाटा बेस, अपर्याप्त अनुसंधान और विकास सुविधाएं, अपर्याप्त उत्पाद विकास कार्यक्रम और अवसंरचना की कमी का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) डेयरी उद्योग की वर्तमान स्थिति में सुधार के लिए कौन सी योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) छोटी पशुयूथ संख्या तथा बड़े भू-भाग पर फैले भारतीय दुग्ध उत्पादकों, साथ ही आस-पास के उच्च तापमान, गांवों में सड़क, बिजली, पानी की आपूर्ति संबंधी पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी के कारण प्राप्त कच्चे दूध की गुणवत्ता विकसित देशों की तुलना में अच्छी नहीं है। तथापि, गुणवत्ता के बारे में बढ़ती जानकारी से उत्पादन तथा प्रसंस्करण दोनों स्तरों पर लगातार सुधार देखा गया है। दुग्ध उत्पादन के संबंध में आंकड़े उपलब्ध हैं, परन्तु उत्पादों के निर्माण के संबंध में विशेषकर डेयरी उद्योग के असंगठित क्षेत्र के आंकड़े तुलनात्मक रूप से कम उपलब्ध हैं। भारत के पास डेयरी उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत अच्छी अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं हैं। तथापि, संबंधित संस्थानों की अनुसंधान और विकास प्रयासों के लिए वित्तीय रूप से योगदान दे करके इन सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए आगे आना होगा। यदि उद्योग प्रौद्योगिकी में निवेश करने का इच्छुक हो तो, जो नए उत्पाद विकसित हुए हैं, वे भारतीय बाजार में अपना स्थान पा सकते हैं। मशीनरी और उपकरणों के निर्माताओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है कि वे अनुसंधान और विकास संगठनों के साथ सहयोग करें ताकि उपयोगकर्त्ता उद्योग की पूरी भागीदारी के साथ पारंपरिक डेयरी उत्पादों के लिए उपकरण बनाए जा सकें।

(ख) और (ग) भारत सरकार डेयरी उद्योग की मौजूदा स्थिति सुधारने के लिए विभिन्न उपचारी उपाय कर रही है और उसने निम्नलिखित योजनाएं शुरू की हैं:

(1) कृषि मंत्रालय में पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग प्रशिक्षण प्रदान करके और दुग्ध उत्पादकों के बीच जागरूकता पैदा करके तथा कच्चे दूध के तत्काल प्रशीतन के लिए प्रशीतन सुविधाएं उपलब्ध करके कच्चे दूध की गुणवत्ता सुधारने के लिए "गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीम क्रियान्वित कर रहा है।

(2) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित क्षमता सृजन परियोजना के तहत गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से प्रशिक्षण मैनुअल और वित्तीय समर्थन प्रदान करके डेयरी क्षेत्र के कार्मिकों सहित उद्योग कार्मिकों का प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए समर्थन दे रहा है।

(3) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय डेयरी उद्योग सहित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण के लिए एक योजना क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत मुख्यत: खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना, अनुसंधान और विकास के लिए बुनियादी सुविधाओं के सृजन और समर्थन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(4) राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक संस्थान है, उपयुक्त समर्थन प्रदान करके प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (भारत सरकार) के समर्थन से प्रौद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर नामक एक योजना तैयार कर रहा है।

अंगूर उत्पादन

2301. **श्री ई. पोन्नुस्वामी:**
श्री वाडिगा रामकृष्णा:
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंगूर तथा अंगूर उत्पादों के उत्पादन और खेती को इष्टतम स्तर तक लाने के लिए कोई रणनीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कार्यान्वित करने के लिए तथा उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) वर्ष 2005-06 के दौरान इस उद्देश्य हेतु राज्य-वार आबंटित धनराशि कितनी है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों में कितने क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के अंगूर की खेती की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) सरकार ने देश में बागवानी के समग्र विकास पर बल देने के लिए वर्ष 2005-06 से "राष्ट्रीय बागवानी मिशन" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की है। उत्पादन, फसलोपरान्त प्रबन्धन और विपणन को कवर करने वाले आद्योपान्त दृष्टिकोण को सुनिश्चित करते हुए यह स्कीम अंगूर सहित फलों के विकास पर विचार करती है। वर्ष 2005-06 के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत 630.00 करोड़ रु. आबंटित किए गये हैं। राज्य-वार आवंटन नहीं किया गया है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान अंगूर उत्पादन के तहत क्षेत्र का राज्य-वार उपलब्ध आंकड़ों का ब्यौरा विवरण में संलग्न है। तीन राज्यों में पैदा की जा रही अंगूरों की प्रमुख किस्में हैं-थामपसन सीडलेस, बंगलौर ब्लू और अनाब-ए-शाही।

विवरण

अंगूरों का राज्य-वार क्षेत्र

(000' है.)

राज्य का नाम	वर्ष		
	2001-01	2001-02	2002-03
महाराष्ट्र	29.8	32.5	35.2
कर्नाटक	8.2	10.0	9.7
आन्ध्र प्रदेश	1.6	1.6	1.7
तमिलनाडु	2.4	2.4	2.4
पंजाब	1.4	1.4	1.3
हरियाणा	1.2	1.1	0.9
मध्य प्रदेश	0.1	0.1	0.1
मिजोरम	0.1	0.2	0.3
जम्मू-कश्मीर	0.2	0.2	0.2
अन्य	0.2	0.1	0.2
कुल	45.2	49.6	52.0

स्रोत: राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

किसानों के लिए विद्यालय खोलना

2302. श्री प्रहलाद जोशी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार किसानों को प्रशिक्षण और कृषि आधारित जानकारी देने के लिए समूचे देश में किसानों के लिए विद्यालय खोलने हेतु राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रक्रिया के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ग) कर्नाटक में खोले जाने वाले ऐसे विद्यालयों का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 की सिफारिश के आधार पर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) ने देश में कृषि विज्ञान केन्द्रों (के.वी.के.) का एक नेटवर्क स्थापित किया है। के.वी.के. का उद्देश्य विभिन्न खेती प्रणालियों के अन्तर्गत प्रौद्योगिकियों की स्थान संबंधी विशिष्टता चिन्हित करने के लिए फार्म पर परीक्षण के माध्यम से प्रौद्योगिकी अनुमानन और परिष्करण, कृषकों के खेतों पर उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी की उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए अग्रणी प्रदर्शन, किसानों के ज्ञान तथा दक्षता को अद्यतन करने के लिए उनका प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी विकास के अग्रणी क्षेत्रों में विस्तार कर्मियों के अभिमुखीकरण हेतु उनका प्रशिक्षण करना है। सरकार ने दसवीं योजना के दौरान देश के 578 ग्रामीण जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की स्वीकृति दी है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 488 ग्रामीण जिलों में पहले ही कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्वीकृति दे दी है।

(ग) कर्नाटक में 25 के.वी.के. स्थापित किए गए हैं। कर्नाटक में के.वी.के. से कवर किए गए जिले हैं: बेलगाम, बेल्लारी, बिदर, चिकमगलूर, गुडाग, हासन, हवेरी, कोगाडु, कोलार, मैसूर, रायचूर, बीजापुर, चित्रदुर्गा, गुलबर्गा, माण्डया, शिमोगा, टुमकुर, उडुप्पी, उत्तर कन्नड, धारवाड़, कोप्पल, चमराजनगर, दावनागेरे, दक्षिण कन्नड़ और बागलकोट।

[हिन्दी]

खान श्रमिकों के रहन-सहन की स्थिति

2303. श्री जे.एम. आरून रशीद: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खान श्रमिकों के स्वास्थ्य के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खानों के निकटवर्ती क्षेत्रों में रह रहे इन लोगों के रहन-सहन और स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में हाल ही में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) खान सुरक्षा महानिदेशालय (डी.जी.एम.एस.) ने खान कामगारों के स्वास्थ्य पर सर्वेक्षण करवाए हैं।

(ख) विगत में, डी.जी.एम.एस. द्वारा भूमि से नीचे कोयला और मैटलीफेरस खानों में पांच सर्वेक्षण कराए गए थे। उनका विवरण निम्नवत है:

क्र.सं.	खान का प्रकार	वर्ष	सर्वेक्षण का स्वरूप	अधिसूचित रोगों के पता लगाए गए संभावित मामले
1.	ऐसबेस्टोस खानें (कुडप्पा क्षेत्र)	1990	ऐस्बेस्टोसिस के लिए चिकित्सा जांच जिसमें छाती का ऐक्सरे, फेफड़ों की जांच इत्यादि शामिल है	32
2.	मैकेनाइज्ड कोयला खान	1991-1993	न्यूमोकोनाईओसिस के लिए कोयला कामगारों के चैस्ट रेडियोग्राफ्स की समीक्षा	197
3.	स्वर्ण	2001-2003	सिलिकोसिस के लिए चिकित्सा और अन्य रिकार्डस की समीक्षा	313
4.	यूरेनियम	2002	सिलिकोसिस के लिए चिकित्सा रिकार्डस की समीक्षा	09
5.	जिंक	2001-2004	सिलिकोसिस के लिए चिकित्सा जांच जिसमें छाती का एक्सरे, फेफड़ों की जांच, आडियोमैट्री इत्यादि शामिल है	131

(ग) और (घ) डी.जी.एम.एस. केवल खान अधिनियम, 1952 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के क्रियान्वयन को मानीटर करता है। इन उपबंधों में केवल खनिकों की स्वास्थ्य दशाओं के विनियमन का प्रावधान है। खानों के नजदीकी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य दशा उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आती।

खाद्यान्नों का प्रति व्यक्ति उपभोग

2304. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के संदर्भ में खाद्यान्नों का प्रतिव्यक्ति उपभोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उन्हें उपलब्ध कराए गए खाद्यान्न से न्यून है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में गरीबी रेखा से नीचे और ऊपर रहने वाले लोगों के बीच खाद्यान्न का प्रति व्यक्ति उपभोग अलग-अलग कितना है;

(घ) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों के समतुल्य खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में खाद्यान्न संवितरण में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण ऐसी स्थिति बनी हुई है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल

भूरिया): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

दिल्ली में भटक कर आने वाले पशुओं का सर्वेक्षण

2305. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कतिपय दुर्लभ वन्यजीव व पक्षी दिल्ली में भटक कर आ जाते हैं और वन अधिकारियों का ध्यान इनकी ओर नहीं जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे जीवों और पक्षियों का कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) ऐसे जीवों और पक्षियों का पता लगाने और उन्हें बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) जी, नहीं। जब कभी ऐसे भटक कर आए हुए वन्यजीवों की सूचना प्राप्त होती है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 के अंतर्गत आवश्यक कदम उठाए जाते हैं।

(ख) जी, नहीं। विभाग द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है चूंकि ऐसे मामले बहुत कम होते है।

(ग) ऐसे पशुओं और पक्षियों का पता लगाने और उन्हें बचाने के लिए राष्ट्रीय प्राणि उद्यान, गैर-सरकारी संगठनों और पुलिस की सहायता ली जाती है।

उचित दर की और दुकानें खोला जाना

2306. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान देश में उचित दर की दुकानें खोलने हेतु किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की स्थिति के अनुसार उचित दर की दुकानों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का विचार देश में उचित दर दुकानों की कमी की समस्या से किस तरह निपटने का है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है। इस प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ताओं को खाद्यान्न आसानी से मुहैया कराने के लिए उचित दर दुकान खोलने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है।

राज्यवार उचित दर दुकानों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(20.7.2005 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उचित दर दुकानों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	40814
2.	अरुणाचल प्रदेश	1444
3.	असम	33229
4.	बिहार	41818
5.	छत्तीसगढ़	7869
6.	दिल्ली	3010
7.	गोवा	522
8.	गुजरात	14131
9.	हरियाणा	7695
10.	हिमाचल प्रदेश	4137
11.	जम्मू-कश्मीर	3927
12.	झारखंड	14395
13.	कर्नाटक	20621
14.	केरल	14147
15.	मध्य प्रदेश	18688

1	2	3
16.	महाराष्ट्र	50160
17.	मणिपुर	2551
18.	मेघालय	4302
19.	मिजोरम	1028
20.	नागालैंड	401
21.	उड़ीसा	25186
22.	पंजाब	13874
23.	राजस्थान	20903
24.	सिक्किम	1071
25.	तमिलनाडु	27995
26.	त्रिपुरा	1446
27.	उत्तरांचल	7332
28.	उत्तर प्रदेश	74788
29.	पश्चिम बंगाल	20424
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	488
31.	चंडीगढ़	26
32.	दादर व नगर हवेली	78
33.	दमन व दीव	51
34.	लक्षद्वीप	35
35.	पांडिचेरी	410
	योग	478996

[हिन्दी]

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

2307. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड (एन.एफ.एल.), नांगल सबसे बड़ी यूरिया उत्पादक कम्पनी है;

(ख) क्या नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, नांगल यूरिया खाद के अलावा किसान फर्टिलाइजर का उत्पादन भी करती है;

(ग) यदि हां, तो क्या किसानों द्वारा किसान फर्टिलाइजर का उपयोग बड़ी मात्रा में किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त कारखानें को बन्द करने और तोड़ने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस निर्णय से बेरोजगारी बढ़ने और उर्वरकों की अनुपलब्धता के कारण किसानों को परेशानी होने की सम्भावना है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एन.एफ.एल.) देश की दूसरी सबसे बड़ी यूरिया उत्पादक कम्पनी है।

(ख) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की नंगल इकाई में 'किसान खाद' के ब्रांड नाम से कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट (सी.ए.एन.) उर्वरक का उत्पादन करने की सुविधाएं हैं। तथापि, अमोनिया के उपलब्ध न होने और आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य न होने के कारण किसान खाद का उत्पादन रोक दिया गया है।

(ग) एन.एफ.एल. ने वर्ष 2004-05 में 13,819 मी. टन किसान खाद का उत्पादन/बिक्री की जो स्थापित क्षमता का 4.30% था।

(घ) कम्पनी ने 'किसान खाद' (सी.ए.एन.) संयंत्र को अस्थायी रूप से बन्द करने का निर्णय लिया है।

(ङ) और (च) एन.एफ.एल. द्वारा इस इकाई की जनशक्ति का प्रयोग नंगल संयंत्र की अन्य इकाइयों में किया जाएगा। इस निर्णय से किसान खाद (सी.ए.एन.) की उपलब्धता में 13,819 मी. टन की कमी आ जाएगी। अन्य स्रोतों से बढ़ी हुई आपूर्ति द्वारा इस कमी के पूरे होने की संभावना है क्योंकि 'किसान खाद' (सी.ए.एन.) एक विनियमित और नियंत्रणमुक्त उर्वरक है।

[अनुवाद]

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति

2308. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मृतक कर्मचारियों के आश्रितों हेतु अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु कोटा निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में मंत्रालय द्वारा वर्ष-वार ऐसी कुल कितनी नियुक्तियां की गई हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितनी नियुक्तियां लम्बित/विचाराधीन/अस्वीकार कर दी गई हैं; और

(ङ) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के सभी मामलों पर विचार न किए जाने के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) जी हां। सरकार के मौजूदा अनुदेशों के अनुसार 'ग' और 'घ' पदों के किसी भी समूह में करूणामूलक नियुक्तियां सीधी भर्ती कोटा के तहत आने वाली रिक्तियों की अधिकतम 5% तक की जा सकती हैं।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में मत्स्यन बंदरगाह

2309. श्री बापू हरी चौरे: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में चल रहे मत्स्यन बंदरगाहों की संख्या कितनी है और वे कहां-कहां स्थित है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 2005-06 के दौरान राज्य में कुछ और मत्स्यन बंदरगाह स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में तीन मत्स्यन बंदरगाह यानि मुंबई जिले में सासून डाक तथा न्यू फेरी वार्फ (भौचा घाक्का) और रत्नागिरी जिले में रत्नागिरी (मिर्काड़वाड़ा) काम कर रहे हैं।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र सरकार ने छ: मत्स्यन बंदरगाहों को स्थापित करने तथा एक चालू बंदरगाह का उन्नयन करने का इरादा व्यक्त किया है जिसका ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	मत्स्यन बंदरगाहों के विकास के लिए प्रस्तावित स्थान	जिले का नाम	स्थिति
1.	देवगढ़ (आनंदवाड़ी)	सिंधुदुर्ग	महाराष्ट्र सरकार भूमि की उपलब्धता, पर्यावरणीय अनुमति तथा राज्य के बजट में पर्याप्त बजटीय प्रावधानों के साथ-साथ तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाली है।
2.	रत्नागिरी (मिर्काड़वाड़ा) चरण-II	रत्नागिरि	
3.	सखारिनाते	रत्नागिरि	
4.	हरनाई	रत्नागिरी	
5.	जीवन	रायगढ़	
6.	करंजा	रायगढ़	
7.	अरनाला	थाने	

पशुवध गृह

2310. श्री सीताराम सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास पशुवध गृहों को हटाने से संबंधित राज्यों के अनेक प्रस्ताव काफी समय से लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इनकी स्थिति क्या है;

(ग) ऐसे पशुवध गृहों का ब्यौरा क्या है जिन्हें हटाए जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी गई है; और

(घ) सरकार द्वारा लम्बित प्रस्तावों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) बूचड़खाने स्थापित करने के लिए लाइसेंसिंग

प्राधिकारी होने के नाते राज्य सरकारें/स्थानीय निकाय बूचड़खाने हटाने के बारे में स्वयं निर्णय लेते हैं। यह मंत्रालय बूचड़खाने हटाने के लिए राज्यों को अनुमति प्रदान नहीं करता और इसलिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

धनराशि के आवंटन से संबंधित प्रस्ताव

2311. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार से राष्ट्रीय उद्यानों के विकास, वनों के बचाव, सुरक्षा और वन विकास आदि के लिए धनराशि आवंटन संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के इन प्रस्तावों पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) गुजरात सरकार को इस परियोजनार्थ कितनी धनराशि जारी की जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) जी, हां।

(ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की चल रही योजना स्कीमों के अंतर्गत 2005-06 के दौरान गुजरात राज्य सरकार से प्राप्त नीचे दिए अनुसार है:

क्र.सं.	स्कीम का नाम	प्रस्तावों की सं.	धनराशि (लाख रुपए)
1.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास	1	572.71
2.	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम	1	143.67

(ग) और (घ) प्रस्ताव जांच के विभिन्न चरणों में है।

(ङ) राष्ट्रीय वनीकरण स्कीम के अंतर्गत 31 जुलाई, 2005 तक 62 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी हैं।

इस्पात के बढ़ते मूल्य

2312. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस्पात के बढ़ते मूल्यों के प्रभाव की निगरानी करने और परियोजना की निर्माण लागत कम करने के लिए उपाय सुझाने हेतु एक उच्चस्तरीय विपणन समूह का गठन किया है;

(ख) क्या सरकार ने सरकारी ठेकों हेतु इस्पात की दरों को संशोधित किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा/प्रभाव क्या हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (ग) बल्क कंस्ट्रक्शन मैटिरियल्स की मूल्य वृद्धि के संबंध में एक जैनरिक ट्रिगर मैकेनिज्म विकसित करने तथा निर्माण परियोजनाओं में समय और लागत बढ़ने में कमी करने के लिए एक संविदागत प्रावधान करने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने एक विशेषज्ञ कार्यदल का गठन किया था। तथापि, बाद में सचिवों की समिति के अनुमोदन से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने घरेलू बोली के लिए एक संविदागत दस्तावेज निकाला है जिसमें मानक संविदा खण्ड और मानक सामान्य संविदा शर्तों के संबंध में दिशानिर्देश हैं। संविदा दस्तावेज में अन्य बातों के साथ-साथ किसी परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान सीमेंट और इस्पात सहित महत्वपूर्ण मदों के मूल्य में वृद्धि के लिए इन-बिल्ट मैकेनिज्म का प्रावधान किया गया है।

आई.सी.ए.आर. के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन

2313. श्री किन्जरपु येरनायडु: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कार्यरत वैज्ञानिकों को वाणिज्यिक रूप से लाभप्रद अनुसंधानोपरान्त जैसे उत्पादों हेतु प्रोत्साहन दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। व्यक्तिगत विशिष्ट योग्यता की पहचान, संस्थागत विकास, असाधारण अनुसंधान, बारानी कृषि

में उपयोग, कृषि का विविधीकरण, आदिवासी क्षेत्रों आदि में असाधारण कृषि अनुसंधान के लिए बहुत से प्रोत्साहन पुरस्कार पहले से ही दिए जा रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से वैज्ञानिकों और संस्थाओं को प्रोत्साहनों की विशिष्ट स्कीमें हैं जिसमें युवा वैज्ञानिक, महिला कृषि वैज्ञानिक, किसान और अनुसंधान एवं विकास में पत्रकारिता में श्रेष्ठता भी शामिल हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 89 पुरस्कार निर्धारित किए हैं जिसमें 40 वार्षिक एवं 49 द्विवार्षिक पुरस्कार हैं, जो इसकी संस्थाओं, वैज्ञानिकों, किसानों तथा किसी पत्रकार को सम्मानित करने के लिए रखे गए हैं।

पर्यावरणीय प्रणाली में सुधार

2314. श्री मदन लाल शर्मा: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पर्यावरणीय प्रणाली प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होती है;

(ख) क्या यू.एन.डी.पी./जी.ई.एफ. बजट के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि गत कई वर्षों से लगातार बढ़ती रही है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में प्राप्त धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा पर्यावरण पर प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) पर्यावरण सामान्यत: प्राकृतिक आपदाओं से सुभेद्य हैं।

(ख) यू.एन.डी.पी./जी.ई.एफ. का स्वीकृत बजट 2003 से बढ़ रहा है।

(ग) यू.एन.डी.पी./जी.ई.एफ. बजट के तहत पिछले तीन वर्षों 2003, 2004, 2005 में स्वीकृत धनराशि जिसमें चालू वर्ष भी शामिल हैं, नीचे दी जाती है:

वर्ष	स्वीकृत धनराशि (अमरीकी डालर में)
2003	21,98,696
2004	26,63,685
2005	57,57,632

(घ) सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ किए गए महत्वपूर्ण उपाय निम्न हैं:

(1) जीवन और सम्पत्ति की हानि को कम से कम करने हेतु पर्यावरणीय बचाव सुनिश्चित करने हेतु विनियामक फ्रेमवर्क

(2) शैल्टर बैल्ट पौधरोपण

(3) वनीकरण उपाय

(4) कोरल और मेंग्रोव संरक्षण

(5) समयपूर्व चेतावनी प्रणाली

(6) वन सुरक्षा

(7) भू उपयोग प्लानिंग

एफसीआई की रुग्ण एककों का पुनरुद्धार

2315. श्री जुएल ओराम: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय उर्वरक निगम के अंतर्गत प्रत्येक यूनिट का कार्य-निष्पादन क्या है;

(ख) क्या इनमें से कुछ उर्वरक एकक रुग्ण हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त एककों के पुनरुद्धार के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफ सी आई) की गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), रामागुण्डम (आंध्र प्रदेश), तलचर (उड़ीसा), सिंदरी (झारखण्ड) और कोरबा (छत्तीसगढ़) स्थित कोई भी इकाई गत तीन वर्षों से कार्य नहीं कर रही है।

(ख) और (ग) एफसीआई को रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत नवम्बर, 1992 में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड द्वारा रुग्ण घोषित किया गया था क्योंकि कम्पनी प्रौद्योगिकी, डिजाइन और उपकरण की खामियों, उपकरणों के बार-बार खराब होने, द्रवित पैट्रोलियम उत्पादों की लागत में वृद्धि, बिजली की कमी, औद्योगिक संबंधों की समस्याओं और अतिरिक्त जनशक्ति तथा संसाधन बाधाओं के कारण लगातार घाटे में चल रही थी।

(घ) संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम को देखते हुए प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड को एफसीआई की बन्द इकाइयों के लिए पुनरुद्धार रिपोर्ट तैयार करने के लिए अधिकृत किया गया था। एफसीआई की इकाइयों का पुनरुद्धार रिपोर्ट की जांच के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

फूड पार्कों हेतु प्रस्ताव

2316. श्री गणेश सिंह: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से वर्ष 2002 में बीना, चैनपुरा, मुरैना, ग्वालियर और जबलपुर में फूड प्रोसेसिंग पार्कों की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को अपेक्षित सूचना दे दी है;

(ग) यदि हां, तो अब तक इन प्रस्तावों पर विचार न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के तहत खाद्य पार्कों में सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था हेतु सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है। बीना, चैनपुरा, मुरैना, ग्वालियर और जबलपुर में फूड प्रोसेसिंग पार्कों की स्थापना हेतु प्रस्ताव तत्समय लागू नौवीं योजना मार्गनिर्देशों के अनुसार प्राप्त हुए थे। सहायता हेतु इन प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका क्योंकि इनमें दिए ब्यौरे अपूर्ण थे। दसवीं योजना अवधि के दौरान, वर्तमान संशोधित मार्गनिर्देशों के अनुसार उपर्युक्त स्थानों पर खाद्य पार्कों की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। मंत्रालय ने अभी तक सहायता हेतु मध्य प्रदेश में जग्गाखेड़ी, जिला मंदसौर, नीरामी, जिला खरगौन, पिपारिया और भभई, जिला होशंगाबाद, बोरगांव, जिला छिंदवाड़ा, मनेरी, जिला मांडला और मालनपुर-घिरौंगी, जिला भिंड में 6 खाद्य पार्क अनुमोदित किए हैं। कुल मिलाकर देश में कुल 50 खाद्य पार्कों को स्वीकृति दी गई है।

जाली आई.एस.आई. मुहर वाले सामान

2317. श्री महेश कनोडीया: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में जाली आई.एस.आई. मुहर वाले नकली सामान खुले आम परिचालित किये जा रहे है;

(ख) यदि हां, तो क्या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्डस ने हाल ही में ऐसी नकली उत्पादों की बिक्री में संलिप्त कुछ दुकानों/प्रतिष्ठानों पर छापे मारे थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी प्रथा को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (ग) भारतीय मानक ब्यूरो देश के विभिन्न भागों में दुकानों/प्रतिष्ठानों तथा जाली आईएसआई मुहर वाले उत्पादों के विनिर्माताओं के अहाते में छापे मारकर तथा सामग्री जब्त करके ऐसी वस्तुओं की बिक्री को रोकने हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो ने देश भर में 217 छापे मारे और जहां भी जाली आईएसआई मुहर वाले सामग्री मिली उसको जब्त किया। अपेक्षित साक्ष्य जुटाने के पश्चात अपराधियों पर मुकदमा चलाने हेतु संबंधित न्यायालयों में मामले दायर किये जाते हैं। इस वर्ष 31 जुलाई, 2005 तक देश के विभिन्न भागों में 57 छापे मारे गए हैं।

(घ) दोषियों के विरुद्ध भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 11 और 12 के तहत उपयुक्त न्यायालय में मुकदमें चलाकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाती है।

(ङ) भारतीय मानक ब्यूरो जाली आई एस आई मुहर वाले उत्पादों की बिक्री को रोकने हेतु स्थानीय पुलिस की सहायता से अखिल भारतीय स्तर पर नियमित तलाशी और जब्ती अभियान संचालित करता है। बेईमान विनिर्माताओं द्वारा जाली आई एस आई मुहर/आई एस आई मुहर के दुरुपयोग के बारे में आम उपभोक्ता को शिक्षित करने हेतु प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से विभिन्न उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं।

औरंगाबाद के विकास हेतु योजना

2318. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से पर्यटन की दृष्टि से औरंगाबाद पैठण शहर के विकास हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने पर्यटन के लिए शहरों के विकास हेतु राज्य सरकारों से और प्रस्ताव मांगें हैं;

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर और आसपास की कुछ सड़कों का जे.बी.आई.सी. द्वारा वित्तपोषित अजंता-एलोरा विकास योजना चरण-II के अंतर्गत मंत्रालय के माध्यम से विकास का प्रस्ताव किया था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) भारत सरकार ने अजंता-एलोरा संरक्षण एवं पर्यटन विकास परियोजना (चरण-I) के लिए जे.बी.आई.सी. के साथ दिनांक 9.1.1992 को एक ऋण करार किया था। ओईसीएफ ऋण सहायता 3745 मिलियन जापानी येन की थी। यह परियोजना मार्च, 2002 में 127.50 करोड़ रुपयों की कुल लागत से पूरी हो गई थी। चरण-II के लिए, जे.बी.आई.सी. 299 करोड़ रुपये (लगभग 7331 मिलियन जापानी येन) की ऋण सहायता प्रदान करने को सहमत हो गया है। महाराष्ट्र में कवर किये जाने वाले स्थान अजन्ता, एलोरा, औरंगाबाद, दौलताबाद, पाटनदेवी, लोनार, नासिक, पुणे, ऐलीफेन्टा गुफाएं, भाजा और बेडसा, शिवनेरी, मालशेज और कोलवन हैं।

[अनुवाद]

विकास दर में कृषि क्षेत्र का योगदान

2319. श्री एम. शिवन्ना: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विकास दर को और स्थायी तथा सतत स्तर पर बनाए रखने के लिए औद्योगिक और सेवा क्षेत्र से नियंत्रण हटाती जा रही है और 58 प्रतिशत श्रम शक्ति वाले कृषि क्षेत्र की पूर्ण उपेक्षा कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा किन-किन सुधारात्मक उपायों पर विचार किया जा रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) सरकार ने कृषि सहित अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उच्च वृद्धि दर हासिल करने के लिए अनेक उपाय किये है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने पर बल देना, कृषि विविधीकरण, आधारभूत ढांचे के विकास हेतु सार्वजनिक/निजी सहभागिता को प्रोत्साहन देना, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) का उदारीकरण और सुविधाजनक नीतिगत वातावरण के निर्माण के माध्यम से उद्योगों एवं सेवा क्षेत्रों की वृद्धि को प्रोत्साहन देना शामिल है। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा विचारित दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में एक व्यापक कार्यसूची का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास, आधारभूत संरचना तथा उद्योग सहित अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को कवर किया गया है। इन विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन से अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की आशा है।

(ग) कृषि के महत्व को ध्यान में रखते हुए दसवीं पंचवर्षीय योजना में भूमि तथा जल संसाधनों की उत्पादकता को निरन्तर बढ़ाने पर बल दिया गया है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कृषि में फसल गहनता (क्रॉपिंग इन्टेंसिटी) को बढ़ाने पर बल दिया गया है। जिन क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए अभिज्ञात किया गया है, उनमें ड्रिप एवं छिड़काव सिंचाई सहित छोटी (माइक्रो) सिंचाई प्रौद्योगिकी, कृषि ऋण, बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेंजों पर ध्यान देते हुए बागवानी कृषि के आधारभूत ढांचे का विकास एवं सुदृढ़ीकरण, ग्रेडिंग एवं मानकीकरण तथा कृषि अनुसंधान शामिल हैं। इसके अलावा प्रमुख कृषि जिन्सों के लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा बुआई मौसम से पूर्व उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के लिए सभी सम्भव प्रयास किये जाते हैं।

राष्ट्रीय जलमार्गों को स्वीकृति

2320. श्री सनत कुमार मंडल: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कतिपय राष्ट्रीय जलमार्गों को हाल ही में पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अन्य जलमार्गों हेतु लम्बित प्रस्ताव कितने हैं; और

(ग) उन्हें स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं और नए राष्ट्रीय जलमार्गों हेतु लम्बित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

समेकित कीटनाशी प्रबंधन कार्यक्रम

2321. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में समेकित कीटनाशी प्रबंधन के व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरण हितैषी कीट नियंत्रण हेतु क्या उपाय किये गये हैं;

(ख) सरकार की इस संबंध में भूमिका क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम के क्या परिणाम निकले और इसकी सीमाएं क्या हैं; और

(घ) इस कार्यक्रम को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) भारत सरकार ने देश में पौध संरक्षण के प्रमुख सिद्धांत और मुख्य आधार के रूप में सांस्कृतिक, यांत्रिक और जैविक पद्धतियों और रासायनिक कीटनाशियों के आवश्यकता आधारित प्रयोग के साथ साथ समेकित कीट प्रबंधन (आई.पी.एम.) को अपनाया है। आई.पी.एम. कार्यक्रम के तहत अपनाए गये मुख्य उपाय निम्नानुसार हैं:

(1) कृषक समुदाय में आई.पी.एम. दृष्टिकोण को लोकप्रिय बनाना।

(2) कीट/रोग स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए नियमित कीट निगरानी और मॉनिटरिंग करना।

(3) जैविक नियंत्रण कारकों को खेत पर प्रयोग करने के लिए- पोषित करना तथा प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हो रहे जैव कारकों का संरक्षण करना।

(4) रासायनिक कीटनाशियों के विकल्प के रूप में जैव-कीटनाशियों और नीम आधारित कीटनाशियों का संवर्धन।

(5) जैव-कीट नाशियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दृष्टि से कीटनाशी अधिनियम, 1968 का अनुसूची में इसका समावेश।

(6) विस्तार कर्मियों और किसानों में नवीन आई.पी.एम. दक्षता का प्रचार प्रसार करने के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभाना।

(7) कृषक फील्ड स्कूलों (एफ.एफ.एस.) के माध्यम से मास्टर प्रशिक्षकों, विस्तार कर्मियों और किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए आई.पी.एम. में मानव संसाधन विकास।

(8) कृषि विज्ञान केन्द्रों/गैर सरकारी संगठनों/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के जरिए एफ.एफ.एस. का आयोजन।

(9) कीटनाशी डीलरों/गैर सरकारी संगठनों/स्नातकों/परास्नातकों/ निजी उद्यमियों और प्रगतिशील किसानों के लिए अल्पकालिक पाठ्यक्रमों का आयोजन।

(10) प्रमुख कृषि/बागवानी फसलों पर पूरे मौसम चलने वाले प्रशिक्षण (एस.एल.टी.) कार्यक्रमों को राज्य सरकार के विस्तार कर्मियों के लिए निर्धारित किया गया है।

(11) पौध संरक्षण, संगरोध एवं भंडारण निदेशालय के तहत केन्द्रीय समेकित कीट प्रबंधन केन्द्र उपरोक्त क्रियाकलापों को संचालित करने में लगे हैं।

(12) राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए राज्यों को अनुदान सहायता जारी करना।

(13) जैव-नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता जारी करना।

वर्ष 1994-95 से 2004-05 तक पौध संरक्षण, संगरोध एवं भंडारण निदेशालय के अधीन केन्द्रीय समेकित कीट प्रबंधन केन्द्रों द्वारा कुल 9,111 कृषक फील्ड स्कूलों (एफ.एफ.एस.) का आयोजन किया गया, जिसमें 37,281 कृषि विस्तार अधिकारियों और 2,75,056 किसानों को आई.पी.एम. में प्रशिक्षण दिया गया है। भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न फसल उत्पादन कार्यक्रमों के तहत भी इसी प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान किए गए हैं।इस कार्यक्रम की सीमाएं निम्नानुसार हैं:

(1) विभिन्न जैव-नियंत्रण कारकों को समूह में पोषण से संबंधित तकनीक अभी तक पूर्णरूपेण विकसित नहीं हुई है।

(2) देश में जैव कीटनाशियों और जैव नियंत्रण कारकों का उत्पादन अपर्याप्त है।

(3) जैव नियंत्रण कारकों का जीवन काल सीमित है। लम्बी अवधि के लिए उनका संरक्षण असम्भव है।

(4) जैव नियंत्रण कारकों और जैव कीटनाशियों के उत्पादन के लिए सुविधाओं की उपलब्धता सीमित है।

(5) जैव नियंत्रण कारकों और जैव कीटनाशियों का प्रभाव कम होता है।

मत्स्यन क्षेत्र की कार्य दशा

2322. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2004 में आयोजित अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन में मत्स्यन क्षेत्र के सुधार तथा सुरक्षा और कार्यदशाओं संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मौजूदा अभिसमयों और सिफारिशों में संशोधन करने वाले नए अंतर्राष्ट्रीय विधिक दस्तावेज तैयार किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन में उक्त विषयों पर चर्चा की गयी थी;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या उक्त सम्मेलन में मत्स्यन क्षेत्र की कार्यदशाओं में और सुधारों को भी मंजूरी दी गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) देश में मछुआरों की कार्य दशाओं में इन सिफारिशों से कितना सुधार होने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) से (छ) 2004 में आयोजित आई एल ओ के अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में विभिन्न आई एल ओ लिखतों पर चर्चा की गई जो मात्स्यिकी क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों की सुरक्षा और कार्यदशाओं को बेहतर बनाने के लिए स्थापित किये जाने आवश्यक थे। ये परिचर्चाएं 2004 के सम्मेलन में प्रथम चर्चा के रूप में की गई ताकि मात्स्यिकी क्षेत्र में उन क्षेत्रों की पहचान की जा सके जहां सुरक्षा और कार्यदशाओं को बेहतर बनाने के लिए खासतौर पर आवश्यक उपाय किया जा सके। सम्मेलन में फैसला लिया गया कि विभिन्न लिखतों पर 2005 के अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में चर्चा की जाए। अनुमान है कि इन लिखतों को अंगीकार किये जाने और मात्स्यिकी क्षेत्र में राष्ट्रीय कानूनों में उपयुक्त संशोधन किये जाने के बाद मछुआरों की कार्यदशाएं बेहतर होंगी।

एन.डी.डी.बी. के अंतर्गत अनुषंगियों की स्थापना

2323. श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री ई. पोन्नुस्वामी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अंतर्गत आज की स्थिति के अनुसार स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित अनुषंगियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मंत्रालयों में एन.डी.डी.बी. द्वारा अनुषंगियों की स्थापना के मुद्दे पर मतभेद है जैसाकि दिनांक 7 जुलाई, 2005 के "हिन्दू-बिजनेसलाइन" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा एन.डी.डी.बी. के कार्यकलापों के कार्यकलापों का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) एनडीडीबी का आज की तारीख में किसी सहायक कम्पनी की स्थापना का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) मुद्दा यह है कि यदि एनडीडीबी की सहायक कंपनी कोई अन्य सहायक कंपनी खोलती है तो क्या इस मामले पर भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है। कंपनी कार्य मंत्रालय के अनुसार, एनडीडीबी की सहायक कंपनी मदर डेयरी फल एवं सब्जी लिमिटेड (एमडीएफबीएल) भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अन्य सहायक कंपनियां स्थापित कर सकती है, क्योंकि इसके संघ ज्ञापन (एमओए) तथा संघ के अनुच्छेद और सहायक कंपनी खोलने में रोक नहीं लगाते हैं। विधि तथा न्याय मंत्रालय की राय है कि एनडीडीबी अधिनियम की धारा 43 के तहत, जब भी एनडीडीबी स्वयं अथवा अपनी किसी सहायक कंपनी के साथ मिलकर एक या अधिक कंपनी स्थापित करना चाहे तो, हर बार उसे केन्द्र सरकार का अनुमोदन लेना होगा। विधि एवं

न्याय मंत्रालय ने एनडीडीबी की सहायक कंपनी द्वारा अन्य सहायक कंपनी खोलने के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया है। अत: विधि एवं न्याय मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वह इस मामले में अपनी सुविचारित राय दे।

(ङ) एनडीडीबी के क्रियाकलाप एनडीडीबी अधिनियम, 1987 के अनुसार किये जाते हैं।

[हिन्दी]

कृषि विज्ञान केन्द्र

2324. श्री श्रीचन्द कृपलानी:
श्रीमती सुशीला बंगारू लक्ष्मण:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने कृषि विज्ञान केन्द्र हैं;

(ख) क्या राज्य सरकार ने राज्य के दो जिलों, यथा करोली और श्रीगंगानगर में दो कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वर्तमान कृषि विज्ञान केन्द्रों को बाधा पहुंचाए बिना अतिरिक्त कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त कृषि विज्ञान केन्द्रों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राजस्थान के सभी ग्रामीण जिलों को शामिल करते हुए वहां के लिए 32 कृषि विज्ञान केन्द्र स्वीकृत किए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) सरकार की नीति प्रत्येक ग्रामीण जिले में एक कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने की है जैसाकि वर्ष 2002 में भारत के अनुसार निधियों की उपलब्धि के आधार पर है।

[अनुवाद]

जलचर कृषक विकास बोर्ड का गठन

2325. श्री डी. पुरन्देश्वरी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जलचर कृषकों के हितों के संरक्षण और प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय जलचर कृषक विकास बोर्ड गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या जलचर पालन को कृषि का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) राष्ट्रीय जलचर कृषक विकास बोर्ड गठित करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, तटवर्ती क्षेत्रों में तटवर्ती जलकृषि से जुड़े क्रियाकलापों को विनियमित करने तथा उससे संबंधित मामलों अथवा उससे सहायक मामलों के लिए एक तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण का गठन करने के उद्देश्य से संसद द्वारा हाल ही में एक विधेयक पारित किया गया है।

(घ) और (ङ) मात्स्यिकी एवं जलकृषि राज्य का विषय है तथा जलकृषि को कृषि की स्थिति प्रदान करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

कपास की खरीद

2326. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अगले एक वर्ष के दौरान भारतीय कपास निगम (सी.सी.आई.) और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा कपास की कितनी आवश्यक मात्रा खरीदी जाएगी;

(ख) क्या सरकार का कपास पर लगने वाले आयात शुल्क में संशोधन का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) कपास की आवश्यक मात्रा का मूल्यांकन करना जल्दबाजी होगी जिसकी खरीद भारतीय कपास निगम (सीसीआई) और अन्य सरकारी एजेंसियां अगले वर्ष अर्थात् विपणन वर्ष 2005-06 के दौरान (अक्तूबर-सितम्बर) करेगी क्योंकि अगले वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की तुलना में पाये जाने वाले मूल्य घरेलू कपास परिदृश्य की तुलना में विश्व कपास परिदृश्य पर निर्भर करते हैं।

(ख) और (ग) कपास पर आयात शुल्क की चालू दर 10% है। कपास पर आयात शुल्क घरेलू उत्पादकों को संरक्षण देने की आवश्यकता के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं और प्रयोगकर्त्ताओं को उचित मूल्य पर कच्चा माल भी उपलब्ध कराया जाता है।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): महोदय, मैं जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के कारण 31 अक्टूबर, 1984 को और उसके बाद राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली और देश के अन्य भागों में हुए दंगों से संबंधित कतिपय मामलों की जांच के लिए गठित न्यायमूर्ति नानावती जांच आयोग का प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही का ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2449/05]

अध्यक्ष महोदय: श्री जॉर्ज फर्नान्डीस, मुझे आपकी सूचना मिल गई है। नियम इसकी अनुमति नहीं देते हैं। किन्तु मैं आपसे दूसरी सूचना देने का अनुरोध करता हूं ताकि समुचित चर्चा हो सके।

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2450/05]

[हिन्दी]

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड तथा पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2451/05]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2452/05]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) महाराष्ट्र कृषि-उद्योग विकास निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र कृषि-उद्योग विकास निगम लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2453/05]

(ख) (एक) केरल कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, तिरुअनंतपुरम के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केरल कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, तिरुअनंतपुरम का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल.टी. 2454/05]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मद सं. 6, श्री तस्लीमुद्दीन पत्र सभा पटल पर रखेंगे।

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह, आपने मेरी अनुमति नहीं ली है। इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। मैं इस पर कठोर कार्रवाई करूंगा।

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2455/05]

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2005 जो 5 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 272(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पर्यावरण (संरक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 2005 जो 16 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 315(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 2456/05]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): महोदय, मैं भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (प्रशासन, वित्त और अन्य पदों के लिए भर्ती) संशोधन विनियम, 2005 जो 5 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 275 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 2457/05]

अपराह्न 12.03 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) खाद्य, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

***कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार):** मैं यह वक्तव्य दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन भाग-दो द्वारा जारी किए गए माननीय लोक सभाध्यक्ष के निर्देश 73-क के अनुसरण में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की दूसरी रिपोर्ट में निहित उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में दे रहा हूं।

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की दूसरी रिपोर्ट में निहित उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित सभी सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध में दिया गया है। गौरतलब है कि रिपोर्ट में कुल 13 सिफारिशें की गई हैं। समिति की सिफारिशों की उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा सावधानीपूर्वक जांच कर ली गई है। इनमें से 12 सिफारिशों को पूर्णत: स्वीकार कर लिया गया है और उन पर की-गई-कार्रवाई को दर्शाया गया है। केवल एक सिफारिश को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है और इससे संबंधित कारणों को संलग्न अनुलग्नक (क्र.सं. 4) में इस सिफारिश के सामने में दर्शाया गया है।

*ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2458/05

[श्री शरद पवार]

की-गई-कार्रवाई से संबंधित उत्तर 25.11.2004 को समिति को भेज दिए गए हैं। इसको स्थायी समिति के अध्यक्ष द्वारा 27.4.2005 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया तथा उसी दिन राज्य सभा के पटल पर भी रखा गया।

अपराह्न 12.04 बजे

(दो) कृषि, (पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग) संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

***कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार):** मैं लोक सभा बुलेटिन-भाग-2 दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के तहत माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश 73क के अनुसरण में कृषि (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग) संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य दे रहा हूं।

कृषि संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा), संबंधी तीस प्रतिवेदन लोक सभा में 17 अगस्त, 2004 को प्रस्तुत किया गया था। यह प्रतिवेदन 2004-05 के लिए कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग) की अनुदान मांगों की जांच से संबंधित है।

समिति की प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण कृषि संबंधी स्थायी समिति को 22.11.2004 को भेज दिया गया था।

उक्त प्रतिवेदन में समिति द्वारा 21 सिफारिशें की गई हैं जिस पर सरकार की ओर से कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। इन सिफारिशों में मुख्य रूप से बजटीय संसाधनों में वृद्धि करने, केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्मों के कार्यकलापों, कुक्कुट योजनाओं के लिए आबंटन को बढ़ाने, सूअर पालन योजनाओं के क्रियान्वयन, समेकित डेयरी विकास परियोजना, दिल्ली दुग्ध योजना, अलग पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन मंत्रालय, आईसीवीआर आदि के गठन जैसे मुद्दे शामिल हैं।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के क्रियान्वयन की मौजूदा स्थिति मेरे वक्तव्य के साथ संलग्न अनुबंध में दी गई है, जोकि सभा पटल पर रख दिया गया है। मैं अनुरोध करता हूं कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

---

*ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2459/05

अध्यक्ष महोदय: हां, मैं माननीय मंत्री जी के प्रति कृतज्ञ हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिणी दिल्ली): महोदय, हम लोग सिर्फ यह कह रहे हैं रिपोर्ट पटल पर रख दी गई है किन्तु यह प्रकाशन फलक पर उपलब्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: इसे उपलब्ध होना चाहिए। यह अभी-अभी सभा पटल पर रखा गया है। मुझे आश्वासन दिया गया है कि यह प्राकशन फलक पर उपलब्ध होगा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: किस समय तक?

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको उसका उत्तर नहीं दे सकता।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, वे नानावती आयोग रिपोर्ट के पटल पर रखे जाने के बाद भी उत्तर नहीं दे सकते।

अध्यक्ष महोदय: सभी माननीय सदस्यों की उपस्थिति में, मैं अपने कार्यालय को यह अनुदेश दे रहा हूं कि यथाशीघ्र रिपोर्ट की प्रतियां प्रकाशन फलक पर उपलब्ध हों।

अब, मैं कृषि मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों जिसका नेतृत्व श्री शरद पवार कर रहे हैं को शुभकामनाएं देता हूं क्योंकि वह नियमित रूप से रिपोर्ट दे रहे हैं और मैं सभी अन्य माननीय मंत्रियों को छोटी सी सूचना देना चाहता हूं कि मैं उनके कार्यनिष्पादन की जांच कर रहा हूं। यदि कोई आलस्य है तो उन्हें अध्यक्ष का कोपभाजन बनना पड़ेगा।

अपराह्न 12.06 बजे

(तीन) श्रम संबंधी स्थायी समिति के पहले और तीसरे प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

***श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव):** महोदय, लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 389 के अनुसरण में माननीय लोक सभा अध्यक्ष द्वारा 1 सितम्बर, 2004 को जारी निदेश के अनुसार मैं श्रम संबंधी स्थायी समिति के पहले और तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में यह वक्तव्य दे रहा हूं।

*ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2460/05

श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित पहला और तीसरा प्रतिवेदन क्रमशः 19 अगस्त, 2004 और 22 मार्च 2005 को सभा में प्रस्तुत किए गए थे। मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि मंत्रालय ने 15 दिसम्बर, 2004 को पहले प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन समिति को सौंपा जिस पर समिति ने अपने तीसरे प्रतिवेदन में विचार किया है। तीसरे प्रतिवेदन पर हमारा की-गई-कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन समिति को 10 जून, 2005 को सौंपा गया।

समिति के पहले और तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति को माननीय सदस्यों में परिचालित किए गए मेरे वक्तव्य के अनुबंध में दर्शाया गया है।

मेरा अनुरोध है कि इसे पढ़ लिया गया समझा जाए।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद।

अपराह्न 12.07 बजे

(चार) महाराष्ट्र की इंदिरा सागर गोसिखुर्द सिंचाई परियोजना के बारे में दिनांक 9 मई, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6573 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

[हिन्दी]

***जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव):** अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र की इन्दिरा सागर गोसिखुर्द सिंचाई परियोजना के बारे में श्री हंसराज जी. अहीर, संसद सदस्यस के अतारांकित प्रश्न संख्या 6573 के 9 मई, 2005 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः अब हम लोग ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेंगे—श्री पी. करुणाकरण।

...(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, मैंने विशेषाधिकार के प्रस्ताव की सूचना दी।

अध्यक्ष महोदयः हम लोग ध्यानाकर्षण के बाद इस पर विचार करेंगे।

श्री हन्नान मोल्लाहः समय बहुत अधिक हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदयः इंतजार कीजिए; मैं कुछ नहीं कर सकता।

...(व्यवधान)

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर श्रम और रोजगार मंत्री का ध्यान आकृष्ट करता हूं।...

अध्यक्ष महोदयः श्री मोल्लाह, यदि आप वह प्रस्ताव लाना चाहते हैं, तो मैं वह प्रस्ताव स्वीकार कर चुका हूं।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): फिर हमारे विशेषाधिकार प्रस्ताव का क्या हुआ?

...(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाहः महोदय, कृपया मुझे एक मिनट दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः उसे मैं स्वीकार कर चुका हूं।

...(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाहः मुझे कम से कम यह बताने दीजिए कि हमारे भूतपूर्व महासचिव, लोक सभा, श्री सुभाष सी. कश्यप ने 4 अगस्त, 2005 को शाम के समय स्टार न्यूज चैनल पर अध्यक्ष पीठ के विरुद्ध बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और अशोभनीय टिप्पणी की है तथा उन पर आरोप लगाया है। मैंने सामग्री एकत्रित कर ली है।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है, ठीक है।

श्री हन्नान मोल्लाहः महोदय, मेरा मानना है कि यह विशेषाधिकार हनन का गंभीर मामला है और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः इसकी जांच की जा रही है।

श्री हन्नान मोल्लाहः इसे विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाना चाहिए। धन्यवाद, महोदय।

अध्यक्ष महोदयः अब, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—श्री करुणाकरण।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2461/05

अपराह्न 12.11 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

देश में विशेषत: केरल में बीड़ी कर्मकारों के समक्ष आ रही समस्याओं से उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): महोदय, मैं, श्रम और रोजगार मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें:

"बीड़ी उद्योग की स्थिति और देश में, विशेषत: केरल में बीड़ी कर्मकारों के समक्ष आ रही समस्याएं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

***श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव):** अध्यक्ष महोदय, बीड़ी उद्योग मुख्य रूप से एक ग्रामीण आधारित श्रम गहन उद्योग है जो लगभग 4.9 मिलियन कामगारों को मुख्यत: आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों में रोजगार मुहैया कराता है। बीड़ी कामगारों के कल्याण के संवर्धन उपायों के वित्तपोषण के लिए बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 अधिनियमित किया गया है। बीड़ी कामगारों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, प्रसूति लाभ आदि प्रदान करने के लिए अनेक कल्याण योजनाएं बनाई गई हैं। जैसाकि बताया गया है, बीड़ी उद्योग कुछ समय से संकट की स्थिति से गुजर रहा है। कुछ स्थानों पर बीड़ी कामगारों को एक माह में पर्याप्त दिनों का कार्य नहीं मिल रहा है। चूंकि इन कामगारों में मुख्य रूप से अ.जा./अ.ज.जा., अल्पसंख्यक आदि वर्गों के लोग शामिल होते हैं जो समाज के सर्वाधिक कमजोर वर्गों से आते हैं तथा इस स्थिति से निपटने में अक्षम होते हैं।

बीड़ी कामगार सामान्य तौर पर सामाजिक सुरक्षा के किसी भी संस्थागत रूप से वंचित होते हैं क्योंकि ये कामगार बमुशकिल दो जून की रोटी कमा पाते हैं। अपनी दयनीय रहन-सहन दशाओं और कार्य के जोखिमकारी स्वरूप के होने की वजह से उन्हें इसी तरह की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के बीच सामान्य तौर पर पाई जाने वाली बीमारियों के अलावा अनेक अन्य किस्म की व्यवसायजन्य बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है।

अनेक ऐसे विधान हैं जो इन कामगारों के हितों की रक्षा करते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा यथा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी के भुगतान की व्यवस्था है। जहां कहीं सरकार को न्यूनतम मजदूरी आदि के भुगतान न किए जाने के संबंध में कोई शिकायत मिलती है, उसे उपचारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया जाता है। महानिदेशक, श्रम कल्याण (डी जी एल डब्ल्यू) और उनके अधिकारीगण बीड़ी कामगारों की अधिकता वाले क्षेत्रों में अपने दौरों के दौरान फील्ड स्टाफ से मिलते हैं और न्यूनतम मजदूरी के भुगतान तथा उनके द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याण स्कीमों के क्रियान्वयन की प्रथम सूचना प्राप्त करते हैं और उन्हें समुचित निदेश देते हैं। इसके अतिरिक्त, हम राज्य सरकारों से बीड़ी कामगारों के लिए लागू विधानों के उपबंधों को प्रभावी ढंग से प्रवर्तित करने के लिए समय-समय पर अनुरोध भी करते रहे हैं।

भविष्य निधि (पी.एफ.) के कवरेज के संबंध में, चिह्नित किए गए बीड़ी कामगारों और भविष्य निधि के अंतर्गत कवर कामगारों के बीच व्यापक अंतर है। हम भविष्य निधि के दायरे में और अधिक बीड़ी कामगारों को लाने के लिए विशेष अभियान चलाते रहे हैं। जनवरी से मार्च, 2005 के बीच चलाये गये इसी तरह के एक अभियान के दौरान भविष्य निधि के अंतर्गत 1.2 लाख बीड़ी कामगारों को कवर किया गया है।

बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1976 के तहत विभिन्न कल्याण योजनाओं के दायरे को बढ़ाने और योजनाओं के उदारीकरण के लिए कई पहल की गई हैं। कल्याण योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन तथा समग्र रूप में बीड़ी उद्योग के मार्ग में आने वाली समस्याओं पर विचार करने तथा सरकार को उपयुक्त रूप से सलाह देने के लिए एक केन्द्रीय सलाहकार समिति है जिसमें बीड़ी कामगारों, नियोजकों तथा सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं। बीड़ी श्रमिकों के कल्याण पर होने वाला व्यय लगातार बढ़ रहा है जो कि 2000-01 के 50 करोड़ रुपए के स्तर से बढ़कर 2004-05 में 88.88 करोड़ रुपए हो गया। इसके वित्त पोषण हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, निर्मित बीड़ियों पर उपकर की दर को 1.4.2005 से, 2 रुपए प्रति हजार बीड़ी से बढ़ाकर 4 रुपए प्रति हजार कर दिया गया है। इस वृद्धि से हम कल्याण उपकर के मद में प्रतिवर्ष 70-75 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जुटा सकने में सक्षम होंगे।

देशभर में 4 अस्पतालों तथा 206 औषधालयों के जरिए बीड़ी श्रमिकों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया

*ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2462/05

करायी जाती हैं। तमिलनाडु में मुक्कुदल, मध्य प्रदेश में सागर और बिहार में बिहारशरीफ में तीन और अस्पतालों का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। इसके अलावा, हृदय रोगों, गुर्दा प्रत्यारोपण तथा कैंसर आदि जैसे गंभीर रोगों के उपचार हेतु मान्यताप्राप्त अस्पतालों में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए उदार दृष्टिकोण अपनाया जाता है। प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा हृदय रोग के लिए 1.30 लाख रुपए, गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए 2.00 लाख रुपए तथा कैंसर के उपचार की पूरी लागत की प्रतिपूर्ति की जाती है। महिला बीड़ी श्रमिक 2 प्रसवों तक 1,000 रुपए तक प्रसूति लाभ की पात्र हैं। बेटी के विवाह के लिए बीड़ी श्रमिक की विधवा को 5,000 रुपए दिए जाते हैं। बीड़ी श्रमिकों के लिए चलाई जा रही समूह बीमा योजना के तहत, स्वाभाविक मृत्यु के मामले में 10,000 रुपये और दुर्घटना जनित मृत्यु की स्थिति में 25,000 रुपए दिए जाते हैं। बीड़ी श्रमिकों को इस योजना के लिए कोई प्रीमियम नहीं देना होता है। 2004-2005 के दौरान स्वास्थ्य तथा चिकित्सा देख-रेख के लिए 33.59 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई है। सरकार ने बीड़ी कामगारों के लिए अलग से विद्यमान अस्पताल सुविधा का विस्तार करने के लिए राज्य सरकारों अथवा किन्हीं अन्य संस्थाओं को 2.00 करोड़ रुपये एकबारगी अनुदान प्रदान करने के लिए एक नयी योजना भी प्रारंभ की है।

बीड़ी श्रमिकों के, मान्यताप्राप्त संस्थानों में 5वीं और इससे आगे की कक्षा में अध्ययनरत बच्चों के लिए 500 रुपए और व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए 8,000 रुपए प्रति बालक प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाते हैं। बीड़ी श्रमिकों के पहली से चौथी कक्षा तक पढ़ रहे बच्चे विद्यालय परिधान और पाठ्यपुस्तकों के लिए 250 रुपए प्रतिवर्ष प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। वजीफे के लिए बीड़ी श्रमिकों के पहली से चौथी कक्षा तक पढ़ रहे बच्चों की संख्या पर क्षेत्रवार सीमा को समाप्त कर दिया गया है और अब हर बच्चा इस वजीफे का पात्र है। 2004-05 के दौरान बीड़ी कामगारों के लगभग 4 लाख बच्चों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई तथा 40.52 करोड़ रुपये की धनराशि इस पर व्यय की गई।

सरकार, बीड़ी कामगार द्वारा मकान के निर्माण के लिए आवास योजना भी कार्यान्वित कर रही है। एक मकान के निर्माण के लिए उपलब्ध आर्थिक सहायता 20,000 रुपये थी जिसे अगस्त, 2004 में बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया गया है। 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता का लाभ उठाने के लिए, बीड़ी कामगार द्वारा अपने बराबर अंशदान के रूप में अपने मकान के निर्माण के लिए 40,000 रुपये की धनराशि का अंशदान करना आवश्यक था। मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि इस योजना को और उदार बनाया गया है तथा 25.5.2005 से एक "संशोधित एकीकृत आवास योजना 2005" प्रारंभ की गई है, जिसमें अपनी भूमि रखने वाले कामगार को केवल 5,000 रुपये के अंशदान पर 40,000 रुपये की एकसमान केन्द्रीय आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

केरल में बीड़ी विनिर्माण का कार्य मुख्यत: बीड़ी कामगारों की सहकारी समितियों द्वारा संचालित कारखानों में किया जाता है। वर्ष 2004-05 के दौरान केरल में बीड़ी कामगारों के बच्चों को छात्रवृत्तियों के रूप में 1.55 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की गई है। इसी प्रकार, केरल में इस अवधि के दौरान 706 मकानों की संस्वीकृति प्रदान की गयी तथा 1.2 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता राशि वितरित की गयी। बीड़ी कामगारों और उनके परिवारों को प्राथमिक स्वास्थ्य देख-रेख उपलब्ध करवाने के लिए 8 चिकित्सा औषधालय हैं। इसके अतिरिक्त, कैंसर, हृदय रोगों तथा प्रसूति लाभों आदि जैसी विभिन्न प्रतिपूर्ति योजनाओं के अंतर्गत केरल में बीड़ी कामगारों को 7 लाख रुपये से अधिक की धनराशि की प्रतिपूर्ति की गयी।

अध्यक्ष महोदय: कृपया ऐसे नहीं करें।

श्री के. चन्द्रशेखर राव: केरल सरकार केरल बीड़ी और सिगार कामगार कल्याण निधि योजना कार्यान्वित कर रही है, जिसके अंतर्गत 35,670 कामगार पंजीकृत किए गए थे। इस योजना में कामगारों के लिए मासिक पैंशन तथा अन्य कल्याणकारी उपायों का प्रावधान है। केरल में बीड़ी उद्योग को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत एक अनुसूचित नियोजन के रूप में शामिल किया गया है तथा 1,000 बीड़ियां लपेटने के लिए कुल मजदूरी 84.20 रुपये बैठती है। केरल सरकार ने सूचित किया है कि मुख्यत: उत्पाद शुल्क और उपकर की अदायगी से छूट प्राप्त इकाइयों से अनुचित प्रतिस्पर्धा तथा धूम्रपान निषेध विधान के प्रवर्तन के कारण केरल में बीड़ी के उपभोग तथा उत्पादन में काफी कमी आयी है तथा कामगारों को पर्याप्त काम नहीं मिल रहा है। केरल सरकार ने बीड़ी उद्योग द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की जांच-पड़ताल करने एवं उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए राज्य निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। समिति द्वारा प्रभावित जिलों का दौरा किए जाने की सूचना है तथा यह राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्यों को पुन: स्मरण कराना चाहूंगा कि माननीय मंत्रियों के अलावा किसी को भी सरकारी दीर्घा में बैठे अधिकारियों से मिलने की अनुमति नहीं है।

श्री पी. करूणाकरण: महोदय, माननीय मंत्री जी ने एक लम्बा वक्तव्य दिया है। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। किन्तु बहुत सारे प्रश्न अनुत्तरित ही रह गये हैं।

[श्री के. चन्द्रशेखर राव]

महोदय, बीड़ी कामगारों की कुल संख्या 60 लाख के आस-पास है। यद्यपि, सरकार ने काफी समय पहले एक विधान बनाया था तथापि ज्यादातर राज्यों ने इस अधिनियम को प्रभावी रूप से क्रियान्वित नहीं किया है, वक्तव्य में बहुत सारे हितलाभों और दावों की बात की गयी है किन्तु अधिनियम के क्रियान्वयन के अभाव में केवल वक्तव्य देने से ज्यादातर कामगारों को कोई लाभ नहीं होगा।

महोदय, जहां तक उत्पाद शुल्क का संबंध है अब यह बनायी गयी बीड़ियों की कुल संख्या पर अधिरोपित किया जाता है। किन्तु यदि आप विशेष रूप से केरल में सहकारी समितियों—केरल दिनेश बीड़ी—और सरकारी स्थापनाओं को देखेंगे तो पायेंगे कि वे तत्काल उत्पाद शुल्क का भुगतान कर देती हैं। किन्तु निजी व्यापारी उसमें टाल-मटोल करते हैं। इसके परिणामस्वरूप सहकारी समितियां इस भारी बोझ को वहन नहीं कर पाती।

महोदय, जहां तक कल्याण निधि का संबंध है, सरकार ने कुछ स्वागतयोग्य परिवर्तन किये हैं। किन्तु अब यह राज्य सरकारों के हवाले कर दी गयी है। कामगार को घर के निर्माण के लिए अग्रिम के रूप में 5 हजार रुपए देने होते हैं। इतना ही नहीं कामगार को 40000 रुपए तभी मिलते हैं जब भूमि-मूल्य सहित घर की कुल लागत 2 लाख रुपए मात्र हो।

भू-मूल्य भिन्न-भिन्न जगह पर भिन्न-भिन्न है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि भूमि शहर में है या गांव में। अत: भूमि मूल्य को कुल लागत से निकालना होगा। घर की लागत चाहे कुछ भी हो, कामगारों को 40000 रुपए मिलने ही चाहिएं। इन मुद्दों के प्रकाश में मैं माननीय मंत्री जी से कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं।

क्या सरकार उन राज्यों में, जहां मुख्यतया बीड़ी का निर्माण किया जाता है, बीड़ी सिगरेट अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए तत्काल प्रयास करेगी? बीड़ी एक असंगठित क्षेत्र है और 90-92 प्रतिशत महिलाएं इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। इस अधिनियम का क्रियान्वयन न होने से उनका शोषण हो रहा है।

क्या सरकार उत्पाद शुल्क तंबाकू के कुल उत्पादन पर न लगाकर तंबाकू पर लगायेगी? उसके परिणामस्वरूप सभी तंबाकू उत्पादक व्यक्ति उत्पाद शुल्क देंगे और सरकार का राजस्व बढ़ेगा। इस तरीके से सहकारी समितियों और सरकारी स्थापनाओं की सुरक्षा होगी।

क्या सरकार बीड़ी कामगारों की आवास योजना को केन्द्रीय नियंत्रण में लायेगी? इस समय बीड़ी कामगारों को अपने आवेदन कलैक्टर को देने होते हैं। आवेदन पहले सरकार के पास और फिर केन्द्र सरकार के पास जाता है। इसमें तीन या चार दिन लग जाते हैं। इसे नयी योजना में बनाये रखा जाना चाहिए।

क्या सरकार आवास योजना के अंतर्गत दी जा रही राशि को बढ़ायेगी? इस समय यह 40000 रुपए है जिससे घर बनाना असंभव है। अत: कामगारों का सुझाव है कि इसे बढ़ाकर कम से कम 60000 रुपए कर दिया जाये।

सरकार बीड़ी कामगारों के लिए अस्पताल खोलने पर भी विचार कर सकती है। वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि सरकार तीन और अस्पताल खोलने जा रही है। केरल पहला राज्य है जहां यह पूरी तरह क्रियान्वित किया जा रहा है। वहां कोई अस्पताल नहीं है। क्या सरकार केरल में, विशेषकर कुन्नूर में जहां अधिक बीड़ी कामगार हैं, अस्पताल खोलेगी?

क्या सरकार इस बात पर विचार करते हुए कि बीड़ी क्षेत्र असंगठित स्वरूप का है और इसमें अधिकांश श्रमिक महिलाएं हैं, केवल सहकारी समितियों अथवा सरकारी श्रमिकों को ही शामिल नहीं करके इसमें सभी श्रमिकों को शामिल करने के लिए विशेष बीमा योजना शुरू करेगी। इन्हें सरकार अथवा पंचायत द्वारा प्रीमियम की राशि भी दी जानी चाहिए।

पहले श्रमिकों को 13 से 35 हजार रुपए ऋण स्वरूप दिए जाते थे। अब इसे अनुदान सहायता के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। जिन श्रमिकों ने ऋण लिया है उन्हें इसकी वापसी करनी पड़ती है। मैंने स्वयं इस मुद्दे को सभा में उठाया था। मैं सरकार से इन मुद्दों को नोट करने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, आप सभी जानते हैं कि आपको अग्रिम सूचना देनी होती है। अब मैं सदस्यों द्वारा कतिपय और स्पष्टीकरण की अनुमति दूंगा। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि मुझे छ: लोगों की सूचना प्राप्त हुई है। मैं देख रहा हूं कि अभी भी कुछ सदस्यों ने अपना हाथ उठाया हुआ है। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। छ: में से चार माननीय सदस्यों ने 10.00 बजे पूर्वाह्न में सूचना दी है। एक माननीय सदस्य जो अब अपना हाथ उठा रहे थे 10.51 बजे पूर्वाह्न में सूचना दी है और एक अन्य माननीय सदस्य ने 12.15 बजे सूचना दी है। मैं इन दोनों सूचनाओं को अस्वीकार कर रहा हूं। मैं अन्य चार सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे केवल एक ही प्रश्न पूछें ताकि हम सभा की कार्यवाही जारी रख सकें। विस्तार में जाने के बजाए केवल प्रश्न पूछें।

डा. सी. कृष्णन (पोल्लाची): महोदय, बीड़ी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, साथ ही साथ शराब का सेवन भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तथापि, इसे केवल सिनेमाघरों और सार्वजनिक स्थानों में ही निषेध करने की अधिसूचना की गई है।

अध्यक्ष महोदय: यह संसद में भी निषिद्ध है।

डा. सी. कृष्णन: इसी प्रकार यह कर्मचारियों के लिए भी हानिकारक है।

अध्यक्ष महोदय: आपका स्पष्टीकरण क्या है?

डा. सी. कृष्णन: मैं सरकार के ध्यान में बीड़ी श्रमिकों की शिकायतों को लाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: यह आपका काम नहीं है। आप स्पष्टीकरण पूछें।

श्री सी. कृष्णन: बीड़ी श्रमिकों की मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुरूप बढ़ाया जाना चाहिए। आवास ऋण जो इस समय 40,000 रुपए है, को बढ़ाकर 60,000 रुपए किया जाए।

जहां तक शिक्षा संबंधी सहायता का प्रश्न है, तमिलनाडु में लगभग 10 लाख बीड़ी श्रमिक हैं जबकि केवल 11 करोड़ रुपए अनुदान सहायता दी गई है। इसे बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: क्या माननीय मंत्री महोदय ये सभी कार्य करते हैं।

डा. सी. कृष्णन: शिक्षा संबंधी सहायता वर्ष के आरंभ अर्थात जून में ही दी जानी चाहिए। इसमें विलंब नहीं किया जाना चाहिए। जब बच्चे अध्ययन के लिए जाते हैं उन्हें रेलगाड़ी अथवा बस से जाना पड़ता है। अत: सरकार द्वारा उनके उच्चतर अध्ययन के अनुरूप शिक्षा सहायता में वृद्धि करनी चाहिए।

तम्बाकू और बीड़ी के पत्ते पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराएं ताकि उन्हें सप्ताह में छ: दिन तक काम मिल सके।

अध्यक्ष महोदय: ये सारी बातें कही जा चुकी हैं। कृपया इन्हें न दुहराएं।

डा. सी. कृष्णन: जन्म प्रमाण-पत्र में तारीख के संबंध में तीन बातों—चुनाव पहचान-पत्र, राशन कार्ड अथवा शिक्षण प्रमाण-पत्र को ध्यान में रखा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय: आप कुछ मांग उठा रहे हैं। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में नहीं आता है। आप कतिपय स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं।

डा. सी. कृष्णन: पेंशन की गणना करने के समय जन्म तारीख के कारण समस्या आती है।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद, अब मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। हमारे पास कुछ उपाय होने चाहिए। आपने कई बातों का उल्लेख किया है। अब श्री वरकला राधाकृष्णन अपना स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): जहां तक बीड़ी उत्पादन का प्रश्न है, उत्पाद-शुल्क संग्रहण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। श्रमिकों द्वारा उत्पादित बीड़ी पर उत्पाद शुल्क की गणना की जाती है। तम्बाकू पर उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है। कठिनाई यह है कि बीड़ी श्रमिक कोई लेखा-जोखा नहीं रखते हैं। उनके पास कोई स्पष्ट लेखा नहीं होता है। लेकिन समितियों द्वारा इसमें 90 प्रतिशत महिला श्रमिकों को रखा जाता है। वे सही लेखा-जोखा रखती हैं और इसे आयकर और उत्पाद शुल्क अधिकारिकों को नियमानुसार प्रस्तुत करते हैं। लेकिन दूसरे मामलों में वे कोई लेखा जोखा नहीं रखते हैं। अत: वे कम मूल्य पर बीड़ी बेच सकते हैं जबकि समितियां गैर-सरकारी बीड़ी श्रमिकों की दर पर बेची जाने वाली बीड़ी की दर के अनुरूप इसकी बिक्री नहीं कर सकती हैं।

अत: मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या यह बीड़ी पर उत्पाद शुल्क की पूरी छूट देकर तम्बाकू उत्पाद पर ही कर लगायेगी। इस उद्योग को बचाने का यही एकमात्र तरीका है।

अध्यक्ष महोदय: श्री करुणाकरण ने अपनी बात कह दी है। अब श्री बसुदेव आचार्य बोलेंगे। कृपया केवल एक स्पष्टीकरण पूछें।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, देश भर में लगभग 42 लाख बीड़ी श्रमिक हैं। पहले, बीड़ी श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी एक योजना थी। भारत सरकार ने अस्पताल बनाए थे। मेरे जिले में फालदा में, बीड़ी श्रमिकों के लिए चार वर्ष पूर्व एक अस्पताल की मंजूरी मिली थी। लेकिन अब भारत सरकार ने एक नई योजना घोषित की है और अस्पताल के निर्माण के लिए केवल 2 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

इस अस्पताल को चलाने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी। बीड़ी श्रमिकों के कल्याण हेतु प्रति हजार बीड़ी पर उपकर लगाया जाता है। अधिकांश बीड़ी श्रमिक तपेदिक रोग के शिकार हैं। इसी वजह से 4 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के फालदा में इस अस्पताल को मंजूर किया गया था। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस अस्पताल का निर्माण पूर्व योजना के अंतर्गत अर्थात निर्माण के लिए अनावर्ती व्यय के रूप में 2 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जाने से पूर्व योजना के अंतर्गत करने पर विचार करेगी।

[श्री बसुदेव आचार्य]

महोदय, माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य के अनुसार इस समय भविष्य निधि के अंतर्गत केवल 1.2 लाख श्रमिक शामिल हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार भविष्य निधि के अंतर्गत सभी 42 लाख श्रमिकों को आने पर विचार करेगी।

महोदय, बीड़ी श्रमिकों हेतु बनी सहकारी समितियों को एक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मैंने माननीय मंत्री के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की थी और वह इस समस्या से पूरी तरह अवगत हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बीड़ी श्रमिकों की एक ऐसी सहकारी समिति है जहां उसकी बकाया धनराशि के भुगतान के लिए कहा जा रहा है। यदि इस समिति को 50 से 60 लाख रुपए बकाया धनराशि का भुगतान करने को कहा जाता है तो इसे बंद करने के सिवा और कोई विकल्प नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया मंत्री महोदय से बीड़ी श्रमिकों हेतु अस्पताल के निर्माण के संबंध में आश्वासन प्राप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वह सहकारी समिति को उसकी बकाया धनराशि के भुगतान से छूट देगी अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय: यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का मामला नहीं है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय अध्यक्ष जी, मैं श्री करुणाकरन जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी जितने सम्मानित सदस्यों ने अपनी बात उठाई, उन सभी ने माना है कि यह बहुत बड़ी समस्या है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र चायल, उत्तर प्रदेश में पच्चीस हजार बीड़ी कर्मचारी हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी हैं और उनका ठेकेदारों द्वारा शोषण किया जाता है। जब वे एक हजार बीड़ियां बनाते हैं, तब उनहें एक रुपया मजदूरी दी जाती है। उसमें ज्यादातर बच्चे और औरतें टीबी या दमे के मरीज हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ठेकेदारों द्वारा बीड़ी वर्करों का जो शोषण हो रहा है, उस पर अंकुश लगाने की कोई व्यवस्था करेंगे और उनके मानदेय को बढ़ाने की बाबत किसी तरह की कार्यवाही करेंगे?

इसके साथ ही मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, जैसा कि अभी श्री बसुदेव आचार्य जी ने बताया मेरे पिता जी वर्ष 1983-84 में भारत सरकार में श्रम मंत्री थे। मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में, एक तीस बैड का अस्पताल मंजूर हुआ था। वर्ष 1984 में जैसे ही पिता जी की मृत्यु हुई, पता नहीं कैसे वह अस्पताल साउथ में चला गया, दूसरे श्रम मंत्री जी के यहां चला गया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बीड़ी वर्करों की संख्या पच्चीस हजार से ज्यादा हो गई है और जो नई योजना में आप तमाम अस्पताल खोलने की मंजूरी दे रहे हैं, क्या मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक तीस बैड के अस्पताल को खोलने की मंजूरी देंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे विश्वास है कि योग्य पिता के योग्य पुत्र होने के नाते आप भी बीड़ी कामगारों के हितों का ध्यान रखेंगे।

श्री के. चन्द्रशेखर राव: महोदय, जैसाकि सरकार ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में कहा है, हम बीड़ी श्रमिकों के कल्याण को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य से सरकार ने कल्याण उपकर को 2 रुपए से बढ़ाकर 4 रुपए कर दिया है ताकि अधिक निधियां प्राप्त हों जिससे गरीब बीड़ी श्रमिकों हेतु और अधिक कल्याण संबंधी योजनाएं चलाई जा सकें।

अभी नई आवास योजना शुरू की गई है। पहले यह योजना अनुमान के अनुसार नहीं चल पायी थी। अब हमने इसे अत्यंत सरल बना दिया है और जिला समाहर्ता को इस योजना के कार्यान्वयन हेतु जिम्मेवार बनाया गया है। यह योजना इंदिरा आवास योजना की तरह कार्यान्वित की जायेगी। दिया जाने वाला 40,000 रुपया पूर्णतया अनुदान सहायता है। इसमें ऋण का कोई संघटक नहीं है। लाभभोगियों के अंशदान से दो बातें पूरी होने की संभावना बनती है। उन्हें स्वयं अथवा संबंधित राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त आवास स्थल प्राप्त करना होगा और अपनी तरफ से 5000 रुपए जमा करना होगा। हमें देखना है कि 45000 रुपए की कुल धनराशि वाली यह योजना किस प्रकार प्रगति करती है और यदि इसमें भविष्य में कोई परिवर्तन होता है तो सरकार उसका सामना करने के लिए तैयार है। देखते हैं कि यह किस तरह काम करती है।

एक अन्य पहलू बीड़ी श्रमिकों के स्वास्थ्य की देखभाल के बारे में है। जब रोग हृदय की बीमारी अथवा कैंसर अथवा गुर्दा प्रत्यारोपण से संबंधित हो तो हम ऐसी गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु इन मामलों की सुपर स्पेशियलटी हास्पिटलस (विशिष्टता वाले अस्पतालों) में भेजते हैं। कैंसर के मामले में सरकार उपचार पर होने वाले व्यय का पूर्ण प्रतिपूर्ति भुगतान करती है। हृदय की बीमारो के संबंध में अधिकतम सीमा 1,30,000 और गुर्दा प्रत्यारोपण हेतु 2 लाख रुपए की अधिकतम सीमा है। यह ठीक-ठाक चल रहा है। हम विशिष्टता प्राप्त अस्पताल नहीं चला सकते हैं। निजी क्षेत्र में कई विशिष्टता प्राप्त और अन्य अस्पताल हैं। इन श्रमिकों को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से हम उन्हें गैर-सरकारी क्षेत्र के

विशिष्टता प्राप्त अस्पतालों में इलाज हेतु भेजते हैं और हम कम राशि की प्रतिपूर्ति करते हैं।

एक समस्या और है जिसका सामना बीड़ी उद्योग कर रहा है। जो कंपनियां प्रतिवर्ष बीस लाख से कम बीड़ी उत्पादन करती हैं, उन्हें सरकार द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट है। ये वे कंपनियां हैं जो वास्तविक बीड़ी कंपनियों के लिए समस्या पैदा कर रही हैं। वे कर बचाती हैं। ऐसे कुछ मामले हैं जहां वे चालीस लाख बीड़ी बनाते हैं किन्तु वे कभी नहीं कहते कि वे चालीस लाख बीड़ी बना रहे हैं। छूट का फायदा उठाने के बहाने वे वास्तविक बीड़ी कंपनियों के लिए समस्याएं पैदा कर रहे हैं। ऐसे बीड़ी निर्माताओं को कवरेज दायरे के अंतर्गत लाने के लिए इस मामले को हमने वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के सामने रखा है ताकि वास्तविक कंपनियों को बचाया जा सके और इन कामगारों को नुकसान न हो।

श्री करुणाकरण कन्नूर में अस्पताल की मांग कर रहे थे। यह नई योजना नहीं है। श्री बसुदेव आचार्य भी झालदा में अस्पताल की मांग कर रहे थे। यह योजना पूर्व सरकार द्वारा तैयार की गई थी। अब इस संबंध में सरकार द्वारा जो प्रणाली अपनाई जाती है उसके अंतर्गत हम दो करोड़ रुपए का एकबारगी अनुदान मंजूर करेंगे यदि राज्य सरकार आगे आती है ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: किन्तु उस अस्पताल की मंजूरी चार वर्ष पहले दी गई थी।

श्री के. चन्द्रशेखर राव: मैं सरकार की सामान्य नीति को बताने का प्रयास कर रहा हूं। यदि राज्य सरकार इस संबंध में कोई प्रस्ताव करती है तो सरकार राज्य सरकार को एकबारगी अनुदान के रूप में दो करोड़ रुपए देती है और हम बीड़ी कामगारों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रति वर्ष दस लाख रुपए भी देते हैं। यह वर्तमान योजना है। अधिकतर राज्य सरकारें प्रस्ताव के साथ आगे नहीं आ रही हैं। हम विभाग के भीतर मामले की समीक्षा कर रहे हैं। मैं श्री आचार्य को आश्वासन देता हूं कि अस्पताल की मांग वह बार-बार कर रहे हैं; उसे नई योजना के तहत न उठाकर पुरानी योजना के तहत उठाया जाएगा। यह कार्य इसलिए किया जाएगा क्योंकि वह काफी समय से इसका अनुरोध करते रहे हैं। सरकार उसका ध्यान रखेगी।

श्री राधाकृष्णन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से बीड़ी उद्योग को पूर्ण छूट देने पर पर तम्बाकू पर ही कर लगाने की मांग कर रहे थे। इस मांग की सरकार द्वारा जांच नहीं की गई थी। मैं कोई, आश्वासन नहीं दे सकता। किन्तु हम इस मामले की जांच करेंगे कि यह कैसे होगा। मुझे इसकी जांच करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: बहुत ठीक।

श्री के. चन्द्रशेखर राव: श्री आचार्य उल्लेख कर रहे थे कि 1.2 लाख बीड़ी कामगारों को ही भविष्य निधि योजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यह पूरे आंकड़े नहीं हैं। जिन बीड़ी कामगारों को भविष्य निधि नियम द्वारा शामिल किया जाता है, उनकी संख्या बीस लाख से ऊपर है। यह जनवरी 2005 से मार्च 2005 तक विशेष अभियान का एक हिस्सा था। उस विशेष समय पर भविष्य निधि विभाग द्वारा यह आंकड़े दिए गए थे। हमने पश्चिम बंगाल राज्य में विशेष छापा भी शुरू किया है और इसमें एक बार में ही सत्तर हजार बीड़ी कामगारों को नामांकित कराया। हम पूरे देश में जहां भी बीड़ी कामगार हैं इसी प्रणाली को शुरू करने जा रहे हैं वे उन लोगों पर विशेष छापा अभियान चलाने का भी प्रयास कर रहे हैं जो सामाजिक सुरक्षा भविष्य निधि अंशदान से बच रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री से निवेदन है कि वे बिहार को भी ध्यान में रखें। बिहार में बहुत वर्कर्स हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप इसे ध्यान में रखें किन्तु उन्हें उत्तर न दें।

श्री के. चन्द्रशेखर राव: हमने भविष्य निधि विभाग में उड़न दस्ता तैयार किया है। पश्चिम बंगाल एक अच्छा उदाहरण था और हमें अच्छा अनुभव हुआ। हम इसे सारे देश में दोहराएंगे और मैं निश्चित रूप से अच्छे परिणामों की उम्मीद कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: श्री विक्रम केशरी देव, आप अब एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया बैठ जाइए। ये कतिपय मामले हैं जिन पर हमें कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। आपने नोटिस देकर चिन्ता दर्शाने का भी कष्ट नहीं उठाया है। इसका उत्तर नहीं दिया जाएगा। न ही इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा। श्री देव, मैं यह कहने का प्रयास कर रहा था और मैं इस बात की अत्यधिक सराहना करता हूं कि हमने एक मिनट भी बर्बाद नहीं किया है। हम ज्यादा काम कर रहे हैं; हम अधिक प्रश्न और पूरक प्रश्न उठा रहे हैं; और हम अधिक मामले उठा रहे हैं। मुझे आपके उदार सहयोग की जरूरत है। मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं। कदाचित सभा और देश को इस बात का पता

[अध्यक्ष महोदय]

जाएगा कि हमने एक मिनट भी बर्बाद नहीं किया है। इसलिए कृपया सहयोग कीजिए। मैं सदैव सहयोग करने की चेष्टा करूंगा।

जहां तक हमारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का संबंध है, मुझे माननीय सदस्य से अनुरोध प्राप्त हुआ है जिसके नाम से यह प्रस्ताव आया है कि कुछ असुविधा के कारण इस प्रस्ताव को स्थगित किया जा सकता है। मैं इसे किसी अन्य तारीख तक स्थगित कर रहा हूं। मैं सभी संबंधित सदस्यों से बात करूंगा और तारीख तय करूंगा। देखिए हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं।

अब हम अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाएं। श्री रामजीलाल सुमन।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, आतंकवादी गतिविधियां हमारे देश में निरन्तर बढ़ रही हैं। हाल ही में हमने इस सदन में अयोध्या में और देश के विभिन्न भागों में आतंकवादी घटनाओं पर चर्चा की थी। पंजाब में भी आजकल कुछ तनाव हुआ है। असम में गुवाहाटी में विध्वंसक गतिविधियों में तेजी लाते हुए उल्फा उग्रवादियों ने एक विस्फोट किया है, जिसमें चार लोग मारे गये। इसके अलावा शिवसागर और डिबूगढ़ जिले में भी ओ.एन.जी.सी. की दो पाइपलाइनों को ध्वस्त कर दिया गया और ऑयल इंडिया का पाइपलाइन को भी तिनसुकिया में ध्वस्त कर दिया गया। वहां जो पुलिस प्रवक्ता ने खबर दी, उसके मुताबिक आतंकवादियों ने जो विस्फोट किया, वह चीन में बना हुआ बम था। यह बहुत गंभीर मामला है। जब हम ईरान से पाइपलाइन की बात करते हैं, तो जब हमारी खुद की गैस लाइन सुरक्षित नहीं है तो निश्चित रूप से एक अविश्वास का वातावरण बनता है। देश के तमाम हिस्से, जो शान्त थे, उनमें भी अशान्ति का वातावरण है। ये गतिविधियां हमारे देश में तेजी के साथ बढ़ रही हैं और मैं समझता हूं कि इस पर सरकार को गंभीरता के साथ विचार करने की आवश्यकता है।

मैं आपके मार्फत सरकार से यह आग्रह करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से जहां-जहां हिंसक तत्व उग्रवादी घटनाओं में लिप्त हैं, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने का कष्ट करें और सरकार यह बताये कि विभिन्न प्रान्तों में जो तनाव हो रहा है, उससे निपटने के लिए सरकार क्या कारगर योजना बना रही है? धन्यवाद।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इतिहास बदला जा रहा है। कल तक के इतिहास में जो बच्चों को पढ़ाया जाता था, उसमें पृथ्वीराज चौहन के विषय में एक महान देशभक्त, वीर योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। हम उस पृथ्वीराज चौहान के विषय में आज चर्चा कर रहे हैं, जो अपने कवि मित्र की कविता पर, जो मोहम्मद गोरी इस भारत को लूट रहा था, उसका उन्होंने बाण से वध किया था। ...*(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): आप क्या कविता बोल रहे हैं, साफ-साफ बोलिये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह, आप उन्हें उत्तर मत दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: वे कविता सुनना चाहते हैं। हम आपकी इजाजत से कविता सुना देना चाहते हैं। पृथ्वीराज चौहान के कवि मित्र ने कहा था:

'चार बांस, 24 गजा, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताहि पर सुल्तान है, मत चूको चौहान।' - यही कविता थी, जिस कविता के आधार पर उन्होंने मोहम्मद गोरी को मारा था। लेकिन आज जो 11वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उसमें पृथ्वीराज चौहान के विषय में जो लिखा गया है, वह समाचार-पत्र हिन्दुस्तान, 13.7.2005 पटना के अंक में छपा है, उसके कुछ अंश हम पढ़कर सुना देना चाहते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या वह राज्य सरकार का प्रकाशन है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: न्यूजपेपर का हम कुछ अंश पढ़कर सुना रहे हैं, यह हिन्दुस्तान अखबार का है।

अध्यक्ष महोदय: यह स्टेट गवर्नमेंट के पब्लिकेशन के बारे में है क्या?

श्री प्रभुनाथ सिंह: जी हां। इसमें लिखा हुआ है कि एन.सी.ई.आर.टी. की नई किताबों में बच्चे नया इतिहास पढ़ेंगे। बच्चे अब तक पृथ्वीराज चौहान की वीरता के किस्से सुनते आये हैं, लेकिन एन.सी.ई.आर.टी. की नई किताब बताती है कि तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी की सेना से श्री पृथ्वीराज चौहान जान बचाकर भागा और बन्दी बना लिया गया। जबकि अब तक

की मान्यता के अनुसार गद्दार करार दिए गए कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचन्द ने गोरी की सेना को कड़ी चुनौती दी और आखिर में लड़ते हुए मारा गया। एनसीईआरटी की ग्यारहवीं की किताब मध्यकालीन भारत के सम्पादक सतीशचन्द्र हैं, जो वामपंथी इतिहासकार माने जाते हैं। इस पुस्तक में भी नीलान्द्री कमेटी के संशोधन शामिल किए गए हैं। अंत में लिखा गया है कि कन्नौज के राजा जयचन्द को देखकर के गद्दारों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। राजा जयचन्द की मृत्यु को लेकर इतिहास में मतभेद हैं। राजपूतों का इतिहास लिखने वाले कर्नल जेम्स स्टार्म लिखते हैं कि शहाबुद्दीन की सेना ने देशद्रोही जयचन्द के राज्य कन्नौज पर आक्रमण किया तो जयचन्द घबराकर कन्नौज से भागा और नाव पर बैठकर गंगा नदी को पार कर रहा था लेकिन दुर्भाग्य के प्रकोप से नाव गंगा में डूब गई और जयचन्द का वहीं पर अंत हो गया।

अध्यक्ष महोदय, अर्जुन सिंह जी यहां पर नहीं हैं, वे बीमार हैं। मैं कामना करता हूं कि वे शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। मैं चाहता हूं कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। इस समय कोई सक्षम मंत्री यहां नहीं है, लेकिन यूपीए की चैयरमैन श्रीमती सोनिया गांधी जी यहां पर मौजूद हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इतिहास को बदलने का किसी को अधिकार नहीं है। देश ने जिसे सम्मान दिया है और एक महायोद्धा माना है, इतिहास में उसको गद्दार कहकर ग्यारहवीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाया जाता है। यह देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसकी जांच करवायी जाए और जिन लोगों ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। पृथ्वीराज चौहान के प्रति देश के मन में जो सम्मान और भाव हैं उसे कायम रखा जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को गलत संदेश न जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं। धन्यवाद। *...(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): सतीशचन्द्र तो वर्ल्ड फेमस हिस्टोरियन है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर): महोदय, मैं चाहूंगी कि *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं, हर कोई उन्हें जानता है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती जयाप्रदा के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रीमती जयाप्रदा: महोदय, मैं सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कोई नहीं बोल सकता।

श्रीमती जयाप्रदा: हम सभी महाराष्ट्र में विशेषकर कोंकण और पश्चिमी महाराष्ट्र के क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण उत्पन्न स्थिति से अवगत हैं। महोदय, इस पर बुरा प्रभाव पड़ा है। हम पहले ही इस स्थिति को सभा के ध्यान में ला चुके हैं और सभा में चर्चा भी की थी। स्थिति देखने के बाद, उन लोगों की वास्तव में कुछ भी सहायता नहीं हुई है जो सभी मलिन क्षेत्रों में रह रहे हैं। मलिन क्षेत्रों में जल भराव और जल ठहराव की समस्या है जिससे उन्हें अब भी परेशानी हो रही है। जल ठहराव के कारण मलेरिया डेंगू, अतिसार जैसी अनेक खतरनाक बीमारियां फैल रही हैं। ये बीमारियां उन्हें भी प्रभावित कर चुकी हैं। लोग अस्पतालों में जा रहे हैं किन्तु वहां सहायता—चिकित्सा सहायता जिसकी उन्हें जरूरत है, की कमी है। सहायता पर्याप्त नहीं है। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि लोग घंटों लाइनों में खड़े हैं किन्तु उन्हें दवाइयां नहीं मिल रही हैं। परा चिकित्सा कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है किन्तु वह पर्याप्त नहीं है। यह बहुत खतरनाक स्थिति है। वहां जल निकास की भी समस्या है। वर्षा के दौरान अनेक व्यक्ति नालों में फंस गए हैं और मर गए हैं। कोई नहीं जानता अन्दर कितने लोग फंसे हुए हैं। अत: मैं सभा से अनुरोध कर रही हूं कि जो लोग इस स्थिति से संघर्ष कर रहे हैं, उनकी रक्षा करने के लिए सरकार को आगे कदम उठाने होंगे।

महोदय, मैं यहां एक बात बताना चाहती हूं कि भू-स्खलन के कारण जो लोग बेघर हो चुके हैं उनका राशन कार्ड खो गया है। यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से जो कहना चाहता हूं वह यह है कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम हस्तक्षेप करें ताकि उनके हितों की रक्षा की जा सके और यह देख सकें कि उन्हें आवास और भोजन किस प्रकार मिल रहा है। यह बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण स्थिति है।

महोदय, मैं सभा से आग्रह करती हूं कि कोई तत्काल कार्यवाही की जाए तथा झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले प्रभावित लोगों की चिकित्सा जांच के लिए डाक्टरों को लगाए जाए। झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं। धन्यवाद।

***श्री पी. मोहन** (मदुरै): मैं इस माननीय सभा का ध्यान बदनसीब भारतीय श्रमिकों की दुर्दशा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। तमिलनाडु के पेरम्बूर जिले के 50 श्रमिक मलेशिया

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री पी. मोहन]

में सड़ रहे हैं। वे कतिपय भर्ती एजेन्टों द्वारा अधिक वेतन वाले रोजगार दिलाने का लालच देकर फसाए गये हैं। जमीन-जायदाद बेचकर जुटाई गयी भारी रकम का भुगतान करने पर उन्हें विदेश ले जाया गया; फिर भी अभी तक उन्हें वो रोजगार नहीं दिया गया जिसके लिए उनसे वादा किया गय था। ये लोग पेरम्बूर जिले के सेंथुराई और जयमकोन्डम के है और जीवन-मरण की समस्या से जूझ रहे हैं। उन बदनसीब बेरोजगारों से एजेन्ट ने उनका पासपोर्ट भी ले लिया है। बिना मान्य यात्रा कागजात और अन्य बुनियादी जरूरतों से वंचित ये लोग विदेशी तटों पर मुश्किल में पड़ गये हैं। ये एजेन्ट उन्हें अवैध रूप से निजी अभिरक्षा में रखकर प्रताड़ित कर रहे हैं। उनमें से कुछ को छोटे-मोटे कामों में लगाया गया लेकिन उन कार्यों के लिए उन्हें बहुत कम पारिश्रमिक दी गई। जो इन बेईमान नियोक्ताओं से भाग गये उन्हें भी पकड़ लिया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। अत: मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह हमारे उच्चायुक्त के माध्यम से इस मुद्दे को मलेशिया के अप्रवासी प्राधिकारी या उपयुक्त प्राधिकारी के साथ उठाए तथा हमारे भारतीय श्रमिकों को न्याय दिलाने में मदद करने हेतु व्यवस्था करने के साथ-साथ उनकी सुरक्षित वापसी के लिए व्यवस्था करें क्योंकि उनके वीजा की वैधता अवधि शीघ्र समाप्त हो जाएगी।

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई (शिवकाशी): महोदय, मैं उनसे सहमत हूं।

[हिन्दी]

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र.): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान हिमाचल प्रदेश की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। वहां भारत सरकार के निर्देश और सुप्रीम कोर्ट की जजमैंट के कारण बहुत सी आरा मशीनें बंद कर दी गई हैं। इस कारण वहां के किसानों को जहां बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वहां ऐसे लोग जो परम्परागत रूप से उन उद्योगों के साथ जुड़े हुऐ थे और जो बेरोजगार नौजवान इस व्यवसाय के साथ जुड़ गए थे, उनके सामने अपनी रोजी-रोटी का भयानक संकट खड़ा हो गया है।

पिछले दिनों मेरे चुनाव क्षेत्र में लगभग साढ़े तीन सौ आरा मशीनों को एक साथ बंद कर दिया गया जिसके कारण हमीरपुर जिले में भी लगभग साढ़े छ: सौ लोग भुखमरी के कगार पर आकर खड़े हो गए हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह राज्य का मामला है।

[हिन्दी]

श्री सुरेश चन्देल: वे लोग सबके ध्यान में अपनी व्यथा-कथा रख रहे हैं। मैंने उनकी व्यथा-कथा देखी है। स्थिति यहां तक हो गई है कि उनके बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया है।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उन परिवारों को भुखमरी से बचाने के लिए और उनके बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए इस मामले में इंटरवीन करके प्रदेश में उनकी रोजी-रोटी को सुनिश्चित करवाएं। धन्यवाद।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अगर आप थोड़ी मदद करेंगे तब समय मिलेगा, नहीं तो छ: बजे के बाद समय मिलेगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अबदुल्लाकुट्टी (कन्नानौर): धन्यवाद महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस माननीय सभा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा (मिर्जापुर): अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको बाद में भी नहीं बुलाएंगे। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है। क्या आपने कोई सूचना दी है?

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा (मिर्जापुर): हमने नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अभी-अभी मैं कह रहा था कि सभी माननीय सदस्य नियमों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करें। लेकिन आप बिना मेरी अनुमति के खड़े होकर बोलने लगे। इससे आपका प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है। इसे मैं गंभीरता से लेता हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपका नोटिस नहीं है लेकिन आप यहां बोल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अब्दुल्लाकुट्टी: प्रेस रिपोर्ट के अनुसार, कल मैकेन्जी एण्ड कंपनी ने एफ.सी.आई. के नियमित कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों का आउटसोर्सिंग के एफ.सी.आई. में श्रमशक्ति कम करने की सिफारिश की। यदि यह सच है, तो एफ.सी.आई. में संचालन लागत बचाने के नाम पर लागू की श्रमिक-विरोधी सरकारी नीति का मैं पुरजोर-विरोध करता हूं।

महोदय, भारतीय खाद्य निगम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जीवन-रेखा के रूप में कार्य करने के लिए अधिदेशित किया गया है जो देश के गरीब और वंचित वर्गों की सेवा करता है। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य रहा है। यह जानकर दुख हुआ कि सरकार, बहुराष्ट्रीय परामर्शदात्री निकाय, मैकेन्जी एण्ड कंपनी द्वारा भारतीय खाद्य निगम में संरचनात्मक सुधार पर दिए गये प्रतिवेदन की जांच चुपचाप कर रही है।

राजकोषीय स्थिति ठीक करने की दिशा में किए जाने किसी उपाय के तहत हजारों श्रमिकों बेरोजगार बना देने वाली मानवीय पहलू को नजरंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह एक ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनी जो कारगिल और खाद्यान्न विक्रेताओं जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी को भारतीय बाजार में लाना चाहता है; के प्रतिवेदन पर किए जाने वाले श्रमिक-विरोधी प्रयास को छोड़ दें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया सुनिए।

...*(व्यवधान)*

श्री पी. करुणाकरण: महोदय, मैं इससे सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय: हां, वह सहमत हैं। कृपया सुनिए। आप समय पर नोटिस देने का कभी प्रयास नहीं करते हैं। आप समय के बारे में भलिभांति जानते हैं। नोटिस 9.30 बजे पूर्वाह्न तक दे दी जानी चाहिए। आप वैसा तो कभी नहीं करते हैं और सभा की कार्यवाही को बाधित करते हैं।

बहुत अच्छा, अब आप कहिए।

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक लोक महत्व का सवाल सदन में उठाना चाहता हूं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाजवादी आंदोलन के सबल स्तम्भ, लोकतंत्र के सजग पहरूआ और पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्वर्गीय श्री राजनारायण की स्मृति में स्मारक डाक टिकट जारी करने के लिए मैंने समय-समय पर तत्कालीन माननीय संचार मंत्रियों को पत्र लिखने के अतिरिक्त इस विषय को कई बार लोक सभा में भी उठाया है। परन्तु केन्द्र सरकार के भेदभाव एवं उपेक्षित नीति के कारण, दोहरे मापदंड के कारण ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इससे सरकार का कुछ लेना-देना नहीं है।

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद: मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि जब पिछली सरकार में मैंने इस सवाल को उठाया और आपकी मौजूदगी में, आपकी आज्ञा से पिछले सत्र में मैंने इस सवाल को उठाया कि स्वर्गीय श्री राजनारायण जैसे आदमी के नाम पर ...*(व्यवधान)* डाक टिकट जारी किया जाये। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह सरकार का काम नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री हरिकेवल प्रसाद: लेकिन संचार मंत्री ने मुझे जवाब दिया कि श्री राजनारायण जी इस परिधि में नहीं आते हैं। वह चिट्ठी मैं आपके पास भेज देता हूं। अगर श्री राजनारायण जी इस परिधि में नहीं आते तो फिर कौन आयेगा? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप लोग बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप सब बैठ जाइए।

[हिन्दी]

आप भी बैठ जाइए। जब हम खड़े हैं। तो थोड़ा प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। हमने उनको बोलने का मौका दिया है।

[अनुवाद]

एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने के लिए, यद्यपि केवल स्टैम्प का मामला सरकार से संबंधित है। प्रत्येक व्यक्ति सहयोग का रहा है और सभी लोग श्री राजनारायण जी का सम्मान करते हैं। मुझे उनके साथ एक ही सभा में होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इसलिए हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। मैं एक टिप्पणी करूंगा लेकिन आप अपनी बात पूरी कर लें और आपको खड़ा नहीं होना है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, आज इस सवाल पर पूरे देश के समाजवादी लोग जो संघर्षों में श्री राजनारायण जी के साथ थे, वे जंतर-मंतर रोड पर धरना दे रहे हैं। उन्होंने आपको ज्ञापन देकर यह अनुरोध किया है कि श्री राजनारायण जी के नाम पर डाक टिकट जारी किया जाये। अंग्रेज शासक लार्ड इरविन की मूर्ति जो संसद मार्ग के प्रथम गोल चक्कर में थी, समाजवादियों द्वारा एक प्रदर्शन के दौरान तोड़ी गयी थी। हमारी आपसे मांग है कि उस जगह पर श्री राजनारायण जी की मूर्ति लगाई जाये और उस पार्क का नाम श्री राजनारायण पार्क रखा जाये। इसके साथ-साथ मैं यह भी चाहता हूं कि लोक सभा के सैंट्रल हाल में उनके चित्र को स्थापित किया जाये। स्वर्गीय श्री राजनारायण जी ने न्यायालय के आदेश के आधार पर जनता के अंदर राजनीति की हवा बदल दी थी। मैं चाहता हूं कि आपके अध्यक्ष पद पर रहते हुए श्री राजनारायण जी का चित्र लोक सभा में स्थापित किया जाये और उनके नाम से एक डाक टिकट जारी किया जाये। *...(व्यवधान)* पिछली सरकार के संचार मंत्री ने लिखा था कि श्री राजनारायण जी इस परिधि में नहीं आते हैं। इस सरकार के संचार मंत्री ने भी यही लिखा, तो मैंने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हमें उस पत्र का जवाब नहीं दिया। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रेवती रमन सिंह अपनी सहमति व्यक्त करेंगे। वे माननीय सदस्य...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। श्री रामजीलाल सुमन, मैं इसे बहुत गंभीरता से ले रहा हूं। यदि आप बाधा डालेंगे, तो कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। कृपया मुझे एक मौका दीजिए। मुझे कुछ समय पहले आपको प्रमाण-पत्र नहीं देना चाहिए था।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव (संभल): हम केवल एशोसिएट कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री रामकृपाल यादव (पटना): अध्यक्ष महोदय, आप इस पर कुछ निर्णय लें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे सभा की कार्यवाही चलाने दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

आप बैठ जाइए। हम आपका नाम काट देंगे।

...(व्यवधान)

अपराह्न 1.00 बजे

अध्यक्ष महोदय: जो-जो माननीय सदस्य इनके साथ ऐसोसिएट की चाहते हैं, एक स्लिप भेज दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यही तो मुसीबत हो जाती है। आप लोग सीनियर मैम्बर्स हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: केवल रेवती रमन सिंह ने नोटिस दिया है। यद्यपि, सभी माननीय सदस्य नोटिस नहीं दिए हैं, आप लोग अपनी सहमति व्यक्त कर सकते हैं। मामले की संवेदनशीलता और स्व. राजनारायण जी के प्रति सम्मान को देखते हुए उन लोगों को नोटिस दिए बिना अपनी सहमति व्यक्त करने की अनुमति दी जाएगी।

[हिन्दी]

आप एसोशिएट कर दीजिए। ठीक है, हो गया। श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, श्री रघुनाथ झा, श्री राम कृपाल यादव, श्री साताराम सिंह, श्री गणेश प्रसाद सिंह, श्री विजय कृष्ण, श्री रामजीलाल सुमन, प्रो. राम गोपाल यादव, प्रो. एस.पी. सिंह बघेल, कुंवर रेवती रमन सिंह, श्री चन्द्रभूषण सिंह, श्री रवि प्रकाश वर्मा, श्रीमती जयाप्रदा, श्री चन्द्रपाल सिंह यादव, श्री राजनरायन बुधौलिया, श्री वीरचन्द्र पासवान, श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी, कुंवर सर्व राज सिंह और श्री शंख लाल माझी का नाम भी एसोसिएट किया जाता है।

...(व्यवधान)

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप सरकार को डायरेक्शन देने का काम करें कि सरकार, *...(व्यवधान)* आप भी इस लड़ाई में, *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आपको ऐसा लगता है कि अध्यक्ष सुपर प्राईम मिनिस्टर होता है?

श्री रेवती रमन सिंह: हम आपको सभा का अभिभावक समझते हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अध्यक्ष और समिति के क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों पर मैं टिप्पणी करूंगा।

श्री रेवती रमन सिंह: धन्यवाद महोदय।

अध्यक्ष महोदय: मैंने इस मामले को समिति के विचारार्थ पहले ही भेज दिया है। सरकार द्वारा स्टाम्प जारी करने का जहां तक संबंध है, मुझे विश्वास है कि इस ओर उचित ध्यान दिया जाएगा। यह बहुत आसान हो जाएगा यदि हरेक चीज को संगठित रूप से किया जाए।

अपराह्न 1.01 बजे

सदस्य द्वारा निवेदन

मुंबई शेयर बाजार में अत्यधिक अस्थिरता के बारे में

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा): जब 1991-92 में मैं राज्य सभा का सदस्य था तो मैंने यह मामला सभा में उठाया था। उस समय डा. मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। आज मैं यह मुद्दा फिर उठा रहा हूं जब डा. मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री हैं। सभा भी मेरी बात का समर्थन करेगी। यह मुद्दा मुम्बई शेयर बाजार में अत्यधिक अस्थिरता के बारे में है। आज यह 7,797 अंक तक पहुंच गया है। मात्र एक दिन में मुम्बई शेयर बाजार में 537 अंकों की वृद्धि दर्ज हुई है। मैं इस मुद्दे को फिर से इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि इस तरह की बहुत अधिक तेजी और यह "बुल रन" एक न एक दिन किसी घोटाले को जन्म देगी और करोड़ों लघु निवेशकों को नुकसान हो जाएगा। यही कारण है जिससे मैं यह मामला उठा रहा हूं। जब मुम्बई में बाढ़ आई थी तो मुम्बई शेयर बाजार में वृद्धि का रुख था। जब बाम्बे हाई जो कि तेल का सबसे बड़ा प्लेटफार्म है, में आग लगी थी तो भी मुम्बई शेयर बाजार में तेजी का दौर भी था। पहले जब कभी भी आपदा आई *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया मेरी बात सुनिए। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा कि आप अध्यक्षपीठ और बोलने वाले सदस्य के बीच में टहलें। इन मामलों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

श्री गुरूदास दासगुप्त: प्राकृतिक आपदा जब भी आई है, शेयर बाजार पर उसका प्रभाव पड़ा। सूनामी के दौरान और सूनामी के बाद भी बाजार खुला था और मुम्बई शेयर बाजार में 100 अंकों से अधिक की वृद्धि हुई है। इसलिए, महोदय, प्रश्न यह है कि देश में सूचकांक में इतनी अधिक तर्कहीन वृद्धि क्यों हो रही है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे नहीं पता कि यह बुरा है या अच्छा।

श्री गुरूदास दासगुप्त: मेरा प्रश्न यही है। सूचकांक को आर्थिक क्षेत्र की बुनियादी बातों से कुछ लेना-देना नहीं है। सूचकांक में तर्कहीन वृद्धि का आर्थिक कार्य निष्पादन से कुछ लेना-देना नहीं है। यह बढ़ रहा है। दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने भी एक वक्तव्य दिया है कि वृद्धि में 1.5 प्रतिशत तक गिरावट आई है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: योजना आयोग भी कहता है कि वृद्धि दर—अनुमानित वृद्धि दर—प्राप्त नहीं की जा सकती है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसका इससे कुछ लेना-देना नहीं है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: अर्थव्यवस्था के इस असंतोषजनक कार्य-निष्पादन के बाद भी बाजार में तेजी है। ऐसा क्यों है? इसका उत्तर मेरे पास है। इसका कारण है कि सेबी ने आपूर्ति आधारित कारोबार लागू नहीं किया है जिसका अर्थ है कि सट्टेबाजों को

[श्री गुरूदास दासगुप्त]

अमौलिक रूप से अपनी स्थिति बनाने की अनुमति दे दी गई है। यह अत्यधिक तेजी देश के लिए खतरनाक हो सकती है। वित्तीय ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे नहीं पता कि आपने शेयर बाजार की इतनी नवीनतम जानकारी हासिल कर ली है। यह अच्छी बात है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: मैंने आपसे कुछ सीखा है। ...*(व्यवधान)* महोदय, महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में स्थिति को देखिए अगस्त में 5 दिन एफएफआई की आवक आधे बिलियन तक रही।

अध्यक्ष महोदय: इससे हमारे देश की आर्थिक मजबूती का पता चलता है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: एक दिन में आवक 520 मिलियन रु. थी। इसकी तुलना विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, जिसकी देश को आवश्यकता है, से कीजिए। एक वर्ष में ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप का मतलब क्या है?

श्री गुरूदास दासगुप्त: हम सदैव विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के हियायती हैं।

अध्यक्ष महोदय: बिना प्रतिबंध के।

श्री गुरूदास दासगुप्त: यदि यह उत्पादक क्षेत्र के लिए है और फुटकर व्यापार के लिए नहीं जिसके पक्ष में मेरे मित्र इस सभा में बाद में अपने तर्क देंगे।

इसलिए, एक वर्ष में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 1782 करोड़ रुपये बढ़ा है पांच दिन में हाट मनी में जो वृद्धि हुई है वह आधे मिनट में समाप्त हो जाएगी। यह "हाट मनी" पांच दिन में बढ़कर आधे बिलियन तक पहुंच गई है इसलिए, इसकी अनुमति क्यों दी जा रही है? सेबी नियम लागू नहीं कर रही है और भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है क्योंकि उसे राजस्व मिल रहा है। कारोबार कर है जो कि बहुत कम है। भारत के शेयर बाजार में हो रही खतरनाक वृद्धि के ऊपर भी निष्क्रियता बरती जा रही है क्योंकि सरकार को राजस्व मिल रहा है जोकि राजस्व 2000 करोड़ रुपये हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय: आपने इस मुद्दे पर वित्त मंत्री से लाभ प्राप्त किया है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: दूसरे सरकार द्वारा जानबूझकर भारत के कार्यनिष्पादन के बारे में गलत प्रभाव पैदा करने की अनुमति दी जा रही है ताकि हम विदेशी मुद्रा भण्डार के लिए अधिक धन जुटाने में सफल हो सकें। मैं सरकार का आह्वान करता हूं कि सेबी से अविलम्ब देश के शेयर बाजार में आपूर्ति आधारित कारोबार शुरू करने को कहे। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि स्थिति का निरीक्षण करें अन्यथा स्थिति बिगड़ सकती है और करोड़ों लघु निवेशकों को नुकसान हो सकता है और सट्टेबाजों और तेजड़ियों को लाभ होगा। भारत सरकार को मुम्बई शेयर बाजार की स्थिति पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं अपने विद्वान मित्रों का बहुत सम्मान करता हूं लेकिन मैं इन भय फैलाने वाले अनुमानों को अस्वीकार करता हूं। आज, भारतीय शेयर बाजार बेहतर रूप से नियमित बाजार है। इसका यह मतलब नहीं कि सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है।

मैंने आज सुबह सेबी के चेयरमेन से लम्बी वार्ता की। सेबी और सरकार शेयर बाजार पर ध्यानपूर्वक निगरानी रख रही है। यह सर्वाधिक नियमित बाजार है। वास्तव में एफडीआई या एफ आई आई या निवेश की प्रकृति के बारे में राय अलग-अलग हो सकती हैं। लेकिन मैं यह तर्क अस्वीकार करता हूं कि यह वृद्धि अस्वाभाविक है या सेबी अपनी ड्यूटी नहीं कर रही है या सरकार कुछ नहीं कर रही है। मैं उन तर्कों को अस्वीकार करता हूं यद्यपि, मैं अपने मित्रों के विचार अभिव्यक्ति के अधिकार का सम्मान करता हूं।

लेकिन मैं इस तर्क को अस्वीकार करता हूं कि सरकार कुछ कर नहीं रही है या 'सेबी' अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: और उनकी 'स्टाक एक्सचेन्ज' की जानकारी के बारे में।

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, सूचकांक 800 अंकों पर पहुंच रहा है। क्या माननीय मंत्री अत्यधिक अस्थिरता के बारे में चिन्तित हैं या नहीं?

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। यह प्रश्नोत्तर सत्र नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ऐसे नहीं, कृपया और मत बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, मैं इस देश के वित्त मंत्री की आत्मसंतुष्टि वाले वक्तव्य को पूर्णत: अस्वीकार करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा, आप एक दूसरे की बातों को अस्वीकार करते रहिए।

...(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त: यह आत्मसंतुष्टि के बारे में है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने इस बात से इंकार किया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वाई. जी. महाजन (जलगांव): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण प्रश्न सदन के सामने लाना चाहता हूं। एक अगस्त को महाराष्ट्र में आईएसएम एवं आयुर्वेदिक डाक्टरों ने प्रदर्शन और हड़ताल की थी तथा दवाखाने बंद कर दिए थे। इससे ग्रामीण इलाकों में रहने वालों को परेशानी हुई। उन्होंने इसका यह कारण बताया था कि स्वास्थ्य मंत्री ने एक बार एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि भारत सरकार संसद में एण्टी-क्वैकरी बिल लाने वाली है।

महोदय, आयुर्वेद एक प्रारम्परिक उपचार पद्धति है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं इन्हीं डाक्टरों के द्वारा दी जाती हैं, लेकिन सरकार उन्हें एलोपैथिक इन्जेक्शन देने की मनाही करना चाहती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज गांवों में कोई भी एमबीबीएस डाक्टर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए नहीं जाता है और सिर्फ ये बीएएमएस और आयुर्वेदिक डाक्टर ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा लोगों को प्रदान करते हैं तथा इनकी पढ़ाई के कोर्स में भी इन्हें इंजेक्शन देने और कुछ एलोपैथिक दवाएं देने के बारे में पढ़ाया जाता है। ऐसे में यदि उनको प्रतिबंधित किया जाएगा तो गांवों के हजारों मरीज परेशानी में आ जाएंगे। इसलिए एण्टी-क्वैकरी की परिभाषा करने के बाद ही यह बिल लाया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको धन्यवाद। इसके बाद शेष मामलों जिनके बारे में सूचनाएं दी गई हैं, सायं 6.00 बजे लिए जाएंगे। भोजनावकाश के बाद, हम अनुदानों की मांगों पर चर्चा शुरू करेंगे।

अब, सभा अपराह्न 2.10 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है। एक बार पुन: मैं आपको और सभी माननीय सदस्यों को सहयोग प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

अपराह्न 1.10 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.10 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.11 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात अपराह्न 2.11 बजे पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुखबीर सिंह बादल (फरीदकोट): महोदय, दिल्ली में हजारों सिक्खों की हत्याएं हुई भी और नानावती प्रतिवेदन के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्रस्तुत प्रतिवेदन में कांग्रेस नेतृत्व को बचाने का पूरा-पूरा प्रयास किया गया है *...(व्यवधान)* बच्चे, बड़ों और बूढ़े सबकी हत्या की गई थी *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने श्री सुखदेव सिंह ढींडसा को अनुमति दी है। यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। मैंने श्री सुखदेव सिंह ढींडसा को अनुमति दी है।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदय, इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही कहा है कि यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप पहले नोटिस तो दें।

[अनुवाद]

आपने कोई सूचना नहीं दी है।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.15 बजे

(इस समय श्री सुखबीर सिंह बादल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर जाएं।

....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर जाएं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.16 बजे

तत्पश्चात, लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.01 बजे

लोक सभा अपराह्न 3.01 बजे पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए।]

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: पहले हम मद संख्या 14—नियम 377 के अधीन मामलों को लेंगे। मेरे विचार से उन्हें सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। इसे कार्यवाही-वृत्तांत का हिस्सा माना जाएगा।

(एक) बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को अतिरिक्त निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य (शिमला): महोदय, मैं, आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी का ध्यान 26 जून, 2005 को चीन के तिब्बत की पारिछू नदी में बनी कृत्रिम झील के टूटने से हिमाचल प्रदेश की सतलुज नदी में आई भयंकर बाढ़ में समधो से गोविन्द सागर तथा भाखड़ा बांध तक किन्नौर, शिमला, कुल्लू, मंडी एवं बिलासपुर जिलों के 350 किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों, पुलों, निजी एवं सरकारी इमारतों को 700 करोड़ रुपये की क्षति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की चेयरपर्सन, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश एवं भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और तुरंत बड़े पैमाने पर राहत कार्य प्रारंभ किये। बंद राष्ट्रीय राजमार्ग को खोला और फंसे हुए 800 पर्यटकों को निकाला गया। केन्द्र की एसैसमेंट टीम ने भी दिनांक 30.6.2005 को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।

हिमाचल प्रदेश में भयंकर बाढ़ से हुई क्षति की पूर्ति के लिए उसके वर्तमान शेयर के अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने गृह मंत्रालय से 150 करोड़ रुपये नेशनल कैलेमिटी कंटिनजेंसी फंड से तत्काल रिलीज करने की प्रार्थना की है। मेरा आग्रह है कि अविलम्ब धनराशि प्रदान की जाये।

(दो) दार्जिलिंग में सिंगालिला राष्ट्रीय उद्यान की देखभाल और अनुरक्षण किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री डी. नरबुला (दार्जिलिंग): महोदय, मैं आपका ध्यान दार्जिलिंग में सिंगलिला नेशनल पार्क की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। 15 वर्ष पहले नेशनल पार्क घोषित किए जाने के बावजूद यह पार्क पूरी तरह से उपेक्षित है। इस पार्क का कुल क्षेत्रफल 108.77 वर्ग कि.मी. है जो पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जिसमें घने जंगल और पेड़ एवं पौधों की विभिन्न प्रजातियां हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह एक वास्तविक स्वर्ग है और इस स्थान पर माऊंट एवरेस्ट सहित पर्वत श्रृंखला का विराट दृश्य दिखाई देता है। निसंदेह यह पार्क पर्यटक के आकर्षक का केन्द्र है लेकिन स्थानीय लोगों को बहुत अधिक कठिनाइयां, हानि और असुविधाओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि पार्क के जंगली जानवर उन्हें क्षति पहुंचा रहे हैं। वन्य जीव प्रभाग के प्राधिकारी द्वारा इसे रोकने और स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए कोई उपाय नहीं किए गए हैं। पार्क के क्षेत्र के संबंध में फ्रिंज क्षेत्र, बफर क्षेत्र एवं मध्य क्षेत्र और फुटपाथ, अश्व पथ, कृत्रिम तालाब, निरीक्षण टावर और अन्य की सीमा निर्धारण नहीं की गई है।

इसलिए मैं सरकार से इस मामले का निरीक्षण करने और इस पार्क की तरफ पर्याप्त ध्यान देने का अनुरोध करता हूं।

---

*सभा पटल पर रखे गए।

(तीन) हिमाचल प्रदेश और देश के अन्य भागों में फुटकर आउटलेटों के माध्यम से बेचे जाने वाले पेट्रोल तथा डीजल में अपमिश्रण को रोकने के लिए कोई तंत्र बनाए जाने की आवश्यकता

प्रो. चन्द्र कुमार (कांगड़ा): महोदय, मैं सभा का ध्यान देश में पेट्रोल और डीजल में हो रही मिलावट की समस्या की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। जनता को पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सरकारी या निजी क्षेत्रों के स्वामित्व वाले फुटकर बिक्री केन्द्रों के माध्यम से की जाती है। प्रत्येक उपभोक्ता उत्पाद के लिए गुणवत्ता नियंत्रण का प्रावधान है। लेकिन पेट्रोलियम उत्पादों के मामले में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु कोई प्रावधान नहीं है। कुछ वर्ष पहले ईंधन में मिलावट के संकट पर सेन्टर फार साइंस एण्ड एनवायरनमेंट-(सीएसई) ने प्रकाश डाला था। सीएसई को मिलावट की मात्रा पर आश्चर्य हुआ था। परिवहन ईंधनों में सस्ते आयात किए गए किरोसीन या अपशिष्ट तेल मिला दिया जाता है। सीएसई ने इस अपराध का पता लगाया था फिर भी यह जारी है। पूरे देश विशेषकर हिमाचल प्रदेश में पेट्रोलियम उत्पादों में बहुत मिलावट होती है। जावाली कांगड़ा के आईबीपी फुटकर बिक्री केन्द्र के विरुद्ध मिलावट संबंधी एक शिकायत जानकारी में आई है। महोदय, चूंकि मिलावटी पेट्रोल और डीजल का उपयोग किया जा रहा है इसलिए वाहनों के इंजन अपनी जीवन अवधि के पहले ही खराब हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह स्वास्थ्य के लिए भी चिंता की बात है।

महोदय, मैं सरकार से फुटकर बिक्री केन्द्रों के माध्यम से जनता को आपूर्ति किए जा रहे पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता नियंत्रण की प्रणाली शुरू करने का अनुरोध करता हूं। मैं सुझाव देता हूं कि प्रत्येक फुटकर बिक्री केन्द्र पर चाहे वह सरकार के स्वामित्व में हो या निजी स्वामित्व में, मीटर लगाया जाना चाहिए। और यदि मिलावट के संबंध में कोई सूचना है तो इसके नमूने की जांच स्वतन्त्र प्राधिकारी द्वारा की जानी चाहिए।

(चार) मथुरा, उत्तर प्रदेश में भारत संचार निगम लिमिटेड के मोबाईल टेलीफोन नेटवर्क को सुचारू बनाए जाने की आवश्यकता

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा): महोदय, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में भारत संचार निगम लिमिटेड के मोबाइल टेलीफोन नेटवर्क को सुचारू बनाये जाने की अत्यावश्यकता है। विशेषकर दिल्ली से मथुरा और मथुरा से दिल्ली की बीएसएनएल सेलुलर फोन को जोड़ा जाना बहुत कठिन है परिणामस्वरूप लोगों को बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मथुरा के लोगों और मथुरा जाने वाले तीर्थयात्रियों के समक्ष आने वाली समस्याओं को दूर करने हेतु अविलम्ब कार्यवाही करने का संबंधित अधिकारियों को निदेश दे।

(पांच) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों तथा परिलब्धियों के संशोधन के लिए छठा वेतन आयोग गठित किए जाने की आवश्यकता

श्री ए. वेंकटेश नायक (रायचूर): महोदय, केन्द्रीय सरकार के अधिकतर कर्मचारी संघों ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों और परिलब्धियों का पुनरीक्षण करने हेतु सरकार से छठे वेतन आयोग के गठन की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। गत तीन वर्षों से कर्नाटक सरकार के कर्मचारी भी यही मांग कर रहे हैं। पांचवे वेतन आयोग का गठन 15 वर्ष पहले किया गया था और इसकी सिफारिशें 1.1.1996 से लागू हुई थी, सभी वस्तुओं की कीमत बहुत अधिक बढ़ गई है। सरकारी कर्मचारियों को अपना गुजारा करना भी मुश्किल होता जा रहा है। मुद्रा स्फीति दर में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। कर भार और वैट मध्यम वर्ग और सरकारी कर्मचारियों का जीना मुश्किल कर रहा है। यदि इस उचित मांग को सरकार नहीं मानती है तो हिंसक प्रदर्शन हो सकते हैं जो पूरे देश के विभिन्न कार्यालयों और संगठनों के कार्य में बाधा पड़ सकती है। यह सच है कि कुछ सिफारिशें जैसे सेकेन्ड एस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम गृह मंत्रालय के अलावा अन्य अधिकतर मंत्रालयों द्वारा आज तक लागू नहीं की गई है। छठे वेतन आयोग के गठन की मांग वैध है और मैं माननीय वित्त मंत्री से अविलम्ब छठे वेतन आयोग का गठन करने का अनुरोध करता हूं।

(छह) मध्य प्रदेश राज्य में भारी वर्षा से प्रभावित लोगों को राहत मुहैया कराने के लिए मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती गीता पटैरिया (सिवनी): महोदय, विगत दिनों मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के कारण जिला सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, कटनी एवं जबलपुर के मझौली, पाटन में आई बाढ़ से शहरों एवं गांवों में काफी तबाही हुई है, जिसमें कुछ लोगों की मौतें भी हो गयी। साथ ही सैकड़ों की संख्या में मवेशी भी खत्म हो गये हैं। गरीबों के मकान, सामान, अनाज एवं दुकानदारों की दुकानें बाढ़ में बरबाद हो गयीं। हजारों किसानों का अनाज (गेंहू) बाढ़ के पानी भर जाने से खराब हो गया। साथ ही सोयाबीन की फसलें बरबाद हो गयी। किसान की स्थिति इतनी बदतर है कि किसान के खेत खाली हैं, जेब खाली है, हाथ सूने हैं।

इस तरह से जो जानमाल की आर्थिक क्षति हुई है, उसकी सहायता हेतु मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे प्रयास किये हैं। केन्द्र

[श्रीमती नीता पटैरिया]

सरकार भी मध्य प्रदेश सरकार को विशेष पैकेज देकर बाढ़ पीड़ितों को मदद प्रदान करे ताकि बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान हो सके।

(सात) शत-प्रतिशत सब्सिडी देकर कर्नाटक में ड्रिप सिंचाई प्रणाली कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एस. मल्लिकार्जुनैया (तुमकुर): महोदय, मैं सभा का ध्यान इसकी ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि पिछले कई वर्षों से कर्नाटक में विशेषकर तुमकुर जिले में उपलब्ध भू-जल का उपयोग करने के लिए किसान ड्रिप सिंचाई पर कार्य कर रहे हैं।

किसानों को पहले से ही केन्द्रीय और राज्य राजसहायता प्राप्ति योजनाओं के अंतर्गत दो विदेशी निस्सरण प्रणालियों यथा अमरीकी और इजरायली—(1) ड्रिपिंग निस्सरण प्रणाली और (2) लैमिनर निस्सरण प्रणाली से कार्य करने का लगभग 10 वर्ष से भी अधिक का अनुभव है। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपनी प्रयोगिक परियोजनाओं में कृषकों की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी और 50 प्रतिशत राजसहायता से इनलाईन निस्सरण प्रणाली नामक दूसरी विदेशी प्रौद्योगिकी की शुरूआत की है। प्रणाली की गुणवत्ता और लागत के परिप्रेक्ष्य में इन तीनों निस्सरण प्रणालियों के बीच प्रतिस्पर्धा की अनुमति दी जानी चाहिए। ड्रिप सिंचाई परियोजना का कार्यान्वयन करते समय दक्षिण के राज्यों में जल की उपयुक्तता, फसल और मृदा की स्थिति के अनुरूप विद्यमान तीनों निस्सरण प्रणालियों में से कोई एक चुनने का अवसर कृषकों के पास होना चाहिए। इसके अतिरिक्त ड्रिप सिंचाई उपस्करों पर 12.5 प्रतिशत बिक्री कर/ मूल्यवर्धित कर का अधिरोपण सरकार की राजसहायता योजना के विरुद्ध है। अत: दक्षिण भारत में राज सहायता योजना कार्यान्वित करने के लिए मूल्यवर्धित कर बिक्री कर नहीं लगाया जाना चाहिए।

अत: मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि अगली पंचवर्षीय योजना में शत प्रतिशत राजसहायता प्रदान करके कर्नाटक राज्य में ड्रिप सिंचाई प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाए तथा राज्य प्रायोगिक योजना तैयार करने के साथ-साथ कृषकों के कल्याण के लिए ड्रिप सिंचाई उपस्करों पर लगाए गये मूल्यवर्धित कर बिक्री कर को समाप्त किया दिया जाए।

(आठ) राजस्थान राज्य में पेयजल की समस्या सुलझाने की दृष्टि से राजस्थान सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती सुशीला बंगारू लक्ष्मण (जालौर): महोदय, राजस्थान, जिसका अधिकांश भूभाग रेतीला एवं शुष्क है तथा जहां वर्षा बहुत ही कम होती है, पिछले अनेक सालों से पेयजल संकट से जूझ रहा है। लगातार सूखे से जूझ रहे प्रदेश में भूजल काफी नीचे चला गया है, जिससे यह समस्या और भी गंभीर हो गयी है। मेरे अपने संसदीय क्षेत्र जालौर में भूजल में लवणता, फ्लोराइड, नाइट्रेट आदि की अधिकता पायी गयी है, जिससे यहां के लोगों के लिए पेयजल का संकट और गहरा गया है। केन्द्र सरकार राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत राज्यों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना आवश्यक हो गया है, जिसके लिए प्रदेश में घर-घर के सामने वर्षा जल संचयन के प्रावधान के साथ हमें तालाबों, बावड़ियों, कुओं एवं अन्य पारंपरिक संसाधनों को बढ़ावा देना होगा। दूषित भूजल को पीने योग्य बनाने के लिए प्रयोगशालाओं और ट्रीटमेंट प्लांटों की स्थापना काफी बड़े स्तर पर करनी होगी। क्योंकि राजस्थान की आर्थिक स्थिति कमजोर है। अत: मैं केन्द्र सरकार से मांग करती हूं कि राजस्थान की पेयजल समस्या और संदूषित जल की समस्या को हल करने के लिए प्रदेश को भरपूर केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाये तथा ऐसी सहायता का प्रावधान प्रत्येक वित्त वर्ष में किया जाये तभी इस सीमावर्ती रेगिस्तान राज्य में पेयजल की समस्या का समाधान हो सकेगा।

(नौ) बेरोजगार लोगों के हित की सुरक्षा की दृष्टि से रोजगार के लिए समाचार-पत्रों में आवेदन आमंत्रण वाले जाली विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती करूणा शुक्ला (जांजगीर): महोदय, देश में पहले से ही इतनी बेरोजगारी है। इस बेरोजगारी में बेरोजगार युवक और युवतियों के साथ हो रही ठगी से बेरोजगार युवक और युवितियां काफी परेशान हैं। इस देश में रोजगार देने हेतु फर्जी प्राइवेट कंपनियों के नाम से अखबारों में विज्ञापन छपवाकर बेरोजगार युवक और युवतियों को लूटा जा रहा है। कई कंपनियां तो अपने आपको शासकीय उपक्रम बताकर लूट रही हैं। बेरोजगार युवक और युवतियां विज्ञापन के माध्यम से आवेदन-पत्र एवं बैंक ड्राफ्ट जमा करते हैं। फिर वे दलालों के चक्कर में नौकरी हेतु हजारों, लाखों रुपये दे बैठते हैं। फिर कुछ दिनों बाद पता चलता है ऐसी कोई कंपनी नहीं है या रातों रात वह दलाल गायब हो जाते हैं। इसलिए ऐसे फर्जी विज्ञापनों पर सरकार रोक लगाये। विज्ञापन के प्रसारित होने के पूर्व उसकी छानबीन कर एवं शासकीय स्वीकृति लेकर छापा जाये ताकि बेरोजगार युवक लूटे न जा सकें। क्योंकि ऐसी ठगी की घटनायें कई सालों से होती चली आ रही हैं। ऐसे फर्जी विज्ञापन पर रोक लगाना चाहिये।

(दस) गुजरात के पाटन जिले में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री महेश कनोडिया (पाटन): महोदय, देश में शिक्षा का स्तर निरन्तर गिरता जा रहा है। आजादी के इतने दिनों बाद भी विभिन्न राज्यों में अलग-अलग पाठ्यक्रम होने के कारण छात्रों के ज्ञान में भी समानता नहीं आ पा रही है। सरकार पूरे देश में एक पाठ्यक्रम लागू नहीं कर पा रही है। केन्द्रीय विद्यालय, जिनकी शाखायें विभिन्न राज्यों में स्थित है, उसकी भी शाखायें आज तक सभी जिलों में नहीं खोली जा सकीं। मुझे जहां तक जानकारी है कि पिछली सरकार ने सभी जिलों में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया था, किन्तु उसे भी सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। मेरे विचार में यदि सभी जिलों में केन्द्रीय विद्यालय खोल दिये जायें तो काफी छात्रों का भला हो सकता है क्योंकि ऐसा होने से जहां एक ओर छात्रों को समान पाठ्यक्रम पढ़ने का अवसर मिलेगा, वहीं दूसरी ओर जिन अभिभावकों का सत्र के दौरान स्थानांतरण होता है, उनके बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयां तो दूर होंगी ही साथ ही उन्हें अनवरत रूप से शिक्षा प्राप्त करने का सुअवसर भी मिल जायेगा।

अत: मेरा माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी से अनुरोध है कि गुजरात राज्य के पाटन जिले में भी एक केन्द्रीय विद्यालय उच्च वरीयता एवं प्राथमिकता के आधार पर खोलने की कृपा करें ताकि उक्त क्षेत्र के छात्रों को होने वाली परेशानियां दूर हो सकें।

(ग्यारह) आंध्र प्रदेश में वनों में रहने वाले जनजातीय लोगों के हितों की रक्षा की दृष्टि से अनुसूचित जनजाति परंपरागत विधि अधिकार विधेयक, 2005 को अधिनियमित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा. बाबू राव मिडियम (भद्राचलम): हमारे देश में जनजातियों की जनसंख्या लगभग 8 प्रतिशत है जिनमें से एक तिहाई का जीवन-निर्वाह केवल झूम खेती से होता है। वन अधिनियम, 1980 और अन्य परिपत्रों में उन्हें "अतिक्रमणकारी" के रूप में परिभाषित किया गया है लेकिन ढेबर आयोग, 1960 और भूरिया आयोग, 2002 ने वन क्षेत्रों में रहने वालों (जनजातियों) के लिए पारंपरिक भूमि अधिकार की सिफारिश की है।

आंध्र प्रदेश में खेती योग्य वन भूमि के लिए कोई विनियम नहीं है जिसके कारण जनजाति भूमि उपयोग के अधिकार से वंचित है। स्थानीय वन प्राधिकारियों द्वारा उन्हें तंग किया जाता है।

अत: मैं अनुसूचित जनजाति पारंपरिक भूमि अधिकार विधेयक, 2005 को तत्काल अधिनियमित करने का आग्रह करता हूं।

(बारह) केरल और देश के अन्य भागों में काजू, कयर, बागान, मत्स्य पालन तथा अन्य असंगठित क्षेत्रों में लगे कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी. राजेन्द्रन (क्विलोन): वैश्वीकरण का उत्तरवर्ती प्रभाव इतना खराब है कि काजू, कयर, वृक्षारोपण मत्स्यपालन तथा विभिन्न असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कामगारों को कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इन क्षेत्रों ने भारतीय संविधान के नीति निर्देशक शिक्षन्तों में प्रकल्पित सामाजिक सुरक्षा के उपाय यथा काम का अधिकार, न्यूनतम मजदूरी का अधिकार कार्य स्थल पर सुरक्षा का अधिकार आदि का खुले आम उल्लंघन किया गया है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 तथा मजदूरी संदाय अधिनियम की हास्यास्पद स्थिति हो जाने के कारण कामगारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निजी क्षेत्र में अंधाधुंध मुनाफाखोरी के कारण कामगारों को कानूनी अधिकारों से वंचित रखा जा रहा था। निजी उद्यमों में कामगारों को बोनस, मंहगाई भत्ता, भविष्य निधि, ई.एस.आई. छुट्टी की मजदूरी तथा कल्याण निधि बोर्ड में नियोक्ता का अंशदान जैसे लाभों से वंचित रखा गया है। इन क्षेत्रों में केरल के कामगारों ने विरोध का रास्ता अपना लिया है और आने वाले दिनों में यह विरोध निश्चित रूप से सशक्त संघर्ष का रूप ले लेगा। हम गुड़गांव में होण्डा कामगारों के संघर्ष और इसके हिंसक रूप को देख चुके हैं जिसका कारण होण्डा प्रबंधन का अलोकतांत्रिक रवैया और सरकार का असहयोग है। ऐसी घटना केरल या देश के किसी भी भाग में हो सकती है। अत: मेरा केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह मामले की गंभीरता को समझे तथा कार्य के माहौल को बेहतर बनाने मजदूर संघों के साथ सभी मुद्दों पर बात करने तथा उपयुक्त कानून बनाकर कामगारों को उचित मजदूरी तथा बुनियादी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु राज्यों को है।

(तेरह) पटना में बाबू राजेन्द्र प्रसाद की "समाधि" की समुचित देखभाल और अनुरक्षण के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): महोदय, देश के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद की पटना के ऐतिहासिक बांसघाट के बगल में निर्मित महान विभूति की चिरनिद्रा नसेड़ियों का आरामगाह और जुआरियों का अड्डा बन गयी है। बिहार के तत्कालीन मुख्य मंत्री विन्देश्वरी दूबे के प्रयासों से 3 दिसम्बर, 1985 को डा. राजेन्द्र उद्यान का उद्घाटन किया था और कहा था कि यह समाधि आने वाली पीढ़ी को राजेन्द्र बाबू के संघर्ष और तपस्या

[श्री रामजीलाल सुमन]

से प्रेरणा लेने का साधन बनेगी। हकीकत यह है कि राजेन्द्र बाबू की समाधि के आसपास आवास पशुओं, रिक्शा चालकों तथा ठेले वालों का जमावड़ा रहता है, शाम होते ही यहां जुआरियों और उसके बाद नसेड़ियों व अफीमचियों की महफिलें जमने लगती हैं। मैं सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से अपेक्षा करता हूं कि राजेन्द्र बाबू की समाधि पर होने वाले अवांछनीय तत्वों के जमावड़े को अविलम्ब समाप्त करके इसके रख-रखाव की समुचित व्यवस्था की जाये।

(चौदह) सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा, उत्तर प्रदेश को मिनी-एम्स का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल (जलेसर): महोदय, भारत सरकार द्वारा 8 राज्यों में राजकीय मेडिकल कालेजों को मिनी एम्स का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एस.एन. मेडिकल कालेज, आगरा को मिनी एम्स का दर्जा देने की सिफारिश केन्द्र सरकार को लिखित में की गयी है। महोदय, आगरा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, एवं राजस्थान का केन्द्र बिन्दु है। यहां आगरा, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, इटावा, झांसी, बांदा, ललितपुर आदि जिले तथा मध्य प्रदेश के भिण्ड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया तथा राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर आदि जिलों के मरीज इलाज कराने मिनी एम्स में आयेंगे। आगरा का एस.एन. मेडिकल कालेज उत्तर प्रदेश का प्रतिष्ठित मेडिकल कालेज है। पूरे विश्व का पर्यटक आगरा ताजमहल देखने आता है। अत: वहां उच्च स्तरीय एवं विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि कृपया एस.एन. मेडिकल कालेज (सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज) आगरा को मिनी एम्सस का दर्जा देने का कष्ट करें।

(पन्द्रह) बिहार में गया और पटना के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 को चार लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता

श्री राजेश कुमार मांझी (गया): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र गया से होकर गुजरने वाली रोड पी.एम. क्वाडिलेटरल स्कीम वाली रोड एन.एच.-2 से मिलती है और यह राज्य की राजधानी पटना को एन.एच.-2 से जोड़ती है इसलिए इस रोड का विशेष महत्व है। इसको चार लेन वाली रोड घोषित कर उस पर शीघ्रातिशीघ्र काम शुरू कराये जाने की आवश्यकता है। गया एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व का पर्यटक स्थल तथा बौद्धों एवं हिन्दुओं का अंतर्राष्ट्रीय तीर्थस्थल है। इस रोड के चार लेन हो जाने से पटना और गया का सफर दो-पौने दो घंटे में तय किया जा सकता है जो कि पर्यटकों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि गया कि लिए दिल्ली से अभी कोई फ्लाइट नहीं है। केवल पटना तक के लिए है और पटना से गया तक का बाई रोड का सफर साढ़े तीन-चार घंटे में पूरी होती है, इससे पर्यटक निरूत्साहित होते हैं।

अत: मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि इस रोड को चार लेन वाला घोषित कर यथाशीघ्र इस पर काम लगाया जाये।

(सोलह) कानपुर-लखनऊ और कानपुर-इटावा मार्गों पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 का पुनर्निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री राजाराम पाल (बिल्हौर): महोदय, मैं माननीय सड़क परिवहन व राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री का ध्यान राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-2 जो कानपुर से इटावा और कानपुर से लखनऊ तक निर्माण हुयी है, की ओर दिलाना चाहता हूं। यह मार्ग कुछ माह पूर्व करोड़ों रुपये की लागत से बनाया गया है जबकि आज की तारीख में यह मार्ग आवागमन हेतु बिल्कुल ही खराब है।

अत: माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि कुछ माह पूर्व निर्माण कराए गए राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-2 कानपुर-लखनऊ एवं कानपुर-इटावा का पुनर्निर्माण किया जाये ताकि आवागमन हेतु उपयोगी हो सके।

(सत्रह) भारत में कार्य कर रही बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर): महोदय, बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रबन्धन में श्रम संबंधी सुस्थापित सिद्धान्तों और परम्पराओं को कमजोर बनाने की प्रवृति बढ़ती जा रही है और ऐसा लगता है कि निगमों का भारत के श्रम संबंधी कानूनों का सम्मान नहीं करते हैं। प्रबंधन द्वारा पंजीकृत और संबद्ध मजदूर संघों की अवहेलना कर के और विभिन्न श्रेणियों के कामगारों के बीच दरार डालकर संगठन के चुनिंदा लोगों के वेतन में सोची-समझी योजना के तहत वेतन में वृद्धि कर के सामूहिक सौदेबाजी के सिद्धान्त की अनदेखी की जा रही है। श्रमिक संघ अधिनियम के उपबंधों को बहुत ही कम महत्व दिया जाता है जिससे कुल मिलाकर मजदूर आंदोलन को उपेक्षा की जाती है। हमारी डी.एम.के. पार्टी के नेता डा. कलैगनर यह कहने वाले पहले नेता थे कि श्रम संबंधी कानून विदेशी कंपनियों के प्रबंधन के हाथों का कठपुतली नहीं होने चाहिए तथा ये कानून उन कंपनियों में कार्यरत कामगारों पक्ष में

होने चाहिए तथा उन कामगारों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा उन कानूनों में संशोधन किया जाना चाहिए।

अत: केन्द्रीय श्रम मंत्री से आग्रह है कि वे कृपा करके यह सुनिश्चित करें कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत कामगारों को न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए तथा निगरानी तंत्र के रूप में एक विशेष प्रकोष्ठ का सृजन किया जाए और तमिलनाडु सहित भारत में विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों की श्रम-विरोधी नीतियों की जांच की जाए। माननीय मंत्री से मेरा यह भी अनुरोध है कि श्रम कानूनों के उपबंधों का सख्ती से कार्यान्वयन करने के लिए श्रम आयुक्तों को अनुदेश जारी किए जाएं।

(अठारह) उड़ीसा में खुर्दा-बोलंगीर और गोपालपुर-रायपुर सेक्शनों पर राष्ट्रीय राजमार्गों की समुचित देखभाल और अनुरक्षण के लिए समुचित निधियां आवंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री सुग्रीव सिंह (फूलबनी): महोदय, मेरा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र फूलबनी देश के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। यहां के राष्ट्रीय राजमार्गों की दशा बहुत बुरी है। पिछले वर्ष ही केन्द्र सरकार ने खुर्दा-बोलनगीर सैक्शन को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया इससे पूर्व गोपालपुर-रायपुर सैक्शन को यह दर्जा मिल चुका है। यह आश्चर्यजनक है कि इन मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने के पश्चात भी उनकी देखभाल के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है। इन मार्गों की दशा में कोई सुधार नहीं आया है। महोदय, जब तक केन्द्र सरकार देश के सर्वाधिक पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों के प्रति अपना दृष्टिकोण नहीं बदलती है और उनके विकास के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती है तब तक हमारे देश की जनजातियों के जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं आयेगा सरकार के इस दृष्टिकोण के कारण ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के नागरिक शहरों की ओर पलायन करने को बाध्य हो जाते हैं।

महोदय, हमें जनजातियों को और पिछड़े लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना चाहिए और इसके लिए केन्द्रीय निधियां जारी करने में उदार रवैया अपनाना चाहिए ताकि पिछड़े और जनजातीय क्षेत्र में योजनाएं कुप्रभावित न हों। मुझे आशा है कि पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय उस ओर ध्यान देगा और खुर्दा-बोलनगीर और गोपालपुर-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु चालू वित्त वर्ष के दौरान पर्याप्त धनराशि जारी करेगा।

(उन्नीस) उत्तर प्रदेश के नगीना, बिजनौर जिले में महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का ठहराव बनाए जाने तथा कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मुन्शी राम (बिजनौर): महोदय, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद तहसील मुख्यालय नगीना के पास रेलवे स्टेशन स्थित है। यह स्टेशन जम्मूतवी-हावड़ा रेलवे की मुख्य लाइन पर स्थित है। इस स्टेशन पर कम्प्यूटर आरक्षण केन्द्र उपलब्ध नहीं है तथा कुछ गाड़ियों का ठहराव नहीं है, जो क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए अति-आवश्यक है। इसमें मुख्य रूप से जिन ट्रेनों का ठहराव आवश्यक है, वे एक्सप्रेस ट्रेनें हैं 5210 डाउनअप है। नगीना क्षेत्र से हेंडीक्राफ्ट एवं कुटीर उद्योग होने से यहां से आयात-निर्यात किया जाता है लेकिन ट्रेनों के ठहराव नहीं होने के कारण यहां व्यापारियों का व्यवसाय प्रभावित होता है। साथ ही इस क्षेत्र के आसपास सिख समुदाय के लोग बहुत अधिक संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। लेकिन इन ग्रामीणों के लिए पंजाब जाने के लिए भी रेलगाड़ियों का ठहराव नहीं है। समस्या इतनी गंभीर है कि 18 घंटे के अंतराल में केवल दो एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव है, जिसके कारण जिले के तथा इसके साथ जुड़े हुए ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले यात्रियों को ट्रेनों से यात्रा करने हेतु 25 किलोमीटर का सड़क मार्ग तय करके स्टेशन तक पहुंचना होता है। ऐसी ही समस्या कम्प्यूटर आरक्षण की भी है। समस्या का आकलन इस प्रकार है कि नजीबाबाद के पश्चात मुरादाबाद मंडल में आरक्षण केन्द्र स्थापित है। इन क्षेत्रों की मध्य की दूरी लगभग 95 किलोमीटर से भी अधिक है।

अत: केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि शीघ्र जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों की सुविधा हेतु आरक्षण केन्द्र और एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव पर शीघ्र कार्यवाही करे।

(बीस) म्यांमार और बंगलादेश के साथ सीमा व्यापार बढ़ाए जाने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री वनलाल जावना (मिजोरम): महोदय, पूर्वोत्तर में स्थित छोटे-से राज्य मिजोरम की 404 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार और 3.8 किमी. सीमा बंगलादेश से स्पर्श करती है। 1947 से पहले मिजोरम, जिसे कि उस समय लुशाई हिल्स कहा जाता था, की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी, बंगलादेश और म्यांमार से मिजोरम को वस्तुएं सड़क मार्ग और नौ-मार्ग से आती जाती थी। आजादी के पश्चात सभी परंपरागत व्यापारिक मार्गों के बंद हो जाने के पश्चात देश के शेष भागों से सड़क संपर्क का एकमात्र मार्ग एजवाल-सिलचर मार्ग है जो इस प्रकार खराब संचार, आधार-संरचना सुविधाओं की कमी और इसके कृषि व बागवानी उत्पादों के लिए बाजार की अनुपलब्धता से मिजोरम की अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक नुकसान हुआ।

मिजोरम के विकास हेतु यह जरूरी है कि इसके पड़ोसी देशों से सीमा-व्यापार को बढ़ावा दिया जाये। इसके लिए मिजोरम की पश्चिमी सीमा पर बंगलादेश के साथ प्लाबूंग में और पूर्वी सीमा पर म्यांमार के साथ जोखावथार में स्थित व्यापार केन्द्रों में विद्यमान आधार-संरचना सुविधाओं जैसे भवनों, सड़क व नौ-मार्गों आदि का विकास होगा।

[श्री बनलाल जावमा]

इसलिए मैं संबंधित मंत्रालयों से अपील करता हूं कि वे मिजोरम तथा संपूर्ण राष्ट्र के हित में म्यांमार व बंगलादेश के साथ सीमा व्यापार को बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक प्रयास करें।

(इक्कीस) देश में फिल्मों की पायरेसी को रोकने के लिए समुचित विधान बनाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर): फिल्मों की चोरी से फिल्म उद्योग को भारी क्षति हो रही है। इससे सरकार को भी राजस्व का नुकसान होता है। वस्तुत बेईमान लोग फिल्मों के रिलीज होने के पहले ही उनकी सी डी तैयार कर लेते हैं जिससे लोग उसे अपने घरों में ही टेलीविजन पर देख लेते हैं। इससे देश में बहुत सारे सिनेमा हाल बंद हो गये हैं और बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गये हैं।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि फिल्म उद्योग के संरक्षण हेतु एक उचित विधान का निर्माण किया जाये। विधान में चोरी करते लोगों को निवारक दंड का प्रावधान किया जाये।

अपराह्न 3.02 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2005-2006 और अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2002-2003

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय वित्त मंत्री जी, मद संख्या 15 और 16 एक साथ ली जायेंगी।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदंबरम): महोदय, मैं वर्ष 2005-06 की अनुपूरक अनुदानों की मांगे और 2002-03 की अतिरिक्त अनुदानों की मांगें इस सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। जहां तक चालू वित्त वर्ष के लिए अनुपूरक मांगें का संबंध है, मैं 14,661.36 करोड़ रु. के सकल अतिरिक्त व्यय की अनुमति चाहता हूं जिसमें से नकद निर्गामी 6,818.56 करोड़ रुपए मात्र के और शेष तकनीकी अनुपूरक होंगे।

नकद निर्गामी में से मैं व्यय की निम्नलिखित महत्वपूर्ण मदों के बारे में प्रकाश डालना चाहता हूं। प्रथम, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अनुदान व ऋण के रूप में 5,222.48 करोड़ रुपए की राशि अतिरिक्त अंतरणों के रूप में दी जायेगी। इसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर के लिए 632.48 करोड़ रुपए, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी) के अंतर्गत 672 करोड़ रुपए, त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 542 करोड़ रुपए, ग्रामीण टेलीफोनी के लिए 916.67 करोड़ रुपए, दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड के लिए 500 करोड़ रुपए, 1562 फास्ट ट्रैक कोटों को चालू रखने के लिए 100 करोड़ रुपए और वायूदूत लिमिटेड की पुरानी देनदारियों के कारण इंडियन एयरलाईन्स को प्रतिपूर्ति के रूप में 73.33 करोड़ रुपए सम्मिलित हैं।

मेरा विश्वास है कि ये व्यय अपरिहार्य व न्यायसंगत है। अतिरिक्त नकद निर्गामी का 83 प्रतिशत योजनागत व्यय है और इसलिए मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया अनुपूरक अनुदानों को पारित करे।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ-2 में दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ-3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं:

मांग संख्या, 1, 3, 9, 12, 13, 15, 19, 30, 32, 34, 36, 39, 42, 47 से 50, 52, 53, 55 से 57, 59, 61, 63, 65, 70, 71, 73, 79, 83, 85 से 88, 92, 99, 100 और 105,"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई वर्ष 2005-2006 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों के प्रथम बैच (सामान्य) की सूची

संख्या और मांग का शीर्षक		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई अनुदानों की मांग की राशि	
1		2	3
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	कृषि और सहकारिता विभाग	2,00,000	1,00,000
3	पशुपालन और डेरी कार्य विभाग	2,00,000	...
9	नागर विमानन मंत्रालय	73,33,00,000	...

1		2	3
12	वाणिज्य विभाग	24,03,00,000	1,00,000
13	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	1,00,000	...
15	दूरसंचार विभाग	1216,67,00,000	...
19	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	2,00,000	...
30	पर्यावरण और वन मंत्रालय	3,00,000	8,01,00,000
32	आर्थिक कार्य विभाग	2,00,000	...
34	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	2,00,000	500,00,00,000
36	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरण	1846,49,00,000	...
39	व्यय विभाग	1,00,000	...
42	राजस्व विभाग	1,00,000	...
47	स्वास्थ्य विभाग	1,00,000	25,00,00,000
48	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग (आयुष)	1,00,000	...
49	परिवार कल्याण विभाग	1,00,000	
50	भारी उद्योग विभाग	69,02,00,000	1,00,000
52	गृह मंत्रालय	1,00,000	1,00,000
53	मंत्रिमंडल	1,00,000	
55	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	1,00,000	...
56	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	2,16,00,000	...
57	प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग	1,00,000	...
59	महिला और बाल विकास विभाग	3,00,000	
61	श्रम और रोजगार मंत्रालय	50,01,00,000	...
63	विधि एवं न्याय	100,01,00,000	...
65	गैर-पारंपरिक ऊर्जा-स्रोत मंत्रालय	3,00,000	...
70	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	1,00,000	...
71	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	5762,85,00,000	...
73	विद्युत मंत्रालय	1100,00,00,000	...
79	ग्रामीण विकास विभाग	2,00,000	...

1		2	3
83	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	1,00,000	...
85	नौवहन विभाग	1,00,000	...
86	सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग	1,00,000	...
87	लघु उद्योग मंत्रालय	3,20,00,000	...
88	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	1,00,000	...
92	कपड़ा मंत्रालय	2,00,000	...
99	लक्षद्वीप	1,27,00,000	...
100	शहरी विकास विभाग	...	500,00,00,000
105	युवा मामले एवं खेलकूद मंत्रालय	1,00,000	...
	कुल योग	10249,43,00,000	1033,05,00,000

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ-2 में दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ-3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं:

मांग संख्या 13, 30 और 80,"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई वर्ष 2002-03 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) की सूची

मांग संख्या एवं नाम		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई मांग की राशि	
1		2	3
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
13	दूरसंचार विभाग	...	158892479
30	राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	3608987	...
80	संस्कृति विभाग	526977626	...
	योग	530586613	158892479

उपाध्यक्ष महोदय: अब श्री कैलाश जोशी।

[हिन्दी]

श्री कैलाश जोशी (भोपाल): माननीय उपाध्यक्ष जी, अनुदानों की अनुपूरक मांगें सरकार को प्रस्तुत करनी होती हैं। यह दो कारणों से प्रस्तुत की जाती हैं, एक तो यह कि वार्षिक बजट में इसके लिए जो कार्य रखे गए, उनमें कहीं राशि कम पड़ रही है या अपर्याप्त है, उसकी पूर्ति के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगें लाई जाती हैं। या दूसरा कारण यह होता है कि वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के बाद कोई नया कार्य सामने आ जाये जिसके लिये उस मद में पैसा न हो, तब उसका अनुपूरक अनुदान लिया जाता है। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो अनुपूरक अनुदानों की मांगें यहां प्रस्तुत की हैं, ये दोनों कसौटियों पर खरी नहीं उतरती हैं। इसमें कई मदें ऐसी हैं जिन्हें या तो वार्षिक बजट में प्रस्तुत किया जा

सकता था या इन्हें यहां लाये जाने की आवश्यकता नहीं थी। मैं उन मदों का विरोध करता हूं जिन्हें वित्त मंत्री जी यहां लेकर आये हैं। इन में अन्य प्रकार की ऐसी मदें भी हैं जिन्हें वार्षिक बजट में सम्मिलित किया जा सकता था लेकिन मंत्री जी आज उन्हें यहां लेकर आये हैं, इसलिये उनका विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हालांकि इनमें कुछ मांगें ऐसी हैं जिनके लिये केवल यह कहना कि बचत में से हम राशि देने वाले हैं, और केवल आंशिक अनुदान उसके लिये चाहिये, मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब वार्षिक बजट शुरू हुये केवल 4 महीने ही हुये हैं, इन चार महीनों में जिन मदों में जो राशि रखी गई थी, आज उन्हें उन में बचत दिखाई दे रही है। इसलिये जिन मदों के लिये जो राशि रखी गई, या तो उसका उपयोग ही नहीं किया गया या उस समय बिना सोचे-विचारे बजट में सम्मिलित कर लिया गया था। मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी अपने उत्तर में स्पष्टीकरण दें कि इस प्रकार की मदें क्यों रखी गई थीं।

उपाध्यक्ष महोदय, इन अनुपूरक अनुदानों में कई मांगें ऐसी हैं जिनके लिये केवल नकद राशि की मांग की गई है। मैं मानता हूं कि कभी-कभी ऐसी आवश्यकता आ पड़ती है लेकिन इनमें जो मदें निर्धारित की गई हैं, जिन मदों में राशि की मांग की गई है, मेरे मतानुसार कुछ ऐसी मांगे हैं जिनकी कतई आवश्यकता नहीं थी जिन्हें अनुपूरक अनुदानों में सम्मिलित करके यहां लाया जाता। इससे यह पता चलता है कि वार्षिक बजट बनाते समय उन मदों पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया या जिन मदों के लिये आज राशि की मांग की जा रही है, उन पर बिना सोचे-विचारे प्रावधान किया गया है। यही कारण है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है। मैं महसूस करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी इन बातों का स्पष्टीकरण देंगे। मैं यह भी जानता हूं कि उस में कुछ राशि प्राकृतिक आपदाओं के लिये रखी गई है या अन्य ऐसे आवश्यक कार्यों के लिये रखी गई है जो जनहित के कार्य हैं। मैं उनका विरोध नहीं करता हूं लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य मदों में जो राशि रखी गई है, मैं उनका विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इन अनुपूरक अनुदानों की मांगों को देखकर ऐसा लगता है कि अधिकारियों द्वारा सारा विवरण बनाकर माननीय वित्त मंत्री जी को प्रस्तुत करने के लिये दे दिया गया और इन्होंने ज्यों का त्यों यहां प्रस्तुत कर दिया है। इनमें कई मदें ऐसी गंभीर मदें दिखाई नहीं दे रही हैं जिन्हें सप्लीमेंटरी ग्रांट्स में सम्मिलित किया जाता। मैं मानता हूं कि इन चार महीनों में ऐसी कई समस्यायें उत्पन्न हुई होंगी जिन पर विचार किया जाना आवश्यक था। इनके लिये अनुपूरक अनुदान की मांगें लाने का सिद्धांत भी है। बजट में जो राशि नहीं रख पाये लेकिन कोई अन्य कार्य उत्पन्न हो जाए, यदि इस दृष्टि से देखा जाये तो अनुपूरक अनुदानों की मांगें हो, ऐसा इसमें दिखाई नहीं देता।

क्योंकि इस बीच में कुछ घटनाएं घटी हैं—कई प्रदेशों में भयंकर बाढ़ आई है, कई प्रदेशों में सूखा पड़ा है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा अन्य कई प्रदेशों में हजारों मील सड़कें डूब गई हैं, बड़े-बड़े पुल बह गये हैं, टूट गये हैं। यदि ऐसे कामों के लिए यह राशि अनुपूरक अनुदान में रखी जाए तो उसका महत्व होता है। आपने अभी उन राज्यों को कुछ अंतरिम राहत जरूर दी है। लेकिन उन राज्यों में जितनी तबाही हुई है, उसके हिसाब से जो प्रावधान किये जाने थे, वे प्रावधान इन अनुपूरक अनुदानों में कहीं दिखाई नहीं देते। इसलिए मैंने कहा है कि मैं उन मदों का विरोध करता हूं।

आपने नागर विमानन के लिए इसमें पैसा मांगा है और यह राशि नकद मांगी जा रही है। यह आप वायुदूत की क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए मांग रहे हैं। क्या यह स्थिति इन दो-तीन महीनों में पैदा हुई है। यह स्थिति पिछले कई वर्षों से चल रही है। वायुदूत ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं। एक प्रकार से वे पूरी तरह से रुग्ण हो चुके हैं। इसका कोई जहाज काम लायक नहीं रह गया है। जब यह मामला इतना पुराना चल रहा है तो इस अनुपूरक अनुदान में ही पैसा रखने की क्या आवश्यकता पड़ी कि हमें उसकी क्षतिपूर्ति के लिए पैसा चाहिए। वित्त मंत्री जी जरा इसे स्पष्ट करके बतायें।

उपाध्यक्ष महोदय, पृष्ठ पांच पर देखें, इसकी कुछ मदें तो ठीक हैं, जिनका मैं उल्लेख नहीं करता चाहता हूं। लेकिन आप काफी बोर्ड को दिये गये विकास ऋण को ब्याज सहित माफ कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि यह स्थिति उत्पन्न क्यों हुई? काफी बोर्ड जिस स्थिति में आज चल रहा है, उससे हमें नहीं लगता कि इसके ब्याज और ऋण को माफ करने की कोई आवश्यकता है। मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि काफी बोर्ड के इस ऋण की राशि और पूरे ब्याज को माफ करने की स्थिति क्यों आ रही है?

इसी प्रकार से दूर-संचार विभाग का मामला है। दूर-संचार विभाग में आपने ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन उपलब्ध कराने के लिए पैसा मांगा है। वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन उपलब्ध कराने की जो प्रक्रिया है, वह पिछले कई सालों से चल रही है। किन्तु देखा यह गया है कि जिन प्रदेशों के जिन भागों में विभाग ने तय करके बता दिया था कि हम वर्ष मार्च, 2005 तक ये सुविधा उपलब्ध करा देंगे, लेकिन वह सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई। उस दिशा में अगर आप कुछ मांग करते तो हम उस पर विचार करते कि विभाग काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए आप कुछ कर रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि मुआवजा चुकाने के लिए पैसा

[श्री कैलाश जोशी]

चाहिए। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मुआवजा किस बात का है। क्योंकि अगर यह भूमि का मुआवजा है तो समझ में आना चाहिए, यह मुआवजा आखिर किस बात का है। कृपया सदन में इसकी स्थिति स्पष्ट करें, ताकि पता लगे कि जो इतनी बड़ी राशि केवल मुआवजे के लिए दी जा रही है, उसकी क्या आवश्यकता पड़ गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से पृष्ठ दस पर उल्लेख किया गया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा जम्मू-कश्मीर में गोदाम बनाने के लिए राशि दी जानी है। हम भी मानते हैं कि यह दी जानी चाहिए। लेकिन जैसा मैंने अपने भाषण के प्रारम्भ में उल्लेख किया है कि वार्षिक बजट में इस प्रकार की राशि सम्मिलित क्यों नहीं की जा सकती। अचानक ही उसकी स्थिति क्यों पैदा हो जाती है। क्योंकि जो सप्लीमैन्टरी बजट लाने की प्रक्रिया निर्धारित है, उसमें ऐसी राशि हम उचित नहीं मानते और न उसे आवश्यक समझते हैं। यह चीज वार्षिक बजट में सम्मिलित होनी चाहिए और इसलिए इस समय आपने इसे प्रस्तुत किया है। हमारी समझ में नहीं आता कि इसे इस समय प्रस्तुत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी । क्या प्रधानमंत्री जी अभी वहां के दौरे पर गये थे और वहां उन्हें बताया गया, इसलिए अब उसे सम्मिलित किया जा रहा है।

यदि वार्षिक बजट में इसे सम्मिलित किया जाता तो उचित होता। इसलिए कृपया इस पर भी स्पष्ट बताएं कि इस राशि को अनुपूरक अनुदानों में लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी।

उपाध्यक्ष महोदय, पृष्ठ 11 पर वन के अंतर्गत आपने जो राशि मांगी है, उसको हम उचित समझते हैं जिसमें आपने बाघों ओर अन्य वन्य प्राणियों के वार्षिक राष्ट्रीय आकलन के लिए पैसा मांगा है। यह आकलन बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पिछले तीन सालों से यह चर्चा संसद में भी उठी है और देश भर में चर्चा है कि बाघों की संख्या निरंतर घटती जा रही है। हर बार वन विभाग की ओर से यह कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब सच्चाइयां सामने आने लगी हैं कि हर बाघों के अभ्यारण्य में बड़ी संख्या में बाघों का विनाश हुआ है और यह रोगों या अन्य कारणों से नहीं हुआ है बल्कि अवैध शिकार के कारण हुआ है। इसकी तरफ सरकार को बहुत पहले ध्यान देना चाहिए था। इस बार आपने राशि रखी है तो हम उसे उचित मानते हैं लेकिन आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि यह काम समय में पूरा हो जाना चाहिए। पहले भी हमने देखा कि इस प्रकार की राशियां तो बजट में रख दी जाती हैं लेकिन उसके बावजूद भी समय पर कार्य पूरे नहीं होते। आज बाघों के विनाश की यह स्थिति इतनी विस्फोटक बन गई है कि हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि समयबद्ध रूप से यह काम पूरा होना चाहिए। मंत्री जी कृपया अपने विभाग को कहें कि निर्धारित समय में रिपोर्ट लाकर दें और उसके विकास के लिए क्या-क्या करना है, उसके लिए इस राशि का यथोचित रूप से उपयोग किया जाए।

अगली बात मैं पृष्ठ 27 के संबंध में कहना चाहता हूं। इसमें सदन से पैसा मांगा गया है बुनियादी शिक्षा और साक्षरता के लिए। हम वर्षों से सुन रहे हैं कि साक्षरता को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार और उसका विभाग पूरी तत्परता से काम कर रहे हैं, लेकिन सही मायनों में देखा जाता है कि उसके परिणामकारी नतीजे नहीं आते । जहां-जहां जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, वे आज तक पूरे नहीं हुए। हम बराबर पैसा खर्च करते जाएं और उनका सही परिणाम निकले, यह देखना भी विभाग का काम होना चाहिए। इसलिए आप मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इस संबंध में निर्देश दें कि उसके परिणाम भी सदन के सामने आने चाहिए, देश की जनता के समाने आने चाहिए कि जो धनराशि हम बड़ी मात्रा में खर्च कर रहे हैं, जिस उद्देश्य से उसकों खर्च किया जा रहा है, उसकी पूर्ति हो रही है या नहीं और वह काम आखिर कब तक चलेगा। नई संख्या बढ़ती है, उनके लिए तो हमें अतिरिक्त व्यवस्था करनी होगी लेकिन साक्षरता का प्रतिशत ही नहीं बढ़ रहा है और इसकी स्थिति कुछ प्रदेशों में उल्टी होती जा रही है। यह देखने का काम भी उस विभाग का है। इसलिए जो राशि आपने मांगी है, वह उचित है, इस काम के लिए पैसा दिया जाना चाहिए लेकिन इसको भी देखना चाहिए कि इसका उपयोग परिणामकारी हो जिसमें लगे कि जिन प्रदेशों की साक्षरता की दर कम है, उनमें साक्षरता की दर बढ़े। तब यह माना जाएगा कि सदन के द्वारा दी जा रही राशि का समुचित रूप से उपयोग हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रम विभाग की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। श्रम विभाग के अंतर्गत बीड़ी मजदूरों के आवास के लिए धनराशि मांगी गई है। पहले भी चर्चा चली थी लेकिन जितनी संख्या में भवन बनने चाहिए थे, नहीं बने। देश के कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिनमें लाखों की संख्या में बीड़ी मजदूर हैं। इसलिए यह धनराशि स्वीकार हो जाने के बाद देखा जाए कि उसका निष्पादन ठीक प्रकार से हुआ या नहीं। जो भवन बनने चाहिए थे, उनकी जो संख्या प्रदेशों के लिए निर्धारित थीं, उसी प्रकार से वहां उन भवनों का निर्माण हुआ है या नहीं, यह देखना आवश्यक है। इस दृष्टि से मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उससे लगे हुए उड़ीसा तथा अन्य प्रदेशों में बीड़ी मजदूरों की दशा लगातार खराब होती जा रही है।

महोदय, उद्योगों में प्रतियोगिता के कारण, सिगरेट के प्रभाव के कारण बीड़ी का चलन कम हुआ है। जो बीड़ी पीने वाले लोग हैं, बीड़ी के प्रति जिनकी रुचि है, उनकी रुचि बीड़ी के प्रति बनी रहे इसके लिए बीड़ी समय पर बने, बीड़ी मजदूरों की ठीक प्रकार

से रहने की व्यवस्था हो, उनका व्यवसाय ठीक प्रकार से चल सके, इन सभी बातों पर ध्यान देने की जरूरत है।

अपराह्न 3.20 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए*]

इस दृष्टि से श्रम विभाग को बीड़ी मजदूरों के बारे में विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस दिशा में ऐसा प्रयत्न किया जाए कि जो राशि बीड़ी उद्योग के लिए स्वीकृत की गई है, उसे एक निश्चित समय सीमा में उपयोग में लाया जाए। बीड़ी मजदूरों को उस राशि का लाभ निश्चित रूप से समय पर मिलना चाहिए। यह भी देखने में आया है कि बीड़ी मजदूरों के लिए जो राशि दी जाती है, वह उन पर खर्च नहीं की जाती है। वह राशि भवन निर्माण के लिए दी गई थी, लेकिन बीड़ी मजदूरों के लिए खर्च नहीं हो पाई, इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ वित्त मंत्री जी ने जो अनुदानों की अनुपूरक मांगों को प्रस्तुत किया है और जिन मदों से हम सहमत हैं, उनका हमने विरोध नहीं किया है। लेकिन जिन मदों में हमारा विरोध है, हमने अपना विरोध प्रकट किया है और मैं अपेक्षा करता हूं कि वित्त मंत्री जी अपना उत्तर देते समय हमारी सभी शंकाओं का समाधान करेंगे।

सभापति महोदय: श्री के.एस. राव। आप अपनी सीट पर नहीं हैं।

[अनुवाद]

श्री के.एस. राव (एलूरू): महोदय, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इस सीट से बोलना चाहूंगा।

सभापति महोदय: ठीक है।

श्री के.एस. राव: सभापति महोदय, श्रीमान्, मैंने अपने माननीय साथी श्री कैलाश जोशी द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना है। श्री जोशी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री रह चुके है इस कारण वह इस देश के अत्यधिक अनुभवी और सम्मानित राजनीतिज्ञ हैं। किन्तु मेरा मानना है कि हमारे यहां यह प्रथा बन चुकी है कि जब हम सत्ता पक्ष में होते हैं तो हम कहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है और जब पिक्ष में आते हैं तो कहते हैं कि कुछ भी ठीक नहीं है। किन्तु सौभाग्य से वह अपनी वरिष्ठता और सज्जनता के नाते कुछ मुद्दों पर अवश्य ही मुझसे सहमत होंगे।

कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जहां मेरे विचार से मतभेद होंगे। उनका पहला मुद्दा यह है कि अनुपूरक मांगें चार मास की अवधि के भीतर ही नहीं आनी चाहिए और वित्त मंत्रियों को पहले ही अनुमान लगा लेना चाहिए कि उन्हें किस प्रकार का व्यय करना पड़ सकता है और उन्हें इसे बजट को प्रस्तुत करते समय ही उसमें समाविष्ट कर लेना चाहिए एक सीमा तक मैं उनसे सहमत हूं। किन्तु उन्हें यही बात उस समय कहनी चाहिए थी जब वह सत्तासीन थे। इस विषय पर वर्षों से बहस चल रही है जो मेरी जानकारी में है। जब भी वह सत्ता में होते हैं तो वह हर बार उसका पूर्ण समर्थन करते हैं जैसे यह पूरी तरह ठीक हो। इसलिए मेरा विचार यह है कि अनुपूरक मांगें को लाना गलत नहीं है। थोड़े बहुत परिवर्तन सदैव हो सकते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा वह हमेशा पूछ सकते हैं कि यह विशिष्ट राशियां किसलिए हैं— यह होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए और ऐसे ही अन्य प्रश्न।

इसी प्रकार कॉफी बोर्ड से मिलने वाले ब्याज को बट्टे खाते में डालने के लिए अनुपूरक मांगों में प्रावधान के प्रश्न पर जो उन्होंने कहा, मुझे वह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हम सभी जानते हैं कि दुर्भाग्य से आजकल खाद्यान्न, कॉफी, रबड़, चाय आदि के उत्पादकों की दशा दयनीय है। कई बार तो वे आत्म-हत्या करने को बाध्य हो रहे हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से यह सरकार का कर्तव्य बन जाता है कि वह स्थिति के अनुसार उनकी मदद करे। यदि कीमतें लाभकारी नहीं हैं तो सरकार को उनका बचाव करना ही होगा। अन्यथा वे उनका उत्पादन बंद कर देंगे और अंततः हमें प्रत्येक वस्तु का आयात करना होगा जिससे देश को हानि होगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाओं की बात करें तो कोई भी कंपनी ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन नहीं लगायेगी क्योंकि ऐसा करना अलाभकारी होगा। हर कोई शहरों में ही टेलीफोन लगायेगा। स्वाभाविक रूप से सरकारी कंपनी को ही ग्रामीण क्षेत्रों में इस कार्य में पहल करनी होगी। यह रेलवे के मुद्दे के समान ही है। रेलवे को सामुदायिक हित में ट्रेन चलानी ही है भले ही ऐसा करना अलाभकारी हो। अब दोनों मुद्दों पर पुनर्विचार करने के लिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा।

प्राकृतिक विपदाओं, वन्यजीवन, बीड़ी कामगारों और ऐसे ही अन्य उपबंधों पर उनके समर्थन की मैं सराहना करता हूं। यदि श्री स्वैन होते उनका रवैया अधिक आक्रमक होता और वह एक मुद्दे पर भी सहमत नहीं होते।

महोदय, यद्यपि मैं सत्तारूढ़ दल में हूं ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदंबरम: श्री स्वाई अब बदल गये हैं।

श्री के.एस. राव: महोदय, यद्यपि मैं सत्तारूढ़ दल में हूं तथापि मैं यहां कुछ मुद्दों पर बात करना चाहता हूं क्योंकि मैं हर

[श्री के.एस. राव]

एक बात का अंधाधुंध समर्थन नहीं करता हूं। मैं आपसे इस बात की भी अपेक्षा नहीं करता कि आप सरकार या माननीय वित्त मंत्री द्वारा किये गये अच्छे कार्यों की प्रशंसा करें। आप हमेशा आलोचना कर सकते हैं किन्तु भावी वित्त मंत्रियों को यदि वे आपके दल के हों या हमारे दल के, प्रेरित करने के लिए एक सदस्य के रूप में आप उनके अच्छे कार्यों की प्रशंसा अवश्य करें। इससे उन सभी को बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी।

हम सबके बावजूद यह पाया गया है कि राजस्व घाटा 3.6% से कम होकर 2.6 तक नीचे आ गया है। ऋण जी डी पी अनुपात भी 67.9 प्रतिशत से 67 प्रतिशत हो गया है और कर जी डी पी अनुपात 9.2 प्रतिशत से 9.3 प्रतिशत तक बढ़ गया है। हम सभी जानते हैं कि निवेशकों का विश्वास काफी ज्यादा बढ़ा है। शेयर बाजार में आया उछाल इसका प्रमाण है। कार्पोरेट सेक्टर के जनता के समक्ष जाने से हजारों करोड़ रुपए का अंशदान प्राप्त हो जाता है। इससे अर्थव्यवस्था में बेहतरी आती है जो कि देश के लिए शुभ है। इन सभी के होते हुए भी मुद्रास्फीति नियंत्रण में है। मैं नहीं चाहता कि आप इस सब की सराहना करें किन्तु तथ्यों को ध्यान में रखना ही चाहिए।

मैंने अनुपूरक बजट में रखे गए व्यय का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया है। उदाहरणार्थ इसमें आंध्र प्रदेश के त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है। यदि हम विभिन्न राज्यों के विद्युत बोर्डों को हुई विद्युत हानियों का विश्लेषण करें तो इससे बहुत ही शोचनीय स्थिति प्रकट होती है। इसमें वाणिज्यिक और तकनीकी दोनों हानियां मिला कर 50 प्रतिशत तक हो जाती हैं। इसलिए भारत सरकार ने इन विद्युत हानियों को नियमित करने के लिए और राज्य विद्युत बोर्डों को उत्साहित करने के लिए एक शानदार योजना की शुरूआत की है। योजना के अनुसार यदि विद्युत बोर्ड विद्युत हानियों को कम करेंगे तो सरकार उन्हें प्रोत्साहन देगी। उन्होंने योजना बनाई है, इसलिए यह व्यय नहीं वस्तुतः बचत है।

इसी प्रकार मैंने देखा है कि अनेकों सिंचाई परियोजनाएं पिछले 15 से 20 वर्षों से लंबित पड़ी हुई थीं इससे राष्ट्र को अत्यधिक क्षति हो रही थी। उन्हें शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार राज्य सरकारों को निधियां दे रही है। यह अतिरिक्त व्यय नहीं बल्कि एक अच्छा प्रयास है। यह वस्तुतः एक बचत है क्योंकि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम से जनता को अपेक्षाकृत कम समय में लाभ होंगे।

उसी प्रकार बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को चालू रखने के लिए ऋण दिये गये हैं। ऐसी परियोजनाएं जिन पर वास्तविक सीमा से अधिक लागत लग चुकी है, को वैसे ही छोड़ देने की जगह सरकार उन्हें ऋण दे रही है ताकि वे पूरी हों और जनता को उनसे लाभ पहुंचे। सरकार के इन फैसलों में कुछ भी गलत नहीं है।

किन्तु मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण बनाये रखने की सराहना करते हुए भी उनसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। एक प्रकार से उनका यह कहना है कि यह सारी गणनाएं अधिकारियों ने की हैं और वित्त मंत्री होने के नाते उन्होंने अधिकारियों के इन प्रस्तावों को सभा के समक्ष रख दिया है। हमारे माननीय मंत्री जी बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। वह एक राजनीतिज्ञ नहीं बल्कि नौकरशाह की तरह हैं। वह स्वयं एक नौकरशाह हैं। चूंकि ऐसा होता है, इसलिए जब हम उनके समक्ष प्रस्ताव रखते हैं तो वे हमेशा उनमें कटौती करते हैं और उन्हें विनियमित करते हैं। ये सभी उपाय राजस्व और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए किए जाते हैं। जब कभी उन्हें लगता है कि व्यय अधिक है तो वे और हमारे अनुरोध को कभी नहीं मानते हैं। हमने कई बार अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की किसी न किसी भलाई के लिए उनसे संपर्क किया लेकिन उन्होंने सीधे मना कर दिया।

इस संबंध में, मैं मंत्री महोदय से विनम्र निवदेन करना चाहता हूं। श्री चिदंबरम जी, आप ग्रामीण विकास, कृषि, रोजगार सृजन, पेय जल, सर्व शिक्षा अभियान आदि के लिए अधिक प्रावधान कर रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से हूं, जो कि सत्तारूढ़ पार्टी है, फिर भी मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आप से निवेदन करता हूं कि देश में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे निर्धन लोगों के स्वास्थ्य बीमा की ओर समुचित ध्यान दिया जाए। जब गरीब लोग सरकारी अस्पतालों में जाते हैं तो उनका समुचित रूप से इलाज नहीं किया जाता है।

वे निजी नर्सिंग होम या कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा संचालित अस्पतालों में इलाज पर होने वाले खर्च को वहन करने में असमर्थ होते हैं। हमारे निर्वाचन क्षेत्रों के गरीब लोग 50 वर्ष तक कार्य करते हैं, जब वे अंधा हो जाते हैं तो उनके पास कोई विकल्प नहीं होता है या जब उनके बच्चे उनकी समुचित देखभाल करने की स्थिति में नहीं होते हैं तो वे अनाथों जैसी जिंदगी जीते हैं। आप पेंशन योजना शुरू कर रहे हैं, 20, 25 या 30 वर्ष तक काम करने वाले अधिकारियों को हम पेंशन दे रहे हैं ताकि उनकी मृत्यु तक उनके लिए हम बेहतर जीवन सुनिश्चित कर सकें, तो क्या हम उन लोगों की देखभाल नहीं कर सकते हैं, जो ग्रमीण क्षेत्रों में उपेक्षित हैं और जिन्होंने उन अधिकारियों से भी अधिक अवधि तक कार्य किया है। जब हम खुद के लिए पेंशन की मांग कर रहे हैं तो क्या वे पेंशन पाने के पात्र नहीं हैं? क्या यह युक्ति संगत नहीं है? क्या आप, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे सभी परिवारों को निः शुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने पर विचार नहीं कर सकते हैं? यदि सरकार को प्रति वर्ष 25000 रुपए देने पड़ें तो बीमा कंपनियां

आगे आएंगी और इन परिवारों पर ध्यान देंगी। आश्चर्य की बात यह है कि, अभी हाल में मुझे पता चला कि पूरे देश में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे परिवारों का देख-रेख करने संबंधी नि:शुल्क चिकित्सा बीमा की कुल लागत 300 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने 3 करोड़ लोगों का बीमा कराया है। इसके लिए आई सी आई सी आई आगे आयी और प्रीमियम की राशि केवल 25 करोड़ रुपए है। चिकित्सा के लिए सीमा 25000 रुपए प्रति वर्ष और दुर्घटना के लिए 50,000 रुपए है। क्या आप इसे पूरे देश में लागू नहीं कर सकते हैं? क्या ऐसा करना हमारा कर्तव्य नहीं है? मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसे अगली बार अनुपूरक अनुदानों की मांगों में शामिल करेंगे। यह अतिरिक्त व्यय हो सकता है लेकिन उचित है।

दूसरी बात, इन लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की है। जब हम अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाते हैं तो गरीब एवं बूढ़े लोग 75/- रुपए के मासिक पेंशन के लिए हाथ जोड़े हुए मदद मांगने के लिए हमारे पास आते हैं। कृपया उन लोगों पर ध्यान दीजिए। आंकड़ों के अनुसार 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र वाले लोगों की संख्या कुल जनसंख्या का मात्र सात प्रतिशत है। अर्थात ऐसे लोगों की संख्या लगभग 7-8 करोड़ तक है। यदि यह माना जाए कि उनमें से गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या 40 प्रतिशत है तो 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों की कुल संख्या केवल 3 करोड़ है। वे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं; अत: उन्हें हमारी मदद और सामाजिक सुरक्षा की जरूरत है। मेरा आप से अनुरोध है कि उन्हें 75 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने के बजाय 200 रुपए प्रतिमाह पेंशन दीजिए। इस पर आने वाले व्यय का 50 प्रतिशत अंश राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए। इस पर 3000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत नहीं जाएगी। साठ वर्ष से अधिक आयु के लोगों की देखभाल करने के लिए क्या 3000 करोड़ रुपए की राशि भारत सरकार के लिए वास्तव में बहुत बड़ी राशि है। मंत्री महोदय, नौकरशाह की तरह मत बनिए, कृपा करके उदार बनिए, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कठिनाइयों को समझिए और अगली अनुदानों की मांगों में उन्हें सभी सुविधाएं प्रदान कीजिए।

महोदय, इस देश की शिक्षा प्रणाली इस देश की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। हर बार जब-जब सरकार बदलती है या पार्टी बदलती है, तब-तब नई शिक्षा नीति पर विचार किया जाता है। मैंने सत्तारूढ़ मोर्चा के सदस्य के रूप में स्वर्गीय राजीव गांधी के शासनकाल को छोड़कर हर बार ऐसा होते हुए देखा है। शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखकर उन्होंने मानव संसाधन को बेहतर बनाने की जरूरत को समझा है। हमने मानव संसाधन के महत्व को समझा है और वह हमारे पास प्रचुर संख्या में है। जब तक मानव संसाधन की इस संपदा की दक्षता में वृद्धि कर सुधार नहीं किया जाता तब तक देश की उन्नति नहीं होगी। एम.ए. बी.ए. एम.एस.सी., बी.एस.सी., इंजीनियरिंग तथा अन्य योग्यताएं केवल आत्म-श्लाघा के लिए हैं कि वे बहुत बड़े लोग हैं; उन्हें कार्य नहीं करना होता है और वे सोचते हैं कि वे काम करने लिए दूसरों को आदेश देने के लिए हैं। परन्तु हमारे देश को अधिक संख्या में उनकी जरूरत नहीं है। हमारे देश को जरूरत है कुशल एवं विश्वास से भरे लोगों की।

संस्थान से बाहर आते-आते उनमें इतना साहस, संकल्प और आत्मविश्वास का संचार हो जाए कि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। कि उन्होंने हुनर सीख लिया है, वे अपने माता-पिता और समाज पर बोझ नहीं हैं; उन्हें सरकारी नौकरी के लिए एम.पी. और एम.एल.ए. के पास जाने की जरूरत नहीं है। सरकार को उन्हें न्यूनतम या बिना ब्याज ऋण प्रदान कर सहायता करनी होगी ताकि वे अपने पैरों पर खड़ा हो सकें।

आज यदि दक्षिण कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, चीन, तथा अन्य देश इस स्थिति में पहुंचे हैं तो इसका श्रेय उनके नागरिकों के कौशल को जाता है। वे लोग अधिक से अधिक सामान बना रहे हैं। उनकी उत्पादन क्षमता अधिक है। उनका, कारोबार अधिक है। यही कारण है कि वे लोग हमारी तुलना में अपने उत्पादों को बहुत सस्ते दामों पर बेचने में सक्षम हैं। इसी तरह से वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पर्द्धा करने में सक्षम हैं। इन्हीं कारणों से अमेरीका जैसा पूंजीवादी देश भी चीन को महत्व देता है। अत: मंत्री महोदय से अनुरोध है देश के नागरिकों, विशेषकर निर्धन वर्गों की कौशल प्राप्त करने के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान करें। इस पर अधिक लागत भी नहीं आएगी। स्थानीय क्षेत्रों में लोगों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए कई गैर-सरकारी संगठन कार्यरत हैं। उदाहरणस्वरूप, मेरे क्षेत्र में लोगों को डेयरी संबंधित ज्ञान, कुक्कुट पालन से संबंधित जानकारी, मोटर वाहन के मरम्मत करने के दिए प्रशिक्षण दिए जाने के साथ-साथ उनके कौशल में सुधार किए जाने की जरूरत है। ये सभी चीजें साधारण और छोटी हैं।

अत: मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान करें। यह जरूरी नहीं है कि ये सब कार्य एक वर्ष में ही हो जाएं। कम से कम आगामी पांच-छह वर्षों में यदि हम देश के सभी नागरिकों को कौशल प्रशिक्षण देते हैं तो हम आर्थिक वृद्धि के मामले में हम पूरी दुनिया से आगे निकल जाएंगे। यदि इस देश के मानव संसाधन में कौशल का विकास किया जाए तो देश का सकल घरेलू उत्पाद जिसमें वर्तमान में 7 से 10 प्रतिशत तक की वृद्धि मुश्किल से हो रही है, उसमें अत्यधिक वृद्धि होगी।

[श्री के.एस. राव]

अंतिम बात, जो मैं मंत्री महोदय को बतना चाहता हूं और जिसकी देश की सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा उपेक्षा की गई है वह नदियों को जोड़ना है। हमने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए दिये हैं। लेकिन यदि आप इतनी ही राशि इस कार्य के लिए देते हो इस परियोजना को शुरू करने के लिए कई निजी पर्टियां कॉर्पोरेट क्षेत्र की कंपनियां आगे आने को तैयार हो जातीं।

यद्यपि, ऐसा लगता है कि इस परियोजना पर 2 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी, सरकार को स्वयं पूरी राशि का निवेश करने की जरूरत नहीं है। यहां ऐसे लोग हैं जो इस परियोजना में पूंजी लगाने को तैयार हैं। इसके फलस्वरूप 35 मिलियन हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य बन जाएगी तथा 35,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। और भूजलस्तर में वृद्धि होगी। पूरे देश में खेती होगी। इसके अतिरिक्त इससे नौवहन, परिवहन लागत में कमी आदि जैसे लाभ भी मिलेंगे। अत: इस परियोजना से काफी लाभ होगा। पहले, जब यह फाईल प्रस्तुत की गयी थी, मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री ने भी 6 लाख करोड़ रुपए की राशि देखकर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। हम आंकड़े को नहीं देखते हैं। इस वैश्वीकृत दुनिया में जब कम ब्याज दर पर पैसा उपलब्ध है, तो यह सर्वाधिक अधिकार परियोजना होती। कोई अन्य उद्योग से उतना लाभ नहीं मिल सकता है जितना कि नदियों को जोड़ने की इस परियोजना से मिल सकता है। इससे रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। हम सूखा और बाढ़ से होने वाली हानियों से भी बच सकते हैं। वस्तुत: हम लाभान्वित होंगे, हमें अधिक लाभ मिलेगा, हमें और अधिक कर राजस्व की प्राप्ति होगी। इन सबसे नागरिकों को लाभ होगा। यदि उस राशि को इस परियोजना में लगाया जाता है तो।

श्री चिदंबरम मंत्रीमंडल के सर्वाधिक प्रबुद्ध मंत्रियों में से एक हैं। मैं यह नहीं चाहता हूं कि वे इस मामले पर संकीर्णता से विचार करें। वे खुले दिमाग से सोचें, मामले की गहराई में जाएं और तत्पश्चात देखें कि सरकार की ओर से अधिक निवेश लिए बिना इसे कितनी अच्छी तरह से किया जा सकता है।

इन तथ्यों के आधार पर मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों का पूरा समर्थन करता हूं। इसका कारण यह नहीं है कि मैं कांग्रेस पार्टी से हूं अपितु यह गुणावगुण के आधार पर किया जा रहा है। मैं माननीय वित्त मंत्री से आग्रह करता हूं कि मेरे द्वारा उठाई गई बातों पर ध्यान दें।

श्री अखिल बसु (आरामबाग): महोदय, यह जानकर अच्छा लगा कि मुख्य विपक्षी दल की ओर से बोलने वाले माननीय सदस्य मेरे सम्मानित वरिष्ठ सहयोगी श्री जोशी जी ने प्रस्तावित अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर आपत्ति नहीं की थी। जहां तक अनुदानों की मांगों के उस भाग का संबंध है जिस पर उन्होंने आपत्ति की है मेरे विचार से वह इसके पीछे निहित तर्क नहीं समझ सके।

मैं थोड़ी व्यग्रता से यह कहना चाहता हूं कि यह दर्शाता है कि आजकल भाजपा क्या रुख अपना रही है। यह एक दिशाहीन दल है वे बिना किसी दिशा के आगे बढ़ रहे हैं। इस समय देश व्यापक और अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहा है। सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी। वित्त मंत्री देश के वित्त और देश की अर्थव्यवस्था का प्रबन्धन कर रहे हैं लेकिन देश की वित्तीय राजधानी की स्थिति बहुत खराब है। अत: विशेषकर मुम्बई, कोलकता और चेन्नई जैसे महानगरों में जल निकासी प्रणाली पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। खराब स्थिति का एक प्रमुख कारण न केवल अभूतपूर्व वर्षा है बल्कि जल निकासी प्रणाली का अभाव भी है। अत: इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि देश की वित्तीय राजधानी की स्थिति बहाल की जा सके और देश की अर्थव्यवस्था का प्रबन्ध करने के लिए आवश्यक वित्त प्रदान करने के लिए यह आगे बढ़ सके।

इस वर्ष हम देख रहे हैं कि वर्षा अनियंत्रित हो रही है। मानसून अनियंत्रित है। इस समय अनिश्चित मानसून के साथ-साथ तेल की कीमतें भी अनिश्चित हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के मूल्य आसमान छू रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री यह खतरनाक स्थिति है। इस स्थिति में अर्थव्यवस्था का प्रबन्धन और लक्षित वृद्धि दर प्राप्त करना बहुत कठिन है। आपके मंत्रालय ने 7 प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य रखा है लेकिन मुझे आशंका है कि भारत सरकार के सभी विभागों और वित्त मंत्रालय की सारी ताकत सभी विभागों के पीछे नहीं लगाई जाए तो प्रस्तावित लक्ष्य प्राप्त करना बहुत कठिन है।

हमें अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र—राजस्व संग्रहण से लेकर औद्योगिक वृद्धि तक तथा सेवा क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र में वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

माननीय वित्त मंत्री जी मैं आपका ध्यान इस तथ्य की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि रुपये की क्रय शक्ति में गिरावट आई है। यदि आप 1984 को आधार वर्ष मानें तो अप्रैल 2004 में रुपये की क्रय शक्ति घटकर 19.84 हो गई है और अब यह 18.98 हो गई है। अत: अर्थव्यवस्था में जो कुछ बढ़ रहा है रुपये की क्रय शक्ति में गिरावट के कारण बाजार में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि कृषि में वृद्धि न होने से सकल घरेलू उत्पाद कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है; "हमें कृषि से संबंधित सभी क्रियाकलापों—आयात तथा ऋण की आपूर्ति

फसल के विविधीकरण बेहतर उत्पादन पद्धतियों और उन्नत फसलोपरान्त प्रबंधन पर ध्यान देने और निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है।''

यदि मेरी बात सही है तो इस वर्ष फसल उत्पादन में 3.4 प्रतिशत गिरावट का अनुमान है। राजस्व अर्जन के अन्य क्षेत्रों में अप्रैल-मई, 2004 के मुकाबले अप्रैल-मई 2005 में आयकर राजस्व अर्जन में 15 प्रतिशत की और निगमित कर संग्रहण में 1,070 करोड़ रुपये की गिरावट आई है। उत्पाद शुल्क यद्यपि 2-5 प्रतिशत बढ़ा है फिर भी वर्ष 2004 की उसी अवधि में हुई वृद्धि 16.4 प्रतिशत से बहुत कम है। गैर-कर राजस्व क्षेत्र में तीन प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अप्रैल-मई, 2004 की तुलना में यह अभी भी 20.4 प्रतिशत कम है। अत: बहुत अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। मुझे वित्त मंत्री सभी राजस्व संग्रहण क्षेत्रों पर ध्यान देने की क्षमता में पूरा विश्वास है। उसमें पर्याप्त वृद्धि की गई है ताकि आवश्यक वित्त पोषण विकास की प्रक्रिया में बाधा न बने।

एक क्षेत्र ऋण वसूली का है। गत वर्ष एक ऐसी योजना चलाई गई थी जिसके अधीन राजस्व सरकारों के संचित ऋण कुछ नरम कार्यक्रम के माध्यम से समायोजित किए जा सके। इस वर्ष, इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं है। गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के संग्रहण के माध्यम से बैंकों द्वारा वसूली में भी कमी आई है। गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के रूप में बहुत अधिक धनराशि पड़ी है। ऐसी घोषणा की गई थी कि इस पर आवश्यक ध्यान दिया जाएगा ताकि बड़े उधारकर्ताओं जिन्होंने बिना कारण के बहुत अधिक समय तक भुगतान नहीं किया है मंत्रालय यह सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी कदम उठाएगा कि उधारकर्ताओं से ऋण वसूला जा सके। दुर्भाग्य से यह कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है।

यद्यपि कृषि क्षेत्र के बारे में सभी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा बहुत कुछ कहा गया है फिर भी मैं यह कहने के लिए बाध्य हूं कि यह केवल एक जबानी बात है।

महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश प्रौद्योगिकी का इस समय पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है। यह पश्चिमी देशों से ली गई है। जैसा कि आपको ज्ञात है पश्चिमी देशो में खेतों का आकार बहुत बड़ा है। वहां खेतों का आकार हजारों हेक्टेयर तक है। वहां बड़े खेतों में जो प्रौद्योगिकी प्रयोग की जाती है वह हमारे देश के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन स्वतंत्रता के 57 वर्षों के बाद भी हम ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सस्ती वहनीय प्रौद्योगिकी का विकास नहीं कर सके जो भी प्रौद्योगिकी उपलब्ध है वह पश्चिमी देशों से उधार ली गई है वह हमारे किसानों के लिए उपयुक्त नहीं है। हमारे खेतों का आकार इतना बड़ा नहीं है।

सभापति महोदय, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि ट्रैक्टर का निर्माण करने वाली कंपनियां जैसे महिन्द्रा एंड महिन्द्रा और एस्कोर्टस ने ट्रैक्टर का निर्माण बंद कर दिया है और वे अब, मोटर कार और अन्य प्रकार के वाहनों का उत्पादन कर रही हैं। इस समय जो ट्रैक्टर उपलब्ध हैं उनकी लागत 3 लाख रुपये से कम नहीं है। अत: यदि कोई गरीब किसान ट्रैक्टर खरीदना चाहता है तो उसे अपनी जमीन गिरवी रखकर यह धन देना पड़ता है क्योंकि इसकी कीमत बहुत अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थ व्यवस्था को गति देने के लिए ट्रैक्टर का उपयोग खेतों में किया जा सकता है। इसी प्रकार जब वहां कृषि का कार्य नहीं चल रहा हो तो ट्रैक्टर का प्रयोग परिवहन वाहन के रूप में किया जा सकता है। लेकिन इसकी कीमत को इस प्रकार अंतिम रूप दिया गया है कि किसी किसान के लिए ऋण धनराशि का भुगतान करना बहुत कठिन है। पंजाब और हरियाणा में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिसमें किसान ऋण धनराशि का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान करने के लिए उन्हें अपनी जमीन खोनी पड़ी।

ट्रैक्टरों की कीमत इस तरह क्यों निर्धारित की गई है? मोटर कार का मूल्य गिर रहा है। यदि आप मोटर कार खरीदें तो दर्जनों बैंकर आपको वित्त देने को तैयार होंगे। लेकिन आप ट्रैक्टर खरीदने जाएं तो ऋण देने के लिए कोई नहीं होगा। केवल वे कंपनियां जिन्होंने संबंधित बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन किया है आपको ऋण देंगी। यदि कीमत 3 लाख या 3.5 लाख हो तो पटवारी से लेकर प्रबंधकों तक भ्रष्ट तरीके से लेन-देन होती है। इस प्रकार वहां एक लाख खत्म हो जाता है और ब्याज के साथ पूरा भार गरीब किसान के ऊपर पड़ता है।

अत:, इस संबंध में कोई उपयुक्त अध्ययन नहीं किया गया है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती कीमत-प्रभावी और गुणवत्ता वाली प्रौद्योगिकी किस प्रकार विकसित कर सकते हैं।

महोदय, यदि कोई किसान अपना 'मिनी डीप वेल' या 'बोर वेल' लगाता है और अपनी भूमि की सिंचाई करने हेतु पानी खींचने के लिए जनरेटर लगाना चाहे तो अत्यंत कठोर पर्यावरण उत्सर्जन मानकों के कारण ऐसा नहीं कर सकता है। पर्यावरण विभाग ने पर्यावरण उत्सर्जन मानक इस प्रकार बनाए हैं कि कोई किसान सस्ता जनरेटर नहीं लगा सकेगा। इस प्रकार के उत्सर्जन मानदण्ड तो यूरोपीय संघ में भी निर्धारित नहीं किए गए हैं।

ऐसा इसलिए है कि किसान सस्ता जनरेटर नहीं खरीद सकेंगे। उत्सर्जन मानकों के नाम पर आगरा और उसके आसपास के छोटे और लघु उद्योगों में हजारों उत्पादकों का जीवन और आजीविका नष्ट हो जाएंगे। आपको अपनी भूमि की सिंचाई के लिए पानी खींचने हेतु जनरेटर लगाना होता है। उत्सर्जन मानक में इस प्रकार

[श्री अनिल बसु]

के प्रतिबंध लगाए गए हैं। ऐसा क्यों है? वास्तविकता यह है कि इस देश का केवल एक औद्योगिक घराना इस प्रकार के जेनरेटर बनाता है जो इन मानदण्डों को पूरा करता है।

महोदय, क्या अपने कहीं यह सुना है कि 1000 किलोवाट और 2000 किलोवाट के उत्सर्जन मानक एक ही हैं। ऐसा क्यों है? ग्रामीण क्षेत्र में किसान कम लागत वाली प्रौद्योगिकी कैसे प्राप्त कर सकेंगे? क्या इसके बारे में कभी सोचा गया है?

अब आप ऋण का क्षेत्र ले लें। मेरे लिए यह समझना कठिन है कि क्या यह ऋण किसानों को वस्तुतः मिल भी रहा है। क्या यह सच है? मुझे बताया गया है कि पिछले वर्ष सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने लक्ष्य का केवल 17 प्रतिशत हासिल किया है। क्या यह सच है? यदि यह सच नहीं है तो मुझे प्रसन्नता होगी। सभी आदानों-उर्वरक, कीटनाशियों, विद्युत, डीजल आदि की कीमत कई गुना बढ़ गयी है। किन्तु जहां तक फसलों की कीमत का संबंध है, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कीमतों में उतार-चढ़ाव आता रहता है और उससे नकदी फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। चारों तरफ यही स्थिति है। यदि आप कृषि क्षेत्रक में सार्वजनिक निवेश नहीं बढ़ाते हैं, यदि आप उन्हें आदान प्रदान नहीं करते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में कम कीमत वाली बढ़िया प्रौद्योगिकी नहीं लाते हैं तो कृषि में विकास क्या होगा? इसमें सुधार कैसे आयेगा? कृषि क्षेत्रक ही संपूर्ण वृद्धि को मंद किये हुए है।

इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इसे गंभीरतापूर्वक लें। योजना आयोग को इसका विश्लेषण करने के लिए कहा जा सकता है। मैंने मंत्री जी को पत्र लिखा था। अपने उत्तर में उन्होंने मेरे पत्र को दिलचस्प बताया। यदि वह दिलचस्प है तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह उसका अध्ययन करें और देखें कि ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या क्या है, किसानों को किस प्रकार ऋण मिल रहा है, किस प्रकार ट्रैक्टरों की बिक्री के नाम पर लाखों रुपए इधर-उधर हो रहे हैं और किस प्रकार दो या तीन निगमित निकायों ने ही पत्येक वस्तु पर एकाधिकार जमा रखा है। जो भी लघु और छोटे क्षेत्रक थे, वे समाप्त हो रहे हैं। इसलिए उन्नति करने के लिए हमें ध्यानपूर्वक काम करना पड़ेगा।

महोदय, भाषण को समाप्त करते हुए मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह कृपया 'भारत निर्माण योजना' के बारे में बतायें जो कि मुख्यतया ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए बनाई गयी है?

अपराह्न 4.00 बजे

माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए लाखों-करोड़ों हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई प्रबंध करने का वर्णन किया है। वह इस लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त करेंगे? ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम के अलावा दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं जो हमें अनेक आपदाओं और तेल की कीमतों के बढ़ने के बावजूद 7 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य हासिल करवा सकते हैं। मैं सरकार और वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति का नियोजित रीति से उपयोग करें।

एक अन्य क्षेत्र है—कैंसर रोगियों की चिकित्सा है। यद्यपि, यह मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है तथापि, मेरे विचार से यह एक राष्ट्रीय समस्या भी है। मुझे कलकत्ता स्थित चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में एक बहुत ही दुखद अनुभव हुआ है। वहां एक गरीब आदमी था जो अपने परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था। वह 2000 रुपए प्रति मास के वेतन पर एक छोटी सी लेटेक्स फैक्टरी में प्रबंधक के पद पर कार्यरत था। वह कैंसर से पीड़ित था। मैंने प्रयत्न किया कि उसे संस्थान में दाखिल कर लिया जाये किन्तु मुझे बताया गया कि गरीब होने के बावजूद उन्हें मुफ्त चिकित्सा सुविधा नहीं मिल सकती है। सरकार को चाहिए कि वह स्वास्थ्य मंत्रालय में कैंसर के क्षेत्र में ऐसा एक अभिकरण बनाये जो उन चीजों का ख्याल रखे। क्या ऐसे गरीब लोगों का मुफ्त इलाज संभव है। महान स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर बने ये संस्थान अत्यंत बुरी दशा में हैं। इनकी तरफ काफी ध्यान देना पड़ेगा इन राष्ट्रीय संस्थानों का निर्माण तो कर दिया गया है किन्तु उन्हें राष्ट्रीय आंकाक्षाओं को पूरा भी करना है। यदि आप वहां जायेंगे तो देखेंगे कि दुर्भाग्य से इन संस्थानों में रोगियों की उचित देखभाल नहीं होती है। मैंने चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का उल्लेख किया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह अपने साथी माननीय स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष यह मुद्दा उठायें ताकि भविष्य में इसमें कुछ सुधार हो सके।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): सभापति जी, आपने सप्लीमेंटरी डिमांड्स फार ग्रांट्स पर बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। जब मुख्य बजट यहां रखा गया था उस वक्त तक कई गंभीर बातें सामने आई थीं। भारत की एकोनोमिक रेटिंग की तुलना चाइना से हो रही है। ऐसे मौके पर भी आशंका व्यक्त की गयी कि जो प्रोजैक्टेड ग्रोथ-रेट है वह हम अचीव कर पायेंगे या नहीं और सदन में दोनों तरफ से इस बारे में गंभीर स्वर उठाये गये थे।

हमारे यहां मौसम की जो भिन्नता है, पर्यावरण के परिवर्तन का जो मामला है, कहीं पानी गिर रहा है, कहीं नहीं गिर रहा है, उससे हमारी खेती का जो परफोर्मेंस है, उस पर जो निर्भरता

है, उसमें कमी आ रही है। साथ ही साथ और भी बहुत सारी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि प्रोजैक्टेड 8 प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ रेट कम रह जाएगा।

यहां 6818.56 हजार करोड़ रुपए की डिमांड्स फॉर ग्रांट्स रखी गई हैं। उनमें जो बड़े कम्पोनैंट्स हैं, वे मूलत: स्टेट गवर्नमैंट को सपोर्ट करने के लिए हैं। विशेष तौर पर जो फौरेन एडिड प्रोजैक्ट्स चल रहे थे, वे एप्रूव हुए हैं। इलैक्ट्रिसिटी जेनरेशन के लिए राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में जो सप्लीमेंट करना था, उसके लिए राशि दी गई है, टेलीकॉम के लिए दी गई है और थोड़ी बहुत और भी है।

सबसे अहम सवाल आज की तारीख में जो समाने आ रहा है कि हम धीरे-धीरे खुले बाजार की अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। किस तरीके से हमारे जितने इकोनॉमिक ऑर्गन्स हैं, उनको इतना कॉम्पीटिटिव बनाएं कि वे अपने पैरों पर खड़े हो पाएं। पिछले साल हिन्दुस्तान में जीडीपी में लगभग 648 बिलियन डॉलर मूल्य के बराबर एडीशन किया गया था और उसमें खेती का हिस्सा बहुत बड़ा था जो 60 परसैंट के आसपास था। आज जब इसका एप्रेजल कर रहे हैं, तो हमें इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि जो हमारा इनवैस्टमैंट है, विशेष तौर पर कृषि के क्षेत्र में इनवैस्टमैंट है, मूलत: जो बात माननीय वित्त मंत्री ने कही थी कि हम किसानों को पहले से दो गुना या उससे थोड़ी ज्यादा वित्तीय सहायता उपलब्ध करा पाएंगे, लेकिन हम महसूस कर रहे हैं कि नेशनेलाइज्ड बैंकों के अलावा जो आरआरबी हैं, जो जिला सहकारी बैंक हैं, मुझे लगता है कि वे स्थानीय खेती की रीढ़ हैं, उनकी स्थिति बहुत सुधर नहीं पायी है। उनके माध्यम से जो फाइनैंशल अवैलेबिलिटी किसानों को होनी चाहिए थी, उसके लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं। उस पर विशेष तौर पर फोकस किए जाने की जरूरत है, विशेष तौर पर कोआपरेटिव और आरआरबीज को नए तरीके से संगठित करने की जरूरत है जिससे कृषि क्षेत्र में जो वित्तीय आवश्यकता है, उसकी गारंटी कर सकें। मैं सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि राजीव गांधी विद्युतीकरण मिशन के माध्यम से उन्होंने अच्छा प्रयास किया है।

अभी माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए थे। वहां उन्होंने हिन्दुस्तान के न्यूक्लियर पावर जेनरेशन प्लांट्स के लिए अनुमति प्राप्त की है कि उन्हें रिप्रोसैस्ड फ्यूल मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इससे 40 हजार मेगावाट कैपेसिटी बिजली की क्षमता बढ़ा सकेंगे। वाकई में यह एक अच्छा कदम है। इसके अलावा जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल और क्रूड ऑयल का भाव बढ़ाया जा रहा है, उसका असर सीधे-सीधे किसानों की खेती पर पड़ रहा है। मुझे लगता है कि हर महीने अप्रत्याशित डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, जबकि आशंका है कि आने वाले वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो क्रूड आयल की कीमत है, वह 100 डॉलर या उससे भी ज्यादा पर बैरल बढ़ जाएगी। हम समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चुनौती हिन्दुस्तान की कृषि के सामने है। वह कृषि जिस के दम पर हिन्दुस्तान तरक्की करने और आगे बढ़ने के सपने देख रहा है, उसे कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं विशेष तौर पर माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जो एनर्जी सिक्योरिटी है, विशेष तौर पर हिन्दुस्तान के किसानों को देखते हुए और मध्यम दर्जे के छोटे उद्योगों की स्थिति को देखते हुए उसे सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तभी हम उन चुनौतियों को पूरा कर पाएंगे।

जो थ्रस्ट एरियाज हैं, उनमें विशेष तौर पर पावर, रोड, टेलीकॉम, एजूकेशन, हैल्थ, एम्पलॉयमैंट इत्यादि बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि इन पर फोकस देकर काम किया जाएगा तो हम उन चुनौतियों को पूरा करने में समर्थ होंगे जो आज हमारे सामने हैं।

महोदय, सबसे महत्वपूर्ण सवाल गवर्नेन्स का है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की किताब में हमने पढ़ा है कि आज हिन्दुस्तान करप्ट नेशन की कतार में सबसे आगे तो नहीं है, शायद दो-चार देश हमसे भी आगे होंगे, लेकिन इस हालत में हम पहुंच चुके हैं। एक असेसमेंट यह है कि लगभग 39000 करोड़ रुपया हिन्दुस्तान की जनता को प्रिलिमिनरी सर्विसिस के लिए रिश्वत में देना पड़ता है। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा कन्सर्न है। मैं विशेष तौर पर सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि एक तरफ जब हिन्दुस्तान को कम्पीटीटिव फिगर के तौर पर सामने आना है और पूरी धरती के इकनॉमिक सिस्टम में अपना स्थान बनाना है, मुझे लगता है कि प्रॉपर गवर्नेन्स का इश्यू हो या करप्शन को खत्म करने का इश्यू हो, उसे फोकस एजेंडा में लेकर एड्रेस करना पड़ेगा वरना हम लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पाएंगे।

महोदय, मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता हूं। अभी सप्लीमेंटरी बजट में मैंने देखा कि काफी पैसा स्टेट ग्रांट्स के लिए दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार पिछले दो वर्षों से लगभग 18.230 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग कर रही है। हमने रेखा है कि जो पैकेज भारत सरकार ने एप्रूव किया था इसमें जम्मू और कश्मीर को भी पैसा दिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार जो पैकेज, पिछले दो सालों से मांग रही है, उसे डिनाई किया गया है, नहीं दिया गया है। बड़े ताज्जुब की बात है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी स्टेट है। हिन्दुस्तान की 18 परसेंट आबादी वहां रहती है, उसका ग्रोथ में बहुत बड़ा शेयर है। अगर उत्तर प्रदेश प्रोग्रेस नहीं करेगा तो हिन्दुस्तान कैसे प्रोग्रेस करेगा? चाहे खेती हो, उद्योग हो या एम्लायमेंट हो, पिछले दो वर्षों से हर तरीके से यह प्रयास किए गए हैं कि उत्तरोत्तर प्रगति की ओर उत्तर प्रदेश अग्रसर हो। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि

[श्री रवि प्रकाश वर्मा]

जब बीच में बिजली की कमी हुई थी, तब भी उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से बिजली की मांग की थी लेकिन मना कर दिया गया। इसका बहुत बड़ा असर वहां की प्रगति पर पड़ा है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि जब हम इस चीज से चिंतित हैं कि हिन्दुस्तान को बहुत कम समय के अंदर अपना स्थान पूरी धरती की अर्थव्यवस्था में बनाना है और पूरी दुनिया के अंदर जो डेवलपिंग कन्ट्रीज हैं, वे आशा भरी निगाह से हिन्दुस्तान की ओर देख रही हैं, ऐसी स्थिति किसी भी हालत में उत्तर प्रदेश या दूसरी पिछड़ी स्टेट की उपेक्षा नहीं कर सकते, यह हमें ध्यान में रखना पड़ेगा।

आज बजट की स्पीच के माध्यम से मैं इतना कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी, उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण प्रांत है, जहां पर बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले दस वर्षों में जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को वहां तोड़ा-मरोड़ा और कमजोर किया गया है और बहुत ही प्रयास करने के बाद उत्तर प्रदेश आज अपने रास्ते पर आ सका है और आगे बढ़ने की ओर तत्पर है। आपने अभी दो-तीन मीटिंग्स माननीय मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी से की हैं, आपने इस बात को महसूस किया होगा कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है और डेवलपिंग इंडीकेटर्स अग्रसर हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के 18,230 करोड़ रुपए का पैकेज स्वीकार करने का कष्ट करें और यह पैसा शीघ्रताशीघ्र उत्तर प्रदेश को दिलाने का कष्ट करें।

महोदय, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भारत सरकार से बिजली खरीदने का आग्रह किया है, उसके लिए विशेष तौर पर विचार करते हुए जो अतिरिक्त बिजली है, वह उत्तर प्रदेश को प्रदान करने का कार्य करें जिससे हम लोग अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकें और उत्तर प्रदेश को आगे ले जा सकें।

श्री राम कृपाल यादव (पटना): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण बहस में भाग लेने के लिए अनुमति प्रदान की है।

सभापति जी, माननीय वित्त मंत्री जी सदन के समक्ष वर्ष 2005-06 की विभिन्न सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को लाये हैं, मैं उनके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी बहुत कुशल और अनुभवी वित्त मंत्री हैं और लगातार अपने प्रयासों से पिछले डेढ़ साल से भारत की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने में लगे हैं। न केवल भारत के गांवों का बल्कि शहरों का भी विकास हो, इसके लिये वह प्रयत्नशील हैं। यू.पी.ए. सरकार की यह कटिबद्धता भी है कि हम हर वर्ग और हर क्षेत्र का विकास करने का काम करें। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुरूप वह काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इनके कुशल नेतृत्व में भारत और आगे बढ़ेगा। इससे महंगाई पर नियंत्रण होगा, आम लोगों को इससे राहत मिलेगी तथा गरीबी और बेरोजगारी दूर होगी।

सभापति जी, मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर खींचना चाहूंगा कि यदि वह देश को विकसित करना चाहते हैं, देश की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करना चाहते हैं, तो सब से पहले उन्हें देश के गांवों की ओर, और विशेष रूप से किसानों पर ध्यान देना होगा। देश की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में देश के गांवों और खेत-खलिहानों की ओर ध्यान देना होगा। मैं समझता हूं कि उनके प्रयासों के अनुरूप जो नतीजे आने चाहिये थे, वे नहीं आ रहे हैं। जब तक देश के गांवों की स्थिति मजबूत नहीं होगी, तब तक देश की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी। देश की अधिकतर जनता गांवों में रहती है। देश का सब से बड़ा आय का स्रोत खेत-खलिहान हैं लेकिन आज का किसान निराश और परेशानी की हालत में है। जो पूंजी किसान लगा रहा है, उसका मूल्य उसे वापस नहीं मिल रहा है। खेत-खलिहानों में काम करने वाले करोड़ों लोग निराश हैं। आज महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, खाद, डीजल, पेट्रोल और बीज के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उसकी तुलना में किसानों द्वारा किए गए उत्पादन का उसे उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से आज किसानों को निश्चित तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। माननीय वित्त मंत्री जी एक कुशल वित्तीय विचारक हैं, उनका कुशल अनुभव रहा है, इसलिये उन्हें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे और किसानों को राहत देने के लिये सोचना पड़ेगा। सरकार पेट्रोल, डीजल के दाम कैसे कम करे, कैसे वैज्ञानिक ढंग से किसान खेती कर उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं, इस बारे में सरकार को सोचना होगा। अगर किसानों को समुचित ढंग से मदद मिल जाये तो हमारी धरती की इतनी उर्वरा शक्ति है कि हम न केवल आत्मनिर्भर रह सकते हैं बल्कि विदेशों को खिलाने की क्षमता रखते हैं, मगर, ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिये मेरा आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि देश की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये कुछ ठोस कदम उठायें, खेत-खलिहानों में काम करने वाले लोगों के लिये कुछ सोचना पड़ेगा, तभी इस देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकती है।

बाढ़ और सुखाड़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए इसमें राशि की मांग की गई है। आज देश का हर भाग, हर कोना प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित नजर आ रहा है—कहीं सुखाड़ है तो कहीं बाढ़ आ रही है। दुर्भाग्य यह है कि यह नियति का दोष है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, मगर कुछ न कुछ तो करना

पड़ेगा। मैं बिहार प्रदेश से अता हूं और आपका ध्यान अपने प्रदेश की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

बिहार बहुत पिछड़ा प्रदेश है, आप भी इस बात को मानते हैं। बिहार के बंटवारे के बाद, जब से झारखंड उससे अलग हुआ है, बिहार की आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। उसकी स्थिति पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है। माननीय वित्त मंत्री जी आप हजारों-हजार करोड़ रुपये बाढ़ और सुखाड़ पर खर्च करते हैं, मगर आप यह पैसा अल्पकालिक व्यवस्था पर खर्च करते हैं, जबकि दीर्घकालिक व्यवस्था की तरफ आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। नेपाल से आने वाली नदियों के कारण बिहार में हर साल भयंकर बाढ़ आती हैं, जिससे बिहार की हजारों हैक्टेअर भूमि पानी में डूब जाती है और हजारों करोड़ रुपये का नुकसान होता है। वहां सड़कें, पुल, पुलिया, मकान, बिजली सब नष्ट हो जाते हैं। एक साल के बाद आप फिर से उसे आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करते हैं। उत्तर बिहार में नेपाल से आने वाली नदियों के कारण जो बाढ़ आती हैं उसके कारण किसान बहुत परेशानी की हालत में आ जाते हैं। उसके एक साल बाद बिहार और भारत सरकार उन्हें स्थिति से उबारने में मदद देने के लिए जो पैसा देती है, वह सब वेस्ट हो जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप नेपाल से इस संबंध में कोई इकरारनामा क्यों नहीं करते हैं। यद्यपि, आपने कुछ प्रयास तो किया है, आपने इसके लिए कुछ राशि आबंटित की है, आप इस दिशा में कुछ सोच रहे हैं, मगर सोचते-सोचते ही समय निकलता जा रहा है। आपको इस दिशा में कोई ठोस और कारगर उपाय करना पड़ेगा। इस बारे में आपको नेपाल सरकार से एग्रीमैन्ट करना पड़ेगा, ताकि उन नदियों पर डैम बनाया जा सके। यदि वहां डैम बन जायेगा तो उससे बिजली का उत्पादन भी होगा। वैसे ही हमारे देश में बिजली का बहुत अभाव है। बिहार सहित पूरे देश में बिजली का अभाव है। दिल्ली जैसे शहर में बिजली का अभाव है। मुम्बई जैसे महानगर में सब जगह बिजली का अभाव हो रहा है। इसलिए आप इस दिशा में कोई ठोस उपाय करें, ताकि बिहार के एक बड़े भूभाग में, जहां हजारों करोड़ रुपये की सम्पत्ति नष्ट हो जाती है, जिसके कारण किसान बहुत परेशानी की हालत में पहुंच जाते हैं, उनकी हालत सुधारे। देश के आजाद होने के बाद, बिहार में जो इनवैस्टमैन्ट होना चाहिए था, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो राशि आबंटित की गई थी, उसी समय से कहीं न कहीं बिहार की उपेक्षा की गई है। आपके पहले जो एन.डी.ए. की सरकार थी, उसने कहा था कि बिहार का बंटवारा करके हम उससे झारखंड अलग कर देंगे और बिहार के लिए स्पेशल पैकेज का प्रावधान करेंगे, विशेष राशि आबंटित करेंगे। परन्तु किसी भी प्रकार का विशेष पैकेज नहीं दिया जा सका है। झारखंड के अलग होने के बाद, बिहार में न कोई कल-कारखाना है, न कोई बिजली सयंत्र है। वहां के 19 जिलों में सुखाड़ होता है। बिहार बाढ़ और सुखाड़ दोनों से ग्रसित है। यदि आप बिहार को आत्मनिर्भर नहीं बनायेंगे तो यह प्रदेश कैसे विकसित होगा। बिहार देश में दूसरे नम्बर का प्रदेश है। प्रदेश के बंटवारे के बाद, खदानों के माध्यम से रायल्टी के आधार पर जो अच्छी-खासी राशि आती थी, वह बन्द पड़ी हुई है। वहां की आवाम खेत और खलिहानों पर निर्भर करती है। जैसा मैंने बताया कि उत्तर बिहार का इलाका बाढ़ और मध्य बिहार का इलाका सुखाड़ से ग्रस्त रहता है। इसलिए वहां की वित्तीय स्थिति किसानों की परेशानी और कल-कारखानों के न रहने की वजह से बहुत बुरी हालत में हैं। अत: जब तक आप बिहार को आत्मनिर्भर नहीं बनायेंगे, उसे उसके पैरों पर खड़ा करने की कोशिश नहीं करेंगे और उसे स्पेशल राशि देने का काम नहीं करेंगे, आपने यद्यपि कुछ राशि आबंटित की है, जिसके लिए मैं आपके प्रति आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं, मगर साथ ही कहना चाहता हूं कि जो राशि आपने दी है, वह अपर्याप्त है। यदि आप बिहार के लिए चिन्तित हैं, तो उसके लिए कुछ विशेष कृपा करें, कुछ कल-कारखाने लगाएं, कुछ दूसरी तरह की व्यवस्था करें, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें।

मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आपने विभिन्न मदों में जो राशि आबंटित की है, उनमें बिहार के लिए चाहे नेशनल हाइवेज हों या गांवों तक बिजली पहुंचाने के कार्यक्रम हों, उनमें ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत कई ऐसी परियोजनाएं हैं—शुद्ध जल की व्यवस्था, 500 से 1000 तक की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ना और कई इस तरह की योजनाएं हैं जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से होनी हैं, परन्तु उनमें पर्याप्त राशि आपने नहीं दी है। मुझे जो जानकारी है, भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमें भारत का संपूर्ण निर्माण करना है, भारत को विकसित बनाना है, उसके लिए आपने जिन परियोजनाओं के लिए राशि आबंटित की है, वह राशि देश के स्तर पर भी अपर्याप्त है, बिहार की तो बात ही छोड़िये। देश के स्तर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जितनी राशि की आपसे मांग की है, उस राशि से बहुत कम राशि आपने दी है। आप कैसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से विभिन्न योजनाओं को लागू करना चाहते हैं, गांवों तक ले जाना चाहते हैं, गरीबों का उत्थान करना चाहते हैं? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आपसे 96000 करोड़ रुपये की मांग की थी, मगर आपने 24000 करोड़ रुपये ही दिये हैं। इस प्रकार गांवों का विकास कैसे होगा?

भारत गांवों का देश है। हमारे देश के 75 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं लेकिन वहां के बजट में आप कटौती करने का काम

[श्री राम कृपाल यादव]

कर रहे हैं। इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। यह काफी बड़ा महकमा है। आप कह रहे हैं कि गांवों तक बिजली ले जाने का आपका सपना है और 25000 गांवों तक आप बिजली ले जाना चाहते हैं, 2.3 करोड़ घरों में बिजली पहुंचानी है, मगर इस मद में राशि देने में भी आप थोड़ी कंजूसी कर रहे हैं।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, कृपया कनक्लूड करें।

श्री राम कृपाल यादव: मैं अभी कनक्लूड करता हूं। मैंने अभी तो बोलना शुरू किया है।

सभापति महोदय: बोलने के क्रम में आपको समय का ख्याल नहीं है।

श्री राम कृपाल यादव: अभी तो अपनी पार्टी का मैं प्रथम सदस्य बोल रहा हूं।

सभापति महोदय: आप समाप्त कीजिए। आपकी पार्टी का समय खत्म हो रहा है।

श्री राम कृपाल यादव: सभापति जी, आप बड़े दयालु हैं, बड़ी कृपा करते हैं। मुझे थोड़ा और समय दीजिए।

सभापति महोदय: हमने आपको समय से टोका है। आपकी पार्टी का समय खत्म हो गया है। आप अब समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव: सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि जब तक आप पूरा इनफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं करेंगे, देश का विकास नहीं हो सकता है। आपने देश के गांवों के लिए पैसा नहीं दिया तो बिहार को कैसे दे पाएंगे? नेशनल हाइवेज का एक भी काम शुरू नहीं हुआ है। मंत्री जी वहां जाकर घोषणा कर रहे हैं कि पैसा आबंटित कर रहे हैं, लेकिन दुखद बात यह है कि अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से सारी की सारी मॉनीटरिंग हो रही है, केन्द्र सरकार की एजेन्सियां काम कर रही हैं, चाहे वह नेशनल हाइवेज हों या बिजली में हों, उसके बावजूद बिहार में नेशनल हाइवेज नहीं बन रहे हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण नहीं हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना के तहत सड़क निर्माण में भी गति धीमी है और जो काम हो रहा था, वह भी बंद हो गया है। गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए पावर ग्रिड के माध्यम से काम नहीं हो रहा है और आप अधिक पैसा भी नहीं दे रहे हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब चीजों पर आपका ध्यान जाना जरूरी है, तभी आप कुछ कर सकते हैं अन्यथा, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी 1,74,000 करोड़ रुपये की परियोजना है, जो 2009 तक पूरी होनी है, जिसके लिए आप कटिबद्ध हैं, मैं समझता हूं कि आप जिस तरह से राशि आबंटित करने का काम कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर ग्रामीण विकास मंत्रालय में बिजली, पानी जैसी कई चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण और बुनियादी चीजें हैं, उन पर जब तक आप पूरे तौर पर खुले दिल से अपने मंत्रालय के माध्यम से राशि मुहैया नहीं करा पाएंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है।

महंगाई को कम करने पर भी आप कुछ विचार करें। आज हमारी अर्थव्यवस्था बहुत खराब है। अनेक प्रयासों के बावजूद संतोषजनक नतीजे नहीं आ रहे हैं। आप कितनी भी राशि मुहैया कराएं, महंगाई काबू में नहीं आएगी। आम जनता को राहत नहीं मिल पाएगी। जो आबादी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करती है, उनका क्या होगा बड़े पैमाने पर गरीब लोग बेघर हैं। इंदिरा आवास योजना के तहत राशि आवंटित हो रही है, मगर बिहार में बहुत से लोग, गरीब तबके के लोग इस योजना से वंचित हैं। माननीय सभापति जी, आप जिस इलाके से आते हैं, वह भी गरीबी से ग्रस्त है। वहां जो टार्गेट फिक्स किया है, जिन 60 लाख गरीबों को मकान देने के लिए पैसा देने का टार्गेट रखा है, उसे पूरा करने का काम किया जाए। हमारा देश गरीबों का देश है, गरीब किसानों का देश है, खेत-खलिहान में काम करने वाले मजदूरों का देश है। जब तक इन लोगों के विकास के लिए समुचित राशि मुहैया नहीं कराई जाती, तब तक इन लोगों का उत्थान नहीं होगा और देश आगे नहीं बढ़ सकता है।

सभापति महोदय: आप अपनी बात जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव: मैं आपके समर्थन में खड़ा हूं, मगर इसके साथ-साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में बिहार और जो अन्य पिछड़े प्रदेश हैं, उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बिहार के अतिरिक्त राजस्थान, उड़ीसा आदि राज्य भी पिछड़े हैं। उनके लिए भी विशेष राशि मुहैया कराइए। खासकर बिहार के गांव, खेत-खलिहान की तरफ आपका ध्यान जाए, ऐसी कोई पालिसी, ऐसी कोई योजना बने, जिससे गांव खुशहाल हो सकें, गरीब लोग खुशहाल हो सकें, तभी आप भारत की समृद्धि की बात कर सकते हैं। महंगाई बढ़ती रहेगी तो देश आगे नहीं बढ़ सकता है।

सभापति महोदय: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव: निश्चित तौर पर जो बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश हैं, उनको विशेष पैकेज देने की कृपा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री इलियास आजमी (शाहबाद): सभापति महोदय, मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सप्लीमेंटरी बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह एक सच्चाई है कि हमारे वित्त मंत्री जी

ने आने के बाद टैक्स वसूलने के नए-नए तरीके निकाल कर काफी धनराशि वसूल की है और विकास के नाम पर उसे राज्यों को आवंटित किया है। 'काम के बदले अनाज योजना'—इसी सरकार ने शुरू की है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उसके दोनों जिले काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत आते हैं। मुझे मालूम हुआ और मुझे बहुत खुशी हुई कि इतनी बड़ी रकम से अब दोनों जिलों का विकास होगा तो साथ-साथ मेरे क्षेत्र का विकास भी हो जाएगा। भारत सरकार की कमजोरी यह है कि यह राज्यों को पैसा देकर ऐसा मान लेती है कि हमने विकास कर दिया। इसकी कोई चिंता नहीं की जाती कि जो पैसा हमने भेजा है, जिस काम के लिए पैसा दिया है, उस काम में पूरे-के-पूरे पैसा का उपयोग हो रहा है या नहीं। भारत सरकार के पास ऐसी कोई एजेंसी और कोई ऐसी टीम नहीं है जो यह निगरानी कर सके कि वह पैसा सही जगह पर लग रहा है या नहीं। भारत सरकार के पास सिर्फ पैसा वसूलने की टीम है, जनता से कितना पैसा लेना है, इसमें यह सरकार सक्षम है, लेकिन उस पैसे को कैसे सही जगह खर्च किया जाए, वह पैसा सही जगह खर्च हो रहा है या नहीं, इसे देखने के लिए कोई टीम नहीं है। पूरे देश के बारे में नहीं, लेकिन मैं अपने प्रदेश के बारे में पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि 'फूड फार वर्क' योजना के तहत आपने जितना पैसा दिया है, उतना फायदा लोगों को नहीं मिल रहा है। अव्वल तो यह स्कीम ही गलत है कि कुल मजदूरी के आधे भाग का पैसा दिया जाएगा और आधी मजदूरी के लिए अनाज दिया जाएगा।

महोदय, हम लोगों को जो तनख्वाह और भत्ता मिलता है, वह भी आधा अनाज के रूप में दिया जाए, जो कुछ आपको मिलता है उसमें भी आधा अनाज दिया जाए, जो हमारे सैक्रेट्रीज को तनख्वाह मिलती है, उसमें भी आधा अनाज दिया जाए—लेकिन ऐसा नहीं होता है, फिर गरीब को ही क्यों आधा अनाज और आधा पैसा दिया जाता है।

महोदय, सारा अनाज एफ.सी.आई. के गोदामों से उठकर जाता है और फिर वापस एफ.सी.आई. के गोदाम में ही भेज दिया जाता है। यदि कोई अधिकारी ईमानदारी से आधा अनाज और आधा पैसा देना चाहे, तो भी वह नहीं दे पाता, क्योंकि यह अनप्रेक्टीकेबल है और जो व्यावहारिक नहीं होता, वह कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। आज की तारीख में इस योजना का 50 प्रतिशत पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है। जिन लोगों को मिल रहा है वह इसलिए मिल रहा है, क्योंकि अभी यह नई योजना है। इसलिए अधिकारी भी चाहते हैं कि कुछ दिन काम करते हुए लोगों को दिखाया जाए। एजेंसियों के माध्यम से काम कराया जाए और लेबरर्स के काम करते हुए फोटो लिए जाएं। अनेक जगह ऐसा ही हुआ। उनके काम करते हुए फोटों ले लिए गए और उसके बाद उन्हें हटा दिया गया। उसके बाद मशीनें आ गई और ठेकेदारों ने मशीनों से काम निष्पादित किया। इसलिए मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इस योजना का 50 प्रतिशत पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है।

महोदय, कभी कहा गया था कि जम्हूरियत, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए है, लेकिन आज उलटा हो गया है। आज जनता से टैक्स के रूप में बहुत ज्यादा पैसा वसूल किया जा रहा है और इतना कि उसका हिसाब रखना इंसान के वश में नहीं रहा—कंप्यूटर ही रख सकता है। उसका हिसाब रखना इंसान के वश में नहीं रहा है। अब हमारा वह नारा उलटा हो गया है। अब लोकतंत्र नौकरों के द्वारा नौकरों के लिए हो गया है। सब कुछ नौकरों के लिए हो रहा है। पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, लेकिन वह गरीब को न मिलकर, नौकरों के घरों में जा रहा है। दिल्ली से लखनऊ तक देख लीजिए, हजारों कालोनियां बसी हुई हैं, हर कालोनी में हजारों मकान बने हुए हैं और एक-एक मकान लाखों की कीमत का है। जरा सर्वे कराकर देखिए कि वे मकान किनके हैं। अगर आप सर्वे कराएंगे, तो आपको पता लगेगा कि उनमें से ज्यादातर नौकरों के हैं। जनता का पैसा, जो जनता को मिलना चाहिए, वह उसे नहीं मिलता है और बीच में ही नौकरों द्वारा हड़प लिया जाता है।

महोदय, साक्षरता मिशन में 100 प्रतिशत भ्रष्टाचार होता है। इस योजना में पैसा सिर्फ अधिकारियों को देने की नीयत से ही दिया जा रहा है। इस संसद में, सात-आठ साल से, जब से मैं हूं, बराबर आवाज उठाता रहा हूं कि इस योजना का पैसा 100 प्रतिशत भ्रष्टाचार में जा रहा है। किसी अधिकारी ने किसी एक योजना का सुझाव दिया और वह शुरू हो गई, तो वह चलती ही रहती है, भले ही उसका पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा हो—ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं वित्त मंत्री से अर्ज करना चाहता हूं कि वे देश में इसका सर्वेक्षण करा लें। यदि एक करोड़ रुपए पर एक व्यक्ति की साक्षरता का भी एवरेज आ जाए, तो जो सजा वे कहेंगे, वह मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। यदि वे कहेंगे कि मैं इसके लिए सदन से माफी मांगू, तो मैं सदन से माफी मांगने के लिए भी तैयार हूं।

महोदय, एक हमारे फूड मिनिस्टर थे। उस समय चिदम्बरम साहब ही वित्त मंत्री थे। जब गरीबों को सस्ता अनाज देने की योजना शुरू हुई, तो उस पर अनेक लोगों की अलग-अलग राय थी। उसमें वित्त मंत्री जी की राय थी कि 8 हजार करोड़ रुपए गरीबों को सस्ता अनाज देने में खर्च करना उचित नहीं होगा। मैं भी इसका हिमायती नहीं था, हालांकि, मेरा पैदायशी मिशन रहा है गरीबों की आवाज उठाना। उस समय फूड मिनिस्टर साहब ने मुझसे कहा कि जब इस बारे में चर्चा हो, तो आप सदन में जरूर उपस्थित रहना, कहीं गड़बड़ न हो जाए। आज इस योजना में जितना भी पैसा जा रहा है उसका 25 फीसदी पैसा ही मुश्किल

[श्री इलियास आजमी]

से गरीबों को मिल रहा है, बाकी सब अधिकारियों, कर्मचारियों और बिचौलियों की जेबों में जा रहा है—25 फीसदी से ज्यादा पैसा गरीबों को नहीं मिल रहा है।

महोदय, अभी हमारे प्रदेश के खीरी जिले के श्री रवि प्रकाश वर्मा जी बोल रहे थे कि उनके यहां पांच साल से एक दाना भी अनाज का नहीं बांटा गया है, लेकिन गोदामों से अनाज पूरा निकला। उसे सब अधिकारी और कर्मचारी खा गए।

हालांकि, वे सस्पेंड भी हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्य संसद में आवाज उठाते हैं, संसद के बाहर भी आवाज उठाइये।

श्री इलियास आजमी: संसद के बाहर भी आवाज उठाता हूं। कम से कम मैं अपने बारे में कह सकता हूं कि संसद के बाहर भी मैं आवाज उठाता हूं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में मैं इसी सदन में तारीफ कर चुका हूं कि यह एक अच्छी योजना है, जिस पर पैसा बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, लेकिन उसका प्रोसीजर आपने ऐसा बना दिया है कि मेरे जिले में 2003-2004 की जो योजना थी, अब उसमें काम शुरू हुआ है। 2004-2005 और 2005-2006 में 3-3 बार आपने रोड नेटवर्क बनाया, लेकिन जब अधिकारी एयरकंडीशंड आफिस में बैठकर योजना बनाते हैं तो आधे गांव फिर छोड़ देते हैं। फिर हम लोग चिल्लाते हैं कि फलां-फलां गांव की आबादी एक हजार से ज्यादा है, वहां रास्ता नहीं है, रास्ता कहां है तो फिर उसे जोड़ते हैं। अभी 2005-2006 की योजना का पता ही नहीं है। 2003-2004 की योजना का अब जाकर काम शुरू हुआ है, इसलिए उसके प्रोसीजर को भी देखिये कि इतना जटिल न हो जाये। हालांकि, आप 22 लाख रुपये एक किलोमीटर पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन पहले आप तीन साल लटकाएं, उसे माइक्रोस्कोप से देखें कि योजना कैसी बनाकर भेजी है, इसमें कितना घपला है। आप 22 लाख रुपया पर किलोमीटर देते हैं, चाहे वह तीन साल में स्वीकृत करें, उससे कोई फायदा नहीं, जब आप पैसा कम नहीं कर पाते तो उससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक अच्छी योजना है, गांव के गरीबों को थोड़ी बहुत अच्छी सड़क मुहैया हुई है और आगे होने का इमकान है, उसके प्रोसीजर को भी सही करने की जरूरत है।

दूसरे भारत सरकार से मैं कहूंगा कि जिस तरह हमारे ग्रामीण विकास मंत्री चन्द दिन पहले यहां बहुत दावे के साथ कह रहे थे कि हम यह कर देंगे, पानी की समस्या पर इन्होंने कहा कि सांसदों को हम पानी पिलाकर छोड़ेंगे, उन्होंने इसी सदन में कहा था, लेकिन पैसा देकर यह मान लेना कि काम हो गया, पैसा देकर यह मान लेना कि हम 27 हजार करोड़ रुपया गरीबों को सस्ता अनाज देने के लिए दे रहे हैं, और गरीबों को 27 हजार करोड़ रुपये से सस्ता अनाज मिल रहा है, मैं समझता हूं कि यह मान लेना शुतुरमुर्ग की पालिसी है। जब रेगिस्तान में तूफान आता है तो शुतुरमुर्ग अपने पंख में अपनी आंख छुपा लेता है। वह समझता है कि जब मैं दुनिया को नहीं देख पा रहा हूं तो दुनिया मुझे भी नहीं देख रही होगी—यह पालिसी सही नहीं है। आप पैसा जरूर लगाते हैं, तो उसकी सही मोनेटरिंग भी कीजिए और यह देखिये कि आपने 100 करोड़ रुपया दिया है तो उस 100 करोड़ रुपये का फायदा जनता को पहुंचा या नहीं। 100 करोड़ रुपये देकर यह मान लेना कि एक हजार सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बन गई या फूड फॉर वर्क में इतना काम हो गया, सिर्फ यह मान लेना उचित नहीं है। चाहे धन्नासेठों के माध्यम से पैसा आपको मिलता है, लेकिन रियल में वह गरीब की जेब से निकलता है, इसलिए वह गरीबों पर खर्च भी होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब कन्क्लूड कीजिए।

श्री इलियास आजमी: सब के हिसाब से टाइम दीजिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपकी पार्टी की न्यूमैरीकल स्ट्रेंथ से आपको ज्यादा समय मिल गया है, इसलिए आप कन्क्लूड कीजिए। पार्टी की न्यूमैरिकल स्ट्रेंथ के आधार पर ही समय मिलता है।

श्री इलियास आजमी: मैं खत्म कर रहा हूं। ग्रामीण विद्युतीकरण बहुत अच्छी योजना है, जो आपने शुरू की है। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए मैं यू.पी.ए. सरकार को दिल की गहराइयों से धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत अच्छी योजना शुरू की, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत स्लो है। पैसा आपने दे दिया है, अभी तक मैं अपने क्षेत्र के बारे में कह सकता हूं, अपने दो जिलों के बारे में कह सकता हूं कि इस योजना से एक गांव भी अभी तक विद्युतीकृत नहीं हो पाया है। आप इसकी स्पीड तेज कीजिए और यू.पी. गवर्नमेंट से बात कीजिए। जिस तरह बिहार में केन्द्रीय एजेंसियों से पूरा विद्युतीकरण होने को आ गया है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी केन्द्रीय एजेंसियों को लगाइये। यह एक सच्चाई है कि निचले स्तर पर बिगाड़ बहुत ज्यादा आ गया है, ऊंचे स्तर पर भी बिगाड़ है, लेकिन अभी उतना नहीं है। अगर केन्द्रीय एजेंसियों के हाथ में आप यू.पी. में भी विद्युतीकरण का काम दे दें तो काम जल्दी होगा।

सभापति महोदय: अब आप समाप्त कीजिए।

श्री इलियास आजमी: मैं ज्यादा न कहकर, चेयर का एहतराम करते हुए और अपनी बात समाप्त करते हुए एक बार फिर

चिदम्बरम साहब से कहूंगा कि अब जनता पर कोई नया बोझ इसलिए मत लादिए कि विकास के लिए जरूरत है। जितना बोझ लद चुका है, वह बहुत ज्यादा है। जिन योजनाओं में 50 प्रतिशत से ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, उन सबको खत्म कर दीजिए और ऐसी चीजें बनाइए जिनका भ्रष्टाचार में जाना संभव न हो। तब हम मानेंगे कि आप वाकई दूर तक सोचकर देश को तरक्की देना चाहते हैं। देश को चलाने में वित्त मंत्री सब कुछ होता है।

मेरा एक बार फिर आग्रह है कि पैसा देते समय यह भी सोचें कि पैसा खर्च हो रहा है या नहीं। ...*(व्यवधान)* उसकी पूरी मौनीटरिंग करें, उसके बाद पैसा दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्द्रीरन (रामनाथपुरम): सभापति महोदय, आपका धन्यवाद।

तिरुवल्लुवर ने अपनी महान कविता तिरुकूरल में लिखा है, कदावारिंदू कलाम कारूती उदानारिंदू इति उराईपन तलाई। इसका अर्थ है कि सर्वाधिक योग्य दूत वह है जो उचित समय और स्थान का ध्यान रखता है और सोच-विचार कर बोलता और अपने कर्तव्य का पालन करता है।

मैं इस महान सभा में अपने निर्वाचन-क्षेत्र का दूत हूं और इस कारण मैं महसूस करती हूं कि मेरे दो कर्तव्यों को पूरा करने का उचित समय और स्थान यही है। मेरा पहला कर्तव्य हमारी यू.पी.ए. सरकार द्वारा बढ़िया ढंग से तैयार किये गये बजट की सराहना करना है और दूसरा कर्तव्य अपने निर्वाचन-क्षेत्र की अत्यावश्यक जरूरतों के संबंध में बात करना है।

महोदय, मैं समझती हूं कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत की गई अनुपूरक मांगों पर बोलना मेरे लिए प्रतिष्ठा और सम्मान का विलय है। मैं यह अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देती हूं।

सर्वप्रथम, मैं कुछ सप्ताह पहले तमिलनाडु में होने वाली ऐतिहासिक घटना पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करती हूं। सेतुसमुद्रम परियोजना की घोषणा वस्तुत: राष्ट्र के 150 वर्ष पुराने स्वप्न का सच होना ही है। हम इसे यू.पी.ए. सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानते हैं। यह मील का पत्थर हमने सम्मानित नेता डा. कलाईगमार के प्रयत्नों का फल है जिन्होंने कांग्रेस की सम्मानित नेता श्रीमती सोनिया गांधी और देश के बुद्धिजीवी प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के साथ मिलकर तमिलनाडु की जनता की इस महान विजय के लिए प्रयत्न किया।

मैं जनता की ओर से उन सभी नेताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूं। मैं पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री थीरू टी.आर. बालू के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करती हूं जिन्होंने अपनी चारित्रिक तत्परता और गतिशीलता को इस प्राचीन परियोजना सेतुसमुद्रम को प्रारंभ करने के लिए शानदार समारोह का अयोजन किया।

तमिलनाडु की जनता यह आशा करती है कि यह परियोजना तमिलनाडु और राष्ट्र की औद्योगिक उन्नति और चहुंमुखी आर्थिक विकास का अग्रदूत सिद्ध होगी। इसलिए भारत सरकार को और अधिक निधियां आबंटित करनी चाहिए।

आज की वित्तीय कार्यसूची पर बोलते समय मैं माननीय वित्त मंत्री थीरू पी. चिदम्बरम की सराहना करना चाहती हूं जिनके श्रेष्ठ नेतृत्व व दिशानिर्देश में भारत राष्ट्रों के समुदाय के मध्य आर्थिक महाशक्ति बनने की अटल यात्रा पर चल रहा है।

महोदय, भारत में आर्थिक सुधारों का श्री गणेश माननीय प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह ने तब किया था जब वह कुछ वर्ष पूर्व भारत के वित्त मंत्री थे। वर्तमान वित्त मंत्री श्री थीरू पी. चिदम्बरम ने सुधारों की उस कड़ी को उत्साहपूर्वक जारी रखा है जिससे राष्ट्र के आर्थिक विकास में निरंतर सफलताएं प्राप्त हुई हैं। यह तथ्य उद्योग और सेवा क्षेत्रकों में हो रही तेज वृद्धि से प्रकट होता है। भारतीय निगमित क्षेत्रक लगातार लाभ प्राप्त कर रहा है और तेजी से विस्तार कर रहा है।

विदेशी मुद्रा अर्जन में निरंतर वृद्धि हो रही है। भारत के आर्थिक स्वास्थ्य का वैरोमीटर माना जाने वाला शेयर बाजार अद्भुत उछाल दिखा रहा है। विदेशी पूंजी व तकनीक लगातार भारत में आ रही है जिससे देश के आर्थिक ढांचे को मजबूती मिल रही है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह स्थानीय विनिर्माताओं को बर्बाद न करे।

इसलिए हम माननीय वित्त मंत्री जी को इनके बेहतर निष्पादन के लिए बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में उन्हें और अधिक उपलब्धियां हासिल होंगी।

इसके साथ-साथ मैं ग्रामीण भारत के लिए आरम्भ किए गये नए कार्यक्रम पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करती हूं। भारत सरकार ने 1,74,000 करोड़ रुपए की लागत वाले जिस भारत निर्माण कार्यक्रम की घोषणा की है, वह देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभायेगा।

बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने और ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन, जिसमें सड़कें, विद्युत, पीने का पानी, जल निकायों का पुनरुद्धार स्कूल और स्वास्थ्य केन्द्र शामिल हैं, के दोनों उद्देश्य प्राप्त करना एक उत्कृष्ट रणनीति है। यहां मैं प्रसन्नता के

[श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन]

साथ कहना चाहती हूं कि जब हमारे प्रिय नेता डा. कलाईनार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री थे तो उन्होंने ग्रामों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों के त्वरित विकास के उद्देश्य से अनेक योजनाएं शुरू की थीं। इस योजना समूह को अन्ना ग्राम मारू मलारचिकिरम अर्थात अन्ना ग्राम पुनर्जागरण योजना के रूप में जानी जाती थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीणें में बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रामीण अवसंरचना तैयार करना ही नहीं था बल्कि महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और पारिवारिक जरूरतों पर विशेष ध्यान देकर महिलाओं को सशक्त बनाना भी था।

तथापि, यह देखकर निराशा हुई कि साधारण और गरीब लोगों के कल्याण हेतु दूरदृष्टि और अच्छी सोच के साथ हमारे माननीय नेता डा. कलाईनार द्वारा तैयार की गई इन अच्छी योजनाओं की तमिलनाडु में वर्तमान राज्य सरकार द्वारा उपेक्षा की गई है। अत: मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वह उद्देश्यपूर्ण ग्रामीण विकास कार्यक्रम को बहाल करने के लिए धनराशि का विशेष आवंटन करें जो मुख्यमंत्री के तौर पर डा. कलाईनार के योग्य नेतृत्व में पूर्व डीएमके सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई थीं। मैं यह भी सुझाव देना चाहती हूं कि इस कार्यक्रम को एकीकृत ग्रामीण विकास के लिए उपर्युक्त योजना हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया जा सकता है।

देश भर के लोगों की भारत निर्माण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के बारे में बड़ी उम्मीदें हैं। मेरा सुझाव है कि ग्रामीण लोगों में कार्यक्रम के बारे में अधिक जागरूकता का प्रसार करने की जरूरत है और सरकार को भारत निर्माण कार्य के सफल क्रियान्वयन के लिए लोगों को सहभागिता सुनिश्चित करने में पर्याप्त संस्थानिक प्रयास शुरू करने चाहिए।

सभापति महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन: सभापति महोदय, हमारी पार्टी को बीस मिनट मिलते हैं। कृपया मुझे कुछ देर और बोलने दीजिए।

मैं यह बताना चाहती हूं कि यथाशीघ्र इस विशाल ग्रामीण अवसंरचना निवेश कार्यक्रम के माध्यम से समय पर क्रियान्वयन और गुणवत्ता निर्माण सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नियंत्रण तंत्र संस्थापित करने की आवश्यकता है।

हमें कुशल और स्वतंत्र तकनीकी लेखा परीक्षा का आयोजन करने और सामाजिक लेखा परीक्षा के प्रभावी और स्वीकार्य कार्यक्रम की परिकल्पना करने के बारे में भी सोचना चाहिए।

इसमें कोई असहमति नहीं है कि आर्थिक सुधार देश की समग्र ग्रामीण सम्पन्नता में परिलक्षित होने चाहिए जिससे अर्थव्यवस्था का आकार तैयार होगा। वास्तव में सतत कृषि विकास और परिणामस्वरूप ग्रामीण सम्पदा निर्णय आर्थिक सुधारों की अग्नि परीक्षा होगी। ग्रामीण भारत में कृषि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और कृषि आधारित उद्योग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कृषि में सहायता करने के लिए पानी का कुशल प्रबंध किया जाना चाहिए। छोटे किसानों की चिन्ताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए और सहकारी समितियों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि हाल ही में भारत सरकार को प्रस्तुत वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों को समूचे देश में सहकारी क्षेत्र का कायाकल्प करने के उद्देश्य से उत्साह के साथ क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

इस चरण में मैं इस सम्मानीय सभा में यह रिकार्ड कराने में गर्व महसूस करती हूं कि मेरे सर्वाधिक प्रिय नेता डा. कलाईनार जनता के नेता हैं। जब वह ज्यादातर किसानों के सुधार के बारे में सोच रहे थे, वह किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने की जरूरत के बारे में इतने ही चिन्तित थे। अत: उन्होंने सारे तमिलनाडु में किसान बाजार श्रृंखला अर्थात उजावर चन्थै की स्थापना करते समय इस योजना में गहन कल्पना और व्यावहारिकतावाद को विकसित किया।

यह योजना विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जियां और फलों का उत्पादन करने वाले छोटे किसानों और शहरी केन्द्रों में उपभोक्ताओं को जोड़ने के लिए तैयार की गई थी।

इस योजना में सुबह-सवेरे बसों में अपनी उपज का सामान लाने के लिए व्यक्तिगत रूप से छोटे किसानों की सहायता करने के लिए निशुल्क परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था की।

सभापति महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन: महोदय, मुझे कुछ बातें कहनी हैं।

इस व्यवस्था से अपनी उपज के साथ छोटे किसान बाजार में आए।

इन केन्द्रों में शहरी उपभोक्ता प्रति सुबह भारी मात्रा में आए और उन्होंने अच्छी गुणवत्ता वाली सब्जियां और फल खरीदे। चूंकि कोई मध्यवर्ती अर्थात बिचौलिए नहीं थे, इसलिए किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सका। साथ ही शहरी उपभोक्ता उचित मूल्य पर ताजा सब्जियां और फल खरीद सके।

एक ओर छोटे ग्रामीण किसानों और दूसरी ओर बड़े शहरी उपभोक्ताओं को जोड़ने का यह अदभुत और व्यवहारिक विचार और रणनीति डा. कलाईनार की "दिमागी उपज" है।

तथापि, यह नोट करना दुखदायी है कि लोगों को अप्रसन्न कर तमिलनाडु में वर्तमान राज्य सरकार द्वारा ऐसी अच्छी योजना की या तो उपेक्षा की गई है अथवा उसका महत्व कम कर दिया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय वित्त मंत्री और माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध करना चाहती हूं कि छोटे किसानों के बाजार अर्थात किसान मंडी की इस योजना के आर्थिक महत्व की सराहना करें; इस योजना को राष्ट्रीय स्तर जिसमें तमिलनाडु और मुक्त उजावर चन्थाई अर्थात किसान मंडियों समेत सारे देश में शुरू किया जाए ताकि किसानों और उपभोक्ताओं की सहायता की जा सके। ऐसी योजना से न केवल किसानों को लाभ होगा बल्कि यह मूल्य नियंत्रण उपाय का कार्य भी करेगा। मैं माननीय वित्त मंत्री से राष्ट्रीय स्तर पर उजावर चन्थाईयों की योजना शुरू करने के लिए धनराशि का उपयुक्त आवंटन करने का अनुरोध करती हूं।

विशेषकर अपने निर्वाचन क्षेत्र की आवश्यकताओं पर आते हुए मैं यह अनुरोध करना चाहती हूं कि वैगई नदी जो दक्षिण तमिलनाडु के अनेक जिलों अर्थात थेनी, डिण्डीगुल, मदुरै, शिवगंगोई और रामनाथपुरम जिलों से होकर बहती है, उसके पानी जोकि समुद्र में चला जाता है, की एक-एक बूंद बचाने के लिए अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। रामनाथपुरम निर्वाचन क्षेत्र नदी के अंत में पड़ता है और यहां नदी समुद्र में गिरती है। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वैगई बांध से रामनाथपुरम बड़े तालाब तक सीमेंट के चैनल बनाने हेतु विशेष धनराशि आवंटित करें।

यह सर्वविदित है कि रामनाथपुरम और शिवगंगा जिले तमिलनाडु के सबसे सूखे भाग हैं। इस क्षेत्र में बहुत कम औद्योगिकरण हुआ है तथा यह आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है। अतः शताब्दियों पहले पूर्व राजाओं द्वारा समूचे क्षेत्र में खोदे गए तालाबों और चैनलों के माध्यम से पानी का संग्रहण करना आवश्यक हो जाता है। राजाओं के बाद हमारे सम्मानीय नेता डा. कलाईनार ने बड़े पैमाने पर गाद निकालने का कार्य किया था और अब इन सभी कार्यों का अनुसरण वर्तमान राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया है।

अतः मेरा प्रस्ताव है कि रामनाथपुरम नगर के निकट तीन बड़े तालाब-रामनाथपुरम बड़ा तालाब, सम्काराय कोट्टै तालाब और गुलारी तालाब को इन तालाबों की क्षमता बढ़ाने के लिए बड़े जलाशय के रूप में बढ़ाया जाना चाहिए।

सभापति महोदयः कृपया समाप्त कीजिए। मैं अगले वक्ता को बुला रहा हूं।

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्द्रीरनः महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करूंगी।

यह परियोजना लगभग एक सौ करोड़ रुपए की लागत से पूरी की जा सकती है। इस परियोजना से अतिरिक्त पानी समुद्र में जाने से रुक जाएगा।

सभापति महोदयः कृपया समाप्त कीजिए।

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्द्रीरनः महोदय, मैं कुछ मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगी।

यह करने पर कोई मुझसे सहमत नहीं होगा कि हमारे युवा और ऊर्जावान संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा भारत के कोने-कोने में टेलीफोन सुविधाएं संस्थापित कर एक बड़ी क्रांति की गई है।

मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि टेलीफोन सेवा के पर्याप्त कवरेज के लिए और अधिक टावर संस्थापित करने के लिए रामनाथपुरम जैसे पिछड़े क्षेत्रों को विशेष धनराशि आवंटित की जाए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लम्बा समुद्र तट होने से मत्स्यन से एक लाख लोगों को जीविका मिलती है। यह एक महत्वपूर्ण बात है। सेतुसमुद्रम परियोजना शुरू करने के साथ-साथ संप्रग सरकार विशेषकर हमारे नेता डा. कलैग्नर और माननीय मंत्री श्री टी. आर. बालू ने मछुआरों की चिन्ताओं पर ध्यान देने में महत्वपूर्ण और वास्तविक रुचि दिखाई है।

हमें मत्स्य उद्योग का पुनरुद्धार करने के लिए अल्पकालीन ओर दीर्घकालीन योजनाओं के संदर्भ में सोचना चाहिए। मैं सुझाव देना चाहती हूं कि मछली और मछली उत्पादों के प्रसंस्करण पैकेजिंग और विपणन के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं वाली अनन्य औद्योगिक भू-क्षेत्र की स्थापना केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रम के रूप में मांडायाम और कालिनोक्कम में की जानी चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम के लिए धनराशि का विशेष आवंटन प्रदान किया जाए।

इसी प्रकार मेरा यह भी अनुरोध है कि कृषि प्रसंस्करण के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं वाली विशेष औद्योगिक भू-सम्पदाओं की स्थापना की जानी चाहिए। ऐसी भू-सम्पदाओं की परिकल्पना आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों जैसे रामनाथपुरम और शिवगंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के त्वरित औद्योगीकरण के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रम के अंतर्गत तिरूप्पुवम, मुधुकुलाथुर, परमाकुडी जैसे स्थानों में की जा सकती है।

महोदय, सामान्यतया एक माता अपने कमजोर बच्चे पर अधिक ध्यान देगी और मैं इस पुरजोर अनुरोध के साथ अपना भाषण समाप्त करती हूं कि हमारी माता अर्थात भारत सरकार को कमजोर और पिछड़े क्षेत्रों अर्थात मेरे निर्वाचन क्षेत्र रामनाथपुरम पर आर्थिक ध्यान देना चाहिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: माननीय सदस्य महोदय, याद रखिएगा कि भविष्य में रीडिंग आफ स्पीच एलाउ नहीं होगी।

अपराह्न 5.00 बजे

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल): महोदय, मेरा यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं महान कवि-दार्शनिक श्री तिरूवल्लूवर के बारे में कोई उपयुक्त लाइनें उदधृत करने में असमर्थ हूं। आज जब लोग तमिलनाडु जाते हैं तो कदाचित वे सोचते हैं कि महान कवि दार्शनिक बस चालक अथवा बस मालिक थे ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप समय का ध्यान रखिए। आपको अपनी बात कहने के लिए पांच मिनट का समय दिया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी: मैं अपनी पार्टी की ओर से अकेला वक्ता हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: यह आपकी पार्टी के लिए निर्धारित समय ही है।

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी: किन्तु ऐसे व्यक्ति के लिए अत्यधिक सम्मान के साथ मुझे विश्वास है और मैं कह सकता हूं कि श्री तिरूवल्लुवर ने अपनी अनेक दार्शनिक कविताओं में कुछ पंक्तियां अवश्य लिखी होगी जहां उन्होंने अपने देश के लोगों को प्रोत्साहित किया होगा कि—

> "अरे, इस देश के सपूतों जब आप इस राष्ट्र का शासन चलाएं तो कृपया उन राज्यों के बारे में भी सोचें जो इस देश के विकास की प्रक्रिया में पीछे रह गए हैं चाहे वह भाड़ा, राजसहायता अथवा बाद में जिस ढंग से हमारे खनिज संसाधनों का दुरूपयोग किया जा रहा है। उसके कारण पीछे रह गए हों।

इस सभा में आरोप लगते मिटते रहते हैं किन्तु यहां मैं स्पष्ट रूप से कहूं कि यह देश केवल शेयर बाजार द्वारा ही नहीं चलाया जाता है। हम भूल जाते हैं कि शेयर बाजार से परे, सेंसेक्स से परे, पांच हजार अथवा छह हजार अथवा सात हजार के आंकड़ों से परे लोगों का भी बड़ा बाजार है। इस राष्ट्र के लोग सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। किन्तु जब हम सब एकत्र होते हैं, चाहे यह राज्य विधान मंडलों अथवा इस स्थानीय सभा की बात हो, हम सब कुछ भूल जाते हैं और हम अपनी ऊर्जा और वित्तीय संसाधन कुछेक क्षेत्रों पर ही केन्द्रित कर पाते हैं। अन्ततः हम क्या देखते हैं? एक अच्छा मानसून अथवा एक खराब मानसून सभी शेयर बाजारों अथवा सेंसेक्स आंकड़ों को भ्रामक बना सकता है। उसे कोई नहीं संभाल सकता। इससे पता चलता है कि कुछ चुनिन्दा लोगों के विकास के लिए सभी संसाधनों के संकेद्रण से लाभ नहीं होगा। हम देखते हैं कि गांवों में हम कुछ करने में असमर्थ हैं। आधी शताब्दी के बाद जहां शेष विश्व ने प्रगति की इतनी लंबी छलांग लगाई है वही भारत में हम अपने किसानों को बुनियादी ढांचा प्रदान करने में असमर्थ रहे हैं। हम उन्हें विद्युत, सड़कें, पानी, पेस्टनाशी, उर्वरक, बीज आदि देने में असमर्थ रहे हैं। हम इन सभी मोर्चा पर विफल हैं। हम किसानों के बारे में नहीं सोचते । हम दलाल स्ट्रीट, बी.एस.ई. और एन.एस.सी. के बारे में सोचते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी सत्ता में है। हम उसके बारे में सोचते ही नहीं है। मैं इनसे से किसी भी तथाकथित बड़ी पार्टी के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। आज कुछ मित्र दावा कर रहे थे कि उनका संबंध सत्तारूढ़ दल से है। मुझे यह कहते हुए दुख है कि किसी को सत्तारूढ़ दल के भाग होने का दावा करने का अधिकार नहीं है। कदाचित माननीय वित्त मंत्री का भी संबंध उस दल से नहीं है जो सत्तारूढ़ दल होने का दावा करता है।

अतः हम देखते हैं कि यह सत्तारूढ़ गुट है चाहे वह पिछली सरकार हो या वर्तमान सरकार। सत्तारूढ़ गुट इस ढंग से काम करता है जहां एक निश्चित स्तर पर उनके सभी हित इकट्ठे हो जाते हैं। इससे हम किसे नुकसान पहुंचाते हैं? हम आम व्यक्ति, आम भारतीय नागरिक को नुकसान पहुंचाते हैं जो इस राष्ट्र के निम्नतम स्तर पर हैं।

हम कभी उस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचते। प्रधानमंत्री बदल सकते हैं किन्तु सरकार क्या है जिसे हम मानते हैं। हम राजनीतिक लोगों के बारे सोचते हैं: यह वित्त मंत्री; यह प्रधानमंत्री; वह वित्त मंत्री; अथवा वह प्रधान मंत्री। हम ऐसा सोचकर चलते हैं परन्तु वास्तव में देश में कौन शासन करता है? वास्तव में कौन बैठकर बजट का प्रारूप तैयार करता है। आंकड़े कौन एकत्र करता है? सर्वेक्षण कौन करता है? कौन निर्णय करता है कि किस परियोजना के लिए कितनी धनराशि खर्च की जाएगी? यह नौकरशाही ही है और दुर्भाग्यवश यही भारत सरकार न कि राजनीतिक लोग, चला रही है।

जब हम अवसंरचना की बात करते हैं, तो हम अवसंरचना की बात केवल उद्योगपतियों, निर्यातकों और आयातकों और ऐसे ही लोगों के बारे में करते हैं, न कि वास्तविक भारतीयों के लिए। उड़ीसा जैसे राज्य में जहां यह माना जाता है कि प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं; हम पाते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का लाभ कुछेक लोगों तक ही सिमट कर रह जाता है। उदाहरणार्थ, उड़ीसा क्रोमाइट का उत्पादन करता है, जो दक्षिण अफ्रीका में कुछ सर्वोत्तम खानों की तुलना में बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला क्रोमाइट है और बहुत कम राष्ट्रों में क्रोमाइट के भण्डार है। बाजार में क्रोमाइट का मूल्य आठ हजार रुपए प्रति मीट्रिक टन है और जब विक्रेता को प्रति मीट्रिक टन आठ हजार रुपए मिलते हैं तो राज्य को केवल 80 रुपए प्रति मीट्रिक टन प्राप्त होता है साथ ही जब आप उस खान के दोहन के बारे में सोचते हैं, तो खान के दोहन से लेकर समुद्र तट तक अयस्क केन्द्र परिवहन और जहाज में लदान तक की लागत प्रति टन दो सौ रुपए है। अत: क्रोमाइट का निर्यातक दोहन के लिए दो सौ रुपए खर्च करता है और राज्य सरकार को 80 रुपए की रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है। प्रति टन दो सौ अस्सी रुपए खर्च करके उसे प्रति टन आठ हजार रुपए मिलते हैं। इसीलिए अंग्रेजी भाषा में एक बहुत मजाकिया शब्द 'एक्सप्लॉयटेशन' प्राकृतिक संसाधनों के मामले में प्रयोग किया जाता है।

मैं उड़ीसा से एक अन्य उदाहरण देना चाहता हूं। हमारी कोयला रायल्टी में अनेक वर्षों से संशोधन नहीं किया गया है। भारत सरकार अनेक करों की योजना बनाती है किन्तु हमें समय पर नहीं देती है। यह कहती है कि यदि हमें ए आइ बी पी योजना के अंतर्गत अनुदान मिलता है परन्तु इन निश्चित अवधि के भीतर परियोजना पूरी नहीं करते तो अनुदान बदलकर ऋण हो जाएगा। मैं अकुशलता के लिए बहाना बनाने हेतु नहीं खड़ा हुआ हूं। यदि हमारी राज सरकार अकुशल है तो नि:संदेह इसे दंडित किया जाना चाहिए। इस संबंध में कोई दया नहीं होनी चाहिए। दूसरे यदि आप विस्तार से देखे तो पाएंगे कि यदि नदी बड़ी सिंचाई परियोजना है तो हमें अनेक प्रकार की स्वीकृति जैसे वन विभाग से मंजूरी और अन्य प्रकार की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। अंत: जिस समय तक हमें स्वीकृति मिलती है और हम धनराशि का निवेश कर पाने में सक्षम होते हैं, तब तक दो वर्ष की अवधि गुजर जाती है और उड़ीसा जैसा राज्य अधिक से अधिक ऋण भार से दब जाता है।

इसी प्रकार कोयले के क्षेत्र में, उड़ीसा ताप विद्युत संयंत्रों के स्थित होने के स्थानों को लेकर तुलनात्मक रूप से लाभ की स्थिति में है किन्तु मजेदार बात यह है कि यदि आप उड़ीसा से, एन.टी.पी.सी. जैसे केन्द्र सरकार के उपक्रम अथवा किसी ऐसे संगठन से बिजली खरीद रहे हैं तो उड़ीसा राज्य को कोई लाभ नहीं मिलता। उड़ीसा को बिजली शुल्क (ड्यूटी) नहीं मिलता। विद्युत शुल्क किसे मिलता है। राज्य में ही इसका उपयोग किया जाता है। मान लीजिए कि उड़ीसा स्थित एन.टी.पी.सी. का एक संयंत्र कर्नाटक को 100 मेगावाट बिजली देता है। विद्युत प्रभार से संग्रहित शुल्क कर्नाटक सरकार और कर्नाटक सरकार की तिजोरियों में जाता है। उड़ीसा जो कि आप को जमीन देता है, को क्या मिलता है? आप उड़ीसा के पानी को प्रदूषित कर रहे हैं और आप उड़ीसा या बिहार के कोयले का उपयोग कर रहे हैं। बिहार ही क्यों पूर्वी भारत के हरेक राज्य के साथ ऐसा हो रहा है। हम अपनी प्राकृतिक संपदाओं का त्याग कर रहे है। हम पर्यावरण का त्याग कर रहे है। बिजली का उपयोग किसी और राज्य द्वारा किया जा रहा है, शुल्क उस राज्य को जा रहा है और बदले में हमें मिल रहा है प्रदूषित नदी और प्रदूषित हवा। इस प्रकार हमारी प्राकृतिक संपदाओं में कमी होती है और हमें जो एक मात्र फायदा होता है वह संभवत: हजारों टन राख है। उड़ीसा और बिहार जैसे राज्यों को इसी प्रकार का लाभ दिया जा रहा और यह आपके पक्षपातपूर्ण योजना तंत्र का नतीजा है। मैं किसी सरकार विशेष की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ भारत सरकार की अदूरदर्शिता के बारे में बता रहा हूं, चाहे सत्ता में कोई भी हो।

31.3.2003 की स्थिति के अनुसार अन्य सभी राज्यों की तुलना में उड़ीसा ऋण-जी.एस.डी.पी. दर, जो कि 62.93 प्रतिशत है, सर्वाधिक है। 1.4.2005 की स्थिति के अनुसार बकाया बाजार ऋण 9598 करोड़ रु. के बराबर है और ऐसे ऋण पर देय ब्याज दर 5.6 प्रतिशत से लेकर 1.4 प्रतिशत तक है। अत: भारत सरकार यह नहीं चाहती है कि उड़ीसा जैसे गरीब राज्य का विकास हो। मैं यह बता देना चाहता हूं कि उड़ीसा गरीब राज्य है। मैं यह कहूंगा कि उड़ीसा एक कमजोर राज्य है। उड़ीसा के लोग आज बंगलौर, मुम्बई, दिल्ली तथा हरेक जगह सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहे है। अत: हमारे पास कुशाग्र बुद्धि वाले और प्रतिभाशाली लोग हैं। लेकिन हमारी उन्नति को बाधित किया जाता है क्योंकि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राज्य सरकार के भी सूक्ष्म व्यय में हस्तक्षेप करता है जिसके कारण हम अपने ऋण का भुगतान नहीं कर पाते है। हमें कम ब्याज दर का लाभ नहीं मिल पाता है। आज के प्रतिस्पर्द्धात्मक बाजार में हमें उच्चतर ब्याज दर का भुगतान करना पड़ता है जब अन्य राज्य सरकारों को ऋण पर कम ब्याज दर का भुगतान करना पड़ता है।

माननीय वित्त मंत्री मंत्रीमंडल में युवा व्यक्ति हैं, वे कल्पनाशील और आशावादी हैं; अत: मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपने कार्यकाल के दौरान नौकरशाही मानसिकता और चिंतन शैली से बाहर आकर कुछ ऐसे अर्थोपाय ढूंढने की कोशिश करें जिससे उड़ीसा जैसे राज्य अपने पैरों पर खड़े होने में समर्थ हो सकें।

[श्री तथागत सत्पथी]

महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लूंगा। मुझे इससे भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की कुछ बातें याद आ गई जिसका अर्थ आज इक्कीसवीं सदी की शुरूआत में बहुत ही व्यापक है। उन्होंने कहा था कि इस देश के नौकरशाही तंत्र और न्यायपालिका को राजनीतिक रूप से प्रतिबद्ध होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि इस देश में चाहे किसी की सरकार हो, उन्हें अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गये वादों के अनुरूप अपनी नीतियों को कार्यान्वित करने में सक्षम होना चाहिए। आज हमें देखने को मिलता है कि राजनीतिक पार्टियां तो बदल जाती है लेकिन उनकी मानसिकता नहीं बदलती है। यदि आप पिछले पांच वर्षों के बजट और अनुपूरक बजट को देखें कि वे मुझे पिछले दिनों देखने का मौका मिला है, तो आप पाएंगे कि उन बजटों में कुछ भी गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुआ है।

वे किसी परियोजना से निधि निकालते है और किसी दूसरे में लगाते है और दूसरी परियोजना से लेकर किसी और परियोजना में लगाते है। लेकिन गुणात्मक रूप से कोई परिवर्तन नहीं होता है।

यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): महोदय, दसवीं योजना की प्रकाशित मध्यावधि समीक्षा और अप्रत्याशित वर्षा के कारण मुम्बई में आई आपदा की पृष्ठभूमि में हम इन अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा कर रहे हैं। मध्यावधि समीक्षा में कुछ चौका देने वाले आंकड़ों को उल्लेख किया गया है। सकल घरेलू उत्पाद 8.1 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करना हमारा लक्ष्य था। प्रथम तीन वर्षों में हम 6.5 प्रतिशत ही विकास दर ही प्राप्त कर सके। अब यह मान लिया गया है कि इस योजना के पूरा होने तक हम सकल घरेलू उत्पाद में 7 प्रतिशत विकास दर ही प्राप्त कर सकेंगे। इसके बारे में संभवत: सबसे अच्छा वक्तव्य माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया। मैं, प्रधान मंत्री द्वारा कृषि शिखर सम्मेलन के दौरान दिए गए भाषण के कुछ अंश का उल्लेख कर रहा हूं।

> "यद्यपि चौका देने वाली बात यह है कि पिछले दशक में कृषि की उपेक्षा गयी है। मुझे नहीं लगता कि हम कह सकते है कि हमारे यहां, कम से कम देश के कुछ भागों में कृषि संकट व्याप्त है लेकिन इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता है कि हाल के वर्षों में भारतीय कृषि का निष्पादन इसमें निहित क्षमता से बहुत कम रहा है। पहली बात तो यह है कि यह आंकड़ों की भूल-भुलैया है। यदि हम आर्थिक विकास की दर को सात से आठ प्रतिशत तक बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कृषि विकास की दर को बढ़ाना होगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले दशक में इसमें गिरावट आई है। दसवीं योजना में यह परिकल्पना की गई थी कि कृषि उत्पादन में 4 प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी, परन्तु वास्तविकता यह है कि योजना के प्रथम तीन वर्षों में हम 1.5 प्रतिशत विकास दर भी प्राप्त नहीं कर सके।"

इसके बारे में माननीय प्रधान मंत्री का यही कहना था। उन्होंने कहा कि जरूरत इस स्थिति को बदलने की है। यहां कुछ विशेष पहलू हैं जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। परन्तु समय की कमी के कारण मैं यह विस्तारपूर्वक नहीं बता सकता। प्रथम हम रोजगार सृजन को लेते हैं। हमारा लक्ष्य 50 मिलियन रोजगार के अवसर पैदा करने का है। किन्तु संगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन में काफी कमी आई है। यदि हम आंकड़ों को देखें तो वर्ष 2001 में रोजगार के 277.89 लाख अवसर पैदा किए गये; अगले वर्ष यह संख्या 272.06 लाख की और फिर वर्ष 2003 में यह संख्या घटकर 270 लाख हो गई। अत:, संगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन में कमी आ रही है। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि कृषि क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र में, अनौपचारिक क्षेत्र तथा अन्य सभी क्षेत्रों में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या का रूप लेती जा रही है।

माननीय प्रधान मंत्री ने उल्लेख किया कि वे लोग भारत निर्माण योजना को बहुत जोर-शोर से शुरू करने जा रहे है। मुझे भारत निर्माण योजना के बारे में विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। यह ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़क, ग्रामीण जलपूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने में समयबद्ध निवेश से संबंधित कार्यक्रम है। मैं चाहता हूं कि माननीय वित्तमंत्री बताएं कि इन अनुदानों में उन्होंने भारत निर्णय योजना के लिए अतिरिक्त आवंटन की मांग क्यों नहीं की। मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या प्रस्तावित भारत निर्माण योजना और सफलतापूर्वक चल रही है और उस योजना के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है। यदि माननीय वित्त मंत्री इसके बारे में बताते हैं तो देश यह जानकर खुश होगा कि इस योजना के संदर्भ में मध्यावधि समीक्षा में क्या किया गया है।

महोदय, दूसरा गंभीर पहलू जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूं वह यह है कि देश के सभी राज्य कर्ज में डूबे हुए हैं। वे कर्ज में डूबते ही जा रहे हैं और उन पर कर्ज का भार बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन राज्यों को कर्ज से उबारने के लिए केन्द्र की कोई योजना है। इसमें इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। वे स्वाभाविक रूप से कह सकते हैं कि इसका उल्लेख बजट में किया जाएगा लेकिन इसमें इसके बारे में कुछ उल्लेख तो हो सकता है कि ऐसी कोई योजना है।

अपराह्न 5.21 बजे

[श्री अर्जुन सेठी *पीठासीन हुए*]

मैं कुछ उन महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताना चाहता हूं जिसे शुरू किया जाना है यदि अपनी इच्छानुरूप इस देश का

विकास करना है, तो हमें संसाधन सृजित करने होगे। वहां ऐसी संभावना है, यदि केरल में विजिन्जम बंदरगाह को विकसित किया जाता है। यह बन्दरशाह अंतर्राष्ट्रीय नौवहन रेखा से सबसे अधिक नजदीक और इस बंदरगाह की गहराई इतनी है कि यहां बड़े-बड़े पोत भी आ सकते हैं। देश में आज भी ऐसा कोई पत्तन नहीं है जहां बड़े पोत पहुंच सके। बड़े पोत केवल दुबई, सिंगापुर या कोलम्बो में लाए जा सकते हैं। यदि हम विजिन्जम बंदरगाह पर बड़े पोतों को पोताश्रय देने में सक्षम हो जाते है तो नौवहन से अर्जित धन से ही नहीं बल्कि पर्यटन और अन्य कई चीजों से भी हमारे आय में वृद्धि होगी। अत: विजिन्जम बंदरगाह के विकास को इसमें शामिल किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय: हमें यह कहते हुए खेद है कि आपका समय समाप्त हो चुका है। अत: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: कृपया मुझे कुछ बातें कह कर मुझे अपना भाषण समाप्त करने की अनुमति दीजिए।

त्रिवेन्द्रम में उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने की एक बहुत बड़ी मांग है। त्रिवेन्द्रम में उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने हेतु कुछ धनराशि दी जानी चाहिए। दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण बात जो केरल चाहता है वह राष्ट्रीय जलमार्ग का पूरा विकास करना है। यदि कन्याकुमारी से कासरगौड तक राष्ट्रीय जलमार्ग का विकास किया जाता है तो यह एक बड़ी परियोजना होगी जिससे उन क्षेत्रों का विकास होगा। अत: मैं चाहता हूं कि केन्द्र कुछ कदम उठाए ताकि यह कार्य किया जाए।

अब मैं अपनी बात समाप्त करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि पाकिस्तानी जेलों में कई भारतीय मछुवारे बंद पड़े हुए हैं। कल, मुझे एक मलयाली मछुवारे से एक पत्र मिला जो वहां जेल में है, जिसमें कहा गया है कि कराची की एक जेल में ही 400 कैदी हैं। विदेश मंत्री को इसके बारे में कुछ करना चाहिए।

यदि इसमें से कुछ कार्य कर दिए जाएं और यदि यह मूलभूत दृष्टिकोण अपनाया जाए तो मेरे विचार से अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन किया जा सकता है और हम समर्थन करते हैं।

सभापति महोदय: श्री खारवेल स्वाईं।

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, मैं अपने स्थान पर नहीं हूं। यदि आप अनुमति प्रदान करें तो मैं इस स्थान से बोल सकता हूं।

सभापति महोदय: जी हां।

श्री खारवेल स्वाईं: महोदय, धन्यवाद।

महोदय, मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगो का विरोध करता हूं। पहले ही, हमारे दल के एक वरिष्ठ नेता माननीय श्री कैलाश जोशी ने विभिन्न मदों के लिए मांगी गई निधियों के बारे में विस्तार से बात की। मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं। बल्कि इससे मुझे सरकार की आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डालने का अवसर मिलता है। बजट या अनुदानों की अनुपूरक मांगें यह दर्शाती हैं कि सरकार देश को किस तरफ ले जाती है। सरकार देश को कैसे चला रही है?

जुलाई, 2004 में प्रथम अन्तरिम बजट और फरवरी, 2005 के पूरे बजट को प्रस्तुत करने के दौरान, हमने वित्त मंत्री को बताया था कि हम एक वर्ष तक इस सरकार की उपलब्धियों को देखेंगे। मैं संप्रग सरकार से यह जानना चाहता हूं क्या एक वर्ष पूरा होने के बाद वे कोई ठोस उपलब्धि बता सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): अनेक कार्य हैं लेकिन उसमें से एक भी ठीक नहीं है।

श्री खारवेल स्वाईं: क्या संप्रग सरकार प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना जिसे श्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने शुरू किया था या चार लेनो वाले स्वर्णिम चतुर्भुज के निर्माण जैसी कोई ठोस उपलब्धि बता सकती है? ...*(व्यवधान)* क्या यह सरकार ने नदियों को जोड़ने जैसा कोई नया विचार लायी है?

माननीय सदस्य श्री के.एस. राव सूचकांक के बारे में उल्लेख कर रहे थे। सरकार इस बात पर गर्व कर सकती है कि सूचकांक 7500 अंक तक पहुंच गया है। लेकिन यहां मेरा सवाल यह है कि यह सूचकांक इस ऊंचाई पर इस सरकार के कारण नहीं पहुंचा है बल्कि यह इस ऊंचाई पर इस सरकार के बजाए अन्य कारणों से पहुंचा है। यदि कोई सरकार कुछ नहीं करे तो भी यह उदीयमान अदभ्य भारत है जो अडिग रहा है और जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी के 'विश्व-विजय' अभियान' द्वारा शुरू किया गया है। सूचकांक में वृद्धि का यही कारण है और ऐसा इस सरकार की उपलब्धि के कारण नहीं है। मैं माननीय वित्त मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ...*(व्यवधान)* यह बहुत अच्छी बात है। यह बहुत अच्छा होगा ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री स्वाईं, कृपया अपना भाषण जारी रखिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं है। इसलिए, कृपया संक्षेप में बोलिए।

श्री खारवेल स्वाईं: महोदय, मैं अपने दल की तरफ से दूसरा वक्ता हूं। मुझे बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय: श्री स्वाई, सायं 5.30 बजे हम आधे घंटे की चर्चा शुरू करेंगे। इसलिए, सायं 5.30 बजे से पहले आपको अपना भाषण पूरा करना है, और यही बात मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, हमारे दल को एक घंटा दिया गया था, और हमारे दल से केवल एक वक्ता ने बोला है। यदि आप कहते हैं कि मैं नहीं बोलूं और वे आलोचना सुनना नहीं चाहते तो मैं बोलना बंद कर दूंगा।

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, मुझे सभा में एक घोषणा करनी है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, मेरे पास नौ वक्ताओं की सूची है जो बोलना चाहते हैं। इसलिए, यदि सभा सहमत हो तो आधे घंटे की चर्चा एक घंटे तक स्थगित की जा सकती है। माननीय वित्त मंत्री 6.15 बजे उत्तर देंगे। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि समय सीमा के अंतर्गत बोले ताकि हम चर्चा सायं 6.15 बजे से पहले समाप्त कर सके।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, मैं इससे सहमत हूं लेकिन मुझे उतने समय तक बोलने दिया जाए जितना मेरे दल को दिया गया है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री स्वाई, कृपया अपनी बात समाप्त करने की कोशिश कीजिए।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): महोदय, पहले डिस्क्शन समाप्त कर लेते हैं, उसके बाद आधे घंटे की चर्चा ले लीजिए।

सभापति महोदय: यही तो हमने बोला है, इसलिए टाइम एक्सटैंड हुआ है। पहले रिप्लाई होगा उसके बाद आधे घंटे की चर्चा होगी।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं: मैं सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं। इस सरकार में निर्णय कौन लेता है? क्या वह दल जो शासन कर रहा है या वह दल जो इसे बाहर से समर्थन दे रहा है और जिसका संख्या बल कम है लेकिन जिसका प्रभाव अधिक है? मैं ठीक यही बात कहना चाहता हूं ...*(व्यवधान)* वर्तमान में सत्तासीन दल जो 12वीं और 13वीं लोक सभा में विपक्ष में था, को विनिवेश प्रक्रिया के रूप में एक अत्यंत प्रिय बलि का बकरा मिल गया है। उनका कार्य था पारिवारिक संपत्ति (फेमली सिलवर) को बेचना और राष्ट्र की नीलामी करना था। लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस सरकार की विनिवेश नीति क्या है। क्या वे कम शेयर का विनिवेश करना चाहते हैं या वे राजनीतिक बिक्री करना चाहते हैं? मैं उनसे यही जानना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री: हमने वैसा नहीं किया जैसा आपने सेन्टोर के साथ किया।

श्री खारबेल स्वाईं: विनिवेश के बारे में उनके विचार क्या है और ये विचार राजग सरकार द्वारा इस संबंध में अपनाई गई नीति से किस प्रकार भिन्न हैं? उनको समर्थन देने वाले वामपंथी भी कहते हैं कि राजग सरकार और संप्रग सरकार की विनिवेश नीति में कोई अंतर नहीं है। इससे पहले एक अवसर पर श्री गुरूदास दासगुप्त से भी वित्त मंत्री को यही बात बता रहे थे। शेयर बाजार में तेजी के दौरान भी वे 'नवरत्न' से पर्याप्त धनराशि प्राप्त करना चाहें तो क्या उन्हें ऐसा करने की अनुमति है? क्या वामपंथी उन्हें कोई स्वतंत्र निर्णय लेने दे रहे हैं? क्या उन्हें बीएचईएल का विनिवेश करने की या मारूति उद्योग के शेष शेयरों को बेचने की अनुमति दी गई? क्या उन्हें अनुमति दी गई? वामपंथी दलों ने उन्हें बीएचईएल के पांच प्रतिशत शेयर भी बेचने की अनुमति नहीं दी। सरकार की स्थिति यही है।

वामपंथी कहते हैं कि सरकार गोपनीय तरीके से निजीकरण कर रही है। वामपंथी कहते हैं यह धीरे-धीरे हो रहा निजीकरण है। वामपंथी इस सरकार पर यही अनुरोध लगा रहे हैं। क्या इस सरकार के पास शर्म नाम की चीज है? मैं इस सरकार, विशेषकर कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं कि वे स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं तो प्रधानमंत्री का पद क्यों लिए हुए हैं? उन्हें यह पद सीपीआई (एम.) के लिए छोड़ देना चाहिए। इस दल के एक भूतपूर्व कामरेड जो भूतपूर्व मुख्य मंत्री हैं इस पद को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य मंत्री इस बात से बहुत असंतुष्ट थे कि उन्हें उस समय उनके ही दल के सदस्यों के प्रधान मंत्री बनने की अनुमति नहीं दी ...*(व्यवधान)*

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): कृपया अनुपूरक अनुदानों की मांगों के बारे में बोलिए।

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: आप मुझे हतोत्साहित नहीं कर सकते। मैं बोलूगा। मैंने आपकी बात सुनी थी।

सभापति महोदय: उनकी बात मत सुनिए। कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

श्री जे.एम. आरुन रशीद (पेरियाकुलम): आप अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

श्री खारबेल स्वाईं: मैं अध्यक्षपीठ को संबोधित कर रहा हूं और आपको भी अध्यक्षपीठ को संबोधित करना चाहिए क्योंकि यही बात आप पर भी लागू होती है।

जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी तो उसने अपने आप निर्णय लिया ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री स्वाईं के भाषण के अतिरिक्त अन्य कोई बात कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

...*(व्यवधान)**

श्री खारबेल स्वाईं: यदि वे इस प्रकार विरोध करें तो भी मैं अपना भाषण जारी रखूंगा और मैं अपनी बात बंद नहीं करूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार पर किसी बाहरी एजेन्सी का दबाव नहीं था; उसने अपने आप निर्णय लिया। यदि हम चुनावों में हार गए फिर भी हमारा अपना आत्म सम्मान ऊंचा है। हम कभी किसी के सामने नहीं झुके ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

श्री खारबेल स्वाईं: मैं उन्हें संबोधित नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ की तरफ देखिए।

श्री खारबेल स्वाईं: आप यही उदाहरण लीजिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया शांत रहिए।

श्री खारबेल स्वाईं: आप विश्व स्तरीय अवसंरचना सृजन का उदाहरण लीजिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: यह विश्व स्तरीय अवसंरचना के सृजन का प्रश्न है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया शांत रहिए। श्री स्वाईं के भाषण के अतिरिक्त अन्य कुछ कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री स्वाईं, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: श्री स्वाईं, जैसा कि मैंने पहले कहा है आपके पास समय सीमित है। आप, कृपया, अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए। टिप्पणियों से विचलित मत होइए।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, संभावत: उन्हें पता है कि वे समस्या पैदा करेंगे तो आप कहेंगे कि ये अव्यवथा फैलाने वाले तत्व हैं और इसलिए, मुझे नहीं बोलना चाहिए। महोदय यदि आप चाहते हैं मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदय: नहीं, आप अपनी बात जारी रखिए।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उदाहरण लीजिए। गत सत्र में मैं माननीय वित्त मंत्री के विरुद्ध, यह कहने के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया था कि 1000 किमी. से अधिक स्वर्णिम चतुर्भुज का निर्माण अक्टूबर, 2004 और नवम्बर, 2004 के बीच में किया गया था। इसके बाद उन्होंने यह बात स्वीकार की कि यह एक गलती थी और उन्होंने इसके लिए खेद व्यक्त किया।

आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि समाचार पत्र क्या कहता है। 'द इंडियन एक्सप्रेस' के 30 जून के अंक में कहा गया है: "राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की रफ्तार बहुत धीमी पड़ गई है।" इसमें आगे कहा गया है कि, "राजग की दिखायी परियोजना स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग की रफ्तार बहुत धीमी पड़ गई है और प्रति माह मात्र 125 किमी. सड़क का निर्माण हो रहा है।" मैं पूरे लेख का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। लेकिन इसमें यह विस्तार से लिखा गया है कि कार्य लगभग बंद हो गया है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-5 के खंड भादरख-बालेश्वर खंड में निर्माण लगभग रूक गया है। सभापति महोदय, आपको इसके बारे में पता है क्योंकि यह आपके निर्वाचन क्षेत्र से भी होकर गुजरता है। वहां कार्य पहले ही रूक गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 60 पर कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है।

आप लाए जाने वाले विधेयकों का उदाहरण लीजिए। दो विधेयक स्थायी समितियों को भेजे गये थे। इसमें से एक वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास और दूसरा ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा गया है। इसमें से एक पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक और दूसरा राष्ट्रीय रोजगार आश्वासन विधेयक है। ग्रामीण विकास संबंधी समिति के सभापति श्री कल्याण सिंह यहा बैठे हुए हैं। हमेशा सभा में यह आरोप लगाया गया कि समितियों के सभापति जो भाजपा दल से संबंधित हैं वे विधेयकों को केबल रखते जा रहे हैं और वे उन पर कोई अंतिम कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। अत:, वित्त समिति और ग्रामीण विकास संबंधी समिति ने दिन रात कार्य किया और इन दोनों विधेयकों के कार्य को समय से पूरा किया।

[श्री खारबेल स्वाईं]

अब सरकार राष्ट्रीय नियोजन आश्वासन विधेयक लाने जा रही है क्योंकि वामपंथी इसे चाहते है। सरकार दूसरे विधेयक पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक को नहीं लाने वाली है क्योंकि इसे वामपंथी नहीं चाहते हैं। वित्त मंत्री इसका कारण बताएंगे। वित्त संबंधी स्थायी समिति के सभापति के पास यह कहते हुए अनेक संदेश भेजे गए थे कि संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले विधेयक को मंजूरी दे क्योंकि वे इस विधेयक को इस सत्र में लाना चाहते हैं। उन्होंने उसे सूची में भी नहीं रखा है। इसके क्या कारण हैं? फिर क्या आवश्यकता थी कि ...*(व्यवधान)*

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): यह लाया जा रहा है।

श्री खारबेल स्वाईं: यदि यह लाया जा रहा है तो यह बहुत अच्छा है। लेकिन, माननीय संसदीय कार्य मंत्री आप समाचार भाग दो पढ़े जिसे आपने प्रकाशित किया है। क्या यह उसमें है? यह उसमें नहीं है।

श्री विजय हान्डिक: यह लाया जा रहा है।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, इसीलिए मैं कहता हूं कि यह सरकार अपने आप निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं। इस सरकार का हृदय, मन, शरीर, आशाएं और आकांक्षाएं केवल एक ही विधेयक में निहित हैं, वह मुक्ति प्रदाता है राष्ट्रीय नियोजन आश्वासन विधेयक। वे महसूस करते हैं कि यह पारित हो जाएगा तो यह रामबाण होगा, यह आम आदमी के लाभ के लिए होगा, यह सर्वहारा वर्ग के लिए होगा, यह आम आदमी के लाभ के लिए होगा, यह मानवीयता पर आधारित है, इससे ग्रामीण क्षेत्र में मांग बढ़ेगी।

तथापि, श्री जान ड्रीजे जो योजना आयोग में उनके सलाहकार है, के क्या विचार हैं? वह कहते है कि दूसरी नियोजन गारंटी योजना पहले से ही हैं, वह इसी प्रकार की है। उन्होंने कहा कि इसमें हर जगह भ्रष्टाचार है। मैं आपको आज बता रहा हूं कि इस राष्ट्रीय रोजगार आश्वासन विधेयक का वही हाल होगा जो राजीव गांधी के समय में ऋण मेला का हुआ था।

आज के इंडियन एक्सप्रेस में यह छपा है कि इसमें बहुत भ्रष्टाचार है। इसे महाराष्ट्र के अनुभव के आधार पर तैयार किया गया है। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही विधेयक था। और खबर है कि वहां 9 करोड़ रुपए का घोटला हुआ है। यह विधेयक भी राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा अतः इसमें भी वैसा ही भ्रष्टाचार होगा। कोई नहीं जानता है कि राज्य सरकार क्या करेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि मंत्रियों के समूह ने इस अत्यधिक खर्चीले व अपव्ययी। राष्ट्र-व्यापी कार्यक्रम के पीछे राजकोषीय विवेक का उपयोग नहीं किया है। और इससे वित्तीय बर्बादी होगी। इसमें लागत बहुत अधिक होगी। यह मैं नहीं, उनके अपने लोग कह रहे हैं। वह अच्छी तरह से जानते हैं कि 'द टाइम्स ऑफ इंडिया न तो एन डी ए का समर्थक है और न ही बी जे पी का। इसके बाद मैं शिक्षा उपकर की बात करूंगा ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह आपका अंतिम प्रश्न होगा।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, कृपया मुझे दो मिनट और दें।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इन समाचारों में सच्चाई है कि वह शिक्षा उपकर का अन्यत्र उपयोग करना चाहते थे किन्तु वाम दलों व अन्य दलों ने दबाव डाला कि उसका उपयोग शिक्षा के लिए ही किया जाये ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: आप अनुदानों पर आधारित इन अखबारी खबरों के आधार पर गलत बयानबाजी न करें।

श्री स्वाईं आपने बिलकुल गलत कहा है ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: मुझे खुशी है कि मंत्री जी ने ऐसा कहा है। यह बातें मैंने नहीं कहीं हैं। मैंने समाचारपत्रों की रिपोर्टों को उद्धृत किया था। माननीय मंत्री जी ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। यदि मैं संसद में मंत्री जी से प्रश्न नहीं कर सकता तो कहां करूंगा? मंत्री जी के स्पष्टीकरण से मुझे प्रसन्नता हुई है।

सभापति महोदय: श्री स्वाईं, माननीय मंत्री जी ने आपके आरोप का खंडन कर दिया है। इसलिए कृपया आप किसी विवाद में न पड़े। कृपया समाप्त करे।

श्री खारबेल स्वाईं: मैंने उनके स्पष्टीकरण के लिए उनको धन्यवाद दिया है। मैं कोई वाद-विवाद नहीं कर रहा हूं। मुझे खुशी है कि उन्होंने स्पष्टीकरण कर दिया है ...*(व्यवधान)* यह कहा गया था कि सी बी आई को सेंटूर होटल के मामले की छान-बीन करनी चाहिए। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछता हूं कि क्या सी बी आई ने यह कहते हुए फाईल वापस नहीं लौटा दी है कि कैग की सिफारिशों के आधार पर कोई छानबीन नहीं की जा सकती है? क्या यह सच नहीं है? ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: माननीय सदस्य पुनः गलत कह रहे है। ...*(व्यवधान)* मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं ...*(व्यवधान)* वह सदन को गुमराह कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उन्होंने उस आरोप का खंडन किया है कि फाईल अभी तक वापस नहीं की गई है।

श्री खारबेल स्वाईं: जब अभी मैंने बात समाप्त नहीं की है तो सभापति महोदय मंत्री जी को स्पष्टीकरण देने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? *...(व्यवधान)* दूसरी बात यह कि यह सच नहीं है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपको मांग क्या है? जब भी कोई माननीय मंत्री किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़ा होता है, तो उसे बैठना पड़ता है चाहे वह माननीय सदस्य कोई भी क्यों न हो। आपकी समस्या क्या है?

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, क्या यह सच नहीं कि जब पिछली जनवरी को कैग ने इसी सरकार को प्रश्नावली भेजी थी तो उसमें कहा गया था कि सैंटूर होटल की बिक्री नियमानुकूल थी? यह फाइल में है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

श्री खारबेल स्वाईं: अंत में मैं पेट्रोलियम और डीजल की कीमतों में वृद्धि के बारे में बोलना चाहता हूं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट में कीमत वृद्धि के बारे में लिखा गया है। उसके अनुसार पेट्रोलियम की कीमत का 57 प्रतिशत कर के रूप में है और डीजल की कीमत का 35 प्रतिशत कर के रूप में है *...(व्यवधान)* क्या आपने श्री बालासाहिब विखे पाटील को बुलाया है?

सभापति महोदय: हां।

श्री खारबेल स्वाईं: धन्यवाद महोदय?

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव): सभापति महोदय, श्रीमान मैं अनुपूरक अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। मैं वित्त मंत्री जी को आम आदमी पर बोझ डाले बिना विविध केन्द्रीय और राज्य परियोजनाओं के लिए 14000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान करने के लिए बधाई देता हूं। *...(व्यवधान)*

डा. चिन्ता मोहन (तिरूपति): आधे घंटे की चर्चा का क्या हुआ?

सभापति महोदय: मैंने पहले ही घोषणा कर दी है कि हम वाद-विवाद के लिए समय एक घंटा और बढ़ा दिया गया है।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा. चिन्ता मोहन: पिछली बार भी यह स्थगित कर दिया गया था। इस बार भी आप इसे स्थगित कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: डा. चिंता मोहन, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

डा. चिन्ता मोहन: मैं जानता हूं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैंने पहले ही घोषणा कर दी है कि उस बहस के लिए समय बढ़ा दिया गया है।

...(व्यवधान)

डा. चिन्ता मोहन: यदि आपके पास कोई समय-सारणी नहीं है तो आपको कार्य को निश्चित भी नहीं करना चाहिए। एक बार निश्चित करने पर उसे बदलना नहीं चाहिए *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: डा. चिंता मोहन, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह मेरा नहीं, सभा का निर्णय है। मैंने सभा की इच्छानुसार निर्णय लिया है।

श्री पाटील अपना भाषण जारी रखें।

श्री बालासाहिब विखे पाटील: साथ ही मुद्रा-स्फीति भी नियंत्रण में है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप के पास पांच मिनट का समय है।

श्री बालासाहिब विखे पाटील: यदि ऐसा है। तो मैं नहीं बोलूंगा। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं *...(व्यवधान)* हमारी पार्टी एक बड़ी पार्टी है।

सभापति महोदय: कृपया आप अपना भाषण जारी रखे।

श्री बालासाहिब विखे पाटील: आयकर और अन्य विभागों में अच्छी वसूली हुई है। उसके साथ ही राजस्व और पूंजी खाते में घाटा और वृद्धि दर नियंत्रण में है। उनमें एक अधोमुखी प्रवृत्ति है। वित्तीय प्रबंधन का ठीक दिशा में होना एक शुभ लक्षण है।

मेरे विद्वान मित्र ने एक राजनीतिक भाषण दिया है। मैं राजनीतिक चर्चा में नहीं पड़ूंगा। बी.ज.पी. के सदस्य ने वाद-विवाद शुरू करते हुए तर्क युक्त भाषण दिया था। इस विवेक की अपनी कीमत है।

जैसा कि सर्वविदित है, पिछले पन्द्रह दिनों से मुम्बई में भारी बाढ़ आ रखी है। महाराष्ट्र के 18 से अधिक जिले बाढ़ ग्रस्त हैं

[श्री बालासाहिब विखे पाटील]

जिससे हजारों जानें चली गयी हैं। मैं सरकार का और विशेष रूप से माननीय प्रधान मंत्री और यू पी ए की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी का आभारी हूं जिन्होंने राहत उपायों के लिए 1000 करोड़ रुपए तत्काल जारी किये। उन्होंने भोजन, औषधि और ऐसी ही अन्य सहायता भी प्रदान की है। मैं वित्त मंत्री जी से राज्य में बाढ़ प्रबंधन के लिए तत्काल 5000 करोड़ रुपए जारी करने का अनुरोध करता हूं। राज्य में आठ जिले सूखाग्रस्त हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित जिलों को राहत प्रदान करने पर विचार करें।

जहां तक वैट का संबंध है उसके बारे में एक गलतफहमी है। यह राज्य का विषय है। वैट बिक्री कर की तरह बहुविध कर बन चुका है। इस प्रश्न को एक बार ही सदैव के लिए स्पष्ट कर लेना चाहिए। यदि बिक्री कर की तरह यह पूरे देश में सर्वत्र लगना है तो राज्यों को उस संबंध में कुछ शक्ति मिलनी चाहिए। यदि उसमें भेदभाव रहा तो असंतुलन पहले की तरह बना रहेगा।

मेरी राय में कृषि को सर्वोपरि प्राथमिकता प्राप्त होनी चाहिए। कृषि में अधिक निवेश से संसाधनों का बेहतर प्रयोग होगा जिससे कृषि में वृद्धि दर बढ़ेगी। कृषि में निवेश दर कम हो रही है, बजट में भारत निर्माण और ऐसी ही अन्य बहुत सारी योजनाएं है। बजट में उसके लिए कोई प्रावधान नहीं हैं। मैं मानता हूं कि वार्षिक बजट में कुछ घोषणाएं करनी जरूरी हैं। कृषि के लिए कुछ प्रावधान किये जा सकते हैं। बिना नाबार्ड में ऐसी बहुत सारी ऋण योजनाएं है जिनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं हैं। बजटीय सहायता की आवश्यकता है। बिना बजटीय समर्थन के सिर्फ ऋण योजना से कुछ नहीं होगा।

हम जल संसाधन मंत्रालय की बात करते हैं। इसमें सिर्फ 0.35% राज्य का वित्त पोषण अर्थात बजट है। ऋण की दृष्टि से राज्य को कोई बजटीय प्रावधान नहीं है। आप राज्यों की स्थिति जानते हैं। राज्य अत्यंत ही कुप्रबन्धित हैं और वे दिवालिया हो रहे हैं। मेरा सुझाव है कि कुछ सिंचाई परियोजनाएं राष्ट्रीय सिंचाई परियोजनाओं के रूप में शुरू की जानी चाहिए यह मेरा आपसे अनुरोध और अपील है। योजना आयोग ने भी इसकी सिफारीश की है। जल संसाधन मंत्रालय ने भी कुछ ऐसी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकार किया हैं जिन्हें राष्ट्रीय सिंचाई परियोजनाओं के रूप में लिया जाना है। सिंचाई के ही क्षेत्र में, नदियों को जोड़ने जैसी महत्वपूर्ण परियोजना है। राज्य के अंदर नदियों के जोड़ने की परियोजना है। भारत सरकार को यह देखना चाहिए कि राज्य के अंदर नदियों को जोड़ने की परियोजना को बढ़ावा दिया जाए। इस परियोजना के लिए केन्द्र से बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए। राज्यों की इन आवश्यकताओं को पहले पूरा किया जाना चाहिए। पानी का उपयोग पहले राज्य के अंदर करना चाहिए और फिर अधिशेष जल, यदि है, तो कहीं अन्यत्र भेजा जा सकता हैं। इसलिए राज्य के अंदर 'रिवर लॉन्च प्रोजेक्ट' शुरू करना चाहिए।

जहां तक महाराष्ट्र का संबंध है, उन्होंने 'इंटर रिवर लिंक प्रोजेक्ट' योजना बनाई है जिसके लिए 60,000 करोड़ रु. की आवश्यकता है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि अपेक्षित धन महाराष्ट्र और अन्य राज्यों को अनुपूरक बजट में उपलब्ध कराया जाए कि राज्य के अंदर जल संसाधनों का प्रयोग किया जा सके।

जहां तक कृषि और विपणन का संबंध है, हमें कृषि बीमा योजना की अत्यधिक आवश्यकता है। हमें जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता है। पिछले बजट में कृषि बीमा के बारे में घोषणा की गई थी। कृषि मंत्रालय की संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री से अपील करता हूं कि एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड इन्श्युरेन्स स्कीम को शीघ्रातिशीघ्र स्वीकार किया जाए। जोखिम प्रबन्धन भी होना चाहिए और बाजार उतार चढ़ाव को भी बीमा में वरीयता देना होगा।

भारी वर्षा और कीटनाशकों इत्यादि के कारण कुछ क्षति होगी। डूबने वाले ऋण भी होंगे। भारी बाढ़ और सूखा में, किसानों का क्या होता है। हम सिर्फ ऋण का पुनर्गठन कर रहे हैं तथा ब्याज को मूल राशि में जोड़ रहे हैं। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से जोरदार अपील करता हूं कि कोई नया तंत्र खोजा जाए और यह समस्या हमेशा के लिए सुलझायी जाए और किसी भी कीमत पर यह पुनर्गठन रोका जाना चाहिए।

हम कारपोरेट क्षेत्र को देख रहे हैं। आर्थिक और वाणिज्यिक दृष्टि से एकक को नियमानुसार अर्थक्षम होना चाहिए। नियमानुसार बैंक गरीब किसानों को, जो छोटे जोत के मालिक हैं कुछ ऋण माफ करते है। उनकी इकाइयां वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम और संभाव्य नहीं हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया जाना चाहिए कि ऋण माफी प्रणाली को इस तरह बनाया जाए जिससे कि किसानों की इकाइयां अधिक अर्थक्षम बन जाए। सहकारी बैंक भी ऋण माफी देने में सक्षम हैं क्योंकि किसान वित्तीय दृष्टि से कमजोर हैं। इसके लिए, बजटीय समर्थन जरूर दिया जाना चाहिए। चीनी उद्योग का मामला लीजिए। अपने बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री ने पैकेज की घोषणा की थी कि इन इकाइयों को वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम होना चाहिए। इसलिए इसके लिए ऋण माफी की जरूरत है। सभी गैर सरकारी चीनी उद्योग ऋण माफी प्रणाली के मानदंडों के अनुसार ऋण माफी का लाभ उठा रहे हैं। किन्तु सहकारी बैंकों में इसे सहने की क्षमता नहीं है क्योंकि डिजायन ऐसा है कि वे ऋण माफी नहीं दे सकते हैं। इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री से अपील कर रहा हूं कि

अनुपूरक मांगों में कुछ बजटीय प्रावधान और बजटीय समर्थन हो ताकि वे किसानों को भुगतान कर सके और किसान और अधिक गन्ना उपजा सकें।

महोदय, 40 से 50% चीनी सिर्फ सहकारी क्षेत्र में उत्पादित होती है। किन्तु उनकी स्थिति अत्यंत ही खराब है। वे विदेशों से ऋण नहीं लेते हैं। इसलिए एन सी डी सी को वित्तीय दृष्टि से अर्थक्षम होना चाहिए। मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया कुछ बजटीय समर्थन दिया जाए जिनमें एन सी डी सी को शेयर होल्डिंग के रूप में 300 करोड़ रु. पारित हों। फिर स्वाभाविक है वे स्थायी होंगे और सहकारी क्षेत्र को कुल मिलाकर वित्त पोषण करेंगे। यह सिर्फ चीनी के लिए नहीं होगा अपितु डेयरी आदि के लिए भी होगा इसलिए, नए मॉडल और तंत्र बनाने की आवश्यकता होगी।

मैं फिर ऋण प्रणाली पर आ रहा हूं। उदाहरण के लिए नाबार्ड को लीजिए। नॉलेज विलेज सेंटर के लिए क्लिनिकों के लिए ऋण; सभी ऋण योजनाएं शुरू नहीं हो सकीं। हम भारत निर्माण की बात कर रहे हैं। किन्तु यह सिर्फ ऋण के माध्यम से किस तरह हो सकता है? जोखिम कौन उठाएगा? कृषि निर्यात जोन का मामला लीजिए। इसकी स्थिति क्या है? यह शुरू नहीं हुआ। कृषि निर्यात जोन के बारे में कोई भी गैर सरकारी उद्यमी आगे नहीं आता है क्योंकि यह वाणिज्यिक दृष्टि से अर्थक्षम नहीं है। कोई भी राज्य सरकार वित्त पोषण नहीं कर रही है क्योंकि उनके पास धन नहीं है। केन्द्र वित्त पोषण नहीं करता है क्योंकि राज्य सरकारों की तरफ से इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं होती है। फिर कौन वित्त पोषण करेगा? किन्तु कृषि निर्यात जोन को सुदृढ़ बनाए बिना कैसे हम वैश्विक रूप से प्रति स्पर्धा कर सकते हैं? डब्ल्यू टी ओ होगा, आयात होगा फिर हमारी कृषि प्रणाली भी पुरानी है। किन्तु हमें उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता है। कृषि निर्यात जोन में इन सभी कार्यकलापों का वाणिज्यिकरण के बिना ऋण प्रणाली में सुधार नहीं होगा।

मैं फिर दोहरा रहा हूं। ऋण का पुनर्गठन मत कीजिए। अब हाल के बाढ़ में काफी मृदा अपरदन हो गया। आप ऋण का पुनर्गठन करेंगे। पिछले 30 वर्षों में हम ऋण का पुनर्गठन कर रहे हैं। क्या होगा? स्वभावत: मध्यम अवधि आकार में वृद्धि हो रही है। किसान आत्म हत्या कर रहे हैं। कोई भी सरकार इसका अपवाद नहीं है।

इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इन सब चीजों पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। दूसरे कई मुद्दे हैं किन्तु समय की कमी के कारण मैं उन्हें नहीं उठा रहा हूं।

देश में एक कठोर बात हो रही है कि मुम्बई को महाराष्ट्र से अलग कर दिया जाना चाहिए। किन्तु मुम्बई महाराष्ट्र का अभिन्न अंग है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह इस स्थिति को हमेशा के लिए स्पष्ट कर दे और यह चर्चा बंद करनी चाहिए। आगे कोई कहेगा कि चेन्नई को तमिलनाडु से अलग कर दिया जाए। ऐसा क्यों होना चाहिए? राज्यों की राजधानियों को उनके संबंधित राज्यों से अलग नहीं किया जाना चाहिए। इस समय सेन्सेक्स 8000 पाइंट पर है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि महोदय स्टॉक एक्सचेन्जों में कई नकली कंपनियां कार्य कर रही हैं। आपको कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त करनी चाहिए जो यह पता लगाए कि ऐसा क्यों है। अन्यथा, छोटे निदेशकों का विश्वास डिग जाएगा। यह उपयुक्त समय है, स्टॉक बाजार में अपूर्व उछाल है। इस पर विचार करना चाहिए। अन्यथा कोई धोखाधड़ी होगी, कोई पारेख, कोई मेहता फिर आएगा और हम अनावश्यक रूप से बदनाम होंगे और उन्हें कभी दण्ड नहीं मिलेगा।

अब मैं सहकारी क्षेत्र के पुनरूद्धार पर आता हूं। पिछले छ: बजटों में मैं सहकारी क्षेत्रों के पुनरूद्धार के बारे में सुन रहा हूं। कोई बजट प्रावधान नहीं है। फिर सहकारिताओं के लिए दीर्घ कालीन ऋण हेतु कृत्रिम बल हो इसका अर्थ है अल्पावधि चरण समाप्त हो चुका है। सहकारिताओं कृषि समितियों जिला सहकारी बैंकों के पुनरूद्धार के बिना किस तरह कृषि ऋण टिक सकेगा? इसलिए सहकारिताओं के पुनरूद्धार के लिए कृपया तत्काल बजटीय समर्थन की घोषणा कर दीजिए। यह किसानों के लिए ऋण का शुरूआती बिन्दु होगा। सिर्फ उन्हीं किसानों को ऋण मिलता है जो चूककर्ता नहीं है और अच्छे किसान माने जाते हैं। और सभी छोटे तथा सीमान्त कृषकों, विशेष रूप से सूखा और रेगिस्तानी क्षेत्रों में, को पीड़ित के रूप में भुगतना पड़ता है। इसलिए कृपया इस पर विचार करें।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): माननीय सभापति महोदय, मैं पट्टालि मक्काल काटची की तरफ से वर्ष 2005-2006 की अनुपूरक अनुदानों के प्रथम बैच का समर्थन करता हूं।

भाजपा पक्ष के वक्ता अनुपूरक अनुदानों की तर्क संगतता और उद्देश्य को समझे बिना अनेक विवादास्पद मुद्दों में उलझ गये। अनुपूरक बजट पर राजनीतिक दृष्टि से भी टिप्पणी की जा सकती है। राजनीति पर उचित रूप से बात करने के साथ-साथ अर्थ व्यवस्था पर भी उचित बात की जानी चाहिए। लेकिन, श्री स्वाई ने अनावश्यक रूप से राजनीति की बुराइयां और खराब अर्थ व्यवस्था की बात की है। वह प्रश्न कर रहे थे कि इस सरकार में निर्णय कौन लेता है। निर्णय सभा द्वारा, बहुमत के सिद्धान्त पर सरकार और इस देश के लोगों की आकांक्षाओं पर विचार करते हुए लिए जाते हैं। हमने साझा न्यूनतम कार्यक्रम तैयार किया है।

[प्रो. एम. रामदास]

हम इस साझा न्यूनतम कार्यक्रम को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। निर्धारित किए गए मौद्रिक लक्ष्य प्राप्त किए जा रहे हैं। यह देश के पहले वित्त मंत्री हैं जिन्होंने बजट में की गई प्रतिबद्धताओं के बारे में छमाही मूल्यांकन प्रतिवेदन दिया है। मैं श्री स्वाईं से अनुरोध करता हूं कि यह जानने के लिए कि इस सरकार ने क्या किया है, वह सरकार द्वारा दिए गए कार्य निष्पादन प्रतिवेदन का अवलोकन करे।

अनुपूरक अनुदान के माध्यम से वित्त मंत्री उस अतिरिक्त व्यय हेतु निर्धारित राशि के लिए सभा की अनुमति प्राप्त करना चाहता है जो मूल बजट में शामिल नहीं थी। इसका उद्देश्य बहुत सीमित होता है। सभा को केवल यह निश्चित करना होता है कि यह व्यय न्यायोचित है या नहीं है। यदि कोई इसे न्यायोचित नहीं पाता है तो वह इसे अधिक उत्पादक और फलदायी बनाने के लिए सुझाव दे सकता है। कोई सदस्य सिर्फ इतना ही तर्क दे सकता है। किन्तु बहुत सारे मुद्दे व्यर्थ ही उठाए गए हैं जिससे सभा का और उस सदस्य का अपना समय बर्बाद हुआ है। मैं उनसे केवल इतना अनुरोध करता हूं कि वे जो भी बोलें, तर्क संगत बोलें। इस प्रारम्भिक टिप्पणी के साथ मैं निम्नलिखित कारणों के आधार पर अनुपूरक अनुदानों का समर्थन करता हूं।

वित्त मंत्रालय ने सभा से 14,661.36 करोड़ रुपये व्यय राशि की अनुमति मांगी है। इसमें से कुल नकद प्रवाह 6,818.60 करोड़ रुपये है और शेष 7842.80 करोड़ रुपये संबंधित विभागों की बचत, प्राप्तियों और वसूली से जुटाए जाएंगे। अब, हम इस अनुपूरक अनुदानों के फायदों पर ध्यान से विचार करेंगे। जब इस अनुपूरक अनुदानों के गुणों पर विचार करते हैं तो, सर्वप्रथम, मेरा कहना है कि 14,661.36 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग वर्ष 2005-06 के बजट के कुल व्यय का केवल तीन प्रतिशत है।

सायं 6.00 बजे

जिन्होंने वर्ष 2005-2006 का बजट देखा है उन्हें ज्ञात होगा कि कुल बजटीय व्यय 5,14,343 करोड़ रुपये है जिसमें से इस समय अतिरिक्त व्यय के रूप में 14,000 करोड़ रुपये मांगा गया है और यह शेष केवल तीन प्रतिशत है। इसका अर्थ है कि बजट प्रस्तुत करने के छह माह बाद भी यह अतिरिक्त व्यय पांच प्रतिशत से कम है, जो वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम के क्षेत्राधिकार एवं सीमा में आता है। जिसका प्रतिज्ञापन हमने किया है। इसलिए मंत्री महोदय जिन अनुपूरक मांगों की मांग कर रहे हैं उससे सरकार के बजट निर्माण प्रक्रिया की कार्यकुशलता और उत्पादकता का पता चलता है।

अनुपूरक अनुदानों की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि मंत्री महोदय ने इसे 14,600 करोड़ रुपए में से योजना व्यय के लिए 47 प्रतिशत लिया है जिसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था की उत्पादकता शक्तियों और उत्पादक परिसंपत्तियों में वृद्धि होगी जो आठ प्रतिशत वृद्धि दर प्राप्त करने में सहायक होगी जिसे हमने भविष्य के लिए निर्धारित किया है। जब हम 6818 करोड़ रुपये नकदी के निर्गमन पर विचार करें तो हम समझ सकेंगे कि योजना व्यय कितना है। यह लगभग 5,722 करोड़ रुपये है जिसका अर्थ है कि कुल नकदी निर्गमन का 84 प्रतिशत उत्पादक परिसंपत्तियों के लिए होगा और केवल 16 प्रतिशत गैर योजना के लिए है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि योजना परिव्यय से उत्पादन, रोजगार और आय में वृद्धि होगी जो कि समय की आवश्यकता है। क्या इससे अर्थ व्यवस्था पर मुद्रा स्फीति संबंधी प्रभाव पड़ेगा? नहीं ऐसा प्रभाव एकदम नहीं होगा, क्योंकि गैर-योजना व्यय के रूप में केवल 16 प्रतिशत खर्च होता है, जिसका अर्थ है कि कुल आपूर्ति में हुई वृद्धि की तुलना में धनराशि की आपूर्ति निचले स्तर पर होगी। कुल आपूर्ति में 16 प्रतिशत मुद्रास्फीति प्रभाव का आकलन होगा। इसलिए, अनुपूरक बजट से देश में किसी प्रकार की मुद्रास्फीति संबंधी किसी प्रकार की शक्तियां पैदा नहीं होगी।

पूंजी परिव्यय, जो उन्होंने दिया है, उस पर ध्यान देने पर हम नोट कर सकते हैं कि व्यय की सभी चार मदें अवसंरचना विकास पर चली जाती है जिसके लिए हमें पर्याप्त धन नहीं मिल रहा है। माननीय प्रधान मंत्री दूसरे दिन हमें व्याख्या करके बता रहे थे कि यह सरकार विश्व स्तरीय अवसंरचना बनाने का प्रयास कर रही है और इस अनुपूरक बजट में जो 6800 करोड़ रुपये है वह अवसंरचना विकास पर खर्च होता है। उदाहरणार्थ, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए यह सहायता 3,376 करोड़ रुपये होगी जिसका अर्थ है कि कुल अनुपूरक बजट और जल विकास, विद्युत विकास और सिंचाई विकास के लिए अनुदान सहायता 1,846 करोड़ रुपये होगी जिसका अर्थ है कि 27 प्रतिशत ग्रामीण विकास की अवसंरचना में चला जाता है। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड को 500 करोड़ रुपये मिलेंगे जिससे रेल सेवा और रेल अवसंरचना में वृद्धि होगी। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना पर 1100 करोड़ रुपये जाते हैं। यह अनुपूरक बजट में अत्यंत महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है क्योंकि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जिसकी परिकल्पना हमने अभी शीघ्र ही की है, के कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिले हैं क्योंकि दसवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा के अनुसार यह योजना कतिपय राज्यों जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में पूरी तरह असफल हो गई है। बिहार में ऐसे परिवार जिनका विद्युतीकरण हुआ है उनकी प्रतिशतता 10.30 है। मेरे संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी में शत प्रतिशत परिवारों को बिजली मिली हुई है जबकि बिहार में संख्या 10.30 है। झारखंड में यह 24.3 प्रतिशत है; उड़ीसा में 26.9 प्रतिशत, उत्तर

प्रदेश में 31.9 प्रतिशत, पूर्वोत्तर क्षेत्र में 33.20 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल में 37.50 प्रतिशत है। इसका अर्थ है कि अनेक अग्रणी राज्य प्रत्येक परिवारों को बिजली नहीं दे पाए हैं।

इसलिए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है और यह अच्छी बात है कि वित्त मंत्री ने इस योजना के लिए 1100 करोड़ रुपये दिए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्युतीकरण योजना के लिए 40 प्रतिशत पूंजी राजसहायता देने की वर्तमान योजना सफल हुई प्रतीत नहीं होती है और वित्त मंत्री को इसे बदलकर 90 प्रतिशत पूंजी राजसहायता करनी होगी जैसा कि विद्युत मंत्रालय द्वारा सुझाव दिया गया है। यदि ऐसा होता है तो संभवतः, हम और कुछ कर सकेंगे।

महोदय, इस विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं वित्त मंत्री का ध्यान एक या दो महत्वपूर्ण बातों की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। हम सरकार के कुल वित्तीय घाटे पर 14660 करोड़ रुपये के प्रभाव, और राजस्व घाटे पर इसके प्रभाव के बारे में जानना चाहते हैं और क्या हमारे लिए गैर योजना व्यय करने की तुलना में व्यय में मितव्ययिता बरतना संभव होगा। अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिनके व्यय में कटौती करना संभव है और इससे हम संकट से उबर सकते हैं।

दसवीं पंचवर्षीय योजना मध्यावधि मूल्यांकन में सरकार को चेतावनी दी गई है कि हमारे समुचित प्रयासों के बावजूद कृषि वृद्धि 1.2 प्रतिशत के आसपास ही रूकी हुई है। 20 वर्षों की संयुक्त वृद्धि दर केवल 1.9 प्रतिशत है और कृषि में इस गिरावट को ध्यान में रखा जाना है। सब कुछ कहा गया और किया गया; सामाजिक संकेतको का महत्व है जो पूर्वी एशियाई देशों से कम है। हमें उनमें सुधार करना है। तेल की कीमतों का ध्यान रखना होगा ताकि अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे क्रमागत प्रभाव को हटाया जा सके।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अनुपूरक अनुदानों से सरकार के सभी दीर्घकालिक मुद्दों का एक ही बार जादुई समाधान करने की आशा नहीं की जा सकती। इस संबंध में वित्त मंत्री ने ऐसा किया है कि इन मांगों को इस सभा का प्रशंसनीय समर्थन मिल रहा है। इसलिए, हमारा दल पूरे मन से इस सरकार की अनुपूरक मांगों के पारित किए जाने का समर्थन करता है।

डा. एम. जगन्नाथ (नगर कुरनूल): महोदय, मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि उन्होंने सीएमपी में जो कहा, जो आवंटन किया गया हैं और उनके जो कार्यकलाप हैं, वे एक समान नहीं हैं। उपलब्धियां अत्यंत ही दयनीय है। उन्होंने अपने सीएमपी में देश से जो वायदा किया था उसे नहीं पूरा किया गया है। एक भी उल्लेखनीय चीज प्राप्त नहीं की गयी है। मैं समझता हूं कि उनके कार्य निष्पादन के लिए और अधिक निधियों की आवश्यकता नहीं हैं।

रोजगार क्षेत्र के संबंध में हमारे माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 70 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी और वस्त्र क्षेत्र में 1.2 करोड़ लोगों को पांच वर्षों में नौकरी दी जाएगी। फिर कृषि के क्षेत्र में एक करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी परन्तु वास्तविक उपलब्धि क्या है? मंत्री जी ने कहा है कि वस्त्र क्षेत्र में 1.2 करोड़ लोगों के लिए रोज़गार का सृजन होगा किन्तु बुनकर भूखे मर रहे है और काम की कमी के कारण परेशान है। यह उनकी उपलब्धि है जिसके लिए वे अनुपूरक अनुदान चाहते हैं? आईटी क्षेत्र में भारत कई क्षेत्रों में आगे चल रहा था। किन्तु संप्रग सरकार के सत्ता में आने के बाद हमने जो पहले नाम अर्जित किया वह अब नहीं रह गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना एक योजना है। 150 जिलों के लिए राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना की घोषणा की गई थी यह कहा गया था कि इसे राष्ट्रीय नियोजन गारंटी योजना में तब्दील कर किया जाएगा। यद्यपि एक वर्ष और तीन महीने गुजर चुके हैं, इसमें अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने सिर्फ 150 जिलों के लिए राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना की घोषणा की हैं, यद्यपि पूरे देश में लोगों के पास रोजगार नहीं है। कुछ राज्य बाढ़ जैसी आपदाओं का सामना कर रहे हैं आंध्र प्रदेश चार वर्षों से लगातार सूखे के चपेट में है किन्तु हुआ यह कि आंध्र प्रदेश के सिर्फ 8 जिले राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना के लिए चुने गए हैं। सात से आठ करोड़ से अधिक आबादी के लिए-जिसमें से 80 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और कृषि कार्यकलापों पर निर्भर रहते हैं, ये जिले किस तरह से शेष 16 या 17 जिलों की आवश्यकताओं को पूरी करेंगे। महाराष्ट्र, उड़ीसा और अन्य जिलों में भी यही स्थिति है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराने में बुरी तरह से विफल हो गए हैं। संप्रग सरकार के सभी वायदे कागजों पर हैं किन्तु व्यवहार में उनकी उपलब्धि कुछ नहीं है।

कृषि क्षेत्र के संबंध में, वित्त मंत्री ने अत्यंत ही लुभावना बजट प्रस्तुत किया है। हम सबने उनकी प्रशंसा की और हमने सोचा कि कुछ उल्लेखनीय बातें होंगी और कृषक समुदाय की स्थिति में सुधार होगा तथा वे काफी अच्छा, समय देखेंगे।

माननीय वित्त मंत्री ने बैंक प्राधिकारियों को 500000 रु. तक का ऋण बिना सिक्योरिटी के वितरित करने के लिए कहा और विशेष रूप से इन ऋणों का वितरण तुरन्त उन किसानों को होना चाहिए जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित है। क्या बैंक इन

[डा. एम. जगन्नाथ]

अनुदेशों का अनुसरण कर रहे हैं? कोई भी बैंक इस अनुदेश का अनुसरण नहीं कर रहा है। किसानों को विशेषकर आंध्र प्रदेश में ऋण नहीं मिल रहा है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को सत्ता हाथ में लेने के बाद लगभग 3000 किसानों ने आत्महत्या की है। वे सभी समस्याओं से जूझ रहे हैं ...*(व्यवधान)* क्या वे तेदेपा शासनकाल के दौरान मरे थे? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया पीठ को संबोधित कीजिए।

डा. एम. जगन्नाथ: यह अभी सिर्फ सरकार के कुप्रबन्धन और कुशासन के कारण हो रहा है। माननीय प्रधान मंत्री आंध्र प्रदेश राज्य आए और उन किसानों के सगे संबंधियों से मिले जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी उसी राज्य सरकार द्वारा जो घोषणा की गई थी उसके अतिरिक्त 50,000 रु. राहत देने की घोषणा की थी। ...*(व्यवधान)* आप बाद में मेरी बात का विरोध कर सकते हैं। मैं केवल आंकड़े दे रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: डा. जगन्नाथ के भाषण के अलावा कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)**

डा. एम. जगन्नाथ: मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि 3000 में से किसानों के कितने परिवारों को क्षतिपूर्ति प्रदान की गई। यह सरकार किसान समर्थक है अथवा किसान विरोधी है? यह सरकार किसान विरोधी है। किसानों को ऋण नहीं मिल रहा हैं और वे आत्महत्या कर रहे हैं। बुनकर आत्महत्या कर रहे हैं और इन सभी समुदायों के लोग वस्तुत: सड़क पर आ चुके हैं। क्या यह इस सरकार की उल्लेखनीय उपलब्धि का प्रयास है? क्या राज्य सरकार वह धन भी खर्च नहीं कर पा रही है जो उसे किसानों को राहत पहुंचाने के लिए दिया गया है?

महोदय, स्वास्थ्य क्षेत्र में, मैं यह कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है। हमारे राज्य में हजारों लोग मलेरिया और अन्य वेक्टर जनित रोगों से मर गए। इस विषय पर सभा में चर्चा की गई थी। विशाखापत्तम और विजयनगर के दो जिलों में लगभग 900 लोग मलेरिया और अन्य वेक्टर जनित रोगों के कारण मर गए थे। मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट कहती है ...*(व्यवधान)* वे आंकड़ों को दबा रहे हैं? वे मानवाधिकार आयोग से इन आंकड़ों के बारे में पूछ सकते हैं। राजस्व विभाग, जो राजस्व मंत्री के अधीन कार्य करता है, के कर्मचारी संगठन ने भी कहा है कि विभाग ने मलेरिया से मरने वाले 550 लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया है और वेक्टर जनित रोगों से मरने वाले 450 लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया है। क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आंकड़े गलत है? माननीय स्वास्थ्य मंत्री राज्य सभा में इस तथ्य से सहमत थे कि मलेरिया और वेक्टर जनित रोगों से मरने की खबरें हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप दस मिनट बोल चुके है। अब आप कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

डा. एम. जगन्नाथ: महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं।

महोदय, सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में सी एम पी में कहा गया था कि विद्यमान सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। पर विद्यमान सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धन कहां से आएगा?

क्या केन्द्र सरकार सभी राज्यों की पूरी राशि देने जा रही है? त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के लिए बजट राशि 4800 करोड़ रु. है। इस बार माननीय मंत्री जी ने राशि 2800 करोड़ रु. से बढ़ा कर 4800 करोड़ रु. की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है कि ए आई बी पी हेतु कुल बजट में से उसे 10,000 करोड़ रु. दिए जाए। ...*(व्यवधान)* जब परियोजना की ही लागत 66,000 करोड़ रु. अनुमानित है, जब ए आई बी पी हेतु कुल वार्षिक बजट पूरे देश के लिए 4800 करोड़ रु. है, तो आंध्र प्रदेश सरकार की 10,000 करोड़ की मांग किस तरह से न्यायोचित है? उन्होंने परियोजना की कुल लागत 66,000 करोड़ रु. अनुमानित की है। ऑस्ट्रिया से सहायता के लिए सरकार से आंध्र प्रदेश सरकार ने संपर्क किया है किन्तु भारत सरकार ने उनकी अपील को अस्वीकार कर दिया है ...*(व्यवधान)* महोदय, आंध्र प्रदेश सरकार जनता को अंधेरे में रख रही है।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

डा. एम. जगन्नाथ: महोदय, मैं आपको सिर्फ यहां तथ्य बता रहा हूं।

सभापति महोदय: अब श्री गिरधारी लाल भार्गव बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री भार्गव के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। डा. जगन्नाथ कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है। कृपया बैठ जाइये। आपकी बात कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं की जाएगी डा. जगन्नाथ।

*...(व्यवधान)**

डा. एम. जगन्नाथ: महोदय, कृपया एक मिनट बोलने की अनुमति दीजिए।

सभापति महोदय: आप कितनी बार एक मिनट लेंगे? मैं श्री भार्गव को पहले ही बोलने के लिए कह चुका हूं। कृपया सहयोग कीजिए और बैठ जाइये।

डा. एम. जगन्नाथ: महोदय, मैं ठीक एक मिनट में समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदय: मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि आपके भाषण को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कृपया सहयोग करें और बैठ जायें।

...(व्यवधान)

डा. एम. जगन्नाथ: मैं केवल प्रासंगिक मुद्दों पर बात करूंगा और एक मिनट में समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदय: आपके भाषण को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कृपया बैठ जायें।

*...(व्यवधान)**

डा. एम. जगन्नाथ: महोदय, यदि मैं समय पर अपना भाषण समाप्त नहीं कर पाया तो यह मेरा दोष नहीं है। उसका कारण यह है, कि वे मेरे भाषण में व्यवधान डाल रहे हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री भार्गव, कृपया आप बोलें।

...(व्यवधान)

डा. एम. जगन्नाथ: महोदय, मैं एक मिनट में समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदय: नहीं, आप बोल चुके है और मैं पहले ही कह चुका हूं कि आपका भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कृपया बैठ जायें।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा. एम. जगन्नाथ: मैं केवल प्रासंगिक बात करूंगा। यदि मैं समाप्त नहीं कर पाया तो यह मेरा दोष नहीं, उनका है। उन्होंने मेरे भाषण में व्यवधान डाला है। मुझे केवल एक मिनट दिया जाये *...(व्यवधान)*

भारत के महामहिम राष्ट्रपति बड़े ही दूरदर्शी व्यक्ति हैं और हमारे वित्त मंत्री ने भारत निर्माण कार्यक्रम में उनके स्वप्न को बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। लगभग एक करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाना है। किन्तु राज्यों के पास धन की कमी के चलते वे 4800 करोड़ रुपए से उस कार्य को कैसे पूरा करेंगे? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: क्या आप मानते है कि अध्यक्षपीठ के प्रति असम्मान उचित है?

डा. एम. जगन्नाथ: नहीं महोदय।

सभापति महोदय: तो फिर बैठने के लिए मेरे बार-बार अनुरोध करने पर भी आपने अपना भाषण क्यों जारी कर रखा है?

डा. एम. जगन्नाथ: मैं एक मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। महोदय, प्रधान मंत्री सड़क योजना के अधीन काम कहां चल रहा है? और आप एक जिले के लिए 8 करोड़ रुपए आबंटित कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मुझे वाकई बहुत अफसोस है।

...(व्यवधान)

डा. एम. जगन्नाथ: यह मेरी आखिरी बात है। वह 60 लाख अतिरिक्त आवासों की बात करते हैं। आवास हैं कहां पर? क्या उन्होंने 60 लाख आवास बना लिये है? हमें आंकड़े चाहिए। वे केवल कागजों पर है *...(व्यवधान)* शेष बचे हुए 74,000 गांवों और बसावटों में पेय जल देने की बात करें तो महोदय, मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में अनेक गांव हैं जहां आपको एक गिलास पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। पानी की भारी कमी है *...(व्यवधान)* यह स्थिति है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपका एक मिनट समाप्त हो गया है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: डा. जगन्नाथ, मुझे खेद है। आप अध्यक्षपीठ की अवमानना क्यों कर रहे हैं? कृपया बैठ जायें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: डा. जगन्नाथ, मैंने पहले ही कह दिया है कि आपका भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: आपके दल को केवल तीन मिनट दिये गये थे। लेकिन आप पहले ही पन्द्रह मिनट बोल चुके हैं और अभी भी अध्यक्षपीठ की बात नहीं मान रहे हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: यदि माननीय सदस्यगण अध्यक्षपीठ से सहयोग नहीं करेंगे तो अध्यक्षपीठ सभा की कार्यवाही कैसे चला पायेगी?

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: डा. जगन्नाथ, मुझे वास्तव में अफसोस है। आपके दल को केवल तीन मिनट दिये गये थे। किन्तु आप पन्द्रह मिनट से ज्यादा ले चुके हैं। अध्यक्षपीठ सभा को कैसे चलायेगी?

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: डा. जगन्नाथ, कृपया बैठ जायें। अब श्री गिरधारी लाल भार्गव।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): सभापति महोदय, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा।

सभापति महोदय: आप बोलिए, आप तो सबसे अच्छे सदस्य हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का जो सुअवसर दिया है, मैं उसका पूरा उपयोग चन्द मिनटों में कर लेना चाहता हूं और कहीं कोई कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार बनकर आ गयी। प्रजातंत्र है, कभी कोई आता है और कभी कोई जाता है। इस सरकार का नाम है यूपीए अर्थात*...

सभापति महोदय: यह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: आपकी इच्छा है, लेकिन मैं सही बोल रहा हूं। यह कोई असंसदीय बात नहीं है। आप हटाना चाहते हैं तो हटा दीजिए, आप मेरे पूरे भाषण को ही हटा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

सभापति महोदय: आपको जो बोलना है, सही-सही बोलिए। यह क्या बोल रहे हैं। आप तो बहुत अच्छे सदस्य हैं। आप पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी, आप बड़े सुयोग्य मंत्री हैं, अच्छे एडवोकेट हैं, आपका बड़ा नाम है। लेकिन क्या आपने मंहगाई घटायी? मंहगाई के बारे में आपने इस पूरे बजट में कोई बात नहीं कहीं है, आपने इसको घटाने को कोई उपाय नहीं बताया है। आज जो तेल की कीमतें हैं चाहे वह डीजल हो या पेट्रोल हो, उसकी कीमतें घटाने के बारे में क्या आपने कोई उपाय बताया है? आखिर आप जनता को जाकर क्या बताएंगे कि यूपीए की सरकार आ गयी है, लोगों का भला हो रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी राज संभाल नहीं सके और अब आप बड़े योग्य व्यक्ति हैं? आप जनता को जाकर क्या बताएंगे?

इसी प्रकार से बेरोजगारी की समस्या है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव: मैं वर्ष 1979 से मेम्बर हूं, आप मेरी बात सुन लीजिए। *...(व्यवधान)* बेरोजगारी के बारे में आपने क्या उपचार बताए हैं? क्या आपने इस बजट में कोई उपचार बताया है? आपके राज में आज किसान दुखी है। उसे उपज की कीमत नहीं मिल रही है, खाद नहीं मिल रही है। आज व्यापारी भी दुखी है और अभी जो टेक्सटाइल्स वाले प्रदर्शन करने आए थे, इसको शून्यकाल में भी उठाने की बात करूंगा। वर्ष 1974 से आप उनसे रिटर्न भरने की बात कर रहे हैं।

आखिरकार व्यापारी दुखी है, विद्यार्थी दुखी है, मतलब यह है कि इस राज में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, जो परेशान न हो

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

और यह न कहता हो कि यह सरकार आज गई, कल गई। वामपंथी दल इस सरकार को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन विरोधी पक्ष की भूमिका भी वे लोग निभा रहे हैं। वास्तव में विरोधी दल तो हम हैं, लेकिन हमारा काम वे अपने माथे पर ले रहे हैं। इससे यही लगता है कि यह सरकार ज्यादा नहीं चलेगी।

बैंकों की ब्याज दर काफी कम हो गई है। आम आदमी बैंकों में रुपया जमा नहीं करा रहा है। इसलिए आपको इस ओर ध्यान देना चाहिए। आजकल बैंकों की तरफ से बड़े-बड़े विज्ञापन आते हैं कि एक करोड़ रुपया उधार ले लो, दो करोड़ रुपया उधार ले लो। लेकिन यह सिर्फ थोथी घोषणा ही है, क्योंकि जब किसी को कर्ज नहीं मिलता है। इस संबंध में आप क्या प्रयास कर रहे हैं?

पानी के विषय पर सब जगह झगड़े हो रहे हैं। राजस्थान को पानी नहीं मिल रहा है। हो सकता है उत्तर प्रदेश में पानी हो, लेकिन बिहार आदि कई प्रांतों में पानी को लेकर झगड़े हो रहे हैं। आप सप्लीमेंटरी बजट लेकर आए हैं, आपको इस विषय पर सोचने के लिए समय मिला होगा इसलिए बताएं कि सरकार पानी के बारे में क्या करने जा रही है और पानी के झगड़े से आप किस प्रकार निपटेंगे?

राजस्थान को पानी की तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में एक गाडगिल फार्मूला बनाया गया था। उसके अनुसार यह तय किया गया था कि जहां पहाड़ी एरिया हो, रेगिस्तानी एरिया हो, आबादी के अधिक घनत्व वाला एरिया हो, ज्यादा बारिश न होती हो, वहां पर अतिरिक्त पानी दिया जाएगा। लेकिन पूरे देश का एक प्रतिशत पानी ही राजस्थान को मिलता है। इसलिए इस विषय पर विचार करने के लिए राजस्थान को गाडगिल फार्मूले के तहत धनराशि मुहैया कराई जाए, जिससे वहां पानी के संकट का समाधान हो सके। हम सब लोग कष्ट में हैं और आप राज करते जा रहे है। इसीलिए मैंने यूपीए का जो पूर्व में नाम दिया था, वह सही प्रतीत होता है, क्योंकि आप इसी प्रकार का काम कर रहे हैं।

सभापति जी, आपने समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई (शिवकाशी): "अंजमाई दुर्गाई आरिवू अकाम येंजमाई वेंधारकू इयालबू"- यह पंक्तियां तिरूवल्लुवर ने एक योग्य प्रशासक के बारे में कहीं थी। शासक के गुण हैं- साहस, दया, उत्साह, प्रबुद्धता और समत्वबुद्धि। प्राचीन तमिल कवि तिरूवल्लुवर ने अपनी कविता तिरूकुरल में प्रशासक के जिन गुणों की चर्चा की थीं, वे गुण यू.पी.ए. के नेतृत्व वाली 15 महीने पुरानी केन्द्र सरकार में भली-भांति परिलक्षित होते हैं। मैं अपनी पार्टी मारूमलारची द्रविड़ मुनेत्र कझगन और अपने नेता वाइको और अपनी ओर से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की उस योग्य सरकार द्वारा प्रस्तुत वार्षिक बजट के लिए अनुपूरक अनुदान की मांगों का स्वागत और समर्थन करता हूं।

ये अनुपूरक मांगें 1466, करोड़ रुपए की हैं। फिर भी मांग देश में अवसंरचनात्मक जरूरतों जैसे दूरसंचार, सिंचाई, राज्यों में विद्युत वितरण की मजबूती की है। यह विधेयक उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को और अधिक धन के आबंटन के लिए लाया गया है। निचले न्यायालयों से लेकर उच्चतम न्यायालय तक करोड़ों केस लंबित पड़े हुए हैं। उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट पद्धति से न्यायालयों में लाने के लिए उसमें निधियां आबंटित की गई है। मैं उसका स्वागत करता हूं क्योंकि हजारो-लाखों की संख्या में लंबित केसों का निर्णय फास्ट ट्रैक अदालतों के माध्यम से ही हो पायेगा। उस न्यायोचित मद हेतु 100 करोड़ रुपए आवंटित किये गये हैं। हमारे वित्त मंत्री ने उन अनुपूरक मांगों से देश भर में फास्ट ट्रैक अदालतों में नए जीवन का संचार किया है। उस समय दक्षिण की सभी नदियों जैसे कृष्णा, कावेरी, मुलई पेरियर में बाढ़ आ रखी है। इन नदियों में प्रत्येक 4 वर्ष बाद बाढ़ आ जाती है। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उस जल की एक बूंद भी नष्ट होकर सागर में न जाये। जिस प्रकार हमने सेतु समुद्रम परियोजना के रूप में सभी तमिल जनता का 150 वर्ष पुराना स्वप्न साकार किया है उसी प्रकार अब हमें दक्षिण भारत की सभी नदियों को परस्पर जोड़ना होगा। सेतु परियोजना को कुछ देशों के कट्टर विरोध के बावजूद प्रारंभ किया गया है। उसी प्रकार सरकार को 5 लाख करोड़ रुपए में से कुछ पैसा लगाकर दक्षिण भारत की नदियों को जोड़ने का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। अगले 10 वर्षों में इस टर्न ओवर (कारोबार) का केवल 5 प्रतिशत लगा देने से ही सिंचाई व कृषि का विस्तार होगा जिससे उत्पादन बढ़ेगा अगले 10 वर्षों में हमारी जनसंख्या 126 करोड़ हो जायेगी। ऐसे में नदियों को जोड़ने से हम 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से खाद्य उत्पादन बढ़ा सकेंगे। हमारे नेता वाइको ने इस महान सभा में दक्षिण भारतीय नदियों के परस्पर जोड़ने के लिए गैर-सरकारी सदस्य संकल्प प्रस्तुत किया था। जिस पर 51 दिन तक चर्चा होती रही।

मेरे लोक-सभा निर्वाचन क्षेत्र के केवल सत्तूर क्षेत्र में ही लगभग $1^1/_2$ लाख किसान मिर्च की खेती करते हैं। इस साल मिर्च की कीमतों में अप्रत्याशित कमी आई है। उसकी कीमत 1000 रुपए प्रति क्विंटल रह गई है। उसको मिर्च उत्पादक कृषकों को करोड़ों रुपयों की क्षति हुई है। इन किसानों की इस समस्या का स्थायी समाधान तलाश करना चाहिए। आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु

[श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई]

के सत्तूर क्षेत्र में मिर्च की कृषि एक महत्वपूर्ण कृषि-सह-आर्थिक गतिविधि है। वे कृषक अब अत्यंत दयनीय दशा में हैं। उनके उत्पाद की लाभकारी कीमत को सुनिश्चित करने के लिए उस क्षेत्र में एक खाद्य प्रसंस्करण एकक स्थापित किया जा सकता है जो अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को पूरा करने वाला है। केन्द्र सरकार को वहां खाद्य प्रसंस्करण एकक स्थापित करने के लिए निधियां आबंटित करनी चाहिए। उससे उन किसानों की दु:ख-तकलीफ हमेशा के लिए दूर हो जायेगी।

सभापति महोदय: श्री रविचन्द्रन

...(व्यवधान)

श्री रविचंन्द्रन सिप्पीपारई: महोदय, केवल दो मिनट।

सभापति महोदय: कृपया मेरी बात सुनें। आप अपना भाषण आधे घंटे की चर्चा की समाप्ति के पश्चात ही जारी रखेंगे।

अब हम आधे घंटे की चर्चा शुरू करेंगे।

...(व्यवधान)

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

तमिलनाडु के दक्षिण में श्री विल्लीपुतुर मंदिर नगर हिन्दू, संस्कृति और विरासत के एक भाग के रूप में महत्वपूर्ण मंदिर है। अत: इस नगर को विरासत नगर घोषित किया जाए।

तिरूपुर के निकट सुदूर दक्षिण के औद्योगिक नगर शिवकाशी में लगभग ढाई लाख कामगारों को रोजगार के अवसर मिले है। माचिस उद्योग, पटाखे कि निर्माण इकाईयां और ऑफसेट प्रिंटिग इकाइयां हजारों लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं। शिवकाशी में विनिर्मित सामान हम औद्योगिक नगर को अंतरराष्ट्रीय स्तर के निर्यात केन्द्र के रूप में उभारने में सहायता करता है। करोड़ों रुपए माचिस और पटाखा विनिर्माण इकाइयों में हजारों कामगारों के बेहतरीन प्रयासों से देश के लिए करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। यहां अग्नि दुर्घटनाएं होना अब रोजमर्रा की बात हो गई हैं। जान माल का भारी नुकसान हुआ है। यहां एक अत्याधुनिक अस्पताल वहां स्थापित किया जाना चाहिए। जिसमें 'बर्न वार्ड' भी हों, क्योंकि यह समय की जरूरत है। फलते-फूलते आतिशबाजी उद्योग पर भारी उत्पाद शुल्क के बोझ के कारण इसे समाप्त होने अथवा अलग-थलग पड़ने से बचाने के लिए सहायता की जानी चाहिए। उन्हें सरल और सुकर बनाया जाना चाहिए। उनके लिए ऐसे अवसर पैदा किए जाए कि वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्द्धा कर सकें। बीड़ी कामगारों खानों में काम करने वाले कामगारों फिल्म उद्योग में काम करने वालों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्हें शिक्षा ऋण और आवास योजनाएं दी जाती है। माचिस और आतिशबाजी उद्योग में कामगारों को हर संभव सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनाने हेतु केन्द्र सरकार से आग्रह करते हुए मैं इस सामान्य बजट 2005-2006 के लिए अनुपूरक मांगों का समर्थन करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सायं 6.32 बजे

आधे घंटे की चर्चा

वेक्टर जनित रोगों का उन्मूलन

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम मद संख्या 23, आधे घंटे की चर्चा को लेंगे। डा. चिन्ता मोहन।

डा. चिन्ता मोहन (तिरुपति): महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय और सभापति महोदय को आज इस आधे घंटे की चर्चा की अनुमति देने के लिए धन्यवाद देता हूं। आधे घंटे की इस चर्चा में हम मलेरिया पर चर्चा करेंगे। मलेरिया एक विश्वव्यापी बीमारी है। महोदय, विश्व के 40 प्रतिशत लोग मलेरिया संभावित हैं। इसका पता आज नहीं चला है। इसका पता सबसे पहले वर्ष1880 में चला। आज प्रत्येक तीस सेकेण्ड में विश्व में एक बच्चा मलेरिया से मर रहे हैं। प्रतिवर्ष औसतन विश्व में पचास लाख व्यक्ति मलेरिया से मर रहे हैं। हमारे देश में लगभग दस लाख व्यक्ति मलेरिया और अन्य ज्वरों के कारण मर रहे हैं। किसी का पता चलता है किसी का नहीं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। स्वतंत्रता के सत्तावन वर्ष बाद भी हम मलेरिया के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन में बैठे हैं। अंतरिक्ष यात्रो कक्षा के चक्कर लगा रहे हैं। किन्तु हम एक छोटे रोग मलेरिया पर चर्चा कर रहे हैं। इस मलेरिया के क्या कारण हैं? इसका कारण एक बेचारा छोटा सा मच्छर। आज कल हम उन्हें लोक सभा में भी देख रहे हैं। उन्हें केवल पडेरू अथवा बिहार में अथवा दिल्ली में ही नहीं, लोक सभा में भी देख रहे हैं। मलेरिया के इस मुद्दे पर इसी लोक सभा में 1 जुलाई, 1952 को चर्चा हुई थी। उस समय देश की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर के वाद विवाद का उत्तरदिया था और आंध्र प्रदेश के उस समय लोक सभा के सदस्य डा. जयसूर्या ने मलेरिया का यह मुद्दा उठाया था। वर्ष 1953 में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने एक कार्यक्रम 1 अप्रैल, 1953 को राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था।

सभापति महोदय: यह राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम है।

डा. चिन्ता मोहन: महोदय नहीं, उस समय यह उन्मूलन कार्यक्रम नहीं था। यह कुछ वर्ष बाद में शुरू किया गया। 1 अप्रैल 1958 को इस कार्यक्रम का नाम बदलकर राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम किया गया। पहले यह राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम था और फिर बाद में 1 अप्रैल 1958 से राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम बना। 1 अप्रैल 1958 तक पंडित जवाहर लाल नेहरू और देश का प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर के नेतृत्व में मलेरिया पूर्णत: नियंत्रित कर दिया गया था। उस समय आज के परमाणु समझौते के समान संयुक्त राज्य अमरीका के साथ एक समझौता करने के लिए प्रधान मंत्री वहां गए थे।

मलेरिया के उन्मूलन के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक समझौता किया गया था डीडीटी भारत में लाया गया, गोलियों का आयात किया गया और मलेरिया का उन्मूलन कर दिया गया था। यह पंडित जवाहर लाल नेहरू की पहली उपलब्धि थी। वर्ष 1958 में यह एक बड़ा कार्यक्रम था।

एक अप्रैल 1958 को पंडित जी ने इस सभा में कहा था कि हमने मलेरिया का पूर्णरूप से उन्मूलन कर दिया है। धीरे-धीरे 1976 तक जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री थी तो कोई मलेरिया नहीं था। थोड़े समय पश्चात मलेरिया में तेजी आ गई। वर्ष 1991 तक मलेरिया पर पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लिया गया। तत्पश्चात् मलेरिया के कारण हुई मौतों की संख्या में वृद्धि हुई।

सायं 6.36 बजे

[श्री बालासाहिब विखे पाटील *पीठासीन* हुए]

अब वर्तमान संप्रग सरकार मलेरिया को नियंत्रित करने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रही है। मैं बहुत प्रसन्न हूं और मैं मंत्रालय और यहां बैठे मंत्री की प्रशंसा करती हूं कि वे मलेरिया नियंत्रण के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यह मलेरिया कैसे हो रहा है? सभा के लाभ के लिए पार्वतीपुरम से मेरे मित्र ने मुझसे पूछा: "यह वेक्टर क्या है? यह 'वेक्टर' जनित रोगी मलेरिया ही है और यह छोटी घरेलू मक्खियों, जुओं, मच्छरों आदि से होता है। मच्छर अनेक प्रकार के हैं। एनाफिलीज नाम से एक मच्छर होता है। नर और मादा मच्छर होते हैं। नर मच्छर फूलों का रस पीता है। मादा मच्छर मानव अथवा पशु का रक्त पीती है। एनाफिलीज मच्छरों की चार किस्में नहीं है बल्कि वे चालीस प्रकार के होते हैं। मादा एनाफिलीज मच्छर भी चालीस प्रकार के हैं। उनमें से नौ प्रजातियां बहुत खतरनाक हैं। उनसे मलेरिया हो रहा है। समूचे संसार में आज प्रति तीस सेकेण्ड में एक बच्चा और प्रतिदिन तीन हजार लोग मलेरिया से मर रहे हैं। हमारे अपने देश में हजारों लोग मलेरिया से मर रहे हैं जिनमें कुछ का पता लगाता और कुछ का नहीं लगता है। मैं यह विशिष्ट रूप से नहीं कह रहा हूं यह बिहार में हो रहा अथवा उड़ीसा में अथवा देश के कुछ अन्य भागों में हो रहा लेकिन आज ऐसा हो रहा है।

जैसाकि मैंने कहा, वर्ष 1953 में पंडित जवाहर लाल ने एक कार्यक्रम शुरू किया था जिस कारण मलेरिया का उन्मूलन हुआ। अब, यह मलेरिया क्यों हो रहा है? स्वतंत्रता प्राप्ति के सत्तावन वर्ष बाद और हम अब स्वतंत्रता के अठावनवें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं-फिर मलेरिया क्यों हो रहा है। मैंने विशेष रूप से इस समस्या पर विचार किया है। समस्या 'बजट' की है। गत वर्ष स्वास्थ्य के लिए 1800 करोड़ रुपये दिए हैं। दिल्ली से गुड़गांव तक सड़क बनाने में 1800 करोड़ रुपये की लागत आती है किन्तु स्वास्थ्य के लिए पूरे देश के लिए उन्होंने 1800 करोड़ रुपये दिए हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री अठारह सौ रुपए में क्या कर सकते हैं? इस धनराशि से कितना अवसंरचना तैयार किया जा सकता है। इस धनराशि से वे कौन सी अवसंरचना सृजित कर सकते हैं? मैं इससे परेशान हूं। बजट एक समस्या है। किन्तु मुख्य समस्या योजना की है।

मैं इस 'योजना' और 'योजना आयोग' के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जब 1952 में योजना आयोग बनाया गया था तो योजना आयोग में पंडित जवाहर लाल नेहरू, श्री गुलजारी लाल नंदा, श्री चिंतामणि देशमुख और श्री कृष्णमाचारी जैसे दिग्गज लोग थे। इस तरह के लोग योजना आयोग के सदस्य थे। वे पूरे देश के लिए योजना बनाया करते थे; वे धनराशि आवंटित किया करते थे; वे अनेक चीजों का उन्मूलन किया करते थे; वे रोगों को समाप्त किया करते थे, और वे अवसंरचना का विकास करते थे। आज दुर्भाग्यवश और सौभाग्यवश आज वे सदस्य हैं जिनके नाम भी हम नहीं जानते। आयोग के कई सदस्य हैं। उनमें से कई सदस्यों में कोई योग्यता नहीं है। आज, योजना आयोग उन लोगों का पुनर्वास करने का योजना आयोग बन गया है। जो इस सभा के लिए निर्वाचित नहीं हो पाए हैं। उनका पुनर्वास किया जाता है, वे वहां जाते हैं और वह बैठ जाते * और उन्हें एक दर्जा और कुर्सी मिल जाती है। ये योजना आयोग में बैठे हुए लोग हैं और इस देश के लिए योजना बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

अब, मैं योजना आयोग के इन अधिकारियों और सलाहकारों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। ये वे सलाहकार हैं जो भारत सरकार में सचिव का पद पाने में सक्षम नहीं हैं। हताशा में, वे योजना आयोग में बैठ जाते हैं। योजना आयोग और मंत्रालय के बीच हितों का टकराव है।

वहां पर टकराव इसलिए है कि वह स्वास्थ्य सचिव नहीं बन सके और वह हमेशा सचिव से उलझते रहते हैं। यदि सचिव द्वारा कोई प्रस्ताव भेजा जाता है तो योजना आयोग में बैठे सलाह कारया

[डा. चिन्ता मोहन]

प्रधान सलाहकार उसे अस्वीकार कर देता है। मैं यह सब इसलिए जानता हूं क्योंकि योजना आयोग से मैं वैयक्तिक रूप से परिचित हूं। मैंने उन्हें कार्य करते स्वयं देखा है। वे पूरी प्रक्रिया को भटका देते हैं और पूरी योजना प्रक्रिया बेकार हो जाती है। हमारे बजट आवंटन उचित रूप से नहीं आ रहे हैं। 1800 करोड़ रुपये की इस राशि से स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कर सकता है? वे रोगों पर कैसे नियंत्रण पा सकते हैं?

अब मैं स्वास्थ्य के मंदिरों पर आता हूं, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसे अस्पतालों को "स्वास्थ्य का मंदिर" कहा जाता है। पूर्ववर्ती सरकार ने इस कार्यक्रम की शुरुआत सात अस्पतालों का उन्नयन कर उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के स्तर तक लाने और पटना, रांची जैसे स्थानों में सात नए अस्पताल खोलने के लिए की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हैं जहां इन अस्पतालों को खोला जाना है। योजना आयोग ने इसे स्वीकृति दी है, तत्पश्चात ईएफसी से इसे स्वीकृति प्रदान की और स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इसे स्वीकृति प्रदान की। इसके बाद यह प्रस्ताव मंत्रीमंडलीय समिति के पास भेजा गया। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस कार्यक्रम को सक्षम प्राधिकारियों से तत्काल स्वीकृति दिलाने के लिए गंभीर प्रयास करें क्योंकि गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोग जो मध्यम वर्ग के हैं, वे लोग ही इस रोग मे पीड़ित होते हैं। वे बीमार हो रहे हैं और जब वे बीमार पड़ते हैं तो वे गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि वह इसमें पूरी रुचि लेकर इसे कम से कम अगले 15-20 दिनों में स्वीकृति दिलवाएं।

अब मैं, ग्रामीण स्वास्थ्य पर आता हूं, हमारे देश में छह लाख गांव हैं। हमारे यहां 23,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर नहीं हैं। इसका क्या कारण है? डॉक्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्यों नहीं बैठते हैं? मैंने इस पर गंभीर चिंतन किया है। मेरे विचार से ऐसा लगता है कि इसके लिए भारतीय चिकित्सा परिषद को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जाता है। भारतीय चिकित्सा परिषद् पर भी 1 जुलाई 1952 को चर्चा की गई थी। इसके बारे में जो विचार मैं आज प्रकट कर रहा हूं वही विचार 1952 में व्यक्त किए गए थे।

भारतीय चिकित्सा परिषद एक लोकतांत्रिक संगठन बन गया है। हालांकि यह एक निर्वाचित निकाय है, परंतु यह एक अलोकतांत्रिक संगठन बन गया है। मैं पूरी विनम्रतापूर्वक, भारतीय चिकित्सा परिषद् को भारतीय माफिया परिषद् की संज्ञा देता हूं। हाल ही में मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री को यहां खड़ा देखा और यहां बैठे सभी सदस्य उन पर प्रश्नों की बौछार कर रहे थे। बेचारे स्वास्थ्य मंत्री उत्तर देने में सक्षम नहीं थे। मैं उनकी स्थिति को समझता हूं। इसका कारण यह है कि यहां एक बड़ा माफिया काम कर रहा है। इस महान सभा के लाभ के लिए मैं भारतीय चिकित्सा परिषद् के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। इस पर संसद में कभी चर्चा नहीं की गई है।

सभापति महोदय: कृपया विषय पर आइए। माननीय वित्त मंत्री जी भी यहां हैं और हमें अन्य कार्य भी करने हैं। यहां कई अन्य सदस्य हैं जो बोलना चाहते हैं।

डा. चिन्ता मोहन: महोदय, यह आधे घंटे की चर्चा है और मैं बहुत महत्वपूर्ण बिन्दुओं को उठा रहा हूं।

सभापति महोदय: मैं सहमत हूं, परन्तु कृपया विनिर्दिष्ट प्रश्न उठाएं। भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) और अन्य केन्द्रीय संगठन मुद्दा नहीं है।

डा. चिन्ता मोहन: महोदय, भारतीय चिकित्सा परिषद् में सात सदस्य हैं। ये वही लोग हैं जो कुल मिलाकर अलोकतांत्रिक हो गए हैं और वे इस देश को लूट रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री जी बाहर चले गए हैं, उन्हें यहां रहना चाहिए। वह हमेशा गरीब और छोटे लोगों से कर का भुगतान करवाने के लिए तत्पर रहते हैं। ये वही लोग है जिनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति है। इस परिषद के प्रत्येक सदस्य को करोड़ों रुपये प्राप्त हुए हैं और वे इस प्राधिकरण का दुरुपयोग कर रहे हैं।

सभापति महोदय: सभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री उन पर अंकुश रखने में सक्षम है। अत:, आप कृपया समाप्त करें क्योंकि यदि आप इसे विस्तार देंगे तो इसमें एक घंटे से भी ज्यादा समय लगेगा।

डा. चिन्ता मोहन: महोदय, अब भारतीय चिकित्सा परिषद् स्वास्थ्य मंत्रालय को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है। मंत्रालय भारतीय चिकित्सा परिषद को नियंत्रित नहीं कर रहा है।

सभापति महोदय: यह उनका अंदरूनी मामला है। आप कृपया विनिर्दिष्ट विषय पर आइए।

डा. चिन्ता मोहन: भारतीय चिकित्सा परिषद् चिकित्सा महाविद्यालयों को नियंत्रित करता है। इस देश में 125 चिकित्सा महाविद्यालय हैं।

सभापति महोदय: अब आप कृपया मलेरिया पर अपनी बात समाप्त करें।

डा. चिन्ता मोहन: दुर्भाग्यवश, अत्यंत दुख के साथ, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि भारतीय चिकित्सा परिषद् निजी चिकित्सा

महाविद्यालयों को ज्यादा ट्यूशन फीस लेने की अनुमति दे रहा है। हाल ही में इस सभा में एक तारांकित प्रश्न पर चर्चा हुई थी।

सभापति महोदय: डा. मोहन, कृपया आप विषय पर आएं अपना भाषण समाप्त करें। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें। कैपिटेशन फीस इत्यादि चर्चा का विषय नहीं है। इन सब चीजों पर चर्चा करने के लिए आप एक अन्य सूचना दे सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

डा. चिन्ता मोहन: चिकित्सा छात्र, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र, जो निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में पढ़ते हैं वे एक हजार रुपए प्रतिदिन के हिसाब से इन महाविद्यालयों को ट्यूशन फीस का भुगतान करते हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसे कामों को भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह अगले वर्ष एक अधिनियम लाएंगे। हम अगले वर्ष तक इंतजार नहीं कर सकते।

सभापति महोदय: इसमें मंत्री महोदय की कोई गलती नहीं है क्योंकि न्यायपालिका ने इस कार्य को अपने हाथ में ले लिया है। वह कुछ नहीं कर सकते हैं।

डा. चिन्ता मोहन: मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया सभी निजी चिकित्सा महाविद्यालयों को जिनकी संख्या 125 के आसपास है एक परिपत्र भेजकर इसका ध्यान रखने के लिए कहा जाए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को शोषण से बचाया जा सके। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि मैं श्री होता को एक पत्र लिख चुका हूं कि वे ऐसा परिपत्र भेजें। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इन गरीब बच्चों के शोषण पर तत्काल रोक लगायी जानी चाहिए।

अब, मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पर आता हूं। उन्होंने राष्ट्रीय नीति दस्तावेज, 2002 में कहा है कि वे पोलियो पर 2005 तक नियंत्रण पा लेंगे-प्रतिदिन मैं इनका विज्ञापन देखता हूं-एड्स का 2007 तक उन्मूलन कर देंगे; और 2010 तक वे मलेरिया पर नियंत्रण पा लेंगे। इस उन्मूलन कार्यक्रम को चलाने के लिए उनके पास कौन सी नई अवसंरचना है? उन्हें कितना बजटीय आवंटन चाहिए? अधिक बजटीय आवंटन पाने के लिए उनके द्वारा क्या प्रयास किये गए हैं? अगले पांच वर्षों में मलेरिया का कैसे उन्मूलन किया जा सकता है?

सभापति महोदय: डा. चिन्ता मोहन, यह चर्चा वैक्टर जनित रोगों पर है। आप उसी पर अपने विचार रख सकते हैं।

डा. चिन्ता मोहन: मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 2005, 2007 और 2010 तक इन बीमारियों को नियंत्रित करने हेतु क्या अवसंरचना स्थापित की है। इस उन्मूलन कार्यक्रम के लिए वे किस प्रकार की अवसंरचना स्थापित करना चाहते हैं? वे उन्हें इसके लिए कितना बजटीय आवंटन चाहिए? और अधिक बजटीय आवंटन प्राप्त करने हेतु उनके द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं? मलेरिया का, कम से कम अगले पांच वर्षों के लिए, किस प्रकार उन्मूलन किया जाएगा?

सभापति महोदय: मैं माननीय सदस्यों से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि वे केवल प्रश्न पूछें।

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): वेक्टर जनित रोग जैसे मलेरिया, डेंगू बुखार, जापानी एन्सेफलाईटिस, फलेरिया इत्यादि मच्छरों द्वारा फैलाए जाते हैं। मैं केरल से हूं जहां मलेरिया, फलेरिया और अन्य रोगों से प्रभावित क्षेत्र हैं। इसके अलावा, प्रत्येक वर्ष डेंगू बुखार के साथ-साथ जापानी एनसेफलाईटिस भी फैलता है। पिछले वर्ष भी, वहां जापानी एनसेफलाईटिस और डेंगू बुखार के कारण मौतें हुई थीं। इन मौतों का एक कारण रोग के निदान में विलंब भी है। केरल और कई अन्य राज्यों में डेंगू बुखार और जापानी एनसेफ्लाईटिस का तुरंत निदान करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं भी नहीं है। केरल में, इस रोग का पता लगाने के लिए हमें खून को पुणे वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट में भेजना पड़ता है।

अत:, माननीय मंत्री जी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि कम से कम प्रत्येक राज्य में इन रोगों के निदान के लिए पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए। इसके अलावा, केरल में पहले आईसीएमआर के अधीन वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर थे, परन्तु इनमें से अधिकतर को पांच वर्ष की निर्धारित अवधि पूर्ण होने के बाद बंद कर दिया गया है। केरल में अभी भी फाइलेरिया की बीमारी तीव्र गति से फैल रही है।

अत: माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न यह है कि क्या वेक्टर नियंत्रण एवं इस पर शोध कार्य करने वाली संस्था वेक्टर नियंत्रण अनुसंधान केन्द्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गये हैं ताकि हम वेक्टर-जनित बीमारियों को फैलने से रोक सकें।

मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पर्याप्त कदम उठाया है। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में किया था लेकिन केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा हमें किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई। यही मेरे दो प्रश्न हैं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे आधे घंटे की चर्चा में बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कुछ प्रश्न करना चाहूंगा। जैसाकि सब्जैक्ट में दिया गया है, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे आदमियों की जानें जाती हैं। हमारे देश में तीन मौसम हैं-जाड़ा, गर्मी और बरसात। सरकार को बीमारियों से रोकथाम के लिए मौसम के अनुसार व्यवस्था करनी चाहिए। यह कहा गया कि डायहीरिया, हैजा, चेचक फैल जाता है। इसके अलावा पोलियो, डेंगू आदि भी फैल जाते हैं। हम कहते हैं कि ये बीमारियां खत्म हो गई हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: सभापति जी, अगर मैं बता नहीं पाऊंगा तो प्रश्न कैसे करूंगा?

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछिए; तब मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे व्यवस्था करेंगे। जब हम अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो पता चलता है कि वहां बीमारी फैली हुई है। दूसरा, इन बीमारियों की रोकथाम के लिए जरूरी है कि जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाये। सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। हमारे अनुसूचित जाति के लोग झुग्गी-झोंपड़ी में रहते हैं, वहां ऐसी बीमारियां ज्यादा फैलती हैं। मेरा यह भी कहना है कि हम सांसद निधि में से प्रति संसदीय क्षेत्र में 8 लाख रुपये में स्वास्थ्य मेला लगाते हैं। लेकिन पूरी तरीके से दवा उपलब्ध नहीं होती है, कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। तमाम केन्द्रीय स्वास्थ्य कर्मियों को दिक्कतें हैं। आये दिन उनके आन्दोलन और धरने होते रहते हैं। उनकी छोटी छोटी मांगें हैं जिन पर वे लड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि हम रोगवाहक जनित बीमारियों पर कंट्रोल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 813 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गरीब लोगों के लिए खोले हुए हैं लेकिन वाहन नहीं होने के कारण वे पहुंच नहीं सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार से 27.80 करोड़ रुपये की मांग की गई है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि प्राथमिकता के आधार पर वहां पैसा भेजें ताकि जानलेवा बीमारियों पर कंट्रोल किया जा सके।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह केवल प्रासंगिक प्रश्नों का ही उत्तर दें और अनावश्यक रूप से अधिक समय न लें।

अब डॉ. एम. जगन्नाथ।

डा. एम. जगन्नाथ (नगर कुरनूल): महोदय मैं उस विषय के विस्तार में नहीं जाना चाहता जिसके बारे में मेरे मित्र डा. चिन्तामोहन ने बताया है ...*(व्यवधान)*

श्री जे.एम. आरून रशीद (पेरियाकुलम): सभापति महोदय, कृपया अन्य सदस्यों को भी मौका दें ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: स्पीकर साहब ने जो रूल डिसाइड किया है, मैं उसी के अनुसार कर रहा है लेकिन सांसद महोदय तो भाषण करने लगे हैं।

[अनुवाद]

यदि उन्हें यह पसंद नहीं है तो यह चर्चा आधे घंटे चलने के बजाय डेढ़ घंटे तक चलेगी।

डा. एम. जगन्नाथ, कृपया केवल प्रश्न पूछें।

डा. एम. जगन्नाथ: महोदय मैं केवल प्रश्न ही तो पूछ रहा हूं।

भारत में आदिवासियों की जनसंख्या लगभग 44 मिलियन है और वे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, झारखण्ड, राजस्थान, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में रहते हैं। मलेरिया बीमारी के 50 प्रतिशत मामले उन्हीं लोगों से संबंधित होते हैं।

हाल की 2001 की जनगणना के अनुसार मलेरिया के 0.98 मिलियन मामले पाए गये जिनमें से 431 लोग मर गए। यह एक बारहमासी समस्या है। मेरे मित्र, डा. चिन्ता मोहन ने बताया कि मलेरिया का उन्मूलन किया जा चुका है। मैं उनके इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूं। इसका उन्मूलन नहीं किया जा सकता है। जब तक मच्छर पाए जाएंगे तब तक यह बीमारी विद्यमान रहेगी। इसे केवल नियंत्रित किया जा सकता है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि मानसून की शुरुआत के साथ ही मलेरिया का भी आगमन होता है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया प्रश्न पूछिए। कृपया जानकारी नहीं दें। मंत्री उसके बारे में जानते हैं।

डा. एम. जगन्नाथ: महोदय, मैं केवल प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

डी.डी.टी. के छिड़काव, बीमारी की जांच और इलाज जैसे उपायों से मलेरिया को नियंत्रित किया जा सकेगा। हम भी इस बात को भलीभांति जानते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की कमी होने के कारण मलेरिया से मरने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या उसी क्षेत्र में होती है। इस समस्या पर परामर्शदात्री समिति की बैठक में भी हर वर्ष विचार किया जाता है। वहां लोगों के मरने के मुख्य कारण सरेबरल मलेरिया, रक्ताल्पता और कुपोषण हैं। होता यह है कि मलेरिया से प्रभावित लोग रक्ताल्पता और कुपोषण से बहुत ही आसानी से ग्रसित हो जाते हैं। अंततः इससे श्वास संबंधी बीमारी हो जाती है। मस्तिष्क मृतप्राय हो जाता है और लोग मर जाते हैं।

हो सकता है कि मंत्री महोदय इस बात से सहमत नहीं हो कि आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम और विजयनगर जिले में इस बीमारी से लगभग 1000 लोगों की मौत हुई। इस बीमारी से प्रभावित होने वाले लोगों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण पाने के लिए भविष्य में कौन-कौन से उपाय किये जाने पर मंत्रालय विचार कर रहा है? हम जानते हैं कि यह एक दीर्घकालिक समस्या है। ऐसा कहा जाता है कि विशाखापत्तनम और विजयनगर में 35,000 लोग मलेरिया से ग्रस्त पाये गये।

सभापति महोदय: ऐसे नहीं, आप प्रश्न पूछिए।

डा. एम. जगन्नाथ: मंत्री महोदय मेरा प्रश्न यह है कि यह एक बारहमासी समस्या है और इसे नियंत्रित करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाने पर सरकार विचार कर रही है?

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): सभापति महोदय, मैं डॉक्टर नहीं हूं। अधिकतर मैं समाज सेवा करता हूं। प्रश्न काल के दौरान इस प्रश्न का उत्तर पूरी तरह नहीं दिए जाने के कारण अध्यक्ष महोदय आधे घंटे की चर्चा करवाना चाहते थे और उन्होंने हमें नोटिस देने के लिए सुझाव दिया और हमने वैसा ही किया। लेकिन सभा की इच्छा को भांपते और देखते हुए मुझे लगता है कि नियम 193 के तहत चर्चा करवाई जानी चाहिए और तभी हम इस समस्या पर पूरी तरह चर्चा कर पाएंगे और इसे सुलझाने में असफल रहने की यू.पी.ए. सरकार की विफलता सामने आ पाएगी *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया प्रश्न पूछिए। यदि आप इस प्रश्न का राजनीतिकरण करते हैं तो आप अपना मौका गंवा देंगे।

श्री विक्रम केशरी देव: ठीक है, महोदय, मैं मौका नहीं गंवाना चाहता।

सभापति महोदय: कृपया प्रश्न पूछिए। हम सरकार की जांच नहीं कर रहे हैं। आप केवल प्रश्न पूछिए।

श्री विक्रम केशरी देव: ठीक है। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं।

मैं उड़ीसा राज्य से हूं जहां आदिवासी क्षेत्रों में मलेरिया के अधिक से अधिक मामले पाए जाते हैं। यह एक सर्वविदित तथ्य है। यही स्पष्टीकरण मुझे चाहिए।

सभापति महोदय: स्पष्टीकरण मत मांगिए। आप प्रश्न पूछिए।

श्री विक्रम केशरी देव: मैं स्पष्टीकरण मांग रहा हूं।

सभापति महोदय: स्पष्टीकरण मत मांगिए। आप प्रश्न पूछिए।

श्री विक्रम केशरी देव: मेरा प्रश्न यह है कि मलेरिया के इलाज के लिए जो चिकित्सा पद्धति आप अपना रहे हैं वह पुरानी हो चुकी है। मलेरिया के उन्मूलन के लिए आप डी.डी.टी. का उपयोग करते हैं जबकि कई देशों ने पर्यावरण, वन्यजीव और पेड़-पौधों पर उसके नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अतः मलेरिया के उन्मूलन के लिए सरकार कौन-कौन से उपाय कर रही है? उस दिन मंत्री महोदय ने उत्तर दिया लेकिन वे अब ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू कर रहे हैं। क्या डाक्टरों के बिना यह बहुत अच्छी बात है? राज्यों में हमारे पास डाक्टर नहीं हैं। अस्पतालों, जन स्वास्थ्य केन्द्रों और उपकेन्द्रों में डाक्टर नहीं है। अतः आप ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को पूरा करने की उम्मीद कैसे करते हैं? *...(व्यवधान)* आज उड़ीसा के के.बी.के. जिलों और मेरे जिले में एक भी डॉक्टर नहीं है। वहां डॉक्टर के 78 पद रिक्त पड़े हुए हैं।

मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा ली जाती है जिसमें 50 प्रतिशत स्थान संबंधित राज्य के बच्चों के लिए आरक्षित होते हैं।

सभापति महोदय: नहीं, आप मलेरिया की बात कीजिए।

श्री विक्रम केशरी देव: मैं उस बिन्दु पर आ रहा हूं। 50 प्रतिशत स्थान अन्य राज्यों के बच्चों के लिए आरक्षित होते हैं।

सभापति महोदय: अब आप मेडिकल कालेज की बात मत कीजिए।

श्री विक्रम केशरी देव: लेकिन वे एम.बी.बी.एस. की पढ़ाई पूरी करने के बाद राज्य से बाहर चले जाते हैं। अतः क्या सरकार

[श्री बिक्रम केशरी देव]

कोई नई नीतियां/योजना बनाएगी जिसके अंतर्गत किसी राज्य विशेष में एम.बी.बी.एस. की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह डाक्टर उस राज्य में अनिवार्य रूप से तीन वर्ष की सेवा दे ताकि डॉक्टरों की कमी न हो?

मैं यह जानता हूं कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है।

सभापति महोदय: मुझे मालूम है कि आप मंत्री थे।

श्री बिक्रम केशरी देव: लेकिन राज्यों की स्थिति बहुत ही दयनीय है और मलेरिया एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसे हम अभी तक नियंत्रित नहीं कर पाएं हैं। कृपया बताइए कि इसे नियंत्रित करने के लिए वैकल्पिक उपाय क्या हैं? इसका कारण यह है कि तालाब और जमे हुए पानी में ही मच्छर पनपते हैं।

सभापति महोदय: सभी लोग इस कारण को जानते हैं।

श्री बिक्रम केशरी देव: धन्यवाद।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं?

सभापति महोदय: नियमानुसार हमने सदस्यों को मौका दिया। दस अनुरोध किये गये हैं। सभा के नियमों के अनुसार हमने पांच सदस्यों को मौका दिया। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सहयोग कीजिए।

मंत्री महोदय आप विषयेत्तर क्षेत्र मत लीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया सहयोग कीजिए। अन्यथा हमारे पास कोई विकल्प नहीं होगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: क्षमा कीजिए। हम किसी प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकते। नियमानुसार अध्यक्ष महोदय ने पांच सदस्यों को अनुमति देने का निर्णय किया है। हम पहले ही पांच सदस्यों को बुला चुके हैं। कृपया सहयोग कीजिए।

...(व्यवधान)

सायं 7.00 बजे

सभापति महोदय: अब माननीय मंत्री उत्तर देंगे।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): मैं यह मुद्दा उठाने और पिछले 57-58 वर्षों से देश में मलेरिया के बारे में माननीय सदस्य डा. चिन्ता मोहन की चिन्ताओं के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। जैसाकि उन्होंने ठीक ही कहा है, वर्ष 1960 के दशक दौरान मलेरिया रोगियों में भारी गिरावट आई। सरकार तो 1960 के दशक में मलेरिया के कुल 5000 रोगी थे। इसका कारण यह था कि डीडीटी की नई शुरुआत की गई है। यह मलेरिया के लिए बहुत प्रभावी थी। किन्तु समय बीतने के साथ डीडीटी और अन्य मुद्दों का भारी विरोध हुआ। तत्पश्चात् यह कार्यक्रम बीच में समाप्त हो गया। पहले, यह कार्यक्रम एक उन्मूलन कार्यक्रम था।

आज हमारे पास एक व्यापक राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम है जिसमें मलेरिया, फाइलेरिया, जापानी मस्तिष्क शोध, डेंगू और काला आजार सहित पांच बीमारियों को शामिल किया गया है।

तत्पश्चात बजटीय आवंटन का मुद्दा आया। माननीय सदस्यों ने कहा है कि इसमें कुछ अधिक नहीं किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में इस वर्ष हमने 32 से 33 प्रतिशत तक की वृद्धि की थी। यह वृद्धि अप्रत्याशित थी। हमारे प्रधान मंत्री स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिन्तित है और उन्होंने माननीय वित्त मंत्री से और अधिक आवंटन करने को कहा है। हम अगले चार वर्षों में जन स्वास्थ्य खर्च में वर्तमान 0.9 प्रतिशत से बढ़ाकर कम से कम दो प्रतिशत की वृद्धि करेंगे। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह हमारी प्रतिबद्धता है और हम उसी के अनुसार काम कर रहे हैं।

मलेरिया हेतु बजट पर आते हुए मैं कहना चाहता हूं कि वस्तुत: गत वर्ष अर्थात वर्ष 2004-05 में हमने राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु 216 करोड़ रुपये व्यय किये हैं। इस वर्ष नामत: 2005-06 में 348 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। अत: मलेरिया और वेक्टरजनित अन्य रोगों पर व्यय के लिए आवंटन में वृद्धि हुई है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसी संस्थाओं के संबंध में हम इन्हें बड़े पैमाने पर स्थापित करने जा रहे हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में उनकी बहुत आवश्यकता है। इन संस्थाओं द्वारा प्राथमिक स्तर पर इन कार्यक्रमों की सहायता तृतीयक स्तर पर की जाएगी। इसे जारी रखना है और हम इस संबंध में कदम उठा रहे हैं। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्री मंडलीय समिति एम्स जैसी इन संस्थाओं पर विचार कर रही है।

ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए भी हमने अपने प्रधानमंत्री की सहायता से इस वर्ष ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है। हमने इसमें अठारह राज्यों को शामिल किया है।

चिकित्सा शिक्षा के बारे में नि:संदेह माननीय सदस्य ने कहा कि यह भारतीय माफिया परिषद है। यह उनके अनुसार है। जी हां, हमारे पास भारतीय चिकित्सा परिषद के कुछ मुद्दे हैं। हम इन मुद्दों को यहां उठा रहे हैं। हम इन मुद्दों को कहीं और किसी और मंच पर भी उठा सकते हैं। वस्तुत: हम भारतीय चिकित्सा अधिनियम में संशोधन करने का प्रयास कर रहे हैं जिसे मंत्रिमंडल ने हाल ही में पारित किया है। हम इसे शीघ्र इस सम्माननीय सभा में पुर:स्थापित करेंगे।

तत्पश्चात् शुल्क ढांचे और निजी चिकित्सा महाविद्यालयों का मुद्दा है। जिस दिन यह मुद्दा उठाया गया कुछ माननीय सदस्यों में शुल्क ढांचे और लिये जा रहे कैपिटेशन शुल्क के बारे में आक्रोश था। इस मुद्दे पर मैं भी उनके साथ हूं। मैं इस कैपिटेशन शुल्क को समाप्त करना चाहता हूं। आज किसी को कैपिटेशन शुल्क लेने की अनुमति नहीं है। अन्यत्र की भांति यह कार्य गुपचुप तरीके से किया जा रहा है। हमारे पास कैपिटेशन शुल्क लेने का कोई प्रमाण नहीं है। यदि माननीय सदस्यों के पास कोई प्रमाण है अथवा जनता में से यदि कोई व्यक्ति इसे हमारे अथवा किसी अन्य प्राधिकरण के ध्यान में लाता है तो निश्चित रूप से हम कार्यवाही करेंगे। वास्तव में हमने गत वर्ष गुजरात में कुछ कालेजों के विरुद्ध कार्यवाही की है जहां कालेज के मालिक को कैपिटेशन शुल्क लेने के लिए गिरफ्तार किया गया। आज राज्यों में शुल्क का निर्धारण संबंधित समितियों द्वारा ही किया जाता है।

कुछ माननीय सदस्य प्रश्न काल के पश्चात मेरे पास आए कि कुछ कालेज एक साथ पांच वर्षों का शुल्क ले रहे हैं। मान लीजिए एक वर्ष की निर्धारित फीस तीन लाख रुपए है। पांच वर्ष के लिए यह फीस 15 लाख रुपये होगी। इसलिए पहले वर्ष में पन्द्रह लाख रुपए लेना अवैध है। कोई वर्ष के लिए एक निर्धारित शुल्क एक साथ नहीं ले सकता है। यदि कोई कालेज ऐसा ले रहा है तो यह अवैध है।

तत्पश्चात् नई अवसंरचना का मुद्दा है। जी हां, हम अगले चार वर्षों में दो से तीन प्रतिशत अवसंरचना की व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर नहीं हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: सक्रिय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन चलाया जा रहा है। महोदय, आपके माध्यम से हम सक्रिय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर ही चर्चा कर सकते हैं जहां हम अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों नामत: वहां कितने डाक्टर हैं; ग्रामीण स्तर, प्राथमिक स्तर पर क्या समस्याएं हैं कि क्या पैरा चिकित्सा कर्मचारियों के पास दवाएं हैं या नहीं आदि पर चर्चा कर सकते हैं। हमने ये सब मुद्दे उठाए है और हम इन पर चर्चा करेंगे जिससे इस कार्यक्रम के बारे में सभी माननीय सदस्यों को जानकारी मिलने में सहायता मिलेगी जो पिछले पचास वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सबसे बड़ा कार्यक्रम है। माननीय प्रधानमंत्री ग्रामीण लोगों के बारे में भी चिंतित हैं।

डा. के.एस. मनोज ने भी कुछ प्रश्न पूछे थे। आज डाक्टर दिवस है और मैं भी एक डाक्टर हूं। मेरे सभी डाक्टर साथी मलेरिया के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। वे केरल में डेंगू और जापानी मस्तिष्कशोथ के प्रकोप के बारे में चिंतित हैं। केरल की विशिष्ट स्थिति है जहां वे नारियल की खेती करते हैं। नारियल बागान हर जगह लगाए गए हैं और बरसाती मौसम में नारियल के खोल में पानी इकट्ठा किया जाता है यदि पानी अवशोषित नहीं होता है तो यह मलेरिया और डेंग्यू फैलाने वाले मच्छर का प्रजनन स्थल बन जाता है किन्तु केरल में जागरूकता पैदा की गई है। केरल देश में सर्वाधिक साक्षर राज्य है और जागरूकता पैदा करने में कोई कठिनाई नहीं हुई है। सूक्ष्मदर्शी के अंतर्गत मलेरिया परीक्षण बहुत साधारण परीक्षण है। अत: इन सभी मुद्दों पर भारत सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता कर रहे हैं। राज्य सरकारों को कदम उठाने हैं। हम निगरानी, निवारण, सूचना, शिक्षा और संचार में उनके प्रयासों में सहायता कर रहे हैं। हम मच्छरदानियों इत्यादि जैसी अवसंरचना प्रदान करने में हिस्सा ले रहे हैं।

हम एकीकृत निगरानी की दिशा में बढ़ रहे हैं जहां तीन वर्षों के बाद पूरे देश को शामिल किया जाएगा। सभी छह सौ जिलों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। यदि किसी रोगी की सूचना मिलती है तो हम तत्काल कार्यवाही करेंगे। यह कार्यवाही मलेरिया के लिए ही नहीं बल्कि मियादी बुखार, हैजा और अन्य रोगों के लिए भी कार्यवाही करेंगे।

जहां तक आई सी एम आर एककों का संबंध है हमारे पास अनुसंधान करने वाली अनेक इकाइयां हैं। देश भर में वास्तव में दस एकक हैं। मलेरिया के लिए हमारे पास निगरानी एकक हैं। वे वहां पांच वर्ष तक रहेंगे। जब मलेरिया के मामलों में कमी होगी तो वे अन्य स्थान/क्षेत्रों में जाएंगे। जब कभी किसी विशेष राज्य में कोई समस्या होगी तो हम उस राज्य सरकार से बात करेंगे और रोग की आवश्यकता के आधार पर कार्यवाही करेंगे। इनमें से कुछ बीमारियां तो मौसमी बीमारियां हैं। मानसून के बाद हम इस कार्य में तेजी ला सकते हैं और अगले मानसून तक इसमें कमी हो सकती है।

श्री शैलेन्द्र कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण के बारे में पूछा। वस्तुत: यही आज देश में न केवल स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की बल्कि अवसंरचनात्मक समस्याओं, आर्थिक समस्याओं, कृषि

[डा. अंबुमणि रामदास]

समस्याओं और सभी प्रकार की समस्याओं की जड़ है। अत: जनसंख्या नियंत्रण देश का एक मुख्य कार्यक्रम है। हमें जनसंख्या स्थिर और नियंत्रित करनी है। यह हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। वस्तुत: हम शहरी नवीकरण मिशन के माध्यम से शहरी मलिन बस्तियों पर ध्यान केन्द्रित कर रहे है।

माननीय सदस्य ने कहा कि स्वास्थ्य मेलों का उचित रूप से आयोजन नहीं किया जा रहा है। मैं इस बात से इंकार करूंगा। ऐसे मेले भी हैं जो बहुत सफल हुए हैं। कुछ स्वास्थ्य मेलों में पूरे जिले से लगभग पचास हजार लोगों ने भागीदारी की है और अपनी जांच कराई है। अत: इन स्वास्थ्य मेलों की बहुत जरूरत है। भारत सरकार जो पहला कदम उठाने जा रही है वह यह है कि 18 राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरूआत करना है और हम जागरूकता पैदा करने के लिए ही मेलों का आयोजन नहीं कर रहे हैं बल्कि मधुमेह और मोतियाबिंद आदि जैसे रोगों के लिए लोगों की जांच करने के लिए भी इन मेलों का आयोजन कर रहे हैं। इन मेलों में स्त्री रोग संबंधी जांच भी सम्मिलित है।

सभापति महोदय: क्या आप समझते हैं कि स्वास्थ्य मेले में आने वाले लोगों की यह संख्या एक बड़ी संख्या है?

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, अपने प्रभाव और प्रतिबद्धता के अनुरूप माननीय सदस्य कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। अन्य डाक्टर आई एम ए और अन्य सभी प्राइवेट पार्टियां तथा मानवता की सेवा करने वाले इसमें भाग लेते हैं। यदि यह बड़ा मेला होता है, तो यह अत्यंत ही प्रभावी होता है और हम उसकी पहल करते हैं। इस समय सरकार 8 लाख रुपया दे रही है, जो कि हम समझते हैं कि पर्याप्त नहीं है, किन्तु हमें 18 राज्यों को देखना हैं और कई बातों को कवर करना है। अन्य राज्यों के भी माननीय सदस्य हैं जो इसकी मांग कर रहे है। पहला कदम यह हैं कि इसे 18 राज्यों में शुरू करना है।

मेरे अच्छे मित्र डा. मन्दा जगन्नाथ भी जनजातीय क्षेत्रों में इस बीमारी के प्रसार से चिंतित हैं उनकी बात पर आते हुए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वह आपके यहां एकमात्र मित्र हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: जैसा कि आप जानते हैं, जनजातीय क्षेत्रों में मलेरिया के नियंत्रण के लिए अनेक कार्यक्रम जारी हैं जो विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों के लिए तैयार किए गए हैं। 'एन्हान्सड मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम' भी चल रहा है जिसमें आठ राज्यों के 100 जिले शामिल हैं। सभी 100 जिले जनजातीय जिले हैं और हम उन्हें कवर कर रहे हैं।

विश्व बैंक इसमें मदद कर रहा है। वस्तुत: 1045 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इसे कवर कर रहे हैं। पूर्वोत्तर उड़ीसा, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल सहित 10 राज्यों में एक अन्य सघन मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम है। हम सभी पूर्वोत्तर राज्यों को शत प्रतिशत नकद सहायता प्रदान कर रहे है। इसलिए, हम जनजातीय क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं।

वास्तव में, पहले कुछ मुद्दे चर्चा के लिए उठाए गए जिसमें माननीय सदस्यों के विशाखापत्तनम और पदेरू क्षेत्र में हजारों लोगों की मौत के बारे में उल्लेख किया विशाखापत्तनम में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। उस जिले में 2004 के दौरान लगभग 9894 मामले सामने आए थे जबकि 2001 में 17,124 मामले सामने आए थे इस प्रकार तीन वर्ष के दौरान 42% की कमी आई।

उठाए गए कदमों के संबंध में, कुछ पहले ही राज्य सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं जिसके द्वारा 2500 गांवों में छिड़काव किया गया जहां तक मलेरिया का संबंध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि अनेक कदम उठाए गए थे। इसमें एक मलेरिया पर नियंत्रण करना है और दूसरा जब मलेरिया हो जाता है तो इसका उपचार करना है। इसलिए मलेरिया पर नियंत्रण के लिए हम पहले से ही कीटनाशकों के छिड़काव जैसा काम कर रहे हैं। माननीय सदस्य कहते हैं कि कुछ देशों में डी.डी.टी. पर प्रतिबंध है। हां यह सही है। किन्तु हम इसका प्रयोग अत्यंत ही विवेकपूर्ण तरीके से कर रहे है। जहां तक डी.डी.टी. का संबंध है प्रत्येक वर्ष सचिव (स्वास्थ्य) के अधीन एक समिति इसकी मात्रा के बारे में निर्णय लेती है। मलेरिया के लिए हम 7000 मीट्रिक टन और काला जार के लिए 2500 मीट्रिक टन का प्रयोग कर रहे हैं। किन्तु हम इसका प्रयोग अत्यंत ही युक्तिसंगत रूप से और कहीं-कहीं कर रहे हैं। सिन्थेटिक पाइरेथ्रोइल्स, माल्थिऑन, फेन्थिऑन जैसे अन्य रसायन भी है। हम इन सब चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। फेन्थिऑन लार्वा नाशक रसायन है। वास्तव में, हम गम्बूजियां मछली अथवा गैप्पीज का प्रयोग कर रहे हैं। हम उन्हें तालाब में छोड़ देते हैं और वे मलेरिया का सारा लार्वा खा जाते हैं। महाराष्ट्र राज्य देश में सर्व श्रेष्ठ हैं और वहां यह अत्यंत ही प्रभावशाली है। हम इसका अन्य राज्यों, विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों जहां छोटे-छोटे तालाब हैं, में प्रचार कर रहे हैं। हम सिर्फ यह मछली छोड़ देते है। यह छोटी मछली है और वह सारा लार्वा खा जाती है। यह मलेरिया और अन्य वेक्टर जनित रोगों का नियंत्रण करने में अत्यंत ही प्रभावशाली है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। डा. जगन्नाथ, कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

डा. अंबुमणि रामदास: पादेरू क्षेत्र में हमने अनेक उपाय किए हैं। पादेरू एजेन्सी क्षेत्र में 430 गांवों में 30,000 मच्छरदानी बांटी गई हैं। आरम्भ में लगभग 195 कैम्प चलाए गए थे और तत्काल बुखार जांच की जा रही थी और 55 स्कूल परिसरों में 55 चिकित्सा टीम तैनात की गई है। वहां 279 चिकित्सा और अर्द्ध चिकित्सा स्टाफ तैनात किए गए है। 11 मंडलों में पचपन वाहन उपलब्ध कराए गए हैं तथा विशेषज्ञ डाक्टर तैनात किये गये हैं। जनजातीय क्षेत्रों में भोजन भी उपलब्ध कराया गया है। क्लोरोक्विन, प्राइमाक्विन जैसी आवश्यक दवाएं जो मलेरिया के उपचार में प्रभावी है, उपलब्ध कराई गई हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अवसंरचना है किन्तु इसका प्रयोग होना चाहिए। यही एक मात्र मुद्दा है।

...(व्यवधान)

डा. अंबुमणि रामदास: यह वहां है। इसके अतिरिक्त रैपिड डायग्नोस्टिक किट भी उपलब्ध हैं।

उस दिन कुछ माननीय सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया था कि लगभग 900 से 1000 लोग मर गए हैं और उन्होंने मुझे गांव और क्षेत्र में मारे गए लोगों की सूची दी। उन्होंने मुझे अधिकारियों को भेजकर इसकी सच्चाई की जांच करने के लिए कहा जो कि मैंने मान ली और मैंने अपने अधिकारियों को वहां जाने तथा व्यक्तिगत रूप से उस गांव में तथाकथित मृत्यु की सच्चाई की जांच करने के लिए कहा वस्तुत: मैंने नेशनल वेक्टर-बॉर्न डीसीस कंट्रोल प्रोग्राम के निदेशक को भेजा। वह डा. पी. एल जोशी हैं। उन्होंने एक गांव का निरीक्षण किया *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: तारांकित प्रश्न में आप इसका पहले ही उत्तर दे चुके हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: नहीं महोदय। यह चम्पागुड़ा गांव है जिसमें कोन्डा डोरा जनजाति रहती है। माननीय सदस्य द्वारा उस दिन दी गई सूची में लगभग 350-360 लोगों की आबादी वाले इस गांव में लगभग 44 लोगों की तथाकथित मृत्यु हो गई थी। यह दी गई सूची के अनुसार है और मेरा आदमी वहां गया था। उन्होंने जांच की और पाया कि तथाकथित 44 मृत व्यक्तियों में से 42 लोग जीवित हैं।

सभापति महोदय: हे भगवान! यह त्रुटिरहित जानकारी है।

...(व्यवधान)

डा. अंबुमणि रामदास: वे सभी राज्य में अन्यत्र काम करने गए थे। गांव में सिर्फ एक आदमी की मृत्यु हुई थी। *...(व्यवधान)*

डा. एम. जगन्नाथ: महोदय, आपने कहा कि आपने उनकी जांच कराई है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपको विशेषाधिकार का मुद्दा नहीं मिलने वाला है। कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

डा. एम. जगन्नाथ: महोदय, एम आर ओ ने 550 लोगों के मरने को प्रमाणित किया है। इसके बारे में क्या? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वह आप पर आरोप नहीं लगा रहे है। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? माननीय मंत्री जी को उत्तर पूरा करने दीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: माननीय मंत्री के वक्तव्य के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए। माननीय मंत्री महोदय इसका उत्तर मत दीजिए।

श्री पी. चिदम्बरम: 44 में से 42 अभी भी जीवित हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी कृपया पहाड़ी ट्रैकों इत्यादि के बारे में श्री विक्रम केशरी देव के प्रश्न का उत्तर दीजिए। वह इस मामले में अंतिम वक्ता है।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मैं उस पर आ रहा हूं।

मैं डा. जगन्नाथ और सभी माननीय सदस्यों की चिंता को समझता हूं। यहां तक कि एक व्यक्ति की भी मृत्यु हुई है, तो हम कार्रवाई करेंगे। एक आदमी मरे या एक हजार आदमी मरे हम हर उपाय करने जा रहे हैं और राज्य सरकार के परामर्श से और उनके सहयोग में हम एजेन्सी क्षेत्रों के लिए सभी उपाय कर रहे हैं। उसके बाद भी अनेक कदम उठाए गए हैं।

मैं उड़ीसा के बारे में बता रहा हूं। वास्तव में उड़ीसा राज्य में मलेरिया के कारण देश में सबसे अधिक मौतें हुई हैं। वास्तव

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[डा. अंबुमणि रामदास]

में हमने उड़ीसा में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है। मैं खुद वहां था। माननीय मुख्य मंत्री ने इस कार्यक्रम का शुभारम्भ किया था। हम इस पर चर्चा कर रहे हैं।

माननीय सदस्यों का कहना है कि उपचार बहुत पुराना है। हमारे पास अनेक नई आधुनिक दवाएं हैं। पहले क्लोरोक्विन, प्राइमाक्विन आदि दवाओं से उपचार होता था। अब कुछ प्रतिरोध हुआ है और हमने आरटीमिसीन सल्फेट, आर्टियर इंजेक्शन आदि जैसी नई औषधियां मंगाई है, यह बहुत महंगी है। हम उन दवाओं को खरीद रहे हैं और उनकी आपूर्ति राज्य सरकारों को कर रहे हैं। अत: उपचार-वार यह कहना कि ये दवाएं पुरानी है तो हम निश्चित रूप से इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे पास कुछ सर्वोत्तम उपचार हैं जो आज देश में उपलब्ध हैं ये दवाएं इन मलेरिया प्रभावित लोगों को निशुल्क दी जा रही हैं।

मैंने डी.डी.टी. का उल्लेख किया है। हम इसका उपयोग कभी कभार कर रहे हैं। यही एक ऐसा रसायन है जो काला-आजार और "सैन्डफ्लाई" आदि के लिए बहुत प्रभावी है। डीडीटी बहुत प्रभावी है। हमें उसका उपयोग करना है।

सभापति महोदय: धन्यवाद।

डा. अंबुमणि रामदास: यह बात कि क्या डाक्टरों को राज्यों में रखा जा सकता है तो यह राज्यों के कार्यक्षेत्र में है और वह इस बारे में कुछ निर्णय लेने के लिए राज्य के माननीय मुख्य मंत्री से अनुरोध कर सकते हैं जिसमें डाक्टरों को वहां रहने के लिए कहा जा सकता है। वहां कुछ बांड होना चाहिए। कुल मिलाकर हम ग्रामीण क्षेत्रों में इन डाक्टरों को तैनात कराने का प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले माह देश में मूलत: कोई पन्द्रह मेडिकल प्रोफेसनल निकायों के साथ चर्चा की थी। भारतीय चिकित्सा संघ और एफ ओ जी एस आई, और स्त्री रोग, संवेदनाहरण संघों जैसे अधिकतर संघ सामने आए और उन्होंने अनिवार्य ग्रामीण तैनाती का सुझाव दिया था। डाक्टरों द्वारा हाउस सर्जनसी का कार्य पूरा करने के पश्चात उन्हें एक अथवा दो वर्षों के लिए अनिवार्य रूप से तैनात किया जाए और वे इस अवधि से संबंधित निर्णय करने का प्रयास कर रहे हैं और डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्र में अनिवार्य रूप से काम करना होगा जिसके पश्चात उसे स्नातक प्रमाणपत्र दिया जाएगा। उसके पश्चात ही वह अपनी स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए भी आवेदन कर सकेगा। हम ये कदम उठा रहे हैं।

सभापति महोदय: यह अनिवार्य होना चाहिए। महाराष्ट्र में हम यह काम कर रहे हैं।

अब हम मद सं. आठ, बीएसी प्रतिवेदन प्रस्तुति को लेंगे और तत्पश्चात अनुपूरक बजट पर चर्चा जारी रखेंगे।

सायं 7.17 बजे

कार्यमंत्रणा समिति

चौदहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सायं 7.18 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें–(सामान्य) 2005-06 और अतिरिक्त अनुदानों की मांगे–(सामान्य) 2002-03–*जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: हम अनुपूरक मांगों पर चर्चा जारी रखेंगे। अब श्री लक्ष्मण सेठ बोलेंगे।

श्री के.एस. राव (एलूरू): महोदय, इसमें कितना समय लगेगा?

सभापति महोदय: एक या दो वक्ता और हैं और तत्पश्चात माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे। श्री लक्ष्मण सेठ, अपनी बात संक्षेप में रहें। धन्यवाद।

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): महोदय, दसवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन की पृष्ठभूमि में, माननीय वित्त मंत्री ने अनुपूरक अनुदानों की मांगे संसद के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की हैं। मध्यावधि मूल्यांकन प्रतिवेदन में हमने देखा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के शासन के दौरान देश की आर्थिक स्थिति निराशाजनक हो गई थी। तथापि, कुछ सीमा तक आर्थिक स्थिति को अब सुधारा जा रहा है। किन्तु उसके बावजूद माननीय प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की मई 2005 में हुई बैठक में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि 'बेसकेस' में और 7.2 प्रतिशत की वृद्धि वर्ष 2005-2006 के लिए अनुमोदित स्थिति के अंतर्गत अनुमानित की गई। आर्थिक सलाहकार परिषद के 'बेसकेस' में कृषि और सहायक क्षेत्रों के लिए 1.8 प्रतिशत और विनिर्माण हेतु 7 प्रतिशत की क्षेत्रीय वृद्धि हुई।

अत: यह कहा जा सकता है कि आर्थिक क्षेत्र में शानदार उपलब्धि नहीं हुई है। इसीलिए मेरा माननीय वित्त मंत्री से आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध है कि ताकि हमारा देश वास्तव में आर्थिक क्षेत्रों में कुछ शानदार उपलब्धि प्राप्त कर सके।

महोदय, व्यावहारिक रूप से संसाधनों को जुटाए बिना मैं समझता हूं, संप्रग सरकार की प्रतिबद्धता पूरी नहीं होगी। हमारे बजट में संसाधनों की भारी कमी है, भारी राजस्व घाटा है और राजकोषीय घाटा है और मैं समझता हूं सरकार की संसाधन जुटाने में रुचि भी कम है। कर की भारी धनराशि बकाया है जो लगभग सत्तर हजार करोड़ रुपए है। यह राशि इससे भी अधिक है। यही नहीं, बैंकों की गैर निष्पादनकारी आस्तियों की धनराशि भी 75,000 करोड़ रुपए है। भारी काला धन भी है। उस काले धन का पता लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। औद्योगिक घरानों और व्यापारिक घरानों द्वारा करों का अपवंचन किया जाता है। हमारे देश में तीन करोड़ कर निर्धारिती हैं और उसमें सत्तर या अस्सी प्रतिशत निर्धारित वेतनभोगी हैं। अत: यह आसानी से सिद्ध किया जा सकता है कि औद्योगिक घरानों द्वारा कर का अपवंचन किया जाता है जिससे बहुत अधिक काला धन एकत्र हो जाता है। मेरे विचार से कर अपवंचन को रोकने और काले धन को उजागर करने के लिए उचित उपाय किए बिना राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम की प्रतिबद्धता को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह समाप्त नहीं हो सकता।

मैंने अनेक रिपोर्टों में यह भी देखा है कि औद्योगिक घरानों द्वारा दाखिल की गई विवरणियों की जांच करने हेतु कोई प्रणाली नहीं है। उनमें से केवल दो प्रतिशत विवरणियों की जांच यह तर्क देते हुए की जाती हैं कि सरकार के पास पर्याप्त तंत्र नहीं है। आप करों को कैसे वसूल करेंगे और संसाधन की व्यवस्था किस प्रकार करेंगे? यह ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे है जिन पर मैं बल देना चाहूंगा।

चूंकि समय कम है इसलिए मैं पूर्वी भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने रखना चाहता हूं। व्यावहारत: अनेक वर्षों से भारत सरकार द्वारा की गई लापरवाही के कारण पूर्वी भारत जिसके अंतर्गत उड़ीसा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल आते हैं, अत्यधिक कठिनाई का सामना करते रहे हैं और इससे आर्थिक असंतुलन उत्पन्न हो गया है। आप जानते हैं कि पहले ही पूर्वी भारत को मालभाड़ा के समान ढोने की कीमत चुकानी पड़ी थी। इसके अतिरिक्त, मेरे विचार से, वित्तीय संस्थानों के भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण के कारण पूर्वी भारत को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा है। इसलिए मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले की जांच करें।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पूर्वी भारत में सी डी आर (ऋण जमा अनुपात) बहुत पीछे है। इसीलिए सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि पूर्वी भारत के सुधार के लिए सी डी आर को संतुलित स्तर पर लाया जा सके।

मैं माननीय वित्त मंत्री के ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार अत्यधिक कठिनाई का सामना कर रही है क्योंकि भारत सरकार इस तर्क के आधार पर कोयला की रायल्टी का भुगतान करती रही है कि पश्चिम बंगाल ने कोयले पर उपकर लगाया है, किन्तु उच्चतम न्यायालय ने इस तर्क का समर्थन किया है और कोयले पर उपकर लगाने के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उठाए गए कदम का समर्थन भी किया है। माननीय वित्त मंत्री ने हमारे मुख्य मंत्री से वायदा किया है कि वह मामले की जांच करेंगे ताकि पश्चिम बंगाल सरकार को कोयले पर रायल्टी मिल सके। इस कारण, प्रत्येक वर्ष, पश्चिम बंगाल सरकार को 2,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो रहा है। पन्द्रह वर्षों से राज्य सरकार को कोयले पर रायल्टी नहीं मिल रही है। इन पहलुओं की जांच की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सप्लीमेंटरी डिमांड्स फार ग्रान्टस का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे उम्मीद है कि भारत निर्माण की योजना, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की है, उसे सफल बनाने में मंत्री जी सफल होंगे। वित्त मंत्री जी एक सक्षम अर्थशास्त्री हैं और देश का सर्वांगीण विकास उनके नेतृत्व में होगा। लेकिन यह नारा ही न रह जाए, इसके लिए वित्त मंत्री जी को ज्यादा विजिलेंट रहने की आवश्यकता है। देश के विभिन्न राज्यों में ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, उन पर वित्त मंत्री जी को अधिक निगरानी रखने की आवश्यकता होगी।

यह सर्वविदित है कि हम जिस बिहार राज्य से आते हैं, वह एक पिछड़ा और गरीब राज्य है। बिहार के बंटवारे के बाद वहां जो परिस्थिति पैदा हुई, हमारे सारे उद्योग-धंधे चल गए, खनिज सम्पदा चली गई, बिहार की सारी आमदनी समाप्त हो गई, हमें जो रिवैन्यू मिलता था, वह समाप्त हो गया और बिहार सिर्फ एग्रीकल्चर बेस्ड राज्य रह गया।

एनडीए की हुकुमत के समय इस सदन में बिहार के पुनर्गठन के बारे में जब बिल आया था, तब हमने उसका कड़ा विरोध किया था। उस समय माननीय प्रधान मंत्री ने कहा था कि हम बिहार को एक दरिद्र राष्ट्र नहीं बनने देंगे, ऐसा नहीं होगा कि एक राज्य अमीर हो जाए और दूसरा गरीब हो जाए। इसलिए बिहार को जो नुकसान हो रहा है, हम उसकी भरपाई करेंगे। मुझे अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री का वायदा कारगर साबित नहीं हुआ और बिहार को उसका हक और हिस्सा नहीं मिला। हम डा. मनमोहन सिंह जी और उनकी यूपीए सरकार

[श्री रघुनाथ झा]

को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने अपने साझा न्यूनतम कार्यक्रम में उस वायदे को स्वीकार किया और कहा कि हम बिहार को उसकी भरपाई करेंगे। वित्त मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। इस सरकार को 15 महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी तक बिहार को इस संबंध में कुछ भी नहीं मिला। हम कह रहे थे कि हमारे सारे उद्योग-धंधे चले गए, टैक्नीकल एजूकेशन चली गई। आज बिहार में एक भी आईआईटी की व्यवस्था नहीं है। हम मांग करते हैं कि वहां आईआईटी की व्यवस्था की जाए। वहां जो उद्योग-धंधे थे, देश की आजादी के बाद बिहार में 34 शुगर फैक्ट्रीज थीं, लेकिन आज आधा दर्जन शुगर फैक्ट्रीज ही चल रही हैं, बाकी सारी शुगर फैक्ट्रीज बंद हो गई। केन्द्र सरकार ने देश के दूसरे हिस्सों में शुगर फैक्ट्रीज लगाई जिनमें आपका राज्य भी महत्वपूर्ण रहा है, चाहे कोआपरेटिव सैक्टर में हो, निजी सैक्टर में हो या सरकारी सैक्टर में हो, लेकिन बिहार को इससे वंचित रखा गया।

बिहार प्रति वर्ष बाढ़ की तबाही से बर्बाद होता रहता है। इस देश की नदियों से नहीं बल्कि नेपाल से आने वाली नदियों से हमारा नुकसान होता है। हमारा सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो जाता है, सड़कें टूट जाती हैं, भवन गिर जाते हैं। बिहार में गत वर्ष की बाढ़ में नौ लाख गरीबों के मकान गिरे। प्रधान मंत्री जी ने दो लाख मकान बनाने के लिए सहायता दी, सात लाख मकान हम नहीं बना सके। हमें तीन हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, लेकिन केन्द्र सरकार से जो सहायता मिलनी चाहिए, वह नहीं मिली। हम वित्त मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आप नेपाल सरकार से कारगर ढंग से बात करें। नेपाल से निकलने वाली नदियों से हर साल हमारी बर्बादी हो रही है। *...(व्यवधान)* आप घंटी बजा रहे हैं। आपके यहां अभी ऐसा हुआ है तो आपको कितनी परेशानी हो रही है, लेकिन हम तो हर साल इस परेशानी को झेलते हैं, हर साल हमारी बर्बादी होती है और हर साल नुकसान का सामना करते हैं। बिहार में बाढ़ है, सुखाड़ है। हमारी दस लाख हेक्टेयर जमीन वाटर लॉगिंग में पड़ी हुई है। फरक्का से लेकर बक्सर तक हर साल दर्जनों गांव गंगा में विलीन हो जाते हैं, हजारों एकड़ जमीन, कट जाती है। उसके बचाव का हमारे पास कोई साधन नहीं है।

हमारे साथ एक और कठिनाई है। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तब व्यावसायिक बैंकिंग क्षेत्र का कई गुना विस्तार हमारे राज्य में भी हुआ। आप देखेंगे कि जहां 1990-91 में हमारे यहां जमा का अनुपात 40 प्रतिशत था, वह 2000-2003 में घटकर सिर्फ 32.2 प्रतिशत रह गया। इसका मतलब यह है कि हमारा पैसा दूसरी जगह चला जाता है। हम मांग करना चाहते हैं कि उत्तर बिहार के राष्ट्रीय राजमार्ग पर 900 किलोमीटर क्षेत्र को चार लेन करना चाहिए। इन्होंने बिहार के साथ यह शर्त लगा दी कि 40 परसेंट पैसा केन्द्र सरकार देगी और 60 परसेंट पैसा कोई इन्वेस्टर लगाये। अब बिहार के लोगों के पास खाने के लिए ही कुछ नहीं है तो वह पैसा कैसे लगायेगी? बिहार में ऐसा कोई पूंजीपति नहीं है जो 900 किलोमीटर क्षेत्र में पैसा लगाये। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आप समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा: हम खत्म कर रहे हैं। आप हमें बार-बार टोकेंगे तो हम गड़बड़ा जायेंगे। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप तो सबको गड़बड़ाने वाले हैं।

...(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा: मेरा आपसे निवेदन है कि बिहार के 900 किलोमीटर क्षेत्र में ऐसा कोई इन्वेस्टर नहीं है जो 60 परसेंट पैसा इसमें लगाये। भारत सरकार बिहार को जो पैकेज देने वाली है, उस पैकेज से आप हमें उसकी व्यवस्था करायें और 900 किलोमीटर क्षेत्र, जो चार लेन में बदलना है, उसे पूरा करायें। उसी तरह से हमारे यहां 1700 किलोमीटर एनएच की दूसरी सड़कें हैं जो टू लेन है। उसमें 100 किलोमीटर सड़कें बिल्कुल बर्बाद हो गयी हैं। ये सड़कें हमारे कारण बर्बाद न होकर नेपाल से आने वाली नदियों के कारण बर्बाद हुई हैं। हम आपसे आग्रह करेंगे कि इस सड़क को एनएच के स्पेसीफिकेशन के मुताबिक विशेष रूप से योजना बनवाकर पूरा करायें।

सभापति जी, मैं आपकी बात कह रहा हूं। स्वर्गीय राजीव गांधी जब देश के प्रधान मंत्री थे तब उन्होंने बिहार को विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी। इतने दिनों तक कुछ नहीं हुआ लेकिन यूपीए सरकार ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में घोषणा की है कि हम उसका पालन करेंगे। मेरा कहना है कि वह घोषणा ही न रहे बल्कि उसे पूरा कराया जाये। मैं दो-चार मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

बिजली के क्षेत्र में तय था कि मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन, कांटी-बरौनी में 500 मेगावाट की वृद्धि की जायेगी और अलग से संयंत्र लगाया जायेगा, लेकिन वह भी वित्त के अभाव में वैसे ही पड़ा हुआ है। पटना जिले के बाढ़ और औरंगाबाद जिले के नबी नगर में आपको थर्मल पावर स्टेशन बनाना था लेकिन वह भी वैसे ही पड़ा हुआ है। हमारे साथी प्रोफेसर साहब बोल रहे थे कि बिहार में सिर्फ 10 परसेंट ही विद्युतीकरण हो सका है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि उसके लिए विशेष व्यवस्था की जाये। इन लोगों ने गंडक, परियोजना के

आधुनिकीकरण हेतु 294 करोड़ रुपये स्वीकृत किये थे। उसके लिए योजना स्वीकार हो गयी लेकिन उसकी शुरूआत अभी तक नहीं हुई। जितने भी तटबंध हैं, चाहे वह कोसी, गंडक, बागमती या अदवारा समूह की नदियों के हो, वे सारे तटबंध जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। हम चाहते हैं कि उस पर विशेष ध्यान दिया जाये ओर जितने पैसे की स्वीकृति मिली है, वह पैसा तुरंत रिलीज किया जाये।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहां नहीं हैं। उनके एक वक्तव्य से भ्रम पैदा हुआ है। इसी सदन में तत्कालीन सरकार ने सात नये 'एम्स' खोलने की घोषणा की थी। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपको जनरल बजट के अलावा जो मांगना है, वह आप वित्त मंत्री जी से मांगिये।

...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: हमने आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से ही मांगा है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: स्वास्थ्य मंत्री आपकों क्या देंगे?

...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: वित्त मंत्री ने बयान दे दिया और जमीनें दे दी गयी। उपराष्ट्रपति जी ने शिलान्यास किया। स्वास्थ्य मंत्री द्वारा पुराने अस्पतालों को उत्प्रेरित करके नये एम्स के रूप में स्थापित करने का फैसला किया। केन्द्र सरकार ने देश के कई राज्यों में वे अस्पताल बनाये लेकिन बिहार को छोड़ दिया जो सबसे पिछड़ा राज्य है। हम मांग करना चाहते हैं कि पटना के इंदिरा गांधी आयुर्वेद संस्थान और मुजफ्फरपुर या दरभंगा, इन दोनों में से किसी एक को उत्क्रमित करके एम्स के रूप में पूरा किया जाये। हम निवेदन करना चाहते हैं कि बिहार की आबादी आठ करोड़ है। बिहार में एक भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। पटना विश्वविद्यालय, जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, उसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी जाये। बिहार के आठ जिले शुरू से ही उग्रवाद प्रभावित रहे हैं। नेपाल का बॉर्डर खुला रहने के कारण और नेपाल के माओवादियों के बढ़ते प्रभाव के कारण पूरे उत्तर बिहार का पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर आदि सारे के सारे जिले उग्रवाद प्रभावित जिले हो गये हैं। एक भी बॉर्डर रोड नहीं है। इनके यहां सारे नेपाल से तस्करी हो रही है, जाली नोट आ रहे हैं और बिहार में हथियार आ रहे हैं और सारी उग्रवादी घटनाएं हो रही हैं। हमारे साथी माननीय सदस्य श्री सीताराम सिंह जी यहां अभी नहीं है, उनके घर पर हमला हुआ, वहां बैंक लूटा गया, वहां ब्लॉक लूटा गया, थाना लूटा गया और अभी श्री राम विलास पासवान जी के भाई पर हमला हुआ। ये सारी घटनाएं हो रही हैं और बिहार एक एक बॉर्डर रोड पूरे 500 कि.मी. का नेपाल से सटा हुआ खुला है। कोई भी कुछ भी सामान लेकर जाए, कहीं कोई रोकने वाला और देखने वाला नहीं है। हम माननीय मंत्री जी से यही मांग करना चाहते हैं कि उग्रवाद से मजबूती से निपटने के लिए केन्द्र सरकार उस इलाके में मदद करें, पुलिस का आधुनिकीकरण किया जाए और उनको अच्छे-अच्छे हथियार दिये जाएं। पुलिस की जो 303 राइफल तथा एके-47 व एके-46 राइफल हैं, माननीय वित्त मंत्री जी, गत वर्ष बजट पेश करते हुए 170 पिछड़े जिलों को आगे बढ़ाने के लिए लगभग 5000 करोड़ रुपये का अनुदान देकर इसे बढ़ाने का फैसला किया जाए। उसमें 36 जिले बिहार के थे लेकिन अभी तक एक पैसा नहीं मिला है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि आप अगर चाहते हैं कि जो कोआपरेटिव है, श्रम विकास योजना है और फूड फॉर वर्क योजना है, माननीय वित्त मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि श्रम विकास योजना में 15-15 करोड़ रुपये आप एक-एक जिले को दे रहे हैं, फूड फॉर वर्क योजना में आप एक-एक जिले को 15-20 करोड़ रुपये दे रहे हैं लेकिन उसके कार्यान्वयन में किसी भी जनप्रतिनिधि की कोई भूमिका नहीं है। इसलिए उस काम को किया जाए और आपसे हम मांग करते हैं कि आर्थिक पैकेज बिहार को मिलना चाहिए। बाढ़, सुखाड़ से स्थायी समाधान करने के लिए कारगर कदम उठाए जाएं। देश भर के जिलों में बिहार के सभी जिलों को जोड़ें और जो शेष बचे हुए हैं, उन्हें भी पिछड़े जिले घोषित किया जाए। यही मांग करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, अनुपूरक मांगों के संबंध में व्यापक चर्चा करने के लिए मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं। मैं प्रथम वक्ता श्री कैलाश जोशी द्वारा पूछे गए प्रश्नों से शुरू करता हूं कि मैं अनुपूरक मांगे क्यों प्रस्तुत करना चाहता हूं।

प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया व्यय 28 फरवरी, 2005 के बाद की परिणति है। सामान्यतया, मैं बजट के प्रस्तुत किए जाने के बाद और अधिक व्यय की अनुमति देने के मामले में उदार नहीं हूं। इसलिए, यदि मुझे अनुपूरक मांगों की अनुमति मांगने हेतु राजी किया गया है तो यह पूर्णतया निश्चित है कि इसके लिए कोई ठोस कारण होगा।

राज्य सरकार को अतिरिक्त ऋण विदेशी सहायता के माध्यम से मिलता है। बारहवें वित्त आयोग ने सभी प्रकार की विदेशी

[श्री पी. चिदम्बरम]

सहायता की मध्यस्थता द्वारा स्वीकार न करने की सिफारिश की थी। यह प्रतिवेदन हमारे सामने आया था तो इस पर ध्यान से विचार किए जाने की आवश्यकता थी और राज्य सरकारों के विचारों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाना था। एक बार यह निर्णय ले लिया गया-और इस संबंध में अब, यह निर्णय लिया गया है कि ईएपी. ऋणों को बजट के माध्यम से दिया जाएगा और उसमें बिचौलियों की भूमिका की एक सीमा होगी-अब, 3,376 करोड़ रुपये और दिया जाना आवश्यक हो गया है।

जहां तक जम्मू और कश्मीर को अतिरिक्त अनुदान और कुछ कार्यक्रमों का संबंध है, जम्मू और कश्मीर निर्माण योजना को, अभी, अप्रैल, 2005 में अंतिम रूप दिया गया था। एनआईबीपी को अंतिम रूप राज्य सरकारों द्वारा योजनाओं को प्रस्तुत करने के बाद ही दिया जा सकता है। त्वरित विद्युत विकास के लिए अतिरिक्त व्यय को अंतिम रूप राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा दावे प्रस्तुत करने के बाद ही दिया जा सकता है। चूंकि यह 28 फरवरी, 2005 के बाद हुआ था इसलिए हम इसे मुख्य बजट में शायद शामिल नहीं कर सकते थे।

जहां तक ग्रामीण दूरसंचार के लिए 916 करोड़ रुपये का संबंध है, आपरेटरों को प्रतिपूर्ति करने हेतु अतिरिक्त निधियों के लिए अनुरोध फरवरी, 2005 के तीसरे सप्ताह में बजट अनुमानों को अंतिम रूप देने के बाद प्राप्त हुआ था। जहां तक डीएमआरसी के लिए 500 करोड़ रुपये का संबंध है-वास्तव में यह जापान से मिलने वाली सहायता है-निधियों का भुगतान डीएमआरसी द्वारा कार्यान्वयन के साथ-साथ किया जाता है। फास्ट ट्रैक न्यायालयों के लिए 100 करोड़ रुपये दिए गए हैं, क्योंकि हाल ही में आए उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद, यह मामला मंत्रिमंडल में आया था और निर्णय लिया गया था कि हम न्यायालयों द्वारा किन कार्यों के लिए अनुमति दी गई है उन के लिए ही वित्त पोषण करेंगे। अंतिम मद जो 'इंडियन एअरलाइन्स' की क्षतिपूर्ति हेतु 73 करोड़ रुपये है यह पुराना दावा उस समय का है जब 'इंडियन एअरलाइन्स' ने वायुदूत को अपने अधिकार में लिया था। दादे समय-समय पर निर्धारित किए गए थे। अंतिम निर्धारण बजट प्रस्तुत करने और लेखाओं के समेकन के बाद किया गया था, अब हमने 73 करोड़ रुपये दिए है। इसमें से प्रत्येक मद ऐसी मद हैं जिसके संबंध में इस बात के उचित कारण हैं कि हमें अनुपूरक मांगे क्यों लानी पड़ रही हैं और हम इन्हें मूल बजट में क्यों नहीं सम्मिलित कर सके।

अब मैं, माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए कुछ विशिष्ट मुद्दों की बात शुरू करूंगा। समय को ध्यान में रखते हुए मैं अत्यंत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। कभी-कभी मुझे आश्चर्य होता है कि भाजपा किस अर्थव्यवस्था की बात कर रही है। क्या वे वर्ष 2004-05 की या वर्ष 2005-06 की प्रथम तिमाही की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं? या वे किसी काल्पनिक अर्थव्यवस्था जो उनके दिमाग में है के बारे में बात कर रहे हैं? अर्थव्यवस्था ठीक चल रही है और हमें इसे खराब नहीं बनाना चाहिए। गत वर्ष मानसून में 13 प्रतिशत की कमी के बावजूद अर्थव्यवस्था में 6.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई और सभी उपलब्ध संकेतकों के अनुसार प्रथम तिमाही में हुई वृद्धि से पता चलता है कि इसके गत वर्ष की वार्षिक वृद्धि दर से बेहतर रहने की संभावना है। अप्रैल और मई में औद्योगिक वृद्धि गत वर्ष की इसी अवधि के आठ प्रतिशत की तुलना में 9.6 प्रतिशत थी। चालू वर्ष के पहले दो महीनों में उत्पादन में 10.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई और मेरा विश्वास है कि जून में भी यह स्थिति बेहतर थी। जून 2005 में छह अवसंरचनात्मक उद्योगों में गत जून के मात्र 2.4 प्रतिशत के मुकाबले 10.2 प्रतिशत वृद्धि हुई।

मुद्रा स्फीति दो वर्षों में इस समय सबसे कम 4.07 प्रतिशत है। अप्रैल-जून, 2005 में निर्यात में 19.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जुलाई के अंत तक विदेशी मुद्रा भण्डार ऐतिहासिक ऊंचाई 140 बिलियन अमेरिकी डालर तक पहुंच गया। सभी संकेतक सकारात्मक हैं। नकारात्मकता हमारी सोच में है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इस नकारात्मक दृष्टिकोण का त्याग करें और हमें चाहिए कि हम किसानों को बधाई दे, हमें चाहिए कि हम अपने औद्योगिक कामगारों को बधाई दें हमें अपने सेवा प्रदाताओं को बधाई देनी चाहिए, हमें अपने उद्यमियों को बधाई देनी चाहिए, हमें जीवन के किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाले अपने उन युवा पुरुषों और स्त्रियों को बधाई देनी चाहिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के कार्य में संलग्न हैं।

राजस्व वसूली के बारे में कुछ टिप्पणियां की गई थी। हमारे पास आयकर, निगम कर और सीमा-शुल्क से संबंधित जुलाई का आंकड़ा है। हमारे पास जून तक का उत्पाद शुल्क का आंकड़ा है इन सभी क्षेत्रों में वृद्धि देखी जा रही है। राजस्व का कुल योग जून के अंत तक गत वर्ष से 21.2 प्रतिशत अधिक है।

सार्वभौम स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना सार्वभौम स्वास्थ्य बीमा योजना एक मात्र राज सहायता प्राप्त सार्वभौम स्वास्थ्य बीमा योजना (यूएचआईएस) है। जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, यह योजना एक व्यक्ति के लिए 200 रुपये, पांच सदस्यों वाले परिवार के लिए 300 रुपये और सात सदस्यों वाले परिवार के लिए 700 रुपये की राज सहायता में वृद्धि के साथ फिर से तैयार की गई है। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों पर लागू होती है। वर्ष 2004-05 में 65718 परिवारों के लिए 52,772 पालिसियां जारी की गई हैं। इस वर्ष प्रथम तिमाही के आंकड़ों को

ध्यान में रखते हुए हमें गत वर्ष की तुलना में और बेहतर कार्य करना चाहिए।

कुछ प्रश्न ट्रैक्टरों के मंहगे होने के बारे में पूछे गए थे। मेरे पास ट्रैक्टरों के विनिर्माताओं और उनके मूल्य की एक सूची है। ट्रैक्टर का विनिर्माण करने वाली नौ कंपनियां है। मेरे पास वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2003-04 तक के मूल्य की जानकारी हैं। देखने से मुझे यह पता चलता है कि मूल्य कमोवेश स्थिर रहे है; वर्ष 1999-2000 के मूल्यों की तुलना में यह परिवर्तन या तो दो प्रतिशत धनात्मक है या दो प्रतिशत ऋणात्मक। अत: ट्रैक्टर के मूल्य गत पांच वर्षों के दौरान न्यूनाधिक रूप से स्थिर है। मुझे नहीं पता कि माननीय सदस्य को यह सूचना कहां से मिली कि ट्रैक्टर के मूल्यों में अचानक वृद्धि हुई है। यदि कोई विशेष मामला मेरे ध्यान में लाया आता है तो निश्चय ही, हम उस पर ध्यान देंगे।

एक प्रश्न पूछा गया कि भारत निर्माण के लिए वित्तपोषण कैसे किया जाएगा। मुझे याद है कि पहले किसी अवसर पर मैंने इस बात को स्पष्ट किया है कि भारत निर्माण के लिए वित्तपोषण कैसे किया जाएगा। मैं चालू वर्ष और अगले वर्ष के लिए वित्त पोषण के बारे में बताता हूं। जब हम ग्यारहवीं योजना के बारे में विचार करेंगे उस समय हमारे पास इस मामले पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय होगा और हम ग्यारहवीं योजना के वित्त पोषण पर ध्यान देंगे। चालू वर्ष में भारत निर्माण के छह शीर्षों के लिए आवंटन 16659 करोड़ रुपये है। इसके लिए 3,418 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तपोषण की आवश्यकता है। 3,418 रुपये की व्यवस्था करना थोड़ा कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। मैंने पहले ही प्रधान मंत्री से वादा किया है। मैंने संबंधित मंत्रालयों से वादा किया है कि चालू वर्ष के लिए पहले से ही दिए गए 16,659 करोड़ रुपये के अतिरिक्त मैं 3,418 करोड़ रुपये की व्यवस्था करूंगा। अत: इस वर्ष 'भारत निर्माण' के लिए पूर्ण रूप से वित्त पोषण किया जाएगा।

अगले वर्ष यदि आप 16,659 करोड़ रुपये से शुरू करें तो आपको इसके अलावा 10242 करोड़ रुपये अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी। लेकिन, यदि हम इस वर्ष 3,418 करोड़ रुपये अतिरिक्त की व्यवस्था करने में सफल हुए तो मूल राशि जिससे आप कार्य शुरू करेंगे वह लगभग 20,000 करोड़ रुपये होगी। बजटीय राजस्व और बजटीय व्यय में मामूली वृद्धि के रूप में 20,000 करोड़ रुपये की अनुमति के संबंध में, मुझे विश्वास है कि अगले वर्ष में भी, हम भारत निर्माण के लिए अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था कर लेंगे। हम ग्यारहवीं योजना के संबंध में चर्चा उपयुक्त अवसर पर करेंगे।

महोदय, एक प्रश्न चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के बारे में पूछा गया था। इसका सीधा संबंध मेरे मंत्रालय से नहीं है लेकिन इसके बारे में सूचना देने में मुझे खुशी होगी। इस संस्थान के लिए वित्त पोषण भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार एक निश्चित अनुपात में करती हैं। एक राष्ट्रीय बीमारी सहायता कोष है और इस संस्थान के निदेशक को 10 लाख रुपये की चक्रीय निधि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की श्रेणी को चिकित्सकीय खर्च के रूप में 50,000 रुपये तक मंजूर करने के लिए दी गई हैं। ऐसा लगता है कि निदेशक ने 10 लाख रुपये की निधि खर्च कर दी है। उन्होंने मंत्रालय से और निधियां मांगी है जो उन्हें दी जा रही हैं।

सायं 7.51 बजे

[श्री पवन कुमार बंसल *पीठासीन हुए*]

अत: यह कहना ठीक नहीं होगा कि गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले किसी भी व्यक्ति को नि:शुल्क चिकित्सा नहीं मिल सकती है। यदि वह इसके योग्य है तो उसे नि:शुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराना और इस कोष से धन का उपयोग करने का विवेकाधिकार निदेशक के पास होता है।

महोदय, आशानुरूप, ये प्रश्न बिहार और उत्तर प्रदेश से संबंधित थे और उन्हें कितनी राशि दी जा रही है। मुझे मालूम नहीं कि बिहार को धनराशि के बारे शिकायत क्यों होती है। 1 अगस्त, 2005 के अनुसार बिहार का नकद शेष 3482 करोड़ रुपए है। मैंने यह कहा कि अब मैंने बिहार का बजट पेश किया तो उस समय धन था। उन्हें उस धन को खर्च करना चाहिए। एक या दो माननीय सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया कि प्रथम तिमाही में लगभग पांच प्रतिशत राशि ही व्यय की गई। मैं तो बिहार प्रशासन को यह परामर्श देना चाहूंगा कि वे व्यय करने की गति में तेजी लाएं। व्यय करने के लिए बिहार के पास पर्याप्त धन है। 12वां वित्त आयोग विभिन्न शीर्षों के अधीन बिहार पर बहुत ही मेहरबान रहा है। बिहार को केन्द्रीय कर गैर-योजना राजस्व घाटे के रूप में स्वास्थ्य क्षेत्र शिक्षा और अन्य कई शीर्षों के अधीन बहुत बड़ी रकम दी जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि धन कोई बाधा है। वास्तव में यदि कोई बाधा है तो वह केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा तैयार किए कार्यक्रमों पर उस धन को व्यय करने की अक्षमता। मैं बिहार से ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से भी अनुरोध करता हूं कि विभिन्न शीर्षों के तहत उनके पास उपलब्ध धन का व्यय करें। बिहार के पास पर्याप्त धन है। मेरा मानना है कि 12वें वित्त आयोग द्वारा बिहार पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। यह उन गिने-चुने राज्यों में से एक है जिन्हें स्वास्थ्य और शिक्षा शीर्ष के तहत सामान्य सहायता के अतिरिक्त विशेष अनुदान दिया गया है। अत: बिहार को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और उपलब्ध धन का उपयोग करना चाहिए।

[श्री पी. चिदम्बरम]

महोदय, अंतिम प्रश्न राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से संबंधित है। मन में हौवा पैदा करना एक बात है और उस पर विश्वास करना अलग बात है। मेरे प्रिय मित्र, स्वाई हौवा पर अधिक विश्वास करते हैं जिसे सृजित किया जाता है। मैं यह बार-बार कहता रहा हूं कि स्वर्णिम चतुर्भुज एक अच्छा कार्यक्रम है और इसे बंद करने या इसके निर्माण की गति को धीमा करने की इस सरकार की कोई मंशा नहीं है। वस्तुत: मैंने यह कहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गति को हम तीव्र करेंगे। लेकिन मैं यह नहीं मानता कि हमें इसे हौवा बना देना चाहिए या उस हौवे पर विश्वास करना चाहिए। मई, 2004 में जब यह सरकार सत्ता में आई तो उस समय स्वर्णिम चतुर्भुज का 48 प्रतिशत कार्य ही पूरा हो पाया था और 52 प्रतिशत कार्य अधूरा पड़ा हुआ था।

यह तथ्य है, आलोचना नहीं। यह तथ्यों का सामान्य विवरण है और आप से अनुरोध है कि इसे तथ्यों का विवरण मात्र ही समझे।

लक्ष्य प्राप्त करने की वास्तविक तिथि के बारे कुछ भी निश्चित तौर पर ज्ञात नहीं था यह तिथि या तो दिसम्बर, 2003 थी या दिसम्बर, 2004 थी। वह तिथि चाहे जो भी हो, पूर्ववर्ती सरकार ने इसे पूरा करने की तिथि को दिसम्बर, 2005 तक बढ़ाकर ठीक ही किया था। यह सरकार जब सत्ता में आई तो उस समय तक स्वर्णिम चतुर्भुज का 48 प्रतिशत कार्य, जो एन.एच.डी.पी-I के रूप में जाना जाता है, पूरा हो चुका था। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि इस कार्य को दिसम्बर, 2005 या दिसम्बर, 2004 तक किसी भी तरह से पूरा नहीं किया जा सकता था। इसीलिए हमने माहवार लक्ष्य निर्धारित किया है। हम इसे इस माहवार लक्ष्य के अनुसार पुरा करेंगे। योजना आयोग, मेरा मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय एन.एच.डी.पी-I के तहत माहवार लक्ष्यों पर निगरानी रखते हैं। जून, 2005 और मार्च, 2007 के बीच हम लोग एन.एच.डी.पी.-I के तहत प्रत्येक माह लक्षित कुछ किलोमीटर सड़क बनाएंगे।

मैं प्रसन्न हूं कि मेरे विद्वान मित्र, श्री टी.आर. बालू अभी यहां उपस्थित हैं। यदि मुझे यह मालूम होता कि वे आ रहे हैं तो मैं इस समस्या को उठाता ही नहीं। एन.एच.डी.पी.-II पर कुछ भी नहीं किया गया था। एन.एच.डी.पी.-II के तहत लक्ष्य अब निर्धारित किए जा रहे हैं। इसके तहत बहुत कम काम किया गया। पुन: हमने एन.एच.डी.पी.-II के लिए माहवार लक्ष्य निर्धारित किए हैं। हमने 9576 किलोमीटर की एन.एच.डी.पी.-III की शुरूआत की है। पुन: माहवार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इस प्रकार निर्धारित प्रत्येक माह के लक्ष्य की प्राप्ति पर मंत्रालय, योजना आयोग और प्रधान मंत्री कार्यालय निगरानी रखेंगे। अत: इस बारे में कोई आशंका या संशय नहीं होना चाहिए कि हम लोग किसी कार्यक्रम को बंद या उसके कार्यान्वयन की गति को धीमी कर रहे हैं। वस्तुत: तीखी नोक-झोक में उलझे बगैर मैं यह बताना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के शुरू होने के बाद संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान प्रतिदिन बनी सड़कों की लम्बाई पूर्ववर्ती सरकार के दौरान प्रतिदिन बनी सड़कों की लम्बाई से अधिक है। लेकिन मैं शाम के आठ बजे कोई कटु वाद-विवाद शुरू करना नहीं चाहता हूं। महोदय, मेरा मानना है कि मैं अधिकतर प्रश्नों का उत्तर दे चुका हूं ...*(व्यवधान)*

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इडुक्की): महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने पी.यू.आर.ए. योजना के बारे में कुछ नहीं कहा है ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: बताइए तो सही कि आप किस मुद्दे पर मेरा उत्तर चाहते हैं-बॉम्बे या कायेला रॉयल्टी। ...*(व्यवधान)*

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करने संबंधी योजना पीयूआरए पर जरा भी चर्चा नहीं हुई। नगरपालिकाओं से लगे हुए पंचायतों को परियोजनाएं तैयार करने के लिए कहा गया था लेकिन इस बजट में केवल 10 करोड़ रुपए का ही प्रावधान किया गया है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

सभापति महोदय: अभी माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं। आप कृपया व्यवधान न डालिए।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, जहां तक बजट और अनुपूरक मांगों का संबंध है हम तभी धन उपलब्ध करा सकते हैं जब परियोजनाएं मंत्रीमंडल या आर्थिक मामलों संबंधी मंत्री मंडलीय समिति या योजना आयोग द्वारा अनुमोदित हो। धन उन परियोजनाओं के लिए नहीं दिया जाता है जिन्हें तैयार किया जा रहा है। स्पष्ट रूप से यह सरकार काम करने वाली सरकार है। यह हर रोज काम करती है। यह प्रत्येक दिन परियोजनाएं तैयार करती है। ठोस परियोजनाएं प्रस्तुत किए जाने पर ही हम धन उपलब्ध करा सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया व्यवधान न डाले।

...*(व्यवधान)*

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: लेकिन यह पहले ही भेजा जा चुका है ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: इस पर उपयुक्त मंत्रालय द्वारा विचार किया जाएगा और उसके बाद यह योजना आयोग के माध्यम से आएगी। इसका अनुमोदन किया जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि परियोजना के भेजने के साथ ही उसके लिए तुरंत धन उपलब्ध करा दिया जाता है। इसे अनुमोदन प्रक्रिया से गुजरना होगा। क्या ऐसा नहीं होता है।

महोदय, जहां तक कोयला रॉयल्टी का संबंध है, यह मुद्दा कई सरकारों द्वारा उठाया गया है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा रॉयल्टी कम कर दी गई थी। इसका कारण यह था कि कुछ राज्यों से संबंधित विवाद उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन थे। यदि मैं गलत नहीं हूं तो जनवरी, 2005 के निर्णय के द्वारा उनमें से एक विवाद का निपटान कर लिया गया था। यह मुद्दा व्यापक नीति संबंधी दस्तावेज का मांग है जो सरकार के पास विचाराधीन है। जब उस नीति संबंधी दस्तावेज पर चर्चा होगी तो मुझे विश्वास है कि मंत्रालय कोयला रॉयल्टी के मुद्दे पर अवश्य ध्यान देगा।

मैं अपने प्रिय और वरिष्ठ मित्र, श्री पाटील का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने सहकारिता ऋण से संबंधित मुद्दा उठाया। मैं पहले ही यह कह चुका हूं कि अल्पकालिक ऋण संबंधी वैद्यनाथन समिति का प्रतिवेदन सभी मुख्यमंत्रियों को परिचालित कर दिया गया है।

रात्रि 8.00 बजे

राष्ट्रीय विकास परिषद ने वैद्यनाथन समिति की रिपोर्ट, जिसे मैं रिपोर्ट का पहला भाग कहूंगा, पर मुख्य मंत्रियों की एक विशेष बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। दीर्घकालिक ऋण संबंधी मुद्दे को पुन: वैद्यनाथन समिति को भेज दिया गया है। रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। मैं, अल्पकालिक ऋण के मुद्दे पर संभवत: अगस्त में या सितम्बर की शुरूआत में मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाना चाहता हूं और इस संबंध में निर्णय वैद्यनाथन समिति के रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा।

मुम्बई के संबंध में मुझे ऐसा नहीं लगता है कि किसी भी तरह की आशंका होनी चाहिए। वस्तुत: इस संदर्भ में हवाले दिए गये थे। किसी ने भी ऐसा सुझाव नहीं दिया था कि मुम्बई को महाराष्ट्र से अलग किया जाए। यह निहायत ही घटिया सोच है और कोई भी व्यक्ति इतना मूर्ख नहीं है कि ऐसी सोच को अभिव्यक्त करे। कृपया जो कहा गया है उसे समझिए। हम लोग समझदार लोग हैं। हमें सोचना चाहिए। ये सारी बातें विभिन्न लोगों द्वारा अलग-अलग समय पर कही गई है क्योंकि यह स्वतंत्र देश है और यहां के लोगों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप किसी को सोचने से नहीं रोक सकते हैं। जो कुछ कहा गया है वह यह है कि मुम्बई पर जो कहर बरपा है उसे कृपया देखिए। मुम्बई के लिए अलग प्रशासनिक तंत्र पर सोचने के लिए शायद यही उचित समय है; वह प्रशासनिक तंत्र ऐसा हो जिसमें प्राधिकारी के बारे में स्पष्ट रूप से वर्णन हो, वह और अधिक कारगार हो। कोई भी यह नहीं कह रहा है कि मुम्बई को महाराष्ट्र से अलग किया जाएगा। मुम्बई, महाराष्ट्र की राजधानी के रूप में, मुम्बई, भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में, क्या हम कम से कम इस बात पर विचार करने पर सहमत नहीं हो रहें हैं कि मुम्बई के प्रशासन को कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है। इसमें बुराई क्या है? कुछ लोगों ने लंदन मॉडल का सुझाव दिया है। कुछ लोगों ने न्यूयार्क मॉडल का सुझाव दिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि न्यूयार्क शहर को न्यूयार्क राज्य से अलग कर दिया गया है। इसका यह अर्थ नहीं है कि लंदन को यूनाइटेड किंगडम से अलग कर दिया गया है। यह सुझाव कोई नहीं दे रहा है कि मुम्बई को महाराष्ट्र से अलग कर दिया जाना चाहिए। हमें अब अपने आप से यह प्रश्न अवश्य पूछना चाहिए कि क्या हमारे यहां सही मॉडल है या हम एक उन्नत मॉडल बना सकते हैं। अत:, अब इस व्यर्थ वाद-विवाद को समाप्त किया जाना चाहिए कि मुम्बई को महाराष्ट्र से अलग कर दिया जाएगा। आप मुम्बई को महाराष्ट्र से बाहर नहीं ले जा सकते और न ही आप मेरे मित्रों को मुम्बई से बाहर भेज सकते हैं।

मुम्बई में आई बाढ़ के संबंध में, पैसा बाधक नहीं बनेगा। जितनी जल्दी महाराष्ट्र सरकार उचित राहत और पुनर्वास योजनाओं के साथ अनुरोध करेगी पैसा उपलब्ध कराया जाएगा। जहां तक हमारी सरकार का संबंध है, हम भारत के किसी भी भू-भाग को सहायता प्रदान करते हैं जो किसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होता है। पैसा बाधक नहीं बनेगा। मैं आशा करता हूं कि मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री शैलेन्द्र कुमार को छोड़कर कोई भी नहीं बोलेंगे। श्री शैलेन्द्र कुमार जी अपना प्रश्न दो शब्दों में पूछें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आपके प्वाइंट्स मिनिस्टर साहब ने कवर कर दिए हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: स्वाई जी, आप अपनी सीट पर भी नहीं हैं। आप यहां से रेज नहीं कर पाएंगे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: शैलेन्द्र जी, आप अपनी बात दो शब्दों में कहें।

श्री शैलेन्द्र कुमार: सभापति महोदय, आपने प्रश्न पूछने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे सम्मानित सदस्य श्री रवि प्रकाश वर्मा ने इस चर्चा में भाग लिया।

सभापति महोदय: उनको रैफर करके अपनी बात न कहें।

श्री शैलेन्द्र कुमार: उत्तर प्रदेश सरकार और हम लोग लगभग दो वर्षों से यह मांग कर रहे हैं कि 18230 करोड़ रुपए का स्पैशल पैकेज दिया जाए ताकि तमाम अधूरी परियोजनाएं पूरी हो सकें। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह प्वाइंट सप्लीमेंटरी डिमांड्स से ताल्लूक नहीं रखता है। पहले बात हो चुकी है।

[अनुवाद]

अब मैं वर्ष 2005-06 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों, सामान्य को मतदान के लिए रखता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): मैं वित्त मंत्री जी से विनती करना चाहता हूं, वह यहां बैठे हैं। मुम्बई में 15 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मुम्बई से केन्द्र सरकार को 57 हजार करोड़ रुपए राजस्व के रूप में मिलते हैं। केन्द्र सरकार हमें कितना पैसा दे रही है? केन्द्र सरकार को सहायता के तौर पर जल्दी से जल्दी 1200 करोड़ रुपए देने चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं मांगों को मतदान के लिए रखता हूं। आपको सहयोग करना पड़ेगा।

...(व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): महोदय, वह बेकार में शोर क्यों मचा रहे हैं? माननीय मंत्री जी द्वारा उत्तर पहले ही दे दिया गया है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री से विनती कर रहा हूं। वह मुम्बई के लिए कुछ घोषणा करें। अभी वहां की हालत बहुत खराब है। मुम्बई का 15 हजार करोड़ रुपए का और महाराष्ट्र का 25 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। क्या वह जल्दी से जल्दी इनफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा देंगे? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मोहन रावले जी, आप यह बात दो शब्दों में भी कह सकते हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आपकी बात हो गई है। आपकी बात रिकॉर्ड में आ गई है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप इसे निश्चित नहीं मान सकते। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इससे हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय: मोहन रावले जी, आपकी बात सुन ली गई है। साढ़े पांच-छः घंटे डिस्कशन हो गई है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय: रावले जी, मैं आपसे दरखास्त करता हूं आप ऐसे मत कीजिए। इस पर लंबी डिस्कशन हो गई है। स्वैन जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। श्री स्वाईं, कृपया शुरू करें; अन्यथा, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों को अब सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: अब मैं वर्ष 2005-2006 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों को सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं:

मांग संख्या 1, 3, 9, 12, 13, 15, 19, 30, 32, 34, 36, 39, 42, 47 से 50, 52, 53, 55 से 57, 59, 61, 63, 65, 70, 71, 73, 79, 83, 85 से 88, 92, 99, 100 और 105."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब मैं वर्ष 2002-2003 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए:

मांग संख्या 13, 30 और 80."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 8.07 बजे

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2005-06 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने को अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है

"कि वित्तीय वर्ष 2005-06 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

सभापति महोदय: अब मंत्री जी विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 2005-06 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2005-06 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 8.8.2005 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 8.10 बजे

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा अब मद संख्या-19 पर विचार करेगी।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गयी हैं; उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गई है, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 8.8.2005 में प्रकाशित।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गई है उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गई हैं उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: सभा अब इस विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गये

अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड-1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः सभा अब विशेष उल्लेखों के मामले पर विचार करेगी।

[हिन्दी]

श्री राजाराम पाल (बिल्हौर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि पूरे देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) में प्रवेश के लिए प्रत्येक वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन दिल्ली, मुम्बई, कानपुर, खड़गपुर, गुवाहाटी, बनारस में स्थित संस्थानों के लिये करता है। इसमें अनुसूचित जाति के लिये 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिये 7.5 प्रतिशत सीट आरक्षित हैं। लेकिन सदन को यह जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ष 2004 में इन संस्थानों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित स्थानों को अभी तक नहीं भरा गया है। वर्ष 2004 में सामान्य श्रेणी से 4521 सीटों पर अनुसूचित जाति के 340 छात्र तथा अनुसूचित जनजाति के 58 छात्र और हैंडीकैप्ड 6 छात्रों को प्रवेश दिया गया जब कि इन संस्थानों में कुल सीटों की संख्या 4935 है।

सभापति महोदयः आप को ब्रीफ में कहना है।

श्री राजाराम पालः सभापति जी, जो औसतन सामान्य छात्रों के लिये 3674 सीट हैं, वहीं अनुसूचित जाति के लिये 741, अनुसूचित जनजाति के लिये 371 और हैंडीकैप्ड के लिये 149 सीटें आरक्षण के तहत निर्धारित हैं। इस तरह अनुसूचित जाति के 741 स्थान के बदले 340, अनुसूचित जनजाति के 371 स्थानों के बदले 58 सीटों पर छात्रों को प्रवेश दिया गया है। अनुसूचित जाति के 15 प्रतिशत आरक्षित स्थान में से 7 प्रतिशत जगहें, अनुसूचित जनजाति के लिये 7.5 प्रतिशत जगहों में से 1.3 प्रतिशत जगहों के आरक्षण का पालन किया गया है। यह दलितों के उत्पीड़न का मामला है और इन लोगों को प्रवेश प्रक्रिया में भेदभाव किया जा रहा है। अगर भारत सरकार का रवैया ऐसा रहा तो दलित समाज कभी भी ऊपर नहीं उठ पायेगा। दलितों के लिये चुनाव में नारा देकर पार्टियां सत्ता हासिल करना चाहती हैं लेकिन दलितों को उनका हक नहीं देना चाहती है।

सभापति महोदयः राजाराम जी, यहां लिखकर नहीं पढ़ा जाता, केवल ब्रीफ में अपनी बात कहनी होती है।

श्री राजाराम पालः मैं अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ओर से इस सम्पूर्ण मामले की जांच की मांग करता हूं। इसमें भारत सरकार हस्तक्षेप करे और पूरे देश में जो (आई.टी.आई.) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में अनुसूचित जाति और जनजाति का कोटा नहीं भरा गया है और मेडिकल में जो भेदभाव बरता जा रहा है, उनका कोटा नहीं भरा जाता है, उसकी जांच करें। यही नहीं कक्षा एक से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में आज अनुसूचित जाति और जनजाति का कोटा नहीं भरा जा रहा है।

सभापति महोदयः प्लीज कंक्लूड कीजिए। श्री शैलेन्द्र कुमार जी, आप बोलिये।

श्री राजाराम पालः अतः मैं आपके माध्यम से यू.पी.ए. की सरकार से मांग करता हूं कि 57 साल की आजादी के बाद भी यदि आज भी "नॉट सूटेबल, नॉट अवेलेबल" की बात की जाती है तो मैं यह कहूंगा कि आरक्षण का जो लाभ अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोगों को मिलना था, उसका संविधान के भीतर कतई पालन नहीं किया जा रहा है। अतः मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों का आरक्षण का कोटा पूरा किया जाए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आप कंक्लूड कीजिए। राजाराम जी, अब आप रूक जाइये, इसके बाद आपकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जायेगी। आप रिपीट कर रहे हैं। शैलेन्द्र जी, आप शुरू कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः इसकी सीमा है। इसे रिकार्ड में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदयः राजाराम जी, आपकी बात रिकार्ड पर आ गई है। इससे पहले कि मैं और माननीय सदस्यों को बुलाऊं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जीरो ऑवर में मैटर पढ़ना नहीं है, बल्कि ब्रीफ में कुछ शब्दों में अपनी बात कहनी है।

श्री राजाराम पालः यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः ठीक है।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): सभापति महोदय, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का मौका दिया, इसके लिए में आपका बहुत आभारी हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र कौशाम्बी नवसृजित जनपद है। उसमें नेशनल हाईवे है। मुगलसराय से दिल्ली वाली मेन रेलवे लाइन भी है। इसके एक तरफ गंगा और दूसरी तरफ यमुना दोनों नदियां बहती हैं। धार्मिक और ऐतिहासिक तौर पर कौशाम्बी का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान बुद्ध ने नौ वर्ष वहां प्रवास किया था। पूरे देश में बहुत दूर-दूर से तथा चीन, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया इत्यादि तमाम देशों से पर्यटक वहां दर्शन करने के लिए आते हैं। वहीं पर एक अलवारा झील भी है, जो 400 हैक्टेयर एरिया में फैली है। वहां तमाम तरह के विदेशी पक्षी भी आते हैं। वहां से संबंधित एक प्रस्तावित योजना प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार के पास भेजी है। यह 136 लाख रुपये की योजना है। इसी कौशाम्बी में राजा उदयन की राजधानी है, वहां शीतला

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

मां कड़ा का धार्मिक और ऐतिहासिक मंदिर है, वहां संदीपन घाट है, जिसका योगीराज कृष्ण जी के कारण ऐतिहासिक महत्व है। वहां कुरई घाट है, जहां श्रृंगवेरपुर जगह है। यहां भगवान राम ने केवट के माध्यम नदी को पार किया था।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि वहां क्षेत्रीय पर्यटन का एक ऑफिस खोला जाए। वहां मनौरी, भरवारी, सिराथू और खगा स्टेशन है। यहां विदेशों से लोग जाते हैं। लेकिन इन स्टेशनों पर एक्सप्रेस ट्रेनें नहीं रूकती है। मेरा निवेदन है कि इन स्टेशनों पर एक्सप्रेस ट्रेनें रोकी जाएं, ताकि देशी तथा विदेशी पर्यटक वहां आकर दर्शन कर सके।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि इसके बगल में बग्हरौली एयरपोर्ट है। संसदीय कार्य मंत्री यहां मौजूद हैं। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि एयर इंडिया और एयरलाइंस के अलावा तमाम एयरलाइंस की फ्लाइट्स वहां जाए, ताकि जो विदेशी पर्यटक वहां आते हैं, उन्हें फ्लाइट की सुविधा मिल सके। आखिरी वाक्य कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि कौशाम्बी को केन्द्रीय पर्यटक स्थल घोषित करते हुए वहां पर्यटकों के लिए जो भी सुविधाए मुहैया हो सकें, जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराई जाएं। धनयवाद।

श्री चन्द्र शेखर दूबे (धनबाद): सभापति महोदय, मैं कोल इंडिया से संबंधित कुछ बातें सदन में रखना चाहता हूं। कोल इंडिया की करीब-करीब सभी अनुषंगी ईकाईयों में व्याप्त भ्रष्टाचार का कोई ठिकाना नहीं है।

इससे पूरा कोयलांचल त्रस्त है। मैं दो-तीन पॉइंट्स पर आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर आउटसोर्सिंग हो रही है। हर कंपनी में जो आउटसोर्सिंग हो रही है, उससे सीधे ठेकेदारी प्रथा द्वारा काम हो रहा है। हम लोगों की नेत्री इंदिरा जी ने जो राष्ट्रीयकरण किया था, उस सपने को चकनाचूर किया जा रहा है और अवैध रूप से ठेकेदारी प्रथा कोयलांचल में चल रही है। कई कंपनियों के उदाहरण इस समय मेरे समक्ष हैं।

माननीय सभापति जी, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज ई-ऑक्शन प्रणाली द्वारा कोयले की बिक्री हो रही है। इस ई-ऑक्शन प्रणाली में बहुत भ्रष्टाचार है। जो ट्रेन से कोयला सप्लाई होता है, वह करीब 85 प्रतिशत होता है जिनको 1100 रुपये प्रति टन के हिसाब से रैक कंपनी को पेमेंट की जाती है, लेकिन वहीं पर 10-15 प्रतिशत जो बच जाता है, जिनकी ट्रक से सप्लाई होती है, उनको 3800 से 3900 रुपये प्रति टन तक देना पड़ता है। इससे हमारे क्षेत्र में खासकर झारखंड में छोटे-छोटे उद्योग बंद होने के कगार पर हैं। एक भी उद्योग वहां पर नहीं चल पा रहा है। ई-ऑक्शन प्रणाली से बिक्री होने के कारण छोटे उद्योगों को कोयला नहीं मिल पा रहा है।

माननीय सभापति जी, अभी हाल ही में कोयला विभाग के अधिकारियों ने 40 कोल ब्लॉक्स बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को दिये थे जिनमें करीब 90 प्रतिशत उन लोगों को कोल ब्लॉक्स मिले हैं, जिनके पास कोई उद्योग और कारखानें नहीं हैं, बाजार में माल बेचकर वे लोग सिर्फ दो नंबर का काम करते हैं। जिनके पास कारखानें हैं, उन लोगों को कोयला नहीं दिया जाता है। यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप अपनी बात समाप्त कीजिये। आप जो कहना चाहते हैं, वह बात इसमें आ गई है।

श्री चन्द्र शेखर दूबे: मैं कहना चाहता हूं कि स्पंज आइरन और अन्य उद्योगों के विस्तार की 142 फाइलें कोयला सचिव की टेबल पर पड़ी हुई हैं। उनमें जो सही हैं, उनकी फाइल भी दबी पड़ी है और जो गलत हैं, उनकी फाइल भी दबी पड़ी है। यानी एक चोर और एक ईसान दोनों को एक सूत्र में बांधकर कोयला विभाग चल रहा है। मैं इस तरह की धांधली की सीबीआई द्वारा जांच कराए जाने की मांग करता हूं। इससे राष्ट्र को बहुत क्षति हो रही है। इससे ज्यादा न कहते हुए मैं पुन: आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इसकी जांच सीबीआई द्वारा कराई जाए।

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): माननीय सभापति जी, हमारे देश के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में पर्यटन की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं। मध्य प्रदेश में खजुराहो, पंचमढ़ी, मांडू, भीमबेदका, भीमढ़ी का भोजपुर का मंदिर दर्शनीय स्थल हैं। इसके साथ-साथ भेड़ाघाटा का जलप्रपात, कान्हा किसली का अभयारण्य, चित्रकूट दर्शनीय स्थल हैं। सिंधौरगढ़ का किला गोंडवाना साम्राज्य की रानी दुर्गावती के कारण जाना जाता है। रामगढ़ का किला रानी अवंतीबाई के कारण जाना जाता है। इन वीरांगनाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त राहतगढ़, मदनमहल और रायसेन मध्य प्रदेश के ऐसे प्राचीन दुर्ग हैं जो ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से जाने जाते हैं। महाराष्ट्र में शिवनेरी का दुर्ग जहां छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था, रायगढ़ का किला जहां छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था ओर सिंधुगढ़ दुर्ग जो समुद्र के किनारे बना हुआ था, विदेशी आक्रमणकारियों से देश की रक्षा करने के लिए उसका निर्माण किया गया था।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये स्थान ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके साथ-साथ राजस्थान में चित्तौड़गढ़, जैसलमेर का किला, उदयपुर, जयपुर और पुष्कर धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थल हैं। हमारे देश के इन धार्मिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को विकसित करके पर्यटन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई जा सकती है, जैसे आस्ट्रेलिया और मलेशिया आज पर्यटक देशों के रूप में जाने जाते हैं।

हमारे देश के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान आदि राज्यों के इन स्थलों को विकसित करके और इन राज्यों की पर्यटन केन्द्र

के रूप में पहचान बनाई जाए, जिससे सारी दुनिया हमारे देश के प्राचीन अध्यात्म, संस्कृति, इतिहास और पुरातत्व को जान सके।

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि आज मंत्रालय ने यह फैसला किया है कि देश के सभी जिलों में 100 फीसदी सैनिटेशन होगा। हमारे देश में ऐसे गांव भी हैं, जहां दलित और भूमिहीन लोग रहते हैं। उनके पास अपना जीविका चलाने के लिए सिर्फ पशुधन है, लेकिन उनके पास गोबर और दूसरा कूड़ा-करकट फेंकने के लिए कोई जमीन नहीं है। उस गन्दगी को वे वहीं स्टोर कर लेते हैं। इसलिए यह जो 100 फीसदी सैनिटेशन का अभियान है, वह पूरा नहीं हो पाएगा। जब तक इन दलितों और भूमिहीन लोगों को कूड़ा-करकट फेंकने के लिए और गोबर फेंकने के लिए जगह न दी जाएगी तब तक यह अभियान पूरा नहीं होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय से उम्मीद करता हूं कि इन दलित और भूमिहीन लोगों को गोबर ओर कूड़ा-करकट फेंकने के लिए जगह दी जाए।

[अनुवाद]

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): धन्यवाद, सभापति महोदय, मैं माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि वे यहां उपस्थित हैं। अलप्पूझा उपमार्ग के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की जरूरत है। अलप्पूझा उपमार्ग का निर्माण कार्य 1990 में ही शुरू हो गया था। अभी तक उसके निर्माण का प्रथम चरण ही पूरा हो पाया है। निर्माण कार्य बहुत ही धीमी गति से हो रहा है। अब यह कार्य बिल्कुल रूका पड़ा है। बालू की अनुपलब्धता का कारण यह है कि केरल में नदी से बालू का खनन और समुद्री बालू के उपयोग पर प्रतिबंध है। अत: कार्यान्वयन एजेन्सी ने लाल बालू से बुनियादी कार्य का निर्माण किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसकी अनुमति नहीं देता है। लाल बालू का उपयोग करने के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी को अनुमति दी जा सकती है क्योंकि लाल बालू का उपयोग करने पर व्यय और अधिक होगा। अत: अनुमानित लागत में सुधार किया जा सकता है। कार्यान्वयन एजेन्सी को प्राक्कलन में सुधार करने की अनुमति दी जा सकती है और इससे खर्च में जो वृद्धि होती है वह उन्हें दिया जाए।

महोदय, इसके अतिरिक्त उपमार्ग पर दो सड़क-उपरी-पूल बनाया जाना है। श्री ए.डी. का भी अनुमोदन नहीं किया गया है। यदि जी.ए.डी. को अनुमोदित करने में विलम्ब होता है तो इससे उपमार्ग के निर्माण कार्य को पूरा करने में और अधिक विलम्ब होगा। पन्द्रह वर्ष पहले ही बीत चुके हैं। सरकार इस पर परिप्रोजना के लिए परिकल्पित राशि से लगभग दुगुनी राशि पहले ही व्यय कर चुकी है। अत: माननीय मंत्री से निवेदन है कि इस मामलें पर शीघ्र कार्यवाही करें और उपमार्ग का शीघ्र निर्माण कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): सभापति महोदय, कुछ निर्यातक रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते हैं। उन्हें लगभग 20-30 साल बाद संसद के बाहर वाजिब मांगों के लिए आना पड़ा। आयकर अधिनियम 80 एचएचसी के अंतर्गत सभी निर्यात आमदनी आयकर से मुक्ति 2004-2005 तक और आयकर अधिनयम 28 के अंतर्गत सभी प्रकार की एक्सपोर्ट रियायतों को एक्सपोर्ट आय का भाग माना जाता था। ये रियायतें लाइसेंस सीमा शुल्क की वापसी तथा नकद निर्यात वापसी थी। सन 1997 में डीईपीबी स्कीम शुरू की गई, जिसमें कस्टम ड्यूटी की वापसी की जाती थी। आयकर विभाग (वित्त मंत्रालय) 28 में इसको सम्मिलित नहीं किया, परन्तु आयकर विभाग इसको ड्यूटी का वापसी (28 सी) के तहत मानकर निर्यातक की असैसमेंट 1997 से 2003 तक करता रहा।

आज अचानक 2004-2005 में निर्यातक की फाइलें खोलकर उन पर टैक्स की मांग सन 1997 से की जा रही है जो पैसा निर्यातक अपने व्यापार में खर्च कर चुका है।

महोदय, इसकी वजह से पिछले सात वर्षों में निर्यात का विकास चार लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। यदि इस अधिनियम के अंतर्गत तुरन्त कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो देश का निर्यात केवल कम ही नहीं होगा, बल्कि बंद होने के कगार पर पहुंच जाएगा। इसका खमियाजा हमारे गरीब कारीगर और मजदूर भाइयों को भुगतना होगा और सभी निर्यात से संबंधित लोग प्रभावित होंगे जिनकी संख्या आज लगभग पांच करोड़ तक पहुंच गई है। मुझे आशा है कि केन्द्रीय वित्त मंत्री इस ओर पूरा ध्यान देकर निर्यात करने वाले प्रभावित लोगों को सुनकर लाभ पहुंचाएंगे जिससे इस व्यापार को नुकसान न हो और पांच करोड़ लोग शिक्षित बेरोजगार न हों।

महोदय, सरकार बेरोजगारी को समाप्त करना चाहती है तो मेरा निवेदन है कि 1997 से की जा रही गणना की व्यवस्था और टैक्स की इस मांग को समाप्त करे। देश में पहले से ही बेरोजगारी बढ़ रही है, वह और ज्यादा न बढ़े और बेरोजगार लोगों रोजगार देने की जो यू.पी.ए. सरकार के सामने पहले से ही गम्भीर समस्या है, वह और न बढ़े। मैंने सरकार के हितार्थ ही यह प्रश्न सदन में उठाया है। मेरा निवेदन है कि टैक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट के धंधे में जो लोग लगे हुए हैं उनका व्यवसाय इस व्यवस्था से चौपट न हो और उनका व्यवसाय चलता रहे। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा कल 9 अगस्त के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.31 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 9 अगस्त, 2005/ 18 श्रावण, 1927 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण श्री एम. शिवन्ना	201
2.	श्री प्रबोध पाण्डा	202
3.	श्री दरोगा प्रसाद सरोज	203
4.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	204
5.	श्री बाडिगा रामकृष्णा	205
6.	श्री पी. एस. गढ़वी	206
7.	श्री श्रीचन्द कृपलानी	207
8.	श्री गणेश सिंह श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	208
9.	श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	209
10.	प्रो. महादेवराव शिवनकर मोहम्मद शाहिद	210
11.	श्री रामदास आठवले श्रीमती रूपाताई डी. पाटील	211
12.	श्री पंकज चौधरी	212
13.	श्रीमती मेनका गांधी	213
14.	श्री जी. करुणाकर रेड्डी श्री सुनिल कुमार महतो	214
15.	श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई	215
16.	श्री एस. के. खारवेनथन	216
17.	श्री जसुभाई दानाभाई बारड़	217
18.	डा. एम. जगन्नाथ	218
19.	श्री गिरिधारी यादव श्री मनसुखभाई डी. वसावा	219
20.	श्री रायापति सांबासिवा राव	220

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	2303
2.	आचार्य, श्री वसुदेव	2211, 2298
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	2140, 2157, 2175, 2272, 2297
4.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	2099, 2102, 2106
5.	अहीर, श्री हंसराज जी.	2163
6.	अप्पादुरई, श्री एम.	2148
7.	आठवले, श्री रामदास	2248
8.	"बाबा" श्री के.सी. सिंह	2206
9.	बैठा, श्री कैलाश	2207
10.	बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई	2233, 2285, 2311
11.	बर्मन, श्री हितेन	2177, 2202
12.	बर्मन, श्री रनेन	2119, 2230, 2270
13.	भगोरा, श्री महावीर	2158
14.	भक्त, श्री मनोरंजन	2203, 2291
15.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	2166, 2265
16.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	2118, 2228
17.	बोस, श्री सुब्रत	2177
18.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	2152
19.	चक्रवर्ती, श्री अजय	2209
20.	चन्देल, श्री सुरेश	2157
21.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	2139, 2149, 2157, 2261
22.	चौरे, श्री बापू हरी	2122, 2231, 2309
23.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	2223
24.	चिन्ता मोहन, डा.	2194
25.	चौहान, श्री शिवराज सिंह	2159, 2255
26.	चौधरी, श्री पंकज	2256

1	2	3
27.	चौधरी, श्री अधीर	2097, 2155, 2185, 2264, 2297
28.	धनराजू, डा. के.	2162, 2218, 2262, 2292
29.	डोम, डा. रामचन्द्र	2249
30.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	2104, 2115
31.	गढ़वी, श्री पी.एस.	2253
32.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	2124, 2135, 2151, 2282
33.	गंधी, श्रीमती मेनका	2157
34.	गांधी, श्री प्रदीप	2197, 2288
35.	गंगवार, श्री संतोष	2129, 2153, 2261, 2270
36.	गाव, श्री तापिर	2238
37.	जार्ज, श्री के. फ्रांसिस	2187
38.	गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द	2216
39.	गुढे, श्री अनंत	2300
40.	हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	2181
41.	जगन्नाथ, डा. एम.	2153, 2157, 2271
42.	जय प्रकाश, श्री	2112, 2127
43.	झा, श्री रघुनाथ	2125, 2163, 2177, 2266
44.	जोगी, श्री अजीत	2165
45.	जोशी, श्री प्रहलाद	2213, 2302
46.	कलमाडी, श्री सुरेश	2282
47.	कनोडीया, श्री महेश	2116, 2227, 2317
48.	करुणाकरन, श्री पी.	2161
49.	कथीरिया, डा. वल्लभभाई	2201, 2290
50.	खैरे, श्री चंद्रकांत	2126, 2157, 2205, 2237, 2318
51.	खां, श्री सुनील	2215
52.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	2208, 2295
53.	खन्ना, श्री अविनाश राय	2107, 2221, 2307
54.	खारवेनथन, श्री एस.के.	2153, 2163, 2223, 2264
55.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	2127, 2128
56.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	2235, 2272, 2284, 2324
57.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	2099, 2155, 2174
58.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	2131, 2280
59.	कुरूप, श्री सुरेश	2137
60.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	2199, 2210, 2255, 2294, 2296
61.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	2193, 2194
62.	लक्ष्मण, श्रीमती सुशीला बंगारु	2324
63.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	2219, 2306
64.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	2178, 2274
65.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	2147
66.	महाजन, श्री वाई. जी.	2223
67.	महतो, श्री बीर सिंह	2099
68.	महतो, श्री सुनिल कुमार	2099, 2102, 2106, 2145
69.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	2109
70.	माझी, श्री परसुराम	2108, 2133
71.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	2153
72.	मंडल, श्री सनत कुमार	2134, 2246, 2320
73.	माने, श्रीमती निवेदिता	2135, 2151
74.	मनोज कुमार, श्री	2121
75.	मनोज, डा. के. एस.	2180, 2262, 2276
76.	मेघवाल, श्री कैलाश	2127, 2146, 2214, 2273
77.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	2220

1	2	3
78.	मोदी, श्री सुशील कुमार	2138, 2278
79.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	2208, 2295
80.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	2170, 2304
81.	मुकीम, मोहम्मद	2160, 2260
82.	मो. ताहिर, श्री	2199, 2210, 2255, 2296
83.	मूर्ति, श्री ए.के.	2123
84.	मुन्शी राम, श्री	2198, 2199, 2210, 2255, 2296
85.	मुर्मू, श्री हेमलाल	2159, 2255
86.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	2168, 2326
87.	नम्बाडन, श्री लोनाप्पन	2173
88.	नरसुला, श्री डी.	2200
89.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	2100, 2272, 2284, 2298
90.	नायक, श्री अनन्त	2108, 2157, 2242
91.	निहाल चन्द, श्री	2204
92.	निखिल कुमार, श्री	2098, 2155, 2264
93.	ओराम, श्री जुएल	2114, 2157, 2236, 2315
94.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	2212, 2234, 2322
95.	पाण्डा, श्री प्रबोध	2251, 2321
96.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	2153
97.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	2108
98.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	2099, 2108, 2259
99.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	2164, 2263
100.	पटैरिया, श्रीमती गीता	2163, 2195
101.	पाठक, श्री ब्रजेश	2169, 2267
102.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	2188
103.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	2157
104.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	2187, 2262, 2301, 2323
105.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	2224, 2312
106.	प्रधान, श्री प्रशान्त	2120, 2249
107.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	2102, 2108, 2113, 2155, 2247
108.	पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	2254, 2325
109.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	2190, 2287
110.	राजेन्द्रन, श्री पी.	2191
111.	रामदास, प्रो. एम.	2136, 2243
112.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	2175, 2252, 2301, 2323
113.	राणा, श्री रविन्दर कुमार	2171
114.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	2184
115.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	2109, 2299
116.	रावत, श्री कमला प्रसाद	2202
117.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	2225, 2267, 2308
118.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	2192
119.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	2117, 2229
120.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	2139, 2157, 2261
121.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	2102, 2106, 2247
122.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	2143, 2269
123.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	2156, 2258
124.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	2301
125.	सेठ, श्री लक्ष्मण	2146
126.	शाहिद, मोहम्मद	2199, 2210, 2255, 2268
127.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	2292
128.	शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम	2196
129.	शर्मा, श्री मदन लाल	2245, 2314

1	2	3
130.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	2240
131.	शिवन्ना, श्री एम.	2175, 2250, 2319
132.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	2198, 2210, 2255, 2294
133.	सिद्दीश्वर, श्री जी. एम.	2111, 2222
134.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	2108, 2145, 2259
135.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	2217
136.	सिंह, श्री लक्ष्मण	2167
137.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	2182, 2277
138.	सिंह, श्री चन्द्रभान	2183
139.	सिंह, श्री दुष्यंत	2144, 2262, 2279
140.	सिंह, श्री गणेश	2160, 2241, 2316
141.	सिंह, श्री गणेश प्रसाद	2171
142.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	2135
143.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	2130, 2239, 2266
144.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	2105
145.	सिंह, श्रीमती प्रतिभा	2260
146.	सिंह, श्री राकेश	2142
147.	सिंह, डा. राम लखन	2208, 2295
148.	सिंह, श्री सीताराम	2101, 2232, 2310
149.	सिंह, श्री सुग्रीव	2164, 2263
150.	सिंह, श्री उदय	2185, 2281, 2297
151.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	2116, 2227
152.	सोनोवाल, श्री सर्वानन्द	2150
153.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	2110, 2243
154.	सुब्बारायण, श्री के.	2108, 2205, 2293
155.	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	2186
156.	सुमन, श्री रामजीलाल	2193
157.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	2149, 2289
158.	थामस, श्री पी.सी.	2262
159.	दुम्मर, श्री वी.के.	2099, 2108, 2155, 2257
160.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	2179, 2275
161.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	2157, 2167, 2305
162.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	2152, 2299
163.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	2154
164.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	2140, 2157, 2175, 2272, 2297
165.	विजयशंकर, श्री सी.एच.	2172, 2292
166.	विरूपाक्षप्पा, श्री के.	2141, 2283
167.	वाघमारे, श्री सुरेश	2115, 2226
168.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	2135
169.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	2099, 2108, 2286
170.	यादव, श्री भाल चन्द्र	2218
171.	यादव, श्री सीता राम	2212
172.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	2132, 2244, 2313
173.	जाहेदी, श्री महबूब	2103

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	202, 206, 209, 211, 213, 214
रसायन और उर्वरक	:	215, 220
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	203, 204, 207, 219
पर्यावरण और वन	:	201, 205
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	218
श्रम और रोजगार	:	208, 217
इस्पात	:	
पर्यटन	:	
जल संसाधन	:	210, 212, 216.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	2101, 2103, 2111, 2117, 2119, 2128, 2129, 2131, 2132, 2137, 2142, 2143, 2144, 2146, 2147, 2151, 2155, 2160, 2168, 2175, 2176, 2178, 2179, 2180, 2182, 2184, 2185, 2187, 2188, 2194, 2216, 2218, 2222, 2224, 2228, 2229, 2233, 2234, 2236, 2239, 2240, 2243, 2244, 2245, 2247, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2262, 2263, 2264, 2268, 2269, 2272, 2276, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2288, 2293, 2294, 2300, 2301, 2302, 2309, 2310, 2313, 2319, 2321, 2323, 2324, 2325, 2326
रसायन और उर्वरक	:	2097, 2098, 2134, 2136, 2149, 2181, 2197, 2208, 2211, 2219, 2231, 2242, 2275, 2290, 2295, 2307, 2315
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	2126, 2139, 2162, 2174, 2186, 2190, 2201, 2202, 2204, 2212, 2237, 2238, 2258, 2274, 2304, 2306, 2317
पर्यावरण और वन	:	2100, 2107, 2108, 2109, 2115, 2116, 2122, 2125, 2130, 2133, 2148, 2152, 2157, 2163, 2164, 2167, 2170, 2171, 2173, 2196, 2200, 2206, 2207, 2213, 2226, 2227, 2250, 2259, 2260, 2261, 2266, 2271, 2273, 2285, 2286, 2287, 2292, 2299, 2305, 2311, 2314, 2320
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	2199, 2203, 2210, 2214, 2246, 2316
श्रम और रोजगार	:	2099, 2102, 2114, 2118, 2120, 2140, 2153, 2161, 2177, 2183, 2205, 2217, 2220, 2225, 2277, 2303, 2322
इस्पात	:	2165, 2166, 2169, 2189, 2215, 2223, 2248, 2270, 2298, 2312
पर्यटन	:	2105, 2112, 2123, 2127, 2138, 2141, 2150, 2156, 2172, 2195, 2209, 2221, 2265, 2278, 2279, 2291, 2318
जल संसाधन	:	2104, 2106, 2110, 2113, 2121, 2124, 2135, 2145, 2154, 2158, 2159, 2191, 2192, 2193, 2198, 2230, 2232, 2235, 2241, 2249, 2267, 2289, 2296, 2297, 2308.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और श्री इन्टरप्राइजेज, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।